राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवम् विधान सभा के छठे सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या 16

मंगलवार,

17 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप इधर भी देख लिया करो ना ।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ तो मैं पहले देखता हूं ।

"दुर्जनम् प्रथमम् वंदे सज्जनम् तदनन्तरम्"

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी ।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की भूमि का सर्वेक्षण

430. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इंदिरा गांधी नहर के रावतसर, मोहनगढ़, भाप गोडू, बज्जू, इत्यादि क्षेत्रों में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात् भूमि के नीचे जिप्सम पत्थर व मुलतानी मिट्टी की पर्तें पाई गई हैं ? यदि हां, तो इसका सर्वेक्षण कब किया गया और सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इस क्षेत्र के बारे क्या तथ्य दर्ज हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर बीकानेर जिले से आगे जिस क्षेत्र में जावेगी वहां की मिट्टी का वैज्ञानिक सर्वे करने के पश्चात् उसे सिंचाई हेतु अनुपयोगी पाया गया है ? क्या वहां की भूमि का कोई सर्वेक्षण हुआ है ? यदि हां, तो कब और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

(3) क्या इतने बड़े भू-भाग में पानी ले जाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है ? क्या भूतल के सर्वेक्षण की गम्भीरता को देखते हुए सरकार उसका नया सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता महसूस करती है ? यदि हां, तो यह कब तक करवाया जावेगा ?

इंदिरा गांधी नहर मंत्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) जी हां । इन क्षेत्रों में विभिन्न गहराइयों पर जिप्सम, पत्थर व मुलतानी मिट्टी की पर्तें पाई गई हैं । हाईड्रोजियोलोजिकल बेरियर का सर्वेक्षण राज्य भूजल विभाग-सी.ए.डी. के भूजल अनुभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण में वर्ष 1984 से किया जा रहा है । सी.ए.डी. के भूजल अनुभाग से समय-समय पर प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी नहर के प्रवाह क्षेत्र द्वितीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चरण के अध्ययन हेतु 4.8 लाख हैक्टेयर में लगभग 1.17 लाख हैक्टेयर व जलोत्थान क्षेत्र में लगभग 2.28 लाख हैक्टेयर में भूमि सतह से 0 से 5 मीटर गहराई में जिप्सम व सख्त/कठोर मिट्टी आदि की सतहें हैं।

(2) इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर से आगे जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के जिस क्षेत्र में जायेगी, वहां की मिट्टी का वैज्ञानिक (सेमी डिटेल्ड सायल) सर्वे करने के पश्चात् केवल ऊंचे टीबों अथवा कंकरीले/चट्टानी भूतल आदि वाले क्षेत्र को ही सिंचाई के अनुपयोगी पाया जाकर अनकमाण्ड क्षेत्र माना गया है।

इस क्षेत्र की भूमि का सर्वेक्षण समय–समय पर करवाया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के प्रवाह क्षेत्र में 5,15,401 हैक्टेयर तथा लिफ्ट क्षेत्र में 3,31,445 हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य पाई गई है। इसके अतिरिक्त 2,64,578 हैक्टेयर में भू सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। आवश्यक है। वर्तमान में किये जा रहे सर्वेक्षणों की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने व अध्ययन के बाद आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त सर्वेक्षण कराया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा है, उसमें वास्तव में इन्होंने जो जवाब दिया है वह अधूरा है। हमारे प्रदेश में राजस्थान कैनाल का 1964 में प्रथम चरण पूरा हो गया, उसकी सिंचाई शुरू हो गई। मैंने यह पूछा था कि यह सर्वेक्षण कब हुआ, इन्होंने रिपोर्ट में जवाब दिया 1984 में। यानी जिस कैनाल को हमने बनाया, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किये और राजस्थान के जिस भू भाग में सिंचाई के लिए जायेगी, उसका सर्वेक्षण 1984 में हुआ, उससे पहले जो सर्वेक्षण हुए, उसकी रिपोर्ट माननीय मंत्रीजी ने नहीं बताई यहां और वही वास्तविक सर्वेक्षण हैं जिससे पता लगता है कि यह कैनाल किस एरिये में जानी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर के बारे में मेरा जो दूसरा सवाल है, इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि वहां ऊंचे टीबे हैं, कंकरीली जमीन है जबकि मैंने स्पष्ट पूछा था कि वहां इन्होंने कब सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण के अन्दर किस–किस एरिये की क्या रिपोर्ट है ? इस मामले को इन्होंने गोलमाल कर दिया कि उसमें सिंचाई की इतनी जमीन निकली। मैंने यह नहीं पूछा था कि सिंचाई की कितनी जमीन निकली। मैंने तो यह पूछा था कि उस सर्वेक्षण के अन्दर, उस भूमि के बारे में नीचे की कैसी जमीन पाई गई और कितने मीटर की पाई गई थी, जो मेरा सवाल है, इन्होंने बिल्कुल ही गोलमाल कर दिया इस रूप में कि आवश्यक तो है पर करवाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि आवश्यक है सर्वेक्षण, राजस्थान सरकार ने जो सर्वेक्षण है, उसका अध्ययन किया या नहीं किया और उसका अध्ययन किया है तो उसके क्या नतीजे निकले और सर्वेक्षण नहीं किया तो यह लिफ्ट कैनाल क्यों बनी। यह मेरा पहला सवाल है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं दूसरा सवाल पूछूं....

श्री अध्यक्ष : दूसरा बाद में पूछ लेना।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा, इसका प्रथम सर्वे वर्ष 1950-52 में केन्द्रीय जल आयोग ने सर्वेक्षण किया, यह परियोजना क्षेत्र में प्रारम्भिक सोइल सर्वे डाक्टर आर. सी. ऊन द्वारा प्रतिपादित केन्द्रीय जल आयोग के जल की प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट है। फिर वर्ष 1976–77 में हुआ....

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर उसमें कितना एरिया है, उसका एरिया बता दीजिए। 4.8 लाख हैक्टेयर, 2.8 लाख हैक्टेयर। (व्यवधान) मैं यह पूछ रहा हूं, आपने रिपोर्ट बता दी 1950–52 में हुआ, 1950–52 की रिपोर्ट में कितना हार्ड पैन बताया गया, किस एरिया को हार्ड पैन बताया गया, यह बता दीजिये। लिफ्ट और फ्लो दोनों है। वह बता दीजिये। सर्वे ही नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : 1950–52 में कोई सर्वे नहीं हुआ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं वो ही कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि 1950–52 में सर्वे हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह 1950–52 में केन्द्रीय जल आयोग परियोजना क्षेत्र में प्रारम्भिक सोइल सर्वे होता है। उसके बाद तीन तरह का सर्वे होता है। लास्ट सर्वे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है। अभी वेपकोस जो लास्ट सर्वे है, वह हो रहा है। मैं 1950–52 की रिपोर्ट बता रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि सर्वे रिपोर्ट कब आई। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कैनाल बनने के बाद सर्वे हुआ है, उसकी सर्वे रिपोर्ट आपके पास क्या है? अगर हार्ड पेन का सर्वे आपने नहीं करवाया भूमि के नीचे और आपने कैनाल बना दी। कैनाल में पानी जब लगने लगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आपको सर्वे दी कि यह तो जमीन अनुपयुक्त है, यह खेती के लायक नहीं है। यह है मेरा सवाल। इसमें पहले सर्वे कब थी, क्या थी, कितनी भूमि को उन्होंने हार्ड पेन बताया है?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1952 में 13 लाख हैक्टेयर में से 7 लाख हैक्टेयर जमीन अच्छी पाई गई और हार्ड पैन का अध्ययन नहीं किया गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : 6 लाख हैक्टेयर आपकी निगाह में यह है कि वह अनुपयुक्त पाया गया तो वह 6 लाख हैक्टेयर कौन–कौनसा है, जहां–जहां आपने लिफ्ट बनाई है, वह है या दूसरा है, आप बता दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां लिफ्ट के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, मुख्य बिन्दु आपने जो उठाया है, तो उस सारे इलाके में जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिफ्टें बनी हैं, उसमें टोटल एरिये के सर्वे के बाद 50–51 प्रतिशत सिंचाई योग्य है, इसमें पाया गया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री जी, मैं यह पूछ रहा हूं कौनसा एरिया उसमें पाया गया जो इसके लायक नहीं था। आपने कैनाल वहीं तो नहीं बना दी जो उसके लायक नहीं था। यही मैं पूछ रहा हूं। आप बता दीजिये कि यह-यह एरिया था जहां हार्ड पैन 1950-52 के सर्वे में पाया गया और हार्ड पैन पाये जाने के बाद भी कैनाल बना दी राजनैतिक असर से, यह मेरा आपसे सवाल है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 1950-51 में सर्वे की आप बात कर रहे हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं नहीं कह रहा हूं, आप कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने भी कहा। अपना समझौता हुआ था इस सम्बन्ध में, विश्व बैंक की अध्यक्षता में यह सारा समझौता हुआ और विश्व बैंक की सलाह से ही हमने राजस्थान कैनाल के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया था, उस समय एक मोटा सर्वे हुआ था कि कैनाल किस एरिये में जायेगी नम्बर एक। और उसमें कितनी जमीन आयेगी, इस जमीन को हमें सिंचित करना है। जहां तक हार्ड पैन का सवाल है, यह सर्वे बहुत बाद में हुआ है और कैनाल के निर्माण का काम पहले शुरू हुआ है।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो मंत्रीजी दूसरा जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, इसका मतलब यह है कि हमने हार्ड पैन का सर्वे और भूमि के नीचे का सर्वे नहीं किया और उसके बिना ही कैनाल बना दी। विश्व बैंक ने हमें यह थोड़े ही कहा था कि आप कैनाल यहां बनाओ। विश्व बैंक ने हमको प्रोजेक्ट दे दिया, पैसा दे दिया और मदद दे दी। यह सर्वे राजस्थान सरकार को करना था कि किस भूमि में जाय जहां–जहां खेती हो सकती है। यह है। यह बता दीजिये।

श्री केदार नाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि हार्ड पैन का सर्वे नहीं हुआ? 1984 के पहले, हार्ड पैन कहां–कहां है, पलों में और लिफ्ट में, इसके पहले हार्ड पैन का कोई सर्वे नहीं हुआ, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान। आप पूछ रहे हैं इंदलिया जी ?

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : क्या यह सही है कि इस नहर की जब प्रथम रिपोर्ट तैयार हुई, तो उसमें क्या यह चीजें अंकित हैं कि इतना बीघा, इतना एकड़ भूमि काबिले काश्त नहीं है ?

नम्बर दो, यह मुद्दा इन्हीं वर्षों में अब उठा है। जब कोई मंत्री पश्चिमी राजस्थान का होगा तो वहां की जमीन सारी काबिले काश्त है, और मंत्री दूसरी साइड का होगा तो जमीन काबिले काश्त नहीं होगी। यह भावना उन लोगों की, उन काश्तकारों की बता रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल हो गया न ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इस तरह की भावना वहां के काश्तकारों में है, आज तक यह मुद्दा कैसे नहीं उठा । जब आपने नहर को पूरा कर दिया, न काबिले काश्त था, न कोई हार्ड पैन था, न कोई नार्मल थी । यह मुद्दा इस समय ही कैसे उठा ? लोगों का शक है मंत्री महोदय, कि कैनाल को इस तरह से ट्विस्ट करके सारा पानी पिछले जिलों और पिछले इलाके के ताकतवर लोगों को दिया जायेगा । ऐसी जनता में भावना है । क्या यह सही है ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी जमीन भी वहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम जी ।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय सावां लिफ्ट रेग्युलेटर का उद्घाटन करने पधारे थे, उस वक्त घोषणा की थी कि टेक्नीकल रिपोर्ट आई है कि विसरासर, केलणिया, कानसर, सिरंगसर घणियासर आदि गांवों में हार्ड पैन है, चूंकि यह हार्ड पैन जो जिप्सम है, यह पैचेज में था और जिप्सम कम्पनी ने बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाकर वह जिप्सम निकाल लिया, और आज वहां पर हार्ड पैन नाम की, जिप्सम नाम की कोई चीज नहीं है । तो क्या मंत्री महोदय री–सर्वे करायेंगे, या वैसे ही यह मान लेंगे कि इन गांवों को सिंचाई हेतु पानी दिया जायेगा ? यह मेरा सवाल है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय श्री चुन्नी लाल जी ने प्रश्न उठाया कि मंत्री के क्षेत्र होने के नाते, मैंने कोई श्री हेतराम जी से मिली भगत से प्रश्न उठाया, यह शंका आपकी बिल्कुल निराधार है । (व्यवधान) बिराजिए, मैं बताता हूं आपको ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मेरा उन गांवों के और पश्चिमी राजस्थान के गांवों के बारे में सवाल है । यह सवाल मेरा नहीं है ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने अपनी तहसील के 15 गांव जोड़ लिये (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री जी, अगर आप नहर के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो हमारे वोटर कहेंगे कि हमारा बार्डर का इलाका है, बार्डर कमजोर होगा ।

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जवाब में यह बात बता चुका हूं जिन मुद्दों के बारे में आपने पूछा है । नोखा से आने वाले माननीय सदस्य की जो शंका है कि इस प्रकार से मेनीप्युलेट करके यह जो लिफ्ट है वह आगे सैकन्ड स्टेज में बंद कर दी जायेगी, इन जिलों का, जो फ्लो का इलाका है, उसको बंद कर दिया जायेगा, यह बात निराधार है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह प्रश्न पूछा ही नहीं है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरे सवाल को टाल रहे हैं । राज्य सरकार का जो व्यवहार है, पश्चिमी राजस्थान की जो

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

लिफ्ट हैं और नहर का निर्माण है, उसकी गति बिल्कुल धीमी कर दी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। (व्यवधान) देखिये, सवाल और सवाल का जवाब दोनों आ गये। अब आपको भाषण देना है, दीजिये। आपने सर्वे के बारे में पूछा (व्यवधान) सुन तो लीजिये मुझे आप। कि पहले सर्वे नहीं हुआ, आ गया जवाब अब सर्वे हो रहा है। अब आपका तो यह कहना है कि बिना सर्वे ही कैनाल बना दिया, यह जवाब साफ आ गया कि कैनाल जहां बनी है वहां सर्वे नहीं हुआ (व्यवधान) अब सी.ए.डी. में कौन सी जमीन आयेगी, उसका सर्वे हो रहा है। अब जहां उसमें हार्ड पैन निकलता है, हार्ड पैन आ रहा है। तो अब यह अन्दाज लगाया जा रहा है कि साहब, यह तो मैनीप्युलेट हो रहा है क्योंकि जब कैनाल में आ ही गये तो पानी लगना ही चाहिये। परन्तु चूंकि अब सर्वे हो रहा है तो उसमें नये तथ्य आ रहे हैं, यह आपका सवाल और जवाब है। (व्यवधान) मनीराम जी का जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए (व्यवधान) आप बैठिये हेतराम जी, बार बार थोड़े ही होता है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : साहवा इरिगेटरी का जहां तक प्रश्न है, मैं वहां गया था, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं है। सवाल था क्या हार्ड पैन पाया गया है। और माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर जिप्सम वगैरा निकला है (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मंत्री महोदय, 26 जनवरी का भाषण है आपका। अब आपने मेनिपुलेशन करके 15 गांव हमारी तहसील के काट करके आपकी तहसील के जोड़ दिए। (व्यवधान)

श्री भवर लाल शर्मा : माननीय सदस्य ने जो बात कही, अगर हार्ड पैन नहीं है और जिप्सम अगर निकाल दिया गया है, तो स्टेट ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से दोबारा उन सात-आठ-गांवों का निश्चित रूप से सर्वे करवा लिया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने जवाब दिया है कि बड़े बड़े भू भागों की, जहां पानी जा रहा है, उसकी आवश्यक जांच करवायेंगे। सर्वेक्षण के अध्ययन के बाद, यदि आवश्यक हुआ, तो दोबारा सर्वेक्षण करायेंगे। इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार जहां लिफ्ट इर्रीगेशन नहर बन रही है, उसकी दोबारा सर्वे भी करायेगी। तो दुबारा सर्वे की रिपोर्ट आ जाये, रिजल्ट आ जाये, उस काम को बंद करायेंगे ? यह विरोधाभास है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि दोबारा सर्वेक्षण करायेंगे, हार्ड पैन निकल रहा है और एक तरफ कह रहे हैं कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर चुका हूं कि राजस्थान कैनाल का निर्माण कार्य किस प्रकार की परिस्थितियों में हुआ है, उस समय यह सम्भव नहीं था कि अण्डर ग्राउण्ड सर्वे करा के कहां हार्ड पैन है, कहां पर जिप्सम है, इस प्रकार की जानकारी की जाय ? एक लम्बा एलाइनमेंट तय किया गया था कि कैनाल इधर से जायेगी, इस प्रकार की चौड़ाई की होगी, इस क्षेत्र में से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जायेगी। अब ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे हैं, जहां जहां भी हार्ड पैन आया है अब तक और वहां पर जो काश्तकारों के सामने वाटर लोगिंग की और कई प्रकार की प्राब्लम्स आई हैं उसके बाद में यह आवश्यकता हुई कि जहां इस प्रकार का हार्ड पैन है या जहां पर इरिगेशन नहीं हो सकता है नम्बर एक। जहां पर वाटर लोगिंग की प्राब्लम है या बाकी प्राब्लम्स क्रिएट होती हैं उन सब जगहों का सर्वे करने के बाद में निर्माण कार्य शुरू करवाया जाय।

मैं श्री चुन्नीलाल जी की एक बात की ताइद करना चाहूंगा कि मेरे पास भी इस प्रकार की कई रिप्रजेंटेशंस आए हैं, जिनमें इस प्रकार की चर्चा की जा रही है कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आयेगा इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि हार्ड पैन एरिया है इसमें पानी नहीं भेजा जाय। आज मैं उनको इतना ही एश्योर कर देऊं कि जो हार्ड पैन एरिया है उसमें अगर पानी नहीं भी देंगे तो बाकी क्षेत्र ऐसा बहुत बचा हुआ है जिसमें हार्ड पेन नहीं है चाहे किसी से भी सर्वे करवा लें कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं आयेगी और पानी उस क्षेत्र में निश्चित रूप से जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हेमराज मीणा।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में भूगोल के सहायक प्रोफेसर पद हेतु साक्षात्कार

431. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 24–25 नवम्बर, 1990 को भूगोल विषय के सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सम्पन्न करवाये गए थे ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें एक पद अनुसूचित एवं जन जाति का आरक्षित था ?

(3) क्या यह भी सही है कि विज्ञापन संख्या 1/90 दिनांक 13 फरवरी, 1990 में इनका उल्लेख था ?

(4) क्या यह भी सही है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यादेश 6/1988 एक्ट नम्बर 18/1984 से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों को रोस्टर के अनुसार लिया जावे ?

(5) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार आरक्षित पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा और यदि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो इन पदों को तीन वर्ष तक रिक्त रखते हुए प्रति वर्ष उस वर्ग विशेष के लिए विज्ञापित किया जायेगा ? यदि हां, तो विज्ञापन संख्या 1/90 दिनांक 13 फरवरी, 1990 में विज्ञापित आरक्षित शिक्षकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से क्यों भरा गया ?

(6) सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कितने प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(7) क्या विश्वविद्यालय में आरक्षण रोस्टर द्वारा भरा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. रतनलाल जाट) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। उक्त अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए उपलब्ध आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्तियां दी जाती हैं।

(5) योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तक आरक्षित पदों को आगे 3 वर्ष तक कैरी फारवर्ड करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के डा.एल सी. खत्री को नियुक्ति दी गई, किन्तु अनुसूचित जन जाति के किसी उम्मीदवार को चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद के योग्य नहीं पाया गया। छात्रों के अध्ययन के हित में इस पद को आगे के लिए केरी फारवर्ड करके सामान्य वर्ग से भर लिया गया।

(6) सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है जिसमें अनुसूचित जाति व जन जाति का उल्लेख है :—

	कार्यरत	अ.जा.	अ.ज.जा.
प्रोफेसर	22	–	–
एसोसियेट प्रोफेसर	97	–	–
सहायक प्रोफेसर	60	01	05
	179	01	05

(7) जी हां, राजस्थान विश्वविद्यालय प्राध्यापक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 के प्रावधान के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही की गई।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि विज्ञापन संख्या 1/90 दिनांक 13 फरवरी में केवल 4 पदों के लिए विज्ञापन किया गया था, जिसके अन्दर एस.सी./एस.टी. का एक-एक पद था। एस. सी. के पद के लिए जो प्रोफेसर पहले से यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे उनका उसमें चयन नहीं किया गया और चयन समिति ने जानबूझकर उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का चयन कर लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 179 पद हैं उनमें से एस.टी. के 1 और एस.सी. के 5 पद हैं। क्या विशेष भर्ती अभियान के लिए विज्ञापन निकाला गया था ? यदि हां, तो एस.सी./एस.टी. के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर भरे जाने के लिए कब-कब विज्ञापन निकाले गए, यह मंत्रीजी मुझे बताने का कष्ट करें।

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के जियोग्राफी डिपार्टमेंट में 4 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हेतु विज्ञापन 1/90 दिनांक 13–2–1990 निकाला गया था। इस पद हेतु 1980 एप्लिकेंट्स ने एप्लाई किया था और इनकी स्कूटनी और स्क्रिनिंग के बाद 65 उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यता के अनुरूप पाया गया था। जितने उम्मीदवारों ने एप्लाई किया था उनमें से 6 कैंडीडेट्स एस.सी. के थे और 4 एस.टी. के थे। एस.सी. के कैंडीडेट्स का जहां तक सवाल था इन 4 में से एक एस.सी. का और एक एस.टी. का पद था जो एडवरटाइजमेंट में उनके लिए निर्धारित किया गया था। एस.सी. के कैंडीडेट डा. एल.सी. खत्री का चयन कर उनको नियुक्ति दे दी गई थी और जहां तक एस.टी. के कैंडीडेट का प्रश्न था सलेक्शन कमेटी ने उनको he was not found suitable, इसलिए उस पद को कैरी फारवर्ड कर दिया गया था। Rajasthan University Teachers & Officers Selection for Appointment Act No. 18, 1974. के सेक्शन 10 में ऐसे पदों को जिनमें उम्मीदवार योग्य नहीं पाये जायं तो उनके लिए रिजर्वेशंस का या कैरी फारवर्ड का जो नियम है, श्रीमन् मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा -- Sec. 10 : Reservation of Posts; Notwithstanding anything contained in the relevant law as from the date of commencement of Rajasthan University Teachers & Officers special conditions of service Amendment Act, 1984 There shall be reserved by the law university concerned 60% posts for scheduled Castes and 12% posts for Scheduled Tribes candidates for appointment to the posts of teachers & officers to be appointed in University in presence of every selection made under this Act; इसी का जो प्रोविजो है, वह इस तरह से है Provided that if any selected person belonging to such castes or such tribes.

मैं उसकी प्रक्रिया बता रहा हूं जिसके आधार पर पोस्ट को कैरी फारवर्ड किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : वह जानते हैं इसलिए सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय श्री हीरालालजी किसने आपको कहा। मैंने तो अभी नहीं कहा। उन्होंने अभी पूरा जवाब ही नहीं दिया है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : जो पढ़ रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपके खड़े होने का क्या मतलब है? आप बैठिए। मैंने अनुमति दी नहीं है आपको। वह जवाब भी पूरा नहीं कर पाए हैं। देखिए, यह छोड़िए उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जो पहले से कार्यरत एस टी./एस.सी. के लोग थे उनको नहीं लिया गया और उनकी जगह दूसरों को ले लिया गया? यह सही बात है क्या?

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी लेक्चरर को टेम्प्रेरी या एडहॉक एपाइन्टमेंट पढ़ाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी

(डा. रतनलाल जाट)

के डिपार्टमेंट में दे दिया जाय और बाद में जब परमानेंट होने के लिए सलेक्शन कमेटी को पेश करता है तो उसको परफोरमेंस के बेसिस पर उसका चयन किया जाता है temporary appointment as a right नहीं हो सकता है। सलेक्शन कमेटी उसको अगर सूटेबल नहीं पाती है तो रद्द किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह पूछ रहे हैं कि ऐसा था क्या ?....(व्यवधान) आप बैठो ना।

डा. रतनलाल जाट : जियोग्राफी डिपार्टमेन्ट की इन 4 पोस्टों में से दो पोस्टें एस. सी. और एस. टी. के लिए थीं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं ऐसे लोग थे क्या जो टेम्प्रेरी-एडहॉक पर थे वहां ?

डा. रतनलाल जाट : जिस एस. सी. के उम्मीदवार की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं वह वहां टेम्प्रेरी काम कर रहे थे लेकिन जब वह सलेक्शन कमेटी के सामने He was not found suitable.

श्री अध्यक्ष : कर रहा था। ठीक है। विराजिये। आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, 10 नवम्बर, 1990 को इस प्रोफेसर को सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दे दी गई थी फिर दुबारा से इसका चयन जान बूझकर नहीं किया गया। तो मैं चाहूंगा कि जो चयन में धांधली हुई है या तो चयन समिति का जो निर्णय हुआ है उसको निरस्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कोई बात यहां पर कहते हैं तो जिम्मेदारी से कहते हैं। चयन बोर्ड बना हुआ है, नियम आपको बताये यह मान लिया कि एडहॉक एपाइंटमेन्ट था। यदि वह चयन में चयनित हो जाते तो उन्हें एपाइंटमेंट मिल जाता। वो चयनित नहीं हुआ इसलिए पोस्ट को आगे केरी फारवर्ड कर लिया गया। जब भी केन्डीडेट मिलेगा, वह भरी जायगी और अभी जिनको लिया गया है वह टेम्प्रेरी लिए गये हैं इन सारी स्थितियों में यदि आपको कुछ पता है कि जान बूझकर चयन में गड़बड़ की गई है ऐसे आपके पास तथ्य हैं क्या कोई ? आपके पास ऐसे तथ्य हैं क्या कि चयन में जान-बूझकर गड़बड़ हुई है ? (व्यवधान)....श्रीमानजी सवाल इनका है। आपके पास ऐसे तथ्य हैं क्या कि चयन में गड़बड़ी हुई है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब उसकी क्वालिफिकेशंस पूरी थी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, क्वालिफिकेशन की बात छोड़िए। चयन की गड़बड़ी बतायें। क्वालिफिकेशन से क्या मतलब है ? क्वालिफिकेशन थी तभी तो उनको एडहॉक एपाइंटमेंट दिया गया था। सवाल जब कम्पीटीशन होता है, उस कम्पीटीशन में जो मिनिमम मार्क्स वह देते हैं चयन करने वाले, उनको तो उन्हें प्राप्त करना चाहिये या नहीं ?

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक ही तो पद था और एक आदमी था....

श्री अध्यक्ष : वह मतलब नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

सवाल यह है कि चयन में गड़बड़ी हुई है क्या ? इसके तथ्य हैं क्या आपके पास, नहीं है तो....

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय चयन में गड़बड़ी हुई है इसीलिए जानबूझकर....

श्री अध्यक्ष : हुई है वह तथ्य बतायें आप। आपके पास जो यह तथ्य हैं वह बतायें। नहीं है। चलिए, नेक्स्ट। (व्यवधान) आपका नहीं है सवाल उनका है। श्री शिवजीराम।

क्रय विक्रय सहकारी समिति, जोधपुर के चुनाव

432. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के चुनाव कब हुए और उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह सही है कि चुनाव होने के काफी समय बाद भी परिणाम घोषित नहीं हुए ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं, विभाग ने इसके लिए क्या प्रयास किए और अब क्या स्थिति है ? अब कब तक परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जोधपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के संचालक मण्डल के सदस्यों के चुनाव हेतु मतदान दिनांक 12-1-1992 को हुआ। चुनाव परिणाम की घोषणा के बारे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश के कारण परिणाम घोषित नहीं किए जा सके।

(2) जी हां। चुनाव परिणाम घोषित नहीं होने का कारण प्रश्न के भाग 1 में उल्लेखित है। चुनाव परिणाम की घोषणा कब तक हो सकेगी, यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भर करता है।

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि सामान्यतया चुनाव में कभी स्टे नहीं मिलता है इसलिए क्या कानूनी खामियां रह गयीं थी जिनकी वजह से न्यायालय से स्टे मिला और अब तक इन 2 माह में माननीय मंत्रीजी ने स्टे को वैकेट कराने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 रिट याचिकायें पेश की गई थी कि चुनाव की घोषणा नहीं की जाय। एक तो चन्द्रशेखर ने, कल्याण सिंह ने और जसवन्तसिंह के द्वारा। चन्द्रशेखर ने 7-1-1992 को, कल्याण सिंह ने 30-1-1992 को और जसवन्त सिंह ने 5-3-1992 को की थी। चन्द्रशेखर ने चुनाव होने के पहले रिट याचिका दे दी थी लेकिन इन्होंने बाद में ले ली, कल्याणसिंह की रिट याचिका हाई कोर्ट की एक बैंच में पेंडिंग है, उन्होंने वहां से स्टे ले लिया और जसवन्तसिंह जी ने डबल बैंच से स्टे ले लिया। लेकिन अभी तक हमें रिट की नकल और स्टे की नकल वहां से प्राप्त नहीं हुई है। चन्द्रशेखर की

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

याचिका के सम्बन्ध में हमने आफिसर इन्चार्ज लगा दिया है वह देख रहे हैं। कोर्ट में जाने वालों को हम नहीं रोक सकते हैं।

श्री शिवजीराम : मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि कानून में ऐसी क्या खामियां थीं जिसके कारण से हाई कोर्ट से स्टे मिला। सामान्यतया चुनाव में कभी स्टे नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया।

श्री शिवजीराम : मैं यह जानना चाहता हूं कि कानून में ऐसी क्या खामियां रह गई थीं जिनकी वजह से स्टे मिला।

श्री अध्यक्ष : यह आप हाई कोर्ट से जाकर पता लगायें। श्री विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि हाई कोर्ट में जो मामला चुनाव से पहले गया था उसमें तो यह एतराज किया गया था कि जो मार्केटिंग के मैम्बरों की सूची उसमें आपने पर्टीकुलर डेट दी थी उस डेट के बाद जो मैम्बर बने हैं उनको आपने Allowed नहीं किया इसलिए जो चन्द्रशेखर का मामला था, वह इसलिए था कि वह मार्केटिंग का मैम्बर बाद में बना था और आपकी डेट थी उसकी तारीख तक आप उसको मान्यता देंगे एक तो मामला था, यह। और बाद में उसने खुद ने मामला विदड्रा कर लिया।

दूसरा, यह मामला था कि आपने मार्केटिंग के चुनाव कराने की घोषणा की, प्रक्रिया प्रारम्भ की, उसके बाद में आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आपने एड किया। पहले एस. सी. और एस. टी. के दो माननीय सदस्य होने चाहिए उसका प्रावधान किया हुआ नहीं था और बाद में आपने अध्यादेश के आदेश के जरिए किया है। इसलिए जोधपुर में भी और राजस्थान में ऐसे कई जगहों पर मार्केटिंग के अन्दर इस तरह के एतराज हुए हैं तो क्या यह सही है कि आपने इस तरह की एम्बिग्युटी हुई है कि आपने कहीं तो कानून बना दिया, कभी अध्यादेश जारी कर दिया, कभी कुछ, कभी रजिस्ट्रार ने कर दिया, इसकी वजह से चुनाव होने के बाद भी नतीजों की घोषणा नहीं कर पाये। इसके बारे में आपकी क्या राय है?

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय प्रक्रिया उच्च न्यायालय में पैंडिंग है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको रिट की नकल मिल गई क्या?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अभी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : नहीं मिली। फिर क्या है।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या नहीं मिली?

श्री अध्यक्ष : रिट की नकल।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आज दो दो महीने हो गए चुनाव हुए, पेटी में वोट डाले हुए पड़े हैं। वह कोई व्यवस्था है क्या?

श्री अध्यक्ष : अब ये क्या करें ? हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : हाई कोर्ट ने स्टे इसलिए दिया कि आपने जवाब नहीं दिया, वकील खड़ा नहीं किया और आपने पैरवी नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं कि इनको पता नहीं है। यह कह रहे हैं कि मेरे पास नकल आई नहीं। (व्यवधान) इसलिए किस ग्राउण्ड पर रिट पिटीशन हुआ है, यह पता नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई नकल लेने वाला नहीं है। मुझे मालूम है। जोधपुर मार्केटिंग मेरे क्षेत्र में आती है और वहां पर आपको मालूम है कि पार्टी को वकील खड़ा करना पड़ा, इनके डिपार्टमेंट की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। न तो वहां पर कोई जवाब दिया, न वहां खड़े हुए, न इनकी तरफ से कोई पैरवी की गई। सारे राजस्थान के अन्दर इस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। वहां पर सभी जगह कहीं चुनाव हो गए, कहीं स्टे ले लिया, कहीं कुछ कर लिया तो आप पूरे मामले को दिखा करके....

श्री अध्यक्ष : आप पैरवी ठीक करिए। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको जल्दी हो रही है, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति यही है कि पैरवी नहीं हो रही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब तक माननीय सदस्यों के जवाब सन्तोषजनक ढंग से नही दिए जावें यह आपकी, इसमें आपका सहयोग मिलना चाहिये कि....

श्री अध्यक्ष : देखिए, जवाब आ चुका अब आप तो कहते हैं कि पैरवी नहीं हो रही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जवाब कहां आ चुका है। मन्त्री महोदय को अभी मालूम नहीं है। हाई कोर्ट में मामला पड़ गया है इनको इसलिये ये समझते हैं कि हमारी छुट्टी हो गई, इनका कोई फर्ज ही नहीं होता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने पहले ही अपने जवाब में कहा है कि हमारे पास रिट की नकल नहीं आई, स्टे आर्डर की नकल नहीं आई। आपकी आपत्ति यह है कि....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ज्योंही रिट पेश करते हैं या पिटीशन पेश करते हैं उसी दिन उसको नकल देनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कह रहे हैं कि नहीं आई और आप कह रहे हैं कि दे देते हैं, देते होंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई लेने वाला नहीं होगा, आई कैसे नहीं।

श्री अध्यक्ष : सवाल पैरवी का ही होता है न। सवाल यही रहा ना कि पैरवी ठीक से नहीं हो रही है। मैंने कहा है कि पैरवी ठीक से करिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर के तालाबों की सफाई

433. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले की सीमाओं में स्थित तीन ऐतिहासिक तालाबों की सफाई अन्तिम बार कब करवाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि जालौर तालाब, हौदडी तथा मोसली नामक तालाबों में वर्षा के पानी के साथ आने वाली रेत कई फीट तक जमा हो गई है तथा जिसके कारण इन तीनों तालाबों की भराव क्षमता बहुत कम रह गई है ?

(3) क्या सरकार इन तीनों तालाबों में भर आई उक्त रेत को निकलवाकर इन्हें अपनी मूल गहराई तक लाए जाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करवा लिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त तीनों तालाबों की आस पास की जमीन, यहां तक कि इनके किनारों (पालों) पर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है ? सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या सरकार ने इन तीनों तालाबों के सौन्दर्यकरण की दृष्टि से कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना कब लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाएगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :

(1) सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों की सफाई नहीं करवाई गई है।

(2) हौदड़ी व मौसली नामक तालाब इस विभाग के अधीन नहीं है। जालौर तालाब में पानी के साथ मिट्टी आने से उसकी भराव क्षमता में अवश्य विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(3) जी नहीं। यह अव्यवहारिक है एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त है।

(4) जालौर तालाब, जो इस विभाग के अन्तर्गत आता है, के आस-पास कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(5) सौन्दर्यकरण की योजना इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, खण्ड दो के जवाब में मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि मिट्टी आने से उसकी भराव क्षमता में कमी आई है। अब इस पानी का बहुत उपयोग होता है। सिंचाई विभाग वाले और वन विभाग वाले यहां से पानी ले जाते हैं और सड़क के किनारे जहां–जहां पौधे लगे हुए हैं उनको पानी देते हैं। इसकी भराव क्षमता में बढ़ोतरी यदि होगी तो उसमें ज्यादा उपयोग होगा। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि इसकी सफाई कब तक करवा लेंगे ? आर्थिक दृष्टि से भले ही अनुपयुक्त है तो भी इसकी सफाई आवश्यक है। इसलिए मन्त्री महोदय, कृपया इसकी सफाई करवाने की व्यवस्था करावें।

अतिक्रमण के बारे में जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है वह गलत है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि चामुण्डा मन्दिर के आस–पास अतिक्रमण हुआ है। यहां तक कि इस तालाब की पाल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पर भी अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं और मन्त्री महोदय की जानकारी में यदि यह बात नहीं है सरकार की जानकारी में यदि यह बात नहीं है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसकी जानकारी करके उन अतिक्रमणों को हटवाने की व्यवस्था मन्त्री महोदय करेंगे ?

सौन्दर्यकरण के बारे में मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसके तालाब पर हनुमान जी का मन्दिर, सरियादेवी का मन्दिर और चामुण्डा माता का मन्दिर तीन तरफ तीन मन्दिर आए हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और मन्दिरों के द्वारा काफी हिस्से का सौन्दर्यकरण तो वह वैसे ही अपनी योजना से कर रहे हैं। यदि यह विभाग उसकी अपने ढंग से योजना बना कर सौन्दर्यकरण करवाए तो तालाब की सुन्दरता भी बढ़ेगी, अतिक्रमण भी रुक जाएगें। इस दृष्टि से मन्त्री महोदय क्या व्यवस्था करेंगे, कृपया जवाब दें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, तालाबों के अन्दर मिट्टी का भराव हो जाता है, कई सैकड़ों सालों से तालाब हैं। सिंचाई विभाग में इस तरह का कोई मद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि इन तालाबों का मलबा निकलवाया जाए। नहरों की डिसिल्टिग का अवश्य वहां प्रावधान है और ऐसी स्थिति में मैं माननीय विधायक से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : यह तालाब सिंचाई के हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, तालाब सिंचाई के अन्तर्गत हैं। तालाब बना हुआ पुराना है, सिंचाई विभाग इसको देखता है लेकिन सिंचाई विभाग में तो कई तालाब हैं अध्यक्ष महोदय और तालाबों में जो मिट्टी भर जाती है, जो मलबा भरता चला जाता है जब यह नदी-नाले आते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ रहा हूं कि इससे सिंचाई होती है क्या तालाब से ? तालाब के पानी से सिंचाई होती है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसके पानी से सिंचाई होती है।

श्री अध्यक्ष : होती है तो।

श्री कैलाश मेघवाल : तालाबों की डिसिल्टिग की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहरों की तो है, तालाबों की नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह जो पुराने तालाब बने हुए हैं जयसमन्द, राजसमन्द....

डा. चन्द्रभान : उनका पानी सिंचाई के उपयोग में नहीं आता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह इस पर डिपेन्ड करता है कि भराव कितना हुआ है। यदि भराव इतना हो गया है कि उससे नया ही तालाब खुद जाए, उसकी सफाई करने में जितना पैसा लगता है उससे नया तालाब खुद जाए तो बात दूसरी है लेकिन थोड़ा–थोड़ा भराव हो तो सफाई होती रहनी चाहिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, तालाब बहुत बड़ा है और उसकी रेत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

निकलवाकर पूरी केपेसिटी यदि प्रयोग में ली जाए तो सिचाई भी हो सकती है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या करेंगे। प्राब्लम आपके सामने आ गई कि तालाब की भराव क्षमता कम हो गई, आप उसकी सफाई करवा नहीं सकते। तो आल्टरनेटिव योजना आपके पास उस पानी के लिए क्या है, क्या सोच रही है सरकार ? यह बताइए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह पूरी तरह भराव हो जाएगा और यह महसूस किया जाएगा कि पानी जो है इधर उधर बह रहा है यह वैकल्पिक व्यवस्था उस समय सोची जाएगी। वर्तमान व्यवस्था जो है सिंचाई विभाग की, उसमें तालाब के मलबे की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)....तब यह वैकल्पिक व्यवस्था देखेंगे।

माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल किया है कि वहां पर अतिक्रमण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अतिक्रमण हुआ है पाल पर और चामुण्डा माता के मन्दिर के आस-पास और अगर वह नियमों के विरूद्ध हुआ है तो उसको हटवाने की कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अतिक्रमण नियमों के विरूद्ध ही होता है। अध्यक्ष महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : तीसरा इन्होंने कहा है कि बहुत मन्दिर बने हुए हैं। सौन्दर्यकरण तो पर्यटन विभाग या उन विभागों की पर्यटन की दृष्टि से कार्यवाही है, सिंचाई विभाग अपनी तरफ से सौन्दर्यकरण की योजना हाथ में नहीं लेता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय बताएं कि इस तालाब के पानी को आप बेचते हैं क्या ? वहां से आस पास की फैक्ट्रियों वाले ले जाते हैं. पानी खरीद कर ले जाते हैं और यह वन विभाग वाले और यह लोग भी पैसा देते हैं क्या इसका ?

श्री कैलाश मेघवाल : अगर फैक्ट्री वाले पानी ले रहे हैं और वन विभाग वाले पानी ले रहे हैं तो उसकी तत्काल सूचना मेरे पास नहीं है कि उनसे पैसा लिया जाता है या नहीं। यह सूचना मैं मगवाकर माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोपीराम जाट।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, पानी बिकता है उसके पैसे से ही इसकी सफाई कराई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि मालूम ही नहीं है कि पैसा है कि नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक सैकिण्ड अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल आ गया। अब क्या तीसरा सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं क्या आप ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, विराजिए आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, उस तालाब को भरने के लिए जो नहर है उसकी सफाई के लिए जवाब दिलवाइए आप।

मुण्डोता आमेर के चीनी विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही

434. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुण्डोता तहसील आमेर के चीनी के डीलर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो निलम्बन के क्या कारण थे ?

खाद्य मन्त्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) जी हां। ग्राम मुण्डोता तहसील आमेर के चीनी के डीलर श्री मोतीराम पुत्र श्री लादूराम वार्ड संख्या 6 से 10 का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना हरमाड़ा में दर्ज कराई गई।

(2) जी हां। निलम्बन के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) नवम्बर, 91 के कोटे की लेवी चीनी का दुरुपयोग।

(2) निरीक्षण के समय दुकान का बन्द पाया जाना।

(3) निर्धारित दर से चीनी के दस पैसे प्रति किलो उपभोक्ताओं से अधिक वसूल करना।

(4) उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में चीनी का इन्द्राज नहीं करना।

(5) कारोबार स्थान से भिन्न अघोषित स्थान/गोदाम में चीनी रखना एवं वितरण करना।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को जो जवाब लिखकर दिया है, विभाग के कर्मचारी अपने खुद की गलतियों को छिपाने के लिए यह तोड़-मरोड कर जवाब दिया गया है। 17 जनवरी को एकता यात्रा जब आई थी उस दिन रात को चीनी वहां से उठाई गई....

श्री अध्यक्ष : अब आप काहे को एकता यात्रा से जोड़ते हो, अभी यह शुरू हो जाएगा, जबरदस्ती एकता यात्रा लगा रहे हो....(व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 17 तारीख को रात को 11 बजे तक ट्रैफिक बन्द था, उसके बाद जब 18 तारीख को वह दुकान पर गया उससे पहले इन्सपेक्टर वहां चला गया। 12 बजे तक बाजार ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ उसके पहले 18 तारीख को दस बजे इन्सपेक्टर वहां पर चला गया और थाने में

(श्री गोपीराम जाट)

रिपोर्ट दर्ज करा दी । 18 तारीख को तो इसमें मेरा कहना यह है, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मोतीराम जो चीनी का वितरक है किसी किसान संघ का अध्यक्ष है ? क्या जयपुर जिलाधीश से समय-समय पर किसानों की बातों को लेकर उनकी आपस में तकरार होती रहती है ? और क्या इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह अधिकारियों के और खास तौर से जिलाधीश महोदय के कहने से ही उसका यह लाइसेन्स रद्द किया गया है, यह जानना चाहता हूं ।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय यह तो हमारे पास जानकारी नहीं है कि श्री मोतीराम किस-किस पदों पर हैं ? लेकिन दिनांक 17.1.1992 को बिल संख्या 444 के द्वारा 13 क्विंटल चीनी इनको यहां से कलेक्ट्रेट कार्यालय से दी गई और उसके बाद 18 तारीख को 11.30–11.45 बजे चैकिंग हमारे स्टाफ के द्वारा की गई और उसमें जो अनियमितताएं पाई गई, उस समय उनका कार्यस्थल जहां पर उन्होंने दिखाया था रिकार्ड में, उस जगह पर कोई सामान नहीं मिला और उसके आधार पर यह आगे की कार्यवाही की गई है ।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदव ने जो बताया, यह सही है कि जो दुकान ले रखी थी वहां सामान नहीं था, लेकिन बाजार के बीच में जहां पांच सौ आदमियों के साथ में जो आदमी चीनी वितरण कर रहा है....(व्यवधान) उसके अन्दर उसका यह मेलाफाइड इन्टेंशन तो हो नहीं सकता कि वह किसी तरह की गड़बड़ी करना चाहता है । बाजार के बीच में चीनी ले जाकर बांटना और वह दुकान में जगह कम होने की वजह से, यहां यह कह कर नियत स्थान पर चीनी नहीं बांटने की वजह से लाइसेंस केन्सिल किया गया तो यह बिल्कुल गलत है ।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय हमारे यहां जो लाइसेन्स देते हैं उसमें नियत स्थान होता है । नियत स्थान से दूसरे स्थान पर यदि गोदाम रखते हैं तो कलक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है । इस मामले में परमिशन नहीं ली गई, उस स्थान पर कोई सामान नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा लाल आर्य ।

पीपल्दा के ग्रामों में सीपेज से क्षति

435. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के सूकनी साइफन से पश्चिमी की ओर रनोदिया गांव तक नहरों एवं ड्रेनों के सीपेज का पानी भरे होने से सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि खराब हो गई है ? तथा झाड़ोल, डोली, बाड़ियां, गोनदी, रनोदिया, डडवाड़ा तथा नोनरा, नारायणपुरा आदि गांवों का रास्ता अवरूद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर ड्रेन बना कर उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : सही है । सूकनी ड्रेन के कार्य हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यह जो स्थान है सूकनी साइफन से पूरब की ओर करवार तक और सूकनी साइफन से पश्चिम की ओर रनोदिया गांव तक....

श्री अध्यक्ष : आप इस सवाल में चाहते क्या हैं ? आप चाहते हैं कि पानी भरता है, ड्रेन बनाकर निकाला जाय।

श्री हीरालाल आर्य : मैं यह चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो पूरब में करवार तक जो था उसमें ड्रेन बन गई लेकिन जो पश्चिमी में रनोदिया गांव तक है उसमें ड्रेन नहीं बनने से यह स्थिति वहां पर है।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं, ड्रेन बनना विचाराधीन है।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन कितने सालों से। 25-30 साल हो गये कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : कब तक बन जायेगी यह पूछ लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे सवाल के जवाब में जो बताया गया है 586 कृषकों के परिवार की भूमि 691 एकड़ आती है, तो मैं खुद ही सवाल के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। उनको मुआवजा देने का जहां प्रश्न है इतने काश्तकारों का....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : स्थगित करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कोई बात नहीं है कि टेप रिकार्ड की तरह पढ़ देऊं। मुआवजा देने का प्रश्न है, तो अगर मुआवजा की राशि से दुगनी ड्रेनें बनने की राशि तो इसी साल इस मामले को लेकर यहां ड्रेनें बनाने का विचार कराया जाना संभव होगा।

श्री अध्यक्ष : इसी वर्ष।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, इसी वर्ष।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, अभी गणेश गंज लिफ्ट स्कीम का मुख्य मंत्रीजी उद्घाटन करने के लिए पधारे थे। तब घोषणा करके आये थे कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये एक महीने में काम शुरू कर देंगे। आपके पास विचाराधीन भी है। बहुत समय निकल गया। आप स्पष्ट घोषणा करें कि ड्रेनों को खोद कर किसानों को राहत देने की व्यवस्था करवा रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसान मुआवजा लेना चाहते हैं या ड्रेन बनवाना चाहते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : मैं कह रहा हूं, ड्रेन बनवाना चाहते हैं। किसान आपसे मिले भी थे वहां पर। ड्रेन बनाने से किसानों के जो खेत हैं वहां पर वह ठीक हो जायेंगे, जमीन ठीक होने से फसलें उत्पन्न होगी। आप आदेश फरमा दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, तो आप ड्रेन जल्दी शुरू करवा दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : 25 साल से मामला विचाराधीन है। इसी वर्ष के लिये तो कहा है कि इसी वर्ष में हो जायेगा।....व्यवधान)....

श्री हीरालाल आर्य : हजारों बीघा जमीन में पानी भरा है। सात-आठ गांवों

(श्री हीरालाल आर्य)

के किसान बरबाद हो रहे हैं। मैं इस समस्या को बार-बार यहां पर उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष : सवाल यही है कि मुआवजे की जगह ड्रेन बनवाना चाहते हैं। यह लिखकर दे दीजिए, ड्रेन शुरू करवा देंगे। काहे का विचाराधीन है।

श्री हीरालाल आर्य : सारा मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन यही है कि ड्रेनें बनावे कि मुआवजा दें। नेक्स्ट श्री मदन दिलावर।

भदवासिया (जोधपुर) की सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण

436. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (1) क्या यह सही है कि ग्राम भदवासिया तहसील जोधपुर का खसरा नं 58/2 सिवाय चक भूमि जोधपुर शहर की पेराफेरी के अन्तर्गत आती है ? यदि हां, तो क्या इस पर काबिज व्यक्तियों द्वारा भूमि रूपान्तरण अथवा विकास शुल्क जमा करवाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमी अवैध निर्माण कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि खसरा नं. 58/2 भूमि पर अतिक्रमणी अवैध हस्तान्तरण कर रहे हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि अतिक्रमणियों द्वारा खसरा नं. 58/2 के 12 भाग सीलिंग नियमों के विपरीत किये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम भदवासिया का खसरा नं. 58/2 जोधपुर नगर सुधार न्यास की सीमा में आता है। इस खसरा नं. में 11 व्यक्तियों द्वारा रूपान्तरण शुल्क जमा कराकर आवेदन पेश किये हैं, जो अभी तक निर्णित नहीं हुये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) नगरीय संकुलन सीमा एवं अधिरोपण अधिनियम 1976 की धारा 6(2) के तहत सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिसेज जारी किये गये एवं धारा 6(1) के तहत विवरण प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त निदेशक एवं सक्षम अधिकारी, नगरीय संकुलन सीमा जोधपुर ने आदेश जारी किया। इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2049/91 सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पेश की गई जिसमें दिनांक 26.4.91 को स्थगन आदेश पारित हुआ है एवं आगामी कार्यवाही को स्थगित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः निर्णय के बाद ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, भदवासिया खसरा नं. 58/2 चार दीवारी

(श्री मदन दिलावर)

और 12 कमरे नगर-परिषद द्वारा नक्शा पास करके बनाये गये हैं। 23 अप्रेल, 91 को नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया गया था क्या?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका द्वारा तोड़ने के नोटिस की तो जानकारी नहीं है। इस भूमि के बारे में पहले खातेदारी का फैसला हुआ उसके बाद....,

श्री अध्यक्ष : आप नगर परिषद का सवाल पूछ रहे हैं या रेवेन्यू का ?

श्री मदन दिलावर : दोनों का।

श्री अध्यक्ष : जवाब एक का देंगे। दो का थोड़ ही देंगे।

श्री मदन दिलावर : पूर्व में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में आप द्वारा जवाब दिया गया था कि गलत आदेश निरस्त करवाने के लिए रेफरेन्स की कार्यवाही की जा रही है जो एक सप्ताह में पूरी कर ली जावेगी तो फिर रिकार्ड में हेरा फेरी करने वालों को क्यों नहीं दण्डित किया जा रहा है। एवं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है ? एवं इस खसरा नम्बर पर फूस की झोपड़ियां बना कर रहने वाले मजदूर लोगों को, पूर्व सैनिकों को उजाड़ दिया गया। नगर परिषद में एक इनका पुत्र स्वास्थ्य अधिकारी है उक्त खातेदार का, अधिकारियों का दुरुपयोग करके, वहां के उपकरणों का दुरुपयोग करके, झोपड़ियों को जला दिया गया, उजाड़ दिया गया तो आपने क्या कार्यवाही की। क्या उनको बसाने की योजना दुबारा हुई... (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप पहले प्रश्न को समझो उसके बाद प्रश्न पूछो। यह कोई अच्छी बात नहीं है। पहले प्रश्न को समझिये (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैंने प्रश्न पूछा है, मैं प्रश्न समझता हूं। समझने के बाद ही मैंने प्रश्न पूछा है.... (व्यवधान) प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है। आप चुप रहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिए आप। बैठिये। आपका अधिकार हो गया।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के लोग थे। ऐसा लगता है।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल बहुत साधारण है।

श्री अध्यक्ष : मैं खतम कर रहा हूं। प्रश्न पूछने वाले ही उलझ रहे हैं। आप काहे को उलझ रहे हो।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह भूमि गैर मुमकिन पट्टा रिकार्ड की हुई थी जिसके सम्बन्ध में एक दावा किया गया था 163/85- 18/7/86 को डिक्री दे दी गई खातेदारी की, सरकार जरूर मानती है कि वह डिक्री सही नहीं थी। उस डिक्री को निरस्त करवाने के संबंध में अभी जिला कलक्टर के समक्ष रेफरेन्स की कार्यवाही विचाराधीन है... (व्यवधान) जिला कलक्टर यदि सही समझेंगे तो उसके रेफरेंस की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप पहले तो सवाल समझे नहीं। नेक्स्ट। किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। यह कह रहे हैं अदालत का फैसला है, उससे यह सहमत नहीं हैं। उसका रेफरेंस कर दिया है....

श्री मदन दिलावर : वह रेफरेंस आ गया श्रीमान्। एक सप्ताह के अन्दर कहा था। वह रेफरेंस आ गया है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो यही वह कह रहे हैं इसलिए पहले उनका जवाब समझिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, खातेदारी निरस्त करने के लिए रेफरेन्स की कार्यवाही की गई, यह भी पूर्व प्रश्न के जवाब में दिया गया था कि रिकार्ड में हेराफेरी की गई है। जब रिकार्ड में हेराफेरी की गई है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विभाग कार्यवाही कर रहा है या नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह रेफरेन्स का डिसि–जन होगा तब होगा....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह लिखित उत्तर का जवाब दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले समझिये। प्रश्नकर्ता स्वयं अपने प्रश्न को समझ नहीं रहे हैं आप काहे को समझा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सप्लीमेन्ट्री तो कर सकते हैं। जब हेराफेरी का सवाल कलक्टर मानता है और उसके बाद में हेराफेरी के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है (व्यवधान) आगे कार्यवाही क्यों नहीं की गई, पटवारी तहसीलदार....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप जो कह रहे हैं वह मंत्री जी ने नहीं माना। इन्होंने कहा यह बात सही है कि एक डिक्री हुई थी जिससे हम सहमत नहीं हैं। आप कलक्टर को कहां ले आये बीच में। यह जो कह रहे हैं। इसके अन्दर कलक्टर का नाम नहीं लिया। रेफरेन्स उनका उस डिक्री की तरफ या कलक्टर की तरफ है। उनको खुद को ही पता नहीं है। आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : मैं पूरा पढ़ कर सुना रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बाद में कर लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हेराफेरी में कोई हेराफेरी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल जाट।

वन विकास की योजनाओं में समानता

437. **श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन विकास की कौन-कौन सी योजनायें चल रही हैं ?

(2) क्या समस्त योजनायें सम्पूर्ण राजस्थान में समान रूप से चल रही हैं ? यदि नहीं, तो कौन कौनसी योजनायें किस किस क्षेत्र में चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किस–किस योजना में कितना कितना रुपया किस किस रेन्ज में गत पांच वर्षों में इस वर्ष सहित व्यय किया गया ? वर्षवार विवरण मय रेन्ज एवं योजना दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(श्री सांवरलाल जाट)

(4) क्या उपरोक्त राशि सरकार अपने बजट से व्यय कर रही है ? यदि नहीं, तो इन योजनाओं के लिये राशि किन किन स्रोतों से दी जा रही है ?

(5) क्या उपरोक्त योजनाओं का कार्य सम्पादन सरकार द्वारा होता है ? यदि नहीं तो किन–किन संस्थाओं के सहयोग से गत पांच वर्षों में इस वर्ष सहित कार्य करवाया गया ? संस्थाओं के नाम, कार्य योजना, क्षेत्र, व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : इसमें चाही गई सूचना काफी लम्बी है। अभी आ नहीं सकती। अतः इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल पर मंत्री जी तैयार नहीं है। उसको स्थगित कर दिया।

(प्रश्न संख्या 437 स्थगित किया गया।)

नेक्स्ट, श्री रामकरण।

मेड़ता सिटी, नागौर का नया कारागृह भवन

438. **श्री रामकरण चौधरी** (मेड़ता) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी का नया कारागृह भवन बनकर तैयार हो चुका है ? क्या यह भी सही है कि यह भवन करीब दो वर्ष पहले बनकर तैयार हो गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस नये भवन को अभी तक विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं लिया ? यदि हां, तो क्यों ? इसे कब तक ले लिया जाएगा ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में विचाराधीन मामलों के बन्दियों को रोजाना नागौर कारागृह से लाना ले जाना पड़ता है ?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री जीवराम कटारा) : (1) जी नहीं। भवन निर्माणाधीन है।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन पूरा होते ही ले लिया जाएगा।

(3) जी हां।

श्री रामकरण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेड़ता में जिला एवं सत्र न्यायालय है। पिछले 10 वर्षों में जेल भवन नष्ट हो गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह नया भवन कब आपने बनाना शुरू किया ? आपने जवाब में जो बात कही है कि अभी निर्माणाधीन है, यह बिलकुल ही असत्य है। दो साल से मकान बना हुआ तैयार है, मगर यह क्यों नहीं टेक ओवर किया जा रहा है, मुझे कृपया बताएं।

श्री अध्यक्ष : आप बताइये, निर्माण हो चुका है, नहीं ले रहे हैं आप।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण नहीं हुआ है। इसके कार्य की 23.6.1987 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी और अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। पूरा होगा हम ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : पूरा होते ही ले लेंगे। नैक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

श्री रामकरण चौधरी : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपका होते ही ले लेंगे। जेल बन रही है, बन जाएगी।

श्री रामकरण चौधरी : क्या यह सही है कि आपका भवन दो साल से तैयार तो है, मगर आपके टेक ओवर करने से पहले ही सारा भवन....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो सकता है उसमें कमी होगी।

नैक्स्ट, स्थगित प्रश्न। प्रो. केदार। इस प्रश्न के साथ ही 455 नम्बर का सेम सवाल है। श्रीमती तारा भण्डारी, इसी में पूछ लीजिए। जवाब आ रहा है, दोनों का एक ही जवाब आएगा।

स्थगित प्रश्न

(15 मार्च, 1992)

स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रदत्त पेंशन एवं अन्य सुविधाएं

158. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी को माहवार कितनी पेंशन देती है और उन्हें क्या अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में जन साधारण की जानकारी के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये और क्या व्यवस्था की ?

(3) राजस्थान के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास लिखना कब शुरू हुआ तथा कब सम्पूर्ण हुआ ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

सहायता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी को राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को वर्तमान में दी जाने वाली सुविधाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में जन साधारण को जानकारी मिल सके, इस हेतु जन सम्पर्क विभाग द्वारा अक्टूबर, 1985 में "1857 और राजस्थान कथा क्रान्ति की" एवं अक्टूबर, 1987 में "राजस्थान—देश के दीवाने" शीर्षक से दो पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1986 में स्वतन्त्रता सेनानियों पर 46 विशेष लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये गये। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का लेखन कार्य भी कराया गया है।

(3) राजस्थान के स्वतन्त्रता आन्दोलन

(श्री कैलाश मेघवाल)

के इतिहास का लेखन कार्य 17.5.1975 को प्रारम्भ किया गया एवं 1991 में पुस्तक छप चुकी है। लेकिन इसका प्रकाशन करना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के मानदण्ड

455. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने के क्या मानदंड (नियम) हैं? नियमावली सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के मामले अभी तक लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों और यह कब तक स्वीकृत किये जाएंगे?

सहायता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृत करने के निम्नलिखित मानदण्ड (नियम) हैं :—

(क) ऐसा व्यक्ति जो राजनैतिक आन्दोलन से सम्बद्ध होने या उसमें भाग लेने या अन्य किसी राजनीतिक आधार पर 7 अप्रेल, 1949 के पूर्व सरकार, किसी अधिकारी, ठिकानेदार या उसकी मौनाकूलता से इसमें इसके पश्चात् प्रगणित किसी यातना का शिकार हुआ हो,

(ख) आई. एन. ए. आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सही गयी यातनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पेंशन दी जाती है।

(ग) स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु राजनीतिक आन्दोलन के सिलसिले में विद्रोह करने के दौरान हुई हो तो ऐसी दशा में उसके आश्रित को इन नियमों के तहत पेंशन देय है,

(घ) राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण स्थायी रूप से शारीरिक तथा मानसिक निर्योग्यता होने पर पेंशन देय है,

(ङ) राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण स्थावर या जंगम, कोई भी सम्पत्ति को हानि होने पर पेंशन देय है,

(च) राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण पदच्युति या सेवानिवृत्ति या विवशतापूर्वक दिये गये त्याग पत्र के कारण सरकारी सेवा की हानि होने पर पेंशन देय है।

(छ) राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण किसी शैक्षिक संस्था से या परीक्षा से निष्कासन के कारण शैक्षिक जीवन की समाप्ति, परन्तु यह तब तक जब कि इस आशय का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय।

(ज) स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा को मृत्यु की तिथि से पेंशन देय है।

(झ) ऐसे व्यक्ति को जिसने वयस्क होने के पश्चात् कम से कम 10 वर्ष तक लगातार अपना समय मुख्यतः राजनीतिक

(श्री कैलाश मेघवाल)

आन्दोलन में बिताया हो और इस दौरान जेल में रहा हो तथा क्षमायाचना के पश्चात् जेल से न छूटा हो,

(ड.) नियम 15(2) के अन्तर्गत इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार किसी भी स्वतन्त्रता सेनानी या आश्रितों को सम्मान पेंशन या नकद अनुदान स्वीकृत कर सकेगी।

(2) जी हां। उप समिति की पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 5.12.1991 के बाद नियमों के अन्तर्गत पाये गये 7 मामले प्राप्त हुए हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों के ये मामले दो माह की अवधि में निपटा दिये जाएंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, जन सम्पर्क विभाग द्वारा 1986 के बाद कोई प्रकाशन स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में नहीं किया गया। क्या कारण है, क्यों बन्द कर दिया? दूसरा साथ साथ पूछ लेता हूं, 1992–93 में आप जितने भी विकास के काम करोगे, वह चाहे सड़क हो, चाहे हास्पिटल हो, स्कूल हो या डिस्पैंसरी हो, उसमें आप उस जिले के जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनके, जो शहीद हैं उनके नाम जोड़ दें ताकि राष्ट्रीय भावना जागृत हो, स्वाभिमान पैदा हो। यह जो "राजस्थान के दीवाने" पुस्तक है, इस पुस्तक में आम जनरेशन में, बच्चों में बहुत राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई है, एक प्रेरणा पैदा हुई है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका नाम हो जाएगा अगर राजस्थान की राजधानी में आप एक सेण्ट्रल हाल बना दें। दो तरह के लिबरेशन मूवमैण्ट हैं— एक तो विदेशी हुकूमत मुगलों के खिलाफ। इसमें हमारी बहुत बड़ी शोहरत है। और एक रजवाड़ों के खिलाफ। इनमें जो अच्छे शहीद हुए हैं, जो मारटियर्स हैं, जो हीरोज हैं, सेण्ट्रल हाल में, जो ईज़ीली एक्सेसिबल हो, उनके फोटो होंगे एट ए ग्लांस। इससे लोगों में एक भावना पैदा होगी और, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप एक उदाहरण पेश कर दोगे दूसरी स्टेट्स के लिए।

आपने पुस्तक की बात की, माननीय अध्यक्ष जी। 1960 में एक्सरसाइज शुरू हो गयी। 1975 में एक प्रोफेसर को डैपूट किया, पैसा दिया। यह पुस्तक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है। बिजौलिया काण्ड, डाबला काण्ड, जो मशहूर काण्ड हुए हैं उनकी कोई तस्वीर नहीं, कोई विवरण नहीं इसमें। इसलिए क्या आप सोचते हो कि राजस्थान सरकार सही पुस्तक का प्रकाशन हो, इसके बारे में विचार कर ले? ये दो–तीन सवाल मेरे आप से हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों के सुझाव दिये हैं। एक तो स्वतन्त्रता सेनानियों के चित्र और इसी प्रकार के उनके स्मृति चिन्ह एक जगह एकत्रित किये जायं ताकि सब लोग उसको देख सकें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री कैलाश मेघवाल : सेण्ट्रल हाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कोई एक ऐसा स्थान हो। मैं ऐसा समझता हूं आप

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

ऐसे सुझाव देंगे और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का कोई आयोजन हो जाय और इस प्रकार का स्थान भी सुरक्षित हो जाय इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक पुस्तक के प्रकाशन का सवाल है, इस सदन में मैंने कई बार इस पर चर्चाएं सुनी हैं। पुस्तक लिखे कौन, यह सबसे बड़ा विवाद चला। जिस प्रकार की पुस्तक बनी है, मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा है। पढ़ने के बाद मैं खुद भी महसूस करता हूं कि स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में, उनके कामों के सम्बन्ध में जिस प्रकार का चित्रण इसमें आना चाहिए था उस प्रकार के चित्रण का अभाव रहा है। आप से ही जानकारी करना चाहूंगा कि किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया जाकर इस पुस्तक में सुधार किया जा सके या नयी पुस्तक का प्रकाशन कराया जा सके, इस सम्बन्ध में, यहां तो नहीं लेकिन बैठकर, यदि आप चाहेंगे तो जितने भी स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनको भी बुलाकर बात कर ली जाएगी। पुस्तक किस से लिखवायी जाय, किस प्रकार से प्रकाशन कराया जाय, यह कर लेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सिरोही निवासी श्री राजमल पुत्र पूनम चन्द बोगावत 1974 से निरन्तर स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन मानदण्डों के अनुसार होते हुए भी पेंशन नहीं दी गयी। उन्हें वंचित क्यों रखा गया ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी डिसाइड करिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मानदण्डों में होता तो अब तक पेंशन मिल जाती।

श्रीमती तारा भण्डारी : ये सारे प्रमाण पत्र, गजट की प्रतियां...

श्री अध्यक्ष : यहां निर्णय नहीं होगा, कुछ न कुछ कमी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसमें एक उप समिति बनी हुई है। उप समिति स्वतन्त्रता सेनानियों की है। वह सारे कागजों का विस्तार से अवलोकन करती है और अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार को सिफारिश करती है। वे सिफारिशें मान ली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, अल्प सूचना प्रश्न। श्री मनीराम।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सारे प्रमाण पत्र पेश किये हुए हैं, गजट नोटिफिकेशन है। बेड़ा कष्टमय जीवन जी रहे हैं, वे भूखों मरने की स्थिति में हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, पहले अल्प सूचना प्रश्न। सवाल मेरे लिए जरूरी है पूछना।

अल्प सूचना प्रश्न

राजस्थान भू-मापक संघ शाखा बीकानेर में अनियमितता

11. **श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मनीराम सियाग)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भू–मापक संघ शाखा, बीकानेर का भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारी श्री पी.सी. सिंघवी द्वारा की गयी अनियमितता एवं प्रशासनिक अव्यवस्था के विरोध में लगभग एक माह से धरना जारी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि 23वें दिन धरने के साथ साथ सादुलगंज स्थित कालरा भवन के समक्ष चौधरी धर्मपाल भामू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) :
(1) जी नहीं ।

(2) श्री धर्मपाल भामू, भू-मापक के द्वारा दिनांक 3.3.1992 को आमरण अनशन शुरू करने की सूचना विभाग को प्राप्त होने पर अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को बीकानेर भेजा गया । श्री भामू के स्थान पर दिनांक 9.3.1992 को श्री जय चन्द चौधरी पाये गये एवं भू-मापक संघ के पदाधिकारियों के साथ समझौता होने पर श्री जयचन्द ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है ।

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग प्रथम में "जी नहीं" उत्तर दिया है । कौनसे आशय का यह उत्तर है ? एक तो लगभग एक महीने से धरना जारी है और एक पी.सी. सिंघवी, भू-प्रबन्ध अधिकारी अनियमितताएं कर रहे हैं । इसमें आपने कौनसे का उत्तर दिया है ? क्योंकि धरना तो एक माह तक रहा और आप स्वीकारते हैं कि 9 तारीख को आपने हटाया ।

जो अनियमितताएं हुई हैं उस बाबत बता दूं कि 1968 और 1972 में पी.सी. सिंघवी, एस.डी.ओ. (नोर्थ) बीकानेर थे । उस वक्त उन्होंने आवंटन किये । वे जो बेनामी आवंटन हुए उनका आज तक न तो इन्द्राज हुआ है और न कब्जा हुआ है । आज वे जब वहां सैटलमैण्ट आफिसर हैं तो उन्होंने जो मास्टर प्लान के गांव हैं, नेशनल हाई-वे की सारी जो जमीनें पड़ी हैं उन जमीनों का किस कानून के तहत इन्द्राज करवाया ? और उसके बेनामी लोगों के आम मुख्तयार बना करके, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर से जयपुर पर श्री सीताराम राठी के नाम से आम मुख्तयार बना करके 42 हजार प्रति बीघा के हिसाब से भूमि बिकवाई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस आधार पर उत्तर दिया गया है । माननीय मंत्रीजी, स्पष्ट करें ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 5 मुख्य मांगों को लेकर संघ ने धरना, संघर्ष और भूख-हड़ताल वगैरह आरंभ किए थे । उन पांच मांगों में पांचों का ही समझौता हो गया है और 9 मार्च को उन्होंने धरना समाप्त कर दिया है । उनकी मुख्य मांग थी एक, भवन के बारे में, कार्यालय के जो भवन हैं, वे 4 स्थान पर चल रहे थे इसलिए उनकी मांग थी कि एक स्थान पर किया जाय । इस संबंध में समझौता हुआ कि तीन माह के अंदर इसकी व्यवस्था कर ली जायेगी । दूसरा, कामगुजारी के संबंध में था, अमीनों की मांग थी कि हमारा

(श्री गंगाराम चौधरी)

डिस्पोजल कम होने के संबंध में नोटिस दे रहे हैं। उस संबंध में यह कहा गया कि नोटिस नहीं दिए जायेंगे। तीसरा, उपनिवेशन अभिलेख के संबंध में जो डिकोलोनाइज्ड गांव हैं, उनके संबंध में बातचीत करने की थी। उसमें रेवेन्यू एजेंसी वगैरह के संबंध में तय कर दिया गया है। चौथी मांग थी कि भू-प्रबन्ध अधिकारी दमनात्मक नीति अपना रहे हैं। इस संबंध में यह कहा गया कि नहीं अपनायेंगे। एक उनकी छुट्टी का मामला था कि संघर्ष के दौरान जो छुट्टी पर हैं उनको छुट्टी दी जाय, गैरहाजिर नहीं माना जाय। एक मांग उनकी यह थी कि जो-भूप्रबन्ध अधिकारी की मीटिंग हो, उसमें पदाधिकारी रहें। इन सारी 5 मांगों के अंदर पी.सी. सिंघवी के यह जो अधिकार माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनके बारे में इकट्ठा कोई जिक्र नहीं था। इसके बारे में निर्णय ले लिया गया है और धरना समाप्त हो गया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 634
(स्थगित)

लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण बेरोजगार लिपिक

635. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष 1986 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में कनिष्ठ लिपिकों में से कुछ लिपिकों को नौकरी दे दी गई तथा कुछ अभी भी 5 वर्षों से बेरोजगार बैठे हैं ? क्या सरकार इन बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1986 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा के सभी चयनित (योग्यता सूची में शामिल) अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

वाणिज्यिक कर की वसूली

636. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सीमाओं पर जो सेल्स टैक्स की रकम जमा की जाती है, उसकी सूचना समय पर सम्बन्धित वाणिज्य कर कार्यालयों पर नहीं भेजते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इससे व्यावसायी द्वारा कर निर्धारण करवाते समय उक्त राशि का समायोजन नहीं दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी सीमा पर कटी रसीदों की पुष्टि के लिए प्रत्येक जिले के वाणिज्यक कर अधिकारी अपने आफिस से इसी काम के लिए विशेष आदमी

(श्री हरीश भामनानी)

को भेजकर पुष्टि करवाते हैं जिससे सरकार को बहुत आर्थिक हानि होती है ?

(4) क्या व्यवस्था को ठीक करने का सरकार का मानस है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) हां। अधिकांश चैक पोस्टों से सम्बन्धित कार्यालय को सूचना जो सैल्स टैक्स जमा होता है, समय पर नहीं भेजी जाती है क्योंकि स्टाफ का अभाव चैक पोस्टों पर होता है और चैक पोस्टें जंगल में ही आफिस से दूर स्थित होने से यह सम्भव नहीं होता कि प्रतिदिन डाक द्वारा प्रतिदिन की सूचना भेजी जावे। कार्य कम होने पर चैक पोस्ट का गार्ड पास के डाकखाने में अथवा कार्यालय में यह सूचना देकर आता है।

(2) यह सही है क्योंकि समायोजन देने के लिए राशि का सत्यापन होना आवश्यक है और दोहरा समायोजन से बचने के लिए अथवा फर्जी रसीद की सम्भावना से बचने के लिए ऐसा राज्य हित में रखा गया था।

(3) यह सही है कि जब समायोजन की राशि किसी वृत में बहुत अधिक हो जाती है तो उस वृत का एक लिपिक सम्बन्धित चैक पोस्ट पर सत्यापन हेतु भेजा जाता है और वह सत्यापन करके लाता है। राज्य सरकार को इतनी हानि नहीं होती क्योंकि ऐसा सत्यापन वर्ष में एक बार या दो बार ही एक वृत से कराया जाता है।

(4) विभाग इस व्यवस्था में सुधार के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है और इस सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश, परिपत्र जारी किए जाते रहे हैं और अभी भी इस सम्बन्ध में सुधार हेतु और प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही परिपत्र दिनांक 16.9.1991 को जारी किया गया है, की प्रति साथ में संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

भूतपूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, नीमका थाना की सेवा निवृत्ति

637. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डा. वी. एस. भार्गव, भूतपूर्व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना सेवा निवृत्त कब हुए ?

(2) क्या यह सही है कि डा. वी.एस. भार्गव की पेन्शन राशि का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस लम्बी अवधि तक पेन्शन रोकने के लिए कौन दोषी है एवं पेन्शन का भुगतान कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डा. वी. एस. भार्गव, भूतपूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, नीमका थाना दिनांक 31-3-88 को सेवा निवृत हुए ?

[मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री]

(2) डा. भार्गव के विरुद्ध दिनांक 14-7-88 से ही सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता, उन्हें पूर्ण पेंशन नहीं दी जा सकती है। वैसे उन्हें उनकी देय पेंशन का 75 % भाग प्रोवीजनल पेंशन के रूप में दिनांक 1-4-88 से ही भुगतान किया जा रहा है। उनकी पूर्ण पेंशन रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। जैसे ही उनकी अनुशासनात्मक कार्यवाही वाले प्रकरण पर अंतिम निर्णय होगा तद्नुसार उनको पेंशन स्वीकृत कर दी जावेगी।

जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक क्रय का प्रकरण

638. **श्री विलसुखराम चौधरी** (फतेहपुर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय के अधिष्ठाता प्रो. यू. एल. गुप्ता के खिलाफ पुस्तकों की खरीद में अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों की कोई जांच करवाई गई ?

(2) यदि हां, तो कब एवं उस जांच के बाद श्री गुप्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुलपति प्रो. बी. आर. मेहता ने अपने आदेशों से इस जांच पर आगे की कार्यवाही रोक दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री गुप्ता के निर्दोष पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं था।

(3) जी नहीं। कोई दोष सामने नहीं आने से कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अजमेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना

639. **श्री श्री किशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर में हायर सैकेण्डरी व सीनियर हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं की औसतन प्रति वर्ष संख्या कितनी रही है ?

(2) अजमेर नगर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित नहीं होने से राजस्थान के अन्य बड़े नगरों की तुलना में किन कारणों से राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना नहीं की जा रही है ?

(3) क्या अजमेर नगर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार अजमेर में कब

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

तक राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. अजमेर नगर में सीनियर हायर सैकण्डरी कक्षा में औसतन 1110 बालिकायें प्रति वर्ष उत्तीर्ण रही हैं।

2. अजमेर नगर में वर्तमान में (1) सोफिया कन्या महाविद्यालय, स्नातक स्तर (2) आदर्श कन्या महाविद्यालय, स्नातक स्तर (3) सावित्री कन्या महाविद्यालय, स्नातकोत्तर स्तर के कन्या महाविद्यालय कार्यरत हैं। इसके साथ ही (1) राजकीय महाविद्यालय (2) दयानन्द महाविद्यालय (3) श्रमजीवी महाविद्यालय में भी उच्च शिक्षा हेतु कन्याओं को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार ये महाविद्यालय अजमेर नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

3. जी नहीं, 11 वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व अन्य स्थानों पर कन्या महाविद्यालय की मांग एवं औचित्य को ध्यान में रखते हुए अजमेर में पृथक से राजकीय कन्या महाविद्याय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (कालेज शिक्षा) की रुग्णता

640. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक (कालेज शिक्षा) पी. एस. भार्गव गहन हृदय रोग से पीड़ित हैं और सरकारी खर्चे पर अपना उपचार करवा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उपचार के बाद भार्गव की रुग्णता बिल्कुल समाप्त हो गई है ? वर्ष 1989 से अब तक इनके इलाज पर सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री पी. एस. भार्गव को दिसम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह में दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा ? क्या यह भी सही है कि श्री भार्गव के अवसर अवकाश पर रहने के कारण संयुक्त निदेशक के कार्य के साथ-साथ निदेशक के पद का कार्य भी अवरुद्ध होता रहा है ? यदि हां, तो उन्हें दोहरे पद का कार्यभार देने के क्या कारण हैं ?

(3) शारीरिक अस्वस्थता के उपरान्त भी श्री पी. एस. भार्गव क्या दो पदों के कार्यभार को वहन करने की क्षमता रखते हैं ? यदि हां, तो उनके द्वारा दोहरे कार्य-भार वहन करने के कार्यकाल में किये गये निरीक्षण टूर का ब्यौरा एवं शैक्षणिक सभाओं में सम्मिलित होने की पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उपचार के बाद वे स्वस्थ हैं। वर्ष 1989 से अब तक उनके इलाज पर रु. 97231/– व्यय हुए हैं।

(2) जी, नहीं। वे दिसम्बर, 91 में बीमार पड़े थे और अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। श्री भार्गव अवसर अवकाश पर

(मुख्य मंत्री)

नहीं रहे हैं। संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यभार संभालने के पश्चात् वे केवल दिनांक 21.12.91 से 8.1.92 तक परिवर्तित अवकाश पर रहे हैं और इससे संयुक्त निदेशक के कार्य के साथ-साथ निदेशक के पद के कार्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

(3) श्री भार्गव स्वस्थ है और दो पदों के कार्यभार को वहन करने की क्षमता रखते हैं। इनके द्वारा किये गये निरीक्षण टूर का ब्यौरा एवं शैक्षणिक सभाओं में सम्मिलित होने का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ठ "क" व "ख"।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

लूणकरणसर (बीकानेर) में कालेज की स्थापना

641 **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92 में कहां-कहां कालेज खोले गये हैं ?

(2) कालेज खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) क्या सरकार वर्ष 1992-93 में कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो लूणकरणसर कस्बे में भी कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 में रतनगढ़ व कुशलगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले गये तथा वर्ष 1991-92 में बालोतरा, बयाना व सलूम्बर में राजकीय महाविद्यालय खोले गये तथा बिरला महाविद्यालय भवानीमंडी को अधिग्रहित करने के आदेश प्रसारित किये गये।

(2) वर्तमान में कॉलेज खोलते समय निम्न मानदंड अपनाये जाते हैं :—

1. प्रस्तावित स्थान पर जन सहयोग से महाविद्यालय के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध हो।

2. बीस किलोमीटर की परिधि में चार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हों।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 कि.मी. की परिधि में अन्य महाविद्यालय न हों।

4. प्रस्तावित स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से उपयुक्त हो।

(3) वर्ष 1992-93 के बजट भाषण के अनुसार राज्य में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुणों के आधार पर ही निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

केन्द्र सरकार से विभिन्न योजना मदों में प्राप्त राशि

642. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में राज्य को केन्द्रीय सरकार से कितनी-कितनी राशि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विभिन्न मदों में प्राप्त हुई तथा उसका उपयोग किस-किस प्रकार से किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में क्या कोई अतिरिक्त धनराशि योजना मद में गत वर्षों की तुलना में अधिक प्राप्त की गई ? यदि हां, तो उसका सार संक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नवें वित्त आयोग ने राज्य को गत वर्षों की तुलना में विशेष राशि प्रदान की है ? यदि हां, तो आठवें वित्त आयोग एवं नवें वित्त आयोग में प्रतिवर्ष मिलने वाली धनराशि का मद-वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) नवें वित्त आयोग से मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि का गत दो वर्षों में किस-किस प्रकार उपयोग किया गया। सार संक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 4 वर्षों में विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि का विवरण संलग्न है। इस राशि का उपयोग राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये किया जाता है। जहां राशि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिये आती है अथवा किसी विशेष योजना के लिये आती है उसका उपयोग उसी सम्बन्धित योजना के लिये क्रियान्वयन हेतु किया जाता है।

(2) गत दो वर्षों में योजना मद में केन्द्र सरकार से निम्न राशि प्राप्त की गई। तुलनात्मक स्थिति के लिये एक वर्ष पूर्व का भी विवरण अंकित है :

(राशि करोड़ रुपयों में)

	88–89	89–90	90–91
1. केन्द्रीय सहायता	280.76	305.48	311.86
2. बाह्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता	28.13	9.35	12.44
3. संविधान 275 (1) के अन्तर्गत	1.56	1.56	1.56
4. अग्रिम आयोजना सहायता	272.30	8.82	5.00
5. सामग्रीयों के रूप में प्राप्त बाह्य सहायता	26.05	46.99	61.63
6. रेवेन्यू गेप ग्रान्ट	—	—	79.90
योग	608.80	372.20	472.39

(मुख्य [वित्त] मंत्री)

(3) 8वें व 9वें वित्त आयोग के अनुसार वर्षवार मिलने वाली राशि का विवरण संलग्न है।

(4) वित्त आयोग के अन्तर्गत मिलने वाली राशि राज्य की राजस्व का स्रोत मानी जाती है और राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसका उपयोग करती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील मकराना (नागौर) में दस्तावेजों का पंजीयन

643. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) **श्री विनोद कुमार** (हनुमानगढ) एवं **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना उप तहसील के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव व कस्बे हैं, जिनके बेचान आदि का पंजीयन मकराना उप तहसील में किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों की भूमि के बेचान करते समय भूमि की बाजार मालियत तय करने व स्टाम्प लगाने के क्या कोई मानदण्ड तय हैं ? यदि हां, तो ग्रामवार तय शुदा मालियत की सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या मकराना उप तहसील में भूमि की तय बाजार दर से कम अथवा ज्यादा कीमत के मुद्रांक लगाकर रजिस्ट्रियां की गई हैं ? यदि हां, तो रजिस्ट्रीयों की सूची सदन की मेज पर रखें। स्टाम्प कीमत कम लगाने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मकराना व बोराबड़ ग्रामों की भूमि बेचान पर मनमाने तौर पर बाजार कीमत आंकी जाकर रजिस्ट्री की जाती है, जिसकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मकराना उप तहसील के अन्तर्गत कुल 64 राजस्व ग्राम आते हैं जिनमें एक कस्बा मकराना है। शेष 63 गांव है, इनसे सम्बन्धित लेखपत्रों का पंजीयन मकराना उप तहसील में किया जाता है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) ग्रामों के बेचान की बाजार दरें वहां की सूची सं. 2 के आधार पर पंजीयक द्वारा तैयार कर सहायक महानिरीक्षक की सिफारिश के साथ प्राप्त होने पर विभाग के पत्र सं. प. 7(354) 20/जून/4715 दिनांक 16.4 1990 एवम् 92–93–94 दिनांक 19.12.1990 द्वारा अनुमोदित की गई है, उसी के आधार पर मुद्रांक कर लिया जा रहा है। उक्त दरों की सूची एवं विभाग द्वारा अनुमोदन किये जाने से सम्बन्धित पत्रों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) मकराना उप तहसील में भूमि के बाजार दरें तय की हुई हुई हैं परन्तु बाजार दरों में सामयिक वृद्धि होते रहने से उप पंजीयक द्वारा बाजार दरों में समय-समय

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

पर वृद्धि की जाती रही है मुद्रांक नियम–59 "ख" के अनुसार "59-ख रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बाजार मूल्य, शुल्क को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों पर विचार करके सरकार द्वारा समय–समय पर गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सुझाई गई दरों पर या रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प विभाग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दरों या अनुक्रमणिका–II में की वैसी ही सम्पत्ति की उच्चतम दर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के आधार पर अवधारित करेगा।" कमी स्टाम्प की रजिस्ट्रियां नहीं की गई है।

(4) यह गलत है कि मकराना व बोरावड़ ग्रामों की भूमि बेचान दर पर मनमाने तौर पर कीमत आंककर रजिस्ट्रियां की जा रही है, इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(सूची एवं प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुस्तकालयाध्यक्षों को केन्द्रीय वेतनमान

644. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सैद्धान्तिक रूप में राज्य कर्मचारियों के प्रत्येक संवर्ग के पद का वेतनमान केन्द्र सरकार के कर्मचारी के समान देने के लिये वचनबद्ध है ?

(2) क्या सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वेतनमानों को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन समान पदों के लिए स्वीकृत वेतनमानों के अनुरूप वेतनमान देने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार के किस पद को केन्द्रीय सरकार के किस पद के समान माना जावे सम्बन्धी निर्णय करने हेतु एक समता समिति के गठन करने का कर्मचारियों से हुए समझौते के अनुसार निर्णय लिया गया था। समता समिति को ही, समता निर्धारण करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। समता समिति से यह अपेक्षा भी की गई थी कि जहां तक संभव हो राज्य सरकार के विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए सुझाये गये संशोधित वेतनमानों में वैसी ही समानता बनी रहे जैसी कि पूर्व संशोधित वेतनमानों में है। समता समिति को उपरोक्त आधार पर राज्य कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान सुझाने थे।

(2) समता समिति ने जिन पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान 2200–4000 से कम थे और संशोधित वेतनमान सुझाये उनके वेतनमान तदनुसार संशोधित कर दिये हैं। समता समिति ने उन पुस्तकालयों के पुस्तकालध्यक्ष की वर्तमान वेतनमान 2200–4000 को संशोधित कर 3000–4500 करने की सिफारिश की हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार श्रेणी III के पुस्तकालय हैं। सम्बन्धित विभाग से नार्म्स सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर यदि पुस्तकालय को श्रेणी

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

III का पाया गया तो वेतनमान में संशोधन सिफारिशानुसार किया जावेगा।

राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मण्डी

645. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भवानीमंडी के राजकीय बिरला महाविद्यालय में वर्तमान में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है? यदि हां, तो छात्र-छात्राओं से वर्तमान में 250/- रुपये फीस क्यों ली जा रही हैं? इसके क्या कारण हैं?

(3) उक्त महाविद्यालय में स्टाफ कब तक नियुक्त कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र 1990-91 में बिरला महाविद्यालय, भवानीमंडी में 279 छात्र 35 छात्राएँ अर्थात कुल 314 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत थे।

(2) जी हां। बिरला महाविद्यालय को अधिग्रहण करने के आदेश दिनांक 5-12-91 को जारी किये जा चुके हैं। महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं से 30/– रु. प्रतिमाह शिक्षण शुल्क लिया जाता है।

(3) वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में समुचित स्टाफ कार्यरत है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त खडीन

646. श्री हुकमाराम (सिवाना) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में बाढ़ के भयंकर प्रकोप के कारण ग्राम मेली में स्थित हरिसिंह पुत्र मंगलसिंहजी, उदयसिंह, मोहनसिंह राजपूत वगैरह के खेत में बंधी हुई खडीन फूट गई थी? जिससे इनकी भूमि को भारी नुकसान हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि कार्य करवाया गया है तो कौनसी योजना के तहत एवं कब? लागत विवरण सहित सूची संदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन खडीन को अब अकाल राहत कार्य में शुरू करवाकर ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह खडीन वर्ष 1990 की बाढ़ से नहीं टूटी है। उक्त खडीन जुलाई, 1990 में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त खडीन की मरम्मत हेतु डी. डी. पी. विभाग को 35,000/– रुपये के प्रस्ताव जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त खडीन की मरम्मत का कार्य डी.डी.पी. विभाग की योजना के तहत कराया जावेगा।

सोजत के अकालग्रस्त ग्राम

647. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सोजत, जिला पाली के कितने गांव अकाल ग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकतम गांव स्थाई रूप से अकाल से प्रभावित रहते हैं ?

(3) क्या सरकार तहसील सोजत के अकाल ग्रस्त गांवों में तुरन्त अकाल राहत कार्य खुलवाने का विचार रखती है ? यदि, हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील सोजत जिला पाली में अभी तक किसी भी ग्राम को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) पाली जिले की तहसील, बाली, पाली एवं सोजत में माह मार्च, 1992 के लिये जवाहर रोजगार योजना द्वितीय के तहत राहत कार्य हेतु 3000 श्रमिकों को नियोजित करने की स्वीकृति दी गई है।

डूंगरपुर का लोडेसर बांध

648. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में लोडेसर बांध कितने वर्ष पूर्व एवं कितनी लागत से बना ?

(2) क्या यह सही है कि लोडेसर बांध की नहरें अभी तक कच्ची हैं ?

(3) लोडेसर बांध से कितनी हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है ? उक्त बांध की कैनालें (नहरें) कच्ची होने से कितनी भूमि सिंचाई से वंचित रहती है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने कच्ची नहरों को पक्का करने के लिए कोई योजना व सर्वे करवाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लोडेसर बांध वर्ष 1956 में 36 वर्ष पूर्व 18.34 लाख रुपये की लागत से बना था।

(2) करीबन 33% नहरें कच्ची हैं।

(3) बांध से वर्ष 1990–91 में 833 है. भूमि सिंचित की गयी है। पहाडी क्षेत्र में नहरों से पानी का अधिक रिसाव होने के कारण 503 है. में सिंचाई नहीं हो पाई है।

(4) नहरों को पक्का करने के लिए योजना प्रस्तावित है और सर्वे कराया गया है। इसी क्रम में लोडेसर दायीं मुख्य नहर के मोडेनाइजेशन की 7.50 लाख की स्वीकृति डी.पी.ए.पी. मद में प्राप्त हो चुकी है।

(सिंचाई मंत्री)

जिसका कार्य प्रगति पर है। बांई मुख्य नहर का मोडेनाइजेशन का कार्य रुपया 12.50 लाख का डी.पी.ए.पी. में प्रस्तावित है।

सांचौर (जालौर) में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध

649. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले की सांचौर तहसील में गत वर्ष बाढ़ से कौन से बांध टूट गये तथा किस-किस बांध की मरम्मत कराने हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है व कौन-कौन से बांध का कार्य पूरा कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सांचौर तहसील में नलधरा धींगपुरा बांध की मरम्मत का ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को और क्या उस ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न करने की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उसे भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जिला जालौर की तहसील सांचौर में वर्ष 1990 में आई बाढ़ से संलग्न सूची के अनुसार कुल 78 क्रास बांध व 4 बाढ़ बचाव कार्य टूटे/क्षतिग्रस्त हो गये थे। जिसमें से निम्न 6 कार्यों की मरम्मत हेतु 12.75 लाख की राशि स्वीकृत की गई एवं सभी कार्य पूर्ण करा दिये गये।

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	धींगपुरा क्रांस बांध	3.00	3.01
2.	बालेरा ,, ,,	0.75	0.77
3.	केसुरी ,, ,,	3.00	2.82
4.	गोमी ,, ,,	1.50	1.62
5.	भाटकी ,, ,,	0.75	0.75
6.	चितलवाना ,, ,,	3.75	3.74
		12.75	12.71

(सिचाई मंत्री)

(2) जी हां। सांचौर तहसील में गांव केसूरी नलदरा व धींगपुरा क्रांस बांध की मरम्मत का ठेका क्रमशः % मैं. सुरारदान बारहठ एण्ड कम्पनी गंगा तथा श्री स्वरूप चन्द ठेकेदारों को दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़ बचाव हेतु बजट की कमी के कारण केसूरी नलदरा बांध की डिजाइन में परिवर्तन किया गया एवं परिवर्तित डिजाइन के अनुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया। कार्य के सम्बन्ध में शिकायत की जांच अधि. अभियन्ता सिंचाई खंड जालौर द्वारा की गई एवं कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी। धींगपुरा कार्य हेतु कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) कार्य पूर्ण होने के कारण ठेकेदार को भुगतान किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

केकड़ी क्षेत्र में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

650. **श्री शम्भुदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में विभाग द्वारा मार्च, 1990 से 31 जनवरी, 1992 तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति जारी की गई और उन पर कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से मद में स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी के देवमण्ड एनीकट के लिए पूर्व में कोई राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कितनी और कब-कब? इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? अब तक इस कार्य की क्या प्रगति रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी के पिपलाज बांध पर उक्त अवधि में कोई राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कितनी और कब-कब? अब तक इस बांध की क्या प्रगति रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के पास सिंचाई के समुचित विकास के लिए इस क्षेत्र हेतु अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौन से, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में विभाग द्वारा मार्च, 1990 से 31 जनवरी, 1992 तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिन कार्यों की स्वीकृति जारी की गई एवं उन पर जो राशि स्वीकृत की गई, उसका सम्पूर्ण ब्यौरा निम्न प्रकार से है—

(सिंचाई मंत्री)

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना	स्वीकृत राशि लाख रु. में	मद
1.	असुन्दनी परियोजना	जवाहर रोजगार योजना	3.05	8443 जवाहर रोजगार योजना
2.	मेहरूकला	,,	4.43	,,
3.	उम्मेद सागर घुटियाली	,,	4.07	,,
4.	चत्रियाखेड़ा लसाड़ियां	,,	2.00	,,
5.	काबरिया खाल पर एनीकट बघेरा	,,	0.70	,,
6.	सदारा एनीकट	,,	0.51	,,
7.	पारा प्रथम	,,	2.30	,,
8.	देवमण्ड एनीकट	,,	2.00	,,
9.	अम्बापुरा परियोजना	लघु सिंचाई परियोजना	36.00	4702 लघु सिंचाई परियोजना
10.	नाहरसागर पीपलाज	,,	72.21	,,

(2) जी हां। देवमण्ड एनीकट के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि व व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया गया है, कार्य की प्रगति विशेष विवरण कालम में दर्शाई गई है।

वर्ष	योजना	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	विशेष विवरण
1986–87	अकाल राहत	1.50 लाख	0.80 लाख	नींव की खुदाई का कार्य 1083.00 क्यू. मीटर, सीमेण्ट कंकरीट का कार्य 312.18 क्यू. मीटर चुनाई का कार्य

(सिंचाई मंत्री)

1	2	3	4	5
				462.31 क्यू. मी. करवाया गया है।
1991–92	जवाहर रोजगार योजना	2.00 लाख	0.51 लाख	नींव की खुदाई का कार्य करवाया गया है।

(3) जी हां पीपलाज बांध पर उक्त अवधि में कुल 72.21 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका विवरण मय प्रगति के निम्न प्रकार से है—

वर्ष	योजना	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की प्रगति
90-91	4702 लघु सिंचाई परियोजना पीपलाज	42.21	42.21	80 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है।
91-92	,,	30.00	26.00	वर्तमान में वेस्ट–वीयर का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां। केकड़ी क्षेत्र के विकास हेतु (1) बसुन्दनी बांध को ऊंचा करने का कार्य (2) उम्मेदसागर घटियाली एवं (3) ताल सरोवर अरनिया के कार्य प्रस्तावित हैं।

पशुचारा सप्लाई की राशि

651. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में वर्ष 1989–90 के दौरान अकाल के समय पशुओं के चारा सप्लाई की राशि का भुगतान नहीं करने के कितने मामले विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि कई फर्में ऐसी हैं जिनके विरुद्ध गबन का कोई भी आरोप नहीं है फिर भी उनको भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ फर्मों के

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

विरुद्ध कुछ बिलों के गबन के आरोप होने से सभी बिलों का भुगतान रोक दिया गया है ?

(4) क्या सरकार जिन फर्मों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989–90 के वर्ष में चारा सप्लाई का कार्य नहीं कराया गया था, अतः इस सम्बन्धित कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) जब वर्ष 1989-90 में चारा परिवहन का कार्य नहीं किया गया तो फर्मों के विरुद्ध गबन के आरोपों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) जब फर्मों की वर्ष 89–90 की राशि बकाया नहीं है तो भुगतान का प्रश्न ही नहीं रहता।

बीकानेर लिफ्ट नहर परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र

652. **श्री हेतराम बेनीवाल** (सांगरिया) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर लिफ्ट नहर परियोजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र कमाण्ड किये जाने का प्रस्ताव था ? अब तक कितने क्षेत्र में फसल होती है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर लिफ्ट में कितना पानी चलता है ? इस योजना पर हुए कुल व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना से पेयजल सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए उपयोगित जल सिंचाई के अनुपात में कितना है ?

(4) कितने क्षेत्र में सिंचाई से सीम आ गई है एवं पानी को बन्द करना पड़ा है ?

उत्तर

(1) बीकानेर लिफ्ट नहर योजना (अब कंवरसैन लिफ्ट नहर) के अन्तर्गत 1,26,814 एकड़ भूमि सिंचित करना प्रस्तावित था। वर्ष 1990-91 में 66828 एकड़ भूमि सिंचित की गयी। जिसमें सूरतगढ़ तहसील जिला गंगानगर में 8335 एकड़ एवं तहसील लूणकरणसर में 38312 एकड़ व तहसील बीकानेर में 20181 एकड़ सिंचाई की गयी। वर्ष 1991–92 में खरीफ फसल में 35104 एकड़ में सिंचाई की गयी। जिसमें से तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर में 3322 एकड़ एवं तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर में 22629 एकड़ भूमि एवं तहसील बीकानेर में 9153 एकड़ सिंचाई की गयी है। चालू फसल रबी 1991–92 में 46930 एकड़ भूमि सिंचित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) कंवरसैन लिफ्ट नहर में वर्तमान में औसतन 400 क्यूसेक्स पानी लगातार चलाया जा रहा है। इस योजना पर गत वर्ष 1990-91 तक 43.48 करोड़ रु. व्यय हो

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

चुके हैं। वर्ष 91–92 में 1.85 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है।

(3) कंवरसैन लिफ्ट की क्षमता 568 क्यूसेक्स है, जिसमें से 23.45 क्यूसेक्स पेयजल सुविधाओं हेतु प्रावधान है।

(4) कंवरसैन लिफ्ट नहर क्षेत्र में 922 एकड़ सिंचित भूमि सेम से पूर्णरूप से और 1874 एकड़ भूमि आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। पूर्ण रूप से प्रभावित भूमि में कृषकों द्वारा सिंचाई नहीं की जा रही है।

रामसरी (डेगाना) में निजी टांकों हेतु राशि

653. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री लिछमण राम पुत्र श्री तेजाराम एवं श्री पेमाराम पुत्र श्री जेठाराम निवासी ग्राम रामसरी तहसील डेगाना (नागौर) को वर्ष 1987-88 में अकाल के समय निजी टांका खुदवाने हेतु जिला कलक्टर द्वारा 5–5 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी स्वीकृत राशि का भुगतान पंचायत समिति डेगाना द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। वर्ष 87–88 में अकाल के समय ग्राम रामसरी तहसील डेगाना के श्री लिछमण राम पुत्र पेमाराम एवं पेमा राम पुत्र जेठाराम को निजी टांका खुदवाने हेतु 5–5 हजार की राशि की स्वीकृति दी गई थी। राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिला कलक्टर द्वारा शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसिन वितरण

654. **श्री दिलसुख राय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कैरोसिन तेल की अधिक आवश्यकता रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत समितिवार कोटा निश्चित करके अलग-अलग डीलर नियुक्त कर सही ढंग से वितरण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कैरोसिन उनकी आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन के निर्देशन में वितरित किया जा रहा है। यह वितरण लाइसेन्स प्राप्त अधिकृत व्यक्तियों एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। वितरण की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है। अतः प्रत्येक पंचायत समिति के अनुसार कोटा निश्चित करने एवं डीलर नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम इन्दौखा (मकराना) के खुदरा विक्रेता के विरुद्ध शिकायतें

655. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बिरधाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मकराना की इन्दोखा ग्राम पंचायत में खुदरा विक्रेता रिटेलर का लाइसेन्स श्री अमरसिंह को दे रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या उक्त अमरसिंह व्यक्तिगत रिटेलर है या ग्राम सेवा सहकारी समिति की तरफ से ? यदि सहकारी समिति की तरफ से है तो क्या चीनी, गेहूं या सस्ती वस्तुओं का इन्द्राज ग्राम सेवा सहकारी समिति के रिकार्ड में किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 31 जनवरी, 1992 तक सहकारी समिति को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इन्दोखा की चीनी श्री अमरसिंह को दिनांक 10-7-1991, 2-8-1991, 10-8-1991, 24-8-1991 एवं 9-9-1991 को वितरण हेतु दी गई ? जिसमें दिनांक 2-8-1991, 10-8-1991, 24-8-1991 को दी गई चीनी का वितरण नहीं करके ब्लेक कर दी गई ? इसी प्रकार उन्हें सस्ता गेहूं 14-8-1991, 18-9-1991, 19-10-1991 को दिया गया, जिसको भी उनके द्वारा ब्लेक कर दिया गया ?

(4) क्या श्री अमरसिंह के खिलाफ ग्राम की जनता ने चीनी व गेहूं ब्लैक करने की उपखण्ड अधिकारी परबतसर व जिला रसद अधिकारी नागौर व जिला कलक्टर नागौर के पास शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें। शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मकराना की इन्दोखा ग्राम पंचायत में खुदरा विक्रेता का लाईसेंस इन्दोखा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. इन्दोखा के नाम से दि. 23.12.81 से दिया हुआ है।

(2) श्री अमर सिंह व्यक्तिगत रिटेलर नहीं हैं। यह ग्राम सेवा सहकारी समिति की तरफ से हैं। गेहूं, चीनी आदि सस्ती वस्तुओं का इन्द्राज ग्राम सेवा सहकारी समिति के रिकार्ड में किया गया है। ग्राम-सेवा सहकारी समिति के लाभ/हानि सम्बन्धी रिकार्ड की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1989–90 में 172.24 रु. का लाभ सहकारी विभाग द्वारा बताया गया है। वर्ष 90–91 एवं 91-92 की आडिट रिपोर्ट विशेष लेखा परीक्षक नागौर से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ?

(3) यह सही है कि ग्राम पंचायत इन्दोखा की चीनी एवं गेहूं अमरसिंह को दिनांक 10.7.91, 2.8.91, 10.8.91, 24.8.91 व 9.9.91 को तथा दि. 14.8.91, 18.9.91 व 15.10.91 को वितरण हेतु दिया गया। यह वितरण हेतु दिये गये चीनी, गेहूं को बाजार में बेच देने संबंधी शिकायत की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नागौर द्वारा की जा रही है।

(4) श्री अमरसिंह के खिलाफ ग्राम जनता ने चीनी एवं गेहूं बाजार में ब्लैक करने की शिकायत कलक्टर (सतर्कता) नागौर से कर उसकी प्रति उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला रसद अधिकारी, नागौर, श्री बिरधाराम चौधरी, विधायक मकराना एवं खाद्य मंत्री, राज. जयपुर को प्रेषित की हैं। जिसकी प्रति

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

सदन की मेज पर रख दी गई है। शिकायत की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर द्वारा की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल बैरल पाइन्ट

656. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण किसानों की सुविधा हेतु पूर्व में डीजल बैरल पाइन्ट कार्यरत थे ?

(2) क्या उक्त सुविधाओं को पुनः प्रारम्भ करने का विभाग का कोई विचार है ? सिरोही जिले में कितने बैरल पाइन्ट थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सुविधा के लिए कम कीमत के विक्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। सिरोही जिले में पूर्व में निम्नांकित 17 बैरल पाइन्ट ग्रामीण क्षेत्रों में थे :—

1. कालन्द्री,	तहसील,	सिरोही
2. जावाल,	तहसील,	सिरोही
3. बराड़ा,	तहसील,	सिरोही
4. जैला,	तहसील,	सिरोही
5. आमलारी,	तहसील,	सिरोही
6. आलपा,	तहसील,	शिवगंज
7. कोषालिया,	तहसील,	शिवगंज
8. पालड़ी,	तहसील,	शिवगंज
9. शिवगंज,	तहसील,	शिवगंज
10. अरठवाड़ा,	तहसील,	शिवगंज
11. पिण्डवाड़ा,	तहसील,	पिण्डवाड़ा
12. दांतराई,	तहसील,	रेवदर
13. मण्डार	तहसील,	रेवदर
14. रेवदर.	तहसील,	रेवदर
15. अनादरा,	तहसील,	रेवदर
16. सिरोड़ी,	तहसील,	रेवदर
17. कैलाशनगर,	तहसील,	शिवगंज

जिला सवाई माधोपुर के मंदिरों की भूमि

657. **श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में मंदिर/मूर्तियों की कितनी-कितनी जमीन किस-किस गांव में है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन जमीनों की आज की स्थिति क्या है तथा इन पर किन लोगों का कब्जा है ? सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन मंदिरों/मूर्तियों की जमीनों का कब्जा खाली कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(4) क्या सरकार मंदिर/मूर्तियों की जमीनों एवं सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने

(श्री भरोसीलाल)

के लिये व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में मंदिर मूर्ति की भूमियां जहां-जहां स्थित हैं उनके विवरण की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गिरदावरी के वक्त यह अंकित नहीं किया जाता है कि भूमि पर वास्तविक कब्जा व काश्त किस व्यक्ति की हैं। ऐसी स्थिति में रेकार्ड के आधार पर यह बताया जाना संभव नहीं है कि भूमि पर वास्तव में कब्जा किसका है।

(3) मंदिर देवमूर्ति की खातेदारी में देव मूर्ति के साथ जिन मामलों में पुजारियों ने अपने नाम जुड़ा लिये हैं अथवा दूसरों को गलत तरीके से बेचान कर दिये है तथा क्रेताओं के नाम जमाबंदी में दर्ज करवा लिये है ऐसे मामलों में उनके नाम जमाबंदी से काटकर पुन: मूर्ति के नाम दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समस्त कलक्टरों को तथा उप निवेशन आयुक्त एवं भू-प्रबंध आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(4) मंदिरों की भूमियों की सुरक्षा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उचित प्रावधान हैं कानून के अनुसार देव मूर्ति कानूनन एक शाश्वत अव्यस्क है। देव मूर्ति के खातेदारी में दर्ज भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति को कानूनन खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण

658. **श्री अरूण सिंह (डीग)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीग सब-डिवीजन खण्ड के कितने राजस्व के मामले राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां विचाराधीन हैं ?

(2) राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर की अदालत में डीग उपखंड के अलावा कितने राजस्व के मामले जेर तहकीकात हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार डीग उपखंड स्तर पर राजस्व अपील प्राधिकारी का स्थायी या अस्थाई कोर्ट खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 4.3.92 तक उपखंड क्षेत्र डीग के 798 प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी से यहां विचाराधीन थे।

(2) डीग उपखण्ड के अलावा 1663 प्रकरण और विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं। किसी भी उपखण्ड मुख्यालय पर राजस्व अपील अधिकारी का मुख्यालय स्थापित करने की राज्य सरकार की वर्तमान में कोई नीति नहीं है।

ग्राम बदनपुरा जयपुर की कृषि भूमि

659. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जयपुर तहसील जयपुर के ग्राम बदनपुरा के खसरा नं. 245, 247, 298/1, 298/2 का खातेदार काश्तकार कौन है ? यह कृषि भूमि इस खातेदार के खाते में कब से आई ?

(2) राज्य में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट-1955 लागू होने से पूर्व यह कृषि भूमि किस की खातेदारी में थी ? तब इस कृषि भूमि के खसरा नम्बरान क्या थे ?

(3) क्या खातेदार काश्तकार की कब्जा शुदा कृषि भूमि की खातेदारी किसी दूसरे के नाम बिना कब्जा अथवा बिना सूचना नामान्तरित की जा सकती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत, नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) नामान्तकरण संख्या 133 दिनांक 6 जनवरी, 1982 द्वारा श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल की खातेदारी की कब्जा शुदा भूमि का नामान्तरण श्री ताराचन्द पुत्र श्री भंवरलाल के नाम किस नियम के तहत किया गया ?

(5) क्या उक्त नामान्तकरण सं. 133 दिनांक 6 जनवरी, 1982 किसी न्यायालय की डिक्री के आधार पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या खातेदार श्री सुन्दर लाल इस वाद में पक्षकार था ? यदि नहीं, तो डिक्री की अनुपालना से पूर्व खातेदार को कोई नोटिस दिया गया था, यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो खातेदार काश्तकार को कृषि भूमि नामान्तरित कैसे कर दी गई ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर तहसील जयपुर के ग्राम बदनपुरा के ख. नं. 245, 247 पर खातेदारी श्री सुन्दरलाल पुत्र कन्हैया लाल कौम माली साकिन देह के नाम से प्रभावी भू-प्रबन्ध सम्वत् 2015 के समय में ही अंकित है। ख. नं, 298/1 व 298/2 पर खातेदारी श्री ताराचन्द पुत्र भंवरलाल जैन निवासी जयपुर के नाम जरिये नामान्तर-करण संख्या 133 दिनांक 6.1.82 में दर्ज है।

(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के प्रभावी होने से पूर्व उक्त भूमि खसरा नम्बर 245, 247, 298/1 व 298/2 के खसरा नम्बर क्रमश: 269, 271, 327 मि. व 327 मि. थे, तथा खातेदारी माफी ठिकाना के नाम अंकित थी।

(3) जी नहीं।

(4) नामान्तकरण सं. 133 के द्वारा खातेदारी श्री सुन्दरलाल पुत्र कन्हैयालाल से श्री ताराचन्द पुत्र भंवरलाल के नाम राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट नं. 1 जयपुर की चर्चा डिक्री दिनांक 6.12.72 की क्रियान्विति में किया गया। राज्य सर-कार के परिपत्र क्रमांक एफ 5(21) राज/ग्रुप–4/80/35 दिनांक 4.9.82 के अनुसार न्यायालयों के आदेशों की अनु–पालना में होने वाले नामान्तरकरण तह–सीलदार के क्षेत्राधिकार में होते हैं। उस परिपत्र के अनुसार तहसीलदार न्यायालयों के आदेशों की पालना में बिना कोई जांच

(राजस्व मंत्री)

किये नामान्तरकरण दर्ज करने के लिये बाध्य है।

(5) यह सही है कि नामान्तरकरण संख्या 133 बिन्दु सं. 4 के अंकनानुसार न्यायालय की डिक्री के आधार पर किया गया है। खातेदार श्री सुन्दर लाल का नाम डिक्री की नकल के अन्तर्गत किसी पक्षकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। डिक्री की अनुपालना से पूर्व खातेदार को नोटिस दिया जाना उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रतीत नहीं होता है। खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि डिक्री के आधार पर नामान्तरित कर दी गई। इसके लिये समुचित उल्लेख बिन्दु सं. 1 के उत्तर में किया गया है।

सिवाना में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि

660. श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1971 में सिवाना में अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो क्या सभी आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सिवाना तहसील में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की ऐसी कितनी भूमि है जिस पर अन्य लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है ? क्या उन लोगों को पुनः कब्जा दिलवा दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1971 में तहसील सिवाना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 182 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है। व सभी को आवंटित भूमि का कब्जा दे दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील सिवाना में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नावां (नागौर) की कृषि भूमि पर नमक उद्योग हेतु अधिसूचना

661. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जाब्दी नगर तहसील नावां जिला नागौर की खसरा नं. 1, 3, 4, 6 एवं 37 को कृषि भूमि नमक उद्योग हेतु वर्ष 1968 में सलायन एरिया घोषित की गई थी ? यदि हां, तो उसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें। उस समय इन खसरान की कितनी-कितनी भूमि उसमें सम्मिलित थी ?

(2) क्या उस समय उपरोक्त खसरान में किसी निजी खातेदारी की भूमि भी थी ?

(श्री हरिशचन्द्र)

यदि हां, तो उसके खातेदारी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नोटिफिकेशन के बाद सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में इसका इन्द्राज होना चाहिए ? यदि हां तो इन्द्राज नहीं करने के क्या क्या कारण थे ?

(4) वर्तमान में इन खसरों की भूमि की क्या स्थिति है ? वर्तमान सेटलमेंट का नक्शा तथा इस क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों ने कृषि भूमि को नमक उद्योग हेतु रूपांतरण कराने की कार्यवाही कर रखी है ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जाब्दीनगर के खसरा नं. 1 की 1626 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 3 की 1887 बीघा 14 बिस्वा ख. नं. 4 की 251 बीघा 12 बिस्वा ख.नं 37 की 528 बीघा 7 बिस्वा भूमि को सलायन एरिया आदेश क्रमांक एफ 2(21) राज/धी/68 दिनांक 26.6.68 द्वारा घोषित किया गया था। ख. नं. 6 को सलायन एरिया घोषित किया जाना नहीं पाया जाता। तत्पश्चात् आज्ञा क्रमांक एफ 2(21) राजस्व/ख/68 दिनांक 15.7.69 के द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर दिया तथा खसरा नं. 3 रकबा 1922 बीघा 14 बिस्वा में से 1500 बीघा भूमि राजस्थान भू-राजस्व (नमक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1962 के नियम 5 के अनुसरण में लवण क्षेत्र घोषित किया गया। नोटिफिकेशन की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। उस वक्त खसरा नम्बरान, 1,3,4,6 व 37 में से ख. नं. 1/1 रकबा 200 बीघा व 1/2 मिन रकबा 200 बीघा में खातेदारी दर्ज थी। नकल जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2026 संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों को राजकीय रेकार्ड में इन्द्राज करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा लिखा गया था। लेकिन आदेश दिनांक 26.6 68 निरस्त कर दिये जाने के कारण तथा ग्राम जाब्दीनगर की मात्र खसरा नं. 3 ही घोषित लवण क्षेत्र रहा। इसके फलस्वरूप ग्राम जाब्दीनगर के अन्य खसरा नं. 1, 4 व 37 का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं रही।

(4) वर्तमान में इन खसरों की भूमि की स्थिति के बारे में वर्तमान सेटलेमेंट के नक्शे की प्रति सलग्न है तथा इस क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने कृषि भूमि से नमक उद्योग में रूपान्तरण की कार्यवाही कर रखी है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उप-खण्ड अधिकारी, रायसिंह नगर (श्रीगंगानगर) द्वारा आवंटित भूमि

662. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर में उप-खण्ड अधिकारी,

(श्री रामस्वरूप)

रायसिंह नगर ने दिनांक 1-5-1990 से दिनांक 4-9-1991 तक कितनी भूमि आवंटित की ? परियोजना अनुसार अलग-अलग विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उप-खण्ड अधिकारी, रायसिंह नगर द्वारा की गई भूमि का आवंटन दिनांक 1-5-1990 से 4-9-1991 तक नाम व पता अलॉटी, चक नम्बर परियोजना-वाइज व कितना-कितना रकबा आदि का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उप-खण्ड अधिकारी, रायसिंह-नगर द्वारा दिनांक 1-5-1990 से दिनांक 4-9-1991 तक वन विभाग की कितनी भूमि आवंटित की गई ? चक, मु. नम्बर एवं कृषक नाम वाइज सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) उप-खण्ड अधिकारी, रायसिंह-नगर ने दिनांक 1-5-1990 से दिनांक 4-9-1991 तक कितने भट्टे जात स्वीकृत किये ? नाम भट्टाधारक, चक, भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उप-खण्ड अधिकारी, रायसिंह-नगर ने दिनांक 1-5-1990 से दिनांक 4-9-1991 तक कितनी बार व कौन-कौन से तरीकों में भूमि आवंटित की एवं आवटन कमेटी में कितने व कौन सदस्य उपस्थित थे ? प्रत्येक सदस्य का नाम एवं पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 1–5–90 से 4–9–91 तक गंग कैनाल क्षेत्र 4042–09 बीघा भूमि एवं इ.गां न.प. क्षेत्र में 9922.01 बीघा कुल 13964.10 बीघा भूमि का आवंटन किया है। सूची परियोजना वाइज संलग्न है।

(2) नाम अलाटी एवं पूर्ण पता परि-योजना वाइज मय विवरण के सूची संलग्न है।

(3) वन विभाग के द्वारा तहसील अनूपगढ़ एवं घड़साना की कुल 318–14 बीघा भूमि संयुक्त निरीक्षण के बाद राजस्व विभाग को सौंपे जाने पर आवंटन किया गया है। जिसकी सूची अलग से संलग्न है। यह भूमि बिन्दु सं. 1 में आवंटित भूमि के कुल योग में सम्मिलित है।

(4) इस अवधि में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा कोई भट्टा स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि राजस्थान कोलोनाईजेशन प्रोजेक्ट एरिया (लीजेज़) कन्डीसन 1966 के तहत उपखण्ड अधिकारी को भट्टा स्वीकृत करने के अधिकार नहीं हैं। उक्त शर्तों में भट्टा स्वीकृत करने के अधि-कार जिला कलक्टर को हैं।

(5) भूमि आवंटन की सूची बिन्दु संख्या–1 के अनुसार संलग्न है। आवंटन कमेटी के सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, राजस्व का रिक्त पद

663. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त राजस्व का पद कब से रिक्त है ? इस पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है ?

(2) इस न्यायालय में सन् 1991 में कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ। अन्तिम मुकदमे का निस्तारण किस तिथि को किया गया ?

(3) क्या सरकार मुकदमों के निस्तारण की संख्या से संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) अति. संभागीय आयुक्त, कोटा के पद पर श्री रंगरूप मल कोठारी, आर.ए.एस. दिनांक 27-11-91 से पदस्थापित है।

(2) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में वर्ष 1991 में 31 मुकदमों का निस्तारण हुआ एवं अन्तिम निस्तारण दिनांक 28-8-91 को हुआ।

(3) अति. संभागीय आयुक्तों के लिए मुकदमों के निस्तारण हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। अति. संभागीय आयुक्त, कोटा के वर्ष 1991 में अधिकतर अवकाश/निलम्बन काल में रहने के कारण मुकदमों का निस्तारण कम रहा है।

दौसा में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जे

664. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने लोगों की कृषि भूमि पर उच्च जाति वर्ग के लोगों ने जबरन कब्जे करने की शिकायतें जिलाधीश, दौसा एवं अन्य राजस्व विभाग के अधिकारियों को की गयीं ? सम्पूर्ण विवरण सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी प्रावधानों का उपयोग जबरन कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ किया है ? यदि हां, तो किस-किस मामले में ?

(3) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की भूमि से जबरन कब्जा करने वाले उच्च जाति के लोगों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 31 लोगों द्वारा उनकी कृषि भूमि पर उच्च जाति वर्ग के लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने की शिकायतें कलक्ट्रेट दौसा एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को की है। शिकायतों का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जिले में कुल ऐसे 26

(राजस्व मंत्री)

प्रकरण संबंधित पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं, जिनमें नियमानुसार कार्यवाही की गई। विवरण परिशिष्ट 2 में अंकित है।

(3) जी हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी (जयपुर) के बड़वा ग्रास फार्म पर काबिज काश्तकारों को भूमि का आवंटन

665. **श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बस्सी के बडवा ग्रास फार्म पर पिछले 30 वर्षों से जो किसान काबिज हैं, को सरकार भूमि आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम पंचायत लालगढ़ द्वारा पिछले राजस्व अभियान में ऐसे गैर खातेदार जिनको वर्ष 1975 व 1969 में भूमि का आवंटन हुआ था की सूची ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पास कर आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां, तो क्या आवंटन निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या पिछले 5 वर्षों में ढूंढ नदी ग्राम हीरावाला कानोता, भूरथल कालिकावास, खिजूरिया व साम्भरिया पंचायतों में बाहर के कई व्यक्तियों को वन विकास हेतु भूमि आवण्टित की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस गांव में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि का आवण्टन किया गया ? ऐसे आवंटन को निरस्त करने की क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर के ग्राम बड़वा में ग्रास फार्म के नाम से विभिन्न खसरा नम्बरों की कुल 1907 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जो भूतपूर्व महाराजा जयपुर की व्यक्तिगत प्रोपर्टी थी, इसमें से तत्कालीन जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 17.4.76 को 1087 बीघा 05 बिस्वा भूमि को राज. लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजिशन आफ लैण्ड आनर्स एस्टेट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई थी। उक्त आदेश मा. उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने और क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष आवेदकों द्वारा आपत्ति दो माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाने पर वर्तमान में प्रकरण क्षतिपूर्ति आयुक्त (संभागीय आयुक्त), जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर काश्त की जाती रही है एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली/पेनल्टी की कार्यवाही की जाती रही है। वर्तमान में भी 697 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमियों को बेदखल किए जाने की कार्यवाही जेरकार है। जहां तक भूमि आवंटन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में न्यायालय से अंतिम निर्णय

(राजस्व मंत्री)

होने पर ही आवंटन की कार्यवाही संभव होगी। अतिक्रमियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) जी हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत लालगढ़ द्वारा गत राजस्व अभियान में दिनांक 6.6.90 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें वर्ष 1969 व 1975 में, जिन व्यक्तियों के आवंटित भूमि पर कब्जे नहीं हैं, उनके आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया था। इस सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन), नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त किये जाने हेतु 15 मामले न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जा रहा है।

(3) जी हां, तहसील बस्सी के ग्राम हीरावाला, कानोता, बूरथल, काल्यावास खिजूरिया एवं साम्भरिया में बाहर के 816 व्यक्तियों को 3356 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु आवंटन की गई थी। इसमें से 707 व्यक्तियों के आवंटन निरस्त किए जा चुके हैं तथा शेष 109 व्यक्तियों के आवंटन निरस्त किए जाने की कार्यवाही जेरकार है। विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर द्वारा नोटिस

666. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर जिला सीकर द्वारा नोटिस क्रमांक 476/स्टेनो दिनांक 25-9-1981 को जारी किया गया ? यदि हां, तो नोटिस की तामील किस रीति व किस तिथि को हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नोटिस बिना तामील कराये, बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश दिनांक 2-11-1981 को जारी किया गया ? आदेश किस रीति एवं तिथि को सम्बन्धित कर्मचारी पर तामील कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि नोटिस की सम्बन्धित कर्मचारी की प्रति आज भी पत्रावली में ही पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित प्रभावित कर्मचारी अपील के लाभ से वंचित रहा ?

(4) क्या इस प्रकार की कार्यवाही नियमानुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है ?

(5) क्या यह सही है कि उप-खण्ड अधिकारी, फतेहपुर द्वारा कर्मचारी का गत संशोधित वेतन का अन्तिम भुगतान पत्र तीन बार बनाया जाकर, डिस्पेच किया जाकर भी जिला कलक्टर, सीकर के यहां नहीं भेजा गया और सामयिक वेतन वृद्धियां नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां तो तत्सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या कर्मचारी ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-12-1989 को अपील मानने की प्रार्थना की ? यदि हां, तो पत्रांक 809/संस्था/89/दिनांक 14-2-1991 में इसका

(श्री मदनलाल सैनी)

क्या औचित्य है कि प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-12-1989 को लिखे जाने पर अपील नहीं मानने का क्या कारण है ?

(7) क्या सरकार कर्मचारी की सामयिक वेतन वृद्धियां व नवीनतम वेतनमानों में नियमानुसार वेतन निर्धारण कर उक्त अवधि का वेतन भुगतात करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट नहीं होता है कि नोटिस तामील हुआ है या नहीं। ऐसी स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि नोटिस किस रीति व तिथि को तामील हुआ है।

(2) नोटिस तामील के सम्बन्ध में प्रश्न के भाग प्रथम के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जहां तक सुनवाई का प्रश्न है उपलब्ध रेकार्ड से यह विदित होता है कि कर्मचारी को व्यक्तिशः नहीं सुना गया है। दिनांक 2.11.81 के आदेश जिसे कर्मचारी को जारी किया जाना था पत्रावली में ही लगा हुआ है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि आदेश तामील नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जिला कलक्टर द्वारा कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है।

(5) कर्मचारी को भुगतान किये गये एरियर के आधार पर संशोधित अन्तिम वेतन भुगतान पत्र तैयार किया गया परन्तु इसमें सन्देह होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर ने रोक लिया। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा जांच की गई। मामला अनियमित एरियर भुगतान का पाये जाने पर दोषी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।

(6) कर्मचारी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.89 को अपील मानने की प्रार्थना नहीं की पत्र क्रमांक 809/स्थापना/91 दिनांक 14.2.91 द्वारा कर्मचारी के उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र का प्रति उत्तर मात्र दिया गया था।

(7) इस प्रकरण में सम्बन्धित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया है। इसके पश्चात ही सामयिक वेतन वृद्धियां एवं वेतन निर्धारण के बिन्दु पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।

ग्राम बठारना (आमेर) में गोचर भूमि का आवंटन

667. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बठारना तहसील आमेर में गोचर भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1987–88 से अब तक कितनी भूमि का आवंटन किस-किस व्यक्ति को किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रामसिंह के नाम से गोचर भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्री रामसिंह

(श्री गोपीराम जाट)

को गोचर भूमि आवंटित करने से पूर्व पात्रता की जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

सिरोही में कृषि भूमि का रूपान्तरण

668. **श्रीमती तारा भंडारी** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में कुल कितने मामले भूमि रूपान्तरण के निपटाये गये ? सूची मय नाम, गांव, क्षेत्र एवं खसरा नम्बर सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही बाई पास के दक्षिण भाग की कृषि भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं करने की नीति नगर नियोजन विभाग द्वारा तय की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि अब रूपान्तरित कर दी गई ? यदि हां, तो उपरोक्त नीतिगत निर्णय में कब परिवर्तन किया गया और क्यों, तथा उक्त क्षेत्र की कौन-कौन सी भूमि रूपान्तरित की गई ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में कुल 1198 मामले भूमि रूपान्तरण के निपटाये गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था। सिरोही बाई-पास के खसरा नम्बर 2234, 2233, 2223, 2222, 2274 व 2675 की कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भाखरा परियोजना के मण्डी क्षेत्र का स्थानान्तरण

669. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार भाखरा परियोजना का मण्डी क्षेत्र पूरी तरह विकसित हो जाने पर स्वायत्त शासन विभाग को उसकी सभी शर्तें पूरी हो जाने पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कौन-कौनसी मण्डी में कितना-कितना क्षेत्र स्थानान्तरित किया जावेगा अभी विकसित करने की कितनी अवधि बकाया है, पूरा विभाग कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ जं. के क्षेत्राधिकार में भाखरा क्षेत्र की चार मंडियां यथा नोहर, सादुलशहर, संगरिया

(उपनिवेशन मन्त्री)

एवं पीलीबंगा है। मण्डी विकास समिति की बैठक दिनांक 16.2.91 के निर्णय सं. 8 में मण्डी सादुलशहर एवं नोहर का क्षेत्र पूर्णरूप से एवं मण्डी संगरिया का चक 3 आर.टी.पी. की भूमि को छोडकर शेष पुरानी मण्डी का क्षेत्र नगरपालिकाओं को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। मण्डी पीलीबंगा में विकास कार्य किए जाने का कार्य शेष है, अतः अभी हस्तान्तरित नहीं करने का निर्णय लिया गया। विकसित करने की अवधि निर्धारित नहीं है।

बिहाणी धर्मशाला (हनुमानगढ़ जंक्शन) को भूखण्ड आवंटन

670. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन श्रीगंगानगर, उपनिवेशन मण्डी के अधिकारियों ने बिहाणी धर्मशाला के नाम से एक बहुत बड़ा भूखण्ड मण्डी क्षेत्र में आवंटित किया है ? यदि हां, तो वह कितने वर्ग गज का है ? क्या उसकी सारी कीमत वसूल करली गई और उसे स्थायी पट्टा प्रदान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि बिहाणी धर्मशाला के ट्रस्ट ने मण्डी समिति के नियमों व शर्तों की अवहेलना की है और उसका निर्माण करवा दिया है एवं व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग में ले रहे हैं ? यदि हां, तो दुकानों का किराया क्या है ? मासिक आय व दुकान आवंटन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। आवंटित भू-खंड 6,000 वर्ग गज का है। इसकी न तो पूरी कीमत वसूल हुई है और न ही पट्टा दिया गया है।

(2) जी हां। ट्रस्ट द्वारा चारदीवारी का निर्माण कर लिया गया था। शर्तों की अवहेलना के कारण इस भू-खंड का राज्य-सरकार द्वारा पुनः ग्रहण कर लिया गया है तथा अब यह भूमि किसी प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली जा रही है।

उक्त भू-खंड पर दुकानों का निर्माण नहीं हुआ है। अतः किराये का प्रश्न नहीं उठता है।

अलवर तहसील मुख्यालय पर भवन निर्माण

671. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अलवर तहसील मुख्यालय पर कानूनगो भवन बन चुका है ? यदि हां, तो कब, किस स्थान पर और उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

उत्तर

जी हां। यह भवन अक्टूबर, 89 में विवेक विहार, स्कीम नम्बर 10 में बना है। इसके निर्माण पर एक लाख रुपया व्यय हुआ है।

टौंक की पंचायत समितियों को विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित राशि

672. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग एवं विशिष्ट योजना संगठन के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न अभिकरणों तथा एजेन्सियों द्वारा 1-4-1989 से अब तक किस-किस पंचायत समिति में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि कब-कब ऋण/अनुदान आदि के लिए उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विकास कार्यों एवं योजनाओं से सम्बन्धित किस-किस के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं ? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अधूरे पड़े हैं और कितनों की धनराशि बिना खर्च के पड़ी है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चाहा गया विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) चाहा गया विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को राशि

673. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीब व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धन राशि दी जाती है ? पूरे राजस्थान में किस-किस पंचायत समितियों में 1980 से 1992 तक कितने इन्दिरा आवास योजना के मकान स्वीकृत किये गये और कितनी-कितनी राशि स्वीकार की गई ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा आवास की स्वीकृत राशि समय पर नहीं दी जाती जिससे गरीब व्यक्ति मकान पूरा नहीं कर पाता ? क्या सरकार पूरी रकम समय पर चुकायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्दिरा आवास राशि 12050/– स्वीकृत की जाती है परन्तु 9 हजार रुपये मात्र दिये जाते हैं ? क्या सरकार पूरी रकम दिलायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं ? क्या सरकार आदिवासी इलाकों में इन्दिरा आवास के लिये अधिक राशि आवंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अनुसूचित जाति

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

/जनजाति के गरीब व्यक्तियों के लाभ के लिए इन्द्रा आवास योजना वर्ष 1985 में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 1985 से 1992 तक इन्द्रा आवास योजना के स्वीकृत मकान एवं स्वीकृत राशि जिलेवार एवं पंचायत समितिवार परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। इन्द्रा आवास योजना की स्वीकृत राशि, कार्य की प्रगति के अनुसार समय पर दी जाती है।

(3) जी नहीं। इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से राशि स्वीकृत की जाती है :—

1. आवास निर्माण हेतु रुपये 9800.00
2. शौचालय एवं निधूम चूल्हे के लिए 1400.00 रुपये
3. आधारभूत सुविधा हेतु रुपये 3300.00

निर्धारित स्वीकृत राशि प्रत्येक कार्य की प्रगति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

4. हां यह सही है— बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिलेवार इन्द्रा आवास के लिए राशि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है एवं उसी के आधार पर बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों को इन्द्रा आवास की राशि अलाट की जाती है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर के ग्राम मनेठी-जालावास से बीजवाड़ चौहान तक सड़क निर्माण

674. श्री टीकमचन्द कान्त (रेबदर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार जिला अलवर के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम हुलमाना कलां/खुर्द एवं भोजपुरी के विकास के लिए ग्राम मनेठी–जालावास से ग्राम बीजवाड़ चौहान तक मात्र 3 किलोमीटर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त 3 किलोमीटर सड़क हेतु विभिन्न स्तरों से राज्य सरकार को कई वर्षों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क निर्माण हेतु किसी विभाग द्वारा अब तक सर्वे कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सर्वे कराकर सड़क निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम मनेठी जालावास से ग्राम बीजवाड़ चौहान तक सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव इस विभाग एवं जिला–ग्रामीण विकास अभिकरण–अलवर में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क निर्माण का प्रस्ताव जवाहर रोजगार योजना की सैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट एवं वार्षिक–योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सार्वजनिक निर्माण

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

विभाग) कृषि उपज मण्डी समिति-खैरथल, अकाल राहत योजना, अपना गांव अपना काम, तीस जिले तीस काम, निबन्ध योजना एवं रीको के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः सर्वे कार्य नहीं कराया गया। कार्य की स्वीकृति के पश्चात् ही सर्वे कराया जाता है।

मैसिव योजना के तहत जिला चित्तौड़गढ़ के कार्य

675. **श्री छगनलाल** (बडी सादडी) : क्या विशिष्ट योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में चित्तौड़गढ़ जिले में मैसिव योजना में अलग-अलग क्या लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये व किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि राज्य सरकार ने डी.आर.डी.ए. चित्तौड़गढ़ को आवटित कर दी है ? उसमें से डी.आर.डी.ए. चित्तौड़गढ़ द्वारा कितनी राशि उपयोग में ली जा चुकी है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मेसिव योजना में राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किये गये उसमें डी.आर.डी.ए. चित्तौड़गढ़ ने कोई परिवर्तन किया है एवं डी. आर. डी. ए. द्वारा पंचायत समिति वार लक्ष्य आवंटित किये गये उसमें कोई परिवर्तन किया गया है ?

(3) क्या डी.आर.डी.ए. चित्तौड़गढ़ द्वारा पंचायत समिति वार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद लक्ष्य से ज्यादा स्वीकृतियां जारी की गई हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में चित्तौड़गढ़ जिले में मैसिव योजना में गत वर्षों की बचत को दृष्टिगत रख दिनांक 30 7.91 को राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा वर्ष 1991-92 हेतु राशि आवंटन की स्वीकृतियां जारी की गई : —

क्र. सं. उद्देश्य	भौतिक लक्ष्य (लघु/सीमांत कृषकों की लाभान्वयन सं.)	वित्तीय आवंटन (राशि रु. लाखों में)
(अ) लघु सिंचाई कार्यक्रम		
1. नवकूप निर्माण	426	]
2. कूप गहरा	674	]
3. पम्प सैट	640	] 48.80
4. अन्य लघु सिंचाई कार्य यथा (कूप मरम्मत, जलोत्थान सिंचाई आदि)	300	]
योग	2040	

(विशिष्ट योजना मन्त्री)

(ब) भूमि विकास आदि कार्यक्रम :

1. भूमि विकास कार्य	322	12.20
2. स्टाफ व्यय	—	0.22
महा योग	2362	61.22
	+	43.48 (14.91) को पूर्व बचत दिनांक 30.7.91 की स्थिति अनुसार)
		104.70

डी.आर.डी.ए. चित्तौड़गढ़ द्वारा फरवरी, 92 तक प्रगति की जाकर निम्नानुसार राशि का उपयोग कर लिया है :—

क्र. सं. उद्देश्य	भौतिक प्रगति (लाभान्वित लघु/सीमांत कृषकों की संख्या	वित्तीय प्रगति (राशि रु. लाखों में)
(अ) लघु सिंचाई कार्यक्रम :		
1. नवकूप निर्माण	188]	
2. कूप गहरा	75]	
3. पम्प सैट	1034]	79.09
4. अन्य लघु सिचाई कार्य (यथा कूप मरम्मत, जलोत्थान सिंचाई आदि)	4]	
योग	1301	79.09
(ब) भूमि विकास आदि कार्यक्रम :		
1. भूमि विकास कार्य	333 (276 है. क्षेत्र में)	10.47
2. स्टाफ व्यय	—	0.22
महा योग	1634	89.78

(विशिष्ठ संगठन योजना मन्त्री)

(2) मैसिव योजना में राज्य सरकार के विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 30.7.91 के आदेशानुसार वर्ष 1991–92 हेतु उपर्युक्त कुल लक्ष्य चित्तौड़गढ़ जिले के लिये निर्धारित किये गये जिनका पंचायत समितिवार विभाजन भी राज्य सरकार के इसी आदेशानुसार सूचित किया गया। वर्णित लक्ष्यों के विरुद्ध वर्ष के प्रथम तीन त्रैमास की प्रगति का पुनरावलोकन कर दिसम्बर, 91 में अभिकरण द्वारा पूर्वानुसार आवंटित लक्ष्यों में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई, ताकि क्षेत्रीय मांग के अनुरूप जिन मदों में प्रगति बहुत कम है उनकी अपेक्षा अधिक मांग की मदों के माध्यम से लघु/सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जा सके। इस प्रकार वास्तविक स्थिति को दृष्टिगत रख अभिकरण को संचालन समिति की बैठक दिनांक 28.12.91 में चित्तौड़गढ़ जिले के कुल लक्ष्यों में निम्नांकित संशोधन अनुमोदित किये गये :—

क्र. स. उद्देश्य मद	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.7.91 को निर्धारित भौतिक लक्ष्य (लघु/सीमांत कृषकों की लाभन्वयन संख्या)	अभिकरण चित्तौड़गढ़ की संचालन समिति द्वारा दिनांक 28.12.91 को अनुमोदित भौतिक लक्ष्य) (लघु/सीमांत कृषकों की लाभन्वयन संख्या)
(अ) लघु सिंचाई कार्यक्रम :		
1. नवकूप निर्माण	426	200
2. कूप गहरा	674	100
3. पम्प सैट	640	1100
4. अन्य लघु सिंचाई कार्य (यथा कूप मरम्मत, जलोत्थान सिंचाई आदि)	300	40
योग	2040	1440

(विशिष्ट संगठन योजना मंत्री)

(ब) भूमि विकास आदि कार्यक्रम

1. भूमि विकास कार्य	322	322 (पूर्वानुसार अपरिवर्तित)
महायोग	2362	1762

राज्य सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समितिवार आवंटित पूर्ववर्ती लक्ष्यों के समक्ष अभिकरण द्वारा जिले के संशोधित लक्ष्यों के अनुरूप पंचायत समितिवार लक्ष्य संशोधन किया गया। (पंचायत समितिवार संशोधित लक्ष्यों को अभिकरण की संचालन समिति की होने वाली आगामी बैठक दिनांक 28.3.92 में अनुमोदन कराया जावेगा) जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट है।

(विशिष्ठ संगठन योजना मंत्री)

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	नलकूप निर्माण		कूप गहरा		पम्प सैट		अन्य लघु सिंचाई कार्य		योग		भूमि विकास कार्य	महा योग	
		पूर्व लक्ष्य	परिवर्तित लक्ष्य	पूर्व लक्ष्य	परिवर्तित लक्ष्य	पूर्व लक्ष्य	परिवर्तित लक्ष्य	पूर्व लक्ष्य	परिव. लक्ष्य	पूर्व लक्ष्य	परिवर्तित लक्ष्य	पूर्व लक्ष्य अपरिवर्तित	पूर्व लक्ष्य	परिवर्तित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अरनोद	46	60	54	25	67	175	17	—	184	260	23	207	283
2.	भदेसर	46	9	74	6	67	66	17	—	204	81	23	227	104
3.	भैंसरोड़गढ़	32	9	54	5	48	66	17	—	151	80	23	174	103
4.	छोटी सादड़ी	—	—	—	—	—	—	40	13	40	13	23	63	36
5.	बड़ी सादड़ी	41	9	74	6	67	70	17	—	199	85	23	222	108
6.	बेगूं	32	9	54	5	48	66	16	—	150	80	23	173	103
7.	भोपालसागर	32	9	54	5	48	66	16	—	150	90	23	173	103
8.	डूंगला	41	9	74	6	67	66	16	—	198	81	23	221	104
9.	कपासन	32	9	54	6	48	100	16	—	150	115	23	173	138
10.	निम्बाहेडा	—	—	—	—	—	—	40	13	40	13	23	63	36

(विशिष्ठ संगठन योजना मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	प्रतापगढ़	46	60	54	25	66	225	16	—	182	310	23	205	333
12.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	—	40	14	40	14	23	63	37
13.	राशिम	32	8	54	5	48	100	16	—	150	113	23	173	136
14.	गंगरार	46	9	74	6	66	100	16	—	202	115	23	225	138
	योग :—	426	200	674	100	640	1100	300	40	2040	1440	322	2362	1762

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

(3) डी. आर. डी. ए. चित्तौड़गढ़ द्वारा पंचायत समितिवार परिवर्तित लक्ष्य आवंटन करने के बाद तदनुरूप स्वीकृतियां जारी की गई हैं। तथापि क्षेत्रीय मांग के अनुसरण में वित्तीय उपलब्धि के आधार पर लक्ष्यों से कम/अधिक उपलब्धि वर्षान्त तक सम्भावित है।

इन्दिरा गांधी नहर की अतिरिक्त सिचाई क्षमता

676. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वर्षवार कितनी-कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में तुलनात्मक रूप से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन कम हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उक्त परियोजना क्षेत्र में कब-कब कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जावेगा ?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली एवं द्वितीय चरण प्रणाली पर वर्ष 1986–87 के पश्चात् वर्ष वार निम्नलिखित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ :—

क्र. सं.	वर्ष	वर्षवार सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वर्ष 1986–87 पश्चात् (हैक्टेयर में)	
		कंवरसेन जलोत्थान प्रणाली	द्वितीय चरण
1.	1987–88	—	23000
2.	1988–89	2449	17000
3.	1989–90	1092	33850
4.	1990–91	140	36500

वर्ष 1986–87 में कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली की सिचाई क्षमता 46797 हैक्टेयर व द्वितीय चरण प्रणाली की 76000 हैक्टेयर थी। वर्ष 1991–92 में 45000 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन करने का लक्ष्य है।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री)

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। प्रथम चरण के कंवर सेन जलोत्थान प्रणाली पर कुल सिंचाई क्षमता 50611 हैक्टेयर है। वर्ष 1990-91 तक 50478 हैक्टेयर क्षमता का सृजन हो चुका था शेष रहा 133 हैक्टेयर क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण सृजन में आना आवश्यक नहीं है।

द्वितीय चरण—उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गत दो वर्षों में तुलनात्मक रूप से वर्षवार अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन कम नहीं हुआ है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में वर्षवार अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निम्न प्रकार प्रस्तावित है :—

वर्ष	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन (हैक्टेयर में)
1992-93	40063
1993-94	48434
1994-95	48448
1995-96	52486
1996-97	52233
योग	241664

नागौर में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत परिवारों का चयन

677. **श्री मोहन लाल (परबतसर)** : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990–91 में जिला नागौर में अन्त्योदय, योजना के अन्तर्गत कुल कितने परिवारों का चयन किया गया ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति का कितना लक्ष्य रखा गया ? किस–किस पंचायत समिति ने कितना–कितना लक्ष्य पूरा कर लिया है ? किस–किस पंचायत समिति का कितना-कितना लक्ष्य बकाया है ? सूची पंचायत समिति वार सदन की मेज पर रखें।

(3) बकाया लक्ष्यों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में जिला नागौर में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुल 9953 परिवारों का चयन माह दिसम्बर, 90 में किया गया। पंचायत समितिवार चयनित परिवारों की संख्या की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समितिवार निर्धारित लक्ष्य, उनकी पूर्ति एवं बकाया लक्ष्यों की सूची परिशिष्ट "ख" पर अंकित कर सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1990–91 में अन्त्योदय के अलग से लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये थे। वर्ष 90–91 में आई. आर. डी. एवं अन्त्योदय दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित परिवारों को लाभान्वित किया गया था।

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

(3) जिले को प्रदत्त लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 678
(स्थगित)

ग्राम पंचायत सूई (बीकानेर) में स्वीकृत निर्माण कार्य

679. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत सूई पंचायत समिति लूणकरणसर जिला बीकानेर में सन् 1988-89, 1989-90 1990-91 एवं 1991-92 में कौन-कौन से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये, कितने पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं ? उक्त कार्यों में कितनी राशि सरपंच द्वारा व्यय की गई, तथा कितनी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है ?

(2) क्या सरपंच द्वारा खर्च की गई राशि और उपयोगिता अथवा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी राशि का अन्तर वसूल करने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और अब विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सूई पंचायत समिति लूणकरणसर जिला बीकानेर में सन् 1988-89, 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य एवं चालू कार्य सरपंच द्वारा व्यय राशि एव उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । पंचायत समिति लूणकरणसर द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है । पंचायत समिति द्वारा वसूली के नोटिस जारी किये जा चुके हैं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान–सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

कोटा, बांरा, झालावाड़ तथा बूंदी में सड़क निर्माण कार्य

680. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कोटा, बारां, झालावाड़ एवं बून्दी जिले में वर्ष 1991–92 मे कौन–कौन सी सड़कें बनाई जाने का प्रावधान रखा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त योजनान्तर्गत निम्न सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है :—

कोटा जिला

1. लुहावद से बाड़ोली वाया लक्ष्मीपुरा

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

2. गणेशगंज से रनोदिया
3. गेता से बमूलिया
4. रामपुरा से बागली
5. रामपुरा से बालूपा
6. इटावा से भाड़ोल

बारां जिला

1. मांगरोल में आजाद चौक से बमोरी कलां सड़क
2. मांगरोल–सीसवाली सड़क से किशनपुरा
3. मांगरोल–सीसवाली सड़क से जलोदा तेजाजी
4. बोहत से हिंगोनिया वाया पारलिया

बून्दी जिला

1. सुमेरगंज मण्डी से बलवन
2. सुमेरगंज मण्डी से पापड़ा वाया सुनारी
3. बाबई से पापड़ा वाया गुढा

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कोटा, बांरा, झालावाड़ एवं बूंदी जिले में वर्ष 1991-92 में जिन सड़कों को बनाये जाने का प्रावधान है वह सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दी जाती है। उक्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(सूची व सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

बीकानेर में जलकुण्ड का निर्माण

681. **श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर):** क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में सन् 1985 से अब तक कुल कितने जलकुण्ड स्वीकृत हुए तथा उनमें से कितने पूर्ण करा दिये गये व अब कितने अधूरे पड़े हैं ? संख्या सन्वार पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जलकुण्ड स्वीकृत एवं पूर्ण होने के बाद भी काफी अर्से से भुगतान बकाया चला आ रहा है ?

(3) कितने जल कुण्डों का (अकाल राहत के तहत निर्मित) भुगतान बकाया है, क्यों है ? क्या सरकार बकाया भुगतान का निकट भविष्य में भुगतान करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1985-86 से 1991–92 तक स्वीकृत पूर्ण एवं अपूर्ण जलकुण्डों की संख्या का विवरण वर्षवार पंचायत समितिवार तथा ग्रामवार परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) मरु विकास एवं जीवनधारा में जैसे जैसे कुण्ड पूर्ण होते जाते हैं वैसे वैसे कनिष्ठ अभियन्ता को भेज कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भुगतान किया जाता रहता है

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

तथा भुगतान बकाया नहीं रहने दिया जाता है। वर्ष 87–88 व 88–89 में अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत पूर्ण हुये एवं अपूर्ण जल कुण्डों की बकाया भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(राशि लाख में)

पंचायत समिति	पूर्ण कुण्ड संख्या	बकाया भुगतान	अपूर्ण कुण्डों की संख्या	बकाया भुगतान
लूनकरणसर	103	5.608	20	0.630
बीकानेर	94	3.813	2	0.113
योग :—	197	9.421	22	0.743

(3) केवल अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत पूर्ण/अपूर्ण 219 जल कुण्डों का रुपये 10.164 लाख का भुगतान बकाया है। अकाल राहत कार्यक्रम बन्द होने के कारण धन राशि प्राप्त नहीं हुई। अतः अकाल राहत में स्वीकृत पूर्ण/अपूर्ण जल कुण्डों की बकाया राशि के भुगतान में विलम्ब हुआ है। राज्य सरकार द्वारा कलक्टर, बीकानेर से निर्धारित प्रपत्रों में बकाया राशि की सूचना एकत्रित की जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

टौंक जिले में उपभोक्ता सामग्री के वितरण में विलम्ब

682. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991-92 में 85 करोड़ रुपये का कृषि आदान वितरित किये जाने के लिये एवं 120 करोड़ रुपये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ता सामग्री वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी समितियां एवं बैंकों की विकास योजना तैयार की गई थी ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(3) क्या यह सही है कि टोंक जिले में धन के अभाव में उपभोक्ता सामग्री का वितरण लम्बे समय से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है और अब नियमित उपभोक्ता सामग्री वितरण करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां । जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर रख दी गई ।

(2) जी हां । योजना प्रारूप की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध करा दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., केकड़ी में गबन का मामला

683. **श्री शम्भू दयाल बडगूजर (केकड़ी), श्री सांवरलाल (भिनाय)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या केकड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., केकड़ी के व्यवस्थापक श्री बंशीधर चौबदार को गबन, घोटालों के आरोप में निलम्बित किया गया था । यदि हां, तो उन्हें पुनः क्यों और किस आधार पर बहाल किया गया ?

(2) श्री चौबदार को पुनः बहाली पर कब व कुल कितना भुगतान किया गया ? श्री चौबदार की पुनः बहाली के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या श्री चौबदार को पुनः निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन आरोपों के आधार पर ?

(4) क्या श्री चौबदार के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो किस स्तर पर, एवं यह विभागीय कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । केकड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री बंशीधर चौबदार को गबन आदि के आरोप में समिति के प्रशासक ने 23.6.90 को निलम्बित किया था । बाद में प्रशासक ने एक वर्ष से अधिक अवधि निलम्बन के हो जाने पर 30.10.91 को उसे बहाल किया सहायक रजिस्ट्रार ब्यावर ने बहाली के इस आदेश को राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के नियम 41 में निरस्त कर दिया । संयुक्त रजिस्ट्रार ने श्री चौबदार के प्रार्थना-पत्र पर सहायक रजिस्ट्रार के उपरोक्त निर्णय को निरस्त कर दिया । अतः श्री चौबदार पुनः बहाली की स्थिति में आ गया । चूंकि संयुक्त रजिस्ट्रार का उपरोक्त आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था अतः इसे सहायक रजिस्ट्रार ने नहीं माना और निलम्बन के अपने पूर्व आदेश 25 नवम्बर, 91 को प्रभावी माना ।

(2) श्री चौबदार को 30.10.91 को

(72)

(सहकारिता मंत्री)

हुई बहाली के बाद उसे निम्न भुगतान किया गया :—

		रुपये
1. वेतन वृद्धि एरियर (जन., 90 से नव. 91)		1797.90
2. मंहगाई भत्ता एरियर (जुलाई, 88 से सित., 91)		7952.25
3. मंहगाई भत्ता (जुलाई, 91 से अक्टूबर 91)		1406.00
4. वेतन माह नवम्बर, 91		5011.00
5. अक्टू. 91 का निर्वाह भत्ता		3308.50
	कुल योग	19475.65

बहाली आदेश निरस्तीकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दर्ज की हुई है। इस रिट पर बहाली के लिए किसी अधिकारी विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) जी हां। श्री चौबदार इस समय निलम्बन में हैं उनके विरुद्ध निम्न आरोप हैं :—

1. रुपये 17.74 लाख के गबन घोटाले एवं दुरुपयोग करना।

2. स्वयं के स्वार्थ के कारण राशन डीलरों को धन राशि का अन्य मदों में विनियोजन करना।

3. रुपये 8.57 लाख की भारी राशि उधार देकर संस्था को निष्क्रय करना।

4. बिना किसी नियम एवं प्रक्रिया अपनाये संस्था की साख को हानि पहुंचाना।

5. बिना वाऊचर्स के संस्था कर्मचारियों को अग्रिम राशि देना।

6. प्रधान व्यवस्थापक के पद का दुरुपयोग करना।

(4) जी हां। संस्था स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है। निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही शीघ्र पूरी कराई जा रही है।

को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर द्वारा विज्ञापित वाहन चालकों के पद

684. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेहरू बाजार, जयपुर ने माह नवम्बर, 1988 में वाहन चालकों के चार पद अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को भरने बाबत विज्ञापन निकाला था ?

(2) यह विज्ञापन राज्य सरकार की रोस्टर प्रणाली के मुताबिक किन-किन बिन्दुओं को भरने बाबत था ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान की रोस्टर प्रणाली के अनुसार नियमित चयन होने के बाद भी 30-6-1991 को इन अनुसूचित जाति/जनजाति के वाहन चालकों की सेवाएं उक्त बैंक द्वारा सरप्लस मानकर समाप्त कर दी गई है जबकि सामान्य वर्ग के वाहन चालक नियमित वेतन शृंखला में चयनित नहीं होने पर भी

(श्री भंवरलाल)

700/- रु. प्रति माह पर कार्य करते रहे थे ? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरप्लस किये गये सभी वाहन चालक अनुसूचित जाति/जन-जाति के हैं ? यदि हां, तो सिर्फ इन्हें ही क्यों सरप्लस किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विज्ञापन नहीं निकाला गया बल्कि बैंक में ड्राइवर वर्ग में रिक्त पदों पर योग्य आशार्थियों का चयन हेतु जिला नियोजन कार्यालय, जयपुर से अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु रखने वाले आशार्थियों की सूची चाही गई।

(2) ड्राइवर वर्ग में विद्यमान एक अनु. सूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के बैंक लाग को भरने सहित इस वर्ष में 4 अस्थाई पदों को भरने हेतु रोस्टर प्रणाली के अनुसार रोस्टर बिन्दु संख्या 7 पर एक अनुसूचित जाति के आशार्थी का चयन किया जाना वांछित था। एवं रोस्टर बिन्दु सं. 1 पर अनुसूचित जनजाति के बैकलाग को भर लिया गया था।

(3) बैंक द्वारा जिन ड्राइवरों की छंटनी की गई थी वे अस्थाई तौर पर संविदा के आधार पर कार्यरत थे। बैंक को स्टोरेज प्रोजेक्ट योजना के समाप्ति पर होने एवं बैंक द्वारा अन्य पदों के साथ साथ वाहन चालकों के 2 पद समाप्त करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ड्राइवर वर्ग में कनिष्ठतम 2 वाहन चालकों की सेवाएं बैंक से दि. 30.6.91 से छंटनी की गई थी। सामान्य वर्ग के वे वाहन चालक जो रु. 730.00 प्रतिमाह कन्सोलीडेटेड वेतन पर कार्यरत थे, वे भी संविदा के आधार पर अस्थाई तौर पर कार्यरत थे एवं छंटनी किए गए वाहन चालकों में वरिष्ठ थे। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के उक्त दो वाहन चालक जो कि वर्ष 1980 एवं 1982 से संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए थे, द्वारा उनकी सेवाएं बैंक में नियमित किए जाने बाबत. बैंक के विरुद्ध माननीय राज. उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बैंक द्वारा इन वाहन चालकों हेतु वाहन चालक वर्ग में 2 पद रिक्त रखे हुए थे एवं केसों के निस्तारण तक उन्हें यथावत वेतन भुगतान किया जाना था। फलत: वर्ष 1982 में संविदा के आधार पर नियुक्त वाहन चालकों को नियमानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन केसों के कारण बैंक सेवा से छंटनी नहीं किया जा सकता था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार उक्त दोनों वाहन चालकों को नियमित वेतन शृंखला दी चुकी हैं।

(4) बैंक की स्टोरेज प्रोजेक्ट योजना के समाप्ति पर होने एवं अन्य पदों के साथ साथ बैंक द्वारा वाहन चालक वर्ग से 2 पद समाप्त किए जाने के कारण बैंक में संविदा के आधार पर अस्थाई रूप से कार्यरत कनिष्ठतम वाहन चालक जो कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे, की सेवाएं दिनांक 30.6.91 से छंटनी की गई थी। छंटनी किए गए वाहन चालक वर्ग

(सहकारिता मंत्री)

वरिष्ठता सूची में कनिष्ठतम होने के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार इनकी छंटनी की गई थी।

वन विभाग, सिरोही द्वारा प्रेषित नक्शा

685. **श्री टीकम चन्द कान्त** (रेवदर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के वन विभाग द्वारा कोई नक्शा वन क्षेत्र को अंकित करते हुए खनिज विभाग को प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(2) ऐसे कौन-कौन से मण्डल व जिले हैं जिनके द्वारा उक्त अंकन प्रस्तुत नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस अंकन के अभाव में खनिज विभाग की आवंटन क्षमता प्रभावित होती है और विकास में बाधा व विलम्ब उत्पन्न होता है ?

उत्तर

(1) जी हां। वन क्षेत्र में खनन की समस्या के समाधान हेतु उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में मण्डल वन अधिकारी, सिरोही द्वारा वन क्षेत्र अंकित करते हुए नक्शे दिनांक 1-2-92 व 5-3-92 को खनिज विभाग को दिये गये हैं।

(2) संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित वन मण्डलों ने वन क्षेत्र अंकित कर नक्शे खनिज विभाग को नहीं भिजवाये हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

छबड़ा की पौधशाला के पौधों की बिक्री

686. **श्री नन्द किशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) छबड़ा में कितने पौधशालाएं हैं और उनमें कितने पेड़ हैं ? सरकार की उनमें कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या गत वर्ष पौध शाला के पौधों की बिक्री में गड़बड़ी हुई थी ? यदि हां, तो क्या व कितनी राशि की ? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये ?

उत्तर

(1) छबड़ा रेंज के छबड़ा मुख्यालय पर एक पौधशाला है जिसमें 50000 पौधे हैं। इन पर फरवरी, 1992 तक रुपये 17,500/– की राशि व्यय की गई ?

(2) जी हां। रुपये 3000/– की राशि निर्धारित शुल्क से अधिक लेकर पौधे विक्रय किये गये। जांच में क्षेत्रीय वन अधिकारी, छबड़ा एवं पौधशाला इन्चार्ज छबड़ा दोषी पाये गये।

टोडारायसिंह व देवली क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय

687. **श्री घासीलाल** (टोडारायसिंह) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;–

(श्री घासीलाल)

(1) टोडारायसिंह व देवली तहसील क्षेत्र में 1991 की गणना के अनुसार कितने पशु व भेड़ बकरियां हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु औषधालय खोलने का सरकार का क्या मान दण्ड है, पशुपालन या क्षेत्रफल ?

(3) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह व देवली तहसील क्षेत्रों में सरकार के मान दण्ड के हिसाब से पशु औषधालय नहीं हैं ? यदि हां तो क्या सरकार नये पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(4) टोडारायसिंह व देवली तहसील क्षेत्र में कितने पशु औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की पशु गणना नहीं की गई है। अन्तिम पशुगणना 1988 के अनुसार तहसील टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में विभिन्न किस्म के पशुओं तथा भेड़-बकरियों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

तहसील	भेड़-बकरियों की संख्या	अन्य पशुधन की संख्या	कुल योग
टोडारायसिंह	1,17,917	84,084	2,02,001
देवली	1,62,463	1,05,588	2,68,051

किस्मवार पशुओं की संख्या की सूची "क" संलग्न है।

(2) नया पशु औषधालय खोलते समय पशु संख्या क्षेत्र में पूर्व से कार्यशील पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे—भवन, डाक व्यवस्था आवागमन के साधन आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(3) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष में नये पशु औषधालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) वर्तमान में टोडारायसिंह तहसील क्षेत्र में 4 तथा देवली तहसील क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। स्थानों की सूची "ख" संलग्न है

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

गो-पाल योजनान्तर्गत प्रशिक्षित युवकों को रोजगार

688. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा गो-पाल योजना चालू की गई थी ?

(2) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितने-कितने शिक्षित नवयुवकों का किस-किस जिले में चयन किया गया एवं कहां-कहां पर किन-किन युवकों को प्रशिक्षित किया गया ?

(3) इन प्रशिक्षित युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और इससे कितने लोग लाभान्वित हो सके, इस पर कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990-91 से सघन पशु विकास कार्य हेतु 'गोपाल' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

(2) निम्नांकित जिलों के समक्ष अंकित संख्या में शिक्षित नवयुवकों का चयन कर उन्हीं जिला मुख्यालयों पर कृत्रिम गर्भाधान की विधियों का प्रशिक्षण दिया गया है—

क्र. सं.	जिले का नाम	संख्या
1.	बांसवाड़ा	28
2.	चित्तौड़गढ	27
3.	डूंगरपुर	28
4.	उदयपुर	26
5.	कोटा	20
6.	बूंदी	23
7.	झालावाड़	27
8.	टौंक	26
9.	सवाई माधोपुर	'28
10.	धौलपुर	25
	योग :	258

(3) इन प्रशिक्षित गोपालों को कृत्रिम गर्भाधान के उपकरण, हिमकृत वीर्य, तरल नाइट्रोजन तथा बधियाकरण संबंधी उपकरण आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक गोपाल को प्रथम तीन वर्ष तक मानदेय भत्ता दिया जाता है तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में 5/– रुपये प्रति बधियाकरण एवं 10/– रुपये प्रति उन्नत गौवत्स उत्पत्ति पर दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम पर 48.02 लाख रुपयों की राशि व्यय होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक जिलेवार किये गये कार्य की प्रगति का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

नव सृजित एवं क्रमोन्नत पशु औषधालय

689. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1991-92 में प्रदेश में कितने

(श्री छगनलाल)

पशु औषधालय नये खुले और कितने औषधालय क्रमोन्नत हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1991-92 में प्रदेश में नये पशु औषधालय नहीं खोले गये हैं। 75 पशु औषधालयों को क्रमोन्नत कर पशु चिकित्सालय बनाया गया है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पशु चिकित्सकों के वेतनमान

690. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु चिकित्सकों के वेतनमान शुद्धिकरण बाबत विधान सभा में आश्वासन देने के उपरान्त भी आज तक पशु चिकित्सकों के वेतनमानों का शुद्धिकरण क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या अब राज्य सरकार इनका वेतनमान बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों की तरह फीस लेने तथा नॉन प्रेक्टिस भत्ता देने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जबकि केन्द्रीय सरकार नॉन प्रेक्टिस भत्ते को वेतन मानकर ही समस्त लाभ देती है ?

(4) पशु चिकित्सकों को चयनित वेतनमान न देने के क्या कारण हैं जबकि मानव चिकित्सकों को चयनित वेतनमान दिया जा रहा है ?

(5) क्या पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों की तरह ग्रामीण भत्ता नहीं दिया जा रहा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में मामला समता समिति के विचाराधीन है।

(2) निर्णय के आधार पर ही इस संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों की तरह फीस लिया जाना निर्धारित नहीं किया हुआ है। राज्य सरकार इसके बारे में विचार कर रही है। अभी तक नॉन प्रेक्टिस भत्ता राज्य सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है।

(4) वर्तमान में मानव चिकित्सकों को चयनित वेतनमान देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) मानव चिकित्सकों की तरह पशु चिकित्सकों को ग्रामीण भत्ता देने का प्रावधान नहीं है।

पशुपालन सेवा के वाहनों का अधिग्रहण

691. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन सेवा आपातकालीन सेवा है ? यदि हां, तो

(श्री रामप्रसाद)

जिला प्रशासन द्वारा इनके वाहनों को अधिगृहित किस नियम के तहत किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आपातकालीन सेवार्थी खासकर चिकित्सक को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ? पशुपालन सेवा आपातकालीन सेवा नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा पशुपालन विभाग के वाहनों का अधिग्रहण सामान्य प्रशासन (ग्र प–1) विभाग की आज्ञा संख्या 23 (3) सा.प्र.–1/87 दिनांक 5–6–90 के अन्तर्गत किया जाता है (प्रति संलग्न है) "ए"

(2) जी हां। अगर आवश्यकता हो तो लगाया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

को–आपरेटिव डेयरी फैडरेशन में कार्यरत अधिकारी

692. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री सी.के. राय नाम का कोई अधिकारी या कर्मचारी राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन की सेवा में हैं ? यदि हां तो वर्तमान में वह कहां कार्यरत है ? इस फैडरेशन में आने के बाद कहां-कहां व कितने-कितने समय तक रहे ?

(2) क्या श्री राय के विरुद्ध किन्हीं प्रकरणों के तहत जांच चल रही है ? यदि हां, तो किन–किन प्रकरणों में, एवं जांच की क्या स्थिति है ?

(3) क्या डेयरी प्रबन्ध या सरकार की मंशा श्री राय के विरुद्ध कार्यवाही करने की नहीं है।

उत्तर

(1) जी हां। श्री सी.के. राय नाम के एक अधिकारी राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की सेवा में है। श्री राय वर्तमान में डेयरी संयंत्र, अलवर इकाई में प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। श्री सी.के. राय फैडरेशन की सेवा में आने पर निम्नांकित स्थानों पर प्रबन्धक पद पर पदस्थापित रहे—

1. 7.10.81 से 20.3.83 जयपुर डेयरी
2. 21.3.83 से 25.2.85 अजमेर डेयरी
3. 26.2.85 से 28.2.85 हनुमानगढ़ डेयरी
4. 1 3.85 से 31.12.85 मुख्यालय
5. 1.1.86 से 12.10.86 अलवर डेयरी
6. 13.10.86 से 3.7.90 बीकानेर डेयरी
7. 4.7.90 से 11.8.91 जोधपुर दुग्ध संघ
8. 12.8.91 से 26.12 91 अजमेर दुग्ध संघ
9. 27.12.91 से लगातार अलवर डेयरी

(डेयरी राज्य मंत्री)

(2) जी हां। श्री राय के विरुद्ध निम्न तीन प्रकरणों के तहत जांच चल रही है :—

(अ) अलवर डेयरी में घी खराब हो जाने बाबत।

(ब) बीकानेर डेयरी में पदस्थापन के दौरान अनियमितताओं के संबंध में।

(स) अजमेर के पदस्थापन के दौरान कथित अनियमिततायें।

उपरोक्त दो मामले महानिदेशक राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को जांच हेतु भेज दिये गये है, व तीसरे मामले को भी अन्वेषण ब्यूरो को भिजवाये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं, जांच की जा रही है।

स्टेशनरी के क्रय हेतु टैण्डर्स

693. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991–92 में किस–किस आइटम की स्टेशनरी के टैण्डर कितनी–कितनी मात्रा के आमंत्रित किये गये इनमें से किस–किस आइटम्स के क्रयादेश कितनी-कितनी मात्रा के अब तक जारी किये जा चुके हैं, बाकी आइटम्स की खरीद क्यों नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या टैण्डर की शर्तों के अनुसार टैण्डर में मांगी मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक का क्रयादेश जारी किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस आइटम की खरीद टैण्डर में मांगी मात्रा से अधिक की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कुछ आइटम्स की खरीद 25 प्रतिशत से अधिक की किन परिस्थितियों में की गई ?

(4) जिन आइटम्स की खरीद वर्ष 1991–92 में नहीं की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 1991-92 में कुल कितने स्टेशनरी आइटम्स के अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा किन-किन कार्यालयों को जारी किये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 में लेखन सामग्री हेतु जिन जिन आइटम्स हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गई व कितनी कितनी मात्रा हेतु क्रयादेश जारी किये गये उनकी सूची संलग्न है (तालिका "क") शेष आइटम्स की खरीद फर्मों के असफल रहने के कारण एवं क्रय समिति के निर्णयानुसार नहीं की जा सकी।

(2) जी, हां। निविदा शर्तानुसार निविदा में मांगी गई मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक सामग्री का क्रयादेश दिया जा सकता है। निविदा में मांगी गई मात्रा से अधिक क्रय की गई सामग्री की सूची संलग्न है (तालिका "ग")।

(3) कुछ आइटम्स की खरीद 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में विभागों की मांग की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा अनुमोदित दरों पर क्रय की गई।

(मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री)

(4) वर्ष 1991-92 में क्रय नहीं की गई सामग्रियों की सूची संलग्न है। (तालिका "ख")

(5) वांछित सूचना की सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर के विद्यालयों में छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

694. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में विभिन्न विद्यालयों से छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 1991-92 में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में विभिन्न विद्यालयों से छात्रवृति हेतु वर्ष 1991–92 में कुल 9466 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रखदी गई है।

(2) इन प्राप्त आवेदन पत्रों में से 8871 की स्वीकृति जारी कर दी गई है। शेष 595 की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष 1991-92 में जारी कर दी जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाल्मीकी ग्राम विकास योजना के तहत चयनित ग्राम

695. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है वहां चरणबद्ध विकास के लिए बाल्मीकी ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि 100 गांवों का चयन कर इनका विकास किया जाना था ? यदि हां, तो राज्य में किस-किस जिले में किन-किन गांवों का चयन किया गया एवं उनके विकास पर किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1991–92 में बालिमकी ग्राम विकास योजना राज्य के 100 गांवों में चालू की गई है।

(2) जी हां। जिलेवार चयनित ग्रामों की सूची एवं निर्धारित राशि सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक गांव के विकास के लिये 0.50 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। विकास कार्य सम्पन्न कराने के लिये यह राशि सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खाते में हस्तान्तरित

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

कर जिला कलक्टर्स को चयनित ग्राम में गांव की आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य स्वीकृत करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

696. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर-पूर्व) क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दम्पत्ति को पांच हजार रुपये अनुदान दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि योजना में दम्पत्ति की राशि दिये जाने की शर्त यह भी है कि दम्पत्ति की मासिक आय 1000/ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये जबकि न्यूनतम मजदूरी 22/- रुपये दैनिक है यानि पति पत्नी मिलकर 44/- रु. प्रतिदिन अर्थात् माह में 1320/ रुपये कमाते हैं ? तब क्या राज्य सरकार की यह योजना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार आय सीमा बढ़ाने हेतु क्या विचार रखती है ?

(3) अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने निरस्त हुए और निरस्त होने के कारण क्या रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना में शर्त यह है कि दम्पत्ति की मासिक आय 1100/ रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिये। आय सीमा बढ़ाने का मामला विचारणीय है।

(3) अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में अन्तर्जातीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से एक आवेदन पत्र आवेदन कर्ता द्वारा आय प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त हुआ।

धर्म परिवर्तित अनुसूचित जाति जन जातियां

697. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 नव बौद्धों की भांति राज्य सरकार क्या अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों जिन्होंने ईसाई या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है, अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में लेने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह एक नीतिगत प्रश्न है, जो विचारणीय है।

समाज कल्याण परियोजना, बालोतरा की अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार के आरोप

698. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा की समाज कल्याण परियोजना की पूर्व अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट अ, ब, स, में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रकरण में जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं, जांच के उपरान्त ही तथ्य सामने आ पायेंगे ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महिलाओं के लिए अल्पकालीन आवास गृह योजनायें

699. **श्री हीरालाल आर्य**(पीपल्दा) : एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विभाग द्वारा महिलाओं के लिए अल्पकालीन आवास गृह योजनाएं कहां-कहा पर संचालित हैं ? विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें। नाम संस्था, स्थान, संचालक का नाम, पूरा पता, लाभान्वित महिलाओं की संख्या एवं दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण। संस्था को प्रतिवर्ष कितना अनुदान किस–किस कार्य हेतु दिया जाता है ?

(2) क्या उक्त संस्थाओं का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जाता है ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

उत्तर

(1) परिशिष्ट "अ" के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) संस्थाओं का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय केन्द्रीय राज्य समाज कल्याण बोर्ड अथवा राज्य समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

700. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहां

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

पर उच्च प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां पर टी. ए. डी. ए. के छात्रावास प्रारम्भ कर जन जाति के छात्र व छात्राओं की पढ़ाई का लाभ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1 जी हां । यह राज्य के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

वृद्धावस्था पेन्शन

701. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में कितने व्यक्तियों की वृद्धावस्था एवं अपाहिज अपंग पेन्शन में कितनी राशि दी जा रही हैं ?

(2) जोधपुर शहर के कितने व्यक्तियों के प्रार्थना–पत्र जांच हेतु जांच अधिकारी के पास लम्बित पड़े हैं ? यदि लम्बित हैं, तो उसके क्या कारण हैं ? लम्बित प्रार्थना–पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में 2796 वृद्ध एवं विधवाओं तथा 547 अपंग व्यक्तियों कुल 3343 व्यक्तियों को पेन्शन विभाग द्वारा दी जा रही है । जिस पर लगभग 42.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय किया जा रहा है।

(2) जोधपुर शहर में वृद्धावस्था एवं अपंग पेन्शन हेतु 139 मामले जांच अधिकारी तहसीलदार जोधपुर के पास विचाराधीन है । अधिकांश विचाराधीन प्रार्थना पत्र निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में विचाराधीन हैं जिन्हें पूरा करवाने हेतु भू. अ. निरीक्षक को आवेदकों से सम्पर्क कर पूरा करवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है । विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जालौर एवं सिरोही जिले के छात्रावास

702. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर एवं सिरोही जिलों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने छात्रावास हैं ?

(2) इन छात्रावासों में कुल कितने छात्रों को रखने की व्यवस्था है ?

(3) वर्ष 1990–91 में इन जिलों में कितने नये छात्रावास खोले गये ?

(4) नये खोले गये छात्रावासों में से कितनों ने कार्य प्रारम्भ किया है ।

(5) यदि छात्रावासों ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है, तो उसके क्या कारण हैं तथा वे कब तक कार्य प्रारम्भ कर देंगे ।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के छात्रों के

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

लिए जालौर जिले में 4 छात्रावास तथा सिरोही जिले में 6 छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं।

(2) इन छात्रावासों में कुल 340 छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था है।

(3) वर्ष 1990-91 में इन जिलों में कोई नया छात्रावास नहीं खोला गया।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बाड़मेर जैसलमेर के छात्रावासों में भील जाति के छात्र

703. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बाड़मेर, जैसलमेर के विभिन्न छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति की भील जाति के कितने छात्र हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बाड़मेर, जैसलमेर के विभिन्न छात्रावासों में अनुसूचित जन जाति की भील जाति के 227 छात्र हैं, इनकी तह–सीलवार सूची परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 3 मार्च, 1992)

देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों का राजकीय विभागों में बकाया किराया

204. **श्री हीरालाल आर्य(पीपल्दा)** : एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के मन्दिरों तथा अन्य भवनों को राज्य सरकार के विभागों को किराये पर दिया हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे मन्दिर व भवन का नाम, विभाग का नाम और मासिक किराया तथा यदि किराया बकाया हो, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग को किराये की कुल कितनी रकम वसूल करनी है ?

(3) क्या विभाग विभिन्न कार्यालयों से बकाया रकम को शीघ्र वसूल करने के प्रति सचेष्ट है ? यदि हां, तो किराया कब तक वसूल कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, राजकीय मन्दिरों के भवनों में चल रहे राजकीय विभागों के मासिक किराये तथा दिनांक 31.1.92 तक के बकाया किराये की सूची संलग्न कर दी गई है।

(2) विभाग को राजकीय विभागों में दिनांक 31. 1. 92 तक बकाया किराये की कुल 13,08,045/- रुपये की राशि वसूल करनी है।

(देवस्थान राज्य मंत्री)

(3) जी हां। इस संबंध में तत्परता पूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल मुझे बहुत से माननीय सदस्य मिले और सभी दलों के सचेतक भी मिले और उन्होंने कहा कि कल चूंकि होली है इसलिए आज सदन की कार्यवाही 5 बजे तक समाप्त कर दी जाय। इस विचार से मैंने आज....(व्यवधान) 6.00 बजे तक कर लेना, वह तो आपकी मर्जी है। इसलिए आज जितने भी 295 के हैं, करीब 55 उल्लेख जिनके नाम मैं सुना दूंगा, वे पढ़े हुए मान लिए जायेंगे और एडजोर्नमेंट मोशन में जो सूचनायें हैं वे पढ़कर सुना देता हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भंवर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ के सब-ग्रिड स्टेशन सालासर पर जिला सीकर के गांवों का विद्युत लोड बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामप्रसाद, श्री यदुनाथ सिंह और श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के कतिपय गांवों में भयंकर अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को आवास एवं सरकारी सहायता दिलवाने के संबंध में।

(3) श्री लक्ष्मीलाल, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर और श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री रामनारायण पुत्र श्री प्रभूलाल गुर्जर निवासी गांव करजूना तहसील अटरू जिला बारां की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिरला हायर सैकण्डरी स्कूल, झुंझुनू में कार्यरत अध्यापक श्री ऋषिराज शर्मा के पिलानी से लापता होने की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में।

(5) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में भयंकर अकालग्रस्त घोषित होने के बावजूद भी राजस्व वसूली में किसानों को तंग किये जाने के संबंध में।

(6) श्री रामनारायण वर्मा और श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले में हो रही संगीन चोरियों एवं लूटपाट के मामलों में मुलजिमान को पकड़ने व माल बरामद करने में हो रही असफलता से निपटने हेतु समुचित उपाय किये जाने के संबंध में।

(7) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बे नापासर में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट

(श्री अध्यक्ष)

तहसील में पुलिस की कथित निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) प्रो. केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर राजऋषि कॉलेज में 10 मार्च को वार्ड प्रिंसिपल श्री रघुवर दयाल पारीक पर कथित हमले से अलवर की सब शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री बी.डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से गवर्नमेंट प्रेस, बीकानेर में अलवर, भरतपुर तथा राजस्थान के बाहर के निवासियों को बीकानेर का निवासी बनाकर अप्रेन्टिस के पदों पर प्रशिक्षण गैर-कानूनी तरीके से देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) डा. चन्द्रभान, श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 9 मार्च, 1992 को भीलवाड़ा नगर में मनाये गये शहीद दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के आचरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मोहन लाल बारूपाल एवं 3 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तहसील जायल के ग्राम रोटू में रामदेवरा नामक स्थान पर जी.एल.आर. योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के संबंध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि ग्राम रोटू में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की मांग के अनुरूप 2.00 लाख लीटर क्षमता का भूतल जलाशय बनाया जाकर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ग्राम को स्वच्छ पेयजल, ग्राम खियाला एवं जायल स्थिति स्रोतों से दिया जाना है। वर्तमान में स्थानीय कुएं को चालू किया जाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) श्री घासीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर परियोजना की पाइप लाइन ग्राम भासू व थडोली की आबादी क्षेत्र से दूर पूर्व स्वीकृत योजना के अनुसार ही डाले जाने के संबंध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि एक प्रस्ताव यह भी है जिसमें पाइप लाइन डूब में आने वाले क्षेत्र के बाहर होगी। एक नये प्रस्ताव में पूर्व प्रस्ताव की तुलना में पाइप लाइन की लम्बाई 1005 मीटर अधिक होगी। इस अतिरिक्त लम्बाई की लागत खंभों पर पाइप लगाने की लागत की तुलना करने पर अधिक लम्बाई में पाइप लगाना संभवतया सस्ता होगा। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। जहां तक आबादी क्षेत्र से दूरी का प्रश्न है, दोनों ही प्रस्तावों की स्थिति लगभग समान है। इतना ही नहीं, नवीन प्रस्ताव के अनुसार पाइप लगाने पर वह भूमिगत होंगे व स्थानीय आबादी को न्यूनतम अवरोध होगा।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय

(श्री अध्यक्ष)

लोक महत्व के नहीं हैं। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में इन्जीनियरिंग कालेज खुलवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन के मंदिर श्री हरिदेवजी में डकैती हो जाने के संबंध में।

(3) श्री घासीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली तहसील के सिंचाई विभाग के बांधों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

(4) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, अजमेर के सहायक अभियन्ता कार्यालयों के कार्यक्षेत्र पुनर्सीमांकन के संबंध में।

(6) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में श्रमजीवी मुद्रांक विक्रेताओं के साथ राज्य सरकार द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किये जाने के संबंध में।

(7) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नाटई व फरेदुआ, तहसील शाहबाद, जिला बारां में विस्थापित बंगाली परिवारों का संवत 2033-36 का सिंचाई कर माफ करने के संबंध में।

(8) श्री गोपाल सिंह (32), सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले को अकालग्रस्त जिला घोषित करने व राहत कार्य शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री घासीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह कार्यालय सहायक अभियन्ता में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने तथा कार्यालय को जीप व ट्रक उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की सात तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित नहीं करने तथा उनके राहत कार्य शुरू नहीं करवाने के संबंध में।

(11) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरसागर, जोधपुर में श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री धन्नालाल की दहेज के कारण कथित हत्या किये जाने के संबंध में।

(12) श्री घासीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पथ परिवहन निगम की ग्रामीण सेवा शुरू करवाने के संबंध में।

(13) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना खैरवाड़ा को 1989 में कथित आवंटित की

(श्री अध्यक्ष)

गयी जीप प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर नगर में पत्थर उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होने व मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

15. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशरयाली से सागवाड़ा, वाया मूदर सड़क का डामरीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

16. श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से डेगाना (नागौर) क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत तथा उनकी मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

17. श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटित कर खातेदारी हक दिलवाये जाने के संबंध में।

18. श्री रामकरण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी मेड़ता सिटी को आस-पास के गांवों से सम्पर्क सड़कों का निर्माण कर जोड़े जाने के संबंध में।

19. श्री रामकरण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से मेड़ता सिटी के कतिपय गांवों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

20. श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना के गांव पालड़ी तहसील नावां में स्थित पानी बहाव पर बांध नहीं बनाने से भूमि खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

21. श्री अचलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका सादड़ी जिला पाली की वित्तीय स्थिति बहुत खराब होने से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में।

22. श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र, बेगूं में पेयजल के गम्भीर संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

23. श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मुख्य मंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों द्वारा पिछले सात साल में सदन में जितने प्रकरणों की जांच की घोषणा के सन्दर्भ में किन-किन अधिकारियों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

24. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा में वन व्यापार मण्डल का बिक्री केन्द्र बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

25. श्री जुबेरखां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय, रामगढ़–अलवर में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में।

26. श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर संभाग मुख्यालय पर विद्युत विभाग का अतिरिक्त

(श्री अध्यक्ष)

मुख्य अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

27. श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत विभाग अजमेर (सिटी पावर) में हैल्पर के पद पर कार्यरत श्री रतनलाल की मृत्यु सेवा में रहते होने पर उसके सभी क्लेम्स का भुगतान उसके वारिशों को करने के सम्बन्ध में।

28. श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

29. श्री गोपाल सिंह (खंडेला), सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमाधोपुर जिला सीकर में बाई पास रोड बनाने के सम्बन्ध में।

30. श्री कन्हैयालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 13.12.1992 (13.12.1992 आई ही नहीं) को एफ.आई. आर. नम्बर 26/91 थाना बजाज नगर में श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री भैरूंलाल द्वारा दर्ज रिपोर्ट की जांच किसी उच्च अधिकारी या गुप्तचर शाखा से करवाये जाने के संबंध में।

31. श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अवैध विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में।

32. श्री दिलसुखराय चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड एसोसियेशन, राजस्थान, जयपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही भारी अनियमितताएं व आर्थिक घोटालों के सम्बन्ध में।

33. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा से पंचायत मुख्यालय जावासा तक सड़क का डामरीकरण करने के संबंध में।

34. श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में अवैध वन कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

35. श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के वार्ड नं. 9 के डोबी (गन्दे पानी का तालाब) में नगर पालिका व निवासियों द्वारा कचरा डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

36. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से विश्वकर्मा औद्योगिक नगर, जयपुर में नये उद्योगों को कच्चे माल पर घोषित उद्योग नीति के विरुद्ध चुंगी वसूली जाने के सम्बन्ध में।

37. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश की पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

38. श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं

(श्री अध्यक्ष)

कराने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

39. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर, जैसलमेर के भयंकर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में अनाज की मात्रा बढ़ाने तथा उचित मूल्य की दुकानों की संख्या की वृद्धि करने के संबंध में।

40. श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बलात्कार, दहेज लोभी व्यक्तियों द्वारा महिलाओं की हत्या तथा महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के सम्बन्ध में।

41. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले में भयंकर अकाल की चपेट में होने तथा अकालग्रस्त घोषित कर अकाल राहत कार्य शुरू करवाये जानेके सम्बन्ध में।

42. श्री रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र थाना–गाजी के गांव झीरी में गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

43. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर में बस स्टेण्ड नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

44. श्री चुन्नीलाल खण्डार, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रोजेक्ट रेंज खण्डार, सवाई माधोपुर व टाईगर प्रोजेक्ट रेंज के रेंजर की हंसदेव सैनी पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में।

45. श्री माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से शेखावाटी के प्रवासी लोगों की बैठकें आयोजित कर झुन्झुनूं जिले की बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु समुचित कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

46. श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

47. श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति अन्ता जिला बारां के अन्दर पंचायत समिति की राशि का भारी दुरूपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

48. डा. चन्द्रभान, सदस्य विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले के मण्डावा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था में सुधार कर स्थानीय जनता को राहत दिलवाने के सम्बन्ध में।

49. श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले में सड़कों, पुलों के निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

50. प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के 132 के. वी. ए. विद्युत सबग्रिड स्टेशन को 220 के. वी. ए. में अपग्रेड करने के सम्बन्ध में।

51. श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नावां, कुचामन

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्र में विद्युत सप्लाई में सुधार करने के सम्बन्ध में।

52. श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही नगर स्थित आवासन मण्डल के निर्माणाधीन दो मकान गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

53. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से 16–17 अगस्त, 1988 को झोटवाड़ा आउटर सिग्नल के पास 26 वर्षीय अरविंद का शव मिलने पर पुलिस द्वारा समुचित जांच न किये जाने के संबंध में।

54. श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से देवस्थान के मंदिरों में चल रहे सरकारी किरायेदारी के स्कूल भवनों के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से छात्रों को होने वाली हानि के संबंध में।

55. श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से कला महाविद्यालय, अलवर के उप प्राचार्य श्री रघुवर दयाल पर हुए कथित घातक हमले के संबंध में।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि उपरोक्त समस्त प्रस्ताव पढ़े हुए माने जायेंगे जिनके उत्तर आपको प्राप्त हो जायेंगे। (व्यवधान)

(प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

समिति का प्रतिवेदन। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री अमृतलाल परमार : पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' का प्रतिवेदन

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1991–92 पुरातत्व एव संग्रहालय विभाग से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह शेखावत, प्रभारी मंत्री अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक....

डा. रतनलाल जाट (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

(92)

डा. रतनलाल जाट (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

व्यवस्था

प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

डा. चन्द्रभान : हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष : वह सब आ जायेगा। श्री सुरेन्द्र व्यास ने इस सम्बन्ध में....

श्री अमृत लाल परमार : हमारे क्षेत्र के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आपने जो प्रस्ताव भेजा था उसके एक अंश को मैंने अस्वीकार किया है और उसकी मैं आपको व्यवस्था सुना देता हूं। इस विधान सभा के माननीय सदस्यगण श्री सुरेन्द्र व्यास व 11 अन्य ने दिनांक 25.2.92 को एक प्रस्ताव विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालान संबंधी नियमों के नियम 119 के अधीन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी, जयपुर के अध्यक्ष पद से डा. रतनलाल जाट का मनोनयन वापस लेने संबंधी एवं मा. श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान को उक्त सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत नहीं किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताओं के अनुसार श्री भैरोंसिंह शेखावत ने पूर्व में अपने अध्यक्ष काल में 23 छात्रों को अनुचित तरीके से स्थानान्तरण के आधार पर आई. आई. ई. सी. में प्रवेश देकर सोसाइटी के शैक्षणिक मापदण्डों पर आघात पहुंचाया है।

जहां तक इस प्रस्ताव के प्रथम भाग का प्रश्न है, उसे ग्राह्य किया जाकर कार्य सूची में सम्मिलित किया जा चुका है परन्तु द्वितीय भाग, जिसका संबंध श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री राजस्थान से है, उसे ग्राह्य किया जाना नियम सम्मत नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है।

इस संबंध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 119 से 122 तक के प्रावधान प्रासंगिक है। नियम 119 के अनुसार संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। नियम 120 प्रावधान करता है कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जाय और सूचना सचिव को संबोधित होगी। नियम 121 जो कि महत्वपूर्ण है, उसमें प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें अंकित की गई है। कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए अन्य शर्तों के अलावा निम्न शर्तों की पूर्ति भी आवश्यक रखी गई है :—

(2) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होगा,

(12) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा।

इस प्रकार शर्त संख्या 2 एवं 12 के

(श्री अध्यक्ष)

अवलोकन से ही यह प्रकट होता है कि प्रस्ताव अनुमानों पर आधारित नहीं होना चाहिए एवं काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा। अब इस प्रकर्म पर जिस भाषा में उक्त माननीय सदस्यगण ने प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे यहां उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है :—

"यह सदन सर्वसम्मति से यह भी राज्य सरकार से आग्रह करता है कि माननीय भैरोंसिंह शेखावत को उक्त सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत नहीं किया जाय क्योंकि पूर्व में उन्होंने अपने अध्यक्ष काल में 23 छात्रों को अनुचित तरीके से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश देकर सोसाइटी के शैक्षणिक मापदण्डों पर आघात पहुंचाया है।"

प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव से यह अवधारणा बना ली गई प्रतीत होती है कि उक्त सोसाइटी के मुख्य मंत्रीजी अध्यक्ष बनेंगे, जिन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व में उन्होंने कथित कृत्य किये हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार के आदेश दिनांक 29–5–90 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 12–12–90 को जारी की जिसके अनुसार तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ही इस सोसाइटी के भविष्य में पदेन अध्यक्ष होंगे। इस स्थायी व्यवस्था के फलस्वरूप अब मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी में पदेन अध्यक्ष पद पर मनोनयन की अवश्यकता नहीं है। डा. रतनलाल के राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र चार्ज) के पद ग्रहण दिनांक 19-2-92 के साथ ही वे एम. आर. ई. सी. सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि उक्त मा. सदस्यगण द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का दूसरा भाग इस प्रकार की काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए पूछा गया है। सर्वप्रथम तो यह कल्पना की गई है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत जो वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं वे, तकनीकी शिक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो प्राप्त करेंगे और ऐसी ही कल्पना के आधार पर यह मांग की गई है, कि वे कथित सोसाइटी के अध्यक्ष बनाये जायेंगे।

यह भी विचारणीय है कि मंत्रीमण्डल में किस किस मंत्री के पास एवं मुख्य मंत्री के पास क्या क्या पोर्टफोलियो रखे जायेंगे। इसका निर्धारण करना मुख्य मंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसमें इस संबंध में सदन को किसी भी प्रकार के निर्णय की अभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं माना जा सकता।

मुख्य प्रस्ताव (Substantive motion) के लिए यह आवश्यक होता है कि ऐसा प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्र प्रस्थापना है, जो सभा के अनुमोदन के लिए उसके सामने रखी जाती है और उसका प्रारूप इस ढग से तैयार किया जाये कि वह सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति कर सके।

जैसाकि अंकित किया जा चुका है, इस दृष्टि से भी यह प्रस्ताव मुख्य प्रस्ताव (Substantive Motion) की परिभाषा में नहीं आता है। अतः इस आधार पर भी अग्राह्य है।

(श्री अध्यक्ष)

इस सारे विवेचन के आधार पर मा. सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास एवं 11 अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव के उस भाग को जिसे उद्धृत किया गया है, अस्वीकार करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास।

लोकहित के विषय पर चर्चा
मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग सोसायटी, जयपुर के अध्यक्ष का मनोनयन निरस्त करने का प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्दर में बाध्य हूं कि आपकी व्यवस्था शिरोधार्य करूं, इसलिए मैं इस बात पर तो निवेदन नहीं करना चाहता कि आपने मेरे प्रस्ताव के एक अंग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो प्रस्ताव आपने सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया है और जो मेरा पूरा प्रस्ताव, जिसमें तथ्यों का वर्णन किया गया है, अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को स्पष्ट रूप में समझ गये होंगे कि जो प्रस्ताव है वह मूलतः माननीय भैरोंसिंह जी के विरुद्ध ही है। और भैरोंसिंह जी ने ही व्यक्तिगत रूप से राजकीय नामीनी की हैसियत से, मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज सोसाइटी के अध्यक्ष की हैसियत से अपने अधिकारों का और पद का दुरुपयोग करके अपने ही छात्रों को स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश दिया। अध्यक्ष महोदय, जिस नोटीफिकेशन का हवाला आपके द्वारा अभी दिया गया है वह नोटीफिकेशन रूल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपका आभारी हूं कि 24 तारीख को जो मोशन मैंने लगाया था वह मोशन आपने अल्टीमेटली लिस्ट कर दिया और मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात सदन के सम्मुख रख सकूं।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा मोशन स्पेसिफिकली मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज सोसाइटी के विषय में है। मेरा मोशन न कोई टेक्नीकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री रतनलाल के विरुद्ध है और न चीफ मिनिस्टर श्री भैरोंसिंह जी के विरुद्ध है....

श्री अध्यक्ष : इसमें मैंने दो घंटे का समय निर्धारित किया है। सारी चर्चायें दो घन्टे में समाप्त होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों के अलावा न बोलूंगा और न ही किसी तथ्य को रिपीट करूंगा, यह मैं आपसे निश्चित रूप से प्रार्थना कर सकता हूं, और न मैं अनावश्यक बात को यहां पर बोलूंगा।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रहा था कि यह जो मेरा मोशन है यह गवर्नमेंन्ट की परफार्मेन्स पर या गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर्स की परफार्मेन्स पर नहीं है। गवर्नमेन्ट का नामीनी जो कि मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज सोसाइटी का अध्यक्ष होता है वहाँ उसने जो दुरुपयोग किया है और प्रीमियर इन्सटीट्यूट के एकेडेमिक स्टेन्डर्ड को जिस तरह खराब किया है, उसके ऊपर मोशन है। अध्यक्ष महोदय, सेकिण्ड फाइव

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ईयर प्लान के वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता थे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस देश के अन्दर बेस्ट केलीबर का स्टुडेन्ट, क्रीम, रीजनल कालेजेज के अन्दर पढ़ सकें और बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन उसको मिल सके, आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जवाहरलाल नेहरू का बड़ा साइन्टिफिक एप्रोच था, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और वैज्ञानिक रूप से वह इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने एक स्कीम बनायी रीजनल कालेजेज बनाने की । 7 कालेजेज तो सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में खुले । और, अध्यक्ष महोदय, डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन आफ दी स्टेट श्री मोहनलाल जी सुखाडिया, जो मुख्य मंत्री बरसों तक रहे और उनके बारे में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा राजस्थान उनको जानता है, उनके अथक प्रयासों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर 7 दूसरे स्थानों का चयन किया गया और माननीय मोहन–लाल सुखाड़िया जी के प्रयासों से राजस्थान को और जयपुर को यह गौरव प्राप्त हो सका कि एक सोसाइटी यहां पर भी बनी । जयपुर का चयन किया गया और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के एजुकेशन सेक्रेटरी से 26 फरवरी, 1962 को एजुकेशन सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान को पत्र आया । मैं इस पूरे पत्र को पढ़कर समय नहीं लूंगा लेकिन मैं इसका हवाला इसलिए दे रहा हूं कि इस पत्र के अन्दर वह सब बातें इन-कार्पोरेट की गयी हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर इन सोसाइटीज का निर्माण किया गया और नेशनल इन्टीग्रेशन के लिये और बैस्ट कैलीबर के लड़कों को अवसर प्रदान करने के लिए यह इन्जीनियरिंग कालेज खोले गए । इसका मूल आधार यह था कि करीब करीब 50 पर्सेण्ट कन्ट्रीब्युशन सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट करेगी और करीब 50 पर्सेण्ट कन्ट्रीब्युशन स्टेट गवर्नमेन्ट करेगी । इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया स्वयं प्रथम अध्यक्ष उसके बने । 5 साल तक अनवरत उस व्यक्ति ने मेहनत से और अपने प्रयासों से राज्य सरकार के योगदान से इस कालेज का शैक्षणिक स्तर उठाया । अध्यक्ष महो–दय, इस कालेज के अन्दर शुरू में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की गाइड लाइन्स यह रही है कि 50 पर्सेण्ट स्टुडेन्ट्स स्टेट का भर्ती होगा, 30 पर्सेण्ट स्टुडेन्ट उस रीजन का भर्ती होगा और 20 पर्सेण्ट स्टुडेन्ट्स बाहर से आयेगा पूरा इण्डिया का ओपिन कम्पीटीशन करके बड़ा स्टिफ प्रवेश का एक तरीका रखा गया और हाइएस्ट स्टैन्डर्ड इनका मेन्टेन किया गया । जब यह इन्सटीट्यूट अच्छी तरह से डवलप हुए और सेटल हुए तो माननीय मोहनलाल जी सुखाडिया ने अपनी विज्डम से यह समझते हुए, कि इस प्रीमियर इंन्स-टीट्यूट में एकेडेमिक स्टेन्डर्ड मेन्टेन रह सकें और पालिटिकल इन्टरफियरेन्स इसमें न हो, जो एक पालिटीशियन की कमजोरी होती है वह कमजोरी इसके अन्दर नहीं हो, उन्होंने वाइस चान्सलर को गवर्नमेन्ट नामीनी बनाना शुरू कर दिया । अध्यक्ष महोदय, मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन और रूल्स और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के इन्सट्रक्शन्स में साफ तौर से यह प्रोवाइडेड है कि चेयरमैन आफ दी कमेटी भी स्टेट गवर्नमेन्ट का नामीनी होगा और वह स्टेट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

गवर्नमेण्ट का नामीनी विथ प्रायर एप्रूवल आफ दी सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट होगा। सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट की एप्रूवल भी आवश्यक है इसके अन्दर। लगातार वाइस चान्सलर को नामीनेट राज्य सरकार द्वारा किया जाता रहा और केन्द्र सरकार द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता रहा। अनुमोदन ही नहीं बल्कि पूर्व स्वीकृति दी गई। पहले यह कन्वेन्शन भी श्री भैरोंसिंह जी ने ही डाला 1977 के अन्दर आप मुख्य मन्त्री बने और वाइस चान्सलर की परिपाटी से अलग हटकर माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी को इस सोसायटी का अध्यक्ष राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत कराया।

अध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर कहूंगा कि माननीय श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्ष काल में अपने पद का कोई दुरुपयोग किया हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा प्रवेश निश्चित नहीं किया। पुनः कांग्रेस सत्ता में आई और 1980 के अन्दर वही ट्रेडीशन्स वापिस कायम किये गये और वापिस वाइस चन्सलर नामीनेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस राज में माननीय हीरालाल जी देवपुरा को अध्यक्ष नोमीनेट किया गया। हीरालाल जी देवपुरा ने अपने अध्यक्ष काल के अन्दर क्या किया? उन्होंने कोई ट्रांसफर ही नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, 1987 के पहले हकीकत में इस इंस्टिट्यूट में कोई ट्रांसफर नहीं

(12.30 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

होते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से सहमत होगा कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज होती है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आज भी अनेक कालेज देश के भागों में हैं जहां केपीटेशन फीस के आधार पर एडमीशन होते हैं। लेकिन केपिटेशन फीस के आधार पर प्रवेश पाने वाला छात्र सब स्टेण्डर्ड छात्र होगा, अयोग्य छात्र होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस प्रकार के जो पैसा देकर एडमिशन प्राप्त करते हैं, उन लोगों की एप्रोच भी होती है। गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया की नॉलेज में यह आया, एक पत्र का कुछ अंश, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेण्ट मिनिस्ट्री की तरफ से गवर्नमेण्ट आफ राजस्थान को लिखा गया, बल्कि सभी रीजनल कालेज को लिखा गया 1986 में। यह बात भी सदन याद रखे कि ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेण्ट मिनिस्टर उस वक्त में माननीय पी. वी. नरसिंहराव थे जो आज देश के प्रधानमन्त्री हैं, उनके लैटर को किस प्रकार वायलेट किया गया यह आगे चलकर बताऊंगा आपको।

"I am to state that admissions to regional engineering colleges are made according to prescribed procedure and strictly on merit basis. As a matter of policy this ministry does not encourage migration of students from capitation fee institutions to regional engineering colleges. In view of this, I am to request that no

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

student from capitation fee institution be granted migration in your college.

यह पत्र है । अगस्त, 1986 का। हालांकि जो रूल पहले एडमीशन और माइग्रेशन के लिए बने थे वे पर्याप्त थे, उन रूल्स के आधार पर भी किसी भी स्थिति में इस प्रकार के अयोग्य और पैसे से या फेवरेटिज्म से कोई ट्रांसफर मालवीया रिजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो सकता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेण्ट मिनिस्ट्री के पत्र को, भावना को समझते हुए तत्कालीन अध्यक्ष देवपुराजी ने समिति की बैठक में रूल 3 (बी) इन्कार्पोरेट करवाये 5.12.86 में : "No student from capitation fee institution will be allowed to Malviya Regional Engineering College."

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी लोगों ने एप्रोच करने की कोशिश की। कुछ ट्रांसफर के किस्से आये और 22 दिसम्बर, 1987 को एक रिजोल्यूशन पास किया गया सोसायटी की मीटिंग में:–

"Further to the above rules, matter was put up to the Society vide item number 20 on 22nd December, 1987 to review the rules regulating transfer/migration from other engineering college to the M. R. E. C. Jaipur and it was resolved as under.

"This matter was considered in detail. It was decided that while no amendment in the migration rules already approved by the Society was necessary, any deserving cases on humanitarian ground may be submitted to the Administrative Committee, for consideration."

क्या मतलब है उपाध्यक्ष महोदय? स्पष्ट बात है कि समिति ने यह समझा कि अभी जो रूल्स हैं माइग्रेशन के या ट्रांसफर के उनमें परिवर्तन की, संशोधन की आवश्यकता नहीं है, एक बात। योग्य छात्रों को, जो इन रूल्स के पेरामीटर्स में आते हों उनके ट्रांसफर के केस को ह्यूमेनेटिरियन ग्राउण्ड पर कंसीडर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने विचारार्थ रखा जायेगा और 1987 के बाद इस रूल्स को थोड़ा रिटक किया गया। 1988 में कोई ट्रांसफर, कुछ गलत ट्रांसफर हुए हैं । दो तीन ट्रांसफर हुए हैं। एक जवाब जो मुख्य मन्त्री जी राजस्थान के सदा देते हैं, अपनी बात का जवाब नहीं देकर कांग्रेस ने यह किया; कांग्रेस ने वह किया, इसलिए मैं खुद ही यह बात अंकित करना चाहता हूं, हुए हैं ट्रांसफर। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं। लेकिन क्या आप इस बात की प्रशंसा नहीं करेंगे कि 1962 के अन्दर मोहनलाल सुखाड़िया ने जिस कालेज की स्थापना की तब से लेकर और 1988 तक एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। वैलिड-इनवैलिड का सवाल ही नहीं है और 1988 के बाद जो ट्रांसफर हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेक्निकली रूल को इफेक्ट करते हैं। इस बात को मैं मानता हूं लेकिन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपने क्या किया ? आपने अपने अध्यक्ष काल में क्या किया है ? यह सबसे जरूरी है इस राजस्थान की जनता को जानना कि जब 4 मार्च, 1990 को आप मुख्य मंत्री बनें, 33 ट्रांसफर हुए, अकेले माननीय भैरोंसिंह जी ने नहीं किये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी डैट्स है कि कौन-कौन, कब-कब अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन मैंने क्लब-अप इसलिए किया है कि आपके मुख्य मंत्रित्व काल में आपकी सरकार के प्रतिनिधित्व में "ए" ने किया हो, "बी" ने किया हो, आपकी सरकार का प्रतिनिधि था। He was your nominee on the Malviya Regional Engineering College Society as President. और आपने अकेले ने, श्रीमानजी, 16 ट्रांसफर किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रमाकान्त शर्मा : 1962 में केपिटेशन फीस वाले कितने कॉलेज थे हिन्दुस्तान में ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हूं। आप एजुकेशन मिनिस्टर से पूछिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : आप कह रहे हो मोहनलाल जी सुखाड़िया ने नहीं किया। उस समय केपिटेशन फीस के कॉलेज ही नहीं थे हिन्दुस्तान में। करते कहां से ? (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 1986 में मुकेश शर्मा का माननीय हीरालालजी ने किया है माइग्रेशन....

श्री चन्दनमल बैद : कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत थे। थे, आप अपनी सूचना ठीक कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। जल्दी पूरा कीजिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जल्दी पूरा नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इर्रेलेवेण्ट बात करूं तो आप मुझे टोक दें....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, वक्ता और भी हैं....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जो भी फैक्ट्स प्लेस करें, प्रोपर फैक्ट दें, फाल्स नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फाल्स कौन कह रहा है ? समझने की कोशिश करो। कोई फाल्स नहीं है, Let the Chief Minister say. If I state even a single word, which is not true, I will not out of the House.

क्या बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : एक बार आपने मेरे लिए भी यह बात कही थी जिसके लिए आप हाई कोर्ट में गये हो... (व्यवधान)....इसकी चर्चा मत किया करो। बहुत अभिमान है, अहंकारी हो आप। इस बारे में ऐसी बात मत करो....(व्यवधान)... ऐसी बात मत

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कहो जो नहीं करनी पड़े आपको। मेरे उस केस को छोड़कर चले....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाई कोर्ट में गया हूं, डरा नहीं न आप से। हाई कोर्ट में गया हूं। किस भरोसे बैठो हो ललितजी, हाई कोर्ट में गया हूं और आपके खिलाफ केस रजिस्टर करा कर बताऊंगा। किस भरोसे बैठो हो आप ? काहे को डिबेट को डाइवर्ट करते हो....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Don't worry, जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात प्रारम्भ करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैटर सबजुडिस होता है उसकी चर्चा नहीं की जाती है। मैं अगर हाई कोर्ट गया हूं तो मेरे साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मैं गलत बात करता तो हाई कोर्ट में क्यों जाता ? आपको यह समझना चाहिए कि मैं हाई कोर्ट में गया। फैसला होने दो उसके बाद में बात करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस दिन विधान सभा में ही निर्णय हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये। विधान सभा में निर्णय नहीं होता है। विधान सभा में तो निर्णय यह हो गया कि आपके बहनोई का ट्रांसफर नहीं किया इसलिए हुआ, यह जबाब होता है। एक फैक्ट्स के ऊपर जवाब नहीं देते हो। न आप देते हो न आपका कोई मंत्री देता है। आज मैं देखता हूं मुख्य मंत्रीजी क्या जवाब देते हैं। फैक्ट्स पर जवाब चाहिए मुझे। डिबेट को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है....(व्यवधान).... हां निवेदन कर रहा हूं, निवेदन करूंगा। प्रार्थना करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, लम्बे हाथ जोड़कर करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 23 छात्रों की सूची इस मोशन के साथ लगाई है और 23 छात्रों की सूची में क्रम संख्या एक से पांच तक उल्लेखित छात्र वह हैं जिन्होंने केपिटेशन फीस देकर बाहर कई कॉलेजेज में प्रवेश पाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. रतनलाल जाट के लड़के ने भी प्रसाद इंजीनियरिंग कॉलेज में केपिटेशन फीस देकर प्रवेश पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को थोड़ा-सा समझने की चेष्टा करें। इसमें कहीं उत्तेजना का विषय नहीं है कि जो आदमी 3 लाख रुपए देकर प्रवेश पाता है वह क्या 3 लाख रुपए वापस जयपुर में ट्रांसफर कराने के लिए नहीं दे सकता ? इसकी एविडेन्स होती है। यह किसने कह दिया कि वह वापस पैसे देकर नहीं आया होगा ? एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहता हूं जिसकी आधार और बुनियाद ही पैसे पर खड़ी हुई हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं पैसे लिये या नहीं लिये, दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता ? जिस आदमी का प्रवेश लिया है।....(व्यवधान)....उसने मेरे सामने पैसे ले लिये, मैं वहां पर थोड़ी बैठा रहूंगा। रूल 3(बी) स्पष्ट रूप से कहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेण्ट मिनिस्ट्री का लैटर कहता है, रूल 3(बी) कहता है केपिटेशन फीस के आधार पर लड़कों का ट्रांसफर नहीं किया जायेगा।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पांच लड़कों का आपने ट्रांसफर किया। उपाध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 6 से 10 तक, यह रूल 3(1) को वायोलेट करता है। अब रूल 3(1) की टेक्नीकल्टीज में नहीं जायं लेकिन पी.ई.टी. एक्जामिनेशन के अन्दर, जो ब्रांच मिलती है वह मेरिट से मिलती है। आपकी अनुमति से रूल 3(बी) (') पढ़ देता हूं मैं—

"A student belonging to any other engineering college of any other province in India can considered for migration/transfer only if his qualifying marks are atleast equal to the marks scored by the last student admitted from that State at this college in the corresponding year. 'Qualifying examination' here means a P.E.T. examination of the State if the State is conducting such an examination or the qualifying examination accepted by this college for the purpose of admission in case the State is not holding any such examination.'

आल इंडिया से लड़के आते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर, तो जो उस राज्य से यहां लड़का भर्ती हुआ है उससे अगर मार्क्स कम हों तो उस लड़के को भर्ती नहीं किया जा सकता। यह एकेडेमिक स्टेण्डर्ड मेनटेन करने की बात हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय। क्रम संख्या 6 से 10 के ऊपर उल्लिखित वह छात्र हैं जिन्होंने इसकी अनिवार्यता पूरी नहीं की। 11 और 12 में रूल बी (2) का वायोलेशन हुआ है। मैं यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि गलती से नहीं हुआ, एक भी ट्रांसफर वेलिड नहीं हुआ है, एक भी।

बी (2) है—

"Any student can be admitted to a Branch other than allotted to him in the present college provided his marks are atlest epual to the marks of the last admitted student from that State in the desired Branch in the corresponding year."

अब, उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहूं, मेरे पास भाषा नहीं है, मैंने अपने इस मोशन में तो लिखा है, सही लिखा है, कि यह भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, केपीटेशन फीस से एडमिशन लेना, इसे एनकरेज करना, इस देश का दुर्भाग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, नामिनेशन से किसी को भेजना भी अच्छी बात नहीं है। नामिनेशन के विषय में 3 अप्रेल, 1984 को माननीय मुख्य मंत्री सदन के तब इधर बिराजते थे, विपक्ष के नेता थे, तब माननीय कैलाश मेघवाल का कोई मोशन था उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, वह पूरा मोशन मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, पूरी डिबेट पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ नेता महोदय के भाषण के कुछ अंश पढ़ कर सुनाऊंगा —

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"सभापति महोदय, दिल्ली में बैठा हुआ लड़का राजस्थान के नाम से नामिनेट होकर चला गया जिसने हायर सैकण्डरी दिल्ली में किया, उस लड़के का नामिनेशन किस आधार पर किया, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या राजस्थान में स्टूडेण्ट नहीं थे ? क्या राजस्थान में मेरिट वाले स्टूडेण्ट नहीं थे कि आपने दिल्ली से, पंजाब से लेकर लड़कों को नामिनेट कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की बात भी आप गलत कह रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला आये उससे पहले नामिनेशन हो गया।"

फिर इंट्रप्शन है, खेतसिंह राठौड़ का है।

"यह भी आपको, आप सुनिये मेरी, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेण्ट्स यहां से भेजे गये, माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्री, दोनों ने बैठ करके उनकी लिस्ट बनायी है, उसी आधार पर भेजे गये हैं। इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है।"

उपाध्यक्ष महोदय, तब यह पाया गया कि एकेडेमिक स्टेण्डर्ड मेनटेन करने के लिये जो स्टेट की लिस्ट बनती है वह लिस्ट एग्जास्ट होगी फिर जो नेक्स्ट आदमी रह जायेगा उसको नामिनेट करेंगे, मूल भावना इसके पीछे यह थी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, नामिनेशन की पावर जब तक स्टेट गवर्नमेंट को रहती है, आप किसी को भी नामिनेट करें उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसकी प्रोपराइटी को क्वेश्चन किया जा सकता है लेकिन लीगलिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अब आप मेरिट के ऊपर नामिनेशन नहीं करते हैं, जब आप डिस्क्रिशन को आर्बीट्रेरिली एक्सरसाइज करते हैं, जब आप डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किसी को फेवर करने के लिये करते हैं तब स्थिति दूसरी होती है, तब उसके अन्दर और केपीटेशन फीस के अन्दर कोई आप विशेष अन्तर करके नहीं चल सकते। तो, उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमानजी ने 7, 8 और 9 यह तीन लड़के, जो नामिनेट किये स्वयं ने नामिनेट किया और नामिनेट करके वापस बुला लिया।

Why this facade ? Why this farce ?

यह क्या नाटक है ? राजस्थान की जनता के साथ क्या नाटक किया है आपने, मुख्य मंत्रीजी ? खुद ने नामिनेट किया और खुद ने वापस बुला लिया उनको। उपाध्यक्ष महोदय, कोई नियम की, कानून की और रूल्स की जरूरत नहीं है, यह कामन सेंस को अपील नहीं करता और यह समाज की कमजोरी है कि इस बात को बर्दाश्त भी किया जा सकता है। इतना कोई आर्बीट्रेरिली एक्सरसाइज आफ डिस्क्रिशन करे, No Chief Minister can be permitted to behave like this.

आपने खुद ने नामिनेट किया, खुद ने वापस बुला लिया। और, उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, 13 से 23 छात्र वह छात्र हैं जो राजस्थान के अन्दर से ही वापस आये हैं। जोधपुर से आ गये होंगे, कोटा से आ गये होंगे। सतही तौर पर यह लगता है कि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इसमें कोई विशेष बात नहीं है, छात्र राजस्थान के थे, राजस्थान में आ गये पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके ए (2) का अवलंघन करता है।

It is in clear violation of sub-Rule (A) of rule 2. With your permission. Mr. Deputy Speaker. Sir, I would like to read Rule 2(A) :—

"If a student seeks admission to any other Branch than that allotted to him in his parent college, he can be considered eligible only if his P.E.T; marks are atleast equal to those of the last student admitted to the Branch for which he is seeking admission in the corresponding year."

उपाध्यक्ष महोदय, बात साफ साफ है कि जिस ब्रांच के अन्दर उसको एडमिशन नहीं मिल सकता था, मान लीजिये इलेक्ट्रिकल के अन्दर उसको एडमिशन चाहिये, इलेक्ट्रिकल के अन्दर डिमाण्ड ज्यादा है, ज्यादा प्रास्पेक्ट्स है, अब आपको वहां पर मैकेनिकल मिल गया तो वह मुख्यमंत्रीजी की कृपा से, अध्यक्ष की कृपा से यहां वापस आ गया, उसको इलेक्ट्रिकल में भी मिल गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह इन ट्रांसफर्स की हालत है।

अब सवाल आयेगा कि साहब, उससे क्या फर्क पड़ गया, हमने तो मानवता के आधार पर किया। मानवता के आधार पर किसी गरीब आदमी को एडमिशन दिया है क्या ? किनको एडमिशन दिया है, वह लिस्ट को भी आप देखें। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, किसी को भी जिसको फेवर लेना होगा, वह जरूर लेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो ब्रांच वहां नहीं मिल सकती थी वह आपने यहां दे दी, केपीटेशन फीस वालों को दे दिया, नामिनेशन करके वापस बुला लिया, यह सब अपनी जगह साफ है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिर्फ प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट का सैक्शन 5 (जी) पढ़ना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, करप्शन पैसा लेने को नहीं कहते हैं। यह सर्वथा गलत है, मिथ्या है, असत्य है। यह जन साधारण की जो धारणा है, आप करप्शन इसको कहते हैं, पैसा ले लेना। पैसा लेने की ट्रांजेक्शन, उपाध्यक्ष महोदय, कोई चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता इसका।

What is corruption ? Section 5(D) of the Prevention of Corruption Act :

"A publid servant is said to commit an offence of criminal misconduct if he is by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage."

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, 1963 सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ तीन लाइनें पढ़ कर सुनाऊंगा, पूरा जजमेंट सुनाने की जरूरत नहीं है—

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"On a plain reading of the words used in the clause, we have no doubt that every benefit obtained by a public servant for himself or for any other person by abusing his position as a public servant falls within the mischief of the said clause."

कि आपका रिश्तेदार हो, यह जरूरी नहीं कि आपकेमित्र का लड़का हो, यह जरूरी नहीं कि आपने पैसा लिया हो। अगर आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और उसमें फेवर किया है, उसमें बैनीफिट दिया है, तो निश्चित रूप से दिया है। कोई यह नहीं कह सकता कि बाहर के लड़के आपने लाकर यहां एडमिशन दिया। वह फेवर डिसक्लोज नहीं किया उपाध्यक्ष महोदय, बहुत वेदनापूर्वक मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, शैक्षणिक स्तर निश्चित रूप से मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसायटी का इस दौरान गिरा हैं; पर्टिकुलरली माननीय भैरोंसिंह जी के सत्ता संभालने के बाद। बड़े-बड़े जर्नलिस्ट का भी कहना है, जो लीडिंग जर्नलिस्ट है, उनकी भी ओपीनियन है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़, दो महीने से लड़के हड़ताल पर हैं। इसका प्रतिवाद कर सकते हैं आप? उन लड़कों की हड़ताल दबाने के लिए क्या नहीं हुआ है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यों को आपके सामने रखता हूं, लेकिन डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करें। आपने सब तरह के +++ अख्तियार किये हैं, सब तरह से लोगों पर दबाव डाला है, बड़े-बड़े लोगों को, मीठालाल मेहता को उनके पास भेजा है, मानसिंह राठौड़ को उनके पास भेजा है। आपके सब आदमी गये हैं। उनको दबाया है, किसी तरह से जाकर के आप हड़ताल तोड़ दीजिए। एक आग्यूमैंट दिया जाता है कि भई आपका क्या नुकसान है, अगर कोई आदमी की मदद करते हैं, बाहर से आकर यहां भर्ती हो जाता है तो आपकी सीट तो कम हो नहीं रही है, आपको तो किसी को निकाल नहीं रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एकेडेमिक स्टेंडर्ड मेनटेन करने के लिए प्रेसकाइब्ड है, रूल्स के अन्दर प्रेसक्राइब्ड है, गवर्नमैण्ट आफ इंडिया के नोटिफिकेशन में प्रेसक्राइब्ड है कि कितनी-कितनी सीटें कितनी-कितनी ब्रांच में होगी और एक लड़के की छोटी क्लास में जो पढ़ाई होती है, उससे लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, बहुत अनुभवी हैं, और माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि किसी की फीस से पढ़ाई होती है, पब्लिक मनी निश्चित रूप से खर्च होता है उस पर। क्या अधिकार था आपको सीट बढ़ाने का? पब्लिक मनी, पब्लिक एक्सचेकर के पैसे को आपने स्केवेंडर-अवे किया, लोगों को ओबलाइज करने के लिए। यह सीधा-सीधा, मेरा चार्ज नहीं है, यह स्टेटमैंट आफ फैक्ट्स है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आदमी को बोलते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वह स्थिति उलट भी सकती है। 10 जुलाई, 1990 का माननीय

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मुख्यमंत्रीजी के भाषण के कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं, "भगवान की कृपा से बंद करो। जो अखबार मुझे भ्रष्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इतना ही कहता हूं उनके सिद्ध करने से न तो मैं भ्रष्ट साबित होऊंगा, न मैं भ्रष्ट हूं और मैं आज कहता हूं, यदि जीवित आदमी का पोस्टमार्टम किया जाये तो मेरा पोस्टमार्टम करा कर कोई देखें, भ्रष्टाचार का एक कतरा भी खून में नहीं मिलेगा। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा समाचार पत्रों में है। जीवित आदमी के पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं है, भैरोंसिंह जी। आपके भ्रष्टाचार की बदबू महाराष्ट्र, मद्रास सब जगह फैल रही है, पूरे हिन्दुस्तान में फैल रही है, जहां-जहां के लोगों को आपने ट्रांसफर करके यहां लाकर बैठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मैं जूनियर मैम्बर हूं, भैरोंसिंह जी के सामने, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि डिबेट को डिविएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपनी पार्टी के सदस्यों से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं, मेडिकल कालेजेज और इंजीनियरिंग कालेजेज को इससे मत जोड़िएगा। एक्सक्लूसिव इश्यू जो है, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसायटी का है। यह राष्ट्र के प्रीमियर कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज के अन्दर से एक है। मुझे क्षमा करें, लेकिन निश्चित रूप से रीजनल इंजीनियरिंग कालेजेज के मुकाबले में कोई इंजीनियरिंग कालेज हो, चाहे वह जोधपुर का कालेज हो, चाहे वह कोटा का कालेज हो, चाहे बैंगलोर का कालेज हो, वह +++ कालेजेज हैं। चाहे मेड़िकल कालेज हो, वह +++ कालेजेज हैं। यह आइडियल कालेज है, कण्ट्री के अन्दर। तो किस भावना से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सोसायटी बनायी। नहीं मैं इसको, वर्ड को वापस लेता हूं, मैं अमेण्ड करता हूं कि वह उतने अच्छे नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कोई विवाद नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, दुराभाव नहीं है। मैं +++ वर्ड को वापस लेता हूं, लेकिन उन कालेजेज की इन कालेजेज से तुलना नहीं की जा सकती। यह आइडियल कालेजेज हैं।

दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्रीजी चले गये, मगर हाउस के अन्दर यह जो जवाब दिया जाता है, मुख्य मंत्री राजस्थान का मुख्य मंत्री है और, उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर यह जवाब दिया कि यह डाक्टर हरिसिंह के रिश्तेदार हैं, इसलिए उठा रहे है, सुरेन्द्र व्यास के रिश्तेदार हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया इसलिए उठा रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं, मेरे से रंजिश रखते हैं इसलिए उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर मुख्य मंत्री यह जवाब देता है और डिबेट को डाइवर्ट करता है तो मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर इतनी मेहनत करके कोई इश्यू उठाने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों में जवाब चाहता हूं और तथ्यों पर ही फैसला चाहता हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं....

+++अभिव्यक्ति माननीय सदस्य के वापस लेने पर विलोपित की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसी कोई गड़बड़ है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, पूरा कीजिए आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am summing-up. I am concluding.

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें आ गई हैं, कोई बात शेष नहीं रही है । और भी वक्ता हैं बाकी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक घिसापिटा जवाब है कि कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने वह किया । देखिये, जिम्मेदारी आज की तारीख में जो शासन में रूढ़ है, उसकी है । आज की तारीख में आपकी सरकार है, आप मुख्य मंत्री हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी हैं इस हाउस के लिए । इसलिए कांग्रेस के किसी आदमी ने कोई गड़बड़ की है तो सुरेन्द्र व्यास does not hold brief for anyone. I will call, a spade-a-spade.

कांग्रेस ने किया है वह भी गलत किया होगा । आप लाइये दूसरे मोशन, लेकिन उस पर डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा । एक बात मैं कह देता हूं, मेरे मोशन रिजल्ट ओरियेंटेड हैं । मैं सिर्फ बहस करने चर्चा कराने के लिए नहीं रखता हूं । मैं इतना साहस रखता हूं कि अगर इस हाउस के अन्दर बहुमत से आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा और मैं गवर्नर के पास मेमोरेंडम लेकर भी जाऊंगा और इस मोशन को आप वोट के आधार पर यह तय कर लीजिए कि यह मोशन सही है, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर गवर्नमैण्ट आफ इंडिया में मेमोरेंडम लेकर जाऊंगा । 50 प्रतिशत पैसा गवर्नमैण्ट आफ इंडिया देती है । उपाध्यक्ष महोदय, जो यह समझते हैं, एक धारणा बनी हुई है कि सेण्ट्रल गवर्नमैण्ट में पोलिटिकल विल नहीं है कि इस गवर्नमैण्ट को डिसमिस कर सके, इनको समझना चाहिए, बड़ा गंभीर विषय है । मुख्य मंत्रीजी अपने आचरण को संयम में रखने की कोशिश नहीं करते । वह यह समझते हैं कि बहुमत जब तक नहीं होगा, थोड़ा इनसिक्योर्ड फील करेंगे, हमको डिसमिस नहीं कर सकते । मैं मानता हूं, मेरा प्रधानमंत्री अनकांस्टीट्यूशनल काम नहीं करेगा । मेरी डिमाण्ड अनकांस्टीट्यूशनल हैं ? मेरी डिमाण्ड कांस्टीट्यूशन के पेरामीटर्स में है । आप सबवर्ट कर रहे हो । मुख्यमंत्रीजी, संभलकर जवाब देना, मैं मेमोरेंडम लेकर गवर्नमैंट आफ इंडिया में जाऊंगा और आपकी गवर्नमैंट का डिसमिसल का केस तैयार करूंगा मैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक एक केस जो बनेगा वह आपकी गवर्नमैंण्ट को डिसमिस के लिए बनेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खां जी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एक ही बर्ड है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मेरा प्रस्ताव है । मैं प्रस्ताव कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव रख लीजिए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहता हूं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के विधायकों से, को एक बहुत नेक सलाह मैं देता हूं। मेरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं है, मेरा प्रस्ताव टैक्निकल एज्यूकेशन मिनिस्टर के विरुद्ध नहीं है, मेरा प्रस्ताव सिर्फ मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसायटी के ऐकेडेमिक स्टैंडर्ड को मेनटेन करने के लिए है। मेरा प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के सपने को खत्म नहीं कर सके राज्य सरकार इसके लिए है, मेरा प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया के प्रयासों को खत्म नहीं कर सके, इसके लिए है। आप कृपया मेरे पक्ष में मतदान कीजिए और आप मेरे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे तो आपकी गवर्नमेंण्ट बिलकुल चल जायेगी, वरना इनके कारनामों से डिसमिसल का गवर्नमैण्ट केस बनेगा। एक केस नहीं बनेगा, अनेक केसेज हैं कि जिससे डिसमिसल का केस बनेगा।

(12.58 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अब प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह सदन सर्वसम्मति से राज्य सरकार से यह आग्रह करता है कि राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डाक्टर रतनलाल जाट का मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग सोसायटी, जयपुर के अध्यक्ष पद पर किया गया मनोनयन उनके द्वारा अपने पुत्र को मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज जयपुर में स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश की अनुचित लाभ पाने के आचरण के कारण निरस्त किया जाये। यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खां।

(1.00 मध्याह्न)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मोशन की बात है, काफी कुछ मालपुरा के आने वाले सदस्य ने कहा है, लेकिन कुछ बातें मैं भी सदन के सामने रखना चाहता हूं। 23 ट्रान्सफर्स किये गये। कानून को तोड़ा गया था कैसे लोगों के ट्रान्सफर्स किये गये ? अध्यक्ष महोदय, शायद ही इसमें कोई ऐसा आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो जो किसी बड़े अधिकारी....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा क्या होगा होगा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव के लड़के का ट्रान्सफर किया जाता है और वहां से बुलवा लिया जाता है। जहां रक्षक ही भक्षक हो जायेगा, अध्यक्ष महोदय, उस विभाग का क्या होगा, उस सरकार का क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा। मौजूदा सरकार में शिक्षा सचिव है उनके लड़के का ट्रान्सफर किया गया, आई. जी. के लड़के का ट्रान्सफर किया गया, बड़े-बड़े विभागों के हैड ऑफ दी डिपार्टमैण्ट के लड़कों को ट्रान्सफर किया गया, इन्कम टैक्स कमिश्नर के लड़कों के ट्रान्फफर किये गये और बड़े-बड़े पी. डब्ल्यू. डी. सप्लायर्स के लड़कों का ट्रान्सफर किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर मानवता के आधार पर कोई ट्रान्सफर किये जाते तो हो सकता है किसी गरीब का किया जाता, किसी कमजोर का किया जाता, किसी दूर-दराज लड़के का किया जाता, किसी आदिवासी का किया जाता, किसी अनुसूचित जन जाति के लड़के का किया

(श्री जुबेर खां)

जाता, मेरा यह कहना है कि मानवता के आधार पर नहीं किया गया है, किसी गम्भीर साजिश के आधार पर किये गये हैं। मैं तो यह नहीं कह सकता इस सदन में कि कोई पैसे लेकर किये गये हों लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मानना यह है कि जो ट्रान्सफर किये गये हैं उनमें चाहे व्यक्तिगत आधार पर किसी आदमी को ऑब्लाइज किया गया हो, चाहे आर्थिक आधार पर ऑब्लाइज किया गया हो, किसी आधार पर किये गये हों लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह इस सरकार ने यह ट्रान्सफर्स किये है, बड़ी +++ की बात है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जो बात कहेंगे कि इस तरह के केसेज तो आये हैं कि अगर किसी मुख्य मंत्री ने अपने लड़के के लिये थोड़ा फेवरेटिज्म कर दिया तो उनको इस्तीफे देने पड़ गये है और इसी सदन में, अध्यक्ष महोदय, एक पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय माननीय चन्द्रशेखरजी। उस समय मुख्य मंत्रीजी और बहुत से सदस्य इधर विपक्ष में बैठा करते थे। एक चिट्ठी उन्होंने बी. एड. कालेज में एक सिफारिश के लिये लिखी थी जिसको लेकर जिस तरह हंगामा इस विधान सभा में हुआ था। आज अगर यह बात देखी जाय 23 ट्रान्सफर्स की तो वह तो कुछ भी नहीं है। तो नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें कि जब आप इधर बैठते थे तो आपकी नैतिकता पर चार चांद क्यों लग जाते हैं और जब आप राज में बैठते हैं तो अब आपकी नैतिकता कहां घुलमिल हो जाती है ? अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मोशन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सदन से एक मांग करता हूं कि आत्मविश्वास के आधार पर इस पर डिविजन ऑफ वोट करें ताकि जनता को यह पता चल सके कि जो लोग राज कर रहे हैं, जो ऊपर पदों पर बैठे हैं, किस तरह अपनी सुविधा के लिये कानून कायदों को दर किनार कर देते हैं। यही मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय। जयहिन्द !

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष जी, जिस मोशन पर चर्चा चल रही है, यह साधारण मामला नहीं है। यह राजस्थान विधान सभा में एक महत्वपूर्ण मसला आया है। सरकार क्या कर रही है राजस्थान में और क्या करना चाहिये ? पहले किस तरह की चर्चाएं विधान सभा में होती रही हैं और उसके बाद में क्या निर्णय लिया जाता रहा है और जनता में उसका क्या असर पड़ा है, इन सारी बातों को देखने से, समझने से यह काफी महत्वपूर्ण मसला है।

अध्यक्षजी, ट्रान्सफर किये गये, सारी बातें मालपुरा से आने वाले माननीय विधायकजी ने बतायी। किन लोगों के ट्रान्सफर किये गये ? व्यक्तिगत नाम पर, बड़े बड़े अफसरों के, बड़े–बड़े नेताओं के

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण वर्मा)

बेटे और बेटियों के ट्रान्सफर किये। रूल्स निश्चित है मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में ट्रान्सफर के फिर भी उन रूल्स को वायलेट किया गया है. उनको मिस-इण्टरप्रेट किया गया है। एक आधार है उसमें मेडिकल ग्राउण्ड का। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेडिकल ग्राउण्ड पर कुछ लोगों ने आपको एप्लीकेशन दी है उनको आपने स्वीकार नहीं किया। इसलिये स्वीकार नहीं किया गया कि वे लड़के आदिवासी हरिजनों के लड़के थे, उसमें इस तरह का भेदभाव बरता गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लड़कों के आपने ट्रान्सफर नहीं किये। एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर से शिवराज कोडक के लड़के ने मेडिकल ग्राउण्ड पर आपको दरख्वास्त दी, पर्सनली उसके अभिभावकों ने आपसे रिक्वेस्ट की, सब तरफ से परेशान होकर, सभी तरह से सहायता चाही। मेडिकल-ग्राउण्ड का डाक्टर का लिखा हुआ है कि इसका यहां रहना खतरे से खाली नहीं है उसके बावजूद उसका ट्रान्सफर नहीं किया गया। माननीय अध्यक्षजी, इस संबंध में जो स्थितियां है वह काफी स्पष्ट हैं। आपने जो ट्रान्सफर्स किये हैं वह ट्रान्सफर्स किस आधार पर किये हैं? आप इसको पोलिटिकल मुद्दा बना सकते हैं लेकिन जिस तरह से ट्रान्सफर किये गये हैं कैपिटेशन फी लेने में, इंजीनियरिंग कालेज के ट्रान्सफर करना करेप्शन की भावना को दर्शाता है और जिससे साबित होता है कि सरकार ने जानबूझकर मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज की शैक्षणिक व्यवस्था को बिगाड़ा है और बिगाड़ने की कोशिश की। यदि यह स्थितियां और ज्यादा चले तो मेरा जहां तक ख्याल है गरीब के बच्चे कभी भी उसमें एडमिशन लेने की स्थिति में नहीं होंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा और उसका जवाब सरकार दे कि जिन लोगों ने पी.ई.टी परीक्षा दी है यदि उनके मिनिमम नम्बर आये हैं और उसके ज्यादा नम्बर के लड़के ने एडमिशन चाहा है और उसका एडमिशन, ट्रान्सफर नहीं किया गया तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका मेलाफाइड इन्टेन्शन है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपने किये है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सारे ट्रान्सफर्स केन्सिल किये जाय और आपके पास जो दरखास्तें पड़ी हुयी हैं इस तरह के लड़कों की जो आदिवासी क्षेत्रों के लड़के हैं, आप में यदि पोलिटिकल थोड़ा-सा माद्दा है, थोड़ी-सी ईमानदारी है आदिवासी हरिजन के प्रति है तो आपको उनको रखना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और इससे हट कर निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि जिस तरह से आदिवासी हरिजनों को चयन समिति के नाम से रखा जा रहा है और लड़के प्रेक्टिकल में जिस तरह से फेल किये जाते हैं और आपके रिटर्न टैस्ट में पास हो रहे हैं इस तरह के उच्च तकनीकी शिक्षा के मामले में जोधपुर, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में कितने ही उदाहरण हैं। इस बात को मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्रीजी को कहना चाहूंगा, अजमेर विश्वविद्यालय से संबंधित कालेज में जिस तरह के मामले आ रहे हैं, आज की तारीख में जिस तरह से दुर्भावना ऐसे वर्ग के साथ फैलाई जा रही है उसको आप रोकें, भगवान के लिये रोकें। चूंकि आप शासन में

(श्री रामनारायण वर्मा)

है, आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है उसको निभाये और जिन लोगों ने इस तरह की जो दरख्वास्तें दी हैं उनको कन्सीडर करें और साथ के साथ यदि उनको रिजेक्ट करते हैं तो यह सारे के सारे एड-मिशन को आप रिजेक्ट करें। इसी के साथ में इस मोशन का समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि थोड़ा-सा भी दिल दिमाग में असर हो, ईमानदारी का सत्ता पक्ष के सदस्यों में तो हमारा समर्थन करें, इस मोशन का समर्थन करें। इसी के साथ धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सुरेन्द्र व्यास ने रखा है मैं उस प्रस्ताव में एक संशोधन मूव करना चाहता हूं और उसी संशोधन पर मैं बोलना चाहूंगा। वास्तव में जो कुछ ट्रान्सफर्स के सिलसिले में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस एजुकेशनल टेक्निकल इन्सटीट्यूट में विशेष तौर पर हमारे इंजीनियरिंग कालेज में, जो इंजीनियरिंग कालेज उत्तरी भारत के सबसे अच्छी कालेजों में रहा है, उन ट्रान्सफर्स से जितना प्रचार हमारे अखबारों के माध्यम से और जनता द्वारा हुआ है मैं समझता हूं कि इससे पहले जो इन संस्थाओं में था इस तरह के कालेजेज में राज्य सरकार द्वारा दखल देकर राजनीतिक प्रभाव को इस्तेमाल करके ऐसे ट्रान्सफर होते रहे हैं। यह जो ट्रान्सफर हैं उनके पीछे मैं नहीं कहता कि आपकी सरकार ने जो ट्रान्सफर किये हैं, माननीय सुरेन्द्र व्यास ने जो अपना प्रस्ताव पढ़ा उससे पहले उन्होंने भाषण दिया उसमें भी उन्होंने यह कहा कि पहले की सरकारें भी करती रही है, पहले के मंत्री भी करते रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि इस बात से कोई बचा हुआ नहीं कि सत्ता में बैठने के बाद उन स्टेण्डर्ड को जो हम तय करते हैं वह सिर्फ कागजों में ही रह जाता है और इस प्रकार का पक्षपात और ट्रान्सफर होते हैं पर निश्चित तौर पर सोचने की बात यह है कि उनके पीछे उद्देश्य क्या है, यह सबसे बड़े मुद्दे की बात है। अगर उन ट्रान्सफर्स के पीछे उद्देश्य यह हो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे निवेदन करूं कि जिस 66 वीं मीटिंग में यह नार्म्स और स्टेण्डर्ड तय हुआ कि माइग्रेशन के नार्म्स यह होंगे, यह होंगे, यह आधार होगा। यह जो नार्म्स तय किये उसे मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज की सोसाइटी द्वारा उसमें यह दर्शाया गया है कि ट्रान्सफर हो सकते हैं, ट्रान्सफर पर बेन नहीं है पर ट्रान्सफर का ग्राउंड क्या होना चाहिए? सिर्फ ह्यूमेनिटेरियन ग्राउण्ड हो, यह काफी नहीं है। इसका एक स्टेण्डर्ड तय किया है और वह यह तय किया है कि जो स्तर इस कालेज में बना हुआ है जिस पी.ई.टी. के द्वारा छात्रों का चयन किया जाता है अगर इस तरह कोई छात्र चयनित होकर किसी दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर हो और उसका ट्रान्सफर कर दिया जाय तो इसमें एतराज नहीं है। जिस जगह से वह ट्रान्सफर होकर आ रहा है वहां पी.ई.टी. में जो सलेक्शन हुआ है वह उसी स्टेण्डर्ड के मुताबिक हुआ है और उसको बदल दिया जाय। इसमें तीन चार मुद्दे तय किये। राज्य के अन्दर जो ट्रान्सफर हो, वह जो राज्य के बाहर के ट्रान्सफर हों और ऐसे ट्रान्सफर जो कहीं नोमीनेशन होकर गये हों।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

निश्चित तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दिक्कत हो सकती है। जैसे कि श्रीनगर का मामला है, मैं समझता हूं कि श्रीनगर में आज से तीन साल पहले कोई छात्र गया है और आज स्थिति पैदा हो गयी कि छात्र को निश्चित तौर पर अपनी एज्यूकेशन छोड़नी पड़ेगी। ऐसी स्थिति आ गयी और माल–वीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की सोसाइटी के चेयरमेन ने तय कर दिया ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसमें दो मुद्दे रखे हैं। एक तो यह कि खुद की मीटिंग में जो 62 वीं मीटिंग हुई उसमें खुद ने तय कर दिया कि चेयरमैन की पावर डीलिट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चेयरमैन की पावर थी वह खुद ने अपनी सोसायटी के अन्दर तय कर दी कि यह माइग्रेशन की पावर है, किसको माइग्रेट किया जायेगा, कौन से विद्यार्थी को, जिसकी एप्लीकेशन आयेगी कन्सीडर किया जायेगा, यह पावर तय कर दी। 1984 में तो थी और अब के बाद चेयरमैन के पास नहीं रहेगी। पहले थी, चेयरमैन ने इसका इस्तेमाल भी किया, चाहे वाइस चांसलेर चेयरमैन रहे हों, चाहे कोई दूसरा रहा हो, चाहे मंत्री रहा हो, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है पर 1984 में उन्होंने सोसायटी ने अपने रिजोल्यूशन में तय कर दिया कि यह पावर इसके बाद पूरी सोसायटी में होगी। जो माइग्रेशन के केसेज होंगे उन सारों को सोसायटी की मीटिंग में रखा जायेगा। दूसरा, इस सिल-सिले में कहना चाहूंगा कि 66 वीं मीटिंग है उसमें कैपिटेशन फी के बारे में स्पष्ट तय किया कि जिनके कैपिटेशन फी देकर एड–मिशन हुए उनका केस कन्सीडर नहीं किया जायेगा। तीसरा, यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने जो पत्र लिखा उसमें कोई मेण्डे-टरी या शैल शब्द नहीं है। इसमें एक सजेशन दिया गया है। इस कॉलेज की सोसायटी के चेयरमैन को सजेशन दिया गया है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरह के छात्र माइग्रेट नहीं होने चाहिए। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह उठता है कि जिन 23 छात्रों का हमारे मुख्य मंत्री जी, जो हायर टेक्नीकल एज्यूकेशन का चार्ज भी हैं और उस सोसायटी के अन्दर चेयर–मैन भी रहे हैं उनके वक्त में या उनकी सर-कार के वक्त में जो चेयरमैन रहे उनके वक्त में जो ट्रान्सफर हुए उन ट्रान्सफर से मेरिट पर क्या चेन्ज आता है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जितने छात्र आये जिन को केपिटेशन फी पर वहां एडमिशन मिला उन्होंने यहां इस बात का जिक्र नहीं किया। अपनी मीटिंग्स में नहीं सारे के सारे आर–बीट्रेरी चेयरमैन की सलाह से तय हुए। सबसे पहला तो वायलेशन उन्होंने यह किया कि मीटिंग्स में डिसकसन नहीं करके, अपनी प्रोसिडिंग्स में डिसकस नहीं करके चेयरमैन ने अपनी पावर को इस्तेमाल करके जो उनको नहीं थी, उसका इस्तेमाल करके ट्रान्सफर कर दिया और ट्रान्सफर करते वक्त जिनका ट्रान्सफर किया वह सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े अधिकारियों के पुत्र हैं या किसी बड़े सेठ के पुत्र हैं। मुझे समझ में नहीं आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक नाम है अम्बानी। यह कौन से अम्बानी हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : धीरुभाई नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : धीरूभाई खुद नहीं हैं। उनका लड़का भी नहीं है। तो क्यों कर दिया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अम्बानी के रिश्तेदार हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, कि जिन लोगों का ट्रान्सफर हुआ, जिन लोगों का माइग्रेशन हुआ है, उनमें से कोई भी ऐसे नहीं हैं जो आत्मनिर्भर है। एक भी छात्र अगर इन 23 में से जिनका ट्रान्सफर हुआ; जोधपुर से हो गया, कोटा से हो गया और ऐसे का हो गया श्रीनगर में हमारी तरफ से एडमिशन हुआ था, मुझे कहने में एतराज नहीं कि एक छात्र को हमने नामिनेट करके भेज दिया पर आज वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि जिसको राज्य सरकार ने भेजा वहां परिस्थितियां इस तरह की हो गयी कि वहां वायलेंस है, गड़बड़ी हो गयी इसलिए छात्र को बुला लिया, यह कोई एतराज वाली बात नहीं है। पर यह जो 10–15 छात्र बुलाये हैं जिनकी केपिटेशन फीस थी, जिनका एडमिशन कैसे हुआ ? उनमें से वह भी छात्र हैं जो पी.ई.टी. की परीक्षा में फेल हो गये थे, जिन्होंने पी.ई.टी. की परीक्षा दी, दो-दो बार दी, अफसोस की बात तो यह है कि राजस्थान के उन छात्रों को, राजस्थान के उन पढ़ने वाले बच्चों को पता लगेगा कि दो-तीन बार ट्राई करने के बाद जो छात्र, जिनके पुत्र यहां पास नहीं हुए, फेल हो गये और उन छात्रों ने पैसे दिये और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, यहां तक कोई ऐसी बात नहीं। पैसे दिये और गड्डी पे चढ़ गये, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में खूब होता है, यह सब जानते हैं कि वहां एडमिशन पैसे से होता है। दो-दो लाख और तीन-तीन लाख से होता है पर उन्हीं छात्रों के बराबर जिस क्षेत्र में 80 प्रतिशत के छात्र फेल हो गये पी.ई.टी. में। उनके सामने ठोकरें खा रहे हैं, या तो कोई एम.ए. कर रहा है या बेकारी में घूम रहा है और वह छात्र जो दो–तीन बार फेल हुए उसी कॉलेज में आकर क्लासेज अटेण्ड कर रहे हैं। वह ब्रांच अटेण्ड कर रहे हैं जिसका नम्बर वन है। वह ब्रांच जिसमें एडमिशन नहीं होता है बहुत ही टॉप छात्र होता है उसमें उनका एडमिशन बाहर हुआ और वहां से ट्रान्सफर करा लिया।

यह सबसे बड़ी बात है। वह अगर नहीं थे, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी कह रहे थे अम्बानी नहीं थे, नहीं थे तो अब बन गये। वहां महाराष्ट्र में तो अम्बानी या कुछ नहीं थे, महाराष्ट्र में उनका एडमिशन हुआ पर राजस्थान में आने पर अम्बानी बन गये। एक भी ऐसा छात्र नहीं जो साधारण छात्र हो, जो गरीब का बच्चा हो या ऐसे परिवार का हो जिस परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो गई। मैं मान सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि राज्य व्यवस्था के अन्दर चाहे सत्ता किसी की हो, मानवीयता, इन्सानियत या आपसी रिश्ता कभी टूटता नहीं। किसी ऐसे का जिसके परिवार में डेथ हो गई, जिसके यहां कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, एक ही बच्चा बचा है उनका ट्रांसफर होता है तो हमें कोई एतराज नहीं था। यह उनके ट्रांसफर हुए जिनके मां बाप जिन्दा ही नहीं करोड़पति हैं, जिनके पास पूरी दौलत है सिर्फ अक्ल नहीं। उनका एक

(112)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

ही कसूर है कि बराबर की अक्ल नहीं है। बड़े अच्छे घरों में वह पैदा हो गये अक्ल न होने की वजह से वहां गये और राजस्थान सरकार ने सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम्हारे में अक्ल है आ जाओ मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज में....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

यह है सबसे बड़ी बात । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में जिन छात्रों का कैपिटेशन फीस से एडमीशन हुआ है, यह जो मोशन मूव किया गया है मुझे उसमें यह एतराज है, रतनलाल जी जाट मंत्री जरूर हैं पर यह तो अम्बानी वाली श्रेणी में हैं। इनको उस श्रेणी में रखने की बजाय क्योंकि यह इस डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं थे, यह डिपार्टमेंट तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास था । चेयरमैन भी माननीय मुख्य मन्त्री जी थे, सलेक्शन उन्होंने किया, छांटा उन्होंने । जैसा पक्षपात और लड़कों में किया, यह ठीक है कि आज किसी अधिकारी के लड़के को ले लिया, एक सेठ के लड़के को ले लिया, इनमें से कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो राजस्थान के किसी अधिकारियों के न हों या राजस्थान के किसी बड़े असरदार ठेकेदार के न हों। यह वही लड़के है उनमें से एक लड़का इनका भी आ गया । परेशानी थी, इन्होंने भी उसी 46 पर्सेण्ट वाले को रखा गया था । इन्होंने यह सोचा और निश्चित रूप से इसलिए सोचा कि 25-26 जो इनके साथ जुड़े हुए हैं।

डा. हरिसिंह : इन्होंने क्या सोचा यह बतायेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं बता देता हूं। हरिसिंह जी, इन्होंने यही सोचा कि यह जो गंगा बह रही है इसमें हाथ धोने का मौका मिल रहा है अब बाद में मिलना नहीं। यह जो 25-26 जुड़े हैं मेरी समझ में, मुझे माफ करेंगे, यह तो कोई क्षण चूकना नहीं चाहते जो फायदा न उठायें।....

एक माननीय सदस्य : आपको तकलीफ हो रही है क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा इसमें अमेंडमेण्ट यह है कि यह अमेंड होकर इस तरह का प्रस्ताव होना चाहिये कि जो उस मौके पर ट्रांसफर हुए उनके चेयरमैन थे, इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार थे उनको हटाने का अगर प्रस्ताव आता, उनको सेंसर करने का प्रस्ताव आता तो निश्चित तौर से उनको सजा मिलती अदरवाइज तो यह है कि गुनाह तो किसी और ने किया और हम सजा उसको दे रहे हैं जो सबसे कमजोर लगता है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : दिया था वह डिस-एलाउ कर दिया ।

श्री हेतराम बेनीवाल : डिस-एलाउ कर दिया तो मैं तो अपना अमेंडमेंट इसी रूप में रखना चाहूंगा और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि न्याय तभी होगा जब इस रूप में इस प्रस्ताव को रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, अब कुल कहने को तो है नहीं, बहुत स्पष्ट कैटगरीकली माननीय सुरेन्द्र व्यास जी ने रख दिया । अब तो ज्यादा बोलकर उस केस को खराब करूंगा । अब इसमें

(श्री यदुनाथ सिंह)

गलती तो हो गई। उसका तो आप प्रायश्चित करो और मांफी मांग लो क्योंकि इसका जवाब तो कोई नहीं है। आगे ऐसे मत करो। मुझे इतना ही कहना है।

श्री चन्दनमल वैद : मांफी तो मांग लेंगे आप, माफ करने को तैयार हैं क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : क्षमा मांगेगें तो कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक चतुर व्यक्ति से बहुत बड़ी भूल हो गई, बीस वर्ष तक नैतिकता का हमें पाठ पढ़ाते रहे हमारे मुख्य मंत्री जी और चूक गये...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीस वर्ष तक

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने तीस साल सीखा होगा, मैंने बीस साल सीखा है। भूल हो जाती है। महाभारत में भी पुत्र मोह था, औलाद के मोह के अन्दर लोगों ने एप्रोच किया कुछ राजनैतिक कारण रहे होंगे....

श्री यदुनाथ सिंह : आपके कोई लड़का नहीं है।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उन बच्चों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा मानना है, किसी का कुछ भी मानना हो, मैं उन बच्चों के कतई खिलाफ नहीं हूं उन लड़कों ने क्या बिगाड़ा था ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आप उनसे डर रहे हैं कि वह बाहर गर्दन न पकड़ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं न आपसे डरता हूं, न लड़कों से डरता हूं लेकिन इन्होंने जो किया है, सुरेन्द्र जी व्यास ने बहुत विस्तार से कानून का हवाला देते हुए बात कह डाली। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी जोड़ता हूं कि जो कुछ हुआ सो हुआ आप इसको गलती मानो और भविष्य में नहीं करेंगे। क्योंकि आपका कोटा पूरा हो गया, आप कहोगे शिवचरण जी ने एक साल में तीन किये आपने 15 कर दिये, पांच साल का आपका कोटा पूरा हो गया भविष्य के अन्दर अब आपकी सरकार नहीं करेगी इस, बात का आप आश्वासन दें। यह गलत परम्परा भविष्य के लिए बन्द हो क्योंकि अभी तो एक मामला और हैं। मैंने सुना हैं कि मेडिकल कालेज में भी दो तीन लड़कों का ट्रांसफर हो गया है। एक जगह जब तक आप बन्द नहीं करोगे, वह अलग से बात आयेगी, क्योंकि इस परिपाटी को अब रोकना है, लड़कों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। एक दफा गुजरात में इतना असंतोष बढ़ा था वहां की सरकार गिर गई थी इतना असंतोष नहीं बढ़ जाये इस लिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब जो हुआ सो तो हुआ आप अपनी गलती स्वीकार करो और आगे के लिए वायदा करो कि आगे भविष्य में आप ऐसा नहीं करोगे, बात को यहीं समाप्त की जाये। मेरा तो यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य नहीं बोल रही है ?

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैंने रखा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं रखा है आपने ? विराजिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह कह देती हूं कि यह जो कुछ भी हुआ वह गलत हुआ है लेकिन अकेले रतनलालजी जाट के ऊपर इस तरह से बात लगाना यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका अलग से कोई मोशन नहीं था । जिनका अलग से था उन सबको मैंने बुला लिया है ।

डा. चन्द्रभान : मेरा एडजार्नमेंट मोशन था और आपने व्यवस्था दी थी कि ज्वाइंट क्लब करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अलग से था आपका ?

डा. चन्द्रभान : हां अलग से था। हेतराम जी का था और मेरा था। अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है और हम लोगों ने भी स्थगन प्रस्ताव रखा, मेरा स्थगन प्रस्ताव इससे संबंधित जरूर है लेकिन मेरा प्रस्ताव मुख्य रूप से मूल समस्या के ऊपर चोट है। यह जो कैपीटेशन फीस के माध्यम से दाखिले की व्यवस्था है यह राजस्थान में तो कम है लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादा है और समूचे देश भर में है । जब देश में है, दक्षिण में है तो इसका असर राजस्थान पर भी पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में विशेष रूप से उन लोगों को जरूर कहना चाहूंगा जो जाति के आधार पर आरक्षण के विरोधी हैं । यह सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए एक नई आरक्षण की सुविधा है "कैपीटेशन फीस" । राजस्थान के संदर्भ में जब एम. आर ई. सी. की बात चली, जो माननीय व्यास जी ने कहा, थोड़े दिनों तक मुझे भी इस विभाग का मंत्री रहने का अवसर मिला और इस सोसाइटी का चैयरमैन रहने का अवसर भी मिला....

एक माननीय सदस्य : गलती से....

डा. चन्द्रभान : गलती से तो नहीं था गलती से तो आप उधर बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि पहले तबादले नहीं होते थे । ट्रांसफर्स पहले भी होते थे और ट्रांसफर्स अभी भी हो रहे हैं । अब थोड़ी संख्या ज्यादा बढ़ गई । मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जिन लोगों के ट्रांसफर हुए हैं उनके पते देख लो और उनके पिताजी के नाम देख लो, यह सब लोग कौन हैं ? यह प्रभावशाली वर्ग और सम्पन्न लोग हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी पहले दयालू नहीं थे । मेरे ध्यान में है एक या दो मामले मेरे समय में हुए । यह जो चैयरमैन को राइट है और सोसाइटी को है यह प्रिन्सीपल के यहां से सैक्रेट्री द्वारा सिफारिश होकर आता है चैयरमैन इसमें आदेश करता है । मुख्य मंत्रीजी से यह गलती हुई कि इन पर प्रभाव ज्यादा डाला तो जयपुर में लोग है और इन्होंने उसको रिकमेण्ड कर दिया । कई बार ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिये था । एक जज के लड़के का मामला था। मैं मुख्य मंत्रीजी की याद में लाना चाहता हूं और उस जज की नागपुर जाते हुए रास्ते में हार्ट अटैक से डैथ हो गई । इसमें वकील, मजिस्ट्रेट और प्रतिनिधि मण्डल मुझे मिले और मुख्य मंत्रीजी से मिले तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउडंस पर किया गया था । एक मामला ऐसा और था.... उसमें तो मुख्य मंत्रीजी बहुत रैस्ट्रिक्ट थे ।

(डा. चन्द्रभान)

लेकिन उसके बाद में यह क्यों हुआ जो नहीं होना चाहिए था ? जहां तक कोटा इंजीनियरिंग कालेज का सवाल है वहां भी सोसाइटी है। एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर, अभी माननीय राम सिंह जी अवरोध कर रहे थे, का शैक्षणिक स्तर भी एम. आर. ई. सी. से खराब नहीं है। एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर शुरू से प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है और एम. आर. ई. सी. भी एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एम. आर. ई. सी. में सी. टी. आई. की जो पालिसी है उसको अब राजस्थान सरकार को करना चाहिए चूंकि इसमें केन्द्र से भी पैसा मिलता है। एक मामला जम्मू और कश्मीर का भी आया था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउण्ड की जब बात आ रही है। वह केबिनेट में भी आया, मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा हुई और यहां सदन में भी वह मामला शायद डिस्कस हुआ था। सब लोगों की राय थी कि जम्मू और कश्मीर में चूंकि हमारे लड़के पढ़ नहीं सकते तो उनका ट्रांसफर यहां पर किया गया था। इस तरह से तबादले हुए और तबादले आगे भी होते रहेंगे, मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इसमें टोटल बैन नहीं करेंगे और कानून में प्रावधान नहीं करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कानून तो है आलरेडी।

डा. चन्द्रभान : कानून में खामियां हैं, आप इसको समझते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पहले ट्रांसफर कैसे हुए थे 1987 और 1990 के बीच में ?

श्री रामसिंह विश्नोई : देश के अन्दर पैसा लेकर जब होगा तो लोग आते-जाते रहेंगे। आप देश में एडमिशन ही क्यों करते हो पैसे लेकर ? यह बात है।

डा. चन्द्रभान : मैं यही बात कहने वाला था जो माननीय रामसिंहजी कह रहे हैं। इस सदन को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करना चाहिए और केन्द्र सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजना चाहिए कि समूचे देश में कैपिटेशन फीस वह चाहे मेडिकल कालेज में हो, चाहे इंजीनियरिंग कालेज में हो, तत्काल बन्द की जानी चाहिए, उनकी मान्यता को रद्द किया जाना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इस बीमारी से राजस्थान को पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। या फिर राजस्थान की सरकार यह तय कर दे कि एम. आर. ई. सी. में चेयरमैन को या बोर्ड को यह राइट नहीं होगा कि वह इस तरह से कर सके। कोई भी, किसी भी ग्राउण्ड पर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये प्रभावशाली लोग हमेशा दबाव डालते रहेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जोधपुर से यहां आ गया, क्या परेशानी हो गयी ?

डा. चन्द्रभान : जोधपुर और कोटा की कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी, जैसा आपने कहा, नियम बने हुए हैं। पी. ई. टी. के मार्क्स का है। जब वहां पर इण्टरव्यू होता है तो एम. आर. ई. सी. को फर्स्ट प्रिफरेंस मिलती है। वह मार्क्स के आधार पर मिलती है और फिर ब्रांच का सवाल भी उसमें आता है। ये नियम बने हुए हैं

(डा. चन्द्रभान)

कि फर्स्ट ईयर पास किये बिना उसका ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन यह जो सूची है इसमें कई ऐसे मामले भी हैं जिनका फर्स्ट ईयर पास करने से पहले ही ट्रांसफर हो गया।

इसी के साथ मैं मनोनयन की प्रणाली का भी विरोध करता हूं। यह एक तरह से नयी आरक्षण व्यवस्था है। जितने भी नामिनेशन होते हैं, वह चाहे मेडिकल कालेज में होते हैं चाहे इंजीनियरिंग कालेज में होते हैं वे राजनीतिक या प्रशासन में बैठे हुए प्रभावशाली लोगों, या जिनको कहना चाहिए सम्पन्न वर्ग के लोग, उन्हीं के लड़कों को यह सुविधा मिलती है। गरीब के लड़के को यह सुविधा नहीं मिलती है। राज्य सरकार को इस सदन में आश्वासन देना चाहिए और कानून में प्रावधान करना चाहिए कि राज्य सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में कोई नामिनेशन नहीं करेगी। जब नामिनेशन ही नहीं होगा तो उनके ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं उठेगा। नम्बर दो, जो बोर्ड है या चेयरमैन है एम.आर.ई.सी. का, उसको किसी भी सूरत में अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफर कर सके। यदि सरकार इस पर अमल करना चाहती है तो यही एक रास्ता है। तीसरा, सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव होना चाहिए कि केन्द्र सरकार पाबन्दी लगाये कैपिटेशन के जितने भी कालेज हैं उन पर। इतना ही नहीं, कैपिटेशन इंजीनियरिंग कालेज से जो लड़के पास करके आते हैं उनको राजस्थान में मान्यता है। वे सरकारी सेवाओं में पहले चले जाते हैं, क्योंकि बड़े बाप के बेटे होते हैं। और जो लड़के इन इंजीनियरिंग कालेज से पास करते हैं उन लड़कों को सर्विसेज नहीं मिलती हैं।

मैं इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने इसी बजट भाषण में एक बात कही है कि राज्य सरकार सीकर मे एक नया मेडिकल कालेज निजी क्षेत्र में खोलने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। उसमें भी ये गड़बड़ियां होंगी। उसके लिए भी पहले से निश्चित हो जाना चाहिए कि उसमें प्रवेश कैसे होंगे। प्रवेश का निश्चित नहीं होगा तो इस तरह के मेडिकल कालेज को राजस्थान में परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। फार्मास्युटिकल और टैक्निकल कालेजों में ये गड़बड़ियां हो रही हैं। जो प्राइवेट कालेज हैं उनमें यह डोनेशन चल रहा है। कई पब्लिक स्कूल हैं उनमें भी खुला डोनेशन चल रहा है। रुपए के आधार पर प्रवेश देने की जो यह प्रथा है इसको बहुत गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिए। इसको बन्द करने के लिए सरकार में एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, प्रयास भी करने चाहिए और कानून में भी पाबन्दी लगनी चाहिए तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, कहां इसमें बेइमानी हुई है, ये सारी बातें सामने आ गयीं। मैं आप से यही निवेदन करूंगा कि कैपिटेशन फी, रैगुलर एडमिशन और टैक्निकल एजुकेशन के बीच में फर्क क्यों रखा गया है कैपिटेशन फी में कोई लिमिटेशन नहीं है, बस वह पास होना चाहिए चाहे थर्ड डिवीजन में हो चाहे फर्स्ट डिवीजन में हो या दूसरे, जो स्टूडैण्ट

(डा. हरिसिंह)

कैपिटेशन के थ्रू आते हैं। यूनिवर्सिटी भी इनमें डिफरेंस करती हैं और उनकी नौकरी में भी फर्क पडता है। बाद में कि फलाने कालेज से है, जैसे एम. बी.ए. बम्बई से है। इंस्टीट्यूशन की अपनी एक क्रेडिट होती है एकेडेमिक स्टैण्डर्ड के हिसाब से। उस क्रेडिट को मेण्टेन रखने के लिए कुछ नार्म्स बनाये हुए हैं, कुछ स्टैण्डर्ड बनाये हुए हैं। कैपिटेशन फी वाले इसलिए नहीं ट्रांसफर करते इन दूसरे कालेजेज में कि उनके नार्म्स नहीं हैं। उनका नार्म सिर्फ पैसा है, जिसके पास पैसा हो वह वहां एडमिशन ले लें। यह एक बड़ा लोगों के मन में सोचने का है, कैपिटेशन फी वालों को इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी। उनकी मान्यता भी नहीं है, जैसे कैपिटेशन फी वाला दरभंगा से आ जाय। मेडिकल कालेज में भी बहुत–से किस्से माननीय मुख्य मंत्रीजी को मालूम होंगे। वे डिग्री ले जाते हैं लेकिन रैकग्नाइज्ड नहीं हैं। उस सब बात को कवर करने के लिए वहां एडमिशन लेकर यहां से पास कर लिया, चाहे मेडिकल कालेज से कर लिया हो या इंजीनियरिंग कालेज से। तो वह एक मान्यता प्राप्त काम हो जाता है। इम्तिहान में भी शायद गड़बडियां कर–कराकर पास-वास हो जाते हैं।

दूसरे, एक चुटकी मैं लेना चाहता हूं, कि एकेडेमिक बातें वही कर सकते हैं जो एकेमेडीशियन हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, एकेडेमिक बातें न करें यथार्थ की बात करें। एक दिन आप कह रहे थे कि मैं वहां जाता हूं वैसे ही भाषण दे देता हूं, वेद पर दे देता हूं तो वे तारीफ कर देते हैं। आप कम से कम टैक्निकल मामले में मत उलझिये, नहीं तो मेरे को बीच में आपको टोकना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इंजीनियरिंग कालेज में ट्रांसफर और माइग्रेशन के प्रश्न को लेकर....

श्री केदार नाथ शर्मा : प्वाइंट ए पाइण्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष जी, रिजोल्यूशन हमारे सामने आया है रूल 119 के तहत, उसमें तो केवल यह है कि मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर जाट, इनका मनोनयन निरस्त किया जाय, कैंसल किया जाय। ठीक है तो तथ्य पेश किये गये। मैरिट्स की फिलासाफी हम भी मानते हैं कि माननी चाहिए। जो स्टूडेण्ट मैरिटोरियस हों उनका गला न घोंटा जाय, बैक डोर से एण्ट्री न हो। ये फ़ैक्ट्स जो आपने दिये, ठीक मानता हूं। कैपिटेशन फी आज बन्द हो नहीं हो, यह हमारे हाथ की चीज नहीं है। मुझे मालूम है, 4-5 साल पहले कर्नाटक में खास तौर से पंजाब और गंगानगर से जो लड़के वहां पढ़ने गये उनके खिलाफ एक टाइरेड छेड़ा गया। एक लड़का मारा गया और अनेक घायल हुए। दो महीने तक वहां कालेज बन्द रहे और लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो गयी। उस वक्त स्टेट गवर्नमैण्ट के पास सिवाय माइग्रेशन के और कोई रास्ता नहीं था। महाराष्ट्र में भी कुछ दिन पहले ऐसी एक बहुत बड़ी वेव चली।

श्री अध्यक्ष पाइण्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री केदारनाथ शर्मा : पाइण्ट आफ आर्डर मेरा यह है कि यह किस बात का ?

(श्री केदार नाथ शर्मा)

माइग्रेशन करके स्टूडैण्ट आये क्योंकि वे मैरिट में नहीं थे, फेल हो गये थे। लेकिन वहां पैसा देकर उन्होंने एडमिशन ले लिया और यहां आ गये। वह तो मैरिट की दृष्टि से गलत है। मगर यह मोशन किस बात का है? मनोनयन तो है नहीं इनका। ये तो by virtue of being a minister, ex–officio हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बैनीफीशियरी हैं।

श्री केदार नाथ शर्मा : मनोनयन नहीं है। बैनीफीशियरी अलग चीज है। उसको भी एक बच्चे को सिंगल आउट करें। यह एब इनीशियो रांग है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बताता हूं कि यह सेण्ट्रल का था, लेकिन चूंकि बहुत एजीटेटेड थे मैम्बर्स कि हमें इस पर बोलना ही है। जैसा आप बता रहे हैं, ये इसमें बाई वच्यूं आफ पोस्ट है। वह चूंकि रूल्स में है बाई वर्च्यु आफ पोस्ट....

श्री सुरेन्द्र व्यास : There is no 'by virtue of post'. It cannot over-ride the provisions of the Rules. There is no rule like this The Rules has not been amended.

श्री अध्यक्ष : यह इण्टर प्रिटेशन की बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इण्टरप्रिटेशन नहीं है, अध्यक्ष महोदय। Let the Chief Minister say.

श्री अध्यक्ष : खैर, छोड़िये, आपका तो हो चुका न। पाइण्ट आफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री केदार नाथ शर्मा : 29.5.1990 को जो आपने आदेश निकाला है कि एक्स-आफिशियो है, यह मनोनयन नहीं है। इसलिए एक इनीशियो यह रिजोल्यूशन स्टैण्ड नहीं करता, इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी, फैक्ट्स अलग हैं। उस मसले को मैं मानता हूं कि कोई गला नहीं घोंटा जाय, बैक डोर एण्ट्री न हो। मगर यह resolution, as such, does not stand.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में माइग्रेशन और ट्रांसफर के एक प्रश्न को लेकर मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सब्सटैण्टिव मोशन मूव किया है। मोशन मूव कर दिया गया और उस चर्चा हुई। मोशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्री रतनलाल जाट....

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह मोशन है, मुख्य उद्देश्य नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं बता देऊंगा। कि श्री रतनलाल जाट का मनोनयन एज चेयरमैन, एम.आर.ई.सी. नहीं किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अपनी रूलिंग दी उस समय एक व्यवस्था बतायी थी और अभी प्रोफेसर केदार भी बोल रहे थे। 29 मई, 1990 का लैटर जो भारत सरकार की ओर से हमें प्राप्त हुआ है उसको सदन में पढ़कर सुना देता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"Appointment of Chairman, Board of Governors in the Regional Engineering Colleges.

"I am directed to state that as per the provisions in the Memorandum of Association and Rules of the Regional Engineering College, the Chairman of the Board of Governors is to be appointed by the State Government with the approval of the Central Government. As a matter of convention, generally it has been adopted that the Minister-in-Charge for the Technical Education in the State is appointed Chairman of the Board of Governors in the Regional Engineering College located in the State. Everytime when there is a change in the Minister-in-Charge for Technical Education, the State Government processes the case for appointment of the new incumbent, obtains approval of the Central Government. The process, normally, takes about 2 to 3 months before the new incumbent is appointed as Chairman of the Board. The resulting time-gap affects smooth functioning of the college.

"This matter has been examined by the Central Government and keeping in view the interest of continuity in smooth functioning of the college, it has been decided that the Minister-in-Charge for Technical Education in the State Government be appointed by designation Chairman, Board of Governors of the Regional Engineering College in the State.

"I am to request that further action in the matter will be taken by the State Government accordingly in future and Central Government will be informed of change."

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने इसलिये पढ़कर सुनाया कि श्री रतन लाल जाट, भारत सरकार के इस निर्देश के अनुसार उसके चेयरमैन हैं। उसके पहले जो व्यवस्था थी, जब कोई चेयरमैन नियुक्त होता तो भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी, उसमें समय लगता था। और इस कारण से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन करने के बाद श्री रतन लालजी, जो इस डिपार्टमेंट के इन्डिपेन्डन्ट मिनिस्टर हैं, वे अपने आप ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं।

अब अध्यक्ष पद से हटाने का प्रश्न इसलिये उत्पन्न किया गया कि श्री रतन लालजी के लड़के का भी ट्रान्सफर हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, और माइग्रेशन एक ऐसे कालेज से हुआ है जो एक प्राइवेट कालेज है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और जिसके बारे में यह आरोप लगाया जाता है कि वहां पर कैपिटेशन फीस ली जाती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1987 के पहले इस प्रकार के ट्रान्सफर्स और माइग्रेशन नहीं होते थे। केवल एक बार हुआ था 6.8.1981 को। उसके अलावा कोई ट्रान्सफर नहीं हुआ। 1987 में इसी बोर्ड ने उसमें रिलेक्शन किया। बोर्ड की जो सारी कन्डीशन्स थी, वह सुरेन्द्रजी ने सुना दी और बाकी के मैम्बर्स ने भी सुना दी। 1987 में यह था कि रूल्स के होते हुए भी अगर मानवीय आधार पर यह उचित समझा जाये तो माइग्रेशन या ट्रान्सफर हो सकता है। उसके बाद में माइग्रेशन और ट्रान्सफर की बात चली है, उसके पहले नहीं थी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : कैपिटेशन फीस वाली बात भी कह दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, 1987 के बाद जो परम्परा चली है, जो व्यवस्था चली है, तो यह मानकर चलें कि इसका इन्टरप्रेटेशन केवल मैंने ही गलत किया, यह बात नहीं है। मैंने 1991 में यह इन्टरप्रेटेशन किया है, यही इन्टरप्रेटेशन 1990 में था, 1989 में था और 1988 में था और यही इन्टरप्रेटेशन पहले था।

श्री चन्दन मल बैद : You are in good company.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Unfortunately I have in the company of past ministers who happened to be from Congress Party.

मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इस इन्टरप्रेटेशन में कोई गलती होती तो पूर्व सरकार, जिसने इस प्रकार के ट्रान्सफर्स और माइग्रेशन्स किये हैं, लॉ डिपार्टमेंट से ओपीनियन लेती या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इस मुद्दे को खड़ा किया जाता। न तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में यह प्रश्न कभी खड़ा हुआ, न सरकार के सामने इस प्रकार का प्रश्न खड़ा हुआ। यह एक एडमिटेड फैक्ट रहा है कि 1987 में जो अमेन्डमेंट हुआ, उस अमेन्डमेंट के कारण से यदि किसी मानवीय आधार पर ट्रान्सफर कर दिया जाये तो उचित है। (व्यवधान) मैं इतना कहना चाहता हूं कि वैसी स्थिति में अगर कोई गलती हुई हो, जैसा सुरेन्द्रजी कह रहे थे, कि इन्टरप्रेटेशन उसका करेक्ट नहीं है, तो यह गलती लगातार 1987 से हो रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1988 से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1988 से।

मैं आज भी मानता हूं कि कोई गलती नहीं है। जो इन्टरप्रेटेशन आज मैं कर रहा हूं या बाकी के माननीय सदस्य कर रहे हैं, इन्टरप्रेटेशन वही है। अगर यह इन्टरप्रेटेशन नहीं होता तो लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो जहां तक यह प्रश्न आता है कि 1987 में जिस प्रकार से निर्णय लिया गया उस निर्णय के विरोध में किसी का ट्रान्सफर या माइग्रेशन हुआ हो, मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

नम्बर दो, जहां श्री रतन लालजी का प्रश्न आता है कि इनके लड़के का किसी प्रकार से एडमिशन या माइग्रेशन हुआ है, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सब जानते हैं कि श्री रतन लाल जी का लड़का महाराष्ट्र के पूर्सेड इन्जिनियरिंग कालेज में था।

वहां पर कई दिनों से एक हवा चल रही थी कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के अलावा अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स को यहां एडमिशन नहीं दिया जाय। यहं कई दिनों से हवा चली और जो छोटे छोटे बच्चे जो गए, या जो अपने आपको असुरक्षित फील कर रहे थे उन बच्चों को निकाला, प्रवेश नहीं लेने दिया गया और प्रवेश लेने के बाद मार-पिटाई की गई और मार-पिटाई से भी अगर कोई नहीं भागे तो अन्त में जाकर 3 विद्यार्थियों का मर्डर हुआ। अब मर्डर होने के बाद जब वहां पर इस प्रकार का प्रचार चला कि राजस्थान के लड़कों को यहां नहीं रहने दिया जायेगा, उनमें एक रतनलालजी जाट का लड़का भी था। अब रतनलालजी के लड़के का इससे बड़ा कोई ह्यूमेनिटेरियन ग्राउण्ड क्या हो सकता है ?

डा. हरिसिंह : बहुत लड़के थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : गंगानगर के थे, वहां पर आतंकवाद खड़ा कर सकते थे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती थी।

श्री चन्दनमल बैद : जोधपुर के ले लेते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सुन लीजिए। आप बहुत अच्छी तरह से बोले हैं, किसी ने टोका नहीं है। अब उस एक लड़के का यदि माइग्रेशन हो जाता है, उस माइग्रेशन के कारण से परेशानी हुई। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियों में यह माइग्रेशन किया है वह वाजिब था। कहीं उसमें अनौचित्य का सवाल पैदा नहीं होता है, कहीं उसमें कोई बेइमानी का सवाल पैदा नहीं होता है और किसी भी प्रकार से करप्शन का सवाल उसमें पैदा नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां के अखबारों में भी वहां जो घटनाएं हुई उन घटनाओं के सम्बन्ध में काफी छपा है। मेरे पास कई पत्र आये कि महाराष्ट्र की सरकार को लिखा जाय। मैंने महाराष्ट्र की सरकार को लिखा तो नहीं लेकिन तत्कालीन चीफ मिनिस्टर से....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : टेलीफोन पर बात की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात की मैंने और यह कहा कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, इसको रोका जाय। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर ऐजुकेशन के स्टेण्डर्ड के सम्बन्ध कई बातें कहीं कि माइग्रेशन से स्टेण्डर्ड गिरता है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां जब श्रीनगर में पैदा हुई तो श्रीनगर से 32 स्टूडेंट्स का एम.आर.ई.सी. में ट्रांसफर या माइग्रेशन,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह ट्रांसफर भारत के सरकार के ग्रादेश से हुग्रा। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसमें 26 विद्यार्थियों का इस प्रकार से स्थानान्तरण किया है। ग्रब ग्राप यह समझें कि कश्मीर का स्टैण्डर्ड ग्रौर एम.ग्रार.ई.सी. का स्टेण्डर्ड, दोनों का एक-सा है, बराबर का स्टेण्डर्ड कैसे मान सकते हैं। एम.ग्रार. ई.सी. के मुकाबले का स्टेण्डर्ड नहीं है लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां थीं उन परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण ग्रावश्यक था ग्रौर स्थानान्तरण किया गया है....

डा. चन्द्रभान : कश्मीर का कालेज रीजनल इंजीनियरिंग कालेज था, एक जैसा स्टेण्डर्ड था कोई प्राइवेट कालेज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता देऊं ग्रापको डा. साहब। ग्राप ज्यादा चिन्ता मत करो, मैं बोल रहा हूं, ग्रा रहा हूं धीरे धीरे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राखिर स्थानान्तरण, माइग्रेशन या ट्रांसफर जो भी हुए हैं वह इस प्रकार की कन्डीशंस में ट्रांसफर ग्रौर स्थानान्तरण हुए हैं। मैं समझता हूं कि 1987 में भी जो निर्णय लिया गया यह उसी प्रकार की परिस्थितियों में लिया गया कि कोई लड़का बीमार हो, नम्बर एक, मां-बाप में से किसी की मृत्यु हो जाय, नम्बर दो, किसी ग्रादमी के सामने सुरक्षा का प्रश्न ग्राकर खड़ा हो जाय, नम्बर तीन या इसी प्रकार की ग्रौर परिस्थितियां पैदा हो जायं जिनमें उस लड़के का वहां रहना ग्रौर पढ़ना सम्भव नहीं हो, उनका स्थानान्तरण किया जाय ग्रौर इस ग्राधार के ऊपर यह स्थानान्तरण हुए हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : किसी लड़के का बाप मंत्री बन जाय या एज्युकेशन सैक्रेटरी बन जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्रीजी, ग्रमरावती में भी झगड़ा हुग्रा था? एक लड़का ग्रमरावती से ग्राया है, पूसड से तो इनका लड़का ग्राया है बाकी 5 जगहों से ग्राये हैं वहां भी दंगे हुए हैं क्या?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो ग्रम्बानी ग्राया है यह महाराष्ट्रीयन है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 22 ग्राये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य मंत्रीजी, यह ग्रम्बानी महाराष्ट्रीयन है, महाराष्ट्रीयन कैसे ग्राया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, ग्राप सुन लीजिए। यह तो बोल दिया सब श्री सुरेन्द्रजी ने (व्यवधान)....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : बड़ौदा में भी दंगे हुए हैं? कृपया ग्रपने भाषण के जरिए दंगे तो मत करवाइए। ग्रसत्य दंगे तो मत करवाइए, सत्य दंगे करवाइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, इन्होंने ग्रपनी तरफ से सब कह दिया लेकिन सुनने को तैयार नहीं हैं। तो, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ कहा है उसके बारे में सुनने का भी थोड़ा ध्यान रखें। मैंने केवल रतनलालजी का नाम इसलिए लिया था कि उस प्रस्ताव का हिस्सा रतनलालजी को बनाया गया है।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मैंने इसलिए शुरू में यह बात कही हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न आता है कि जितने भी प्राइवेट कालेजज से यह आये हैं वहां से उनको नहीं आना चाहिए। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि कोई ऐसा प्राइवेट कालेज हिन्दुस्तान में नहीं है जिसका किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं हो। सारे यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड कालेजज हैं और जो आल इण्डिया लेवल पर यूनिवर्सिटीज की एसोसिएशन है उस एसोसियेशन से इस प्रकार के कालेज मान्यता प्राप्त हैं।

दूसरी बात जो शायद प्रोफेसर केदार ने कही या किसी ने कही....

डा. हरिसिंह : अकेडेमिक भाषण निराधार से ज्यादा कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब, डा. साहब, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो।

डा. हरिसिंह : I don't want to mislead the House.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपके बराबर में कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आपकी अकेडेमिक क्वालिफिकेशंस को, आप बहुत ज्यादा अकेडेमिशियन हो सकते हैं लेकिन उसके बारे में आपको कोई दूसरा आदमी बात कहे उसको केवल यह कह कर कि आपके बराबर अकेडेमिशियन नहीं है इसलिए बोल नहीं सकता, यह तो उचित नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो टैक्निकल +++हैं, आप भी हैं क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : टैक्निकल+++ हैं ये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं कि मैं तो किसी प्रकार का +++ नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने निवेदन किया कि सारी यूनिवर्सिटीज या कालेजेज जितने भी हैं, प्राइवेट केपेटीशन वाले कालेजेज हैं यह एफिलिएटेड कालेजज हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटीज से इनका एफिलिएशन है और आल इण्डिया लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज की एसोसियेशन बनी हुई है उसमें यह सारे के सारे कालेज मान्यता प्राप्त हैं।

अब प्रश्न यह आता है, जैसे एक सिद्धान्त का सवाल खड़ा किया कि प्राइवेट कालेज, चाहे मेडिकल कालेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो, नहीं खुलने चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के जमाने में इसकी आवश्यकता है और आवश्यकता इसलिए है कि सरकार अपने खर्चे से और अपनी व्यवस्था से मेडिकल कालेज और इंजीनिय-कालेज के एडमिशंस की डिमान्डस पूरा नहीं कर सकती है और जब इस प्रकार के एडमिशंस पूरे नहीं हो सकते हैं तो यह बात

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चुप बैठे नहीं रहा जा सकता है कि जो लोग मेडिकल कालेज में पढ़ना चाहें या इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ना चाहें उन लड़कों को किसी न किसी स्थान पर पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो। इस प्रकार से केवल राजस्थान में हमने सीकर की बात कही है लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत से राज्यों में मेडिकल कालेज ऐसे हैं जो प्राइवेट चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेज प्राइवेट चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसको बन्द करने का प्रस्ताव पास किया जाय, मैं इसको उचित नहीं समझता। आज के जमाने में तो उल्टा आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कालेज खोले जायं, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेजज खोले जायं....(व्यवधान) मेरी सुन लीजिए। उसमें आप यदि चाहें तो यह कर सकते हैं कि उसमें राजस्थान सरकार की इतनी सीट्स होंगी जिन सीट्स के अन्दर मैरिट के आधार पर लड़कों का चयन हो और उनमें प्रवेश दे दिया जाय। बाकी यह समझें कि मेडिकल कालेज नहीं खुलेंगे तो हमारे यहां मेडिकल कालेज में जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मेडिकल कालेज में हम एडमिशन दे नहीं पायेंगे, इंजीनियरिंग कालेज नहीं खुलेंगे तो अपनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय आवश्यकता है कि राजस्थान में मेडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कालेज खुलने की। उसमें सोच–समझ कर इस प्रकार की पाबन्दियां लगा सकते हैं टोटल एक्सप्लायटेशन नहीं हो बल्कि जो प्रतिभावान छात्र हैं वह चाहे राज्य सरकार की मार्फत जायं, चाहे वह अपनी रेगुलेशन में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिसमें प्रतिभावान छात्रों को प्रवेश मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर यदि मेडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कालेज खुलने की व्यवस्था की गई वह उचित है। जो कुछ इस सम्बन्ध में सुझाव आये हैं मैं उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर और माइग्रेशन, ट्रांसफर होता है एम. आर. ई. सी. की जो सोसाइटी बनी है उस सोसायटी में एक कोटा है, एक है जयपुर और एक है भीलवाड़ा। यह एक ही सोसाइटी के अन्तर्गत ये तीनों आती हैं। उस सोसाइटी के अन्तर्गत (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीनों अलग-अलग हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एडमिशन और एग्जामिनेशन का स्टेण्डर्ड कामन है।

डा. चन्द्रभान : चेयरमैन एक ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चेयरमैन एक है। ऑटोनामस बाड़ी है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके बीच में आना-जाना होता है, यह तो हैं केवल ट्रांसफर्स और दूसरे कालेज से जो आते हैं वह है माइग्रेशन। अब जोधपुर से आयेगा तो माइग्रेट होगा और किसी कालेज का आवेगा तो वह माइग्रेट होगा। माइग्रेशन और ट्रांसफर में अगर आप संख्या निकालें तो कुछ कालेज तो ऐसे होते हैं जो सरकारी कालेज हैं, उन सरकारी कालेजज से यहां ट्रांसफर होता है या उन सरकारी कालेजज से माइग्रेशन होता है वह आपत्ति की बात उतनी नहीं है। लेकिन यहां क्वेश्चन खड़ा किया कि जो आदमी आए हैं पैसे वाले हैं और वह पैसा खर्च करके आए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि....

श्री हेतराम बेनीवाल : वहां एडमिशन में पैसा खर्चा करके यहां आये हैं। (व्यवधान)....यह किसने कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं निवेदन कर देऊं, उसमें कौनसी गलती हुई है।

डा. हरिसिंह : कोई गलती नहीं हुई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लें। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : गलती मानना महान आदमी का कार्य है। चक्कर देना अच्छा काम नहीं है। यह चक्कर देने की कोशिश मत करिए। गलती को सीधे-सीधे मान लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा....

श्री अध्यक्ष : मोशन ही यह कर देते कि गलती मानी ली गई। फिर यह डिबेट की जरूरत ही नहीं थी।

श्री चन्दनमल बैद : हुकम दें तो अमेंडमेंट कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अमेण्ड कर लें, मैं स्वीकार करूंगा तब होगा ना।

श्री अध्यक्ष : बिना मूव के अमेंड कर लें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे प्राइवेट कालेज हों, चाहे सरकारी कालेज हों, मैंने हिन्दुस्तान में आज तक कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं देखी कि जिस व्यवस्था में प्राइवेट कालेज से निकाले हुए छात्र और सरकारी कालेज से निकले हुए छात्रों के सम्बन्ध में नौकरी के समय में किसी प्रकार का भेद-भाव होता हो ? (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : कई को यूनिवर्सिटीज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। यह कैपेटेशन फीस वाले जो कालेजज हैं यह कई बहुत से ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। आपको मालूम है कि डा. असावा जो फोरेन्सिक मेडिसन में एम. डी. दरभंगा से थे, जो आपके बहुत घनिष्ठ थे, उनका एपाइन्टमेंट नहीं कर सकी सरकार। क्योंकि दरभंगा मेडिकल कालेज प्राइवेट कालेज था वह मान्यता प्राप्त नहीं था।

(2.00 म. प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह रहा हूं कि डाक्टर साहब इसका अन्तर कर लेओ कि कौन मान्यता प्राप्त है और कौन मान्यता प्राप्त नहीं है। जो मान्यता प्राप्त है उस मान्यता प्राप्त से यदि कोई एम.बी.बी.एस. करें या इन्जीनियरिंग कालेज की कोई डिग्री प्राप्त करें और कहीं जाए यदि अपाइन्टमेंट के लिए सलेक्शन होता है उसमें कोई अन्तर नहीं है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है आपकी जानकारी हो सकती है।

डा. चन्द्रभान : यह अन्तर होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होना चाहिए यह दूसरी बात है लेकिन आज तक कहीं इस प्रकार का अन्तर नहीं हुआ। चाहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर्नाटक में कोई पढ़कर आये, चाहे जयपुर में कोई पढ़ कर आये, चाहे जोधपुर में पढ़ कर आये, चाहे कोटा में पढ़कर आये और वह यदि किसी भी सलेक्शन बोर्ड के सामने जाता है तो यह क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है कि यह केपिटेशन फीस लेकर इसने पढ़ाई की है या सलेक्शन मेरिट के आधार पर इसका हुआ है। इस कारण से मैं समझता हूं कि इस विवाद में कोई विशेष दम नहीं है कि किस आधार पर इनका सलेक्शन होता है और किस आधार पर इनका माइग्रेशन हुआ।

माइग्रेशन, डाक्टर साहब तो यह कहते हैं कि रिकाग्नाइज नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह सब रिकाग्नाइज हैं हैं और इस नाते से कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि मैंने लगभग 23 माइग्रेशन और ट्रांसफर्स किए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 16, सिक्सटीन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे शासनकाल में आपने शायद 23 बताए हैं। मैं कह रहा हूं। मैं इन्कार कहां कर रहा हूं। अब अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 1981-82 में कुल दो स्थानान्तरण हुए, 22-12-1987 के संकल्प के पश्चात् 1988-89 में दो हुए, 1989-90 में 6 हुए और यह करने वाले भी मैं समझता हूं कोई मामूली आदमी. नहीं, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, एक राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री रहे हैं, इन्होंने भी 1987 में संशोधन हुआ उस संशोधन के आधार पर किए हैं। वह संशोधन शायद नहीं होता तो इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती। अगस्त, से लेकर नवम्बर, 1990 तक आठ हुए हैं और दिसम्बर, 1990 से अब तक 18 हुए हैं। यह आंकड़ें जो आपने दिए हैं उन आकड़ों का मैं थोड़ा ब्रेक....

श्री चन्दनमल बैद : इसमें भी आपका कीर्तिमान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मना नहीं कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : थैंक्यू वैरी मच।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा कीर्तिमान इस बात का है कि मैं मानवता का ज्यादा ध्यान रखता हूं। मैं निष्ठुर नहीं हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह जरूर मानवता है। एजूकेशन कमिश्नर और एजूकेशन मिनिस्टर के लड़कों को लेना मानवता नहीं है तो मानवता हो ही क्या सकती है?.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि एक बार रास्ता खुल जाता है उस रास्ते में कौन कितना निकल जाए यह एक समस्या रहती। फ्लड गेट खुल गया, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाता कि किस समय किसका अपाइन्टमेंट हुआ और किस तरह माइग्रेशन हुआ, किस तरह से उसका प्रोसेसिंग हुआ, जो माननीय सुरेन्द्र जी व्यास ने भी नहीं उठाया और बाकी के लोग भी नहीं बोलें। लेकिन मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतना कह सकता हूं कि माइग्रेशन, ट्रांसफर्म और जिन कालेजेज से उनको लिया है, सारे कालेजेज या जो आपने कहा कि सब्जेक्टस चेन्ज किए, सब्जेक्ट्स भी पहले चेन्ज हुए हैं प्राइवेट कालेजेज से भी पहले लिए गए हैं। जो दूसरी जगह पर भरती थे उनको भी यहां पर लिया गया है। इसलिए उस परेशानी में, उन डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाना चाहता और डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय....

श्री चन्दनमल बैद : मैं फंस रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं कोई नहीं फसूंगा, आप चिन्ता ही मत करो, कोई न फंसा सकता है न मैं फंसूगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही और यह कहा कि यह विधान सभा मेरे साथ वोट नहीं करेगी तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं गवर्नर को जाकर कहूंगा कि भैरोंसिंह को वर्खास्त किया जाए, मैं दिल्ली में भी जाऊंगा, इसका मतलब आपके सामने विधान सभा का तो कोई महत्व नहीं है। इतना सा ही आपने नहीं कहा कि यह प्रस्ताव पास हो गया तो मैं आत्मदाह करूंगा यह आपने नहीं कहा। बाकी अपने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, आप हाई कोर्ट में जाए, आप गवर्नर महोदय के पास जाए, आप चाहे राष्ट्रपति के पास जाए, चाहे भारत सरकार के पास जाए, इस कानून में जो कुछ भी कार्यवाही हुई है यह सारी नियमों के अन्तर्गत हुई है और अब आप यह कहें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार कह रहे थे नियम, नियम, नियम, मैं उनकी जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि यह नियम नहीं है, गाइड लाइन्स हैं। आप चाहे और देख लेना, मैंने भी इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है, यह नियम नहीं है गाइड लाइन्स हैं और नियमों के सम्बन्ध में भी आपको शायद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने होल्ड किया है और होल्ड किया है इस आधार पर कि भोपाल में एक मेडिकल कालेज में इसी प्रकार से माइग्रेशन का क्वेश्चन था उस माइग्रेशन के क्वेश्चन को लेकर चुनौती दी गई और चुनौती देकर यह क्वेश्चन रेज किया गया कि रूल्स नहीं है यह गाइड लाइन्स है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि रूल्स का क्वेश्चन हमारे सामने नया उठाया गया है हम इस प्रश्न के ऊपर कोई निर्णय नही देना चाहते लेकिन यह जरूर कहा कि रूल्स भी इन्फ्लेग्जीबल नहीं हो सकते, रूल्स मेण्डेटरी नहीं हो सकते और रूल्स इतने सख्त नहीं हो सकते कि जिस के कारण से इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सके। रूल्स के बारे में भी स्पष्ट रूप से तीन बातें कही हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप रूल्स की बात न कहें। आप यह न कहें कि रूल्स के कारण से या रूल्स का वायलेशन हुआ है तो 1987 का प्रस्ताव है उसके कारण से रूल्स का वायलेशन नहीं हो सकता और यदि रूल्स नहीं है यह गाइड लाइन्स हैं। उन गाइड लाइन्स के आधार पर यह सारी कार्यवाही की गई। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस प्रश्न के ऊपर यह कहा जाए कि एकेडेमिक सारा कैरियर खराब हो जाएगा, स्टैण्डर्ड खराब हो जाएगा, यह हो

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

जाएगा। यह स्टैण्डर्ड तो हम भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना तो कम से कम जानते हैं कि कई बार सलैक्शन के अन्दर और पी.ई.टी. में कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जो मोस्ट इन्टेलीजेन्ट और डिजर–विंग स्टूडेण्ट्स होते हैं उनका नम्बर नहीं आता है और बाई लक और चान्स ऐसे स्टूडेण्ट्स का नम्बर आ जाता है कभी खुद भी यह नहीं सोच सकते थे कि मैं पी.ई. टी. या पी.एम.टी. के अन्दर मेरा किसी न किसी प्रकार से सलैक्शन हो जाएगा....(व्यवधान) मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि आपको शायद स्वयं को भी उम्मीद नहीं थी कि आपका सलैक्शन हो जाएगा, हो गया सलैक्शन, अब हो गया तो ठीक है....(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : यहां तो हो गया लेकिन इंग्लैण्ड में भी हो गया क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं इंग्लैण्ड की बात नहीं कहता, इंग्लैण्ड में तो आपने यहां से अच्छी पढ़ाई पढ़ी थी उसके कारण से हो गया।

श्री अध्यक्ष : Luck goes every–where with him.

भाग्य साथ चलता है इनके, इंग्लैण्ड भी गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इंग्लैण्ड गए हैं उसके कारण से मैं नहीं कहता....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब यह इंग्लैण्ड गए थे उस समय पी.एम.टी, पी.ई.टी. का टेस्ट ही नहीं होता था....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : No please. Only the proposer will simply reply, strictly reply, no new allegations, nothing new.

आप बैठिए, देखिए टाइम समाप्त हो रहा है।

डा. चन्द्रभान : हम तो बैठ जायेंगे लेकिन जो पी.ई.टी. और पी.एम.टी के थ्रू जाते हैं उनका अपमान कर रहे हैं, जो कम्पीटीशन के थ्रू जाते हैं उनका अपमान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। बैठिए आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : किसी का अपमान नहीं किया।

डा. चन्द्रभान : आपने सब बातों को मजाक में टाल दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने मजाक में नहीं टाला।

डा. चन्द्रभान : और क्या इनके पासिंग मार्क्स भी नहीं हैं इन लड़कों के, कइयों के बीस और पच्चीस पर्सेन्ट मार्क्स हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : यह दोनों डाक्टर ज्यादा बोलते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करता हूं कि कई बार सलेक्शन में चाहे पी.ई.टी. हो, चाहे और मेडीकेल टेस्ट हो यह सही है कि ज्यादातर लोग वही आते हैं जो इन्टेलीजेन्ट होते हैं लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जो इन्टेलीजेन्ट नहीं हैं बाई लक आ जाते हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और बाई लक जो आ जाते हैं अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि पहले इस तरह का टेस्ट नहीं होता था यह बिल्कुल सही है पहले टेस्ट नहीं होता था। इस टेस्ट में, आज भी अन्दाज लगा लीजिए मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में, आपने खुद ने ही कहा कि 50 प्रतिशत तो यहां के होते हैं बाकी दूसरी जगह से आते हैं। वह दूसरी जगह से आते हैं, डॉक्टर साहब बता सकते हैं वहां भी पी.ई.टी. नहीं होती है।

डा. चन्द्रभान : मेरिट के थ्रू आते हैं। पी.ई.टी. या मेरिट होती है, वही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मेरिट की बात कह रहा हूं। मेरिट पर होता है, पी.ई.टी. नहीं होती है। आप बता देंगे तो मैं और देख लेऊंगा।

श्री अध्यक्ष : यह मान लीजिये कि कहीं होती है कहीं नहीं होती है, व्यवधान क्यों करते हैं?

श्री हेतराम बेनीवाल : या तो पी.ई.टी. है या मेरिट....

श्री हीरालाल देवपुरा : पी.एम.टी. आल इण्डिया लेवल पर होती है और पी.ई.टी. भी आल इण्डिया लेवल पर होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों चलती है, मेरिट भी चलती है, पी.ई.टी. भी चलती है।

श्री चन्दनमल बैद : रीजनल कालेज में सलेक्शन का अलग तरीका होता है उनका कोई एग्जामिनेशन होता है उसके अनुसार जो लड़के आते हैं उनको भेजा जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी करेक्ट कर लीजिये जरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन है सीनियर हायर सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बेसिक क्वालिफिकेशन है। इस बेसिक क्वालिफिकेशन से नीचे नहीं हो तो एडमीशन नहीं होता है। अब कई जगह पी.ई.टी. की व्यवस्था है, कई जगह केवल मेरिट के आधार पर लेते हैं। कई जगह पी.ई.टी. और मेरिट नहीं, केपीटेशन फीस के आधार पर लेते हैं। कई जगह दूसरे तरीके से लेते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : वह दूसरा तरीका जो आपने अपनाया वह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि शिवचरणजी माथुर और कल्लाजी ने भी वही अपनाया होगा।

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने गलती की, आपने भी गलती की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक भी केपीटेशन फीस पर किया हो तो आप बताइये मैं स्वीकार कर लूंगा। एक भी केपीटेशन फीस पर ट्रान्सफर नहीं हुआ है। कोटा से यहां का एक या दो ट्रान्सफर मेरे वक्त में हुये हैं वह भी....(व्यवधान) पुलिस के, कोटा के किसी पुलिस के अधिकारी के लड़के का हुआ है और वह आप कहें तो मैं कारण बता दूं नहीं तो आपको कारण मालूम है। जिनको टेरेरिस्ट ने धमकी दी थी उसके आधार पर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यदि सूरी का लड़का ट्रान्सफर किया जा सकता है तो मधोक के लड़के का ट्रान्सफर में, उसमें भी सेक्योरिटी का मामला आता है। दिक्कत क्या है, किस बात की परेशानी है ? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक एक की डिटेल्स में जाकर, अब प्रश्न यह आया कि किसी तरह लड़के जो एडमिट हो गये उनका क्या किया। मैं ऐसा समझता हूं कि उनके साथ अमानवीय दृष्टिकोण होगा कि इन लोगों को वापस यहां से निकाला जाय। निकाला जाय मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसी ने कहा ही नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आइन्दा बन्द करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आइन्दा के लिये नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि भविष्य में क्या होगा। मैं समझता हूं कि, स्वयं भी यह मानता हूं कि 1987 में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई इस पर पुनर्विचार किया जाय नम्बर एक, दूसरा मैं यह भी सोचता हूं कि यदि इस प्रकार लड़के जो पी.ई.टी. या मेरिट के आधार पर नहीं आ सकते थे जिनका सलेक्शन नहीं हो सकता था, यूनिवर्सिटी से बात करके इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे मार्किंग में इस बात को इजहार किया जा सके कि यह लड़का इस प्रकार के कालेज में एडमिट था और वहां से यहां आया है। मैं नहीं कह सकता कि हो सकती है या नहीं हो सकती है। यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो सकती है तो उसके ऊपर विचार किया जायेगा। जहां तक भविष्य में इस प्रकार एडमीशन नहीं हों मैं समझता हूं कि इस सारे रूल्स में गवनर्स की मीटिंग में रखा जायेगा और किस प्रकार, कितना उपयुक्त संशोधन होता है उस संशोधन के आधार पर इसकी व्यवस्था कर ली जायेगी। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अन्त में जाकर एक बात कहना चाहता हूं कि वहां कहीं भी न तो इन लड़कों को मैंने लिये है, उनमें न तो कोई मेरी जात का है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है। एक भी नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके मंत्रिमण्डल में जो लोग बैठे हैं वह आपकी जात के नहीं है या आपकी पार्टी के नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे तो उधर बैठे हैं वह भी जात के हैं ऐसी बात नहीं है। जहां तक करप्शन का मामला है मैं समझता हूं कि आपने इन्डाइरेक्टली और डाइरेक्टली यह कहा कि सेठों के लड़के आये और यह आये हैं। माननीय हेतरामजी मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि कोई सेठ का लड़का है या बड़े मां-बाप का लड़का, इस आधार पर किसी एक आदमी का ट्रान्सफर या माइग्रेशन नहीं किया। उनकी सरकमस्टान्सेज ज्येन्यून जरूर हुई। अब यह सही है कि मुझे नाम याद नहीं है, महावर है, उनके हसबेण्ड की डेथ हो गई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब केसेज की डिटेल्स में जायेंगे तो इसी प्रकार के केसेज मिलेंगे, कहीं आदमी के मां-बाप मर गये, कोई आदमी सर्विस में था रिटायरमेंट हो गया, कोई खुद बीमार हो गया, किसी के टी.बी. हो गयी किसी के केन्सर का रोग हो गया।

डा. हरिसिंह : यह सारी बीमारियां एकदम कैसे हो गई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसे डॉक्टर हो गये तो बीमारियां फैल गई ।

डा. हरिसिंह : मैं आज से डॉक्टर थोड़े ही हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं जब से आप डाक्टर बने तब से बीमारियां फैल रही हैं । इसका तो इलाज मेरे पास नहीं है । इसलिए मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो कुछ उसमें व्यवस्थायें करनी है वह निश्चित रूप से व्यवस्थायें होंगी और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये उनके ऊपर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की गवर्निंग बोडी की मीटिंग में रख कर उन पर विचार किया जायेगा और इस पर जो भी संशोधन हो सकते हैं वह संशोधन किये जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो बात वहीं आकर रुकती है जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी को कहना है और जो उनको पोजीशन लेनी है । यह 29 मई के लेटर से चालू करता हूं जहां से इन्होंने बात प्रारम्भ की है । इसे समझने की चेष्टा कीजिये । गवर्नमेंट आफ इण्डिया का लैटर अपनी जगह एक है और यह है सोसायटी रूल्स Rules of the Malviya Regional Engineering College Society, Jaipur. Rule 2 provides as follows :-The Society shall consist of the following Chairman to be appointed by the State Government with the approval of the Central Government.

मुख्य मंत्रीजी गवर्नमेंट आफ इण्डिया का लेटर हो या चाहे आपका किसी का भी लेटर हो रूल्स जब तक अमेण्ड नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं । रूल्स से सोसाइटी चलती हैं, रूल्स तो आपने अमेण्ड किये नहीं और मुख्य मंत्रीजी आप ऐसे निराले अध्यक्ष मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग सोसाइटी के हुये हैं । आप खड़े होकर बताइये कि क्या आपने सोसाइटी की एक भी मीटिंग बुलाई ? आपने अपनी अध्यक्षता काल के अन्दर सिवाय और वाजिब ट्रान्सफर जिसको आप उचित ट्रान्सफर की कोशिश कर रहे हैं आपने उसमें एक भी मीटिंग नहीं बुलाई मैं आपकी बात का ही जवाब दूंगा, अन्य बात कोई नहीं लूंगा । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह अपना केस कई बार विधान सभा में रखने के आदी हैं । मेरा आब्जेक्शन यह है कि इनकी वकालत वहां तो हो गई बन्द अब यह आव्हान करते है कि आवो मैं वकालत करूंगा । यह गलत है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपकी पार्टी में आपकी वकालत ठीक चल रही है ना ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बार-बार 1987 का हवाला दिया गया । रूल्स अमेण्ड हो गये अब दूसरा यह कह दिया कि रूल्स नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह नहीं कहा। जो कहा मैं समझ रहा हूं। इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है कोई रूल इनपलेग्जिबल नहीं हो सकता है इसका मतलब इन्टरप्रेटेशन आफ रूल्स है। आपने जो कहा 1987 में आपने कहा कि रूल्स में इन्होंने इन्टरप्रेटेशन किया, एक इन्टरप्रेटेशन किया मानवीय आधार पर माइग्रेशन कर दिया जाये जिसमें डिसीजन लिया गया 1987 में in the light of these rules यहां केवल इन्टरप्रेटेशन की बात कही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने यह कहा है कि 1987 में रूल्स अमेण्ड हुये हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं। आप पढ़िये अध्यक्ष महोदय, Rules regulation transfer/migration from other Engineering Colleges to Malviya Regional Engineering College, Jaipur approved by the MREC Society at the meeting held on 27.4.84.

अध्यक्ष महोदय, रूल्स और रेगुलेशन तो है। आपका यह कहना था कि कोई रूल्स नहीं है गाइड लाइन्स है। पहला स्पष्टीकरण सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि यह जिसको मुख्य मंत्री जो गाइड लाइन्स बता रहे हैं वह गाइड लाइन्स नहीं है, रूल्स है। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुख्य मंत्रीजी बार-बार कह रहे हैं कि रूल अमेण्ड हो गये 1987 में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात पूछना चाहता हूं। ये रूल्स स्टेट्यूटरी रूल्स हैं क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमेंट का सर्कुलर भी स्टेट्यूटरी हो सकता है कोर्ट के सामने। देखिए, कांस्टिट्यूशन, कांस्टिट्यूशन के बाद एक्ट, एक्ट के बाद रूल्स, रूल्स के बाद रेगुलेशन, रेगुलेशन के बाद नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बाद सर्कुलर और सर्कुलर के बाद ऑफिस आर्डर। कोई भी होगा वह उसी स्टेज पर आयेगा, आप क्या बात करते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी। तो यह रूल्स जो हैं, अब अध्यक्ष महोदय यह रेजोक्यूशन पास हुआ, मैं आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने जा रहा हूं। मैं आपकी अनुमति से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। आप इसमें....

श्री अध्यक्ष : These are the Rules. हो गया आपका पाइन्ट। हो गया। (व्यवधान) हो गया पाइन्ट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप कहें तो रूल्स मान लेंगे, रूल्स हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं। मैं रेजोल्यूशन पढ़ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पढ़ लिया न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कहां पढ़ा।

श्री अध्यक्ष : पढ़िये न, किसने मना किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Further to above rules the matter was put up in the Society on 22nd December, 1987 to review the rules देखिये, इसमें साफ लिखा है regulating trans-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

fer/migration from other Engineering Colleges to the M.R.E,C,, Jaipur and it was resolved as under :

"This matter was considered in detail. It was decided that while no amendment in the Migration Rules already approved by the Society was necessary any deserving candidates" on humanetarian ground may be submitted to the Administrative Commitec for consideration. अब अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो एग्जीस्टिंग रूल्स हैं उनको अमेण्डमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इन्टरप्रेटेशन हो गया न।

"श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनिए आप। इन्टरप्रेटेशन का क्वेश्चन नहीं है। रूल्स के पैरामीटर्स में अगर कोई ट्रांसफर हो सकता है तो ह्यूमेनेटरी ग्राउण्ड के ऊपर कंसीडर किया जाय। इसको आप मत मानिए, मेरा जवाब है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं यह जो आपके कोटा, भीलवाड़ा हैं यह अलग सोसाइटी हैं। माइग्रेशन के ट्रांसफर का फार्म बताता हूं जो आपको शायद पता नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी से वह कॉलिज एफिलिएटेड है और उनका ट्रांसफर होता है तो वह ट्रांसफर कहलाता है और यूनिवर्सिटी अलग चेंज हो जाती है तो माइग्रेशन कहलाता है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं मुझे अन्तर्मन से इस बात की पीड़ा है। आज चूंकि मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे पूरे भारतवर्ष से यहां बैठे हुए हैं और लिस्ट में संलग्न सूची के अंदर जो बच्चे हैं ये ऐसे लोगों के बच्चे हैं जो आप पर असर रखते हैं, हमारी जान-पहचान वाले हैं। तो आज डेढ़ महीने से बच्चे हड़ताल पर हैं आप उनको डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस से थ्रेट कराते हैं और यहां हाउस के अंदर इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं कि साहब जो हो गया, जो हो गया। हो गया का क्वेश्चन नहीं है यह आखिर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और मुख्य मंत्री जी आप बार-बार यह बात कहते हैं आपको ऐसी दरियादिली करनी थी तो इनको कोटा डाल देते, जोधपुर डाल देते, मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों डाला आपने। और आगे के लिए भी आप ले-दे करके एक बहाना बना रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। अध्यक्ष महोदय, दो बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैंने जब मोशन मूव किया था तो मैंने यह कहा था कि अगर मेरी पार्टी के किसी आदमी ने गल्ती की है तो गल्ती मानना अपना इंसानी कर्तव्य है लेकिन यह आपने खुद बहाना बनाया कि अगर दो शिवचरण जी ने ट्रांसफर गलत कर दिया तो, आपने अंबार खोल दिया, 22 लोगों के ट्रांसफर कर दिए। यह सर्वथा अनुचित हैं, मैं इस बात को जानता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी यह धमकी नहीं दी कि मैं यह कर लूंगा, वह कर लूंगा। हाई कोर्ट तो मैं गया हूं। मैं ललित जी के खिलाफ हाई कोर्ट में गया हूं, मेमोरेंडम भी ले गया हूं और आज तक मैंने यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार में जाऊंगा। मुख्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मंत्री जी, आत्मदाह करने करने वाले और होंगे । I will get your government dismissed. क्या बात करते हैं आप ? मैं आपको आत्मदाह करा दूंगा, आप मुझे आत्मदाह करने की बात कहते हैं । I have cases against you.

श्री अध्यक्ष : You can dismiss just now. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेरा पूरा मोशन था उसका पार्ट आसन ने अलाउ नहीं किया । अब वरिष्ठ सदस्य माननीय प्रोफेसर केदार ने यह कहा कि यह मोशन एक भ्रांति जो लगातार चल रही है कि वह एक्स–ऑफिसियो...., अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पढ़कर सुना दिया । आज की तारीख में सोसाइटी में रूल्स अमेण्ड नहीं हुए हैं इसलिए गवर्नमेंट नोमिनी हैं । मेरा मोशन बिलकुल परफेक्टली इन ऑर्डर है । अब मैं चाहता हूं आप अपनी गलती को स्वीकार करें और वापस उस अच्छी परम्परा को कायम करें और किसी एज्युकेशनिस्ट को नोमिनेट करें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं चर्चा समाप्त हुई ।

प्रश्न यह है कि डा. रतन लाल जाट, राज्य मंत्री, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा, आचरण के संबंध में श्री सुरेन्द्र व्यास सदस्य, विधान सभा ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुती

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,05,59,80,000/– (दस अरब पांच करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य । (व्यवधान)

5 बजे जवाब शुरू हो जायेगा, इसका ध्यान रखें और बोलिए । (व्यवधान) हां, तो कह रहा हूं कि 5 बजे जवाब शुरू हो जायेगा ।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री अचला राम (देसूरी)

1. सैकण्डरी स्कूल बूंसी बालिका सैकण्डरी स्कूल सादड़ी, बालिका सैकंडरी स्कूल देसूरी उच्च, प्राथमिक विद्यालय ढालोप प्राथमिक विद्यालय, खारड़ा तहसील देसूरी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

2. प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ भेदभाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. सीमावर्ती पिछड़े जिलों में अध्यापकों के पद लगातार रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

4. शिक्षा प्रणाली में सुधार किए जाने और ग्रामीण क्षेत्रों की ढाणियों में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

5. सवाई माधोपुर जिले में कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु नये कार्यक्रम चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. सवाई माधोपुर जिले में नये विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

7. कला एवं संस्कृति को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

8. राज्य सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा के गांव खेर डाबरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. राज्य सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा के गांव छोटी सरवन में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. राज्य सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा की आदिवासी गांव खेड़ा बेडलिपाड़ा में उच्च प्राथमिक छात्रा विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. बांसवाड़ा जिले के सम्पूर्ण राजकीय शिक्षण संस्थाओं में रिक्त स्थानों पर अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

12. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़, सागवा व टिमेज को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय कुशलगढ़ में लेक्चरार व स्टाफ पूर्ण रूप से नहीं लगाये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में

(श्री फतेह सिंह)

मिडिल सैकण्डरी हाई सैकण्डरी (सीनियर) स्कूलों में अध्यापकों के पद पूर्ण रूप से भरने में असमर्थ रहा है इस पर चर्चा के लिये ।

15. राज्य सरकार ने बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ क्षेत्र में आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में आगे लाने में असफल रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. कुशलगढ़ राजकीय महाविद्यालय में विभाग कतिपय रिक्त पदों को भरने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृत लाल परमार (बाली)

17. विधान सभा क्षेत्र बाली में सेवाड़ी एवं खुड़ाला स्कूलों में अध्यापकों की कमी का निराकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

18. विधान सभा क्षेत्र खारची में योग्य व सम्पूर्ण स्टाफ नहीं लगने से ग्रामीण विद्यार्थियों में उत्पन्न भारी रोष पर चर्चा के लिये ।

19. विधान सभा क्षेत्र खारची में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. राजकीय स्कूलों में कृषि विषय अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

21. राज्य में सांस्कृतिक नीति के निर्धारण में राज्य सरकार की विफलता के बारे में चर्चा के लिये ।

22. राज्य में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं लोक जुम्बिश कार्यक्रम की क्रियान्विति में राज्य सरकार की विफलता से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये ।

23. आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रथम दो वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये ।

24. पांच हजार प्राथमिक शालाओं को बंद करने तथा शेष प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

25. प्राथमिक विद्यालय झांझरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26. खैरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

27. माध्यमिक विद्यालय बिलख, कनबई और पाटिया में प्रधानाध्यापक के पद लम्बे समय से रिक्त होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

28. आदिवासी कला एवं संस्कृति को जीवित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

29, उच्च प्राथमिक विद्यालय साग–

(श्री दयाराम परमार)

वाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

30. अन्य प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदेश में मेरिट के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरियां देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमंद)

31. रेलमगरा तहसील में एक भी उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. सत्र 1991-92 में राजसमंद जिले में एक भी प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

33. राजसमंद जिले के तकनीकी शिक्षा के अभाव से उत्पन्न समस्या के बारे में चर्चा के लिये।

34. जिला मुख्यालय राजसमंद में महाविद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

35. राजसमंद में आई.टी.आई. संस्था के अभाव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

36. ग्रामीण क्षेत्रों में नई प्राथमिक शाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

37. शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी)

38. थानागाजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की भारी कमी होने के बावजूद स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

39. भीलवाड़ा तहसील में बरडोद, आरजिया, आटूण ग्राम में माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. भीलवाड़ा नगर में कॉमर्स कॉलेज के अधूरे भवन का कार्य पूर्ण कराया जाकर उसमें महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. भीलवाड़ा नगर के पुर ग्राम में प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार सीनियर हायर सैकण्डरी व राधाकृष्ण नगर, आजाद नगर, शास्त्रीनगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. भीलवाड़ा तहसील के मंगरोप, सांगानेर ग्राम के माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बंशीलाल पटवा)

43. भीलवाड़ा नगर में सुभाष नगर में बालिका प्राथमिक विद्यालय, संजय कालोनी और शास्त्री नगर में प्राथमिक विद्यालय, पुलिस लाइन के पीछे की एक बस्ती में प्राथमिक विद्यालय और सीनियर में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

44. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में मिडिल स्कूलों व हायर स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. छबड़ा विधान सभा के डोलम, कोलूखेड़ा व भनभनी मिडिल स्कूलों तथा कन्या माध्यमिक विद्यालय छबड़ा को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण पुराने ग्रामीण स्कूल भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. छबड़ा नगर के प्राथमिक स्कूल भवन व कन्या माध्यमिक विद्यालय के भवन की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्रकुमार (आसपुर)

48. जिला डूंगरपुर में शिक्षा की कमी एवं शिक्षण संस्थाओं में अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

49. रूपवास क्षेत्र में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन)

50 हिण्डौन तहसील के खेड़ा, जमायपुर एवं बरगमा, बाजना कलां, मंडावरा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (नोखा)

51. नोखा कस्बे में कालेज खोलने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

52. नोखा नगरपालिका क्षेत्र में लड़कियों की सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. नोखा हायर सैकण्डरी में कृषि संकाय चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. नोखा विधान सभा क्षेत्र में मिडिल स्कूल बेरासर व साधूना, सावासर कुचोर आथूणी, देसलसर, भामतसर, रोड़ा, नोखा गांव सोमलसर बीकासा आदि को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. नोखा विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक शालायें यथा-ग्राम बंधाला, धूपलिया, लामनदेसर, छोटा लालमदेसर बड़ा को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)

56. राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के सेवानिवृत होने के उपरान्त पुनः उच्च पदों पर नियमित वेतनमान में नियुक्ति देने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की अवधि समाप्त होने पर भी उन्हें अपने पैतृक विभाग में नहीं भेजने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड कार्यालय के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में महालेखाकार व लेखा परीक्षकों द्वारा उनके वेतन व भत्तों एवं नियुक्तियों के संबंध में बार-बार आपति करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

59. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड कार्यालय में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों द्वारा गबन करने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

60. राजस्थान में प्राइमरी स्कूल से ही पाठ्यक्रम में परिवार कल्याण महत्ता संबंधी पुस्तकें शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. मिडिल स्कूल अर्जनसर, शेरपुरा शोभालाई, को क्रमोन्नत करने एवं प्रत्येक में एक-एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिक गर्ल्स स्कूल यथा–महाजन, शेरपुरा, कालू छतरगढ़, खाजूवाला पूगम–नापासर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. लूणकरणसर कस्बे में मानदण्ड के अनुसार कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों की स्कूलों में अनुपस्थिति के समय गिरती हुई शिक्षा के स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

65. अटरू में लम्बी अवधि से चल रहे धनुष लीला नाटक को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

66. झुंझुनूं जिले की इस्लामपुर राजकीय सैकण्डरी स्कूल को दानदाता के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर)

68. सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

(श्री मोतीलाल मीणा)

फर्नीचर के अभाव से अध्ययन में उत्पन्न समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

69. सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव तीन्दडवा, बनोरा स्यानोता प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. सवाई माधोपुर डिग्री कालेज को एम. ए. या विधि संकाय की कक्षाएं चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. सवाई माधोपुर जिले की माध्यमिक विद्यालय गम्भीरा, सूरवाल को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद)

73. दीगोद विधान सभा क्षेत्र में सीमल्या स्थित सैकेण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोटडा दीपसिंह, लाखसनीजा, बालूहेडा, कोडसूवा, मासकलां एवं कनवास कस्बे स्थित बालिका कन्या मिडिल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बृजनगर, नाहरिया, तोरन, सनीजाबावड़ी विनोद का कलां, मौरूमा, तोरण, लोढ़ाहेडा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. दीगोद विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में विद्यालय भवनों की जीर्ण-शीर्ण हालत को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

78. प्रशिक्षित अध्यापकों की स्थायी वरिष्ठता सूची बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पीपल्दा तहसील में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में नियुक्तियों में की जा रही तथाकथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

81. शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

82. डूंगरपुर जिला हैड क्वार्टर पर रेल्वे कालोनी में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. डूंगरपुर जिले में शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. डूंगरपुर जिले में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द)

85. प्रदेश के गरीब छात्राओं व छात्रों की आर्थिक सहायता व छात्रावासों की सुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों द्वारा मुख्यालय पर निवास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. प्रदेश में अपूर्ण पड़े शाला भवनों के निर्माण के पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

88. शहरों के बजाय ग्रामीण अध्यापकों को ग्रामीण भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की भयंकर कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. बालोतरा स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय में वाणिज्य संकाय की एक भी अध्यापिका/अध्यापक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. बालोतरा-पचपदरा एवं जसोल में खेल के मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. बाड़मेर जिले में बिखरी हुई मूर्तियों एवं कलात्मक खण्डरों व अन्य प्राचीन कलात्मक वस्तुओं को सुरक्षित रखने हेतु बालोतरा में एक कला केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही)

93. सिरोही जिले में बालिका शिक्षा एवं स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरणसिंह (मेड़ता)

94. कोटपूतली क्षेत्र में आवश्यकता के आधार पर प्राइमरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. कोटपूतली तहसील के लाडाकावास, रावतावाली ढाणी में स्कूल भवन तैयार होने पर भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. प्रागपुरा स्कूल का बिना छत पड़े हाल को शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. कोटपूतली क्षेत्र के नारेहा–नागल पण्डितपुरा, सुन्दरपुरा, पनिपाला, गोपालपुरा, परशोतमपुरा, टोरडा, रामपुरा की

(श्री रामकरणसिंह)

स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राजस्थान में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर)

99. तहसील राजगढ़ (चूरू) में मिडिल, सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूलें नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सोमा (बागीडोरा)

100. शिक्षा विभाग में बांसवाड़ा में कार्यरत कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ही लेब बॉय के पदों पर नियुक्तियां देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. जिला बांसवाड़ा में सैकण्डरी स्कूल, कोटड़ में पिछले दो वर्ष से प्रधानाध्यापक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के किये।

102. जिला बांसवाड़ा के शिक्षा विभाग द्वारा लेब बॉय के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़)

103. प्रदेश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र (अलवर) में उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. कस्बा रामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीणापुरा (अलवर) को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धौला की प्याऊ जुगरावर (अलवर) को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़)

108. रायपुर, बड़ी साख थली, कोटड़ी (तहसील अरनोद) सुहागपुरा, देवगढ़ (तहसील प्रतापगढ़) आदि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. दलोठ माध्यमिक विद्यालय को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोकरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद को "लोक जुम्बिश" योजना के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. दलोठ व सालमगढ़ (तहसील अरनोद) बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोकरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर)

112. आहोर विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों को क्रमोन्नत करने एवं जालौर जिला मुख्यालय पर गर्ल्स कालेज खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डोली)

113. बून्दी जिले में कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए नये कार्यक्रम प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. बून्दी जिले में पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदा राम चौधरी (मकराना)

115. मकराना की आबादी व छात्रों की संख्या अधिक होने पर भी महाविद्यालय के अभाव से ग्रामीण व गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम धानणवा, चाण्डी, जावाड़िया आदि प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. मकराना कस्बा स्थित बालिका हायर सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. मकराना विधान सभा क्षेत्र में स्थित ढाणियों में जहां पर शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिये वहां प्राथमिक विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

119. तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर की सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. सवाई माधोपुर प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 135 अध्यापकों के रिक्त पद मेरिट सूची के आधार पर भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर)

121. अध्यापकों की कमी से स्कूलों में पढ़ाई ठप्प हो जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)

112. छबड़ा क्षेत्र में माध्यमिक स्कूल व उच्च प्राथमिक शालाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

123. केशवराय पाटन (बून्दी) क्षेत्र की दईखेड़ा, फौलाई एवं गन्डोली उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. शिक्षा विभाग में सभी पदों पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा एवं बेकलॉग पूरा नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

125. बून्दी में महिला कालेज, लाखेरी में कालेज एवं कापरेन सीनियर हायर सैकण्डरी में एन.सी.सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. केशवराय पाटन नगर की बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. कला की बून्दी शैली को सुरक्षित रखने एवं प्रचार प्रसार हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल (सुजानगढ़)

128. अनुदान प्राप्त एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को राज्य सरकार के बराबर वेतनमान नहीं देने पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सन् 1991–92 में एक भी मिडिल स्कूल नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की मिडिल व सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा)

131. बेगलियावास (मसूदा) अजमेर में उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. अजमेर जिले में मसूदा में बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. अजमेर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. राजस्थान राज्य में सभी स्तर की शालाओं में शिक्षकों की कमी के विषय में चर्चा के लिये।

135. अजमेर जिले में कला एवं संस्कृति के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

136. किशनगंज में आयोजित होने वाले फूलडोल महोत्सव को कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन की दृष्टि से सहायता दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

137. सीता बाड़ी मेला जो तीर्थ स्थान है, को कला एवं संस्कृति की दृष्टि से आदिवासियों की कला को बढ़ावा दिये जाने की औचित्य पर चर्चा के लिये।

138. केलवाड़ में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. किशनगंज, शाहबाद क्षेत्र में मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल छात्रा एवं छात्र में

(श्री हेमराज मीणा)

प्राध्यापक, द्वितीय ग्रेड, तृतीय ग्रेड के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप (रायसिहनगर)

140. चूरू तहसील के उच्च प्राथमिक विद्यालय-भाभासी, खीवासा, सहनाली, सिरसली को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

141. चूरू के बालिका महाविद्यालय व जैन श्वेताम्बर स्कूल को राज्याधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. चूरू तहसील के ग्राम दुधवाखारा सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

143. चूरू के ऐतहासिक गढ़ के जीर्णोधार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

144. लोहिया महाविद्यालय, चूरू में छात्रावास की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)

145. बांदीकुई शहर में एक नया सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

146. बांदीकुई सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में विषयवार व्याख्याता नहीं लगाने से विद्यार्थियों व अभिभावकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

147. बसवा तहसील की प्राथमिक विद्यालय आमेटी गेट व प्राथमिक विद्यालय नन्देटा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

148. बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुढ़लिया व राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ियाल कलां को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

149. बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की राजकीय बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में अध्यापिकाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

150. मगर मण्डी माता मन्दिर निमाज (जैतारण) का रख–रखाव नहीं किये जाने से पुरात्व की पुरानी मूर्तियों की हो रही जीर्ण–शीर्ण स्थिति को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावड़ियावास (जैतारण) में कार्यरत प्रधानाध्यापक के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

152. लाम्बीया (जैतारण) माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत कतिपय अध्यापकों द्वारा छात्रों को टयूशन के लिये मजबूर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(146)

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

153. जैतारण क्षेत्र के निम्बोल एवं पाटवा सुमेल में छात्रों की संख्या की अधिकता को देखते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. जैतारण विधान सभा के ग्रा. कालू, बलाड़ा, लाम्बीया, गरनिया, डिगरणा माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विलोपित

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

156. आदिवासियों की संस्कृति एक धरोहर के रूप में सुरक्षा कर उसे यथावत बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. आदिवासी क्षेत्र चिखली में हायर सैकण्डरी स्कूल के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. आदिवासी क्षेत्रों के दूर दराज ग्रामों में छात्र-छात्राओं को निशुल्क शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी)

159. बाड़मेर जिले की 15 सैकण्डरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं बड़ी संख्या में जिले में विज्ञान शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. गांव धोरीमना (जिला बाड़मेर) की कन्या उच्च प्राथमिक शाला को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. गांव रावतसर (जिला बाड़मेर) की सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेम सिंह दहिया (भीनमाल)

162. सायला पंचायत समिति के ग्राम सुराणा केव ग्राम कोमता ग्राम तिलोड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1500 की आबादी वाले गांवों में छात्राओं के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. भीनमाल नगर में खुदाई से निकली प्राचीन खण्डित मूर्तियों व जाखोव तालाब पर प्राचीन सूर्य मन्दिर के अवशेषों पर ध्यान न दिये जाने से प्राचीन संस्कृति के नष्ट होने पर चर्चा के लिये।

165. राज्य के ऐतिहासिक ग्राम एवं कस्बों में प्राचीन दुर्लभ पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रन्थ एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों की खोज में शिथिलता बरतने से दुर्लभ सामग्री को नष्ट होने से बचाने हेतु विज्ञापनों के माध्यम से खोजकर प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर)

166. भीलवाड़ा जिला के जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों के पद शीघ्र सृजित कर भरने की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

167. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धुवाला, जामोली, रीठोड़ा, विहाड़ा, आमलदा विद्यालयों को शीघ्र क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील की राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जहाजपुर एवं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय शक्करगढ़ को शीघ्र क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील की राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरवासी को शीघ्र क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह)

171. देवली तहसील के ग्राम राजमहल बीजवाड़, पनवाड़, बड़ल व नाभीदा राजकीय कन्या विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह के स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

173. वरिष्ठ अध्यापकों का लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा हिन्दी के व्याख्याता के लिए चयन करने के 6-7 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं देने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

174. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम पंचायत मुख्यालयों के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मण्डावरी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. लालसोट में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

177. उच्च प्राथमिक विद्यालय भैंसवाड़ा (जालौर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. उच्च प्राथमिक विद्यालय आकोली (जालौर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. माध्यमिक विद्यालय बागरा को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

180. उच्च प्राथमिक विद्यालय राजेन्द्र नगर, जालौर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐलाना जिला जालौर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

182. प्रदेश में विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में स्थान एवं भवन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियों के कारण छात्रों के अध्ययन में हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. प्रदेश के विद्यालयों में विशिष्ट विषयों के अध्यापकों का पदस्थापन गत दो-तीन वर्षों से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का प्रबन्धकों द्वारा शोषण करने पर भी उन्हें दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

186. प्रदेश में निर्धारित मापदंड के आधार पर अध्यापकों के नये पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नये विद्यालय खोलने एवं कुछ शालाओं को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में स्थित एक मात्र बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर)

189. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम बीबीपुर में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जूनियर व्याख्याता व प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम उदनसर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. तहसील लछमनगढ़ में राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 11 पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धस्सू को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर व लक्ष्मणगढ़ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चाचीवाद बड़ा के

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू)

194. चौमू में पोली टेक्नीकल कॉलेज की स्थापना न होने से युवा वर्ग में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

195. चौमू में बालिका महाविद्यालय स्थापित नहीं करने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

196. कालाडेरा महाविद्यालय को क्रमोन्नत नहीं होने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

197. चौमू क्षेत्र की खेजडोली एवं हस्तेडा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

198. चौमू विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की कमी से छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण (मेड़ता)

199. मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कात्यासनी, बासनीसेजा, लीलीया, जारोड़ा, लाम्बा जाटान, घोलेराव कलां, मोररा की उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

200. मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गवारड़ी, मुगदड़ा, गेमलियावास, बढ़ायली, सुरीयास की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर)

201. राजकीय माध्यमिक विद्यालय बडू, राख्छीपुरा, पीलवा, मकरीवर राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय परबतसर को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

202. तहसील परबतसर जिला नागौर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसरोली, वाजोली, वाजवास, बागोर, हरनावा व मंगलाना को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

203. राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा के अधिक विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)

204. उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणीपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

205. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुटारी एवं राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल पावला को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर)

206. प्राथमिक शाला में उर्दू पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिलते इसलिए जोधपुर, जयपुर, चूरू, सीकर, बाड़मेर व झुन्झुनूं में 25 सीटें डाइट संस्था में अलग से निर्धारित किये जाने की आवश्यकता चर्चा के लिये ।

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

207. प्रदेश के सभी संभागों की शिक्षण संस्थाओं में 250–250 सीटें उर्दू विषय में बी.एड. हेतु आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. राजस्थान में तृतीय भाषा सिंधी के अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु इनके लिए बी.एड. की प्रत्येक जिले हेतु 250 अलग-अलग सीटें निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. उर्दू विषय के व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. राजकीय उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय भाषा के विषय खोलने के लिये वांछित छात्रों की संख्या जुलाई में प्राप्त कर अगस्त माह के प्रारम्भ में अध्यापकों की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

211. सिरोही जिले की सिरोही तहसील के ग्राम पाडीन के मिडिल स्कूल को माप-दण्ड के अनुसार अविलम्ब सैकण्डरी स्कूल मे क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के ग्राम पोसालिया की सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा सिरोही द्वारा सैकड़ों शिक्षकों के अनियमित व नीति विरुद्ध स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214. सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के मणादर एवं अरठवाड़ा ग्राम में मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा)

215. उदयपुर वाटी (झुंझुनू) तहसील के उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. प्रदेश के विद्यालयों में नियुक्त शारीरिक शिक्षकों से निर्धारित कार्य न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

217. धारेश्वर गांव के पुरातात्विक सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. सोजत सिटी में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. राज्य में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

220. टोंक क्षेत्र में बालिका विद्यालयों

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. टौंक, निवाई पंचायत समिति क्षेत्र में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार पद सृजित कर, स्वीकृत पदों एवं नव सृजित पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. पंचायत समिति टौंक के गांव पीपलू के विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन कार्य पर ध्यान नहीं दिये जाने पर भी उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से छात्र, छात्राओं एवं अभिभावकों में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

224. राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से टौंक जिले की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

225. नखतूजी श्रीरामजी टांक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा गबन किये जाने पर भी उनके विरूद्ध कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

226. जोधपुर शहर के मंडोर उद्यान में स्थापित कलात्मक 33 करोड़ देवताओं की साल की मरम्मत एवं सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. जोधपुर शहर के स्कूलों में रिक्त पड़े प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. जोधपुर शहर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम, स्टेडियम मैदान, गांधी मैदान के विस्तार व रख रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लये।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)

229. विश्वविद्यालयों में छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध न कराने पर भी उन्हें दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

230. राज्य में शिक्षा सुविधाओं को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. राज्य में तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था का समावेश कर उसे अधिक जनोपयोगी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. राज्य के विद्यालयों हेतु भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

233. शिक्षा विभाग के अनेक कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर शिकायतें व प्रदर्शन करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा ध्यान न देने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

234 प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

235. विद्यालयों को खोलने में भेदभाव की नीति अपनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

236. शिक्षकों के नियम विरुद्ध स्थानान्तरण करने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

237. पाठ्य पुस्तक मण्डल में कागजों की खरीद में भारी अनियमिततायें होने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

238. राजस्थान विश्वविद्यालय में अंक तालिकाओं को अनियमित रूप से बनाने एवं अन्य अव्यवस्था होने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

239. राजस्थान विश्वविद्यालय के निरन्तर गिरते हुये शैक्षणिक स्तर पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)

240. डेगाना विधान सभा क्षेत्र की अनेकों प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

241. डेगाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डेगाना की सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में लम्बे समय से प्रिंसिपल का पद रिक्त होने से छात्रों में व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

242. डेगाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जाखेड़ा में कन्या प्राथमिक पाठशाला हेतु भवन निर्माण करा दिये जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा पाठशाला की स्वीकृति नहीं दिये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेडता)

243. मेड़ता क्षेत्र की राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी शियाँवडी में प्रिंसिपल व उप प्रिंसिपल तथा माध्यमिक विद्यालय करड़ाया में प्रधानाध्यापक का पद लम्बे समय से रिक्त होने तथा कई शालाओं में मापदण्ड के अनुसार अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

244. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल को शासी समिति की दिनांक 24.1.92 को असाधारण एवं साधारण बैठकों में से एक का अनिवार्यतः नहीं होना एवं उसकी कार्यवाही का विवरण मिथ्या बनाने के उपरान्त भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

245. सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुरड़ाई, बाबागांव, कोरटा, माताजी का वाड़ा, आकदड़ा, बड़गांवड़ा और पुराड़ा की प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाब सिंह)

246. सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव डेण्डा, भारून्दा, सिन्दरु नेतरा, वीरामी, कामपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चाणोद, कोसेलाव, गुन्दोज, भाँवरी, दुजाना पावा, ढोला, खिवांकी, गुड़ा ऐंदला, नोवी माध्यमिक एवं बालिका माध्यमिक विद्यालय कोसेलाव को माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय (10+2) में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. निजी शिक्षण संस्थाओं के वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करने तथा वार्षिक लेखा की उचित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य, अध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से छात्रों के अध्ययन में आ रही बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुराम प्रासिया (पिण्डवाड़ा)

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

250. मॉडर्न इंग्लिश स्कूल सुमेरपुर (पाली) द्वारा फरवरी, 1992 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किये गये वार्षिक उत्सव के दौरान छोटे-छोटे छात्रों द्वारा फिल्मी गीत एवं अश्लील भद्दे नृत्य प्रस्तुत किये जाने से अभिभावकों तथा जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

251. सुमेरपुर नगर में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 1, 2 और 3 सुमेरपुर नगर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तख्तगढ़ नगर, राजकीय उच्च बालिका प्राथमिक विद्यालय कोसेलाव तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालड़ी में विद्यालय भवन निर्माण किये जाने के लिए विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुराम प्रासिया (पिण्डवाड़ा)

253. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पिण्डवाड़ा को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254 रोहीड़ा (सिरोही) में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

255. निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, एवं चिकित्सा पुर्नभरण भत्ता नहीं दिये जाने पर भी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

विभाग द्वारा उन्हें दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

256. राजस्थान भारत स्काउट व गाइड कार्यालय में प्रतिनियुक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा उनके वेतन व भत्तों के सम्बन्ध में आपत्ति करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

257. राजस्थान भारत स्काउट गाइड जयपुर में द्वितीय श्रेणी–तृतीय श्रेणी के प्रतिनियुक्त पर कार्यरत अध्यापकों को जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के वेतन भत्ते देने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

258. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड कार्यालय में प्रति-नियुक्ति पर आये अध्यापकों को संस्था द्वारा अनियमित पदोन्नतियां देने और इन्हें 1976 से 1992 तक बिना राज्य सरकार को स्वीकृति के संस्था में रखे जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

259. अनुदानित विद्यालयों के कर्मचारियों को भी महाविद्यालयों के कर्मचारियों के समान वेतन–भत्ते दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

260. शिक्षण विभाग के प्रमुख मामलों में कलक्टर्स को विशेष शक्तियाँ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात व अनियमित नियुक्तियां होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

262. राजस्थान के महाविद्यालयों में कई वर्षों से सेवारत अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. कला अकादमियों एवं संस्थाओं में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

264. जिला जयपुर के जमवारामगढ़ कस्बे में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में जुड़वाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. अजमेर विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम की अंक तालिकायें कम्यूटर से बनाने में हो रही गड़बड़ियों पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

267. परीक्षाओं को समय पर न कराये जाने से तथा परीक्षा लेने वाले शिक्षकों की प्रतिदिन के भत्ते की बढोतरी न किये जाने से शिक्षकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

268. हिन्दी साहित्य एकेडेमी-सिन्धी साहित्य एकेडमी-बृज भाषा साहित्य एके-डमी उर्दू साहित्य एकेडमी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर भी उन्हें दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू)
श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

269. राजस्थान प्रान्त के उन सभी विद्यालयों में जहां कम से कम 10 बच्चे उर्दू पढ़ने के इच्छुक हैं वहां राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उर्दू विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. शिक्षा शास्त्री उपाधि की भांति मोअल्लिम (उर्दू भाषा अध्यापन डिग्री) को भी बी.एड. के समकक्ष मान्यता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. सेठ मोती लाल महाविद्यालय में उर्दू भाषा विषय नहीं खोलने पर भी उसे दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

272. झुन्झुनू जिले के गांव अजाडी कलां, देखाला, बाकरा, किशोरपुरा, श्री अमरपुरा व झुझुनू के मुफीदे ग्राम उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

273. किशोरपुरा ग्राम जिला झुंझुनूं व बुड़ानिया, बुढाना अलीपुर आदि के माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या व विद्यालय भवन को देखते हुए सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

274. नीमका थाना विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय नापावाली, हीरां का वाली तथा हरिपुरा, घासीपुरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत न करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

275. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जीथलपुर व माउण्डा कलां व मौठूका को माध्यमिक विद्यालय में व राजकीय माध्यमिक विद्यालय पाटन को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

276. राजकीय उच्च प्राथमिक छात्रा विद्यालय हसायपुर व डाबला में अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के पद लम्बे समय से खाली रहने पर छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

277. नीमका थाना विधान सभा क्षेत्र की राजकीय छात्रा माध्यमिक विद्यालय छावनी, नीमका थाना, राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नीम का थाना, छाजा की नांगल, माध्यमिक विद्यालय चीपलाटा, हसायपुर जिलो, टटेरा आदि विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पड़े स्थानों पर पदस्थापन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

278. राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिलों में शाला परिसर में हुये झगड़े में एक

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

छात्र की हत्या में उक्त शाला के दोषी अध्यापकों व प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही न होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री दलजीत सिंह (बाडी)

279. राजस्थान में अध्यापकों की कमी की पूर्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

280. बाड़ी जिला धौलपुर में कालेज खोलने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

281. प्रदेश में रिक्त पड़े उद्योग अध्यापकों के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

282. माध्यमिक विद्यालय घंटाली जिला बांसवाड़ा को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. उच्च प्राथमिक विद्यालय मादलदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. उच्च प्राथमिक विद्यालय वामनपाडला तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. गांव गरनावर पंचायत पडोली गोर्धन पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक शाला की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

286. गांव विजोह पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा)

287. जवाहर कला केन्द्र जयपुर में हुई अनियमित नियुक्तियों के उपरांत भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

288. प्रदेश में खोले गये नवीन प्राथमिक पाठशालाओं में नैनवां क्षेत्र के साथ किए गए भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

289. गम्भीरा–रायथल के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

290. ग्राम बारवास तथा मोतीपुरा में प्राथमिक पाठशालायें खोली जाने हेतु पूरे मापदण्ड होते हुए भी आदेश जारी करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

291. राजकीय महाविद्यालय छात्रावास बून्दी में वार्डन के लिए समुचित रिहायशी व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

292. खुला विश्वविद्यालय कोटा में

(श्री रामनारायण वर्मा)

अध्ययनरत आदिवासी/हरिजन समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग संख्या 24 पर विचार

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कल भी उधर से डिबेट शुरू हुई थी। बोलने का मौका विपक्ष को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कल आपको दे देंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की इन मांगों पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हुआ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या 24 के संबंध में अपने विचार व्यक्त करता हुआ यह निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा को जनोन्मुख करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने जो पिछले दो सालों में प्रयास किए हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है। क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो 1981 से लेकर 1991 तक जो भारतवर्ष का साक्षरता का प्रतिशत 8.55 रहा है लेकिन राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत 8.72 रहा। यह वृद्धि दर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा व मध्य प्रदेश से अधिक रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार 55.07 पुरुष, 20.84 महिला और राजस्थान का प्रतिशत है 38.81 उसमें 8.72 राजस्थान का रहा उसके लिए मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी को और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस को बधाई दो। दो साल से पहले कांग्रेस का शासन था।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वह भी मैं दे रहा हूं कि कांग्रेस के शासन में क्या-क्या हुआ, वह भी मैं आपको बताऊंगा। 1991 की जो जनगणना के अस्थायी आंकड़े आये हैं उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का महिलाओं का औसत है उन महिलाओं के औसत को यदि आप देखें तो वह 20.84 प्रतिशत है लेकिन इस 20.84 प्रतिशत में भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनका केवल 5.46 प्रतिशत है, अनुसूचित जाति का 2.69 प्रतिशत है और अनुसूचित जन जाति का 0.93 प्रतिशत है। यह जो परिस्थितियां हैं राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम शिक्षा की बुनियाद हैं और प्राथमिक शिक्षा उसकी बुनियाद है, उस प्राथमिक शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उसका ही वर्णन कर रहा हूं।

(2.30 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पंचायती राज में प्राथमिक शिक्षा को देकर जिस तरीके का वहां पर शिक्षा का ह्रास हुआ है, शिक्षा में कमी आई है और पंचों और सरपंचों की राजनीति में शिक्षा को फंसा दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस राजनीति से, शिक्षा को उभारा जाना चाहिये। राजनैतिक आधार पर शिक्षा को

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नहीं चलाया जाना चाहिये। यदि राजनैतिक आधार पर शिक्षा को चलाया गया तो देश का जो जीवन मूल्य है, वह समाप्त होता चला जा रहा है, जो जीवन मूल्य भारतवर्ष की थाती है. वह जीवन मूल्य शिक्षा के द्वारा ही आने वाले है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी, सन् 1977 के अन्दर जब जनता सरकार थी, हमारे राज्य में मुख्य मंत्री शेखावत साहब थे, उस समय एक विचार आया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, उस प्राथमिक शिक्षा का अलग से एक निदेशालय बनाया जाय और पंचायत व अन्य शहरों की जो शिक्षा है इस सारी शिक्षा को एक तरफ रख करके इसकी गुण-वत्ता के आधार पर केवल स्कूल कालेज खोल देने से शिक्षा का विस्तार नहीं होगा। इस शिक्षा के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी और इसीलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के उन शिक्षकों की ओर से और शिक्षार्थियों की ओर से कि आपने जो प्राथमिक शिक्षा का अलग से निदेशालय बनाने की घोषणा की है, उस घोषणा के सन्दर्भ में। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इसके साथ-साथ कि इसका मुख्यालय जयपुर में होना चाहिये। जयपुर में अगर इसका मुख्यालय हुआ तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो इधर-उधर भटकते रहते हैं। आज बीकानेर से निदेशक आए तो जयपुर में उसको बैठने के लिए कोई स्थान हो। सचिवालय में इसके लिए एक समन्वय कक्ष उसे दिया हुआ है लेकिन अगर प्राथमिक शिक्षा का निदेशा-लय यहां हुआ तो निश्चित रूप से यहां पर बैठने से प्रशासन करने का और कुशल प्रशासन देने की दृष्टि से यह उचित होगा। यह यात्रा 1977 में प्रारम्भ की गई थी और 1992 में जाकर के आपने इसको पूरा किया है। मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह भी निवे-दन करना चाहता हूं आपसे कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिये। यह मांग बहुत दिनों से होती चली आ रही है। महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा थी, जिस बुनियादी शिक्षा को उनके ही जो फोलोअर्स थे, खास करके मैं स्वर्गीय डा. जाकिर हुसैन का नाम लेना चाहता हूं कि जिस बुनियादी शिक्षा की नींव उन्होंने डाली थी, उस बुनियादी शिक्षा की नींव उसी शासनकाल में महात्मा गांधी की उस बुनि-यादी शिक्षा को उन्हीं के जो फोलोअर्स थे, उन्होंने विदा कर दिया लेकिन आज बालक को जो श्रमिक, आज जिस तरह का बालक निकल रहा है, आज जिस तरह की शिक्षा उसके पढ़ने के बाद में स्कूल कालेज से बच्चे निकलते हैं, उनका श्रम के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। वह व्हाइट कालर जॉब ढूंढना चाहता है कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला लड़का जब एम. एस. सी. की डिग्री लेकर निकलता है, जिसकी बहुत बड़ी जमीन है लेकिन वह खेती नहीं करता, वह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है और इसलिए श्रम के प्रति निष्ठा बचपन से ही यदि बालकों के अन्दर पैदा की जाय। इस देश में अगर हम देखें कि हमारे यहां बड़े-बड़े अधिकारी जब स्टेशन पर उतरते है तो छोटी सी अटैची उठा करके बाहर नहीं निकल सकते लेकिन विदेशी आदमी को जब हम देखते हैं तो अपना सारा सामान वह अपने कंधे पर उठा कर चलता है। उसकी निष्ठा है श्रम के प्रति और यहां अंग्रेजों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

का शासनकाल रहा और 40 साल तक हमारा शासनकाल रहा लेकिन अंग्रेजों की तरह जिस तरीके से यहां पर शिक्षा की व्यवस्था रही, उसके अनुसार हम ऐसे लोगों को पैदा नहीं कर सके। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी कर शिक्षा के अन्दर रोजगार भी हो और उसके लिए प्राथमिक विद्यालय से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय के लोगों को बैठा करके एक कमेटी का गठन करियेगा और इसे किस तरीके से रोजगार के लिए जोड़ा जा सकता है, यह मेहरबानी कीजियेगा तभी जा करके इस शिक्षा के काम को पूरा कर सकेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, वहुत हल्ला हुआ यहां पर, एक लम्बे समय से, यह सच है कि शिक्षा विभाग में पद खाली पड़े हुए हैं। यह भी सच है कि डी.पी.सी. नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग में जोइंट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, इंसपेक्टर्स, व्याख्याता, हैड मास्टर्स, प्रिंसिपल, तृतीय वेतन श्रृंखला और द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद, अनेकों पद लम्बे समय से खाली पड़े रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह विभाग के लोगों की कमजोरी थी। डी.ओ.पी. के लोगों ने अगर किसी तरीके से उसे नहीं किया गया था, रूल्स के प्रोवीजन थे उन्हें भी पूरा नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये विभाग के पद खाली नहीं रहते हैं तो जो अव्यवस्था बीच में पैदा हुई, वह अव्यवस्था पैदा नहीं होती। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 20,000 नियुक्तियां की हैं इस वर्ष में लेकिन इतनी देर से हुई। अगर यह समय पर हो जाती लेकिन मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इम्तिहान से पहले आपने शिक्षकों को विद्यालयों में भेज दिया है और लड़कों को जो नुकसान हुआ था वह शिक्षक उन्हें पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो खाली पड़ी हुई नियुक्तियां हैं, उन्हें भी मेहरबानी करके भरने की कोशिश कीजियेगा। आज हमारे विद्यालयों के अन्दर, शिक्षा विभाग में एल.डी.सी., यू.डी.सी. के पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें भी भरा जाना चाहिये ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो और व्यवस्था ठीक तरह से चल सके।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज अंग्रेजी स्कूल्स की बाढ़ सी चली आ रही है। जिधर जाइये उधर अंग्रेजी स्कूल्स खुलते चले जा रहे हैं। यह पब्लिक स्कूल जिस गति से खुल रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जिस गति से खुल रहे हैं, यह देश को किस दिशा में ले जायेंगे? यहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे हमारी संस्कृति से कटते चले जा रहे हैं। वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहां पर उनके मां-बाप का भी शोषण हो रहा है। तो ऐसी निजी शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत जिस तरीके से अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स के नाम पर ये विद्यालय चल रहे हैं, मेहरबानी करके अंग्रेजी मीडियम विद्यालय के नाम पर चलने वाले स्कूल्स को मान्यता मत दीजियेगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदयपुर की टैरियन सैकण्डरी स्कूल है। उस सैकण्डरी स्कूल में 17-18 वर्ष से टीचर्स काम कर रहे थे। जो बोहरा समाज है, उन बोहरा दाउदी समाज की स्कूल के कारण, लेकिन वहां एक नई तरकीब

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

निकाली, उन्होंने अपने यहां उसी स्कूल की बिल्डिंग में एक इंगलिश स्कूल के नाम से स्कूल प्रारम्भ कर दी और उधर बच्चों के एडमीशन बंद कर दिये। जब एडमीशन बंद कर दिये, बच्चों की संख्या कम हो गई तो शिक्षा विभाग ने उनके पद काटने शुरू कर दिये। राजस्थान का अनुदान विभाग है जो बीकानेर में है, उस अनुदान विभाग ने उनके टीचर्स के पद काटना शुरू कर दिया....

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

थोड़ा तो बोलने दीजिये। आज 4–5 लोग ही बोलने वाले हैं। उन्होंने पद काटना शुरू कर दिया और 17–18 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे टीचर्स, उन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है इंगलिश मीडियम स्कूल के नाम पर। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इन इंगलिश मीडियम स्कूलस को मान्यता मत दीजियेगा। अंग्रेजी को समाप्त कीजियेगा। जिन्हें अंग्रेजी पढ़नी है. वे पढ़ लेंगे लेकिन जो साधारण बालक हैं, उनको एकसी शिक्षा देने का प्रावधान हो तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं यह भी निवेवन करूं कि आज जितने भी भवन हैं वह या तो धर्मशालाओं में चल रहे हैं या चौपालों में चल रहे हैं। आज इस तरीके से चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यू.आई.टी. के माध्यम से या आवासन बोर्ड के माध्यम से जो कालोनीज बना रहे हैं, इन कालोनीज में इन्हें कहियेगा कि स्कूल्स बनायें और इन स्कूल्स को जिस तरीके से शिक्षा विभाग किराया लेता है, उस तरीके से दे।

मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पिछले साल आपने जितना बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है, इन चालीस सालों के अन्दर शिक्षा विभाग की बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए नहीं दिया गया है। 90-91 में आपने करीब 26-27 लाख रुपये दिये और इस तरीके से लगभग चालीस करोड़ रुपये, लाख नहीं, चालीस करोड़ रुपये इन पिछले दो सालों के अंदर स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाने के लिए दिया है। लेकिन इससे ही काम चलने वाला नहीं है। आप कोई न कोई योजना बनाइयेगा स्वायत्त शासन मंत्रीजी के साथ बैठ कर ताकि किराया पद्धति के आधार पर अगर शिक्षकों के भवन बना दिये जायं तो यह शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ा काम होगा। 1977 में शिक्षा विभाग की बिल्डिंग्स बनाई गई थी फूड फोर वर्क के अन्तर्गत, उनकी बाउण्ड्रीज बनाई गई थी लेकिन उसके बाद में इन दो सालों में काम हुआ है। इस बार भी आप ऐसा प्रोविजन कीजियेगा कि वह अधिक से अधिक मिल सके। मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि आज तक शिक्षकों की मांगों के ऊपर किसी तरीके के फैसले जो नहीं किये गये हैं, यह शिक्षक संगठन एक तरह से सरकार की मदद करने के लिए हैं, शिक्षक संगठन उन कमियों को आपके सामने बताते हैं और उन कमियों को यदि पूरा कर दिया जाय तो यह शिक्षा विभाग को फायदा होगा। राजस्थान शिक्षक संघ और अनेक संगठन, एक बहुत लम्बे समय से उनका विवाद चल रहा था। मैं पिछले निदेशक को, ललित के. पंवार को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने शिक्षकों की गिरदावरी कराई और गिरदावरी कराकर शिक्षक संगठनों के इन विवादों को समाप्त करने की दृष्टि से उन्होंने प्रचार किया।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नये शिक्षा निदेशक को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस गिरदावरी को प्रकाशित किया, तब जाकर पता लगा कि ऐसे ऐसे राजस्थान शिक्षक संगठन चल रहे हैं जिन्हें एक वोट प्राप्त हुआ है, संगठन को एक वोट, सैक्रेटरी और प्रेसीडेंट का भी उनको वोट प्राप्त नहीं हुआ और उसके बाद में आज सचिवालय में बैठे हुए शिक्षाधिकारी इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे मान्यता दी जाय। मान्यता तो वोट के आधार पर होती है। वोट के आधार पर जब सरकारें बन सकती हैं, राज बदल सकते हैं तो क्या शिक्षक संगठनों की मान्यता का निपटारा दो निदेशकों के सहयोग से शिक्षा विभाग नहीं कर सकता। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : हैं ही नहीं यहां पर शिक्षा मंत्रीजी, आप किस का ध्यान करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, कल्ला साहब। बहुत सारे मंत्री बैठे हैं, वह अपना काम सौंप कर गये हैं, आ ही रहे हैं। हर समय तो....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कोई न कोई प्रतिनिधि तो उनका बैठा ही है। मैं इसके साथ यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक और व्याख्याता हैं। इन व्याख्याताओं का वेतनमान एक कर दिया गया है। इसकी वजह से आज प्रधानाध्यापक कोई बनना नहीं चाहता, वह प्रशासनिक पद है और प्रशासनिक पद को, भारत वर्ष में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है लेकिन हमारे यहां के पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारी सरकार द्वारा इन दोनों का पद एक ही करने के कारण यह अव्यवस्था पैदा हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सैकण्डरी के हैड मास्टर्स हैं उनका 2200–4000 का ग्रेड कर दीजियेगा। यह अन्तर उन्होंने किया था, यह गलती उन्होंने की थी, इस सरकार को तो साल में इस गलती को सुधारना चाहिए था। मेरा अब भी निवेदन है कि इस गलती को सुधारें। शिक्षकों में क्या अन्तर करके चल रहे हैं यह ? व्याख्याता को तो एम.ए. का इन्क्रीमेंट मिलेगा, इनको इन्क्रीमेंट दिया जायेगा तो सैकण्डरी के हैड मास्टर ने क्या बिगाड़ा है या द्वितीय वेतन शृंखला के व्यक्ति ने या तृतीय शृंखला के व्यक्ति ने क्या बिगाड़ा है कि वह अगर क्वालिफिकेशन अर्जित करता है तो उसे वह इन्क्रीमेंट नहीं दिया जायेगा और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सनाढ्यजी, अपना भाषण पूरा करिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह इन्क्रीमेंट देने की आप कृपा करें। मैं थोड़े समय में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट और बोलियेगा बस, बंद कीजियेगा बाद में। पांच बजे तक की जब पहले व्यवस्था दे दी गई है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं अभी बंद करता हूं, मैं एक मिनट में ही बंद करता

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधूरा रह जायेगा। यह केवल प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन की बात कही गई है, मैं अगर कॉलेज की बात नहीं कहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, और पूरा कर देंगे। और भी वक्ता बहुत हैं, पूरा कर देंगे। आपने डिटेल बात कह दी। जल्दी कर दीजिए ना।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं केवल कॉलेज की बात कह कर। कॉलेज शिक्षा की स्थिति यह है कि जैसे कॉलेज निदेशालय एडहॉक चल रहा हो। पिछली बार भी मैंने इस बात को इस सदन में उठाया था लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि चार साल से निदेशक का पद एडहॉक चल रहा है और उनका पद ही एडहॉक नहीं चल रहा है, जितने अफसर हैं वह एडहॉक चल रहे हैं और स्थिति तो यह है—केवल यहां के 69 कॉलेजेज हैं जो सरकार के हैं लेकिन उन 69 कॉलेजेज में डेढ़ सौ आचार्य हैं, उपाचार्य हैं वहां के, वह भी एडहॉक चल रहे हैं। केवल दस-ग्यारह-पन्द्रह लोग ऐसे हैं जो डी.पी.सी. से सलेक्ट हुए हैं बाकी सारे एडहॉक हैं। आज स्थिति यह पैदा हो गई है मान्यवर, कि आज कोई भी, क्योंकि उसी वेतन श्रृंखला के लोग हैं, वही लेक्चर्स है, उन्हीं को प्रिंसीपल बना कर भेजते हैं, आज जैसी प्रशासनिक स्थिति में कॉलेज में जिस तरह का वातावरण हैं, उसमें कौन काम करना चाहेगा। लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए डी.पी.सी. समय पर होनी चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने अभी जाकर नियुक्तियां दी है। कॉलेज खुले अगस्त में, अगस्त में कॉलेज खुलने के बाद में जनवरी के बाद नियुक्तियां देना शुरू किया है। यह नियुक्तियां आप अब दे रहे हैं। यह देनी चाहिए थी अगस्त में जाकर के, पढ़ाई कब होगी, इम्तिहान कब होंगे, इस स्थिति को कौन सोचेगा और इसलिए उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि समय पर नियुक्तियां हों और जिस तरीके से सत्र चल नहीं पा रहा है वह सत्र नियमित हो क्योंकि हमारे राजस्थान के बच्चे जो कम्पीटिटीव एक्जामिनेशन्स हैं, जो महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में होते हैं, उसमें पिछड़ जाते मान्यवर हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप। माननीय श्री ईश्वरलाल सैनी। कृपया बिराजिए सनाढ्य साहब। नहीं, आप बिराजिए। ठीक कह रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उन बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा का ध्यान रखें। अब बिराजिए आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक मिनट में, प्लीज, एक मिनट बिराजिए। सैनी साहब, एक मिनट।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जो चयनित वेतन शृंखला के लोग हैं, मान्यवर, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस शिक्षा विभाग से कि एडहॉक प्रधानाध्यापक लगे हुए हैं विभिन्न विद्यालयों में, विश्व–विद्यालयों में अगर एक कर दिया, मध्य प्रदेश की सरकार अगर कर सकती है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कर सकती है तो इन सारे लोगों को स्थाई क्यों नहीं किया जा सकता। पद रिक्त पड़े हैं. आपने उनको भरा नहीं है, आर.पी.एस.सी. को अपनी रिक्विजिशन आपने भेजी नहीं, आप मेहर–बानी करके इन पदों को भरें, उन लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करें जो राजस्थान की धरोहर हैं, हिन्दुस्तान की धरोहर हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान हमने स्वीकार किया उसमें समान काम के लिए समान वेतन की बात हमने स्वीकार की और उसके बाद में भी जो निजी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक हैं, उन लोगों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते नहीं दिये जायं, उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जाय, यह जुल्म है, यह अन्याय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया है, इस सदन में भी और बाहर भी, कि हम करेंगे। मेरी अपील है कि यह सेशन जब तक चल रहा है जब तक इन शिक्षकों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, जो निजी विद्यालयों में काम करते हैं, उन लोगों के साथ न्याय करें, उन व्याख्याताओं के साथ न्याय करें जो पिछले पन्द्रह-सोलह साल से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको स्थाई नहीं किया गया है; वह आज भी टेम्प-रेरी रूप में चल रहे हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए। सनाढ्यजी। माननीय ईश्वरलालजी सैनी। प्लीज।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, स्वायत्तता के नाम पर जब तक इन विश्वविद्यालयों में यह अनियमितताएं चलती रहेंगी, जब तक अनुशासन हीनता चलती रहेगी, भ्रष्टाचार और गबन चलता रहेगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप शिक्षा शास्त्री हैं, कोई अन्य नहीं हैं आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालयों के अन्दर, यह सब कुछ चलता रहा तो हम लोगों का यहां बैठना व्यर्थ हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, लोग हम पर आरोप लगायें जातिवाद के, लोग हम पर आरोप लगायें और यहां बैठ करके वहां यह सब कुछ करते रहें, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से उस अनुशासनहीनता के लिए, जो कुलपति हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, जब वह छोटे स्तर पर उत्तर आता है, एक तांगे वाले की भाषा में बात करता है तो उनका स्तर गिर जाता है और ऐसे गिरे हुए लोगों के सम्बन्ध में स्वायतता के नाम पर उनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह मेरी राज्य सरकार से अपील है, राज्य सरकार इस बात पर ध्यान दे, नहीं तो, यह अराजकता सारे राज्य में फैल जायेगी। आज राजस्थान का विश्वविद्यालय देख लीजियेगा जयपुर का, जो मान्यता थी,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इसकी सेमी डवलप विद्यालय को मान्यता थी, मान्यवर, स्वायतत्ता के नाम पर उन लोगों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात को समाप्त करूंगा। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री ईश्वरलालजी सैनी। अब बिराजिए माननीय सनाढ्य साहब, प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमको बड़ा दुख है कि 40-45 वर्ष की आजादी के बाद भी मात्र इस राजस्थान में 38 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं यानी 62 प्रतिशत अशिक्षित हैं जिसमें अगर गांवों में देखें तो वह प्रतिशत और भी कम है, महिलाओं का प्रतिशत इससे भी कम है और अभी चर्चा आई है कि इस बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोकें तो सबसे बड़ा सवाल आया था कि हम किस प्रकार से अपनी महिलाओं को शिक्षित करें और उनको शिक्षा दें इसलिए जब बी.जे.पी. की सरकार बनी तो बड़ा नारा लगाया था दो साल पूर्व, शिक्षा मंत्री जी नहीं है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कृपया उन्हें बुला लीजिए क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह घोषणा की थी दो वर्ष पूर्व जो सरकार बनी कि मैंने ट्रान्सफर्स के नियम बना दिये हैं और नियम विरुद्ध एक भी ट्रान्सफर नहीं होगा, यह मेरा दावा है। अगर नियम विरुद्ध ट्रान्सफर्स नहीं हुए हैं तो मैं दावा करता हूं कि एक नहीं हजार प्रमाण देता हूं कि नियम विरुद्ध ट्रान्सफर्स हुए हैं और मंत्री जी की उन ट्रान्सफर्स में कुछ भी नहीं चली है। यानी मंत्री जी गौण कर दिये गये हैं। कुछ ट्रान्सफर्स तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। पिछली विधान सभा में भी मैंने निवेदन किया था राजस्थान में अनियमित ट्रान्सफर्स हो रहे हैं। सारे राजस्थान में बहुत से अध्यापकों ने हड़तालें कीं जो अनियमित ट्रान्सफर्स किये, गलत किये और नियम विरुद्ध किये। कहीं व्याख्याता हड़ताल कर रहे हैं यानी माहौल यह है कि आज की तारीख में राजस्थान के अन्दर चाहे वह शिक्षार्थी हैं या शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, कोई भी सन्तुष्ट नहीं है। एक घोषणा और की थी कि जब हमारी सरकार बन जायेगी तो हम सारे स्कूलों में और विद्यालयों में जितनों की आवश्यकता है उतने अध्यापक पहुंच जायेंगे लेकिन मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन विद्यालयों में और जिन बड़े और छोटे विद्यालयों में जहां दस-पन्द्रह टीचर्स होने चाहिए थे आज वहां पर दो-दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं मिसाल देना चाहता हूं कि मेरे बालेठा में एक कन्या विद्यालय है उसको खुले आज तीन चार वर्ष हो गए और पिछले दो वर्ष से लगातार एप्लीकेशन्स लिखने के बाद भी वहां प्रधाना अध्यापक की पोस्टिंग आज भी नहीं है। जाकर मालूम कर लें और मैं इनको सूचना दे चुका हूं लिखित में। मेरा आपसे इस सन्दर्भ में कुछ निवेदन है कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया था राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल के संबंध में और उसमें बहुत भारी

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

साजिश करके अनियमिततायें हुई हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं उसमें 59वीं बैठक हुई थी और 59 वीं बैठक में यानी यहीं से शुरू कर दिया उन्होंने जो घपलेबाजी करनी थी 59 वीं बैठक में उन्होंने निर्णय ले लिया कि क्योंकि एक्स-आफिशियो इसका सभापति हुआ करता था यहां के बोर्ड का और क्योंकि इनके पास कार्यभार ज्यादा है इसलिए किसी अन्य पदाधिकारी को चाहे वह सरकारी हो या गैरसरकारी हो उसको निष्पादन समिति का अध्यक्ष बना दिया जायेगा। यह तो निर्णय हो गया। अब साजिश यह है उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह 60 वीं मीटिंग है असाधारण इस 24-1-92 को वहीं प्रातः 11 बजे और यह भी 60वीं मीटिंग हैं यह भी मण्डल कार्यालय जयपुर 11 बजे 26-11-91 नहीं 59वीं है यह। यह 60 वीं बैठक है यह भी 24-1-92 की है 11 बजे और यह भी 60वीं बैठक है 24-1-92 की और 11 बजे ही है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह दो साधारण बैठक एक ही समय में एक ही कक्ष में कैसे आयोजित की गयीं ? मुद्दा यह नहीं है और इसमें से एक मीटिंग गलत है क्योंकि इस मीटिंग में इनको अमेन्डमेन्ट लाना था और अमेन्डमेन्ट के जरिये निष्पादन समिति का अध्यक्ष बनाना जरूरी था इसलिए एक जो मीटिंग गलत है और इसमें इन्होंने अन्दर ही लिखवा दिया यह तो साधारण लिख दिया अंतर, ऊपर असाधारण मीटिंग है यह और अन्दर इसमें लिख दिया यह असाधारण है। अब इनके सामने परेशानी यह आई और एक निर्णय भी ले लिया। इसमें जो एक्स-आफिशियो मिस्टर बी.डी. जोशी हैं उनका यह निर्णय ले लिया। क्लियर कट नाम तो नहीं लिया लेकिन निर्णय ले लिया कि इसका कार्यभार ज्यादा है। मैं पढ़कर सुना देता हूं।

"सभापति श्री बी.डी. जोशी ने दिनांक 25-7-72 को कार्यभार सम्भाला था। उनके कार्यकाल में मंडल की काफी अच्छी छवि बनी है तथा उनके सतत् प्रयत्नों से मण्डल के कार्यों में काफी सुधार हुआ है। एक सुधार नहीं कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। दिनांक 31-1 को 6 महीने हो रहे हैं। परिषद् के सभी सदस्यों ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि उनका अमूल्य श्रम सेवाओं की सराहना की जाती है व इस हेतु उनको एक प्रशस्ति पत्र भी परिषद् की ओर से दिया गया है।"

मीटिंग यह है और उनकी पूरी योजना बना दी गयी है कि उनको इस आफी परिषद् का अध्यक्ष बनाया जाये। मैं आगे अब आपसे निवेदन करता हूं कि यह मीटिंग 60वीं है। इसको असाधारण कर दिया है और कोई भी अमेन्डमेन्ट करने के लिए एक महीने के अन्दर दूसरी असाधारण मीटिंग होगी और उसके बाद इसका अनुमोदन होगा तभी अमेन्डमेन्ट माना जाता है। तो इस संबंध में मैं आपको राजस्थान टैक्स्ट बुक्स बोर्ड है उसके रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स आपको एक मिनट में पढ़कर सुनाता हूं। इसमें एक्स-आफिशियो सेक्रेटरी हमेशा हुआ करता था। जो स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन का था वह एक्स-आफिशियो निष्पादन समिति का अध्यक्ष माना जाता था। अब इसमें यह है :

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

Amendment of subject of the Board and Rules & Regulations :–

इसमें क्लियर-कट दिया हुआ है :

"The object of the Board or these rules may from time to time, be altered abridged or extended, if it is considered advisable to do it so at an extra ordinary (Special) general meeting of the Governing Council. Provided that at least ten clear days notice of the meeting for consideration of proposed alterations, abridgement & extension shall have been given to all the members of Governing Council alongwith the proposition in the form of written or printed report. No such proposition shall be carried into effect unless passed & confirmed in the second extra-ordinary meeting...."

दूसरी मीटिंग करना बहुत आवश्यक है और वह भी "....after a month's interval by the votes of two-thirds of the members delivered in person and agreed to by the Government."

यानी कोई भी अमेन्डमेन्ट अगर पहली असाधारण मीटिंग में लिया गया कोई निर्णय अमेन्डमेन्ट का तो दूसरी भी असाधारण मीटिंग होगी और उसमें 2/3 मेजोरिटी से वह अमेन्डमेन्ट पास होगा और उसके बाद गवर्नमेन्ट से उसकी स्वीकृति होगी । श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 60 वीं मीटिंग उन्होंने की है इसमें कोई भी स्पेसिफिक मीटिंग नहीं है और मजे की बात तो यह है कि 31–1–92 को रिटायर हुए हैं और उनको आदेश दे दिया गया यानी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और एक महीने के पूर्व ही उनको आदेश दे दिया कि आपको 19–2–92 को उनको यहां आदेश दे दिया कि आपको निष्पादन समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उन्होंने उसी दिन अपना चार्ज ले लिया और चार्ज लेने के बाद इस टैस्ट बोर्ड में जो खरीद फरोख्त होती है वह 12 करोड़ की होती है और 12 करोड़ की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें टेन्डर्स आमंत्रित किये हैं लेकिन लोएस्ट टेण्डर वालों को नहीं दिया है और बड़ी-बड़ी जिनकी पहुंच थी उन पेपर मिल्स को कुछ तो इसमें ओरियेन्ट पेपर मिल को दिये हैं और कुछ इसमें हिन्दुस्तान पेपर मिल्स को 12 करोड़ की खरीद का दे दिया ।

(3.00 म.प.)

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री): यह हिन्दुस्तान पेपर मिल किसकी है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह होगा, इसका मुझे कोई लेना-देना नहीं है लेकिन एजेण्ट बैठे हैं । आपकी निष्पादन समिति के अध्यक्ष के पास वे सारे एजेण्ट आये हैं, इनके मालिक नहीं आये होंगे और न उनको आने की जरूरत है। इसलिए इसमें भारी घोटाला हुआ है। पहले तो मुझे इसका

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

जवाब दे देना कि जो आपने अमेण्डमेण्ट किया है उसमें आपने क्लियर कट रूल्स रेगूलेशन्स की अवहेलना की है क्या ? दूसरी मीटिंग कब हुई ? आज तक 61वीं मीटिंग नहीं हुई है। आपने यह निर्णय लिया 60वीं मीटिंग में और वह भी साधारण मीटिंग में। इस साधारण को तो साजिश करके असाधारण बनाया गया है। जिसके मेरे पास सबूत हैं। 59वीं मीटिंग में आपने भूमिका बांध दी और 60वीं मीटिंग में इस तरह से आपने निर्णय ले लिया। उसके केवल 19 दिन बाद, एक महीना भी पूरा नहीं होने दिया, एक महीना तो 24.2 को पूरा होता। आपने 19.2 को ही आदेश जारी कर दिये कि श्री बी. डी. जोशी को निष्पादित समिति का अध्यक्ष बनाया जाय। इसमें आपकी क्या मंशा थी ? आप कहते हो कि दोनों ही मीटिंग की, अध्यक्षता श्रीमान् आपने स्वयं की है....

श्री हरिकुमार औदिच्य : और फैसला भी सर्व-सम्मति से हुआ है। मीटिंग का निर्णय दो-तिहाई बताया न आपने लेकिन सर्व-सम्मत हुआ है फैसला।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सर्व-सम्मत साधारण मीटिंग में।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बाद में जवाब दे दूंगा। एक साधारण मीटिंग के अलावा बाकी जितनी मीटिंग होती हैं सब, आप पूरा पढ़कर आओ। आपको ब्रीफ अच्छी तरह से नहीं किया है, जिसने आपको ब्रीफ किया है अच्छी तरह से नहीं किया। एक मीटिंग जनरल होती है बाकी जितनी मीटिंग होती हैं सब एक्स्ट्रा-ऑर्डीनरी होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप एक साथ उत्तर दे दीजिए। यह तो कहते रहेंगे। दिन भर का काम है यह तो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : श्रीमान्, यह दोनों ही 60 वीं मीटिंग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सैनीजी, सारा रिकार्ड पर आ गया, आपने जो कहा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इससे पहले मैं आपको यह भी निवेदन कर दूं और दरख्वास्त भी आयी है। उसके पहले भी 150 टन कागज की यहां से मांग की गयी थी और जो लोएस्ट टेंण्डर था वह 'शिव एण्टर-प्राइजेज' का था। उसको कहा तुम्हें हम आदेश दे देंगे उसके बाद उन्होंने नेगोशियेशन मीटिंग बुलाई लेकिन इसकी भी उसको कोई इत्तला नहीं की गयी और इत्तला के बाद उसने सब जगह की कम्पलेंट की है आपको कि इस नेगोशियेशन में मुझे नहीं बुलाया गया और 155 टन कागज अपनी मनमानी से दूसरी पार्टियों से नेगोशियेशन करके खरीद लिया। कृपया इसकी भी आप जानकरी लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मण्डल के द्वारा सफेद मुद्रण पेपर मैपलीथो पेपर, कवर पेपर, खरीदे जाते हैं और इसमें 100 मैट्रिक टन कागज के टेण्डर मांगे। सब से कम रेट मैंने बताया 'शिव एण्टरप्राइजेज' की थी किन्तु खरबन्दा एण्टरप्राइजेज को दे दिया गया और इस 'शिव' वाले को बुलाया ही नहीं और बता दिया कि हमने बैठकर इसका नेगो-शियेशन कर लिया। यह बिल्कुल नियम विरुद्ध था। अब मैं आपको एजेण्डा की

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

कॉपी दिखाता हूं। जिसमें दोनों में एजेण्डा लगे हैं। वह निकले हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब, अपना कथन जारी रखिये....(व्यवधान).... अब आप मौखिक कह दीजिए न। मान लेंगे कागज पेश कर देना आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एजेण्डा की कॉपी निकली है। 60वीं की भी निकली है.... और उसी 60वीं की जो आपने दिया है कि दोनों मीटिंग एक ही साथ में हुई हैं। यह 60वीं भी साधारण ही है। दो एजेण्डा निकले हैं बाकायदा। एक 24.1.92 को 60वीं मीटिंग का एजेण्डा निकला है वही 11 बजे का और यह जो किताब निकली वह अलग है। साधारण सभा की 60वीं साधारण बैठक और 24.1.92 की कार्यवाही यह दोनों की कॉपी है। अब सिंचाई मंत्री महोदय, आप यह बता दीजिए कि यह दोनों ही बैठक एक ही दिन, एक ही समय करने की क्या आवश्यकता थी ? सही बात तो यह है कि इसमें से केवल आपने एक बैठक की है साधारण और उसको बाद में दूसरी प्रिंटिंग कराकर के असाधारण कर दी है ताकि आप इसमें घोटाला कर सको। क्या घोटाला ? वह जो अमेण्डमेण्ट था। उसके बाद फिर आपने गलती कर दी। एक महीने बाद फिर मीटिंग करके आपको उस घोटाले को सही करना था लेकिन आप नहीं कर सके। 19 तारीख को आपने आदेश दे दिये, यह आदेश की कॉपी है, "उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशानुसार शाषी परिषद की 60वीं साधारण बैठक जो की गयी है...

मैं यह नहीं कहता इसमें आपको कितना मिला है या नहीं मिला। मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन आप इस विभाग को सम्भालिये। बहुत भारी घोटाले हुए हैं कागजों की खरीद में। 12 करोड़ का माल एक साल में खरीदती है 'राज्य सरकार/शिक्षा ग्रुप/विभाग पत्र क्रमांक 55/शिक्षा 1/88 जयपुर, दिनांक 19.2.92 के आदेशों के क्रम में निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने सभापति, निष्पादित परिषद, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल जयपुर के पद पर आज दिनांक 19.2.92 को म. पश्चात् कार्यभार संभाल लिया हैं।" इसी दिन आर्डर निकला और इसी दिन इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही, मैं आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप ट्रांसलेट भी रखो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : क्या फर्मा रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोलते रहिये.... (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : महावीरजी की बात का जवाब तो दीजिए आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मेरे मित्र हैं। इसकी छुट्टी है।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : 27.1.91 को 155 मुद्रण कागज की खरीद के लिए टेण्डर

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

जारी किये इसके लिए न्यूनतम निविदा शिव एण्टरप्राइजेज की थी किन्तु मिलीभगत से यहां के जो अतिरिक्त सचिव हैं वह ओझा हैं कोई, इन्होंने भी एक गैंग बना रखी है, उनको बुलाकर यह दे दिया। 'मण्डल' वर्ष में लगभग 12 करोड़ की पेपर सामग्री खरीद करता है इसमें भारी घोटाला है। इसमें मुख्य सामग्री, मैंने बताई थी मुद्रण पेपर, छपाई, कवर पेपर है। 130 मैट्रिक टन 38 लाख रुपये के, 180 मैट्रिक टन 80 लाख रुपए की और 2215 मैट्रिक टन साढ़े 6 करोड़ की और इसमें एक गैंग बनी हुई है। आप जांच करें और आज तक भी....

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपीटिशन हो रहा है सैनी साहब। आप सारा कह चुके हैं। एक मिनट और आप कह दीजिए....(व्यवधान)....होली का ध्यान रखिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान के बजट की 20 प्रतिशत की आज मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : खूब वाद-विवाद कीजिए....(व्यवधान)....आर्डर प्लीज। माननीय महावीरजी!

श्री ईश्वरलाल सैनी : श्रीमान, आपको मैंने बात बताई है इसी की आप जांच करा लीजिए और इसकी आज तक की ऑडिट नहीं हुई है यह भी नोट कर लीजिए। मेरे जवाब आप जरूर देंगे, इसकी आज तक की ऑडिट नहीं हुई है। यह सारा काम जो इन दिनों में हो रहा है, सारा काम नियम विरुद्ध हो रहा है। भाई–भतीजावाद चल रहा है। सचिव ने अपने भतीजे को रख लिया है। बहुत से आई.ए.एस. और आर.ए.एस. रिटायर अफसर वहां पर भर्ती कर लिये हैं और जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, जो वेतन–भोगी हैं रोजमर्रा के उनको नोटिस दे दिया है। जो 10–10 वर्ष से हैं उनको तो आप निकाल रहे हैं और बड़े-बड़े अधिकारी जो कोई रिटायर्ड आई.ए.एस. हैं या रिटायर्ड आर.ए.एस. हैं उनको इन पदों पर लगाया जा रहा है।

ईश्वरसिंह जो ओजारी हैं, इन्होंने अपने भतीजों को, किसी को किसी जगह पर लगा दिया, किसी को लगा दिया इंक्वायरी पर, किसी को लगा दिया परचेज में, किसी को कहीं लगा दिया, जो सैंकड़ों गरीब आदमी हैं उनको निकालने की साजिश रच रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी अनदेखी मत कीजिये, इसको देखिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : अपना भाषण समाप्त करिये, सैनी साहब।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दूसरा सब्जेक्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे सब्जेक्ट पर टाइम नहीं मिलेगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : राजस्थान में उद्योग अध्यापकों के लिये तीन चार साल से प्रशिक्षण देकर उनको तैयार किया गया है लेकिन उन उद्योग अध्यापकों की मिडिल स्कूल में भर्ती प्रायः बंद कर दी है जब कि होना यह चाहिये था, शारीरिक शिक्षा का जो लास्ट में था उसका नम्बर वन कर दिया था, उद्योग अध्यापकों को भी नम्बर टू करके आवश्यक रूप से मिडिल स्कूलों में लगाना जरूरी है। आज कितने ही हड़ताल

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

भी कर रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। जब आपने उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया और यह आवश्यक भी कर दिया, बहुत से स्कूलों में राज्य सरकार का आदेश भी निकला है कि इन्स्पेक्टर आफ स्कूल भी और जिला परिषद इसको प्राथमिकता देकर इन अध्यापकों को हर स्कूल में भेजे लेकिन उसकी अवहेलना की गयी है। कहीं-कहीं तो उनको लिया भी गया है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि 8 अध्यापक रहते हैं एक मिडिल स्कूल में, तो इनकी श्रेणी नवीं आती है, इसको दूसरे में क्रमोन्नत करके सात अध्यापक अन्य हो जायेंगे, आप इसको प्राथमिकता देंगे। बहुत सी जिला परिषदों में और विद्यालयों में लिये भी गये हैं। लेकिन क्रम उनका तोड़ दिया गया है, यह नहीं लिये गये है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि पिछले कई वर्ष में, यानी यह बात आज की नहीं है, दस वर्ष से व्याख्याताओं के लिये बहुत भारी परेशानी हो रही है यूनिवर्सिटीज में लगने में। होता क्या है कि चाहे डी.पी.सी. हो, चाहे आर.पी.एस.सी. हो, दस-दस, बारह-बारह साल में उनकी आर.पी.एस.सी. की जाती है। जब वह आर. पी.एस.सी. में आते हैं तो वह 12–12 साल की सर्विस में होकर आते हैं। जब कि होना यह चाहिये कि जो नये लड़के हैं, नये आते हैं कालेज से निकल कर फ्रेश, उनके सामने वह टिक नहीं पाते हैं। 12 साल बाद जब उनको निकाल दिया जाता है तो ओवर ऐज हो जाते हैं और उनको नौकरी के काबिल नहीं होने से रखते नहीं है। इसलिये एक नियम ऐसा बनाया जाय कि जिन्होंने पांच साल की सर्विस पूरी कर ली है, एक ही कॉलेज में, या तो उनको एडहॉक बेसिस पर दिया जाय या उनको परमानेंट किया जाय पी.एस.सी. से, नहीं तो डी.पी.सी. से उनको परमानेंट किया जाय। लेकिन पांच साल से ज्यादा नहीं हो। जब तक कि उनकी उम्र है, उनको रेगूलराइज करना चाहिये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज हड़ताल भी हो रही है, ज्ञापन भी दे रहे हैं, व्याख्याता परेशान हैं। दो साल पहले का मेरे को मालूम है, कितने ही व्याख्याता दर-दर की भीख खाते हैं, उनको मास्टरी भी नहीं मिल रही है क्योंकि 32-35 साल पूरे कर गये। 25 साल 26 साल की नौकरी में व्याख्याता बनते हैं, 35 साल होने के बाद ओवर ऐज हो जाते हैं। अब उनको कोई रोया आंखा नहीं होता है। इसलिये पांच साल अगर कॉलेज में सर्विस पूरी कर ली है तो वह लायबल है तो उसे किसी कॉलेज में या कॉलेज एजूकेशन में या यूनिवर्सिटी में परमानेंट किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय प्रोफेसर सांवरमल जी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक दो पाइंट मेरे क्षेत्र के और हैं, सर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पीड़ा को पहचानों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पहचान लिया। 20 मिनट हो गये आपको। प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने एक प्रश्न दिया था कि राज्य में कितने प्राथमिक विद्यालयों

(श्री ईश्वरलाल सैनी) :

को उच्च प्राथमिक बनाया, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया और माध्यमिक को कितनों को टेग्रन प्लस टू में क्रमोन्नत किया। वह तो मेरा काट दिया। मेरे लक्ष्मणगढ़ में कितने खोले, यह दे दिया और वह भी मुझको गलत जवाब दिया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और मेरा चार्ज भी है, मैं कितनी ही बार आपसे मिला कि मेरे ऐसे–ऐसे स्कूल बहुत जरूरी हैं। आपने मुझे आश्वस्त भी किया कि इतनी पापूलेशन है, ऐसे-ऐसे हैं तो खोले जायेंगे। लेकिन आपने भेदभावपूर्ण तरीके से कांग्रेस की कांस्टीट्यूएंसी में एक भी स्कूल हमको नहीं दिया है। आपने बी.जे.पी. के जो आपके साथ लग रहे हैं उनके क्षेत्रों में स्कूल खोले हैं। जब मैंने पूछा, मेरे क्षेत्र में कहीं भी कोइ मिडिल स्कूल नहीं दिया, न माध्यमिक दिया, न टेग्रन प्लस टू दिया। इसलिये आपने भेद-भावपूर्ण नीति से यह विद्यालय खोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय प्रोफेसर सांवरमलजी। प्लीज सैनी साहब। नो टाइम एट आल। प्लीज सैनी साहब बिराजिये आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक करप्शन की। जो मैं बोला हूं ना, यह ट्रांसफरों में करप्शन हो रहा है उसकी एक मिसाल देऊं, फिर मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले कह देते आप। टाइम ओवर हो गया है। आपके प्रश्न का कोई एण्ड नहीं है। और भी बहुत हैं। प्लीज, सैनी साहब, बंद कीजिये। प्लीज, कोआपरेट।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक-एक, यह ट्रांसफर की बात।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। एक मिनट।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य, आप कहां से आते हैं? लक्ष्मणगढ़ से आते हैं ना? ईश्वर लाल सैनी आप ही का नाम है ना? आपके स्कूल खोला, बताऊं?

श्री ईश्वरलाल सैनी : कहां है?

श्री हरिकुमार औदिच्य : अभी स्कूल खोला है जो बताऊं आपको?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जावली, छात्राओं का जावली, आपके अलवर में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी, सवाल जवाब हो जायेगा। आप तो एक साथ उत्तर दीजिये। यह तो दिन भर ऐसे बोलते रहेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : गलत तथ्य मत दो मेरे को। मेरे जावली बहुत पहले से है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप बोल रहे हैं, सैनी साहब? बोलिये ना आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह एक ट्रांसफर के करप्शन की है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यशवन्त स्कूल में एक अंग्रेजी के नाम से अध्यापक का ट्रांसफर किया। वहां अंग्रेजी की सीट नहीं थी। उसके बाद उसको मेरे लक्ष्मणगढ़ में लगा दिया। वहां उसने आदेश लेने से मना कर दिया और उसी विद्यालय में बैठा रहा। फिर उसको दुबारा घर आदेश भिजवाये कि आप चले जाइये, आपका कोई रिक्त पद नहीं है। फिर वहां के इंस्पेक्टर आफ स्कूल ने दूसरे विद्यालय से उसको तनख्वाह देनी शुरू कर दी, मिलीभगत की बात कह रहा हूं आपसे मैं। आज की तारीख में वह अध्यापक आठ दस महीने हो गये, आपके शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी....

श्री हरिकुमार औदिच्य : उनसे बात करिये। उनकी तरफ बोलिये, उधर देखिये, मेरी तरफ नहीं। नहीं नहीं, इधर मत देखिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप ही तो नोट करेंगे ना ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : फरमाओ मैं लिख रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उधर तो आप इनको कह रहे हैं कि आप चेयर की तरफ सम्बोधन करें लेकिन आप अभी इनको पूछ रहे थे सदन में, मुझे इस चीज का बड़ा दुख है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उन्होंने जो बात कही थी, इसलिये कह रहा था।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप सुनिये पहले। मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक, आप आनरेबल मिनिस्टर ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हैं, किसी भी माननीय सदस्य से यह पूछना भी आप ईश्वरलाल सैनी हैं....(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं कह रहा था आप वो ही हैं ना। यह कह रहे थे, मेरे यहां एक भी स्कूल नहीं खोला, मैंने कहा, मैं जानता हूं। इसलिये आपको बताया था।

श्री परसराम मदेरणा : आपको इस तरह से जो है, ईश्वरलाल सैनी आप ही हैं, यह फिर आपका नाम ले देंगे। हाउस की यह परम्परा रही है, सम्माननीय सदस्य हैं, सम्माननीय मंत्री हैं, उनका सम्बोधन बहुत सत्कारपूर्वक करना चाहिये आपको।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैंने पूछा है, मैंने पहले क्षेत्र पूछा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसके बाद उस अध्यापक को जिसको यशवन्त स्कूल में लगाया था, वह आज भी जिला शिक्षा अधिकारी की मेहरबानी से शिक्षा अधिकारी के वहां बैठा है और मेरे लक्ष्मणगढ़ में नहीं गया है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके आदेशों की कितनी अवहेलना हो रही है। यही नहीं, देखिये, कोई अधिकार नहीं है नि एडीशनल इस्पेक्टर है वह आदेश जारी करे। आदेश जारी हो जाय इंस्पेक्टर के बिहाफ पर जब कि वह इंस्पेक्टर वहीं पर है। यह आदेश वहां के संयुक्त निदेशक ने एक नहीं कितने ही किये हैं अगर आप जांच करेंगे तो सारा वहां घोटाला ही घोटाला पाओगे। मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था....

श्री उपाध्यक्ष : अब सैनी साहब, बिराजिये। प्लीज सैनी साहब, आपने टाइम लिया जितना दे दिया। माननीय प्रोफेसर सांवरमलजी। प्लीज सैनी साहब, कोग्रापरेट कीजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 60 ट्रांसफर इतने गलत किये है कि जो यहां के पेपरों में साये हुए हैं। 60 ट्रांसफर इसमें कर दिये या तो परित्यक्ता हो....

श्री उपाध्यक्ष : आप सांवरमलजी प्रारम्भ कीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : या विधवा हो उसकी आड़ में इन्होंने 60 ट्रांसफर कर दिये हैं। आपने कोई इंक्वायरी नहीं की। इसकी शिकायत भी हुई है। महिला संयुक्त निदेशालय की बात कह रहा हूं मैं। उसकी इंक्वायरी हुई है लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यहीं बिराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। अब क्या ईश्वरलालजी सैनी साहब, बैठेंगे नहीं क्या आप। सैनी साहब, माननीय सैनी साहब, प्लीज कोग्रापरेट कीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने एक नियम बनाया था कि प्रतिनियुक्ति पर एक भी अध्यापक नहीं रहेगा। यह नियम की कॉपी भी मेरे पास है। लेकिन आज मैं कहता हूं हजारों की संख्या में अपनी गोटी बिठाकर प्रतिनियुक्ति पर लोग लग रहे हैं। जहां उनको जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहे हैं। गांव के स्कूल खाली पड़े हैं और वह शहरों में प्रतिनियुक्ति पर लग रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अध्यापक जो शहरों में गांव से प्रतिनियुक्ति पर आ गये हैं वहां के स्कूल खाली पड़े हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति तुरन्त समाप्त करके गांव में भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सैनी साहब। नोट मत कीजिये। नोट मत कीजिये आप। प्लीज बिराजिये आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं दे रहा हूं। कितनी बार कह चुका हूं, कृपया बिराजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप करो व्यवस्था। नहीं माननीय दहिया साहब प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं आसन को सहयोग करने की अपेक्षा करता हूं प्रोफेसर सांवरलाल।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्रम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्रम वैसा ही रहेगा।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सांवरलाल)

महोदय, आदिकाल से शिक्षा देने की परम्परा चली आ रही है। मानव को कैसे शिक्षित किया जाये, जिससे समाज में वह सेवा करने के काबिल बने, उपाध्यक्ष महोदय, आदिकाल में आश्रम व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। राजा महाराजाओं के जमाने में राजा महाराजाओं, या सीमित परिवारों को शिक्षा मिलती थी। उसके बाद इस देश में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों की एक अपनी शिक्षा पद्धति थी और जब वह आजाद करके चले गये, उस चीज को इस देश में छोड़ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस पद्धति को उसी प्रकार हमने ग्रहण किया, जिसका परिणाम आज हमारा देश और प्रदेश भुगत रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की रही कि हम केवल बाबू तैयार करने की शिक्षा देते हैं। आज चाहे विश्वविद्यालय को आप ले लें, महाविद्यालय को ले लें, स्कूल्स ले लें, जो हालत हमारे नौजवानों की बन रही है, आज विश्वविद्यालय में केवल प्रवेश लेने तक एक इच्छा रहती है, उसके बाद वह विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं कि 100 में से 10 प्रतिशत लड़के भी निश्चित रूप से लगन से पढ़ते नहीं है। अब इसका कारण क्या है ? हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है, हमारे गांव के नौजवानों को, उनके माता-पिता जो यहां भेजते हैं, वह यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी में जाये और सरकारी नौकरियों की जो स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, आज बेरोजगारी की जो स्थिति है, इसके कारण आज पढ़ाई, हायर एजुकेशन के प्रति मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे नौजवानों का रूझान लगभग कम होता जा रहा है। उसका रिजल्ट हम भुगत रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि शासन, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। हमें ऐसा प्रशिक्षण और शिक्षा देनी चाहिए जिससे हमारा नौजवान सरकारी नौकरी की तरफ न देखें। उसमें एक यह भावना हो कि मैं अगर शिक्षित हो जाऊंगा तो मैं कुछ और करने के काबिल हो जाऊंगा। चाहे वह व्यवसाय हो, या और कोई धंधा हो, इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए हमें सोचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी मुख्य समस्या, दो वर्ग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो शिक्षा की स्थिति है, एक तो आप ले लीजिए। जयपुर का ही उदाहरण ले लीजिए। एक तो सरकारी स्कूल हैं और दूसरे निजी स्कूल हैं। यहां पर कितनी फीस ली जाती है, किस प्रकार की पढ़ाई होती है। दो वर्ग बन गये हैं और इन वर्गों की वजह से हमारे बच्चें, गरीब परिवारों के बच्चे, उनकी शिक्षा में कोई फर्क आता नहीं, जो हमें याद दिलाता है कि राजा महाराजाओं के जमाने में और हमारे इस प्रजातंत्र में हम कोई विशेष फर्क को खत्म नहीं कर पाये हैं। मेरा यह सुझाव है कि जो यह प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, वह सेवा के उद्देश्य से नहीं चल रहे हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को तामील दें, वह यह चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से चले।

एक माननीय सदस्य : तालीम होता है।

श्री सांवरलाल : तामील ही है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सांवरलाल : मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार को भी इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि यह जो अलग-अलग शिक्षा के स्कूल चल रहे हैं, उनमें एकरूपता किस प्रकार स्थापित की जाये । तो इस दिशा में मैं आशा करता हूं कि गम्भीरता से विचार किया जाये । दो वर्ष के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में कई स्कूल्स इस सरकार ने खोले । इस बजट में काफी प्रावधान है, निश्चित रूप से सराहनीय है । इसी प्रकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी; चाहे वह माध्यमिक स्कूल हों, सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल हों, इनका पूर्ण ध्यान रखा गया है, इसके लिए मैं इस सरकार की प्रशंसा करता हूं । एक समस्या ग्रामीण क्षेत्र में आती है, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं, वह गांव की बजाय शहरों या कस्बों के अन्दर रहना पसन्द करते हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके बच्चों की शिक्षा सही हो जाती है, उनको वहां पर सही वातावरण मिलता है और गांव के अन्दर अगर वह नौकरी करता है तो उसको उल्टा नुकसान होता है । शहर में रहने से शहरी भत्ता मिलता है । मैं एक मांग के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम शिक्षा को प्रभावी रूप से बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को अट्रेक्ट करने के लिए इनसेंटिव देना चाहिए और ग्रामीण भत्ते के रूप में छोटा सा, जितना भी सरकार दे सके, इस प्रकार का एक प्रस्ताव तैयार करना चाहिए, जिससे शिक्षक गांव के अन्दर सेवा करने के लिए तत्पर हों । इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय, अभी राजस्थान के कई विश्वविद्यालय हैं, जिनमें वर्षों से अस्थायी शिक्षक हैं, महाविद्यालयों में अस्थायी शिक्षक हैं, इसका कारण क्या है ? इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय में अलग-अलग चयन होता है । जो वाइस चांसलर चाहते हैं, वह चयन करवा लेते हैं, जो इंटरस्टेड नहीं होता, उसका चयन नहीं होता है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि समस्त राजस्थान के विश्वविद्यालयों के लिए एक विश्वविद्यालय चयन आयोग का गठन कर लिया जाये और जहां-जहां पर जितनी वेकेंसीज हैं, वह मंगवाकर समय-समय पर उनके साक्षात्कार करवाये जायें जिससे कम से कम इस समस्या से हमें छुटकारा मिले और इसके साथ ही आये दिन होने वाले चयन में धांधलियों की शिकायत मिलती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उससे मुक्ति मिले, तो मैं आशा करूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से लेगी । उपाध्यक्ष महोदय, आज महाविद्यालयों में जो वातावरण है, चाहे छुटपुट लड़ाई झगड़े हों, नौजवानों में सैटिसफैक्शन नहीं है । चाहे कहीं की भी स्थिति ले लीजिए । आये दिन होते रहते हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं, तो इस बारे में भी गम्भीरता से हमें लेना होगा कि आखिर हमारे नौजवानों में इस तरह से महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में कैसा वातावरण तैयार करना है । आज मैं माननीय शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के उप कुलपति के संबंध में, चाहे वह कितने ही विद्वान हों, मैं उनकी विद्वता को चुनौती

(श्री सांवरलाल)

नहीं देता, मेरा निवेदन यह है कि जो वातावरण बन रहा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सांवरलाल : कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, काफी चिन्ता का विषय है, हमारे प्रदेश के लिए और वह चिन्ता का विषय इसलिए हो जाता है कि 17 विधायकों ने जो शिकायत की कि भई यह शिकायत अमुक वाइस चांसलर के प्रति है, उनके ही डीन उल्टा विधायकों के ऊपर आरोप लगाते है कि यह जातिबाजी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह 17 विधायक लगभग 10 जातियों के होंगे, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि 2 या 3 जातियों के हैं। तो इस प्रकार का वातावरण अगर एक शिक्षाविद् अपना संयम खोते हुए बनाता है तो यह निश्चित रूप से काफी चिन्ता का विषय हो जाता है। तो इस प्रकार जो भी स्थितियां बनती हैं, उसको गम्भीरता से लेना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह सरकार चला रही है, प्रशंसनीय है। अजमेर जिला, मैं आशा करता हूं इस साल सम्पूर्ण साक्षर घोषित हो जायेगा। इसी प्रकार कुछ जिलों का जो चयन किया गया है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र को साक्षर बनाकर उनमें कुछ समझ पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, सराहनीय है। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम हैं, जो प्रशंसनीय हैं। तकनीकी शिक्षा के संबंध में भी इस सरकार ने काफी प्रस्ताव, चाहे वह किसी कालेज के अन्दर विषय खोलने का हो या पोलोटैक्निक कालेज अलग से खोलने का हो, निश्चित रूप से सराहनीय है। एक 'लोक जुम्बिश' जो योजना चली है, निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के रूप में सहयोग करेगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्री और प्रावैधिक मंत्री से कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी महाविद्यालय नहीं है और मैं महाविद्यालय के लिए मांग भी नहीं करता। मैं यह चाहता हूं कि आप कम से कम उस क्षेत्र में चाहे पोलोटैक्निक हो या आई.टी.आई. प्रशिक्षण संस्थान, खोलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी और वहा के नौजवान और बाहर के नौजवान अपनी रोजी रोटी चलाने, धंधे की शिक्षा वहां पर मिल सकेगी। इसी प्रकार शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, इस साल बजट में काफी प्रावधान है। नये विद्यालय अगर आप खोलेंगे तो मैं आशा करता हूं कि जिस पंचायत के अन्दर, सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में अगर कोई मिडिल स्कूल नहीं है, उसको आप प्राथमिकता देंगे, क्योंकि पूरे पंचायत क्षेत्र में मिडिल स्कूल नहीं होने की वजह से जो गांव के बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है, काफी दूर जाना पडता है, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों के बारे में आप चिन्ता रखते हुए कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपसे आशा करता हूं।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति ग्रामीण बालकों के विकास के लिये कुछ छात्रवृत्ति इस बार चालू की है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं कुल मिलाकर यही निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री सांवरलाल)

हमारे शासन की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि शिक्षा में एकरूपता रहे। जो आज एक बहुत बड़ा अन्तर हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, चाहे दूसरी सेवा हो, चाहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो, एक गांव में पढ़ने वाला लड़का और एक शहर में पढ़ने वाला लड़का, इन दोनों का कम्पीटीशन में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। गांव का लड़का जिस वातावरण में पढ़ता है और शहर का लड़का अलग अलग स्कूलों में पढ़ता है उनमें बहुत बड़ा फर्क है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रीजी इसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर कोई संस्था निश्चित रूप से सेवाभाव से विद्यालय चला रही है तब तो मैं मानता हूं कि वह उचित है। आज स्कूलों की हालत यह है कि ड्रेस हम दें, पुस्तकें हम दें, सब कुछ हम दिलायें, आटो भी हम करेंगे जिसमें आप बैठ कर जायेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर पैसा नहीं है तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वह उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देगी। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकांत शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से देश के अन्दर प्रारम्भ से ही, आजादी के बाद से ही जहां हमने दुर्गापुरा स्टील या हवाई जहाज बनाने वाले हिन्दुस्तान या एयर क्राफ्ट या ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में ध्यान दिया। हमारा जो आर्थिक विकास है उसके बारे में जितना ध्यान दिया उतना ही शिक्षा को हमने नेग्लेक्ट किया और शिक्षा के बारे में जो प्राथमिकता देनी चाहिये वह नहीं दी गयी। यहां तक कि आज भी हमसे जो पिछड़े हुये देश हैं, जो गरीब देश हैं और हमारी तरह से जो प्रगतिशील देश हैं उनके जी.एन.पी. का वह लोग 8 से 10 पर्सेण्ट तक खर्च करते हैं। हमारे यहां पर अभी डेढ़ या दो पर्सेण्ट खर्च करते हैं शिक्षा पर और छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से तो निरन्तर घटता चला जा रहा है।....(व्यवधान).... आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, यह बजट का 24 प्रतिशत नहीं है यह राजस्व व्यय का 24 प्रतिशत है। नान प्लान का 24 प्रतिशत है। वह तो होती ही है, टीचर्स काम कर रहा है तो होगा ही। इसलिये भ्रमित मत होइये इस 24 प्रतिशत से। अभी माननीया सुमित्राजी ने भी कहा था कि 24 प्रतिशत बजट, यह बजट का नहीं है यह राजस्व व्यय का है और मैं बात कर रहा हूं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। तो जो देश का ग्रोस नेशनल प्राडक्ट है उसके अनुसार देश के अन्दर जो शिक्षा व्यय होना चाहिये उतना शिक्षा पर व्यय नहीं होता है, यह मेरा निवेदन है। मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हमें अभी भी कम से कम प्राथमिक शिक्षा को अत्यधिक प्रायोरिटी देनी चाहिये, इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिये। नहीं दी तो देश आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज डवलप नहीं होगा तब तक मशीन या आपके नदी नाले, सड़क या परिवहन कोई भी हमारे यहां हों, प्रगति नहीं कर सकते।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का राजस्थान

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ने ड्राफ्ट बनाया है उसके अन्दर एलिमेंट्री एजुकेशन पर 386 करोड़ रुपया दिया है और सैकण्डरी एजुकेशन पर 309 करोड़ रुपया दिया है। तो प्राथमिक शिक्षा के अन्दर केवल मात्र 386 करोड़ रुपये और उसी ड्राफ्ट प्लान के अन्दर यह लिखा गया है कि जब 1995 के अन्दर हम यूनिवर्सल एजुकेशन को एचीव कर लेंगे अर्थात 14 वर्ष के जितने बालक बालिकाएं हैं वह सारे के सारे स्कूलों के अन्दर होंगे और उसमें नम्बर भी दे दिये कि तब तक हमारा स्टेण्डर्ड हो जायेगा वह करीब-करीब 68 लाख बच्चों का हो जायेगा। राजस्थान की 1995 के अन्दर आबादी पहुंच जायेगी साढ़े चार करोड़ के आसपास और साढ़े चार करोड़ से 68 लाख जो बच्चे हैं वह उसके अन्दर हो जायेंगे। तो इधर की तरफ इतना कांट्राडिक्टरी कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सल एजुकेशन लेवल प्राप्त कर लेंगे और उधर नम्बर दिया हुआ है कि वह उस आबादी के हिसाब से होता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि हमने जिस प्रकार से संविधान के अन्दर एक बहुत बड़ा असत्य बोला और हम दस साल के अन्दर यह स्थिति पैदा कर देंगे सारे देश के अन्दर 14 वर्ष के सब बालक बालिकाएं स्कूलों के अन्दर होंगे। वह हमने संवधिन की भी आज्ञा नहीं मानी और आज भी हर एक बजट के अन्दर इस प्रकार की केवल मात्र एक नेग्लीजेंट तरीके से इसके लिये एप्रोच की जाती है और इसी का कारण है जो आबादी के बाद बच्चे 6 वर्ष के थे वे आज 50 वर्ष के आदमी हैं और देश प्रदेश के अन्दर जो अनुशासनहीनता और व्यक्तित्व का ह्रास हो रहा है यह सबसे बड़ी चीज है। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे में व्यक्तित्व बनाने के लिए जो एक ग्राह्यता होती है उसका हमने ख्याल नहीं किया। इसके ऊपर तुर्रा यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि लोग फैक्ट्स एण्ड फिक्शन में बहुत बिलीव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, न जाने क्या-क्या चीजें करना चाहते हैं। 'लोक जुम्बिश' के अन्दर 16 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं, 600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, स्वीडन से लिया है। स्वीडन गवर्नमेण्ट तो चाहती है कि हमारे यहां पर वास्तव में शिक्षा पर व्यय हो। यदि स्वीडन गवर्नमेण्ट चाहती तो प्राथमिक शिक्षा के लिये पैसा देती, सैकण्डरी शिक्षा के लिए पैसा देती। इस प्रकार की बातों के लिये पैसा दिया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष की प्रौढ़ शिक्षा का प्रोग्राम चल रहा है केवल कागजी है। किसी गांव के अन्दर कहीं कोई आदमी पढ़ने नहीं जा रहा है यह केवल मात्र सारा का सारा कागजी काम है आगे भी कागजी होता रहेगा।

यह प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बहुत अच्छी चीज है। मगर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केरल के अन्दर कौन सा लोक जुम्बिश प्रोग्राम है। केरल के अन्दर 90.0 पर्सेण्ट एज्युकेशन है, गोवा के अन्दर कौन सा लोक जुम्बिश प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर 90.0 पर्सेण्ट शिक्षा है। वहां पर प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पर पूरी तरह से जोर दिया गया है। इसलिये वहां पर आज रिक्शा चालक भी ग्रेज्युएट है। हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। हम प्रौढ़ शिक्षा की बातें करते हैं, लोग जुम्बिश

(श्री रमाकान्त शर्मा)

की बातें करते हैं, यह अंग्रेजी गरीब संस्कृत, उर्दू की मिलकर इस तरह से पापुलर स्लोगनस हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे काम नहीं चलेगा। कीजिए प्रौढ शिक्षा अगर आपके पास में प्रचुर धन हो तो 60 वर्ष के लोगों को पढ़ाइये। आपके पास धन हो तो जो पधार रहे हैं उसके मुंह में गंगा जल जरूर डालिये यदि आपके पास गंगा जल हो तो। परन्तु 10 वर्ष के बच्चों के लिये तो आप यह कहते हो कि अभी राजस्व गांव के अन्दर हम प्राथमिक शाला नहीं दे सकेंगे। 60-60 बच्चे एक ढाणी से जाते हैं, वहां पर आपने प्राथमिक शाला नहीं खोली, खोल भी नहीं सकते, खोली भी नहीं है और खोलने का आने वाले 5 वर्ष में कोई प्रोग्राम ही नहीं है और आप बात करते हैं हम 16 करोड़ रुपया लोक जुम्बिश में खर्च कर देंगे। प्राथमिक शिक्षा कब तक दे देंगे? आपका बच्चा मान लीजिये केवल मात्र 4 वर्ष का है उसे शिक्षा में भेजना चाहेंगे यहां पर तो जो शहरों में रहते हैं वे तो 3 वर्ष के बच्चे को नर्सरी में भेजना चाहते हैं और गांव के चार वर्ष के बच्चे को कहते हैं कि तीन किलोमीटर चल कर वह प्राथमिक स्कूल में जायेगा। क्या वह जायेगा पढ़ने? नहीं जायेगा वह पढ़ने। इसका परिणाम है, नये-नये 14 वर्ष के बच्चे, 15 वर्ष के बच्चे जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, जिनकी इच्छा है पढ़ने की उन्हें हम नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ 60 वर्ष के आदमियों को डालने की बात करते हैं। वह हो नहीं रहा है। यह सारी की सारी एक बार शुरू हो जाती है जो चल रही है। यह नहीं चलनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात हिन्दुस्तान के अन्दर बार-बार कह रहे हैं कि महिलाएं पीछे रह गयीं जिनको बहुत आगे लाना है। बालक और बालिकाओं को समानभाव से बर्ताव करने का है। आप देखिये, यहां पर बालकों के 29 हजार 508 प्राथमिक विद्यालय हैं और महिलाओं के 2 हजार। उच्च प्राथमिक विद्यालय बालकों के 7 हजार 640 और बालिकाओं के 1 हजार और इस बार भी बालकों-बालिकाओं के स्कूल बराबर खोले नहीं गये हैं। रिजर्वेशन की बात तो करते हैं महिलाओं के लिये और पंचायतों के अन्दर प्रधान बन जायेगी, म्युनिसिपेलिटी में कर दीजिये। जहां रूट है, जहां से बन कर आ सकता है, एक प्रकार के व्यक्तित्व की रचना हो सकती है बालक और बालिकाओं के अन्दर समान भाव से वहां उनके अन्दर किसी प्रकार का काम्पलेक्स पैदा कर रहे हैं। गांव के अन्दर लड़की के लिये शिक्षा नहीं है और लड़कों के लिये स्कूल के अन्दर शिक्षण प्रदान कर रहे हैं और जगह-जगह 10 गुणा स्कूल लड़कों के खोल रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन है, सुझाव है कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम प्राइमरी स्कूल बालकों के लिये खोले ही नहीं।

बालक-बालिकाओं के लिये एक ही जगह एज्युकेशन होनी चाहिये। एक एडवांस स्टेज आती है सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की, उसमें कह सकते हैं, आप बालक और बालिकाओं की अलग खोलें और उसके बाद मेच्योर्ड एज आती है कालेज के अन्दर वहां पर को-एज्युकेशन हो जाय। यदि इस प्रकार से बात करेंगे तो जो इन्फीरिटी काम्पलेक्स है गांवों के अन्दर कि लड़कों के स्कूल हैं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

लड़कियों के नहीं है क्योंकि आपने ऐसी प्रथा चालू कर दी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग थोड़ा सा गौर करें तो काफी ठीक हो जायेगा।....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय, मैंने प्रारम्भ ही किया है। मैं बहुत अच्छी बात आपको निवेदन करने जा रहा हूं। एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी कही थी कि नौकरी नहीं हमको रोजगार देना चाहिये। बड़ी सही बात है। रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिये और रोजगार की सेवा की बात है तो 70 प्रतिशत लोग गांवों के अन्दर रहते हैं। इसका अर्थ है जिस आदमी को रोजगार दिया जायेगा उसके पास कुछ न कुछ कोई न कोई ट्रेड एज्यूकेशन होनी चाहिये, किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण उसके पास मौजूद होना चाहिये। अब आप इंजीनियरिंग कालेज खोलेंगे वहीं आप पोलिटेक्निक कालेज खोल रहे हैं। जिस जगह इंजीनियरिंग कालेज, पोलिटेक्निक कालेज हैं वहीं पर आप आई. टी.आई. खोल रहे हैं, वहीं पर आप शिक्षण प्रशिक्षण खोल रहे हैं। तो गांव के आदमी उसमें कहां से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिससे वह रोजगार के अन्दर आ जायेगा। वह गरीब तो धक्का खाता रहेगा। शहर का आदमी तो निश्चित रूप से ट्रेनिंग लेगा। शहर का आदमी तो रोजगार प्राप्त कर रहा है। रोजगार की समस्या ग्राम के अन्दर है। उन्होंने बी. ए. पास कर लिया और आगे पढ़ लिया वह किस प्रकार से स्टेनोग्राफी, स्टेनो टाइपिस्ट बन सके, कोई बिल्डिंग का कार्य है या दूसरे प्रकार के ट्रेड हैं जो आई. टी. आई. में वह कर सके। गांव के अन्दर आपने ट्रेड एज्यूकेशन को या पोलोटेक्निक को नहीं खोला तो हमने जो रोजगार का हिसाब सोचा है यह ठीक तरीके से आगे नहीं चल सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको कहने वाला हूं वह यह है कि जहां भारत वर्ष के अन्दर साक्षरता का प्रतिशत औसत 50 प्रतिशत तक पहुंच चुका हैं वहां राजस्थान में कुल मिलाकर 24.38 टोटल है।

और मेल का 26.3 प्रतिशत है और औरतों का 11.3 है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह अब 38.81 हो गया।

श्री रमाकांत शर्मा : यह 81 का बोल रहा था। मैं अर्ज कर रहा हूं। यह 36.31 हो गयी और राजस्थान के शहरों में देखें तो अलवर जैसे शहर की 58.45 है परन्तु गांव के अन्दर जाइये थानागाजी जैसी शायद एक ही जगह होगी जिसके अन्दर टोटल 16.31 है। मेल की है 26.91 और फीमेल की है 4.60 यह 1991–92 के अन्दर है और प्रोग्राम बना रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंह कह रही हैं कि आप ध्यान नहीं देते हैं।

श्री रमाकांत शर्मा : लास्ट पाइंट। मैं दूसरों से कम्पेयर नहीं करना चाहता हूं, सारे राजस्थान से नहीं करना चाहता हूं। अलवर के अन्दर जहां सेकेण्डरी स्कूल दूसरे विधान सभा क्षेत्र में तीन खोले गये हैं मेरे यहां एक खोला गया है। राजस्थान सरकार

(श्री रमाकांत शर्मा)

के इन्सपेक्टर्स बताते हैं कि अजबपुरा, किशोरी, गोलों का बास, यह उचित है जहां पर सीनीयर हायर सैकण्डरी स्कूल खोला जाना चाहिए। मैं नहीं बताना चाहता कि यह कहां पर खोले गये परन्तु इन तीन का नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया है। हमारे यहां पर साक्षरता का प्रतिशत कम है, स्कूल कम हैं, हमारी प्राथमिक स्कूलें कम हैं, उसके बाद भी इस प्रकार के भेद-भाव की नीति है। जो यूनीफार्म तरीके से शिक्षा का विकास करना चाहते हैं वह नहीं की गयी। इसमें भी भेदभाव बरता गया तो मुझे दुख है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की प्रगति करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में विचारार्थ मांग संख्या 24–शिक्षा कला एवं संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लार्ड मेकाले द्वारा बनायी गयी यह शिक्षा पद्धति जिसके सम्बन्ध में प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक दल यह घोषणा करता है कि हम शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, हम इस शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनायेंगे लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव परिणाम आने के बाद न सत्ता पक्ष और न विपक्ष इतनी गम्भीरता से इस शिक्षा पद्धति पर विचार करता है। जो वादा करता है उसको भूल जाता है। आज तक हर राजनैतिक....

(3.45 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

पार्टी द्वारा शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही गयी लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। हम समान शिक्षा की बात बारबार करते हैं। एक तरफ पब्लिक स्कूल, एक तरफ सरकारी स्कूल दोनों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या स्टेट्स, क्या बौद्धिकता है। इसमें समानता होनी चाहिए लेकिन इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये ? केवल कहने से काम नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज हमें इस लार्ड मेकाले की बनायी हुयी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए। आज ग्रेजुएटस की तादाद बढ़ गयी, पोस्ट ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ गयी है लेकिन उसके बावजूद शिक्षा का स्तर गिरा है। जिस प्रतिशत के अन्दर हम ने शिक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि की है उस प्रतिशत में साक्षरता में वृद्धि नहीं कर पाये। आज भी निरक्षरता हमारे देश के लिए अभिशाप बनी हुई है। जैसा मेरे से पूर्व वक्ता यह जिक्र कर रहे थे और उस निरक्षरता में भी खासकर महिला शिक्षा की स्थिति तो बड़ी दयनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूलों में महिला शिक्षा को आप प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में, हरिजन बस्तियों में, आदिवासी क्षेत्र में ओ.बी.सी. क्लासेज और माइनोरिटी क्लासेज में ध्यान दें अगर आपने महिला शिक्षा पर ध्यान दिया और प्राथमिक शिक्षा पर सही तरीके से ध्यान दिया, महिला शिक्षा बहुत जरूरी है,

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने बच्चों को पढ़ने भेजेगी। अपने बच्चों को निरक्षर नहीं रहने देगी। आपकी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको विशेष करके दो क्षेत्रों में काम करना चाहिए। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि पांच हजार जो प्राइमरी एज्यूकेशन सेण्टर विगत सरकार ने खोले थे, हमने सत्ता सम्भालने के बाद उसमें बढ़ोतरी करने के बजाय उसको समाप्त कर दिया, उनको बंद कर दिया। (व्यवधान) मैं कह रहा था, इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। यह हमारे साथी सही कह रहे हैं, जो स्कूल हैं उन स्कूलों में पर्याप्त सख्या में अध्यापक नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति यह है कि अध्यापक स्कूलों में नहीं जाते हैं बल्कि बच्चों को अपने घर पर बुलाकर अपने खेत पर काम लेते हैं, इसकी चैकिंग की व्यवस्था को ठीक करो। इसकी मुस्तैदी के साथ चैकिंग होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सही तरीके से एज्यूकेशन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार चाहे व्याख्याताओं के पद हों, चाहे वरिष्ठ अध्यापक के पद हों, चाहे सहायक अध्यापक के पद हों, चाहें और कोई हों, जो रिक्त हैं, चाहे नयी भर्ती करनी पड़े एक एक बार आप सारे अध्यापकों के रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करें ताकि यह शिकायत नहीं रहे।

माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का जहां तक सवाल है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री पर पक्षपात का आरोप तो नहीं लगा सकता हूं उन्होंने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की और करीब-करीब हर विधायक के क्षेत्र के अन्दर एक विद्यालय क्रमोन्नत किया है। मेरे क्षेत्र में भी किया है और डाक्टर साहब के क्षेत्र में भी किया है लेकिन मैं समझता हूं कि स्कूलों को क्रमोन्नत करने के बारे में एक प्रक्रिया और एक मापदण्ड निर्धारित कर देना चाहिए कि कौन से विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हैं और कितने समय से विद्यालय उस स्तर का है, विद्यालय का भवन और दूसरे विद्यालय से दूरी क्या है ? इस आधार हर मापदण्ड बनाकर जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची होती है आप प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बकाकर पब्लिश करा दें। उस पर लोगों की आपत्ति मांगनी हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, पांच मिनिट हुए है। आधा-आधा घण्टा लोग बोले हैं।

श्री सभापति : आपके पांच मिनिट मेरे 10 मिनिट के बराबर है। आप बोलिए आप बोलते रहिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं स्पीडली बोलता हूं तो मुझे बेनीफिट तो मिलना चाहिए दूसरों को 10 मिनिट दिये, मैं पांच मिनिट में वही बात कह दूं तो आपने घण्टी बजा दी। जैसे जैसे वित्तीय साधन उपलब्ध हों उस हिसाब से जितने विद्यालय क्रमोन्नत करने हों, प्राथमिकता के आधार पर क्रमोन्नत करें। आज स्थिति यह है, विश्व विद्यालयों की स्थिति के संबंध में सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा खासकर के

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

राजस्थान विश्व विद्यालय की। राजस्थान विश्व विद्यालय में हिन्दी पाठ्यक्रम समिति 1989 में बनाई। इसके संबंध में राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट के सैक्शन 42 को मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा सैक्शन 42 में कहा है।

"Book written by a member of the Board of Studies not to be prescribed: No book, written or published by any person who is the member of the Board of Studies of the University shall be prescribed or recommended for study for any examination of the University so long as such person remains a member of the Board."

यह 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह: सभापति महोदय, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हायर एज्यूकेशन की डिमाण्ड तो अभी मूव ही नहीं हुई, डिमाण्ड मूव की है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने, इसलिए वह यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, मेरे यह बात ही समझ में नहीं आ रही।

श्री हरिकुमार औदिच्य: एक ही में होता है आप तो पुरानी सदस्या है, सब जानती हैं आप....

श्रीमती सुमित्रा सिंह: मेरा आबजेक्शन करने की नीयत यह है कि क्या इसका जवाब हायर एज्यूकेशन मंत्री जी देंगे....

श्री हरिकुमार औदिच्य: वही देंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद: मांग संख्या 24 है, वह इसमें आती है। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह राजस्थान विश्व विद्यालय एक्ट की धारा 42 यह है कि जो भी बोर्ड आफ स्टडीज का मैम्बर है वह अपनी लिखी हुई पुस्तक को नहीं लगा सकता। लेकिन स्थिति आप देखिये कि सात जनों का यह बोर्ड बना हिन्दी पाठ्यक्रम समिति। इसमें 42 की 42 पुस्तकें खुद की लगा लीं यानि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर-फिर अपने को दे। जब यह प्रकरण विश्व विद्यालय के समक्ष आया तो 4-12-91 को तत्कालीन रजिस्ट्रार महोदय ने 1989 की हिन्दी पाठ्यक्रम समिति द्वारा अधिनियम 42 के उल्लंघन को सही मानते हुए सिंडीकेट के सदस्य डा. ललित तिवाड़ी के संयोजन में जिसके सदस्य डा. जी. पाल भी थे एक कमेटी बना दी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि यह वायलेशन आफ सैक्शन 42 है, यह पुस्तकें इनको नहीं लगानी चाहिये थीं। लेकिन आज भी सभापति महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय के छात्रों को उन्हीं लोगों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं अर्थात् आज इस समय भी धारा 42 का उल्लंघन हो रहा है। सरकार शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की बात और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करती है। इतना ही नहीं, असमानता के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, शायद राजस्थान के 30 जिलों में झुंझुनूं जिला ही शायद एक मात्र ऐसा जिला हो जिसमें कोई राजकीय महा विद्यालय नहीं हो। पूरे जिले में एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। पूरे राजस्थान के अन्दर साक्षरता

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

में नं. दो पर है, महिला शिक्षा के अन्तर्गत अग्रगण्य है, हर क्षेत्र में अग्रगण्य है। एक भी वहां पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप झुंझनू में कम से कम एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था करें। एक स्थिति और कि झुंझुनू में जो सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल हैं उसमें उर्दू भाषा विषय एच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। उस में से बीसियों छात्र उर्दू विषय पढ़कर निकलते है लेकिन उनको महाविद्यालय की शिक्षा लेने के लिए या तो लोहिया कालेज, चूरू में दाखिला लेना पड़ता है या श्री कल्याण महाविद्यालय सीकर में जाना पड़ता है।

झुंझुनू में सेठ मोती लाल कालेज एक निजी शिक्षण संस्था है उसकी मैनेजमेंट कमेटी ने यह स्वीकार कर लिया राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया कि अगर राज्य सरकार उर्दू विषय खोलने की हमें स्वीकृति दे दे उसका आर्थिक भार भी हम वहन करने को तैयार हैं उसमें भी सरकार की जोर आ रहा है। दो साल से यह मामला लम्बित है। मैं लगातार दो साल से सदन में और सदन के बाहर इस मामले को उठाता रहा हूं। आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज झुंझुनू के अन्दर काफी मिडिल स्कूल ऐसे हैं जो तीस-तीस वर्ष पुराने हैं। छात्रों की संख्या भी उसमें पर्याप्त है, भवन भी ग्रामीणों ने चन्दा इकट्ठा करके बना रखा है, आपने एक विद्यालय क्रमोन्नत किया उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और शिक्षा मंत्री जी आपको हम पत्र लिखते है, आप ही एक मात्र ऐसे मंत्री है जो जवाब भी देते हैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं लेकिन कृपया पाजिटिव जवाब दिया करें, क्षेत्र के संबंध में जो समस्यायें हम रखें उसके ऊपर भी अगर आप कठोरता से अमल करेंगे....

श्री सभापति : पाजिटीव जवाब आने लग गया तो पत्र ज्यादा मिलने लग जायेंगे मंत्री जी को।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, आपने एन.सी.आर.टी. और सी.सी.आर.टी. का केम्प उदयपुर में चला रखा है उसमें हर भाषा के आपने उप जिला शिक्षा अधिकारी लगा रखे हैं लेकिन यह तृतीय भाषा उर्दू के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों ? इसका भी एक अधिकारी वहां डेप्युट कर दें। जो इसका पाठ्यक्रम बन रहा है उसके सुपरविजन के अन्दर वह इस स्थिति को देख ले। आपने इसमें यह कर रखा है कि जहां 25 बच्चे पढ़ना चाहेंगे वहां हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो जहां दस बच्चे पढ़ना चाहें, पहले राजस्थान सरकार ने एक नियम बनाया था और उसमें कहा था कि जहां दस बच्चे भी उर्दू पढ़ना चाहेंगे वहां हम उनके शिक्षण की व्यवस्था कर देंगे। आप शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं अपनी कोई मातृभाषा में शिक्षा लेना चाहता है तो उसको सुविधा प्रदान करनी चाहिये। दूसरा इस संबंध में और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने शिक्षा शास्त्री को बी.एड. के समकक्ष मान रखा है और उसको मान्यता दे रखी है उर्दू के भी अध्यापन की जो ट्रेनिंग होती है जिसको 'मोअल्लिम' कहते हैं उसका प्रशिक्षण प्राप्त करके जो उर्दू के टीचर्स

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आते हैं उसको भी आप बी.एड. के समकक्ष क्यों नहीं मान लेते। अगर उसको भी मान्यता दे दें तो उर्दू अध्यापकों की जो समस्या आपके सामने प्रदेश में हैं आज भी उर्दू अध्यापकों के पद राजस्थान में 53 खाली पड़े हैं जिसका आपने जवाब दिया था, वह पद भी आपके भरे जा सकते हैं और यह स्थिति भी बन सकती है। दूसरा, जो विद्यालय आप खोलते हैं चाहे प्राइमरी खोलें चाहे क्रमोन्नत करें उनको फरवरी में खोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। उसका जब शिक्षा सत्र प्रारम्भ होता है उसके एक महीना पहले अगर खोलने का काम करेंगे तो सभापति महोदय, उसकी व्यवस्था होगी। दूसरी आपने निजी शिक्षण संस्थाओं को जो अनुदान देते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनट में मैं मेरी बात को कन्क्लूड करना चाहूंगा। जो निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते हैं उसका अधिकांशतः सदुपयोग नहीं होता है। उसकी जांच की व्यवस्था को भी कठोरता से लागू किया जाना चाहिये। उसका सही मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है केवल कायदे कानून बना देने या संविधान संशोधन कर देने से किसी काम की सफलता निर्भर नहीं करती। एक शायर ने सही कहा है कि 'मस्जिद तो बना दी पल भर में, इमां की हरारत वालों ने, मन जो पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका।' इसलिये आप कायदे कानून बनायें, संविधान संशोधन करें, लेकिन जब तक उसके अमल के ऊपर उसकी क्रियान्विति सही तरीके से नहीं हो, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तब तक इसका सदुपयोग नहीं हो पायेगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा के ऊपर मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। वैसे अभी पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने सदन में शिक्षा के बारे में अपनी चिन्ताएं जाहिर की, कुछ मायने में वह सही भी हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अपने थोड़े समय के कार्य में सुधार करने का जो प्रयास किया है निस्सन्देह वह सराहनीय है। यह लगातार तीसरा बजट है चाहे वह छात्रों के बारे में उन्होंने चिन्ता की बजट में, चाहे अध्यापकों के बारे में, नये स्कूल खोलने के बारे में, क्रमोन्नत करने के बारे में, चाहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बारे में, चाहे छात्राओं की शिक्षा के बारे में जो परिवर्तन का समावेश किया है और कुछ नई योजनाएं लागू की हैं उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। किन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी पिछले सत्र में भी शिक्षा के बारे में इसी तरह की बात चली और आज भी जो बात चली है कि जब तक इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा, यह सारी शिक्षा हमारे राष्ट्र के उत्थान में, राज्य को गति देने में, दिशा देने में बेमानी सिद्ध होगी। उसके बारे में पिछली बार हमने भी कुछ सुझाव रखे थे इस बार भी रखे जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया उन पर गम्भीरता से विचार कर अपना निर्णय दें, राय दें और नहीं तो हमारी जो

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

भावनाएं आप तक पहुंचती हैं उनसे कृपया हमको वापिस अवगत करा दें उसमें आप चाहते क्या हैं ? पिछले बजट में शिक्षा के बारे में मैंने कहा था कि आज हमारी ट्यूशन प्रवृत्ति है। अध्यापकों में यह प्रवृत्ति पैदा हो गई है। जो बच्चा ट्यूशन नहीं कराये उसको थर्टनिंग तक दे दी जाती है फैल करने की और जो ट्यूशन पर जाता है वह पढ़ने में कितना समर्थ हो पाता है, उसको बावजूद भी उसको अच्छे अंक देकर उसको पास तो कर दिया जाता है लेकिन उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। शिक्षा मंत्री जी चल जायेंगे तो कैसे काम चलेगा। अध्यापक पढ़ाते नहीं ट्यूशन वाला उनको आर्थिक लाभ देता है....

उसके बाद उस छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है क्षणिक लाभ लेने के लिए। मैंने मांग की थी कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगायी जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसका इसमें कोई समावेश नहीं है, कोई अंकुश लगाने की बात नहीं कही गयी है, किसी भी तरह का निर्णय नहीं किया गया, इसका मुझे खेद है।

(4.00 म. प.)

श्री सभापति : आपक माइक का प्रयोग करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : हाइट ही ज्यादा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी यह मुद्दा उठाया था और इस बार भी चिन्ता जाहिर की है निजी शिक्षण संस्थाओं की। मैं नहीं कहना चाहता कि सारी शिक्षण संस्थाएं सेवा भाव से काम नहीं करती होंगी। कई अच्छी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अच्छे संस्कार, अच्छा विद्या धन उन्हें दे पाती हैं। लेकिन अधिकांश शिक्षण संस्थाएं जो आज चल रही हैं वे कैसी शिक्षा देती हैं, कैसा अध्ययन कराती हैं, क्या उनका लक्ष्य है, सरकार के प्रति उनकी क्या जवाब देही है, सरकार उनका क्या ध्यान देती है, इस बात पर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में अमूमन यह देखते हैं कि महज आर्थिक लाभ के लिए बच्चों से ज्यादा फीस ली जाती है। बड़े-बड़े शहरों, महानगरों में यह सम्भव हो सकता है क्योंकि वहां पर भौतिकवाद ज्यादा चलता है, फैशन बन गया है और फैशन की शिक्षा में वे अनाप-शनाप खर्च कर सकते हैं। लेकिन जहां छोटे-छोटे कस्बे हैं, छोटे नगर हैं वहां पर ऐसी शिक्षण संस्थाएं महज पैसे की खातिर चलायी जाती हैं। सरकार का किसी तरह का नियन्त्रण, किसी तरह का निरीक्षण उन पर नहीं तो, माननीय सभापति महोदय, बहुत ही दुख की बात है हमारे समाज के लिए। फिर इसके साथ-साथ आप देखते होंगे कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी उन्हीं के द्वारा दी जाती हैं। कोई मापदण्ड नहीं है, कोई दर तय नहीं है। दो रुपये की किताब के पचास रुपये ले लिये जाते हैं। वे किताबें किस तरह की शिक्षा दे पाएंगी, इसका भी कोई समुचित निरीक्षण नहीं, कोई उनकी मान्यता का प्रश्न नहीं। अपनी मर्जी से किताबें चला रहे हैं, किसी शिक्षण

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

संस्था में दूसरी चल रही है तो किसी में दूसरी राजकीय विद्यालयों में जिस तरह एक ही पाठ्यक्रम चलता है, उनमें भी एक ही पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही पाठ्यक्रम लागू हो, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तभी उन बच्चों में शिक्षा का विकास होगा, सही रूप से शिक्षा उनको मिल सकेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : सुना किनको रहे हो, मंत्रीजी तो हैं ही नहीं।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : मैं आपको सुना रहा हूं, आप मेरी भावनाएं पहुंचा देना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भावी मंत्री को सुना रहे हैं।

श्री सभापति : उच्च शिक्षा मंत्री नोट कर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, उसके बावजूद निजी शिक्षण संस्थाओं में जो घपले हैं, जिस तरह का व्यवहार है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, यह सदन में बहुत ही अशोभनीय बात होगी। राष्ट्रीय पर्व का कोई सम्मान ही नहीं। जितने राष्ट्रीय पर्व होते हैं, सरकारी स्तर पर मनाये जाते हैं उनमें निजी शिक्षण संस्थाएं कहीं भी सम्मिलित नहीं होती हैं। उनको बाध्य नहीं किया जाता है कि आप जाइये, राष्ट्रीय पर्व मनाइये। और तो और, माननीय सभापति महोदय, निजी शिक्षण संस्थाएं अपना वार्षिक उत्सव मनाती हैं या अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित करती हैं, उनमें कई तरह के आयोजन किये जाते हैं। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जायं, इसकी कभी चिन्ता इस सरकार ने और पहले वाली सरकार ने नहीं की। सुमेरपुर नगर में मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में फरवरी के अन्तिम सप्ताह में एक एनुअल फंक्शन आयोजित हुआ। 1–2 तारीख की शायद छुट्टी थी, मैं वहां गया था। मुझे छात्रों के अभिभावकों ने सामूहिक तौर से यह शिकायत की कि वहां अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, छोटे–छोटे बच्चों के चुम्बन जैसे दृश्य वहां उन्होंने बताये। कैसे उन बच्चों का संस्कार जागृत होगा, कैसी वे शिक्षा ले पाएंगे, इस पर नियन्त्रण सरकार का क्या रहेगा, ऐसी चिन्ता करनी चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए तभी उसका सही लाभ हमको मिल पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक कुप्रचार भी किया जाता है। उस बारे में भी हमें सोचना होगा। अटरू से आने वाले माननीय विधायक ने 295 का एक मोशन भी रखा था कि ईसाई मिशनरीज के जो स्कूल चलते हैं वे इस तरह की गलत शिक्षा देते हैं। कुप्रचार करते हैं, कुत्सित प्रचार करते हैं ताकि लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में आ जायं। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन इस पर अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यक है। सभापति महोदय, हम सभी बात तो करते हैं कि सारी शिक्षा नीति गर्त में जा रही है, पर इसको रोकने का प्रयास हम किसी भी तरह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, पिछले सुझाव मानो, कि निजी शिक्षण संस्थाओं में सरकार की ओर से साल में ज्यादा नहीं

(188)

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

तो कम से कम दो बार विस्तृत निरीक्षण किया जाना चाहिये, उनका आडिट होना चाहिए और उनकी सारी गतिविधियों की एक रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिये। अगर वे सही काम नहीं करती हैं तो उनके ऊपर अंकुश होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, हमने शिक्षण व्यवस्था के लिए इस बार बजट में दानदाताओं का और जन सहयोग चाहा है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती इसके लिए हम बधाई देते हैं। लेकिन दानदाता जो भी भवन वगैरह बनाना चाहता है वह सरकार के पीछे या जिला अधिकारी के चक्कर काटता ही रहता है और हताश हो जाता है। प्रवासी आते हैं ज्यादातर, वे कहते हैं कि हम यहां भवन बनाना चाहते हैं। उनको किसी तरह का प्रोटेक्शन या प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा तो वे कैसे करेंगे? वे दस बार जिला शिक्षा अधिकारी के चक्कर काटते हैं। उनको कहते हैं, जाइए नक्शा बनाकर लाइये। फिर नक्शा किससे बनाना है, वह पूछेंगे। बनाकर लायेंगे तो कहेंगे यह सही नहीं बना। फिर दुबारा चक्कर काटो। फिर तिबारा चक्कर काटो। मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था हो सरकार की तरफ से, अगर कोई दानदाता आगे आकर कहे कि मैं किसी भी क्षेत्र में भवन का निर्माण कराना चाहता हूं और यह बात जिला शिक्षा अधिकारी या जिला लेवल के अधिकारी की जानकारी में आती हैं, तो वह खुद किसी को भेज कर सारी कार्यवाही कम्प्लीट कर हाथ में दे ताकि दानदाता ज्यादा से ज्यादा आगे आ सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी तो मैकाले की बात माहिर साहब ने की, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैकाले की शिक्षा में परिवर्तन के लिए मैंने शिक्षाविद विषय विशेषज्ञ और साहित्यकारों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया था। अगर वह कमेटी बना दी जाय और उसकी राय के आधार पर शिक्षा में कोई परिवर्तन किया जाय, नई शिक्षा नीति बनाई जाय तो निसन्देह उनसे छात्रों और प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा।

इसके बाद मैं थोड़ा दुःख भी व्यक्त करना चाहता हूं कि सब जगह तो स्कूल खोले, क्रमोन्नत किये हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र का या मेरा दुर्भाग्य है कि न कोई स्कूल क्रमोन्नत किया गया न कोई नया स्कूल खोला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सुमेरपुर क्षेत्र में 15 माध्यमिक विद्यालय हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं है। मैंने पिछले सत्र में भी यह बात उठायी थी और आज भी उठाता हूं कि सुमेरपुर और शिवगंज दोनों की आबादी 70 से 75 हजार हैं, लेकिन वहां पर कालेज की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे आगे पढ़ने जाने में असमर्थ रहते हैं, गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक महाविद्यालय का सर्वे कराया जाय और अगर वह उपयुक्त पाया जाता है तो खोला जाय। मेरे क्षेत्र के गांव चाणोद, कोसेलाव, गुन्दोज, भावरी, दुजाना, पांवा, ढोला, खिबांदी, गुड़ा एन्देला तथा नोवी में माध्यमिक विद्यालयों को दस जमा दो में क्रमोन्नत किया जाय। डेण्डा भारून्दा, सिन्दरू,

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

नेतरा, विरायी, कानपुरा तथा साण्डेराव के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाय ।

श्री सभापति : और कोई एक-आध शेष रह गया हो तो याद कर लें।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : इनकी आबादी 5–8 हजार की है। कृपया आप तो इन्टरप्ट नहीं करें हमारे अधिकारों में।

श्री सभापति : मांग करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप ?

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : मांग में कार्यवाही भी तो होनी चाहिए, सभापति महोदय । कार्यवाही नहीं होती है । हम 10 मांगेंगे तो एक मिलेगी, यह तो हमको पता है, तो 10 दस ही मांगें । कल्पना तो हम कर ही सकते हैं । सभापति महोदय, विवेकानन्द जी जा रहे थे । एक अन्धा आदमी खा रहा था रोटी । उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं था । उन्होंने कहा कि इसमें सब्जी नहीं है, कोई चटनी भी नहीं है, तो क्या खा रहा है ? बोला कि कल्पना कर रहा हूं कि इसमें चटनी है। तो बोले कि जब तुझे कल्पना ही करनी है तो खीर की कल्पना कर। इसलिए सभापति महोदय, ज्यादा बता रहे हैं तो थोड़े कम ही मिलेंगे । इसी तरह से गुनड़ाई, बाबागांव, कोकटा, माताजी का बाड़ा, आकेरड़ा, बगावड़ा, पुराड़ा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाय । मेरे क्षेत्र में एक संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय है दयालपुरा में । उसकी मैंने पहले भी मांग रखी थी कि उसको अपग्रेड किया जाय। अन्त में सबसे अहम सवाल है कि हमारे राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के बी. एड. कॉलेज तो हैं चार, लेकिन एस. टी. सी. सिर्फ एक है।

इसलिए संस्कृत के साथ इस तरह की दुर्भावना कृपया नहीं रखें । उनको भी बढ़ाया जाय । मैं नहीं कहता कि मेरे यहीं खोलो, पर कहीं पर भी खोले जायं।

दूसरा माननीय सभापति जी, इन अधिकारियों की कोताही भी तो बताऊं । 1992–93 का आय-व्ययक का जो दिया है लास्ट में, हमें जो दिया जाता है, वह रद्दी थोड़े ही है । इन्होंने पेज नम्बर 51-52 पर जो तथ्य दिये हैं, मैं डिटेल में नहीं जाकर वह आपको दे दूंगा । इसमें भ्रामक तथ्य दिये गये हैं, उन पर आपको विचार करना जरूरी है ।

अब में लास्ट में अध्यापिकों की बात कहता हूं । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, छात्रा की अगर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके पास कोई शिकायत आती है किसी अध्यापक के दुर्व्यवहार की, उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाय । मेरे क्षेत्र में खीमेल में आपको तीन बार शिकायत कर दी कि एक अध्यापक हनुमान सिंह, उद्योग अध्यापक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया उसने प्रधानाचार्य से शिकायत की, जिला शिक्षा अधिकारी को की, आपको पत्र लिखे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । क्या कोई

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित) :

बच्ची अपना लेकर कहेगी ? माननीय सभापति महोदय, अखबारों ने उसको छापा। शिक्षा मंत्रीजी को लेटर लिखे, उसकी कापियां हैं और वह अध्यापक आज भी वहां पर बे रोक टोक घूमता है। कोई कार्यवाही नहीं। जिला शिक्षा अधिकाकरी गये, जांच की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची ने अपने लेटर में लिखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई जांच नहीं की है, मुझे घर पर बुलाया, उन्होंने बाध्य किया। इस तरह की व्यवस्था में आप सुधार कैसे करोगे। मैं यह नहीं कहता कि यह आपकी गलती है, यह पुरानी सारी दीमक लगी हुई है, उस दीमक को हटाइये।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : और जब तक जड़ में खाद नहीं डालेंगे नहीं हटा पाएंगे। इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय एक और है। करौली में सर्वेश्वर बाल शिक्षा निकेतन नामक निजी शिक्षण संस्था है। उसमें एक बच्ची के साथ कुत्सित प्रयास नहीं बल्कि कुत्सित कार्य किया गया। यह गम्भीर मसला है। इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये, ऐसी कार्यवाही आपके द्वारा की जानी चाहिये। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। एक मिनट का समय (व्यवधान)।

श्री सभापति : अब आप धन्यवाद दे चुके। अब आप बैठ जायं कृपया, आप धन्यवाद दे कर दुबारा शुरू नहीं करें।

श्री दलजीत सिंह।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, जब किसी समुद्री वाहन में पीने के पानी का अभाव आता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है, वह है—

'water–water everywhere' but not a drop to drink.'

इसी तरह जब शिक्षा में अध्यापकों का अभाव आ जाता है तो हम कह सकते हैं education–education everywhere, but teachers nowhere.

60 प्रतिशत घोषणाएं राजनीतिक लाभ के लिये की जाती हैं। उन राजनीतिक घोषणाओं की न तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव न कोई फाइनेंशल बेकिंग होती है। घोषणाओं के साथ में जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव और जब तक इकोनोमिक या फाइनेन्शल बेकिंग नहीं होगी, कोई भी आपकी घोषणा सफल नहीं होगी। इसके उदाहरण के लिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि स्वीकृत अध्यापक शिक्षा विभाग के अनुसार 55,664 हैं, जिसमें से टीचर्स उपलब्ध हैं 29,696 और आज की तारीख में 25,168 टीचर्स की वेकेंसीज हैं। इसी तरह गर्ल्स में 9,469 की स्वीकृति हैं, 5,034 उपलब्ध हैं और लगभग 4435 की वेकेन्सीज हैं। नियमों के अनुसार 50 विद्यार्थियों के पीछे एक अध्यापक होता है। इस बजट स्टडी में सरकार ने कहा है कि एन्रोलमेंट आफ 52.50 लाख चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप आफ 6 टू 11 इयर्स और 16.63 लाख चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप आफ 11 टू 14 इयर्स। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 69 लाख बच्चे सितम्बर, 1991 में स्कूलों में भर्ती हैं और पचास बच्चों के

(श्री दलजीत सिंह)

पीछे एक अध्यापक के मापदण्ड को लेते हुए, सभापति महोदय, इस राज्य को 1,38,000 टीचर्स की जरूरत पड़ेगी । यह नयी घोषणाएँ करने से सभापति महोदय, जनता के साथ खिलवाड़ करना है, उनकी आखों में राजनीतिक लाभ के लिये मिट्टी फैंकने के समान है ।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, काफी मगरमच्छी आंसू भी बहाये जाते हैं । सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा शोषण ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है । अध्यापक वहां पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चे सातवीं क्लास तक बिना किसी इम्तिहान से प्रमोट हो जाते हैं । जब आठवीं क्लास में पहुंचता है, बच्चा तब उसकी फाउण्डेशन नहीं है, कोई अध्यापक पढ़ाने के लिये नहीं है तो आठवीं में कैसे पास होगा । तो जब भी अमूमन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर किसी विद्यार्थी से पूछो, किसी नागरिक से पूछो तो वह कहता है कि आठवीं-फेल हूं । इसी कारण न तो उनको हायर एजुकेशन मिल पाती है और न वे हायर एजुकेशन के लिये जा सकते हैं ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, दूरियां कितनी हैं । मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि एक मिडल स्कूल के लिये बच्चे को कम से कम 7-8-9 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है सैकण्डरी स्कूल के लिए 11-15 किलो मीटर की दूरी तक जाना पड़ता है और एक हायर सैकण्डरी में पहुंचने के लिये 30 40 किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता है । वे हायर एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, कालेज कैसे जायेंगे । जब जितना भी इम्बेलेंस है, जब तक इस इम्बेलेंस को दूर नहीं करेंगे, राजनीतिक लाभ उठाओगे तब तक इस राज्य के अन्दर हम पेपर टाइगर रह जायेंगे । पूरे हिन्दुस्तान में पूरे देश में हम पेपर टाइगर हैं, हम बन्दी है तो आंकड़ों के । इसके लिये मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि 6 से 11 साल तक की उम्र के 52.50 लाख बच्चे और 11 से 14 साल के 16.73 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं । सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1988-91 की जनगणना के अनुसार कुल 100 लाख बच्चों का जन्म हुआ है । 100 लाख बच्चों के बीच में यदि 6 साल का बच्चा होगा तो उसका जन्म 1981-1987 के बीच हुआ होगा । तो 5 साल के अन्दर कितने बच्चों ने जन्म लिया होगा 9.50 लाख । 50 लाख बच्चों का जन्म हुआ है और 69 लाख के आंकड़े बताये जा रहे हैं कि उनकी यहां भर्ती है । इन आंकड़ों का हम क्या करेंगे । और जैसा आप कह रहे हैं कि 38 परसेंट का यहां पर एजुकेशन है, आप बता रहे हैं कि 150 पर्सेंट एजुकेशन है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, केवल यही नहीं, जिलों के अन्दर, क्षेत्रों के अन्दर एक किस्म की इनएक्वलिटी है । अपने जिले के बारे में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर 126 महाविद्यालय हैं । धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां एक महाविद्यालय है । धौलपुर एक डाकूग्रस्त क्षेत्र है, 20 सालों से दूसरे महाविद्यालय की मांग चल रही है । बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में, एकमात्र सब-डिविजन है धौलपुर का, 20 सालों

(श्री दलजीत सिंह)

से हड़ताल चली है, पुलिस की गोली चली है, पोल बायकाट हुआ है फिर भी वहां पर कोई कालेज नहीं खोला गया है। सभापति महोदय, वह जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें 70 प्रतिशत लोग या तो एल. सी. है, एस. टी. हैं या बेकवर्ड हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं An idle mind is devil's workshop. यानी एक बेरोजगार का मन शैतान का कारखाना है या दिमाग एक शैतान का कारखाना है। वहां अशिक्षित लोग रहने के कारण ज्यादा डकैती होती है, अनपढ़ लोग रह जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर केवल दो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं जब कि प्रान्त के अन्दर 986 हैं। नौ सैकण्डरी स्कूल हैं जब कि प्रान्त के अन्दर 3,115 सेकण्डरी स्कूल्स खोले गये हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, वह धौलपुर के एम.एल.ए. भी हैं, वह हमारे साथ जुड़ जायं और जो धौलपुर के साथ यह जो अन्याय हो रहा है, धौलपुर का जो शोषण हो रहा है वहां एक महाविद्यालय है, जहां पर आपने 4 महाविद्यालय खोले हैं एक महाविद्यालय बाड़ी में और खोल दिया जाय, तब यह डेविल माइंड है वह आइडल माइंड रोजगार में लग जायेगा।

आखिर में, सभापति महोदय, ज्यादा बात नहीं कहते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल खाली घोषणाओं से काम नहीं चलेगा इसलिए जब घोषणाएं करते हैं तो उनके साथ साथ अध्यापकों की भी नियुक्तियां होनी चाहिए, साथ ही साथ में भवन भी होना चाहिए तभी घोषणाओं का कोई लाभ है, वरना घोषणाओं का मतलब नहीं है, मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वह कहते हुए शिक्षा मंत्री महोदय इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने बजट प्रस्ताव में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ज्यादा बजट रखेंगे, बिल्डिगों के लिए ज्यादा बजट रखेंगे और इन घोषणाओं पर थोड़ा काम करेंगे ताकि पिछला जो बैक लाग है, पिछड़े लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उसकी कुछ हद तक पूर्ति होगी। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24 पर जो अपने प्रस्ताव दिए हैं उनके बारे में विचार रख रहा हूं। अपनी बात कहने से पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ जनता से जो वायदे किए थे उनको पूरा किया है। सबसे प्रमुख हमारी ग्रामीण शिक्षा है वह भयंकर रूप से विकृत हो गई थी, उच्च प्राथमिक शालाओं को, सभी को जिला परिषदों में पूर्व सरकार ने दे दी थी इससे आज जो प्राइमरी स्कूल की जो हालत हो रही है उससे भी बदत्तर हालत उच्च प्राथमिक शालाओं की हो रही थी। इससे अध्यापक उच्च प्राथमिक शालाओं में जाते नहीं थे, उनका राजनैतिकरण हो गया था। इस बुराई को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं पंचायत राज मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार प्राथमिक शालाओं की

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

सुध लेने की अच्छी शुरुआत की है। 50 प्रतिशत महिलाएं प्राथमिक शालाओं में नियुक्त की जायेगी जिससे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं उनका महिलाओं के साथ में मां जैसा सम्बन्ध होता है। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि विधवा और परित्यकता महिलाओं को वरियता के आधार पर नौकरी दी जाय। इसके साथ-साथ राज्य सरकार के आदेशानुसार और एक अच्छी शुरूआत की है शिक्षा विभाग में भी कि जितने भी जिला कलक्टर्स हैं, उनको यह आदेश दिए गए हैं कि वह शिक्षा विभाग पर अपना पूरा कन्ट्रोल रखें और उनकी सारी गतिविधियों पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे राज्य में लम्बे समय से महाविद्यालय नहीं खुले थे उन्होंने 4 महाविद्यालय खोले हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा का स्तर गांवों में बहुत कम है। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे गांवों की हालत और गिरी हुई थी। स्वतंत्रता के बाद एक निर्णय लिया गया था 1960 तक हम कम से कम 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठायेंगे लेकिन इसमें आंशिक रूप से ही कुछ सुधार हुआ है आज ग्रामीण शिक्षा हमारी बहुत नीचे है। विशेषकर महिलाओं और छात्राओं की शिक्षा बहुत कम है। इसके कारण से आज गांवों का विकास एक प्रकार से रुक गया है, यह सबसे बड़ा कारण बना है। मैं, माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शिक्षा और बाल मजदूर का एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। आज गांवों में छोटे छोटे बच्चे, 6–7 वर्ष की आयु के बच्चे चाय की दुकानों पर, कूड़ा करकट बीनने या भिखारी की तरह भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं। जबकि सरकार ने बाल मजदूर कानून बनाया हुआ है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होने से आज गांवों के बच्चे इधर–उधर घूम रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर और नीचे गिर गया है और यही कारण है कि आज ग्रामीण शिक्षा का हमारा स्तर नीचे है।

एक सबसे बड़ी और कमी है जिससे भी हमारा स्तर बहुत कम रहा है। आज भी ग्रामीण शालाएं हैं उनमें जो पद रिक्त पड़े हुए हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी लेकिन आज भी उसकी पूर्ति नहीं हुई है। आज भी ऐसी माध्यमिक शालाएं हैं जिनमें प्रधानाध्यापक नहीं है, किसी माध्यमिक शाला में सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं हैं, अध्यापकों की कमी है जिससे भी व्यवस्था बिगड़ गई है, जहां प्रधानाध्यापक नहीं होने से शाला की क्या व्यवस्था हो सकती है इसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जब तक आप पूर्ति नहीं करेंगे तब तक ग्रामीण शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है, उद्धार नहीं हो सकता है।

इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूर्व माननीय सदस्यों ने निजी शिक्षण संस्थाओं की कुछ खामियों की चर्चा की लेकिन अपने विचार उनसे दूर रख कर निवेदन करना चाहूंगा कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्होंने हमारे शिक्षा के स्तर में काफी योगदान किया है।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

आज उनका योगदान नहीं होता तो हमारी शिक्षा का स्तर और नीचे चला जाता। आज शहरों में निजी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा क्षेत्र में अच्छा सहयोग कर रही हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गांवों में प्राथमिक शालाएं या उच्च प्राथमिक शालाएं जो भी निजी शिक्षण संस्थाएं कोई खोलना चाहती हैं तो उनको स्वीकृति दी जाय जिससे कि गांवों में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको प्रवेश नहीं मिलता है उनको भी प्रवेश मिल सके और जो भी शिक्षा के स्तर में कमियां हैं वह सब दूर हो सके। यह बहुत जरूरी है।

इसके साथ-साथ शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और कुछ सुझाव, अपनी बात सीमित रखते हुए देना चाहूंगा कि ग्रामीण शिक्षा में सुधार की जरूरत है; वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाय. आज अध्यापकों में इससे काफी असंतोष है, वेतन विसंगतियों के कारण से जितना काम उतना दाम नहीं है। इसी प्रकार से अस्थाई व्याख्याताओं के लिए जो 1978-79 में अधिनियम बना था उसके अनुसार उन्हें स्थाई किया जाय, सभी शालाओं में जो रिक्त पद हैं उनको जितना जल्दी हो सके भरा जाय।

एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अपनी जो अकादमियां हैं, राजस्थान अकादमी, हिन्दी साहित्य अकादमी, सिन्धी साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, इन अकादमियों पर कोई नियंत्रण नहीं होने से बड़ा गलत प्रभाव हो रहा है और जिन उद्देश्यों को लेकर अकादमियां खोली गई थी उनकी यह पूर्ति नहीं करा पा रही है, अपने लक्ष्य तक ये नहीं पहुंच रही हैं। विशेषकर मैं ललित कला अकादमी के बारे में शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह अकादमी जिस उद्देश्य से चालू की गई थी, इसने अपने एक वर्ष का बजट था उसको भी पूरा नहीं किया, वह भी लैप्स हो गया।

इसी तरह से एक मेरा सुझाव है कि सभी सैकण्डरी स्कूल्स हैं उनमें 10 प्लस 2 चालू की जाय। सीनियर हायर सैकण्डरी पूरी कान्स्टीट्यूएंसी में, कहीं दो में चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे हैं। जिसके कारण से 10 प्लस 2 तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने से दसवीं तक शिक्षा लेने के बाद उन्हें बारहवीं तक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 12 वीं तक शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की जाय।

दूसरा मेरा सुझाव है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आपने शुरू में यह घोषणा की थी कि हम नैतिक शिक्षा जल्दी से चालू करेंगे। नैतिक शिक्षा का स्तर आज हमारा गिर रहा है। लेकिन आपने घोषणा तो की थी लेकिन अभी तक लागू नहीं की। तो कम से कम जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, जैसे शराबबन्दी, दहेज प्रथा, परिवार नियोजन जैसी पाठ्य सामग्री में लागू कर दें जिससे कि नैतिक शिक्षा का जो स्तर गिर गया है उसमें कुछ सुधार हो।

इसी प्रकार से मैं पंचायत राज मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि 6 हजार शिक्षा केन्द्र खोले थे....

श्री सभापति : उसकी आज मांग नहीं है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उनमें कई प्रकार की विसंगतियां है लेकिन इसके साथ ही एक बात और जुड़ी हुई है जे.आर.वाई. में बहुत जगह भवन बन गए और वह भवन बने हुए हैं और आपने वह शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिए। उन भवनों की हालत यह हो रही है कि वह बाड़े टाइप हो गए हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह सभापति महोदय, आपको सम्बोधित करके कहें पंचायत राज मन्त्रीजी से कोई बात कह रहे हैं, आज तो उनकी मांग भी नहीं है, उनका डे भी नहीं है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : सभापति महोदय, वह खोले जाए और मैं उच्च शिक्षा मन्त्री जी से भी निवेदन करूंगा कि बोर्ड और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं वह समय पर नहीं होती है। आप कम से कम एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं कि जो भी परीक्षाएं हों समय पर हो। आप परीक्षाओं को बार बार टालते रहते हो इससे परीक्षाओं का समय बढ़ जाता है।

इसके साथ ही एक सुझाव और है कि पहले पूरक परीक्षाओं के दो चान्स दिए जाते थे कि दो बार पूरक परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता था उसको आपने एक बार कर दिया इसलिए इसको भी आप कम से कम दो बार करें और मेरा एक अन्तिम सुझाव और है कि आपने केवल जयपुर में विकलांग विद्यालय खोल रखे हैं लेकिन विकलांगों की संख्या सारे राजस्थान में बहुत ज्यादा है। इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय कम से कम आप प्रत्येक जिले में एक-एक उच्च प्राथमिक विकलांग विद्यालय खोलें जिससे उस जिले के गरीब बच्चे हैं, विकलांग हैं, अन्धे, गूंगे, बहरे उनको कम से कम प्रत्येक जिले में शिक्षा देने का मौका मिले।

मेरे यह सुझाव थे। निश्चित रूप से ग्रामीण शिक्षा की ओर आप ध्यान देकर के इस व्यवस्था को सुधारें। सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री केदारनाथ शर्मा।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मान्यवर आज जैसी कि माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है हाउस में उसके लिहाज से तो बोलने का मन ही नहीं करता है। टोटल बजट का 54 पर्सेण्ट इसमें खर्च होगा, बहुत बड़ा स्कोप है, सबका सम्बन्ध है शिक्षा से। मैंने यहां वह बात कहना तो छोड़ दिया कि आमूलचूल परिवर्तन हो, मौलिक चीजें हों तो यह तो कहना ही छोड़ दिया। क्योंकि न तो सैण्ट्रल की ऐसी विल पावर है, ना स्टेट की है, ना वक्त है, न आपके पास कोई मन है, फाइनेन्सेज है कि ऐसा कर सकें। मैं कुछ ट्रेन्ड्स जो हैं डिस्टर्बिंग ट्रेन्डस जो पैदा हो गए हैं आज एज्जुकेशन सिस्टम में कोई चार पांच रोज पहले अलवर का महर्षि राज ऋषि कालेज है, कुछ लड़के आए, वाइस प्रिंसिपल मिस्टर रघुदयाल के कमरे में आकर के कहा कि एडमिशन करो। एडमिशन रूल्स के तहत हो नहीं सकता था। उन्होंने यह बात कही कि आप यूनिवर्सिटी से इजाजत ले आओ। इतने में खुले आम ब्राड डे लाइट में

(श्री केदारनाथ शर्मा)

कमरे के अन्दर, दफ्तर के अन्दर मार पिटाई की। माननीय गृह मन्त्रीजी बैठे हैं, आज सारा अलवर बन्द है। चार दिन से स्कूल कालेज सब बन्द हैं, आज सारा शहर बन्द है तो बताइए अब यह ट्रेन्ड बढ़ते गये, कोटा में ऐसा हुआ, झालावाड़ में ऐसा हुआ, यहां विश्वविद्यालय में और राजस्थान कालेज में प्रिंसिपल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर यह ट्रेन्ड बढ़ते गए तो आपका सिस्टम तो समाप्त हो जाएगा। कोई डिसिप्लीन नहीं रहेगा, कोई एजुकेशन नहीं रहेगी, कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे। इस ट्रेन्ड को मेहरबानी करके आप रोकिए, उन पर एक्शन लीजिए। चाहे मेरे रिश्तेदार आए, चाहे किसी एम.एल.ए. के रिश्तेदार आए, चाहे एम.पी. के रिश्तेदार आए, इस चीज को नहीं ध्यान में रखते हुए बड़े सख्त एक्शन लें ताकि यह ट्रेन्ड आइन्दा के लिए कुछ कम हो जाए।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि आज प्राइमरी स्कूलों में सिवाय गरीब बच्चों के एस.सी. और एस.टी. बैकवर्ड कम्यूनीटिज, जिसके पास साधन नहीं, इनके अलावा कोई दूसरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। मिडिल क्लास तबका, रिर्सोसफुल लोग, बड़े अमीर लोग तो पहले ही भेजते थे, सारे के सारों का झुकाव जो बढ़ रहा है आज जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह ट्रेन्ड बड़ा खतरनाक है। जहां तक कम्पीटीशन में कोई सर्विसेज ले ले कोई चिन्ता नहीं, मगर जो नेशनल इन्टीग्रेशन की हम बात करते हैं, इमोशनल इन्टीग्रेशन की बात करते हैं, भावात्मक एकता की जो बात करते हैं उसमें बहुत बड़ी रुकावट पैदा होगी अगर यह बच्चे ज्यादा गिनती में इंग्लिश मिडियम स्कूलों में पढ़ने लगेंगे। उनका रूझान, उनके बोलने का तरीका, उनका पहनावा, उनके सेन्टीमेन्ट्स, उनकी फीलिंग्स उनकी नेशनलिटी जिन पर आज प्रश्न चिन्ह लग गया यह सारी बातें ऐसी होंगी जो मेन स्ट्रीम है उससे वह बिल्कुल दूर हो जाएगें। स्नाबिश का आइडिया, सेग्रेग्रेशन का आइडिया, अपने आपको देश की आम जनता से अलग समझने का आइडिया जो पैदा हो जाएगा, यह सेन्टीमेन्ट पैदा हो जाएगा वह आपके लिए बड़ा खतरनाक ट्रेन्ड पैदा हो रहा है। इसलिए इसकी रुकावट यों करिए आप, प्राइमरी स्कूलों का आपने डाइरेक्टर तो अलग कर दिया पर पोलिटिकल चेन्ज क्या कर रहे हो ?

माननीय कल्ला साहब ने ब्लेक बोर्ड आपरेशन लागू किया, 1986 की जो नई एजुकेशन पोलिसी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंगल टीचर 12 बजे आएगा, 3 बजे वापस चला जाएगा। शुरू में पचास लड़के थे, आगे पन्द्रह मिलेंगे वह भी खेत में काम करने लग जाएगें। इस शिक्षा से अब क्या फायदा ? मान्यवर, जो आपने हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है मेहरबानी करके कम से कम इनका ब्रेकअप तो आज करके बताओ कि एक प्रति लड़का जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हैं, जो इन्जीनियरिंग, मेडिकल कालेज में पढ़ता है उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं और खर्चे की रिटर्न्स क्या हैं ? प्राइमरी स्कूलों में बहुत कम खर्चा है जो बुनियाद है।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था यहां काफी डिसकशन हो गया। मान्यवर, आपने स्वयं ने भी ऐसी बातें कही हाउस के दोनों पक्षों का कन्सेन्सस है, कुछ बातों के लिए, कौनसी बातें, यह टेम्प्रेरी टीचर जो हैं चाहे कालेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी में, मेहरबानी करके उन सारों को रेगुलराइज़ कीजिए। आलरेडी उनका सलेक्शन मैरिट पर हुआ है 1986 के बाद आपने पी.एस.सी. से इण्टरव्यू नहीं लिए, किसका दोष है ? कई ओवर एज हो जाएगें। इसलिए मेहरबानी करके आज दोनों पक्ष इससे सहमत हैं कि उनको रेगुलराइज़ किया जाए। दोनों को साथ, केवल यही नहीं कि यूनिवर्सिटी के लोग आ जाए वह तो 250 हैं, 400–500 आदमी कालेजेज में काम करते हैं। दोनों का हाउस में कन्सेन्सस मैं आपके सामने कन्वे करा रहा हूं।

एजुकेशन बिल पड़ा है, 1989 में पास हो गया, क्वेरीज आई, आपने भेजी ही नहीं। क्या क्वेरीज हैं साहब कि मिनिमम वेजेज का क्या है, डेट आफ अपाइन्टमेंट का क्या है, मामूली क्वेरी जिन्हें आप कहो इनसिग्निफिकेन्ट, कोई सेंस ही नहीं है उनका, कोई वेट नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, पड़ी हैं क्वेरीज। आप बैठिए, एक आदमी परश्यू करे जाकर, एजुकेशन बिल लागू कर दो।

मान्यवर, हाई कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और आपने एडेड कालेज में जितना भी टीचिंग, नोन टीचिंग स्टाफ है लागू कर दी सारी फेसेलिटीज। अब बाकी स्कूल्स में क्यों नहीं लागू करते हैं ? चार दिन से अनशन पर बैठे हैं। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं अगर पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स से अपनी बात नहीं मनवा पाएगें तो कौनसे एलीमेंट को आप मदद कर रहे हैं। वही जो पंजाब, कश्मीर और आसाम में हैं, वह यहां पर लाना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके बड़े शान्तिमय तरीके से, सिद्धान्त लेकर जो आपके सामने आन्दोलन कर रहे हैं टीचर्स और जब आपने मान लिया इस बात को, एडेड कालेज में दे दिया, टीचिंग और नोन टीचिंग स्टाफ को तो इन पर भी लागू कर दो आप।

अब यूनिवर्सिटी का हाल देखिए आप। फिजिकल टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन्स हैं, मान्यवर, उनका भी आप फैसला कर दीजिए। यूनिवर्सिटी स्केल तब मिलेगा उनको जब 1984 से लागू कर दो। पैसा आपने ड्राकर लिया। ऐसे ही, मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि आप थोड़ा सा आगे चलिए कि अब इलेक्शन आपने करवाए मार्च में, मैं आपसे कह रहा हूं कि नींव है यह एग्जाम की। इलेक्शन में कितना नुकसान हुआ चाहे जीत गए, चाहे हार गए, कोई बात नहीं पर आइन्दा आप इलेक्शन की डेट जब एकेडेमिक सैशन शुरू होता है उसके एक दो माह के अन्दर करवा दीजिए। अपाइन्टमेन्ट्स कर दीजिए, ट्रांसफर्स कर दीजिए और एग्जामिनेशन शिड्यूल तय कर दीजिए ताकि लोगों के सामने सारे साल की पिक्चर साफ हो जाए। स्टूडेन्ट्स पर, टीचर्स पर और उनके पेरेन्ट्स पर। अब आपने 250 टीचर्स थे, लेक्चरर थे, अपाइन्टमेंट किया आपने 150 को, कब जनवरी में, फरवरी तक उन्होंने ज्वाइन किया यह क्या हाल है।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

इसके बाद देखिये आप बी. एड. कालेज के अब एडमिशन हुए हैं। मान्यवर अब आप एडमिशन करोगे, एग्जाम तो होंगें मई जून में, एडमिशन होंगें और अगस्त सितम्बर में, जितने भी कम्पीटीटिव एग्जाम्स हैं वह तो गए हो। एडमिशन का सारा टाइम चला गया, लड़कों को कितना नुकसान होगा जो मेरिटोरियस लड़के थे, उनका कितना नुकसान हुआ। आप कोई पोलिसी तो बना दीजिये, ट्रांसफर्स के बारे में, अपाइन्टमेंट के बारे में, स्कूल कालेज खोलने के बारे में बिल्कुल एक निश्चित पोलिसी हमारे सामने डिक्लियर कर दीजिए। जो कुछ मैंने मसले रखे हैं, मान्यवर, यहां पर यह ठीक है लड़कियों की शिक्षा के बारे आपने कन्सन्ट्रेट भी किया है और मदद करने का फैसला भी किया है। मैं आपकी तारीफ करता हूं। जो शिड्यूल्ड कास्ट की बच्चियां हैं उनको आपने कह दिया कुछ माहवारी सहायता देने का, जो गरीब मां बाप हैं उनके लिए भी कह दिया, जो प्राइवेट संस्थाएं लड़कियों के स्कूल चला रहीं हैं उनको 90 प्रतिशत एड के लिए कह दिया आपने। विकलांग के लिए, जो मन्द बुद्धि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए 90 प्रतिशत एड कर दी, बहुत अच्छी बात है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए जो प्राइवेट कालेज हैं उनकी तरफ। मैं मानता हूं एजुकेशन बिल है वह लागू होना चाहिये।

इसके साथ साथ आपने अभी तक दस बारह साल में किसी नए कालेज को एड नहीं दी, जिनको आलरेडी एड दे रहे हैं उनका आपने कैटेगराइजेशन नहीं किया उनमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं कर रहे हैं। उनके यूनिवर्सिटी ग्रेड्स लागू हो गये, दूसरे बेनीफिट्स, फैसेलिटीज लागू हो गई, खर्चा बढ़ गया, एड और अनुदान वही हैं तो यह स्कूल कब तक सस्टेन करेंगे, कब तक सरवाइव करेंगे यह हमारे सामने प्रश्न है। कई कालेज बन्द हो गये, रायसिंहनगर का बन्द हो गया, करणपुर का बन्द हो गया हनुमानगढ़ को आपने थोड़ा सा बचाया, सांगरिया बन्द होने जा रहा है। सारे राजस्थान के प्राइवेट कालेजज की हालत यह है अगर आपने उनका अनुदान नहीं बढ़ाया आप टेक ओवर कर नहीं सकते, अनुदान बढ़ाते नहीं तो फिर उसके फेट क्या होंगें। यह कुछ मसले मैंने आपके सामने अपनी जो कर्सेस है, वह रखे हैं। अब आप पी.जी कालेज खोलेंगे। मान्यवर, हमारा इलाका 26 लाख की आबादी का है, बार्डर का इलाका है, पंजाब के बार्डर के साथ जुड़ा हुआ है। एक डिग्री कालेज, अब को-एजुकेशन की स्थिति ऐसी हो गई, मान्यवर, जो हालात हमारे बदल गये हैं, बच्चियों ने लड़कों ने स्कूलों में जाना बिल्कुल बन्द कर दिया है। हालात ऐसे हो गये हैं। सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं कि एम. ए. की क्लासेज हमारे यहां खोलो। आपने प्राइमरी स्कूलों में छोटी लड़कियों के लिए ज्यादा मदद करने की बात कही। आपके पास कोई रास्ता नहीं है यह कम्पलशन है, आपके सामने इम्परेटिव है आपके सामने बाकी कालेज खोलें आप मगर गंगानगर में तो आपको खोलना लाजमी पड़ेगा।

मान्यवर, खेल की बात मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, खेल के बारे में आपने कई बातें अच्छी की हैं। एक तो साइकलिंग का जो वेलोड्राम का किया है, बहुत अच्छा किया, सारी बातें जो कर रहे हैं सवाई

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मानसिंह स्टेडियम में कर दिया, विद्याधर नगर में स्टेडियम के लिए लैण्ड एक्वायर कर रहे हैं, एक काम्पलेक्स बना रहे हैं, अच्छा है मगर आपने चित्तौड़ को जो एक करोड़ रुपया दिया, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डवलपमेंट के लिए, आप दीजिए, पर कुछ तो आप देखिये कि किस इलाके ने अच्छे एथलीट्स पैदा किये, किस इलाके ने अच्छे स्पोर्ट्समेन पैदा किये हैं, किस इलाके में पोटेन्शलिटीज हैं, गंगानगर के लोग आज भी इन्टरनेशनल मीट्स में गये हैं। बाली-बाल की इन्टरनेशनल टीम में गये, आज नेशनल लेवल पर बास्केट बाल टीम में दो लड़के हैं, हाकी में तीन लड़के हैं और एथलेटिक्स में नम्बर एक पर है। सारे राजस्थान में जो स्पोर्ट्स मीट हुई है उसमें खालसा कालेज नम्बर एक पर रहा है। इसलिए मेहरबानी करके जहां पोटेन्शलिटीज हैं, खिलाड़ियों की लम्बी लाइन दी है, वहां कम से कम एक करोड़ रुपया देकर हमारे स्टेडियम की पूरी पूरी, कम्पलीट स्टेडियम, जिसे होलसोल स्टेडियम कहते हैं, जरा सी प्राब्लम है, चारों तरफ उसकी चार दीवारी आ जाये, सीट्स हो जाये, कुछ खेलों का इन्तजाम हो जाये, अच्छे कोचेज चले जाये। स्कूल खोलने की जो बात है। झुन्झुनूं में ठीक है, मैं मानता हूं बीकानेर ठीक है, यहां अच्छा पोटेन्शियल हैं और गंगानगर में कोई बोला नहीं कि आप खोलेंगे, मैं ज्यादा नहीं कर, क्योंकि आपने समय काफी दिया।

एक बात और कहता हूं कि जो सारे जो सिस्टम हैं आप चेन्ज करने जा रहे हैं, विशेष तौर से प्राइमरी स्कूलों की क्वालिटी में चेन्ज लाना चाहते हैं, जो बच्चे हैं उनके लिये कन्सेन्ट्रेशन किया, विकलांगों के प्रति आपका दृष्टिकोण बढ़ा है, मैं इसकी भी तारीफ करता हूं और दोनों शिक्षा मंत्री की इसलिए तारीफ करता हूं कि उन्होंने ट्रान्सफर में अपने आपको ज्यादा इन्वाल्व नहीं किया है। बहुत कम किये हैं। ट्रान्स-फर अब इस सैशन के बाद, एग्जाम के बाद कुछ पालीसी बना कर जून और जुलाई में एडमिशन, जून और जुलाई में ट्रान्सफर्स, जून और जुलाई में एपाइन्टमेंट्स, जून-जुलाई में कर देंगे, स्कूल जो खोलने हैं यह सारे काम आप तो मुझे विश्वास है कि रास्ता कुछ निकालेगा। बाहर जो अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं अलवर में जो आज बन्द है गृह मंत्रीजी उनको गिर-फ्तार कीजिये जिन्होंने प्रिन्सिपल को पीटा हैं ताकि यह वायोलेंस का एलीमेंट बढ़ ना पाये, हमारी शिक्षा को कहीं समाप्त ना कर दे। आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता है।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति के मांग के सम्बन्ध में आज सदन में चर्चा हो रही है। इस विभाग के बारे में 1985 और 1990 के बीच में तीन विश्वविद्यालय राजस्थान में खुले। भीलवाड़ा में इंजीनिय-रिंग कालेज खुला, 672 हायर सैकण्डरी स्कूलों को एक साथ सीनियर हायर सेकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया, 6000 प्राइ-मरी स्कूल खोले गये, और 12 सौ मिडिल स्कूल खोले गये। महिला शिक्षा, प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज लेवल तक निःशुल्क की गई। यू. जी. सी. पे स्केल दिये गये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

थर्ड ग्रेड टीचर्स लेकर तमाम शिक्षकों के प्राय: प्राय: ग्रेड रिवाइज किये गये । लेकिन पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग केवल ट्रान्सफर करने में मशगूल रहा । 16800 से अधिक ट्रान्सफर शिक्षा विभाग में किये गये । शिक्षा विभाग से यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षा व्यक्ति को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और व्यक्ति को बनाने में शिक्षा की प्राथमिक भूमिका होती है । हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है और उस बनने के पीछे हाथ होता है शिक्षा का । "शिक्षा ददाति विनयम् विद्या विनियेन् शोभते", विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है । अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि शिक्षा में जॉब ओरियन्टेड होनी चाहिए । जोब ओरियन्टेड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत जॉब ओरियन्टेड एजुकेशन प्रोग्राम में इन्ट्रोड्यूज किया गया और व्यवसायिक शिक्षा के 69 से ज्यादा स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे लेकिन मुझे अफसोस है कि गत दो वर्षों में इस व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को क्रियान्विति करने में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है और इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में कोई प्रभावी भूमिका अदा नहीं की । मैं उदाहरण के लिये नर्सिंग और फार्मेसी की कक्षाओं का उदाहरण देकर अपनी बात को सिद्ध करना चाहूंगा । नर्सिंग और फार्मेसी का कोर्स आज से तीन साल पहले जहां जहां शुरू किया गया था आज वहां उनके प्रेक्टीकल की कोई व्यवस्था नहीं, उनके क्लासेज की कोई व्यवस्था नहीं जबकि कांग्रेस के शासन के वक्त में यह सारी चीजें चल रही थीं । उम्मीद तो यह की जा रही थी कि, लोग कहते हैं कि कांग्रेस राजनैतिक दृष्टिकोण से काम करती है लेकिन कोटा में इंजीनियरिंग कालेज 1980 से 1985 के बीच में कांग्रेस सरकार ने खोला था । लेकिन आपने इस बजट में अजमेर इस बजट में अजमेर और इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने की मांग जो इस क्षेत्र की थी उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया । हम लोगों ने महिला पोलोटेकनिक, महिला आई. टी. आई. और हर जिले में पोलोटेकनिक कालेज खोलने का प्रयास किया था लेकिन आपने इस प्रकार से कोई प्रयास नहीं किये । बल्कि पांच हजार स्कूलें आपने आते ही बन्द कर दी । राजस्थान के शिक्षा जगत में जब इतिहास लिखा जायेगा तो वर्तमान सरकार के इतिहास को काले अक्षरों में लिखा जायेगा, क्योंकि इन्होंने पांच हजार स्कूलें आते ही बन्द कर दी । अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे (व्यवधान) मैं समझता हूं कि सारा राजस्थान इस बात को जानता है कि पांच हजार स्कूल बन्द करके एक हजार नये स्कूल खोल कर यह इनाम लेना चाहते हैं कि हमने नये स्कूल प्रारम्भ किये हैं । राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत, स्वयं मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा है कि राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत 38.8 प्रतिशत हुआ है जो पहले 24.6 प्रतिशत था । यह आंकड़े अपने आप में स्पष्ट है कि 1981 और 1991 के बीच में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है । लेकिन जहां हमने दो सौ की आबादी पर आदिवासी क्षेत्रों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्राथमिक शालायें खोली थीं इन स्कूलों को आपने बन्द कर दिया। ढाई सौ की आबादी के सामान्य क्षेत्रों में बिना किसी राजनैतिक भेद-भाव के जो स्कूलें खोली गई थीं उन स्कूलों को आपने आते ही बन्द कर दिया उसके लिये गांव की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि पंचायती राज को संस्थायें दे दी गई और उससे कांग्रेस ने भारी नुकसान कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायती राज के महाराष्ट्र गुजरात और कई अन्य दक्षिण के प्रान्तों में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों तक को चलाने का काम दिया हुआ है और वह बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। (व्यवधान) आपको श्री कोगटाजी पता तो है नहीं बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा...(व्यवधान)।

श्री हरलालसिंह खर्रा : ढाई सौ की आबादी तक प्राइमरी स्कूलें खोल दी थीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां।

श्री हरलालसिंह खर्रा : और आज सैकड़ों गांव पड़े हों तो आप स्तीफा देने के लिये तैयार हैं क्या? आज सैकड़ों रेवेन्यू विलेज खाली पड़े हैं आप ढाई सौ की आबादी की बात करते हैं। तीन सौ से ऊपर के पड़े हैं। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आज तीन सौ गांव 1500 की आबादी 1969 के आप जोड़ रहे हैं, पन्द्रह सौ की आबादी वालों को है। पूर्व सरकार ने कहा था पांच साल पहले 1985 जोड़ दिये गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरी बात का इन्डाइरेक्टली ये समर्थन कर रहे हैं। 6 हजार स्कूलों को खोल कर हमने एक काम किया था, बाकी बचे हुये गांवों में आप खोल देते, आपने बन्द करके क्या नया काम किया है। इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत जहां एक ओर प्रसार का काम हुआ, वहीं हमारे मूल शिक्षक जो गांवों में मेहनत करते हैं, उनको अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गये जैसे District Institute of Education & Training, College of Teachers Education, Institute of Advanced Studies in Education;

ये तीन प्रकार की संस्थाएं हैं। प्राइमरी और सैकण्डरी एजुकेशन में खोली गई और इसके साथ साथ जो कालेलेज के टीचर्स हैं उनके लिए स्टाफ ट्रेनिंग कालेजेज बनाये गये। इसी प्रकार हमारे शिक्षक को अपने विषय के बारे में अधिकतम जानकारी अपने विषय के बार में देने का प्रयास किया गया ताकि शिक्षक अब अपनी क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हो तो पढ़ने वालों को आनन्द की अनुभूति हो और उनको लगे कि जो विषय से सम्बन्धित अध्यापक पढ़ाई करा रहे हैं, वह अपने विषय के बारे में पूरे ज्ञाता हैं, प्रकांड विद्वान हैं। इसी तरीके से, सभापति महोदय, उस समय यह प्रयास किया गया कि एक्स-केडर प्रमोशन दिये जाय और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक्स-केडर प्रमोशन 80–90 के बीच में कांग्रेस शासन की देन है लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? आज

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और अन्य विश्वविद्यालयों में जिन लेक्चरर्स, रीडर्स, को इस एक्स-केडर प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत 12 साल और 10 साल से ऊपर की अवधि हो गई है, उनको आज एक्स-केडर प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मैं जोधपुर के बारे में खास तौर पर कहना चाहता हूं कि जोधपुर में 15-15 साल से रीडर्स वहां पर बैठे हुए हैं लेकिन नियमानुसार उनका प्रमोशन 10 साल में हो जाना चाहिये, लेकिन इनकी प्रमोशन की कार्यवाही नहीं की जा रही है। दूसरी ओर प्राइमरी और सैकण्डरी एजुकेशन में लगभग 35 हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसमें पंचायती राज से सम्बन्धित अध्यापकों की संख्या भी शामिल है। ये प्रश्न में जो जवाब दिया गया है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। रिक्त पदों की आपूर्ति नहीं हो रही है।

इसके साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में एजुकेशन बिल विधान सभा में पारित कर दिया लेकिन वह एजुकेशन बिल पर दो साल से राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने में सरकार विफल रही है। इसी तरीके से जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम "जयनारायण व्यास" के नाम पर रखने का प्रस्ताव यहां पारित हुआ, इसके बारे में भी सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई। इसके साथ-साथ लाइब्रेरियन, फिसकल इन्स्ट्रक्टर्स, इन लोगों को....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, जयनारायण व्यास इंस्टीट्यूशन का नामांकरण करने के लिए You will have to bring an amendment in the principal Act.

आप लाए हो शिक्षा मंत्रीजी ? यही बात कह रहे हैं कि उसमें अमेण्डमेंट आना चाहिये। अगर आप अधिनियम में संशोधन नहीं लायेंगे तो उसका नामांकरण नहीं हो सकता ? (व्यवधान)।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम.... कल्लाजी को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है, जब उसकी सारी फार्मल्टीज कम्पलीट हो गई है, फिर आप कल्ला जी कैसे कह रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब हो गई है कम्प्लीट ? आपको मालूम नहीं है। सभापति महोदय, ये तो बिल पेश कर रहे हैं मैं तो कह रहा हूं, बिल पास हो गया था। राष्ट्रपति की सहमति मिलने की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, इनको तो होली का असर हो गया लगता है। कह रहे हैं कि सब फॉर्मल्टीज कम्पलीट हो गई है... (व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्ला साहब पर होली का असर आ रहा है। होली का असर तो कल्ला साहब पर है। (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप बिराजिये। बिराजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 24 पर विचार एवं पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ? (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इसके 4 सप्ताह में यानी 16 मार्च, 1992 के पहले इनकी हाउस रेन्ट, चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण का भुगतान और डी.ए. वगैरह मिलने का राज्य कर्मचारियों के समान आदेश कर देने चाहिये। राज्य सरकार ने कालेज एजुकेशन में यह आदेश प्रसारित कर दिये लेकिन अभी तक निजी शिक्षण संस्थाओं के जो प्राइमरी और सैकण्डरी एजुकेशन से सम्बन्धित अध्यापक हैं, उनके बारे में अभी तक कोई आदेश प्रसारित नहीं किये हैं, इससे ऐसा लगता है कि सरकार की दोहरी नीति है। कालेज एजुकेशन के टीचर्स को अलग मापदण्ड के आधार पर आदेश प्रसारित कर रहे हैं और प्राइमरी और सैकण्डरी एजुकेशन के लोगों को सहूलियत उन्होंने दी है, वह नहीं देना चाहती है। इसी तरीके से विश्वविद्यालय और कालेजेज में लगभग 15–15 वर्ष से अस्थाई प्राध्यापक काम कर रहे हैं। वे मैरिट के आधार पर चुने गये हैं। यूनिवर्सिटी में तो फिर भी कई बार लोग पक्षपात कर उनको चुन सकते हैं लेकिन जो कालेज के लेक्चरर्स हैं वे तो पूरे के पूरे, सभापति महोदय, मैरिट के आधार पर चयनित हुए हैं और मैरिट के आधार पर उनका एक फिक्स फार्मूला है, वह आज ओवरएज होने की स्थिति में है, उनको स्थाई किया जाय। पहले भी राज्य सरकार ने एक आर्डिनेंस लाकर ऐसे लोगों को नियमित किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी। लाइब्रेरियन और पी.टी.आई. को यू.जी.सी. ग्रेड देने के बारे में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। इसके सम्बन्ध में अतिशीघ्र निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

साथ ही सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों के काम-काज के बारे में 2–3 बातें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। अजमेर विश्वविद्यालय में परीक्षा फार्म भरने की लास्ट डेट 22 फरवरी, 1992 रखी गई थी, 25 फरवरी को अजमेर विश्वविद्यालय का रिवेल्यूएशन का रिजल्ट आता है और उसके पहले ही परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि समाप्त हो जाती है। राजस्थान में अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित लगभग 3 हजार से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट 25 फरवरी को निकलने के बाद 8 मार्च या 7 मार्च को उनकी मार्कशीट उनके घरों पर पहुंचती है लेकिन आज वे न तो परीक्षा में बैठ सकते

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हैं और न एल.एल.बी. में एडमीशन ले सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि इस सम्बन्ध में लॉ कालेज से सम्बन्धित एडमीशन के बारे अजमेर विश्वविद्यालय ने देरी से रिजल्ट निकाले है, साढ़े तीन महीने बाद। उनकी मार्कशीट अक्टूबर में बन चुकी थी लेकिन फरवरी और मार्च में लोगों को कन्वे हुई है। उनको एडमीशन करवाये और उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलवाइये।

इसी के साथ मैं, सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 दिसम्बर, 1991 को राजनीति शास्त्र विज्ञान विभाग की स्टाफ कौंसिल की मीटिंग होती है और वहां पर श्री मधुकर श्याम चतुर्वेदी स्टाफ कौंसिल की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। श्रीमती शीलकांत आसोपा जो प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर लोहे की कुर्सी के प्रहार करते हैं, एफ.आई.आर. लॉज होती है, चालान हो जाता है और 16 लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स ने उनके सामने यह घटना घटित हुई है लेकिन मुझे अफसोस है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के वाइस चांसलर ने इसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की और....

(4.59 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

उन्होंने विश्वविद्यालय गोपनीयता भंग की है, अध्यल महोदय, इन्होंने अपने घरों पर निम्न लेक्चरर्स की कापियां मंगवाई हैं डाक्टर (मिसेज) मंजू शर्मा, डाक्टर (मिसेज) शीला राव की सारी की सारी कापियां श्री मधुकर श्याम चतुर्वेदी के यहां जा रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 5 बज गये हैं। अब समाप्त होती है बहस। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अब तो टाइम बढ़ गया साहब।

श्री अध्यक्ष : टाइम तो बढ़ा है। तो 5 बाद तो टाइम बढ़ना ही था।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बाकी सब रह जायेंगे। सुबह ही तय हो गया था। यह तो मैंने सुबह ही तय कर दिया था। सुबह आप लोगों ने हां भरी थी कि 5 बजे बहस समाप्त हो जायेगी। मुझे सब लोगों ने कहा था कि 5 बजे जो रह जायेंगे, वह रह जायेंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह पाबन्दी हमारे ऊपर क्यों ?

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी बैठ जांय तो आगे चालू करूं।

डा. चन्द्रभान : यह पाबन्दी हमारे ऊपर ही क्यों ?

श्री अध्यक्ष : ये बोलेंगे तो फिर टाइम खत्म है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 5 मिनट।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट नहीं 4.42 से बोल रहे हैं आप। आप 20 मिनट बोल चुके हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यहां तो आधा-आधा घण्टे तक बोले हैं और हम लोगों को दो मिनट का अवसर भी नहीं देंगे आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 5 बजे तक का समय तय था।

डा. चन्द्रभान : यह 5 बजे का समय आपने निश्चित किया था लेकिन बाद में मुख्य सचेतक जी ने जब तक डिमाण्ड्स पास हो तब तक के लिए बढ़ा दिया था। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : होली के अवसर पर 5 मिनट दे दीजिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : होली महत्वपूर्ण है लेकिन अध्यक्ष महोदय, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है इसलिए दो-दो मिनट तो सभी को दीजिए आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शिक्षा उससे अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मधुकर श्याम चतुर्वेदी के यहां 10-10 लेक्चरर्स की कापियां उनके घर के ठिकाने से जाती हैं इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय की गोपनीयता और परीक्षा की सैंट्रिटी सिस्टम बिल्कुल समाप्त सा हो जाता है। इसी तरह से अपने प्रभाव से मधुकर श्याम चतुर्वेदी ने उषा चतुर्वेदी जिनके 1982-83 में करीब-करीब 52 परसैन्ट मार्क्स आए थे, इन्होंने 1991 में जब दुबारा परीक्षा दी तो अंकतालिका में नम्बर 428 से 560 हो गए और ये कापियां इनकी अलवर गई और मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी ने इसमें इनकी पूरी मदद की। इन्होंने जो बी-3 पर फोरेन पोलिसी-यू. एस एस.आर. का पेपर था इसकी जगह थ्योरी प्रेक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी बी-टू, यह पेपर दे दिया गया जबकि दुबारा इम्तिहान देने पर पेपर चेंज नहीं हो सकता। इसके बारे विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस 169 कहता है :—

A candidate who has obtained his Masters Degree in Art, Science or Commerce or the Acharya degree of the University and desires to improve his performance may be permitted to re-appear in the same subject and the same papers once again by taking all the papers of the previous part-I and the final part-II examination taken together.

लेकिन इस ऑर्डिनेंस की बिना परवाह किए उन पेपर्स में न बैठकर इनका पेपर चेंज किया गया और यही मधुकर श्याम चतुर्वेदी ने शीलकांत आसोपा के ऊपर हमला कर उनको घायल किया। उनके बारे में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने न तो कोई डिसिप्लीनर्स एक्शन लिया, न उनको निलंबित किया क्योंकि उनके ऊपर वर्तमान मंत्री श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी का पूरा वरदहस्त है जिसके कारण से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

यह सारा का सारा विश्वविद्यालय में हो रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल की बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री फूलचन्द गुर्जर : यह आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आरोप कहां लगा रहे हैं वर्द हस्त बता रहे हैं। वर्द हस्त आरोप होता है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 24.1.1992 को दो मीटिंगें हुई हैं राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल की सातवीं परिषद् की, एक मीटिंग का स्थान है झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल का समिति कक्ष और दूसरा है शिक्षा मंत्री कक्ष। दोनों मीटिंग्स 11 बजे होती हैं असाधारण और साधारण बैठक। ये दोनों बैठक एक साथ कैसे हो गई सचिवालय में और वहां पर।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट पूरे हो गए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : आपने 5 बजे का कहा। 5 05 हो गए हैं। यह घड़ी मैं चला रहा हूं क्या ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं जानकारी चाहता हूं कि ये दो-दो मीटिंग्स एक साथ कैसे हो गई और इनकी मीटिंग्स जो रखी गई हैं यह गलत रखी गई हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान (अनुपस्थित)

श्री सम्पत सिंह (अनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन। अब आप 5-5 मिनट ही बोलिए।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : आप 2 मिनट कहेंगे तो हम 5 मिनट बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : तो 5 वाक्य बोल लीजिए 5 मिनट में।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय मांग संख्या–24 पर आज चर्चा चल रही है। शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सुसंस्कृत होता है, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक होता है, उसका समाज और परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है उसको पूर्ण करता है। दुर्भाग्य से इन पिछले 40 सालों की आजादी के काल में शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की बहुत बड़ी बातें कही गई लेकिन हम दुर्भाग्य से आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। कई कमीशन बैठे हैं राधाकृष्णन् आयोग और इस प्रकार की कई कमीशन बैठे हैं लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर पाये। परिणाम यह है कि जैसे आज गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस ट्रेण्ड की चर्चा की कि उसका परिणाम है कि हम शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं कर सके।

अलवर के अन्दर जिस काण्ड की चर्चा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने की यह उस बात का द्योतक है कि हम शिक्षा

(श्री जीतमल जैन)

के माध्यम से उस पीढ़ी को जो आजादी के बाद पैदा हुई थी, के बाद जिसको हमने शिक्षा दी उसे इस प्रकार की शिक्षा नहीं दे सके कि वह ठीक प्रकार से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें, सुसंस्कृत रहे, अनुशासन में रह सके। इस प्रकार की स्थिति हमने पैदा नहीं की उसके आज दुष्परिणाम सामने हैं।

मैं अन्य चर्चाओं में न जाकर माननीय शिक्षा मंत्री और विशेष रूप से उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह ठीक है कि एकेडेमिक डिस्कसन पिछले वर्षों में बहुत होता रहा है कि हम शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन करें। आज भी उसकी चर्चा हुई है लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अगर हम इन पर गौर करें तो शायद इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। इस संबंध में मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

आज हमारे कालेजेज का जो क्रम है वह इस तरह से बिगड़ गया है कि हमारी पढ़ाई नवम्बर व दिसम्बर से शुरू होती है और फिर जाकर नवम्बर-दिसम्बर में शुरू होती है। जो कार्यक्रम जुलाई से प्रारम्भ हो जाना चाहिए उसको हम शुरू नहीं कर सकते हैं और उसकी परीक्षायें बाद तक होती रहती हैं। परिणाम यह है कि आज जब रिजल्ट्स आते हैं और उनका कई बार एक-एक वर्ष खराब हो जाता है। अतः आप इस क्रम को जल्दी से जल्दी ठीक करें। जुलाई से सत्र प्रारम्भ हो और आने वाले अप्रेल तक यह सत्र समाप्त हो जाय तभी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। यह बात शिक्षा नीति की नहीं है यह आपकी व्यवस्था की बात है जिसको आप ठीक कर सकते हैं।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कालेज एजुकेशन की चर्चा करते हुए एक बात कही थी कि हम सारा कुछ एडहॉक बेसिस पर हमारा कालेज निदेशालय चला रहे हैं। मैं इस संबंध में आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि 69 राजकीय कालेजेज हैं जिनमें लगभग 450 लेक्चरर्स एडहॉक बेसिस पर हैं। इसमें 300 तो इस कारण टिके हुए हैं कि उन्होंने कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है और 150 फरवरी के अंदर अपाईन्टमेंट दिए गए हैं। सत्र का अंत आ रहा है और फरवरी के अंदर आप अपाइन्टमेंट दे रहे हैं तो फिर छात्र क्लासेज में कब जायेंगे। आज उनको अपाइन्टमेंट देने का क्या औचित्य है। ये अपाइंटमेंट अगर देने थे तो हमको निश्चित रूप से पहले देने चाहिए थे। यह एडहॉक अरेंजमेंट कब तक चलता रहेगा? आज भी मेरी जानकारी के अनुसार अभी 100 पोस्टें खाली हैं जिनको भरना आवश्यक है। अगर ये नहीं भरी गईं तो किस प्रकार हम छात्रों को शिक्षा दे पायेंगे यह मेरी समझ के बाहर की बात है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका 8 वर्ष से सलेक्शन नहीं हुआ है। 2 विषय ऐसे हैं जिनका 10 वर्षों से सलेक्शन नहीं हुआ है। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय, से कहना चाहूंगा कि वे निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठायें ताकि छात्रों की शिक्षा है वह ठीक प्रकार से उनको प्राप्त हो सके और उनका कैरियर बिगड़े नहीं इस बात का ध्यान रखे। अभी बहुत

(श्री जीतमल जैन)

सारे जो एडहॉक अध्यापक हैं उनका बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है, वर्षों से अध्यापक एडहॉक बेसिस पर चल रहे हैं इसके बारे में सरकार को जल्दी निर्णय करना चाहिए। 10–10 और 12–12 साल से एडडॉक अध्यापक चल रहे हैं। आज आपने डी.पी.सी. की उनमें से किसी को हटा दिया, कुछ लोग एज बाहर हो जायेंगे और उनको रोजगार नहीं मिल सकेगा तो वे सड़क पर आ जायेंगे। या तो हमको सलेक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, समय पर सलेक्शन कर सकें तो आज यह स्थिति पैदा नहीं हो। यह स्थिति आज राजस्थान की नहीं है। अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार की स्थिति है। यू. पी. में अभी–अभी 1800 अध्यापकों को, कॉलेज के अध्यापकों को नियमित किया गया है। इस प्रकार आप भी नियमित करें। लेकिन जब नियमित करने का आप निर्णय लें तो इस बात का ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स एडहॉक बेसिस पर है केवल उन्हें ही नियमित न करें, कॉलेज के अन्दर भी इस प्रकार के जो अध्यापक एडहॉक बेसिस पर हैं उनको नियमित करें। एडहॉक बेसिस की दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा–प्राचार्य, उपप्राचार्य, लगभग 60 कॉलेज, जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें लगभग डेढ़ सौ यह पद हैं। लेकिन पिछले दिनों में 32 जो पी.जी. कॉलेज हैं, उनमें से केवल दस–बारह जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सलेक्शन ही डी. पी. सी. के द्वारा हुआ है, शेष 32 पी जी. कॉलेजेज के अन्दर अभी एडहॉक बेसिस पर प्रिंसीपल चल रहे हैं। डिग्री कॉलेजों की स्थिति तो यह है कि गत पन्द्रह वर्षों से डी.पी.सी. नहीं हुई है, परिणाम यह है कि आज एडहॉक बेसिस पर प्रिंसीपल और वाइस प्रिंसीपल चल रहे हैं लेकिन उसके साथ एक कठिनाई है। आप उनको वाइस प्रिंसीपल और प्रिंसीपल तो बनाते हैं लेकिन लेक्चरर्स की पे और उनकी पे में कोई अन्तर नहीं है, वेतन में कोई अन्तर नहीं है, अन्य कोई सुविधाएं नहीं हैं और जब प्रशासन का भार उन पर आता है तो उनके समान, उनके सहयोगी हैं वह समझते हैं कि आपकी और हमारी स्केल एक है, आप में कोई विशेषता नहीं है और इस प्रकार से वह प्रशासन चलाने में अपने को अक्षम पाते हैं। इस प्रकार की कठिनाई पैदा होती है, आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवायें। वाइस प्रिंसीपल और प्रिंसीपल की जो पोस्ट है उनके लिए आपको नये वेतनमान बनाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उनसे प्रशासनिक काम लेना है और लेंदी लेक्चरर्स, उनके बीच में कोई अन्तर रखना हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका पे स्केल बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु ने नये पे स्केल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के निश्चित किये हैं, आप राजस्थान के अन्दर भी करिये। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह जल्दी से जल्दी इन पदों की डी.पी.सी. करायें, जब ही लोग प्रशासन में जाना चाहेंगे जब उनको मोनेटरी गेन होगा, या किसी प्रकार का इन्सेन्टिव होगा, इसके बगैर वह नहीं जाना चाहेंगे। इसी प्रकार से रीडर्स की पोस्ट के लिए आपके पास केन्द्रीय सरकार का एक आदेश आया, 22 जुलाई, 1988 को Readers Posts shall be created in the University as well as in the

(श्री जीतमल जैन)

Colleges. लेकिन अभी तक भी विभाग रीडर्स की पोस्ट क्रियेट नहीं करा सका है बल्कि एक पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजा है कि हमकों यह पोस्ट भरनी है या रीडर्स की पोस्ट क्रियेट करनी हैं इस बारे के अन्दर अभी सोचा जा रहा है। इसी के साथ-साथ ट्रांसफर्स की कोई नीति आपके विभाग में नहीं है। ट्रांसफर्स के कारण कई परेशानियां पैदा होती है। आपने जिन लोगों को एडहॉक बेसिस पर लगाया है, आपने उन जगहों से लोगों को हिला दिया जो बीस साल से, पच्चीस साल से अपने स्थानों पर थे, आपने नये लोगों को बैठा दिया। अलवर के अन्दर इस प्रकार के लोगों को बैठाया है। आप एक शिक्षा नीति बनायें, जिन लोगों को आप एडहॉक बेसिस पर रखते हैं उनको उन्हीं स्थानों पर रखिये जहां पर स्थान रिक्त हैं या जिनकी आवश्यकता है। इस प्रकार से आपके पुराने लोग हिल जाते हैं तो उसके कारण एक रिजेण्टमेंट इस सारी प्रोफेसर्स क्लास के अन्दर पैदा होता है। एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, परीक्षा का जो रेमुनरेशन है, जो परीक्षक होते हैं उनका रेमुनरेशन आज से शायद बहुत वर्ष पहले तय किया होगा। इन्वीलिजेशन का प्रति ड्यूटी दस रुपये है। आज की तारीख में दस रुपये क्या हैं, शायद दस रुपये जब तय किये होंगे तब दस रुपये बहुत बड़ी महत्ता रखते होंगे, आज तो दस रुपये कोई महत्ता नहीं रखते। अगर वह दस रुपये लेता है तो चार रुपये तो उसके इन्कम टैक्स में चले जायेंगे और अपने स्थान से, घर से वहां तक जायेगा तो पैट्रोल जलायेगा चार रुपये, छह रुपये का या कम से कम रिक्शे में जायेगा, उसमें भी सब पूरा नहीं पड़ेगा, अपनी जेब से देगा। कौन आपके इन्वीजिलेशन करने आयेगा। यह ऐसी बातें हैं जिनको प्रशासनिक स्तर पर आप ठीक कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां नवीन कॉलेजों का सवाल है, यह नवीव कॉलेज जो कुछ भी खोल रहे हैं, 31 दिसम्बर के पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास, इसके निर्देशन हैं कि उनके पास प्रस्ताव पहुंच जाने चाहिए। 31 दिसम्बर के बाद पहुंचने के बाद इन्सपेक्शन के लिए वह अपना व्यक्ति भेजती है, इन्सपेक्शन होने के बाद अगले वर्ष जाकर कॉलेज प्रारम्भ होता है लेकिन हमने अभी 31 दिसम्बर के बाद कॉलेजों की वह सारी फार्मेलिटीज, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमसे अपेक्षा करती है, वह हमने नहीं की। आपको अगस्त में कॉलेज खोलने थे, अब कालेज खोले हैं और अभी तक भी आप उनमें अध्यापकों का अपाइंटमेंट कर रहे हैं, कर्मचारियों के अपाइंटमेंट अभी तक नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से भवानीमण्डी का कालेज तो आपने ले लिया लेकिन भवानीमण्डी के कालेज की जो बातें हैं वह अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट नहीं हैं, अब तो आधा मिनट रही है।

श्री जीतमल जैन : इसके साथ-साथ इस प्रकार से अनुदान प्राप्त जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अभी तक 1963 के नियम लागू हैं। उनके लिए कोठारी ने, कमीशन ने भी कहा था कि आप इन नियमों में परिवर्तन करें लेकिन हमने चिन्ता नहीं

(श्री जीतमल जैन)

की। टेलीफोन के लिए आप उनको दो सौ रुपये दे रहे हैं अनुदान के लिए, इसी प्रकार बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग के किराये के लिए आप उनको पैसा देते हैं, यह भण्डारी कमीशन ने 1974 में रिपोर्ट दी थी आपने उस भण्डारी कमीशन की रिपोर्ट को अभी तक रख रखा है। आज रुपये की कीमत इतनी घट गई है, आप इस बारे में थोड़ा विचार करें। मैं अब कुछ बातें प्राइमरी और हायर सैकण्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रनिनियुक्ति का मामला हमारे विभाग में बहुत तेजी से चल रहा है। मेरे पास अभी एक क्वेश्चन का जवाब आया है जिसके अन्दर 59 अध्यापिकाएं गांव के स्कूल से वेतन उठाती हैं और अलवर शहर में स्थापित हैं। आप सोचिए इसका मतलब। जिन विद्यालयों से वह शहर में लगी हुई हैं इसका मतलब वहां के जो विद्यालय हैं वह भूखे मर रहे हैं, वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं है। यह छात्रों के साथ हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। आपके सोचने का विषय है। 59 अध्यापिकाएं केवल अलवर शहर में लगी हुई हैं, अलवर जिले की यह स्थिति है तो आप सोचिए कि अन्य स्थानों पर क्या होगी। रिक्त स्थानों की बात आपके सामने काफी आ गई। गांव के स्कूलों के अध्यापकों की हालत यह है कि वहां पर अध्यापक जाते नहीं, दस दिन में जायेंगे, पन्द्रह दिन में जायेंगे, दस्तखत करके चले आयेंगे। अगर छह अध्यापक हैं, तीन रोटेशन से जाते हैं, तीन जायेंगे, तीन नहीं जायेंगे। इसको भी आप सख्ती से चैक करने का प्रयास करें। कई स्थानों पर पर्याप्त भवन नहीं हैं। अभी आज विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में मिला है कि अलवर जैसे शहर में जुगनी बाग मोहल्ले में एक स्कूल चलता है वहां पर सड़कों पर बैठा कर परीक्षाएं होती हैं. सड़कों पर बैठा कर बालकों को पढ़ाया जाता है। इस सम्बन्ध में आप विचार करें। अनियमितता और भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें आपके सामने आई हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है, रिपोर्ट हो जाती है, इन्क्वायरी हो जाती है लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन आप नहीं लेते....

श्री अध्यक्ष : बस-बस, सारे पाइंट अब समाप्त हो गये आपके। धन्यवाद। मुख्य सचेतक महोदय।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कहने को बहुत सारी बातें रह गई।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं :-

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 17 मार्च, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में हुई। समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करके दिनांक 24 मार्च, 1992 से 10 अप्रैल, 1992 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :—

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1992	राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं राजस्थान स्टाम्प विधि अनुकूलन (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण ।
	आय-व्ययक वर्ष 92–93 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण ।
बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992	राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण ।
	आय-व्ययक वर्ष 92–93 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण ।
गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 1992	आय-व्ययक वर्ष 92–93 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण । 26 मार्च, 1992 को शेष रही मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित की जायेंगी ।
शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1992	अनुपूरक अनुदान की मांगे (द्वितीय संकलन) वर्ष 1991–92 एवं तत्सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण ।
शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1992	आय-व्ययक वर्ष 1992–93 से संबंधित राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक 1992 पर विचार ।
रविवार, दिनांक 29 मार्च, 1992	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1992	आय-व्ययक वर्ष 92–93 से संबंधित राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 पर अग्रेत्तर विचार एवं पारण ।
मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1992 एवं बुधवार, 1 अप्रेल 1992	राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं राजस्थान मोटर परिवहन वाहन पथ कर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण ।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1992	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक अनुमान 1990–92) पर विचार।
शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1992	राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार।
शनिवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1992 एवं रविवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1992	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1992	राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बिगड़ते पर्यावरण की स्थिति पर विचार।
मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1992	राजस्थान विडियो फिल्म प्रदर्शन का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1992	राजस्थान विद्युत शुल्क (संशोधन) और विधि मान्यकरण विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1992 एवं शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 1992	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई। माननीया, श्रीमती सुमित्रा सिंह।

अनुदान की मांग संख्या–24 पर विचार

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में....

श्री अध्यक्ष : कितना टाइम लेंगीं आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी ?

श्री अध्यक्ष : कितने समय तक बोलेंगीं आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब मैं पहले से तो क्या बताऊं जितना आप मुझे समय देंगे उतना ही समय बोलूगीं ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी इच्छा से बता दीजिए कितना समय लेंगीं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब मैं इच्छा से कैसे बता दूं पहले यदि कोई पाइन्ट्स रह जायेंगे मेरे तो कैसे बता सकती हूं ।

श्री अध्यक्ष : तो 10 मिनट ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, ऐसे तो मैं कैसे बता सकती हूं । कोशिश करूंगी 10 मिनट में वाइन्ड-अप करने की ।

श्री अध्यक्ष : फिर कोशिश आप 10 मिनट की ही करिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है :

तमसो मा ज्योतिर्गमय्
असतो मा सदगमय
मृत्योंमा अमृतमं गमय्

मतलब शिक्षा वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाये, शिक्षा वह है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जावे और शिक्षा वह है जो हमें मृत्यु से अमृत्व को प्राप्त करवाये। यह तो था हमारे प्राचीन ऋषि–मुनियों का शिक्षा के बारे में विचार और उनकी परिभाषा और आज इस वर्तमान युग में शिक्षा को मानव संसाधन की बुनियाद समझ करके इसको मानव संसाधन का नाम देकर शिक्षा के जरिये मनुष्य को इस तरह से शिक्षित करके विकास किया जाये, उसका सर्वांगीण विकास किया जाये, उसमें नैतिकता भी भरी जाये, उसके साथ उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी भरी जाये। यह है हमारे शिक्षा का वर्तमान स्वरूप मानव संसाधन अर्थात मनुष्य शक्ति का पुंज और प्रतीक। शिक्षा किसी भी देश की संस्कृति की संवाहिका है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को थाती के रूप में संस्कृति इसी संवाहिका के जरिये सौंपी जाती है। शिक्षा के माध्यम से ही सौंपी जाती है संस्कृति, कला और संस्कृति ही किसी भी राष्ट्र और किसी भी प्रदेश की आत्मा और प्राण है और कला ही वह मानव की उदात्त भावनाओं को प्रकटीकरण की एक ऐसी शैली है जो मानव को आनन्दित और आत्मविभोर करती है। तो इतनी महत्वपूर्ण मांग है जिसके लिए मंत्री महोदय ने 1005 करोड़ की स्वीकृति की मांग सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है। बड़ी महत्वपूर्ण मांग है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि इस मद के अन्दर इस मानव संसाधन के सोर्सेस के लिए जहां पिछली बार हमारे बजट के प्लान के अन्दर प्लान आउटले में 24.7 प्रतिशत खर्चे का प्रावधान था वह इस बार घटकर हमारे प्लान का आउटले 1403 करोड़ का होने के बाद भी हम इसमें 23 प्रतिशत ही खर्च करेंगे। मेरी समझ में यह बात आई नहीं है कि इसमें कटौती का कारण क्या है इसलिए मान-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
नीय मंत्री महोदय मुझे इस बारे में स्पष्ट करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब बातें आ चुकी हैं महिला शिक्षा के बारे में भी और प्रसार के बारे में और यह बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ऐसा तथ्य है कि जिस तथ्य को कोई भी मना नहीं कर सकता, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि स्त्री शिक्षा का महत्व कितना है। आप केवल जब बोलेंगे तो हमें एक आंकड़ा देंगे और यह कहेंगे कि राजस्थान का जब निर्माण हुआ था तब इस शिक्षा के मद में 1 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च होते थे और आज 913 करोड़ रुपये आप शिक्षा के मद पर खर्च करने जा रहे हैं। आप हमें कहेंगे कि उस समय केवल 5 स्नातकोत्तर कालेजेज थे हमारे राजस्थान में और आज उनकी संख्या 70 के आसपास पहुंच गयी होगी, यदि मैं गलती नहीं करती हूं तो यह सब आप बता करके हमें भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे कि इतना विस्तार हुआ है। मैं मानती हूं कि यह विस्तार हुआ है लेकिन साक्षरता के राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत से अभी भी यह प्रतिशत बहुत पिछड़ा हुआ है। कारण इसके चाहे कुछ भी हों। इसलिए जब तक महिला शिक्षा की साक्षरता के प्रतिशत को आगे बढ़ाने के प्रभावी प्रयत्न नहीं किये जायेंगे तब तक मैं नहीं समझती कि किसी भी समस्या का समाधान हो सकेगा क्योंकि अभी दो-तीन दिन पहले ही जब पापुलेशन ग्रोथ के बारे में और आबादी के नियंत्रण के बारे में संगोष्ठी एवं सदन में चर्चा हुई थी तो यह स्पष्ट बात उभरकर आई थी कि महिला साक्षरता के बिना आबादी पर नियंत्रण हम कभी नहीं कर पायेंगे और महिला साक्षरता में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। साक्षरता में ही पिछड़े हुए हैं। पिछली साल एक अखबार में निकला था कि राजस्थान को पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए अभी 125 वर्ष लगेंगे। जिस रफ्तार से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है उस रफ्तार से 125 साल बाद सम्पूर्ण साक्षरता आप इस प्रदेश में कर सकोगे। अभी मुझसे पहले बोलने वाले बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि महिला की साक्षरता को बढ़ाने के लिए, जब मैं पढ़ा करती थी 1953 में, मैंने एम.ए. किया उस समय लड़कियों की ट्यूशन फीस नहीं लगा करती थी। बीच में शुरू हो गयी थी लेकिन यह मेरी मांग के ऊपर मैंने ही 87-88 में यह मांग उठाई थी और उस समय कांग्रेस सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए लड़कियों पर लगने वाली ट्यूशन फीस को माफ किया था और आज भी आवश्यकता इस बात की है कि आप महिला साक्षरता को क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बारे में आपको प्रभावी उपाय करने पड़ेंगे तभी कुछ परिणाम निकलेंगे।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यद्यपि यह बात कह दी गयी है लेकिन मैं इसे कहना अपना कर्त्तव्य समझती हूं, दुबारा इसको दोहराना अपना कर्त्तव्य समझती हूं कि आज हमारी यूनीवर्सिटीज की जो हालत है और खास तौर से राजस्थान यूनीवर्सिटी की—एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी और वह उदाहरण यह है कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग के अन्दर किसी भी महिला के साथ कोई भी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पुरुष कुर्सी फेंक कर उसे मारने का प्रयत्न करे और इस बात को हम दरगुजर कर जायें और कोई कानूनी कार्यवाही न करें इससे बढ़कर हमारे लिए + + + कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं यह बात कहना चाहती हूं कि पंजाब के पब्लिक सर्विस कमीशन का किस्सा हुआ था, मैं कोट करना चाहूंगी हालांकि वहां बड़े हार्ट एक्सचेन्जेज हुए थे आपस में और चेयर परसन महिला थी और उस चेयर परसन और पुरुष मेम्बर के बीच में कुछ इस तरह की बात हो गयी कि पुरुष सदस्य ने महिला चेयर पर उनके थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट को यह मामला रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में रूलिंग दी जो भी कहा रेलेवेन्ट पोरशन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी :

Persons occupying high public offices should maintain irreproachable behaviour. A certain minimum standard of code of conduct is expected of them. What may be excusable for an uneducated young man cannot be tolerated if a Member of a Public Service Commission is involved. Besides, the respondent Member and the Chairperson were not thrashing out a personal matter or a private dispute. They were discussing a question involving their office and this in broad day light in the open corridor of the Commision's building. Whatever the provocation offered by the Chairperson the respondent was not justified in losing his cool to the extent of indulging in Physical violence. That the violence should have been directed against a lady makes his conduct all the more reprehensible. The respondent miserably failed in maintaining the standard of conduct expected of a Member of the Commission and thereby brought great disrepute to his office. Hence the conduct of the respondent amounted to misbehaviour within the meaning of Article 317(1) of the Constitution and it rendered him liable to be removed from his office of the Member of the Punjab Public Service Commission.

इसलिए मैं आप से निवेदन कर रही थी कि जहां पर आखिर कोई किसी के साथ कितना ही मिस बिहेव करें, यहां तो कोई इस तरह की बात भी शीलकान्ता असोपा ने नहीं कही थी जिसकी वजह से मधुकर श्याम चतुर्वेदी को कोई प्रवोकेशन वाली बात हो और वे वहां से उठकर गये और जाते-जाते एक कुर्सी लेकर के...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप, चूंकि यह मामला सब जुडिस है इसलिए उसके तथ्यों में मत जाइये। आपका रेफरेंस ठीक है। डोण्ट गो इन डीटेल।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, अध्यक्ष महोदय, सबजुडिस क्या है ? क्या है सब–जुडिस ।

श्री अध्यक्ष : सेम मैटर । उसके खिलाफ एफ.आई आर. दर्ज है । मुकदमा पेंडिंग है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो क्या हुआ इसमें । कोर्ट में, क्या पुलिस में....

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में पेंडिंग है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाई कोर्ट में पेंडिग नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या है हाई कोर्ट में पेंडिंग ?

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में पेंडिंग, आप ऐसा है इसमें तथ्यों में क्यों जा रही हैं ? आपने रेफर कर दिया । Don't go in the details. Let the court decide. Ultimately the court will decide.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है । लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि कोई भी आदमी पढ़े-लिखे आदमी से यह एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वह अपना टेम्पर इस कदर लूज कर दे कि वह हाथापाई की नौबत पर आ जाय और इसलिए इस मामले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्यवाही मधुकर श्याम चतुर्वेदी के खिलाफ नहीं करना मेरी समझ में नहीं आता । किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं कह सकते । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि एक बार हमने यह प्रश्न उठाया था, यद्यपि इस सदन में भी कई बार इस चीज को स्वीकार किया गया है कि हमनें यह स्कूलें जो कांग्रेस के रिजाइन के समय खोली गयी थीं किन्तु अध्यापकों का अभाव था....

श्री अध्यक्ष : 12 मिनट हो गयी हैं आपको । 12 मिनट हो चुकी है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं 2 मिनट में समाप्त कर रही हूं अध्यक्ष महोदय । किन्तु अध्यापकों का अभाव था उस वजह से आप को करना पड़ा, उन स्कूलों को बंद । आज भी जिले में जब हमने इस बात को उठाया कि अध्यापकों के अभाव में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती तो वे कहते हैं कि पूरे हैं अध्यापक की ही कमी नहीं है बल्कि जितने अध्यापकों की Strength है उतने हैं तो होता क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को निवेदन करना चाहती हूं, होता क्या है एक स्कूल में जहां 8 अध्यापकों की नियुक्ति है वहां पर तो हैं 16 और दूसरे स्कूल में जहां होने चाहिए 8 वहां है 2 क्योंकि एडवांटेजियस प्लेस में सब रहना चाहते हैं । डिसएडवांटेजियस प्लेस में कोई नहीं जाना चाहता । सब अपना–अपना डेपूटेशन करा के और अच्छी जगह पर पहुंचना चाहते हैं और उसी की वजह से सफर करते हैं वे इलाके और वे स्कूल जो डिसएडवांटेजियस प्लेस में खोले गये हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे आपको अध्यापकों की कमी है यदि कमी करें तो 8 की 7 कर दें । तो सब जगह 7–7 करिये लेकिन यह नहीं करें आप एक जगह जहां अच्छी जगह है वहां तो लगे हुए हैं 8 की जगह 16 और दूसरी जगह जहां पर 8 अध्यापकों की आवश्यकता है वहां पर लगे हुए हों 2, उन बच्चों को कोई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पढ़ाने वाला, न कोई सिखाने वाला, और इस तरह से मैं समझती हूं कि आप बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं ग्रामीण शिक्षा जगत के साथ। इसलिए मैं चाहूंगी इस सम्बन्ध में आप निश्चित तौर से इस चीज को देखें कि यह कमी पूरी होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं उसके बारे में कुछ और आगे नहीं कहना चाहती सिर्फ इतनी ही बात कहूंगी कि यह, आखिर एम.एल.एज. कोई भी चीज लिखकर के दे तो किसी अधिकारी को यह अधिकार कहां से मिल गया कि वे कहें कि साहब यह इनके वाइस चांसलर साहब के लोग इसलिए खिलाफ हैं, क्योंकि एम.एल.एज. लोग इनके खिलाफ वातावरण बना रहे हैं और यह कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जिनमें कुछ एम.एल.एज. भी हैं। इस तरह का किसी का भी वर्णन, अखबार में बाकायदा यह बात आयी है और मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने और मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात पर कोई कोगनिजेंस नहीं लिया कि इस तरह से किसी की भी कैसे हिम्मत हो जाय कि कोई कहे कि वह बहुत अच्छे हैं, वाइस चांसलर की कोई गलती नहीं है यह तो कुछ एम.एल.एज. हैं जो उनके खिलाफ इस तरह का वातावरण बना रहे हैं। मेरी समझ में यह कहना बहुत गलत है। आज इस वर्ष शिक्षा पर 19.16 प्रतिशत आप खर्चा कर रहे हैं।

अनुदानित संस्थाओं के बारे में मुझे यह निवेदन करना है, यह बहुत लम्बे समय की बात है, बहुत लम्बे समय से लंबित है और अनुदानित संस्थाओं के अध्यापकों को टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही स्टॉफ को यू.जी.सी. के मुताबिक उनका वेतनमान मिलना चाहिए और मेरी समझ में यदि आज आप उसकी यहां पर घोषणा कर दें तो बड़ा उत्तम होगा लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको आगाह भी करना चाहती हूं कि आप यदि यह करें तो उन्हें चैक के जरिए उनका पेमेण्ट को वह चैक के जरिए या आप बैंक से इसे करवायें क्योंकि नहीं तो क्या होगा, यदि आप सारा लम्बसम उन्हीं संस्थाओं को देंगे, मैनेजमेण्ट को देंगे तो मैनेजमेण्ट वही करेगा जो आज कर रहा है कि वहां से रसीद लेता है 2000 की और देता है वास्तव में 1000 ही। उनका और शोषण नहीं हो इसलिए आप उन्हें वह सब सुविधायें दें तो सही वेतनमान बाकी सब सुविधायें बराबर दें सरकारी कॉलेजेज और स्कूलों के। लेकिन इसके पेमेण्ट का जो तरीका है उसके बारे में आप निश्चित तौर से पहले से सोच लें कि अध्यापकों का शोषण न हो।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं अपनी ओर से यह निवेदन करते हुए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारी सारी बुनियाद, यह सारी प्रगति जो है, आर्थिक प्रगति सब इस शिक्षा पर आधारित है और इसलिए इसको महत्वपूर्ण समझते हुए जो आपने आज बजट तो बहुत लम्बा–चौड़ा रखा है, लोक जुंबिश योजना भी रख दी, प्रौढ़ शिक्षा में भी प्रावधान और लोक जुम्बिश में तो 6 सौ करोड़ रुपया मिलेगा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

10 साल के लिए। मेरी तो समझ नहीं आयी कि यह लोक जुंबिश है क्या, जुंबिश का मतलब भी मैं तो नहीं समझती लेकिन यह 10 साल में 6 सौ करोड़ रुपया आपको मिलेगा इसका क्या आप इसी तरह से प्रयोग करेंगे जिस तरह से आप प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि मदों जो कुछ कर रहे हो ? यदि इसी तरीके से करने का इरादा है तब तो कोई मतलब नहीं है। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। आप तो सो रही थीं मैं देख रहा था।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : नहीं, कहां सो रही थी साहब ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। मैं शिक्षा मंत्रीजी को बहुत–बहुत बधाई देऊं और धन्यवाद भी देऊं कि आपने 92–93 में....

श्री अध्यक्ष : मांग तो नहीं रखेगी कोई ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मांग तो रखूंगी साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर काहे का धन्यवाद दे रही हो। पहले मांग रखिये आप। मांग पूरी हो जाय तो धन्यवाद दीजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, 92-93 में 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का जो लक्ष्य रखा है इसलिए मैं इनको धन्यवाद दे रही हूं और विशेषकर 50 विद्यालय बालिकाओं के लिए होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में नये नियुक्ति किये जाने वाले 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए रखा है इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी को बहुत–बहुत धन्यवाद दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी का महिलाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है.... (व्यवधान)....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इनका बहनों के प्रति प्रेम है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, बहन और भाई का सम्बन्ध तो है। यह नहीं कह सकते कोई सम्बन्ध नहीं है। सिस्टर तो है आपकी भतीजी भी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ....कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर महिला शिक्षा कैसे होगी ? उसको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : इसलिए आप इस बात को जोर से कहिये।....(व्यवधान)....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में इस शिक्षा के प्रति शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे न तो कोई चुरा सकता है न कोई छीन सकता है, न कोई कुछ ले सकता है यह विद्या धन एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जो स्कूलें, जो कि छोटे-छोटे बच्चे जहां पढ़ते हैं उनकी वास्तविकता मैं आपको सही बता रही हूं टाट–

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पट्टियां तक वहां पर बिछाने के लिए नहीं है और भवन है तो वहां बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। मैं इसके अन्दर आपसे निवेदन करना चाहती हूं, ऐसे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए पहले सोचने की बात है इसलिए मैं आपसे यह मांग करूंगी कि ऐसे-ऐसे बच्चे जहां कि भवन भी नहीं है उनके लिए आप एक ऐसा प्रावधान रखें जिससे बच्चे वास्तव में स्कूलों में जाकर कमरों में बैठकर के पढ़ें।.... (व्यवधान).... घण्टी कैसे बजा देंगे मैं तो कुछ बोली भी नहीं और घण्टी बज जायेगी क्या.... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये आपके माध्यम से मेरी आवाज पहुंचाना चाहूंगी, जो मुख्य मंत्रीजी ने 77–78 के अन्दर अन्त्योदय योजना चलायी थी वह अन्त्योदय योजना नहीं होकर शिक्षा योजना चलायें और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक ऐसी योजना चलायें जिसमें शिक्षा का ही प्रचार हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं हैं और अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं है। यह बात सत्य है। मैं इस बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह मांग करूंगी, आप इसके ऊपर विशेषकर ध्यान देकर एक ऐसी व्यवस्था करें। यह बच्चे आगे जाकर भविष्य निर्माण करने वाले बच्चे है, उनके बारे में वास्तव में यह सोचनीय बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे विद्यालय है, मैं खास बात यह कहना चाहती थी, माननीय मंत्री महोदय ने जोधपुर के साथ इतना अन्याय किया है, मैं उसकी तरफ इनका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि तीसरा यह बजट पेश हो रहा है जोधपुर के अन्दर एक भी स्कूल इन्होंने क्रमोन्नत नहीं की है, यह मेरा मानना है। मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जोधपुर की बात कैसे नहीं मानी। आपके विश्वविद्यालय का नाम रख दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सही बात है, चली कैसे नहीं।

श्री अध्यक्ष : उजला जी, आपको तो बोलना नहीं है। तो आप उधर बैठिये। यह दो महिलाएं पास नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पढ़ने नहीं दे रहे हैं यह, मैं क्या बताऊं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर जैसे शहर की उच्च प्राथमिक स्कूलों के मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी। 1961 के बाद क्रमोन्नत कोई भी स्कूल नहीं की गयी है। यह बात सही है, यह पूर्व सरकार की देन है कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मगर मैं यह चाहूंगी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भैरोंसिंह शेखावत की सरकार है यह इस बारे में जरूर ध्यान देगी कि जो काम कांग्रेस सरकार से नहीं हुआ है वह करके रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन स्कूलों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी जो आज तक 1961 के बाद क्रमोन्नत नहीं हुई हैं। जैसे कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कोटवाली, राजकीय माध्यमिक विद्यालय फतेहपोल, राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय खाण्डाफालसा, राजकीय माध्यमिक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

विद्यालय, शाहपुरा। उनको क्रमोन्नत करने के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वहां के कई शहरों के बच्चों को कितना लाभ मिलेगा। ऐसे तो कई स्कूलों के नाम है मगर मैं थोड़े से में ही आपको बताना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर के अन्दर जो स्कूल एडेड हैं उनकी तरफ भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगी कि उनको अनुदान स्वीकृत व बढोतरी बाबत आज तक ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आदर्श विद्या मंदिर, जोधपुर शहर में महालक्ष्मी विद्यालय, एक हायर सैकण्डरी स्कूल, जयनारायण कन्या पाठशाला इत्यादि है। मैंने इस तरह की स्कूलों को देखा है जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, उसके ऊपर आज तक कभी कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी ऐसी एडेड स्कूलें हैं आप उनकी जांच करवा लीजिये कि क्या स्थिति है उनकी, उसके बाद भले ही आप उनकी एड बढ़ाइये। मगर आप उसके प्रति जरा ध्यान दें तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि वास्तव में कोई काम हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दे रही हूं, कह भी दिया था कि एक भी महिला विश्व-विद्यालय की स्थापना अभी तक जोधपुर में नहीं हुई है। मैं इसलिये मांग कर रही हूं, कि जोधपुर में महिला विश्वविद्यालय खोला जाय। जो फतेहपोल स्कूल है वहां पर बी. एड. विद्यालय खोला जाय। आपको भवन की भी जरूरत नहीं रहेगी। राजा महा-राजाओं, स्टेट के टाइम का इतना बड़ा भवन है, आज की तारीख में अगर आप अरबों रुपया खर्च कर दें तो ऐसा भवन बनने वाला नहीं है, उस भवन को काम में लेते हुए आपसे जोधपुर के अन्दर महिला महाविद्यालय खोलने की मांग करती हूं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि जोधपुर में महिलाओं के लिये बी. एड. कालेज शीघ्र खोला जाय व महिला विश्व-विद्यालय की स्थापना भी की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री विराजमान हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी यह इसके ऊपर जरा थोड़ा विशेष ध्यान दें। क्योंकि महिला जब शिक्षित होती है तो उसका सारा परिवार शिक्षित होता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी, जरा पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दें। महिलाओं के ऊपर जब आप ध्यान देंगे तो मैं यह समझती हूं, महिला जितनी सभ्यता से और जितने अच्छे ढंग से काम करेंगी, वैसा पुरुष भी नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को टाइम दिया, इसलिये मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय एक मिनट।

मैं सरकार की बहुत बहुत अहसानमंद और शुक्रगुजार हूं कि ऐसी स्कूल थीं जिनके अन्दर कोई बच्चे बैठ नहीं सकते थे, मैंने जहां तक देखा है, लोग जैसा बता रहे हैं, मैं कहीं भी जाती हूं तो कहते हैं कि आज

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तक स्कूलों के अन्दर काम नहीं हुआ है, हालांकि थोड़ा ही है, मैं धन्यवाद दूंगी इस सरकार को कि स्कूलों की मरम्मत के अन्दर पैसा खर्च किया। पूर्व सरकार ने तो कागजों में किया होगा मगर अब जो वर्तमान सरकार है, वास्तव में काम करके बताया है इसने। बच्चे भी बैठने में सुरक्षित हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, आपने मेरे को टाइम दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक विषय की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रदेश की एक बहुत गम्भीर समस्या बन गयी है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मंत्रीजी ने कई प्रशंसनीय कार्य किये हैं। जैसे वह महिलाओं के प्रति बहुत उदार हैं। महिला शिक्षा, विधवा और परित्यक्ता को, 400 महिलाओं को नौकरी दे दी। जो उच्च प्राथमिक शालाएं खुलेंगी उसमें 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। महिला विद्यालयों को अनुदान देने में भी वह बहुत उदार हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौन ? कौन ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : देखो, आपको तो प्रद्युम्नसिंह जी, तकलीफ होगी जो कुछ मैं बोलूंगा उसमें। आप थोड़ा धैर्य रखकर सुनो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे जनजाति क्षेत्र की दस बालिकाओं को वजीफा देना। तो मतलब बहुत उदार हैं और मुझे समझ में नहीं आया कि सूर्यकान्ताजी कह रही हैं हमारे क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं खोला। महिलाएं एम.एल.ए. हों या महिला अध्यापिका हो, वह बहुत उदार हैं, इस दृष्टि से वह धन्यवाद के पात्र भी हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस दृष्टि से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अध्यापकों के चयन में मैरिट कर दी है। पहले जिला परिषद में नहीं थी तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ। 15–15, 20–20 हजार रुपये एक एक अध्यापक से लिये। लेकिन सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने मैरिट कर दी। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मैं विशेष ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि यह पिछली बार मैंने रखी थी तो मैं यह तो नहीं समझ सकता कि मंत्रीजी समझ गये हों और उस पर एक्शन नहीं करें। मैं यही समझता हूं, मैं उनको शायद समझा नहीं पाया। आज मैं कोशिश करूंगा, अध्यक्ष महोदय, और आप मेरी मदद करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी मदद करें, मैं आपकी करूंगा। सब बोलें, मैं आपकी मदद करूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं आखिरी वक्ता हूं।

श्री अध्यक्ष : आखिरी आप नहीं हैं अभी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अभी भी और हैं कोई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था, आखिरी दो तीन वक्ताओं के प्रति आप बहुत उदार रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको यदि होली से बोलना ज्यादा अच्छा लगता हो तो बोलिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं जिस समस्या पर बोल रहा हूं, आप बैल बजायेंगे ही नहीं।

यह जो मैरिट रखी है इस मेरिट में राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली सरकार को भी इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा में ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं पनपने दिया, इसलिये पिछली सरकार भी धन्यवाद की पात्र है। यह सरकार तो उस पर सख्ती से अमल कर रही है इसलिये उससे भी ज्यादा धन्यवाद की पात्र है। आज एस. टी. सी. में मैरिट से प्रवेश होगा, आज बी. एड. में प्री एक्जामिनेशन होगा। अब प्राइवेट कालेजेज में जो पैसा लेकर एडमिशन होता था वह बंद सरकार ने कर दिया, यह बहुत अच्छी बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज क्या हुआ ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पिछली ने भी कर दिया, आपको धन्यवाद देने वाला ही मैं मिलूंगा वरना आपने कोई धन्यवाद देने लायक काम किया ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में मेरिट से एस. टी. सी. में एडमिशन मिलेगा, प्री एक्जामिनेशन के बाद उसे बी. एड. में एडमिशन मिलेगा और जब वह परीक्षा पास करके जायगा तो उसके मार्क्स आयेंगे 55 पर्सेण्ट, 60 पर्सेण्ट। मैरिट के आधार पर दूसरी यूनिवर्सिटी के जो लोग अध्यापक के लिये प्रार्थना पत्र देते हैं उनके मार्क्स आते हैं 70 पर्सेण्ट, 75 पर्सेण्ट, 80 पर्सेण्ट और 85 पर्सेण्ट। जो यहां पर प्री एक्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं वह मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से, कानपुर की यूनिवर्सिटी से डिग्री लाते हैं बी. एड. की और उनके मार्क्स 75 पर्सेण्ट होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैरिट में मध्यप्रदेश के जो परीक्षा दे रहे हैं, फर्जी परीक्षा दे रहे हैं, जो कानपुर यूनिवर्सिटी से परीक्षा दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको नौकरियां मिल रही हैं, राजस्थान का यह नियमित पढ़ने वाला छात्र नौकरी से वंचित रह रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरी जानकारी में है, जो लोग मध्य प्रदेश गये नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद हैं। बारां में इन दिनों अध्यापकों का चयन हो रहा है। मैंने जिलाधीश से इस विषय में वार्ता की। उन्होंने संबंधित यूनिवर्सिटीज को पत्र लिखे कि क्या आपके यहां इस रोल नम्बर के विद्यार्थी ने परीक्षा दी है और मैं पांच पत्र देखकर आया हूं। पांच के ही जवाब आये है, अभी छठे का नहीं आया। पांचों का जवाब यह आया है कि इस विद्यार्थी ने हमारी यूनिवर्सिटी से परीक्षा नहीं दी। यदि इनकी जांच नहीं की गई तो सारे फर्जी लोगों को एडमीशन मिलेगा। राजस्थान का रेगुलर पढ़ने वाला विद्यार्थी जो मैरिट के आधार पर पढ़ता है, वह इससे महरूम रह जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस दृष्टि से कि सख्ती से कार्यवाही हो। मैं मंत्री महोदय आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करायें। बूंदी से वहां के ए. डी. एम. ने एक व्यक्ति भेज दिया कानपुर यूनिवर्सिटी,

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कानपुर यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि इस वर्ष हमारे यहां बी.एड. की परीक्षा ही नहीं हुई और उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है। विक्रम यूनिवर्सिटी का जवाब आ रहा है कि यह लड़का हमारे यहां आया ही नहीं, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैरिट करके क्या आपने यहां के राजस्थान के विद्यार्थी के साथ में अन्याय नहीं किया और क्या इसकी लार्ज स्केल पर जांच नहीं हो सकती, क्या यह स्कैंडल नहीं था और इसकी परीक्षा दिलाने वाले यहीं मौजूद हैं। हर नगर में एक एक परीक्षा दिलाने वाले मौजूद हैं, जिसके पास छपी हुई मोहरें हैं, छपे हुए सर्टिफिकेट हैं। मेरे मित्र की लड़की ने परीक्षा दी है। आधे पेपर दिये, आधे नहीं दिये, उसके पास फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट मौजूद है। यह आज जो समस्या हो गई है, जिसमें राजस्थान के विद्यार्थी के साथ में जो प्री एग्जामिनेशन देकर एडमीशन लेता है बी. एड. में और जिसके 60–62 प्रतिशत नम्बर हैं, आज त्राहि त्राहि मच रही है। उसको नौकरी नहीं मिल रही है और यह फर्जीवाड़ा एक जगह नहीं, समूचे राजस्थान में हो रहा है। यह आपके समय में ही शुरू हुआ प्रद्युम्न सिंह जी। यह आपकी जानकारी में ही शुरू हुआ था। आप हंस रहे हो, हम तो उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन को सम्बोधित करें, इनको नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका मैं इसीलिए तो आभारी हूं कि आप मुझे देखकर सम्बोधित कर रहे हैं और आपके हौसले बढ़ रहे है। आप बोलते जाइये चलिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है कि मैं राजस्थान के विद्यार्थी की व्यथा को कह रहा हूं और आप हंस रहे हैं। आपको हंसना चाहिए ? इस बात पर आपको कष्ट होना चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए कि यह ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस बात को पहले ही सदन में कह चुका हूं। पिछले भाषण में मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले, मध्य प्रदेश के मुकाबले, राजस्थान के विद्यार्थियों का स्टेंडर्ड बहुत अच्छा है। यहां के लड़के जा रहे हैं। यहां से आठवीं फेल वहां के फर्स्ट डिवीजन के सर्टिफिकेट ला रहे हैं। यहां उनको नौकरियां मिल रही है। आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत व्यवस्था है, उसको समाप्त कीजिए। यह रिकार्ड के ऊपर है बारां से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब आपने अपनी झोली में इतने धन्यवाद भर रखे है कि सबको एक एक धन्यवाद बांटेंगे तो सारा समय तो धन्यवाद में ही निकल जायेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह ऐसा विषय है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कि जिसने पहले धन्यवाद दिया, या फिर तमगा दिया जाये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपको भी काफी वेदना हुई होगी क्योंकि आप संवेदन-

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

शील हैं कि राजस्थान के विद्यार्थी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मुझे वेदना यह हो रही है कि समय ज्यादा हो रहा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष : कृपा करेंगे आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कृपा करेंगे बैठ जायें तो कोई बात नहीं। बोलिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आपको तो उदारता का परिचय देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : देखिये अभी तो माननीय सदस्य और चार मंत्री बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम एक माननीय मंत्रीजी की सब बात मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं वह अपनी बात तो कहेंगे, आपके मानने से क्या होता है। हां बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण राजस्थान के कई विद्यार्थी ओवर एज हो गये, ओवर एज होने जा रहे हैं। उनके मन में इतनी पीड़ा है कि यदि हमने राजस्थान में बी. एड. और एस. टी. सी. में एडमीशन नहीं लिया होता, हमने यदि मध्य प्रदेश, कानपुर या बिहार से लिया होता तो आज हमारी नौकरी लग गई होती और नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है अध्यक्ष महोदय, इसकी पीड़ा को मैं व्यक्त करना चाहता था कि यदि आपने लार्ज स्केल पर अपने स्टाफ को भी लगातार यदि फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करवा ली तो निश्चित रूप से राजस्थान के विद्यार्थी के साथ आप न्याय कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करूं, कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप बिना देखे ही कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग झालावाड़ के हाईकोर्ट में पहुंचे और हाईकोर्ट में उन्होंने एक दरखवास्त दी कि मध्य प्रदेश से केवल वही व्यक्ति परीक्षा दे सकता है, जो वहां का मूल निवासी है और वह मूल निवासी का सर्टिफिकेट देता है। जब वहां मूल निवासी हो गया और उसने मूल निवासी का प्रमाण-पत्र देकर वहां से परीक्षा पास की है, तो वह राजस्थान का मूल निवासी कैसे हो गया ? वहां के मूल निवासी के फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं। वहां दुकानें चल रही हैं फर्जी सर्टिफिकेट की। कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं, जो यहां से जाते भी नहीं है, यहां जो दलाल बैठे है, वह मूल निवासी का सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं, उनको परीक्षा दिलवाने के लिए वहां ले जाते हैं और तो नहीं जाये तो भी सर्टिफिकेट आ जाते हैं, तो यह अन्याय मंत्री महोदय दूर करेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि लार्ज स्केल पर चाहे कितना ही स्टाफ लगाना पड़े, इन यूनिवर्सिटीज में व्यक्तियों को भेजकर जितने लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं, चाहे यदि अध्यापकों की कमी है तो आप एडमीशन दे दें, एक बार उनको नौकरी दे दें, मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है लेकिन उनकी जांच करके उनको नौकरी से निकाला जाये तभी राजस्थान के विद्यार्थी

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

साथ न्याय होगा, वरना घोर अन्याय होगा। मैं समझता हूं आज मैं बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझा सका हूं। दूसरा निवेदन स्कूल खाली होने के संबंध में करना चाहता हूं। आप अपने इंसपैक्टर को या डिप्टी डायरेक्टर को अधिकार भी दीजिए, उत्तरदायित्व भी उस पर डालिये। अधिकार इस मायने में अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां हायर सेकेण्डरी स्कूल में एक अध्यापक थे, वह रोज शराब पीकर स्कूल में नाचते थे और लड़के ताली बजाते थे। उनका 7 बार ट्रांसफर हुआ और सातों बार कैंसिल हुआ।

मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया, मंत्री महोदय ने उनका ट्रांसफर किया बांसवाड़ा, लेकिन वह वापस आ गया बारां जिले में। आज वह स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन कोई यह देखने वाला नहीं है कि वह स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इंसपैक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को यह अधिकार दें कि वह अपने यहां जिस अध्यापक की गड़बड़ी समझते हैं, अनुभव करते हैं, वह वहां से तुरन्त रिलीव करके यहां भेज दें। वहीं से वहीं ट्रांसफर न करे हैड आफिस और यहां से आप लगाइये गंगानगर उसको। तो ऐसे लोगों....

श्री हेतराम बेनीवाल : वहां से वापस ही नहीं आयेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हेतराज जी वेनीवाल के पास। तो मेरा यह निवेदन है कि जैसा मैं एक निवेदन करना चाहूं, आप मेरी बात को....

श्री अध्यक्ष : अभी तो गंगानगर वाले बोलने वाले हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं रोडवेज में कंडक्टरों के संसपैंड करते ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं पांच साल तक घर की दुकान लगायेंगे, हाईकोर्ट से जीतकर आयेंगे, पूरी तनख्वाह लेंगे। एक सस्पैंडेड ड्राइवर ने तो रोडवेज की बस नीलाम करा ली कोटा में, कुर्क करा ली तो सस्पेंशन इनके लिए कोई दंड नहीं है। लेकिन आज सस्पेंशन का थोड़ा सिस्टम बदला है। वहां डिपो मैनेजर को यह अधिकार दिया है कि रिलीव करके हैड आफिस भेज दें, वहां से उसको लगा देते हैं बीकानेर, गंगानगर जैसलमेर। घर से दूर होता है तो उसको कष्ट होता है, तो आप इंसपैक्टर, या डिप्टी डायरेक्टर को यह अधिकार दें कि वहां से रिलीव करके भेज दें और फिर यदि स्कूल में कोई अध्यापक नहीं जाता है तो He must be liable.

मेर यहां एक स्कूल है, जिसका रिजल्ट रहा है। मैंने प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से कि मेरे स्कूल का रिजल्ट क्या रहा, सेकेण्डरी का 96 प्रतिशत फेल हुए थे क्योंकि वहां अध्यापक ही नहीं हैं। जो वहां विषय हैं, उस विषय के वहां अध्यापक नहीं हैं। आखिर किसी न किसी को तो उत्तरदायी ठहरायेंगे। आप वहां के इंसपैक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को इस बात के लिए उत्तरदायी बनायें कि किसी स्कूल में यदि जगह रह गई तो He will personaly be liable.

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

लेकिन उसको यह अधिकार भी दें कि वह उसको दंडित कर सके, वरना यह स्कूल जिनमें अध्यापक नहीं गये, तो ऐसा लगता है कि नीचे शिक्षा जगत में अराजकता फैल गई है। प्राइमरी स्कूल देखें, चाहे मिडिल स्कूल देखें चाहे सेकेण्डरी स्कूल देखें, मैंने केवल इन दो समस्याओं की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। जैसे वह महिलाओं के प्रति उदार हैं, ऐसे ही इन विद्यार्थियों के प्रति भी वह उदार होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल। आपने बहुत अच्छा समझा दिया आज।

(6.00 सांय)

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में शहरों में प्राइमरी एज्युकेशन जो हमारी है वह राज्य सरकार की तरफ से सिवाय हरिजन वार्डों के और हरिजन एरियाज के करीब है ही नहीं। एक गांव बचा है जहां स्कूल-शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के हाई स्कूल और मिडिल स्कूल चल रहे हैं। मैं अध्यक्षजी, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से, शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने ट्रान्सफर्स की नीति अपनायी है और रेस्ट्रेन रखा है दो साल तक मैं इस बात के लिये राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। शिक्षा के सिलसिले में ट्रान्सफर नहीं करना निश्चित तौर पर अच्छा रहा पर सबसे बड़ी बात हो रही है वह यह है कि गांवों के अन्दर शिक्षक जाते ही नहीं, गांवों के अन्दर यह बीमारी है, 15–15, 20–20, 30–30 किलोमीटर तक अप डाउन करते हैं या डेप्युटेशन हो रहा है। एक स्कूल जिसके अन्दर पूरा स्टाफ है कागजों में दर्ज है, तनख्वाह वहीं से लेते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक हाई स्कूल में 4-4, 5-5 लोग वहां पर डेप्युटेशन पर बैठे हैं, तनख्वाह वहीं से ले रहे हैं पूरी तरह हाई स्कूल वीरान है। इसी लिहाज से मैं कहना चाहूंगा कि एक चीज को तय करें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे खुद के जिले गंगानगर में एक इन्स्पैक्टर्स आफ स्कूल्स है, पहले एक इन्स्पैक्टर्स आफ स्कूल्स थे आज से छः महीने पहले उनके इन्क्वायरी हुयी वह अपने दफ्तर में कभी आते ही नहीं थे। दफ्तर के बाहर माननीय कौशलजी अभी कह रहे थे कि गंगानगर भेज दें। गंगानगर भेजने के बाद तो वह शराब के टेंक में डूब जाता है। माननीय इन्स्पैक्टर थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतरामजी यह डबल काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप उनकी मांगों के लिये उनको ओवर सिक्योरिटी दे रहे हो। अब सरकार एक्शन ले ही नहीं सकती। क्या लेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यही कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : तो उसको कम कराइये, मांग यह करिये कि ओवर सिक्योरिटी खत्म हो, कम हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यही कह रहा हूं कि उनकी मांगें ना स्वीकार करके

(श्री हेतराम बेनीवाल)

राज्य सरकार ने उन लोगों को छुट्टी दे दी उसकी मांगें स्वीकार नहीं होगी, उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ग्रेडस नहीं मिलेंगे, वह जो मर्जी आये गड़बड़ी करें, वह अपना प्राइवेट बिजनेस करें, प्राइवेट धन्धा करें और कोई खोले स्कूल जाय न जाय इसकी प्रोसपेरिटी रखी। मुझे मेरा निवेदन यही करना है कि राज्य सरकार उनकी मांगों के बारे में ध्यान दें इनको ग्रेडस दें और उनको जो सुविधाएं दे सकती हैं दें पर यह ध्यान रखें कि सिर्फ स्कूलें क्रमोन्नत करना और यहां तालियां बजवाने से स्कूल में शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा। निश्चित रूप से राज्य सरकार जब....

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत अच्छा पाइंट उठाया। धन्यवाद।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में कन्सालिडेट करके और जो कुछ शिक्षा में हो सकता है करें। दूसरा, निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां, मेरे क्षेत्र में गंगानगर जिले में एक बहुत बड़ा इन्स्टीट्यूशन है सांगरिया। राजस्थान की सबसे पुरानी शिक्षा संस्थान है उसकी स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार के एड के बिना चल नहीं सकता और उस संस्थान की इतनी बुरी हालत है कि आज उस संस्थान में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोई एड नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह से गंगानगर में बहुत बड़ी इन्स्टीट्यूशन है खालसा कालेज। सारी इन्स्टीट्यूशन के अन्दर यह अराजकता की स्थिति आ गयी है कि मैनेजमेण्ट पूरी तरह से इण्डस्ट्री की तरह से उस इन्स्टीट्यूशन को चला रहे हैं। राज्य सरकार को चाहिये, शिक्षा विभाग को कि जो इण्डस्ट्री की तरह इन्स्टीट्यूशन चलती है उसमें अपनी एड देती है, 90 परसेंट एड राज्य सरकार देती है उस एड के देते हुये अपना कन्ट्रोल रखने के बजाय मनमाने ढंग से उसके प्रशासक उस इन्स्टीट्यूशन को चलाते हैं। इस मामले में दखल देनी चाहिये। मैं यह चाहूंगा कि गंगानगर जिले में, एक तो निवेदन करूंगा कि इन्होंने जो कुछ अपना नक्शा पेश किया है राजस्थान में इस बेलेन्स एज्यूकेशन के मामले में अगर पैदा होता है तो इस बात से पैदा होता है कि पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान क्षेत्र में जो भी सरकार आयी, जिसकी सत्ता रही उन्होंने टेक्निकल कालेज एज्युकेशन वह खोल लेती और इस मामले में जिस क्षेत्र में राजनैतिक प्रभुत्व नहीं हो वहां पिछड़ा हुआ रहा है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी कि जिन क्षेत्रों में टेक्निकल एज्युकेशन नहीं हो, मैं गंगानगर की मिसाल देना चाहूंगा सारे गंगानगर जिले में 30 लाख की आबादी में कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिये कोई इन्स्टीट्यूशन नहीं है। यहां तक कि प्राइवेट संस्थान ने परमिशन मांगी तो नहीं मिली और प्राइवेट संस्थान भी नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन नाम के लिहाज से वहां सिवाय आई.टी. आई. के कोई संस्थान नहीं है। तो ऐसे मामले में राज्य सरकार को चाहिये कि टेक्निकल एज्युकेशन के लिहाज से वह क्षेत्र जो राजस्थान में सबसे बड़ा है कृषि के लिहाज से बना हुआ है उस क्षेत्र में इस मामले में टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से ध्यान दें। मैं यह चाहूंगा कि जो मापदण्ड स्कूलों को क्रमोन्नत करने के बारे में कि

(श्री हेतराम बेनीवाल)

किस स्कूल को क्रमोन्नत किया जायेगा। अगर वास्तव में राज्य सरकार यह सोचती है कि वह हर इलाके के साथ न्याय करें तो उनको हाउस के अन्दर अनांउस करना चाहिये कि हम किस किस स्टेण्डर्ड, क्या मापदण्ड अपनाये किसी स्कूल को क्रमोन्नत करने में, किसी इन्स्टीट्यूशन को क्रमोन्नत करने का और उसी अनुसार करेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी उस बात का वायदा हाउस से करेंगे। इस स्टेण्डर्ड के अनुसार इन्स्टीट्यूशन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव। (अनुपस्थित) श्री परसादीलाल मीणा।

एक माननीय सदस्य : डाक्टर साहब बोल लेंगे।

डा. चन्द्रभान : हमारी पार्टी का नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम तो नहीं है।

डा. चन्द्रभान : होगा नाम।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट में भी नहीं है। रामेश्वरजी का नाम है।

डा. चन्द्रभान : उनकी जगह बोल लूं, हमारी पार्टी के हैं रामेश्वरजी यादव।

श्री अध्यक्ष : वह आ जायेंगे। वह कहीं गये हैं क्या? जब तक आ जायेंगे नहीं तो आप बोल लेना।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग की मांगों पर जो बहस हो रही है उसमें मैंने भी कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। सरकार हर बार बजट में एक लाइन लिख देती है कि गांव पर 61 पर्सेण्ट राशि खर्च की जा रही है, 60 प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सही जानकारी से अवगत कराऊंगा कि गांवों के लिये जिन चीजों की घोषणाएं की जाती है विकास में स्कूल खोलेंगे, अध्यापक लगायेंगे, गांवों को विद्युतीकृत करेंगे। पर सारा कागजों में किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों की स्कूलों में जो मिडिल स्कूलें हैं जिनको 3-4-5 साल पहले अप ग्रेड करके प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनायी है वहां पर एक एक टीचर्स से स्कूलें चलायी जा रही है, 8–8 कक्षाएं एक अध्यापक चला रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज गांवों की हालत है कि जब स्कूलें खोली जाती हैं तो डवलपमैण्ट के मार्फत 5 अध्यापक होते हैं और स्कूल खुलते ही उनको विथड्रा कर लेती हैं पंचायत समिति और एक अध्यापक हैड मास्टर के रूप में भेजती हैं वह एक दो साल तक उन स्कूलों को चलाता है।

मेरे दौसा जिले में करीब 40–50 स्कूल ऐसे हैं 2-2, 3–3 अध्यापकों से मिडिल स्कूलों को चलाया जा रहा है। मेहरबानी करके शिक्षा मंत्रीजी मेरी ओर आप ध्यान दें। जो मिडिल स्कूल 2–2, 3–3 अध्यापकों से चलाये जा रहे हैं, मैंने आपको एक दो बार मिल कर भी कहा था कि इसको तो बन्द ही किया जा चुका है छः महीने से ऐसे स्कूल भी गांवों में हैं आप शहरों में देख लें शिक्षा मंत्रीजी शहरों में एक्सेस पोस्टें मिलेगी। गांव के अध्यापक को शहरों में लाकर लगा देते हैं पर गांव में

(श्री परसादीलाल मीणा)

किसी भी स्कूल में आप नहीं बता सकते कि वहां पर कोई सरप्लस टीचर्स हैं। गांव में आप कहीं भी कही बता सकते एक भी सरप्लस किसी भी विद्यालय में हो तो। गांव की स्कूल छः छः महीनों तक बन्द हो जाती है वहां पर अध्यापक जाते ही नहीं है। यह मिडिल स्कूलों की हालत है। मैं कहना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी प्राइमरी स्कूल आपने डवलपमेण्ट डिपार्टमेण्ट को दे रखी है और आपने गत वर्ष का बजट सदन से पास करवा लिया है। जिन प्राइमरी स्कूलों को आज खोली है, 5 हजार स्कूलें तो एक दिन में बन्द कर दी सरकार बनते ही आपने उनको खोलने में उदारता नहीं बरती। मार्च में आपने बजट पेश करके पास कराया था। वह स्कूलें आपने फरवरी, 92 में खोली है।

मैं कहना चाहूंगा पंचायत राज मंत्रीजी आप गांव से आये हुए बैठे हैं आपके इलाके में आपने स्कूलें चालू करा लीं क्या? आपको इतना भी होश नहीं कि यह स्कूलें फरवरी में खुलेंगी, उनके आदेश फरवरी में निकलेंगे तो यह स्कूलें चालू कब होंगी। विद्यार्थी कहां से आयेंगे और अध्यापक कहां से लगायेंगे। आपको पंचायत राज मंत्रीजी कहना चाहूंगा जिला परिषद् में इतनी पोस्ट खाली पड़ी हैं। कल मैं एक प्रश्न पढ रहा था कि तीन हजार जिला परिषद् में आपने अध्यापकों को लगाने की स्वीकृतियां ही नहीं दी है। गांव की स्कूल कैसे चलेगी शहर में एक भी ऐसी स्कूल बता दें कि जहां पांच-दस टीचर कम हों। आपके गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल ऐसी बता दो जिसमें दो तीन से ज्यादा टीचर हों। आखिर गांव के लिए आप कहते हैं कि 61 प्रतिशत राशि गांव की स्कूलों में खर्च करेंगे गांव के विकास पर खर्च करेंगे परन्तु असलियत में कुछ यहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय गये साल में जो प्राइमरी स्कूलों का बजट था डेढ हजार का, उसका क्या हुआ? कितने अध्यापक लगाये, कितने स्कूलें खोली। आप एक भी स्कूल चालू नहीं कर पायें। मेहरबानी करके आप इस साल जो एक हजार स्कूल खोलने का बजट प्रावधान किया है आप इनको कब खोलेंगे। अगले मार्च में, या फिर फरवरी में खोलेंगे। आपका यह तो काम है, फिर आप कहेंगे कि हम तो गांव से आये हैं, गांव का विकास करेंगे। मैं कहता हूं कि आप गांव का सत्यानाश कर रहे हैं। आप जैसे मंत्री होकर, गांव के जन प्रतिनिधि होकर, गांव से चुनकर आने वाले जो किसान के रूप में आकर यहां बैठा है उसको यह होश नहीं कि मैं फरवरी में स्कूल खोल रहा हूं, जुलाई में खोल रहा हूं उनको यह पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह गांव की हालत हो गयी है। हम प्रश्न करेंगे माननीय सदस्य आपने देखा है कि इस सीनीयर हायर सेकेण्डरी स्कूल में फलां सब्जेक्ट के चार लेक्चरार नहीं है मैंने मंत्री महोदय से कहा था, मेरे रामगढ़ पचवारा में सीनियर हायर सेकण्डरी स्कूल है उसमें पांच विषय के लेक्चरार नहीं है। मैंने आपको लिखकर के दिया। कोटा से एक का ट्रान्सफर कराया उसको भी आज तक वहां पोस्टिंग नहीं किया तो उन बच्चों का क्या होगा? वह बच्चे कैसे पास होंगे? आप शहर की स्कूल बता दो, जहां किसी भी सब्जेक्ट की पोस्ट खाली हो, आप गांव के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप गांव के लोगों के यहां यह सोचकर अध्यापक

(श्री परसादी लाल मीणा)

नहीं लगाते हैं कि यह गांव के लोग ज्यादा पढ़ जायेंगे तो हम शहर वालों को इधर उधर नहीं कर दें। आपको थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए कि हम गांव की स्कूल खोल देते हैं। आप चाहे कम स्कूल खोलें, हम नहीं कहते कि ज्यादा खोलो पर इन स्कूल को इस तरह से डवलप करिये कि वहां पर पूरे अध्यापक हों, पूरी सुविधा हो, बिल्डिग आप बनाते नहीं हैं, गांव वाले बिल्डिग बनाते हैं, गांव वाले सब कुछ बनाने को तैयार हैं। अध्यापक की पोस्टें है, उसके लिए आप जिला शिक्षा अधिकारियों को कहिए। वह कहते हैं कि आपने डवलमेण्ट की प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत किया है वहीं यह हुआ कि डवलपमेण्ट की पोस्टें विथड्रा कर ली। फिर आपने उनको पांच-पांच ऐसे मिडिल स्कूलें हैं जिनके लिए मैंने इनको कई बार कहा कि वहां एक भी टीचर नहीं है। बताइये किस तरह से बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे, तो मेहरबानी करके जो गांव की स्कूलें हैं उनकी तरफ ध्यान दें। आपने स्कूलें बहुत खोलीं। गत साल आपने कहा था कि 141 सेकण्डरी स्कूलों को खोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा राजनैतिक आधार पर हो रहा है। न किसी एम. एल. ए. से पूछा, न मापदण्ड तय किये कि कहां खोलेंगे कहां नहीं खोलेंगे। किस हायर सेकेण्डरी स्कूल को आप अप ग्रेड करेंगे। सारा राजनैतिक आधार पर किया है मैं कई बार मंत्री महोदय से मिला और निवेदन किया कि लालसोट तहसील जो तहसील मुख्यालय है आप वहां बालिकाओं की स्कूल को क्रमोन्नत कर दीजिए। आपने एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में कहीं पांच-पांच स्कूलें खोल दीं। आप भी कांग्रेस के टाइम पर एम.एल.ए. थे शिक्षा मंत्रीजी, क्या हमारे राज में आपके यहां पर नहीं खोली? मंत्री पहली बार आये हैं। आपने बहुत स्कूलें खुलवायी थी हमारे राज में। आप हमारे कांग्रेस के एम. एल.ए. के एक भी स्कूल नहीं खोल सके और तो और मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रीजी ने वायदा कर लिया, लालसोट से डेपुटेशन आया, उनसे वादा, कर लिया कि भवन बना दें, मैं कालेज खोल दूंगा। भवन बना दिया, वहां आपके डायरक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी मौका देख आये और गांव वालों को कहा पांच लाख देओ, फर्नीचर के लिए और दूसरी चीजों के लिए तो इसी साल कॉलेज मंजूर करा दूंगा। आपने हमको अंगूठा दिखा दिया। हमने पांच लाख रुपये इकट्ठे किये तब तक आपने कॉलेज दूसरी जगह खोल दिये। इस तरह अन्याय तो मत करिये। आपने इस साल बजट में कोई कॉलेज का प्रावधान नहीं रखा। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जब गांव के लोगों ने भवन बनाकर एक बिल्डिग तैयार कर दी और इस आशा से कर दी कि हमारे यहाँ इस साल कॉलेज खुल जायेगा। इस साल का बजट देखा तो उसमें एक भी कॉलेज नहीं हैं। यह कहां का न्याय है? आप कॉलेज का प्रावधान अपने मुख्य मंत्री महोदय से कहकर, दो चार पांच सात कॉलेज का प्रावधान रखिए। जिन इलाकों में 40-50 किलोमीटर तक कॉलेज नहीं है और जहां के लड़कों के दूर जाकर एडमिशन नहीं हो सकते हैं उन क्षेत्रों को आप चुनिए. आपने बयाना में खोल दिया, आपने सलूम्बर में खोल दिया, आपने भवानी मण्डी में खोल दिया। बालोतरा में खोल दिया। जहां-जहां आपके एम.एल.ए. और एम.पी.

(श्री परसादीलाल मीणा)

अपने चुनाव में जहां पर वायदा कर आये वहां पर कॉलेज खोल दिया। आपने न तो जनता का ध्यान रखा न कॉलेज खोलते समय इलाके का ध्यान रखा न मापदण्डों का ध्यान रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉलेजों में बहुत बड़ी संख्या में हजार डेढ़ हजार व्याख्याता हैं, लेक्चरार हैं उनको आपने अस्थायी क्यों रख रखा है। आप उनको वही तनख्वाह देते हैं, वही सुविधाएं देते हैं। स्थायी और अस्थायी में कोई एक पैसे का भी फर्क नहीं है। आपने अस्थायी शब्द फिर क्यों लगा रखा है। क्यों तलवार लटका रखी है। शिक्षा मंत्रीजी आप भी प्रोफेसर थे आप भी यह मांग करते थे। आज आप खुद ही इस मांग को पूरा करने वाले हो गये तो नीची गर्दन करके बैठ गये। आपके साथी हैं, आपको उदारता से सोचना चाहिए, कल फिर वहां जाना है। आप किस नाक से दुबारा जाओगे? क्या कहोगे कि मैंने वायदा किया वह पूरा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर माननीय रघुवीरसिंहजी कौशल ने जो बात कही वह वास्तव में शत प्रतिशत सही है कि हमारे यहां के प्रशिक्षित अध्यापक हैं वह ओवर ऐज हो रहे हैं। वह जिन्दगी भर के लिए बेरोजगार होते जा रहे हैं और उनके लिए कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है, आप उनको भी उसी मैरिट पर रख रहे हैं। उनके लिए चाहे पांच प्रतिशत या दो प्रतिशत कोटा रखिए और एक मानवीय आधार अपनाकर ऐसे जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो ओवर ऐज होने वाले हैं आप उनको मानवीयता के आधार पर प्राथमिकता से अध्यापक के पद पर लगायें। मैं कहूंगा कि राजस्थान में जो मेरिट का सिस्टम बनाया है इससे भ्रष्टाचार पनपा है। मेरे इलाके के कई लोग यू.पी., मध्यप्रदेश जाकर फर्जी डिग्रियां लेकर अध्यापक हैं। वह हमने देखा है मैं आपको उदाहरण दूं। मेरे गांव का एक लड़का आठवीं फेल था आज एम.पी. जाकर एम.ए. की डिग्री ले आया, बी.एड. की डिग्री ले आया। आपके राज में वह अध्यापक लग गया। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो आठवीं फैल वाले टीचर बन गये। एम.ए., बी.ए. पास जो अध्यापक हैं जो बी.एड. की परीक्षा पास कर चुके हैं आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। आप मेहरबानी करके राजस्थान सरकार को यह करना चाहिए कि जब तक हमारे राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा पास करते हैं वह जब तक लग नहीं जाय जब तक उनको अध्यापक नहीं लगाया जाय, तब तक बाहर की जो फर्जी डिग्रियां लाते हैं चाहे मध्यप्रदेश की हो, चाहे यू.पी. की हो चाहे महाराष्ट्र की हो उन पर रोक लगायें कि बाहर की डिग्री वाले, बाहर के कॉलेजों से बी.एड. करने वालों को हम अध्यापक जब तक नहीं लगायेंगे जब तक राजस्थान के कॉलेजों से बी.एड. जिन्होंने परीक्षा देकर पास की है और विधिवत ट्रेनिंग पूरी की है। जब तक उनको नहीं लगा देते हैं तब तक उनको मत लगाइये जो बाहर से आकर हमारे सर पर बैठ जाते हैं और हमारे भाइयों का हक छीन लेते हैं। उन लोगों को तब तक हलग रखिए जब तक राजस्थान के सब लोग नहीं लगते हैं। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

232

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन (व्यवधान) आप आ गये ? आप क्या बोलेंगे ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरे पहले डाक्टर चन्द्रभान का नाम है ।

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नाम है, मैंने दिया है ।

श्री अध्यक्ष : बोलना है तो बुलवा देता हूं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपको बोलने दीजिए ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, दोनों को बुलवाइये । जब सबको बुलवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष ; अच्छा दोनों बोल दें ।

डा. चन्द्रभान : हम हमारे समय को कम कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप बोलेंगे । बोल लीजिए ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 के बारे में सदन में जो चर्चा चल रही है उसके सम्बन्ध में मैं संक्षेप में मेरे विचार रखना चाहूंगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की जो कमी है । जिसके सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और माननीय शिक्षा मन्त्रीजी आपको तो सारे राजस्थान के बारे में जानकारी है जिस ढंग से शिक्षकों की कमी है और छात्रों के जीवन का जो प्रश्न उससे जुड़ा है लेकिन सरकार ने उसको आज तक गम्भीरता से नहीं लिया । मैंने आपको पत्र से और मौखिक तौर पर कहा । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम हस्तेड़ा व खेजरोली में सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं । हस्तेड़ा में 18 और खेजरोली में 26 अध्यापकों की कमी चल रही है । प्रिंसिपल नहीं है और वाइस प्रिंसीपल नहीं है । फिजीक्स, कैमेस्ट्री, बायलॉजी, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट जिनमें प्रेक्टिकल होने हैं उसके अन्दर जो लेक्चरार या अध्यापक हैं वह सेशन जब से चला तब से आज तक अध्यापक नहीं हैं ।

वहां के छात्रों ने रोष व्यक्त किया, हड़ताल की, सरकार को नोटिस दिया मैंने भी आपको यह सूचना दी । आपने यह भी कहा कि मैंने प्रिन्सीपल का पोस्टिंग किया है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, वह प्रिन्सीपल जिनका पोस्टिंग किया है, पहले भी प्रमोशन को छोड़ चुके हैं और अब फिर छोड़ रहे हैं क्योंकि जयपुर छोड़ना नहीं चाहते । इसलिये मेहरबानी करके अध्यापकों की जो कमी है उसको निश्चित रूप से सीरियसली टेक अप करना चाहिये । विद्यार्थियों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है, भविष्य जुड़ा हुआ है उसके साथ खिलवाड़ न करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्जी डिग्रियों के बारे में यहां काफी चर्चा हो चुकी है । मैं कहना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश के बाहर से जो डिग्रियां लेकर आते हैं, एक–एक डिग्री के आधार पर यू. पी. के लोग यहां पर तीन-तीन चार-चार भाई नौकरियां कर रहे हैं । मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

और आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं अगर कोई वन डे एण्ड वन टाइम सडन अगर कोई फिजिकल वेरीफिकेशन आफ सर्टीफिकेट्स होता है तो मैं समझता हूं इस तरह की जो फर्जी डिग्रियां हैं उनका भण्डाफोड़ निश्चित तौर से राजस्थान में होगा और हजारों लोग जो फर्जी तौर पर यहां नौकरियां कर रहे हैं वह आपके सामने आयेंगे। सरकार का कहना था कि हम भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीखो कमाओ योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अस्तेड़ा में एक करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। जब एक करोड़ का घोटाला पकड़ा गया तो हमने यह समझा था कि शायद इसमें निश्चित तौर से कोई सीरियस एक्शन होगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उस सीनियर हायर सेकण्डरी स्कूल के जो प्रिंसीपल थे उनको सस्पेण्ड जरूर किया। एक दो कोई कर्मचारियों को सस्पेण्ड किया होगा। लेकिन जिस डाइरेक्टर ने बीकानेर आफिस में एक दिन में 83 लाख का पेमेंट किया क्या यह कोई षडयन्त्र नहीं था।........

(6.22 सांय)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपके विभाग के ऊंचे पदों पर चाहे डाइरेक्टर हों, चाहे शिक्षा सचिव हो उसमें सारे इन्वाल्व थे और उन्होंने उस प्रिन्सीपल को बुलवाकर के उनसे साइन करवा कर के जो कुछ भी किया यहां जयपुर में किया। उस सीनियर हायर सेकण्डरी स्कूल में एक टेबल या स्टूल नहीं बनी और 83 लाख का पेमेंट एक दिन में वहां हुआ है और उसमें मात्र एक प्रिन्सीपल को निलम्बित इसलिए किया कि वह दुर्भाग्य से शैडयूल्ड ट्राइब का सदस्य है। आपने उस एक को सस्पैण्ड कर दिया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 83 लाख का पेमेंट डाइरेक्टर के यहां से एक दिन का पेमेंट है क्या उसमें और ऊंचे अधिकारी उसमें सम्मिलित नहीं हैं? आपने आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की। सरकार से मेरी मांग है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें ऐसा मत कीजिये। एक छोटा कर्मचारी है उसको इन्वाल्व करके उसकी आप लीपा-पोती करना चाहते हैं। साथ ही मैं कुछ चौमूं क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। चौमूं जयपुर के काफी नजदीक कस्बा है। जयपुर में बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि इसके जो इर्दगिर्द के जितने कस्बे है उनका डवलपमेंट करें। चौमूं के अन्दर अगर कोई पोलोटैक्नीकल कालेज या आई. टी. आई. स्कूल हो तो निश्चित तौर से जयपुर के अन्दर उसका दबाव कम पड़ेगा। मेरे क्षेत्र में ही जहां कालाडेरा महाविद्यालय है सन् 1960, 1961 में स्वर्गीय सेठ श्री रामेश्वर लाल जी सेहरिया ने जहां दो होस्टल, जहां मेन बिल्डिंग और लैक्चरर्स के 40 क्वार्टर्स और 200, 250 बीघा पक्की जमीन वह सारा मेनटेन करके और राज्य सरकार को सुपुर्द करके वहां कालेज खुलवाया। वहां पर आर्ट साइन्स कामर्स के दो सबजेक्ट शुरू से थे आज भी वही सब्जेक्ट्स हैं मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे कालेज को तीस-तीस साल से अभी तक उसको क्रमोन्नत नहीं किया है उसको पी. जी. कालेज

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

के रूप में उसको क्रमोन्नत करते हैं तो निश्चित तौर से जो जयपुर पर दबाव बढ़ता जा रहा है उसमें कमी आयेगी। मैने अन्य जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको सदन में रखते हुए अन्त में मैं एक और राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि हाल ही में बसंत मेले के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी चौमू पधारे थे और उन्होंने वहां स्टेडियम निर्माण करवाने के लिए जमीन का एलोकेशन भी हुआ है। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि चौमूं के अन्दर एक स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये और उसमें जन सहयोग का जितना पैसा होगा हम किसी दान दाता से निश्चित रूप से उसमें सहयोग करेंगे और मैं समझता हूं कि ऐसे नार्म्स तो माननीय मंत्री जी पहले भी कह रहे थे कि कुछ पैसा जिला प्रशासन से, कुछ सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कुछ राज्य सरकार से और अगर कुछ पैसा दान दाता देते हैं तो निश्चित तौर से हम स्टेडियम का इस तरह से निर्माण कर सकते हैं। जन सहयोग का जो दो पांच लाख होगा उसको हम निश्चित तौर से सरकार को सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को सदन में रखता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान तो सभी माननीय सदस्यों ने खींचा, मैं कला एवं संस्कृति मंत्री जी का ध्यान भी खीचूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद शिक्षा का विस्तार तो हुआ है। यह एक हकीकत है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि विस्तार के साथ साथ में शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आई है। गांवों में स्कूलें खुलीं, शहरों और कस्बों में खुलीं। अध्यापकों की नियुक्ति भी आपने की, कालेज यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल और टैक्नीकल इन्स्टीट्यूशन्स भी प्रदेश में बने लेकिन कुल मिलाकर इन शिक्षण संस्थाओं में चाहे वह प्राथमिक हों, माध्यमिक हों, तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्थान हों जिस तरह का शैक्षणिक माहौल बनना चाहिये था वह बनने की बजाय बिगड़ रहा है। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री जी तकनीकी शिक्षा मंत्री जी और पंचायत राज मंत्री जी भी आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें कि यह जो माहौल खराब हो रहा है और यही एक मुख्य वजह है। उपाध्यक्ष महोदय सरकारी स्कूलों की कोई क्रेडिटेबिलिटी नहीं रह गई है। आज जो शिक्षित वर्ग है या कहना चाहिये समाज का मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना ज्यादा मुनासिब समझता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से मैं एक निवेदन करूंगा और एक सुझाव दूंगा कि इस संविधान में जो व्यवस्था थी उसकी बात तो छोड़िये लेकिन सब लोगों को समान शिक्षा और मुफ्त नहीं तो सस्ती शिक्षा मिले इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिये

(डा. चन्द्रभान)

और जिस तरह से सरकारी स्कूलों के स्तर में गिरावट आई है और कहना चाहिये कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने शिक्षा जैसे पवित्र प्रोफेशन को धन कमाने का साधन भी मान लिया है। इसलिए यदि सरकार इस पर पाबन्दी लगा दे कि जो पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल में हैं उनमें अध्ययन करने वाले प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में जायें। जो लोग सरकारी स्कूल में अध्ययन करेंगे उनको सरकारी सेवा में रखा जावेगा। अध्यक्ष महोदय, निजीकरण का माहौल आपको बहुत अच्छा लगता है और देश में भी ऐसा माहौल बनता जा रहा है और थोड़े दिनों बाद में यह भी इस देश के सामने यह सवाल आ जायेगा कि सरकारें भी कम्पनियां चला लें। अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि निजी शिक्षण संस्थाओं का भी विस्तार होना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखना है। मैं कैपिटेशन फीस की दुबारा यहां पुनरावृत्ति तो नहीं करूंगा उसमें मैं इतना ही सुझाव देना चाहूंगा कि डोनेशन और कैपीटेशन फीस नहीं बढ़ाना चाहिये, शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभा और मैरिट ही मुख्य आधार होना चाहिये। निजी शिक्षण संस्थायें खुलती हैं तो उसके साथ में धन के प्रभाव वाले जो लोग हैं उन्हीं को प्रवेश मिले इसके ऊपर सरकार की ओर से पाबन्दी होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के ऊपर सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिये और मैरिट को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिये इसी के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि साक्षरता की दर तो हमारे यहां बढ़ी है लेकिन अफसोस इस बात का है कि महिला साक्षरता की दर हमारे यहां पर सबसे कम है। बिहार को छोड़कर सबसे कम महिला शिक्षा का विस्तार या कहना चाहिये साक्षरता का विस्तार राजस्थान प्रदेश में हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। वे झुंझनू गये थे, मेरे क्षेत्र में गये थे। वहां उन्होंने घोषणा कर दी कि सम्पूर्ण साक्षरता में हमने पहले अजमेर को लिया, बाद में भरतपुर, डूंगरपुर और सीकर को रखा और अब आपके झुंझनू को लिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि आपका बजट भाषण भी हो गया, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव भी हो गया और आज डिमाण्ड भी हो रही है, लेकिन झुन्झुनू को सम्पूर्ण साक्षरता वाले जिले में लिये जाने की कहीं कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। इसका क्राइटेरिया क्या है? अजमेर जयपुर और कोटा को छोड़ दिया जाय, चूंकि वहां शहरों में साक्षरता ज्यादा है तो झुन्झुनू ही एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता है, सबसे ज्यादा महिला शिक्षा और रूरल एजुकेशन है।

चूंकि समय का अभाव है और अभी माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दे दिये हैं, अन्त में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां नये-नये मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात उठी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। यहां डाक्टरों और इंजीनियरों का अभाव नहीं है, यहां जरूरत किसी की है तो वह है

(डा. चन्द्रभान)

नर्स। राजस्थान की क्या स्थिति है कि जहां एक और दो का रेशो होना चाहिए, यहां विपरीत है। डाक्टर ज्यादा हैं नर्स कम हैं। नर्सों की ज्यादा आवश्यकता है, कम्पाउण्डर्स की ज्यादा आवश्यकता है। उनके इन्स्टीट्यूशंस खुलने चाहिए। यहां, उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छा टेलर नहीं मिलेगा, अच्छा इलैक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, अच्छा कारपेण्टर नहीं मिलेगा, अच्छा मोटर मैकेनिक नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रानिक के युग में प्रवेश कर रहे हैं तो हमको आई.टी.आई. साउण्ड करनी चाहिए, उनमें नये–नये कोर्सेज शुरू करने चाहिए। उनके माध्यम से शिक्षा को रोजगार से भी हम जोड सकते हैं। ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत है, डाक्टरों और इंजीनियरों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : इसलिए डाक्टर विधायक बन जाते हैं।

डा. चन्द्रभान : डाक्टर विधायक बन जाते हैं फिर भी डाक्टरों का कोई अभाव नहीं है! माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां नहीं हैं, डाक्टरों की उन्होंने काफी नियुक्तियां की हैं, चाहे वे तदर्थ की हैं, अभी भी और चाहें तो जितने चाहें डाक्टर उनको उपलब्ध हैं। जितने इंजीनियर चाहें, आप लोगों को उपलब्ध हैं। मैन पावर आपके सामने है, तीन हजार से कम इंजीनियर नहीं हैं जो रोजगार की लाइन में खड़े हैं। आई.टी.आई. और पोलीटैक्निक को साउण्ड करने के लिए सरकार ने बजट में जो घोषणा की थी वह तो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से है। राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान नहीं किया है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

अन्त में यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ा केन्द्रीयकरण हो रहा है। नये मेडिकल कालेज खुलें, नये इंजीनियरिंग कालेज खुलें, नये पोलीटैक्निक कालेज खुलें, नये नर्सिंग कालेज खुलें तो वह खुलेंगे जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में जोधपुर में, बीकानेर में, डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर। मैं कहना चाहूंगा कि इनको जिला मुख्यालयों पर ले जाना चाहिए, विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालयों पर खोलना चाहिए। क्यों नहीं खोल सकते ?

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

अभी महिलाओं के महाविद्यालय खुलेंगे, क्रमोन्नत होंगे, वैसे तो कोई महाविद्यालय सरकार खोल नहीं रही है। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं जो जिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ही क्षेत्र ऐसा दुर्भाग्यशाली है जिसमें कोई कालेज नहीं। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो महिला महाविद्यालय खोलें वह झुंझुनू में खोलें वहां महिला शिक्षा भी ज्यादा है। झुंझुनू में भी मण्डावा में खोला जाना चाहिए।

कालेज टीचर्स और अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के बारे में काफी सुझाव आ गये। महणसर के लिए मैंने कहा था कि मेरे क्षेत्र में महणसर एक हायर सैकण्डरी स्कूल है। मैंने आप से तीन बार व्यक्तिगत स्तर पर भी निवेदन किया, पत्र भी लिखे और इस

(डा. चन्द्रभान)

स्कूल के टीचर्स भी आपसे मिले। चार साल से इन लोगों का साढ़े चार लाख रुपया बकाया पड़ा है। इनको वेतन भत्ता नहीं मिला। क्योंकि जो सेठ अनुदान देता था वह तो मिलता नहीं और आप देते हो 60–70 प्रतिशत। कृपया इस अनुदान को बढ़ाएं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 90 प्रतिशत कर दिया न।

डॉ. चन्द्रभान : नहीं किया, इस स्कूल का 60–70 प्रतिशत है 190 प्रतिशत कर दें, धन्यवाद।

अन्त में एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत अनियमितताएं हो रही हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी जांच कराएं, उनके पास पूरे पेपर्स भेज दूंगा। जो लड़का रिपीट करता है, लड़का हो या लड़की, वह जिस विषय में पहले परीक्षा पास करता है वही पेपर्स रख सकता है। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं कि जिन्होंने 1980–81 82 में एम.ए. किया और फिर 1990 और 1991 में रिपीट किया तो उनके पेपर्स ही बदल गये, उन्होंने पेपर्स चेंज कर लिये जब कि विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 169 [बी] के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता।

अब समय भी ज्यादा हो चुका है और अभाव भी है, मैं अन्त में फिर यही कहना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से....

श्री उपाध्यक्ष : सबकी ओर से धन्यवाद लेकर विराजो।

डा. चन्द्रभान : सबकी ओर से तो धन्यवाद आप देंगे, मैं दूंगा और पूरा सदन देगा माननीय मंत्री जी को। मंत्री जी के काम से तो मैं सन्तुष्ट हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि यहां शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए पूरे सदन को सहयोग करना चाहिए। पूरा सदन चिन्तित भी है कि वातावरण नहीं है। गांवों में जो शैक्षणिक वातावरण बिगड़ा है उससे ग्रामीण भावी पीढ़ी के सामने बहुत बड़ा खतरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति मंत्री जी से इतना ही अनुरोध करूंगा, शेखावटी में पर्यटन विकास के लिए हर बार आपसे अनुरोध करता हूं। प्रश्न भी करता हूं लेकिन कई बार प्रश्न आ नहीं पाते। वहां शेखावटी की हवेलियों में जो भित्ति चित्र हैं, जो कलाकृतियां हैं....(व्यवधान) नहीं, बहुत गम्भीर मामला है। आप इसकी जांच कराइये। वे चोरी होकर विदेश तक पहुंच गयी हैं, कृपया इसकी जांच कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया सुश्री पुष्पा जैन, कला और संस्कृति मंत्री।

मांग संख्या 24 का पारण

सुश्री पुष्पा जैन (पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की आभारी हूं कि उसने शिक्षा को इतना महत्व दिया। वास्तव में राजस्थान में शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही जो कला और संस्कृति राजस्थान की धरोहर है, जिसके कारण आज राजस्थान विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व का हर व्यक्ति

(सुश्री पुष्पा जैन)

राजस्थान आना चाहता है, बेहतर होता कि उस कला और संस्कृति के बारे में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये जाते, मेरा मार्गदर्शन किया जाता, विभाग के लोगों को एक राह दिखायी जाती। तब हमें बहुत सम्बल मिलता, बहुत ही बल मिलता।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारा आप में पूरा विश्वास है।

सुश्री पुष्पा जैन : पर, उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल, सोजत, सरदारपुरा, जोधपुर, उदयपुर, सुमेरपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनकी तो मुखबन्द से मांग पास करा दें और शिक्षा मंत्री जी से जवाब दिला दें, जाना है सबको अपने अपने क्षेत्र में।

सुश्री पुष्पा जैन : तारानगर, खैरवाड़ा, अटरू, बालोतरा, हिण्डोली, केशोरायपाटन, मसूदा, किशनगढ़, रायसिंहनगर, जैतारण, सागवाड़ा और मण्डावा के माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जो बातें कहीं, निश्चित रूप से उनका जवाब तो उन्हें दिया जाएगा। मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाती हूं अपनी तरफ से कि राजस्थान का कला और संस्कृति विभाग और राजस्थान सरकार इस बात के लिए सावचेत है और चाहती है कि राजस्थान का जो मौलिक स्वरूप कला और संस्कृति से ओत-प्रोत है उस मौलिक स्वरूप को यथावत रखा जाय, उसमें बढ़ोतरी की जाय, उस मौलिक स्वरूप को बिगाड़ा न जाय। यही कारण है कि हमारा हरदम यह प्रयास रहता है और हम राजस्थान की कला और संस्कृति की धरोहर के जो अविभाज्य हिस्से हैं उनको रखरखाव के लिए चिन्तित भी रखते है और राज्य सरकार की ओर से उस पर हम काम भी करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि कला और संस्कृति की नीति का निर्धारण अब तक नहीं किया गया। यद्यपि राजस्थान की कला और संस्कृति की अपनी नीति है लेकिन मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करती कि राजस्थान कला और संस्कृति की नीति जैसी होनी चाहिए आज भी हमारी नीति उस तरह निर्धारित नहीं की गयी है। उसका कारण सिर्फ विभागीय अधिकारी या मैं नहीं हूं, उसका कारण हैं आप लोग, उसका कारण है राजस्थान की जनता। मैंने कई बार इस सदन में भी कहा और इस सदन की मार्फत और सदन के बाहर राजस्थान की जनता, कलाकारों और कलाप्रेमियों का आह्वान भी करती हूं, और आज भी करना चाहती हूं कि वे हमें इस सम्बन्ध में पुख्ता सुझाव दें, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं नहीं चाहती कि जो नीति कागजों पर बन जाती है उस नीति से हम राजस्थान की कला और संस्कृति को चलाएं। मैं चाहती हूं कि राजस्थान की कला और संस्कृति की जो नीति है उसको व्यावहारिक होना चाहिए, राजस्थान के मौलिक स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। यह तभी सम्भव होगा जब राजस्थान के लोग, कला प्रेमी जागरूक होंगे और इस सम्बन्ध में हमारा पुख्ता मार्गदर्शन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी संस्कृति के बारे में। यद्यपि जो आदिवासी कलाकार

(सुश्री पुष्पा जैन)

हैं, राजस्थान का कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग पूरा प्रयास करता है कि इन कलाकारों को पूरा सम्मान यथावत मिले और उनके सम्मान में हम बढ़ोतरी कर सकें। इस सम्बन्ध में हम उन्हें राजस्थान से बाहर भी भेजते हैं, राजस्थान से बाहर ही नहीं देश से बाहर भी भेजते हैं। बल्कि कई आदिवासी और छोटे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने पूरे संसार का भ्रमण कर लिया है। गुलाबो, जिसके नाम से सारे संसार में धूम मची हुई है। जिस कला को कोई जानता नहीं था, जो कला राजस्थान में महज गाकर और नाचकर पैसा कमाने की एक कला थी, सपेरे लोग जब अपने सांप बाहर ले जाते थे, जब पेट की भूख मिटाने के लिये वे बच्चियां नाचती थी और लोग रुपया, दो रुपया, पांच रुपया फेंक जाते थे, वह राजस्थान की कला कालबेलिया आज पूरे संसार में प्रसिद्ध है बल्कि लोग लालायित होते हैं कि राजस्थान की कला संस्कृति के इस तरह के कलाकारों को हमारे यहां भेजो जो हम भेजते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो कला–संस्कृति के हिस्से हैं कहीं पर मूर्तियां, कई स्थानों पर कहा गया, बाड़मेर, झालावाड़ और भीनमाल, इन स्थानों की मूर्तियों के बारे में कहा गया कि वे बिखरी पड़ी हैं। यद्यपि मैंने स्वयं ने इस बात की जानकारी की है, झालावाड़ में काकोडी में मैं स्वयं मुख्य मंत्रीजी के साथ गई हूं, वहां की एम. पी. श्रीमती वसुन्धरा राजे भी हमारे साथ थी, वहां निश्चित रूप से कई मूर्तियां हमने देखी, पड़ी हुई थीं। उन मूर्तियों को जो हमारा म्यूजियम है, कोटा में, वहां रखवा दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान जहां पर इस तरह के अतुलनीय खजाना है, वहां पर हम म्यूजियम का निर्माण कर सकें और उन्हें यथावत रखकर के आने वाले पर्यटकों को, आने वाले लोगों उस कला और संस्कृति को दिखाया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सुझाव नहीं है। आप सुझाव देंगे, मैं उनका स्वागत करूंगी और आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहूंगी।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि राजस्थान के वार-त्योहार जो राजस्थान की कला-संस्कृति के प्रतीक हैं, उन वार–त्योहारों को वैसे ही मनाया जाना चाहिये जैसी कि राजस्थान की परम्परागत संस्कृति है। आप सब लोग होली मनाने जा रहे हैं, मैं माननीय सदस्यों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको, अध्यक्ष महोदय को और आपके मार्फत राजस्थान की जनता का आह्वान करती हूं कि होली त्योहार राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। इस त्योहार को बहुत ही अच्छे ढंग से, परम्परागत ढंग से मनाया जाना चाहिये। इसमें आपसी सद्‌भाव रहे, आपसी सौहार्द रहे और किसी तरह की कोई रंजिश नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान ध्यान रखा जाय। इसके साथ ही आप सभी के लिये होली की मंगलकामनाएं, मुबारकबाद और धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो समझ रहे थे कि मंत्री महोदया

(श्री चन्दनमल बैद)

हमको होली पर निमन्त्रण देगी कि हमारे यहां आये होली खेलना चाहें तो।

सुश्री पुष्पा जैन : इस होली के त्यौहार को यादगार बनाने के लिये हमने कल चौगान स्टेडियम में ऐलीफेंट फेस्टिवल और और चंग गायन का प्रोग्राम रखा है। मैं माननीय सदस्यों का और राजस्थान की जनता का आह्वान करती हूं कि आप आकर उसमें भाग लें और भाग नहीं ले सकें तो कम से कम उसकी देखें और सराहें और कलाकारों को प्रोत्साहित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सादर आमंत्रित हैं।

माननीय खर्रा साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया जो कह रही है कि होली बहुत अच्छा त्यौहार है, मैं कहती हूं कि गणगौर अच्छा त्यौहार है। होली में क्या करते हैं, कीचड़ उछालते हैं लोग। क्या अच्छा त्यौहार है ?

श्री उपाध्यक्ष : गणगौर का भी अपना महत्व है, होली का भी अपना महत्व है। सबका अपनी-अपनी जगह महत्व है।

श्री हरलालसिंह खर्रा (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव मुझे मिले हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनका उत्तर तो मैं अलग से उनके पास भिजवाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही बहस में माननीय सदस्यों ने और कटौती प्रस्ताव में भी 3–4 मुद्दे खास तौर से उठाये हैं। उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

पहला, प्राथमिक शालाएं देरी से खुली, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि प्राथमिक शालाएं देरी से खुलीं लेकिन इसके कई कारण थे। 1988–89 में करीब 2800 प्राथमिक शालाएं खुलीं और जब चुनाव होने वाले थे, मार्च तक उन्होंने 27 सौ शिक्षा केन्द्र और 28 सौ के करीब प्रा. शाला को शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित करके, इस तरह साढ़े पांच हजार खोलने के आदेश दिये। इनमें से करीब 4 हजार से कुछ कम शिक्षा केन्द्र इन्होंने चालू किये और इन्होंने वहां अध्यापक रखने के लिये वोलंटरी फोर्स खड़ा करने के लिये पंचायत समितियों को अधिकार दिये कि 400/– रुपये में आप मर्जी आये, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी को भी आप अपनी मर्जी से लगायें। जब हमने यह राज सम्भाला 4 मार्च, 1990 को तो पंचायत राज से हमेशा से रुचि रखने के कारण जब यह शिक्षा केन्द्र खोले गये और जब अध्यापक लगाये पंचायत समितियों में तो मुझे बहुत बुरा लगा कि गांव में प्राथमिक शिक्षा का स्तर तो गिरा हुआ है ही और जब यह बंटाधार करने पर लग गये। 400 रुपये में 10 किलोमीटर दूर जाकर कौन शिक्षा देगा। हमने शुरूआत में ही शिक्षा केन्द्रों को बन्द किया और यहां विधान सभा में आश्वासन भी दिया था कि 40 छात्र होंगे, एक साल शिक्षा केन्द्र चला होगा, जहां भवन होगा, हम वहां प्राथमिक शालायें खोलेंगे लेकिन मैंने जब सर्वे कराया, रिपोर्ट मांगी तो उन 4 हजार शिक्षा केन्द्रों में से 2 हजार शिक्षा केन्द्र ऐसे थे, कहीं 5 बालक, कहीं 7 बालक और कहीं 10 बालक, 40 में पहुंचने का

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

प्रश्न ही नहीं था। इस तरह से इन्होंने पूर्व सरकार ने शिक्षा केन्द्र खोलें। उस समय उन्होंने कहा था कि 220 की आबादी के गांव में हमने प्राथमिक शाला खोल दी। 300 की आबादी के गांव को छोड़कर आज 700-800 और की आबादी राजस्व गांव की तक के गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी असत्य भाषण कर रहे हैं। जो शिक्षा केन्द्र आप बता रहे हैं, 40 लड़कों का अध्ययन और जनता के सहयोग से भवन जहां उपलब्ध थे, मेरे क्षेत्र में आपने एक भी स्कूल नहीं खोला। आपने राजनीतिक आधार पर खोलें हैं। जहां 40 लड़के थे, जहां भवन था, वहां तो स्कूल नहीं खोला। यह गलत कहते हैं।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन करना यह है, मेरी पूरी कोशिश है, जिस कलक्टर ने रिपोर्ट की है....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने संविधान की शपथ ली है। आप असत्य भाषण कर रहे हो। आप यह कहिये कि हमने राजनीतिक आधार पर स्कूल खोले हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि जो प्रश्न हो बाद में पूछ लीजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जहां भवन था, वहां आपने एक भी स्कूल नहीं खोला। राजनीतिक आधार पर खोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादवजी, विराजिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मेरा निवेदन तो सुनिये।

एक माननीय सदस्य : असत्य कैसे बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : असत्य और सत्य की बात तो अब करें बन्द, पहले उनको सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1990 में ही शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिये। (व्यवधान)

श्री हरलालसिंह खर्रा : जब हमने राज सम्भाला, उस समय 5 हजार अन्ट्रेण्ड टीचर लगा रखे थे और उनको हमने हटाकर ट्रेण्ड टीचर लगाने की कोशिश की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चन्दनमलजी बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह कहा कि 700-800 की आबादी वाले गांव में स्कूल नहीं हैं। मैं उनको चेलेंज करता हूं, मुझे एक ऐसा गांव बता दो जो कि 700-800 की आबादी का हो....

श्री हरलालसिंह खर्रा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सैकड़ों गांव तो रेवेन्यू विलेज हैं जहां प्राथमिक शाला नहीं थी।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको चैलेंज करता हूं। (व्यवधान)

242..

श्री हरलालसिंह खर्रा : मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : बैठ जाइये, नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (उप मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 रेवेन्यू विलेज तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। मैं आपको नाम बता दूं। 15 गांव ऐसे हैं जो रेवेन्यू विलेज हैं और उनमें प्राइमरी स्कूल अभी तक नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आगे बोलने दीजिये। आगे कहने का तो मौका दो। खर्रा साहब, बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उनसे कह दीजिये कि हम उनकी मांग पास कर देंगे। असत्य भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बैठ जाइये। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई असत्य भाषण करने की जरूरत नहीं है यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : फरवरी में स्कूल खोले हैं और कहते हैं कि गांवों का विकास करेंगे।

श्री बुलाकी दासकल्ला : सदन से माफी मांगें। सदन को गुमराह किया है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित मत कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : × × ×

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माई इज योअर पाइण्ट आफ आर्डर। क्या पाइण्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर क्या है? विराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उनकी बात का प्रोटेस्ट कर दिया। उन्होंने 700–800 की बात की गलत की है, आपकी दृष्टि से पर्याप्त है, आपने प्रोटेस्ट कर दिया। अब आप उनकी बात को सुन लीजिए। हम यह थोड़े ही कह रहे हैं कि....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप बोलिए, आपको सुनेंगे। हम ऐसे असत्य भाषण, बिल्कुल सत्यता से परे नहीं सुनेंगे, ऐसे मंत्री को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : इन भोकनिया रोग को इलाज कोनी म्हॉर 'कन'। कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया विराजिये।

× × × माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जो असत्य भाषण होगा उसको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंत्री को नहीं सुनेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खर्रा साहब आप बोलिए । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

डा. चन्द्रभान : माननीय मंत्रीजी ने यह कहा....(व्यवधान)....

श्री अनंगकुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, उनके पहले मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि 700-800 की आबादी वाले रेवेन्यू विलेजेज हैं उनके अन्दर स्कूल्स नहीं खुली हैं । यह मंत्रीजी बता दें कि वहां पर स्कूल्स नहीं खुली हैं । वह तो सरकार में हैं, सूची भी दे सकते हैं । यह वह प्रमाणित कर दें कि 700-800 की आबादी वाले गांव में....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनिया : आप गांवों में नहीं गए हैं ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : जहां रेवेन्यू विलेज हैं वहां प्राइमरी स्कूल्स नहीं उनकी भी सूची दे दूंगा ।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह आंख निकाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : 700-800 की आबादी के विलेज हैं वह भी मैं आपको दे दूंगा । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : बतायें आप ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब आप उनको बोलने दीजिए । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : किसी भी एक पंचायत समिति में या गांव का नाम बता दें जहां पर 700-800 की आबादी है और स्कूल नहीं खुला है बस ।

श्री रामप्रताप कासनिया : और बता दें तब आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री खर्रा साहब बोलिए आप ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : शिक्षा केन्द्रों के बारे में जो कहा है मैंने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, गांव का नाम बता देंगे तो क्या इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं ?

श्री हरलालसिंह खर्रा : जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर शिक्षा केन्द्र खोले हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बोलने दें उनको । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इस्तीफे के लिए कौन से गांव का नाम बता रहे हैं, ये.... (व्यवधान)

श्री हरलालसिंह खर्रा : जहां प्राइमरी स्कूल नहीं खुली हो....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसे रेवेन्यू विलेज बता दें जहां पर स्कूल नहीं खुली है। हम चाहते हैं मंत्रीजी उन गांवों का नाम बता दें। हम उनकी बात को मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। बैठिए आप। आप बैठिए तो सही। माननीय श्री हरलालसिंह जी खर्रा।

श्री अनंगकुमार जैन : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य जब बोले तब मंत्री महोदय ने इनके सारे एतराज सुने। और जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो बार-बार उधर के माननीय सदस्य उठकर यह कहें कि असत्य भाषण दे रहे हैं मैं बताता हूं कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के 35 साल के शासन के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 गांव ऐसे हैं जहां पर 700 की आबादी है और वहां आज तक स्कूल नहीं है। अब तक नहीं खुले है। मैं उन गांवों के नाम बताता हूं कानसोवरा, गाजियामेल, मैं बता रहा हूं इनके अन्दर आज तक स्कूल नहीं है।....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है ? कौनसे नियमों का उल्लंघन हो रहा है ? यह कहने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ पंचायत समिति में 15 गांव ऐसे हैं....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह पाइन्ट आफ आर्डर किस पर है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरलालसिंह खर्रा। बैठिए डा. साहब आप उन्हें बोलने दीजिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए तो सही। कृपया....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : श्री खर्रा साहब बोलिए आप।

डा. चन्द्रभान : दोनों जोर-जोर से क्यों बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री खर्रा साहब आप शुरू कीजिए।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मैंने इस बात को पहले ही मान लिया कि प्राथमिक शालाएं खोलने में देरी हुई है, हमारे सर्वे कार्य में देरी हुई है और हम आगे जो 1 हजार स्कूलें आने वाले साल में खोलने वाले हैं उनके लिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि जुलाई के अन्दर-अन्दर वह 1 हजार स्कूल्स आबादी के हिसाब से, जो कि रेवेन्यू विलेजेज हैं जहां स्कूल नहीं हैं उनको पहले लेते हुए जुलाई के अन्दर-अन्दर खुल जायेंगी। माननीय सदस्य नाराज हो रहे हैं इस आदेश पर कि शिक्षा के अन्दर, जो प्राइमरी स्कूल खुली उनके लिए स्पष्ट आदेश है कि जहां

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

40 छात्र थे और एक साल स्कूल चला और जहां भवन है उनकी 7 दिन में रिपोर्ट दे दें, प्राइमरी स्कूल खुलनी है तो....(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 लड़के....(व्यवधान)....माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता की आवाज को बहुमत के आधार पर इस तरह से दबाया नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रतनलाल जी जाट, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री। माननीय श्री खर्रा साहब बिराजिए आप (व्यवधान)....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह क्षेत्र की जनता की आवाज को इस तरह से बहुमत के आधार पर दबाया नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी।....आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल जाट (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 पर....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य पहले चुनौती लें और इस्तीफा दें साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सराफ साहब। प्लीज। को-आपरेट दी चेयर।

श्री रतनलाल जाट : उच्च शिक्षा के बारे में जो मुद्दे उठाये हैं। आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु राजस्थान में 6 विश्वविद्यालय और 166 गवर्नमेंट कालेजेज एडेड और नान एडेड कार्यरत हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सन् 1985 के बाद एक भी महाविद्यालय पिछली सरकार के द्वारा नहीं खोला गया था लेकिन मुझे सूचना देते हुए हर्ष है कि इस सरकार ने गत वर्ष 2 महाविद्यालय खोले थे। एक राजस्थान के पिछड़े हुए इलाके कुंभलगढ़ में और दूसरा रतनगढ़ में....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : क्योंकि स्पीकर साहब वहां से हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपके जिले में खुला है।

श्री रतनलाल जाट : इस साल सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण की घोषणा को क्रियान्वित के रूप में 4 महाविद्यालय क्रमशः बयाना, बालोतरा, सलूम्बर में खोले हैं और भवानी मण्डी में अधिगृहित किया है, 10 नये सब्जेक्ट खोले हैं। इस साल की बजट की घोषणा के अनुसार राजस्थान में 3 नये डिग्री कालेजेज को पी.जी. कालेजेज में क्रमोन्नत किया जायेगा और 10 नये सब्जेक्ट खोले जायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बजट में पढ़ लिया परसादीलालजी, बहुत पहले बता दिया।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जोधपुर विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहूंगा कि जोधपुर विश्वविद्यालय का

246

(श्री रतनलाल जाट)

नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर कर दिया गया है...

श्री चन्दनमल बैद : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रतनलाल जाट : और इसके बारे में 3 मार्च, 1992 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जैन साहब, ना ना। गलत है आपका बोलना ऐसा। इस प्रकार की बात कह कर आप प्रवोक करते हैं और शान्ति को डिस्टर्ब करते हैं। नो, प्लीज। बैठिए आप।

श्री अनंग कुमार जैन : कह दीजिए कि असत्य भाषण दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप। (व्यवधान) मन्त्री तो आप सारे सदन के हैं और सरकार के हैं। (व्यवधान) बिराजिए आप।

श्री चन्दनमल बैद : यह सब ताडन के अधिकारी हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रतन लाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें एक मुद्दा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कालेजेज में कार्यरत टेम्प्रेरी और एडहाक लैक्चरर्स को परमानेंट करने के बारे में था। मैं आपके माध्यम से सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 1978 में एक आर्डिनेंस जारी किया था जिसका आशय यह था कि इसके बाद किसी प्रकार के टेम्प्रेरी और एडहाक अपाइन्टमेंट नहीं किए जाएगें। लेकिन इसके बाद भी सभी विश्वविद्यालयों और कालेजेज में टेम्प्रेरी और एडहाक बेसिस के अपाइन्टमेंट होते रहे हैं और अब इनको परमानेंट करने के जिस महत्वपूर्ण बिन्दु पर माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए थे, इस बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें कई इश्यूज इन्वाल्व हैं। इन टेम्प्रेरी लैक्चरर्स को परमानेंट करने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यू. जी. सी. ने अभी जो अपनी सलेक्शन की नई क्वालिफिकेशन्स ले डाउन कर दी हैं, सबसे पहले तो अगर हमें उनको परमानेंट करना है तो उनमें शिथिलता देने वाली बात होगी। दूसरा इन टेम्प्रेरी लैक्चरर्स, जो कि वर्तमान में कार्यरत हैं उसमें एस. टी. एस. सी. को रोस्टर के माध्यम से भरने वाली जो बात है वह भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर विचार करना होगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बिन्दु, जिस पर विचार आवश्यक है, कई एम. फिल, पी. एच. डी. शुदा रिसर्च स्कालर की बार-बार यह मांग रहती है, कई बार मुख्य मन्त्री जी से, राज्यपाल महोदय से वह मिल चुके हैं और उनका यह कहना है कि अगर यह जो वर्तमान में कार्यरत टेम्प्रेरी एडहाक लैक्चरर्स हैं उनको अगर परमानेंट कर दिया जाता है तो नई पोस्टें आएगी नहीं और जो टेलेन्टेड स्टूडेण्ट्स हैं जो पी. एच डी. हैं, एम. फिल हैं उनको किसी प्रकार का मौका इसमें नहीं मिलेगा।

न केवल यही, वर्तमान में जो कार्यरत लैक्चरर्स हैं उसमें खास तौर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में 173 के आस-पास टेम्प्रेरी

(श्री रतनलाल जाट)

लैक्चरर्स कार्यरत हैं उसमें स्वीकृत पद कितने हैं और वर्तमान में उन पर कितने कार्य कर रहे हैं, इस बिन्दु को भी इस पर देखना होगा। इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी इस सत्र में कहा है कि यह सत्र समाप्त होने से पूर्व इस पर विचार किया जाएगा और इस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय से भी विचार-विमर्श करके कोई निर्णय लिया जाएगा।

दूसरा जो बिन्दु उठाया गया था, राजस्थान में पिछली सरकार ने तो खोले नहीं थे लेकिन इस सरकार ने जो महाविद्यालय खोले हैं तो काफी सदस्यों की मांग इन महाविद्यालयों को खोलने के बारे में प्राप्त हुई है। लगभग 77 डिमाण्ड नये कालेजेज खोलने के बारे में प्राप्त हुई है। इस सरकार ने 15 जगहों पर कालेजेज खोलने के बारे में इन्सपेक्शन्स करवाए हैं और राजस्थान सरकार का नया कालेज खोलने का जो काइटेरिया है उसके आधार पर लगभग तीस किलोमीटर दूरी पर कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं हो, बीस किलोमीटर की परिधि में चार सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हों फीड बैक के लिए और उपर्युक्त भवन जन सहयोग से अगर बना हुआ हो तो वहां पर गुणावगुण के आधार पर और राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन जब उपलब्ध हों उनके आधार पर खोलने पर विचार किया जा सकता है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था कि यूनिवर्सिटी में जो रीडर्स कार्यरत हैं, एक्स कैडर प्रमोशन से उनको प्रोफेसर पर प्रमोन्नत किया जाए। इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहूंगा, यू.जी.सी. की 1986 की पे स्केल में एक्स कैडर योजना सम्मिलित नहीं है। 1988 में मन्त्री मण्डल ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया था। प्रकरण राज्य सरकार के उच्च स्तर पर विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

एक दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु माननीय सदस्यों ने यह उठाया था एग्जामिनेशन के रिम्युनरेशन के बारे में कि जो पैसा कॉपीज को इवैल्युएट करने के बारे में या इनविजिलेशन करने के बारे में माननीय लैक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स को दिया जाता है, वह काफी कम है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक खण्डेलवाल कमेटी अपाइन्ट की गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उसमें उन्होंने दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया है और वर्तमान में राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में यह विचाराधीन है। साथ ही इसको बढ़ाने के बारे में यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर्स की को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें यह तय हुआ है कि यूनिवर्सिटी इन पेमेण्ट्स को करने के लिए जो रिम्युनरेशन को बढ़ाना चाहता है उनको करने के लिए अपने खुद के सोर्स को मोबेलाईज किस तरह से कर पाएगें, इस पर भी विचार चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बिन्दु कई सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से उठाया था, वह राजस्थान में उच्च शिक्षा में खास तौर से लॉ कालेजेज स्टार्ट करने के बारे में था। इस बारे में

(श्री रतनलाल जाट)

माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ कालेजेज खोलने के बारे में बार कौन्सिल ग्राफ इण्डिया से परमीशन लेनी होती है और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत यह आवश्यक है और बार कौंसिल ऑफ इण्डिया ने एक अपना जो सरक्यूलर भेजा है उसके माध्यम से वर्तमान में लॉ कालेज या लॉ क्लासेज स्टार्ट करने के बारे में दो महत्वपूर्ण आधार उन्होंने दिए हैं "that the law education, as prescribed in section (a) shall be through whole time law college or university departments."

वह अलग से किसी प्रकार के डिपार्टमेंट की परमीशन नहीं देंगे। लॉ कालेज स्वतन्त्र रूप से कार्यरत होना चाहिए। दूसरा लॉ क्लासेज वहीं स्टर्ट की जा सकती हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्तमान में कार्यत हो।

श्रीमान, इसी आधार पर इस सरक्यूलर के बाद राजस्थान में 1981–82 में निम्न लिखित तीन कालेजों को डिसकन्टीन्यू यहां पर कर दिया गया था–नीम का थाना, करौली और दौसा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यू.जी.सी. की पे स्केल पी. टी. आइज और लाइब्रेरियन्स को देने के बारे में उठाया गया था। इस बारे में इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर के सामने विचाराधीन है। मामला सबज्युडिस है। दूसरा, इसमें जो पे स्केल्स देने वाली बात है इसमें यू.जी.सी. ने यह कहा है कि जिन पी. टी. आइज को वर्तमान में 700 से 1600 का ग्रेड मिल रहा है उनको यह ग्रेड दे दिया जाए। लेकिन हमारे यहां राजस्थान में पी. टी. आइज और लाइब्रेरियन्स को 700 से 1300 वाला ग्रेड मिल रहा है इसलिए इस बारे में बराबर हम प्रयत्नशील हैं। क्योंकि यू. जी. सी. ने यह लिखा है—इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लेकर के आपको हम अवगत करा देंगे कि यह ग्रेड कब से उनको दिया जाए। हम बार–बार प्रयत्नशील हैं कि वह शीघ्र ही हमें इस बारे में अपने निर्णय से अवगत करावें।

एक महत्वपूर्ण बात शिक्षा विधेयक के बारे में कही गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला राष्ट्रपति जी की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है और राज्य सरकार बराबर प्रयत्नशील है कि शीघ्र ही इस पर उनकी स्वीकृति मिल सके।

एक और महत्वपूर्ण बात यहां माननीय सदस्यों ने उठाई थी कि पी. एच. डी. और एम. फिल जो लोग कर चुके हैं उनको एडवांस इन्क्रीमेंट देने की बाबत। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार ने 28. 2. 1992 को अपना आदेश पारित कर जो एम. फिल हैं उनको एट दा टाइम आफ न्यू सलेक्शन, नाट आफ्टरवार्ड्स, जो आलरेडी सर्विस में हैं, जो चार साल पूरे कर चुके हैं, पांच साल पूरे कर चुके हैं, दस साल पूरे कर चुके हैं, बाद में एम. फिल., पी. एच. डी. करेंगे, उनको नहीं दिया जायेगा लेकिन जब सलेक्शन होगा उस समय यदि कोई

(श्री रतनलाल जाट)

कैण्डीडेट एम. फिल है तो उसको एक एडवांस इन्क्रीमेंट दिया जायगा और जो पी. एच. डी. हैं उसको तीन एडवाँस इन्क्रीमेंट सलेक्शन के वक्त में दिये जाएंगे।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, जो पहले भी इस सदन में चर्चा का विषय रहा था, उस बारे में भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के सबसे अच्छे जो 6 गवर्नमेंट कालेजेज हैं वह आटोनामस कालेजेज हैं। आटोनामस कालेजेज जब से बने हैं उनके पीछे सबसे बड़ा जो शुरू में चार्म था कि उनको यू. जी. सी. से सात लाख रुपया सीड मनी के रूप में मिलेगा। लेकिन कई जगह पर एक बार मिल गया तो दुबारा वापिस उसकी यूटीलाइजेशन का सर्टिफिकेट जब तक उनको नहीं भेजा जाय और उसकी टर्म्स-कंडीशन्स बड़ी वैसी है, तो कई और भी कारण हैं जिसकी वजह से हमारे इन आटोनामस कालेजेज को, जिसके आधार पर यह शुरू किये गये थे, जो उनमें आटोनामस यूनिवर्सिटी की तरह अचीव की जाय और केन्द्र सरकार से बराबर सहायता भी सात लाख रुपये उनके विकास के कार्य में मिलती रहे। लेकिन हमें वह पैसा बराबर मिल नहीं रहा है। कई और भी शिकायतें इन आटोनामस कालेज की वर्किंग के बारे में मिली हैं। इसके बारे में राज्य सरकार ने इनकी वर्किंग को रिव्यू करने के दृष्टिकोण से स्पेशल सेक्रेट्री एजुकेशन की चेयरमेनशिप में एक कमेटी नियुक्त की है 1991 में और इसके बाद इस कमेटी की दो बैठकें भी हो चुकी हैं। जब इस कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ जाएगी तब इन आटोनामस कालेजेज की वर्किंग के बारे में क्या राज्य सरकार को निर्णय करना है इसका फैसला किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने, झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, कि सेठ मोतीलाल महाविद्यालय, झुंझुनू....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, बहुत लम्बा हो गया, थोड़ा शार्ट करो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल जाट : यह तो फैक्चुली बात है....

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, झुंझुनू का बोल रहे हैं, आप टोके नहीं।

डा. चन्द्रभान : साहब, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री रतनलाल जाट : झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने सेठ मोतीलाल महाविद्यालय, झुंझुनू में उर्दू विषय खोलने की बात कही थी। मैं इस बारे में माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, इस बारे में राज्य सरकार या हमारे निदेशालय के पास किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव आयेगा, हम उस पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आया हुआ है। माननीय सुमित्रा जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थी तब का आया हुआ है। कलक्टर की रिकमण्डेशन भी है.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं जब मंत्री थी तब का आया हुआ है।

श्री रतनलाल जाट : अगर प्रस्ताव आ गया है....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कालेज की मैनेजमैण्ट कमेटी का प्रस्ताव है। यह कोई थोड़े ही है कि मंत्री बदल गये, विभाग के पास तो आया हुआ ही है।

श्री रतनलाल जाट : मेरी जानकारी में नहीं आया है। अगर आ गया है तो उस पर शीघ्र विचार कर लिया जायेगा.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी यह गलत बात है कि मेरे समय के कागजों को फेंक दिया गया हो, बाकी मेरे समय में ऐसा प्रस्ताव आया था। (व्यवधान)

श्री रतलाल जाट : यदि ऐसा प्रस्ताव आ गया है तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जायेगा।

मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में भी संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण बिन्दु हैं लेकिन समय की कमी होने की वजह से....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भ्रष्टाचार से ज्यादा कोई इम्पोर्टैण्ट विषय नहीं है, उस पर तो आइये।

श्री रतनलाल जाट : तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से (व्यवधान) आपने जो जानकारी दी है भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की, उसके बारे में निश्चित तौर पर कार्यवाही करायी जायेगी। तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जगत में तकनीकी शिक्षा का अलग से महत्व है। वर्तमान उपलब्ध मैन पावर का, जन शक्ति का सही उपयोग इस आधुनिक मशीनी युग में हो सके उस दृष्टिकोण से तकनीकी शिक्षा राजस्थान में तीन स्तरों पर कार्यरत है। पहली इंजीनियरिंग कालेजेज के स्तर पर, जहां डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्रदान की जाती है। दूसरा पोलोटेक्निक कालेजेज के नाम पर, उसके माध्यम से उनको डिप्लोमा दिये जाते हैं और तीसरा आई. टी. आई. हमारे यहां पर कार्यरत है। वर्तमान में 6 इंजीनियरिंग कालेजेज राजस्थान में कार्यरत हैं। पोलोटेक्निक कालेजेज 17 कार्यरत हैं और जहां तक आई. टी आई. की बात है 56 गवर्नमेण्ट आई. टी. आई. हैं। 16 एन. सी. बी. टी. से संबंधित हैं, 66 स्टेटे कौंसिल फौर वोकेशनल ट्रेनिंग से सम्बन्धित हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताते हुए केवल राज्य सरकार के द्वारा इस दो साल के समय में तकनीकी शिक्षा पर कितना महत्वपूर्ण ध्यान दिया है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो इंजीनियरिंग कालेज, पोलोटेक्निक कालेज और आई. टी. आई. पर खर्चा करने की बात है, जो विकास के दृष्टिकोण से खर्चा किया गया, उस दृष्टिकोण से निवेदन करना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 89-90 में 6 इंजीनियरिंग कालेजेज थे, 18 पोलोटेक्निक कालेजेज थे और 55 आई. टी. आई. थी। 90-91 में 6, 18 और 55 है लेकिन खास तौर पर जो मैं खर्च की बात कर रहा था माननीय

(श्री रतनलाल जाट)

उपाध्यक्ष महोदय, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, 85–90 के पांच सालों में इंजीनियरिंग कालेज पर 1080.29 लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन 90–91 के वार्षिक प्लान में और 91–92 के वार्षिक प्लान में केवल मात्र दो वर्षों में 1006.61 लाख रुपये तकनीकी शिक्षा पर खर्च किया गया है। पोलीटेक्निक कालेज की दृष्टि से 85–90 में केवल 428.77 लाख रुपया खर्चा किया गया था लेकिन इन दो सालों में जब से यह सरकार बनी है। 1331.76 लाख रुपया खर्च किया गया है। आई. टी. आई. की दृष्टि से भी निवेदन करना चाहूंगा, पहले 85–90 में 444.31 लाख रुपया खर्च किया गया और इस दो सालों में 605.84 लाख रुपया खर्च किया गया। तो राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी सक्रियता से इसके विस्तार और प्रचार प्रसार की दृष्टि से कार्यरत है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिकुमार जी औदिच्य, शिक्षा मन्त्री।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग के ऊपर 293 कट मोशन मुझे 56 माननीय सदस्यों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं तथा आज की चर्चा में 18 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। जहां तक कट मोशन और विचारों का सवाल है, मैंने कट मोशन्स को भी पढ़ा है और जो विचार रखे, उनको भी अक्षरशः सुना है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उन कट मोशन्स में और माननीय सदस्यों के विचार में मैं किसी प्रकार की आलोचना नहीं मानता। प्रशासन में या मेरे कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, इस प्रकार का मार्ग दर्शन मैं मानकर चलता हूं। और उन्होंने जो कट मोशन्स दिये हैं उसका जवाब उनके पास निश्चित तौर पर जायेगा और जो सुझाव दिये है उन पर भी निश्चित तौर पर विचार करूंगा और केवल मात्र यह नहीं समझे कि यह मेरा सदन में मात्र आश्वासन रहेगा। लेकिन मोटे-मोटे रूप में माननीय सदस्यों ने जो विशेष बातें रखी हैं, शिकायत की हैं और वह सही भी मानता हूं। एक तो बिल्डिंग के बारे में, स्कूल के भवन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दूसरा रिक्त पदों के बारे में और तीसरी, तीन–चार माननीय सदस्यों ने बहुत जोर देकर कही कि जाली सर्टिफिकेट के माध्यम से लोग नौकरियां पा रहे हैं, राजस्थान के निवासियों को, जो राजस्थान से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। और चौथी एक बात और आयी है कि जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन थे उनके कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले में मकान किराया आदि भत्ते नहीं मिल रहे हैं। यह चार–पांच बातें हैं जिन पर मैं विशेष ध्यान देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत बातें कही हैं लेकिन इस बात को कोई इन्कार नहीं करेगा कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार एक अनवरत प्रक्रिया है, इसको आप एक दिन में, एक काल में पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया को साथ लेकर चले है उसमें कहां तक हम जागरुक हैं और कहां तक उसके पीछे अपनी भावनाओं को, अपनी शक्ति को ठीक रास्ते पर लगा रहे

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हैं। और जो शिक्षा का महत्व बताया, अभी पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत बड़ी बात कही थी, मैं भी इस बात को मानता हूं कि शिक्षा का प्रचार केवल मात्र किसी वर्ग, जाति या धर्म विशेष के लिए नहीं है बल्कि शिक्षा तो जन-जन तक पहुंचनी चाहिए। जिस प्रजातन्त्र को, जिस व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है, उस व्यवस्था को हम सफल करना चाहते हैं तो उसकी पहली कड़ी शिक्षा है। वैसे भी हमारा जितना ज्ञान का भण्डार है ग्रन्थों में पुस्तकों में भरा पड़ा है, समाचार पत्रों में पत्र-पत्रिकाओं में, उस सारे भण्डार को खोलने की अगर कुंजी है तो शिक्षा ही है। इसलिए इस बात से मैं भी दो मत नहीं हूं और मेरे साथ दोनों पक्ष के जो माननीय सदस्य बैठे हैं वह भी दो मत नहीं हैं। बात इतनी सी है कि इसके लिए चिन्ता हम वर्षों से कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि पिछली सरकार ने, पिछले लोगों ने इस दृष्टि से कोई प्रचार ही नहीं, कोई प्रसार ही नहीं, कोई प्रयास ही नहीं किया हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ज्यादातर तो आपके टाइम में हुए है। हमारे टाइम में तो नहीं हुए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं तो मान रहा हूं न। लेकिन इसके पीछे एक बात जरूर है कि एक बात जो पिछले टाइम में रही, वो कोई भी काम हो, सरकार के साथ-साथ जनता का भी सहयोग निश्चित रूप से लेना चाहिये। जनता की भागीदारी जब तक नहीं आयेगी, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप यदि 5 वर्ष में पूरा करना चाहते हैं तो उसमें 5 की जगह 7 वर्ष लग जायेंगे। अगर जनता का सहयोग होगा तो 3 वर्ष में पूरी हो जायेगी। इसलिए शिक्षा में एक चुनौती है निरक्षरता की, साक्षर करने की उसमें मैं जनता को भी और अन्य शिक्षित वर्ग को भी सरकार के साथ आव्हान करना चाहूंगा कि वो हमारे इस मामले में सहयोग करें ताकि निरक्षरता का कलंक जो हमारे प्रदेश के ऊपर चल रहा है, लगा हुआ है इसको दूर करने में हम मिल करके सफलता प्राप्त कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिक्र किया, मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि मैं तीन-चार बातों की तरफ ही ज्यादा कंसन्ट्रेट करूंगा। मैंने पहली बात जो कही, वह बिल्डिंग्स के बारे में की। यह बात सही है कि आज भी राजस्थान में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर कोई बैठने के स्थान नहीं है, टाट पट्टी नहीं है लेकिन यह केवल एक या दो या तीन वर्ष की देन नहीं है। यह पीछे से चला आ रहा मामला है। इसी दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में, कई बुजुर्ग सदस्य यहां बिराजमान है, पिछले दो वर्षों में जो हमने भवन पर खर्च किया, वैसा गत चालीस वर्ष के पीरियड में नहीं हुआ, दो वर्ष के पीरियड में इतना खर्च नहीं हुआ होगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी कर दें। अपनी गलती स्वीकार करने में या भूल स्वीकार करने में मनुष्य को कोई लज्जा, शर्म नहीं करनी चाहिये, संकोच नहीं करना चाहिये। यह तो उसके आगे बढ़ने का, सुधार करने का रास्ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि 90-91 में 4953 स्कूलों में हमने 24.89 करोड़

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

रुपया दिया। 20.35 करोड़ के काम पूरे होने की इतला हमारे पास फरवरी में आ गई इसके पेटे। यह किया हमने 90-91 में और 17.5 करोड़ रुपये के हमने स्कूलों में बच्चों के लिए संसाधन पहुंचाये, गत वर्ष में। इस वर्ष में हमने अभी तक....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने किस मद से पहुंचाये ? एज्यूकेशन से पहुंचाये या सामुदायिक विकास से आये या अपना गांव–अपना काम से आये, कौन से में आये ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : वो मद भी बता रहा हूं। मैं इस वर्ष का बता दूं। इस वर्ष में अभी तक 91–92 में 1.84 करोड़ रुपया राज्य के बजट से, 30 जिले 30 ग्राम में 6.35 करोड़ रुपया, यह केवल मात्र जयपुर और अजमेर दो जिलों की खबर आई, और जगह की नहीं आई हैं, 6.35 करोड़ रुपया और भामाशाह योजना से 3.85 करोड़ रुपया, ऐसे मिलाकर 12.04 करोड़ रुपया इस वर्ष में हमने स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए इकट्ठा किया है, एलाट किया है। यह अलग-अलग योजनाओं का बता दिया। जैसा मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया कि 6.35 करोड़ की राशि, यह केवल जयपुर और अजमेर दो जिलों का है, अन्य जिलों के बारे में मेरे पास अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन मुझे आशा है कि इसमें भी हम 20 करोड़ के करीब जाकर पहुंच जायेंगे अलग जिलों के अन्दर, इन विभिन्न योजनाओं से जब देंगे।

दूसरा जो अहम मसला है, वह रिक्त पदों का है। उस दिन मेरे बुजुर्ग तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े नाराज हो रहे थे, और उनका फरमाना उस दृष्टि से बिल्कुल सही था। इनके पास जो सूचना आई थी, उस सूचना में उतना ही लिखा....

श्री चन्दनमल बैद : जितना मैंने कहा था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने कहा था। मैं कह रहा हूं न। लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ था कि इतने पद 22.2.92 तक भर दिये जायेंगे और मैंने जब आपसे निवेदन किया, उस समय वो पद भर दिये गये थे, कोई भी रिक्त नहीं थे....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अपाइंटमेंट आर्डर हो गये होंगे, लेकिन पद नहीं भरे होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास 26.2.92 का लैटर था। अगर 22.2.92 को भर दिया गया तो 26.2.92 को आपके इंसपेक्टर ने मुझे गलत खबर क्यों दी ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह मैं दिखा लूंगा लेकिन वो पत्र, देखिये पत्र आपके पास 2–4 दिन लेट भी आ सकता है। 20 तारीख का पत्र 26 तारीख को मिला हो।

श्री चन्दनमल बैद : 26.2.92 तारीख लिखी हुई है। मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं यदि आप चाहें तो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : नहीं, नहीं, मुझे आपकी बात पर भरोसा है। तो मैं उसमें और निवेदन करना चाहता था कि जो स्कूलों की स्थिति चल रही है उसके

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

पीछे दो कारण हैं। एक तो अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि कई जगह तो अध्यापक नियुक्त हो जाने के बाद भी जाकर नहीं पहुंचे। वो किसी एम. एल.ए. को, किसी मिलने वाले को, किसी नेता की तलाश में रहते हैं कि मैं जहां हूं वहीं बना रह जाऊं, यह एक हकीकत है। वे आप लोगों को भी परेशान करते होंगे। एक परेशानी यह है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि जो हमारे प्रमुख पद हैं, ये पांच केटेगरीज हैं। कुल 1,33,587 अध्यापकों के स्वीकृत पद हैं। इसमें थर्ड ग्रेड के अध्यापक 83,000 स्वीकृत हैं जिसमें से केवल मात्र 797 पद खाली है, बाकी सब भर दिये। 0.95 यानी एक प्रतिशत के करीब पद रिक्त हैं। दूसरा आता है वरिष्ठ अध्यापक या सैकण्ड ग्रेड। ये 34,000 पद हैं जिसमे से 390 पद खाली है, यानी 1.14 प्रतिशत पद खाली हैं। जो ज्यादा रिक्तता है, वह आपको नजर आयेगी, सबसे ज्यादा तो सैकण्डरी स्कूल के हैड मास्टर्स और व्याख्याता। हैड मास्टर, सैकण्डरी स्कूल ने मेरे पूर्व एक समझौता कर लिया था इस प्रकार का कि लेक्चरर्स को और उनको एक ग्रेड दे दी जाय। अब वो कहते हैं कि हमको पैसा बराबर मिलता है तो वहां गांवों में किस लिए जायेंगे, बड़े शहर में रहेंगे, और तरह के अलाउन्स पायेंगे, पैसा बराबर मिलेगा। मैंने गये अधिवेशन में भी इस बात को कहा था कि इसी सत्र में हम यह फैसला कर लेंगे कि हैड मास्टर्स को उनके मुकाबले ज्यादा रिम्युनरेशन्स मिले.... (व्यवधान) मैं बता रहा हूं आपको....

श्री उपाध्यक्ष : वो ही कह रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो उसकी भर्ती पूरी हो जाय। मैं हैड मास्टर्स के बारे में आपसे निवेदन करूं कि हैड मास्टर्स के 3180 पद हैं जिनमें से 631 खाली थे, 272 पद अभी चार दिन पहले हमारे पास, पब्लिक सर्विस कमीशन से जो 50 प्रतिशत के आते हैं, उनके आए हैं, उनको अपाइंटमेंट आर्डर जारी कर दिये गये। यों मिला करके अब 10 प्रतिशत खाली है....

डा. चन्द्रभान : बिना हैड मास्टर कैसे कैसे स्कूल खोलेंगे ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपसे छिपी हुई बात थोड़े ही है। मैं गलत बात का दंभ क्यों भरूंगा। जो स्थिति हैं वह बता रहा हूं मैं।

श्री चन्दनमल बैद : It is an honest utterance and we should respect it.

श्री हरिकुमार औदिच्य : और इसी तरह प्रिंसिपल के कुल 848 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 131 पद रिक्त हैं। यह भी हम ज्यों ही पी. एस. सी. से आयेंगे, भर देंगे। इस प्रकार से कुल मिलकर जो स्थिति है 2.4 प्रतिशत, यह हमारी रिक्तता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन में ज्यादा है, हैड मास्टर्स, प्रिंसिपल और लैक्चरर्स। इसमें कई विसंगतियां भी हैं। दूसरा, हमने प्रिंसिपल्स की डी.पी.सी. कर ली और डी.पी.सी. के बाद में वो हाई कोर्ट में चले गये और अब आगे डी.पी.सी. नहीं हो पा रही है। लेक्चरर्स की डी. पी. सी. करने गये तो 83 के बाद में लेक्चरर्स की डी.पी.सी. नहीं हुई। अब हमने उसके लिए एडहाक लेने के लिए डी.ओ.पी. को लिखा

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे उम्मीद है, ये दोनों-तीनों विसंगतियां बहुत जल्दी पूरी हो जायेगी और माननीय सदस्यों को इसके बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी। दूसरी बातें मैं बिल्कुल शोर्ट में कहूंगा। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमने गई बार नैतिक शिक्षा की बात की थी। जितना मानकर चले थे और माननीय सदस्यों को जितनी आशा रही होगी उस मुकाबले में नहीं पहुंच पाये लेकिन हमने ए क्लास कमेटी बनाई डाईरेक्टर संस्कृत एजुकेशन के कन्वीनरशिप में। एक से पांच क्लास तक की कक्षाओं में हमने पाठ्यक्रम शुरू कर दिया, किताबें शुरू हो गई और 4–5 के लिए जो बच्चों को डायरी करते हैं, वह शुरू कर दीं। 6–8 के लिए नैतिक शिक्षा की कमेटी बनाई, उसका पाठ्यक्रम तो तय कर लिया लेकिन पुस्तकें किस प्रकार की लिखाई जाय, इस बारे में तय कर रहे हैं और नवीं–दसवीं के बारे में हमने सैकण्डरी बोर्ड को निर्देश दे दिये हैं। दो–तीन महीने बाद जो अगला सत्र शुरू होगा, इसमें इनको चालू कर दिया जायेगा। लोक जुम्बिश योजना के बारे में बड़ी चर्चा थी। यह बात सही है कि माननीय सदस्यों ने कहा कि पूर्व में कई योजनाएं चाहे, आपकी सरकार चलायें, चाहे हम चलायें, शिक्षाकर्मी योजना है, प्रौढ़ शिक्षा है, जितनी भी हैं, इनके पीछे, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, जनता का इन्वाल्वमेंट जब तक इन योजनाओं में नहीं होगा, योजनाएं सफल नहीं हो सकती लोक जुम्बिश योजना के पीछे सीडा के माध्यम से, इन्टरनेशनल विकास एजेंसी के माध्यम से 600 करोड़ रुपये की आप लोगों को जानकारी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जुम्बिश का मतलब बता दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आन्दोलन। इनके माध्यम से 600 करोड़ में 300 करोड़ तो वहां का मिलेगा, 200 करोड़ केन्द्र का और 100 करोड़ रुपया हमको राजस्थान का लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रारम्भ में 91–92 में हमने 5 पंचायत समितियों-लूणकरणसर, अराई, किशनगंज, गाड़ी और पीसांगन को लिया है। इसके बाद 92–94 के दो वर्षों में कुल 25 पंचायत समितियों में काम करेंगे। इसकी जो हमको रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद 93–94 में इसकी पुन: समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद में आगे बढ़ेंगे।

एक बात और थी जिससे लालसोट से आने वाले हमारे माननीय सदस्य नाराज हो रहे थे, स्कूलों के क्रमोन्नत करने की। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य भी नाराज हो रहे थे। मैंने जहां तक स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, इस बात का पहले ध्यान रखा है, इसलिए ध्यान रखा है मैंने कि कहीं विपक्ष का या और कोई माननीय सदस्य यह नहीं सोच लें कि इन्होंने किसी प्रकार की दुभात की है। पूरे जिले को इस दृष्टि से देखा है। आप कह रहे हैं आपके यहां भी एक और प्राइमरी स्कूल खुला है।

श्री परसादी लाल मीणा : कौन सा खुला है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : लालसोट में खुला है। (व्यवधान) खैर वो मैं बता दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी, आपने तो पक्षपात नहीं किया। आपने तो पैरामीटर्स के मुताबिक ही काम किया है लेकिन मुख्य मंत्रीजी दखलंदाजी से जो कुछ हुआ है, कोर्ट में आपको नीचा देखना पड़ा है और हाई कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि आपने पैरामीटर्स की पालना नहीं की है, इसलिए इस स्कूल को भी खोलो, यह बात हुई थी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं माननीय सदस्या को एक बात का विश्वास दिला देना चाहता हूं इस सदन के अन्दर अपनी पूरी उससे कि मैंने जितने भी स्कूल खोले हैं उनमें मुख्य मंत्री जी ने एक स्कूल के बारे में यह नहीं कहा कि आप कोई स्कूल खोलना। (व्यवधान) वो मेरा दोष हो सकता है लेकिन मुख्यमंत्रीजी का नहीं। जिस स्कूल का आप जिक्र कर रही हैं उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि कोई स्कूल खोलना। यह बात दूसरी है कि कभी गए हों, मिलने वाले हों। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले जवाब तो आने दीजिए। रिप्लाई कम्पलीट होने दीजिए। प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं मंत्रीजी को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हरेक पूछेगा फिर, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्लीज, डाक्टर साहब।

डा. चन्द्रभान : मंत्री जी, यह मेरे क्षेत्र का मामला है आप बंद मत कर देना। जो खोली है वह अच्छी बात है लेकिन बन्द मत कर देना।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बंद नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं सूक्ष्म में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा शॉर्ट कीजिए आप।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि गत बार हमने जो लक्ष्य लिए थे और एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि इस आगे वाले बजट में भी हमने स्कूलों का रखा है। यदि किसी माननीय सदस्य का रह गया हो तो मुझे बता दें, मैं तैयार हूं। (व्यवधान) जो इसमें नहीं खुला हो। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था कि 91-92 में....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो अपनी मांग, क्या मांगना है जो मांग-मूंगकर छुट्टी करो। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या चाहते हैं आप ? जो काम उन्होंने किए हैं वो तो सुनना चाहते हैं। पहले आपने कहा था कि जब तक मांग पारित नहीं होगी तब तक का समय बढ़ाया है। जब शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं विपक्ष के लोग तो आपको क्या अजीर्ण रहा है ? आपको परेशानी किस बात की हो रही है ? आप बैठ जाइये। सुनने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका क्या इन्टरेस्ट है यह मैं जानता हूं। हमारा होली

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

का त्योहार है। यहां भी आपने अपनी भावनाएं दिखा दीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें जैन साहब।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कि 91-92 में अपर प्राइमरी स्कूल 125 खोलने का लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में 271 खोले। सैकण्डरी 80 का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 144 खोले हैं। हायर सैकण्डरी 25 का लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में 62 खोले हैं। 1992-93 का लक्ष्य 100 अपर प्राइमरी, 80 सैकण्डरी और 25 हायर सैकण्डरी है। इसमें माननीय सदस्यों से एक और निवेदन करना चाहूंगा। कई हमसे मिले थे और कई जगह के जिक्र भी आए कि कई एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको 90 पर्सेन्ट एड मिलती है वहां का मैनेजमेंट उनको चला नहीं पाता है, तनख्वाह नहीं मिलती है। उस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से 10 संस्थाओं को हम इस बार अधिग्रहण कर लेंगे और मैं आपसे निवेदन करूं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि संस्कृत के लिहाज से आपने कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस साल हमने संस्कृत में आचार्य स्तर का कालेज एक, शास्त्री स्तर का एक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष 90-91 में दो और 91-92 में तीन, प्रवेशिका 91-92 में तीन, उच्च प्राथमिक तीन और प्राथमिक चालीस। इस प्रकार इस 78 हमने संस्कृत शिक्षा में खोले हैं। एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कई माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि जो....

एक माननीय सदस्य : रघुवीरसिंह जी ने जो बात कही उसके बारे में....

श्री हरिकुमार औदिच्य : रघुवीरसिंह जी की बात, इन्होंने जो कहा था शायद इनके भूलने का स्वभाव है। जो इन्होंने मुझे शिकायत की, मैंने बारां के बारे में जांच करने के आदेश दे दिए और वहां पर लिस्टों को रोक लिया गया है। अब इन्होंने जनरल बात कही है, मैं कल ही आदेश दे दूंगा कि राजस्थान में जहां भी इस प्रकार की डिग्री है उसकी जांच कराई जाय।

श्री हेमराज मीणा : लेकिन उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं एक-दो बात और निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिए मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें आप।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बस, तीन बातें हैं। गत बार विधान सभा में मैंने कहा था, अभी भी कहा कि लेक्चरर्स और हैड मास्टर्स की जो 4-5 विसंगतियां हैं इसको मैं निश्चित इसी सत्र में करके घोषणा कर दूंगा। दूसरा, सभी स्तर के शिक्षकों को, जिनको एम.एड. करने पर दो वेतनवृद्धियां नहीं मिलती थी वो दो वेतन वृद्धियां उनको दे दी जायेगी हर स्तर पर। दूसरा, जो सी.पी.एड. हैं उन्हें डी.पी.एड, करने पर एक

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। तीसरा, जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों को 10 वर्ष सेवा करते हुए हो गया, उनको ट्रेण्ड मान लिया जायेगा। एक और बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में कहना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को जल्दी तो है लेकिन एडेड इंस्टीट्यूशन का जिक्र रहा था....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कोई जल्दी नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो वह मिले। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि कालेज एज्युकेशन तक के जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले सारे एलाउंसेज मिले इसके आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित कर दिए गए हैं और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अदर दैन कालेज हायर एज्युकेशन, एडेड इंस्टीट्यूशंस, (व्यवधान) मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं। स्कूलों के बारे में भी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं आगामी जो भी हमारी मंत्रि–मण्डल की बैठक होगी उसमें इसका फैसला करके घोषणा कर दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा के साथ खेल मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है। माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा। (व्यवधान) माननीय भंवर लाल जी शर्मा साहब।

श्री भंवर लाल शर्मा (खेल मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान : अब होली खेलने दो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अब रहने दो, बहुत हो गया। आपका तो हम ऐसे ही मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,05,59,80,000/– (दस अरब पांच करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रुपए) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 23-3-92 प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही साय 7.38 बजे सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 158 की सूची)

राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेन्शन नियम, 1959 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को देय पेन्शन एवं सुविधाओं की सूची :—

1. आजीवन न्यूनतम पेन्शन रु. 500/– मासिक

2. स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु की तिथि से आजीवन न्यूनतम पेन्शन रु. 500/– मासिक।

3. दिनांक 11.11.91 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत गोवा आन्दोलन-कारियों को भी स्वतंत्रता सेनानी माना जाकर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेन्शन/सुविधाऐं।

4. कारोबार, उद्योग या कृषि कार्य प्रारम्भ करने के प्रयोजनार्थ रु. 3000/– तक प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत अनुदान।

5. वित्तीय वर्ष में स्वतंत्रता सेनानी/विधवा पत्नि को रु. 3000/– तक का चिकित्सा अनुदान।

6. स्वतंत्रता सेनानी एवं उसकी विधवा को उनकी पुत्री पूर्व मृत पुत्र की या पूर्व मृत भ्राता की पुत्री या आश्रित बहन के विवाह हेतु रु. 4000/– का अनुदान।

7. स्वतंत्रता सेनानी के देहावसान पर उनके दाह संस्कार के लिए रु. 500/– की राशि का अनुदान उनके निकटतम रिश्तेदार को।

8. स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पौत्र पौत्रियों को स्कूलों तथा महाविद्यालयों में किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी।

9. सरकारी सेवा में प्रवेश संबंधी निर्बन्धनों का शिथिलीकरण।

(क) राजनैतिक आन्दोलन के संबंध में या उसे आगे बढ़ाने के सिलसिले में किये गये किसी अपराध के लिए ठहरायी गयी दोष सिद्धी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए बाधक नहीं होगी।

(ख) राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेना एक प्रकार से अतिरिक्त अर्हता मानी जावेगी और अन्य बातें समान होने पर उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जावेगी, जिन्होंने ऐसे किसी आन्दोलन में भाग लिया हो।

260

(ग) वह अभ्यार्थी जिसने राजनैतिक आन्दोलन में भाग लिया हो उसे परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार में प्रवेश पाने का एक और अवसर अनुज्ञात किया जावेगा।

10, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारी सेवा से हाथ धोना पड़ा हो, उन्हें सरकारी सेवा में पुनः लिया जा सकेगा।

11. स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन की पेन्शन समपहरण की तारीख में भूतलक्षी प्रभाव से प्रत्यावर्तित की जावेगी।

12. स्वतंत्रता सेनानी की अत्यधिक विपन्नता की स्थिति में उसके आश्रितों में से किसी दो को और यदि आश्रित व्यक्ति जीवित नहीं होने की दशा में उसके वारिसों में से किसी एक को सरकारी सेवा में नियोजन की व्यवस्था।

13. नियमों के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता के बदले या इसके अतिरिक्त किसी प्रीमियम या अन्य कर मुक्त 20 बीघा सिंचित अथवा 60 बीघा असिंचित भूमि का आवंटन।

राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेन्शन नियम, 1959 के अन्तर्गत देय उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को समय-समय पर निम्नलिखित सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं :—

1. राजकीय समारोहों में स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रित किया जाकर उनके बैठने की उचित व्यवस्था की जाती है। इस संबंध इसमें सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 8(1) सा. प्र./2/78 दिनाक 16.12.86 को समस्त जिला कलक्टर को निर्देश प्रदान किये हैं।

2. राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2) द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित अन्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। ये आदेश उनके पत्र क्रमांक 17(3) चि. स्वा./74/2 दिनांक 4.10.74, 11.4.80 एवं 16.9.83 के अन्तर्गत प्रदान किये गये हैं।

3. स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में शिक्षा (ग्रु–3) विभाग से उनके पत्र क्रमांक एफ 10(6) शिक्षा/3/84 दिनांक 9.5.85 एवं 29.8.85 द्वारा निदेशक, कालेज शिक्षा को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।

4. ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है,

तथा ताम्रपत्र प्रदान किये गये उन्हें हैं, गृह कर से मुक्ति किये जाने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 4.10.72 को जारी की गई है।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 14(67) पी. डब्ल्यू. डी. 82 दिनांक 1.4.87 के द्वारा स्वततंत्रता सेनानियों को अन्य राजकीय कर्मचारियों की तरह नियमानुसार किराये पर डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी आदेश जारी किये हैं।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6 (11) एफ.डी.आर.आर./76 पार्ट दिनांक 27.3.84 द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेन्शनरों को क्षेत्रीय बैंकों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी आदेश प्रसारित किये हैं।

7. स्वतंत्रता सेनानियों को व उनकी विधवाओं को निगम की वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम आदेश सं. एफ. (4)म./यात्रा/70/लेखा/87/716 दिनांक 25.8.87 एवं आदेश सं. एफ. 4/29/यात्रा/लेखा/88/42 दिनांक 13.1.88 जारी किये हैं।

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

सपोटरा (सवाई माधोपुर) अनुसूचित जाति/जनजाति के विभागीय छात्रावास

439. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने विभागीय छात्रावास चल रहे हैं ? वर्तमान में उनमें कितनी-कितनी छात्र संख्या है ? इन्हें प्रतिमाह क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

उत्तर

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति के दो छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। जिनकी प्रत्येक की स्वीकृत छात्र संख्या 25 है तथा प्रत्येक में 25 छात्र प्रवेशित है।

छात्रावास मे रहने वाले छात्र/छात्राओं को भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन, जूते, पोशाक आदि सुविधायें प्रदान करने हेतु प्रतिमाह 250/-रुपये प्रति छात्र उपलब्ध कराये जाते हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक 40/– रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक 60/– रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र पुस्तक एवं स्टेशनरी हेतु नकद उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को निशुःल्क आवासीय सुविधा व बिस्तर आदि भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

पशुपालन विभाग में रोस्टर की पूर्ति

440. **डा. चन्द्रभान** (मण्डावा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशुपालन विभाग में बी. ए. एस./ बी. एस./सहायक निदेशक/जिला पशु पालन अधिकारी/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/ निदेशक के पदों में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) पशुपालन विभाग में पदोन्नति के क्या प्रावधान हैं ? क्या अधिकारियों की पदोन्नति में अन्य विभागों की तरह रोस्टर प्रणाली की पूर्ति की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विभाग में रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग में विभिन्न रिक्त पड़े पदों को भरने की कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनुसूचित जाति/ जनजाति के कोटे को विभाग में पूरा करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) पशु पालन विभाग में उपनिदेशक स्तर का एक अधिकारी अनुसूचित जाति का एवं सहायक पशु शल्य चिकित्सक स्तर

(पशुपालन राज्य मंत्री)

के 21 अनुसूचित जाति व 17 अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं।

(2) राजस्थान पशु पालन सेवा नियम 1963 के अनुसार पदोन्नति के नियम बने हुए हैं। पदोन्नति के समय रोस्टर प्रणाली की पूर्ति की जाती है।

(3) रिक्त पड़े पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन शीघ्र किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षित रखे गये हैं।

राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज के मुख्य अधीक्षक का रिक्त पद

441. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट मोटर गैराज में मुख्य अधीक्षक का पद रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार इस पद को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मोटर अभियन्ता को स्टोर प्रभारी बना रखा है एवं स्टोर प्रभारी को मोटर अभियन्ता ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार स्टेट मोटर गैराज को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां, मुख्य अधीक्षक का पद दिनांक 30.11.90 से रिक्त है।

(2) जी, हां। मुख्य अधीक्षक के पद को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी, हां। विभाग में मोटर अभियन्ता व भण्डार अधिकारी के पदों की योग्यता व वेतन श्रृंखला समान हैं अतः इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को प्रशासन में गतिशीलता बनाये रखने के उद्देश्य से लगाया गया है।

(4) फिलहाल इरादा नहीं है।

उरमूल डेयरी, बीकानेर में दुग्ध संकलन

442. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या डेयरी विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर उरमूल डेयरी में गत पांच वर्षों में प्रतिदिन औसतन दूध संकलन कितनी-कितनी मात्रा में हुआ ? गत दो वर्षों में दूध संकलन में कितनी-कितनी कमी आई तथा उसके क्या कारण रहे ?

(2) अकाल एवं अभाव की स्थितियों को देखते हुए दुग्ध विकास विभाग एवं निगम प्रदेश में क्या-क्या सुविधाएं एवं राहत दे रहा है ?

उत्तर

(1) बीकानेर उरमूल डेयरी में गत पांच वर्षों में प्रतिदिन औसतन दुग्ध संकलन की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। गत दो वर्षों में दुग्ध संकलन में कोई कमी नहीं आई।

(2) अकाल एवं अभाव की स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा डेयरी फैडरेशन के माध्यम से प्रदेश में निम्न सुविधायें दी जा रही है :—

1. पशु आहार पर अनुदान।

2. प्रभावित पशुओं को सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारा परिवहन पर अनुदान।

3. दुग्ध समिति स्तर पर चारा डीपो खोल कर चारा वितरण।

उरमूल डेयरी बीकानेर में गत पांच वर्षों में प्रतिदिन औसतन दुग्ध संकलन का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	औसतन दुग्ध संकलन प्रति दिन (किलो ग्राम)
1	2	3
1.	1986–87	1,09,564
2.	1987–88	84,408
3.	1988–89	68,848
4.	1989–90	91,221
5.	1990–91	99,643

तारांकित प्रश्न संख्या 443

(स्थगित)

बानसूर में मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा की गई घोषणाएं

444. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन अभियोग निराकरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष माह नवम्बर-दिसम्बर, 1991 में बानसूर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय, बानसूर में मुख्य मन्त्री सहित मन्त्रिमण्डल के कौन-कौन सदस्य दौरे पर गये थे।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में राज्य शिक्षा मन्त्री ने अपनी यात्रा प्रवास के दौरान इस क्षेत्र

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

कि अनेकों विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के आदेश दिये थे।

(3) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री ने बानसूर मुख्यालय पर विश्रामगृह (रेस्ट हाउस) का तुरन्त निर्माण करने के आदेश दिए थे ?

(4) क्या यह सही है कि बानसूर में विकास अधिकारी का ही कार्यालय है ? यदि हां, तो वहां विश्रामगृह की क्या उपयोगिता है ?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़ मुख्यालय पर विश्रामगृह (रेस्ट हाउस) निर्माण की मांग अनेकों राजकीय कार्यालयों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत समय से की जा रही है ?

(6) क्या सरकार बानसूर से अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्मणगढ़ मुख्यालय पर विश्रामगृह निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत वर्ष माह नवम्बर–दिसम्बर, 1991 में बानसूर विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय बानसूर में निम्नलिखित मंत्रीगण दौरे पर गये थे :—

1. श्री भैरोंसिह शेखावत,
   मुख्यमंत्री 17.12.91
2. श्री चतुर्भुज वर्मा,
   सहकारिता मंत्री 17.12.91
3. श्री हरिकुमार औदिच्य,
   शिक्षा मंत्री 30.12.91
4. श्री दिग्विजयसिंह,
   गृह मंत्री 17.12.91
5. श्री सम्पतसिंह,
   भूतपूर्व कृषि मंत्री 17.12.91
6. श्री जगमालसिंह यादव,
   भूतपूर्व यातायात मंत्री 17.12.91
7. श्री कालूलाल गुर्जर,
   खनिज राज्य मंत्री 17.12.91
8. श्री जगतसिंह दायमा,
   विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी
   राज्य मंत्री 17.12.91

(2) जी नहीं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कोई राज्य मंत्री नहीं हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री हरिकुमार औदिच्य ने दिनांक 30.12.91 को बानसूर यात्रा की थी किन्तु उन्होंने किसी भी विद्यालय को क्रमोन्नत करने के आदेश नहीं दिये। महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री ने बानसूर की यात्रा ही नहीं की।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। बानसूर में विकास अधिकारी के कार्यालय के अलावा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस स्टेशन, रेफरल अस्पताल, सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता, जलदाय विभाग, एवं रेन्जर फॉरेस्ट के कार्यालय व न्यायालय हैं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। वित्तीय साधनों की कमी के कारण अभी सम्भव नहीं है।

संयुक्त पंजीयक पद पर पदोन्नति

445. **श्री कन्हैयालाल (बस्सी)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में वर्ष 1989--90 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उप पंजीयक से संयुक्त पंजीयक पद के लिए पदोन्नतियां की गई ? यदि हां, तो पदोन्नत किए गये अधिकारियों की सूची मय वरिष्ठता सूची के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जन जाति वर्ग में वरिष्ठता लांघ कर पदोन्नतियां दी गई ? यदि हां तो इससे वरिष्ठ व प्रभावित हुए अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उन अधिकारियों की पदोन्नति की पात्रता पर विचार ही नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पदोन्नत अधिकारियों की सूचि परिशिष्ट 'अ' व वरिष्ठता सूचि परिशिष्ट 'ब' पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-4) सहकारिता

क्रमांक : प. 18 (56) कृषि-4/सह./89 जयपुर दिनांक, 23.6.90

आदेश

राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954 के नियम 26 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 89-90 की सिफारिशों के अनुसरण में निम्नलिखित उप पंजीयक, सहकारी समितियां को वर्ष 89-90 की रिक्तियों के विरूद्ध संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां के पद पर अस्थाई रूप से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है ;—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति का आधार
1.	श्री के. एन. गुप्ता	वरिष्ठता एवं योग्यता
2.	श्री आर. सी. भाटिया	"

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति का आधार
3.	श्री जे. पी. शर्मा	योग्यता
4.	श्री एन. के माथुर	,,
5.	श्री वासुदेव प्रसाद गुप्ता	,,

क्रम संख्या 1 व 3 पर अंकित अधिकारी अपने पूर्व पदों पर यथावत कार्य करते रहेंगे। क्रम संख्या 4 व 5 पर अंकित अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से प्रसारित किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,
ह.
(जे. सी. शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. शासन विशिष्ठ सचिव, कार्मिक (क) विभाग।
3. पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, सहकारिता मंत्री जी।
5. निजि सचिव, मुख्य सचिव/शासन सचिव, सहकारिता।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

ह.
(आर. एन. शर्मा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह.

शासन सहायक सचिव

परिशिष्ट 'ब'

विभाग के आदेश दिनांक 29.8.86 के द्वारा जारी की गयी वरिष्ठता सूची :—

क्र. सं	नाम अधिकारी	क्र. सं.	नाम अधिकारी
1.	श्री बी. एल. रावत (एस. टी.)	10.	श्री हनुमान सहाय जोशी
2.	,, के. एन. गुप्ता	11.	,, अनिल कुमार गर्ग
3.	,, आर. सी. भाटिया	12.	,, सी. आर. जाखड़
4.	,, जे. पी. शर्मा	13.	,, रफीक अहमद
5.	,, एन. के. माथुर	14.	,, आर. बी. बलिहारी
6.	,, बाबूलाल जैन	15.	,, रामावतार जैन (प्रथम)
7.	,, रंगलाल मीणा (एस. टी.)	16.	,, रामावतार जैन (द्वितीय)
8.	,, वासुदेव प्रसाद गुप्ता	17.	,, के. एस. राठौड़
9.	,, के. पी. वर्मा	18.	,, एम. सी. जैन

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति

446. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कुल कितने परिवार हैं ?

(2) ऐसे परिवारों में कितने व्यक्तियों को गत दो वर्षों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया और शेष परिवारों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(1) अकाल पीड़ित क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की कोई सूचना संकलित नहीं की जाती। वैसे भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 26 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को सामान्य वर्षों में रोजगार देने का उत्तरदायित्व सहायता विभाग का नहीं होता। जवाहर रोजगार योजना, अन्य विभागीय कार्यों या

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री)

निजी क्षेत्र में रोजगार मिलता है। मरुस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्रों में माह मार्च, 1992 के लिए एक लाख श्रमिकों को राहत कार्यों पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई है।

नागौर में उचित मूल्य की दुकानों में अभिवृद्धि

447. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर में वर्ष 1991–92 में उचित मूल्य की दुकानें जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ाने हेतु आवेदन जिला रसद अधिकारी द्वारा मांगे गये थे ? क्या जिला रसद अधिकारी द्वारा छः नई दुकानें स्वीकृत की थीं तथा कुछ दुकानों को राशन सामग्री भी आवंटित हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, नागौर तथा जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा स्वीकृत सभी दुकानें कुछ ही दिनों बाद निरस्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी ने दुकानें स्वीकार करने से पूर्व पत्रावली पर जिला कलक्टर, नागौर की पूर्व स्वीकृति ली थी ?

(4) क्या जिला रसद अधिकारी के द्वारा आवंटित दुकानों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो वह शिकायत तथा उस पर की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला प्रशासन द्वारा छः नई दुकानें आवंटित की गई थी।

(2) जी हां। नई खोली गई दुकानों के संबंध में उपभोक्ताओं को असुविधा होने, दुकान समय पर नहीं खोलने व निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार दुकानें आवंटन नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होने से इन दुकानों को निरस्त कर दी गई।

(3) जी हां।

(4) दुकानें आवंटित के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं उन्हें तथा उपभोक्ता के हितों को देखते हुए आवंटित दुकानें निरस्त करदी गई। शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। किन्तु शिकायतों की कोई किसी अधिकारी से बगैर जांच कराये ही दुकानें निरस्त करदी गई हैं जो उचित प्रतीत नहीं होती। पुनः जांच किये जाने तक नई दुकानों का आवंटन बहाल किया जा रहा है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

"अपना गांव अपना काम" योजना के तहत व्यय राशि

448. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में "अपना गांव अपना काम" योजना कब शुरू की गई ? यह योजना क्या है ?

(श्री यदुनाथ सिंह)

(2) इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में कितनी-कितनी राशि जन सहयोग से व कितनी राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस योजना को चालू रखना चाहती है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

उत्तर

(1) राज्य में "अपना गांव अपना काम" योजना दिनांक 1 जनवरी, 1991 से प्रारम्भ की गई। यह स्थानीय समुदाय एवं सरकार की भागीदारी से गांवों में समुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन की योजना है, जिसके तहत सामुदायिक कार्यों के लिए निम्न प्रकार से संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं :—

1. जन सहयोग	30 प्रतिशत
2. राज्य आयोजना मद से	20 ,,
3. जवाहर रोजगार योजना मद से	50 ,,
1. 35% राशि ग्राम पंचायतों को ज. रो. यो. की उपलब्ध कराई गई राशि/अतिरिक्त जन सहयोग ग्राम पंचायतों की आय इत्यादि	35 ,,
2. 15% राशि जवाहर रोजगार योजना की अभिकरणों के पास उपलब्ध 20% रक्षित राशि में से अथवा अन्य योजना से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।	15 ,,

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में जन सहयोग एवं सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी हां। सरकार उक्त योजना को यथावत चालू रखना चाहती है। सरकार वर्तमान में जिस रूप में योजना चल रही है उसी रूप में यह योजना चालू रखना चाहती है।

परिशिष्ट–अ

"अपना गांव–अपना काम योजना" के अन्तर्गत जन सहयोग एवं सरकार द्वारा व्यय राशि का विवरण—वर्ष 1990–91 एवं 1991–92

क. सं. 1	नाम जिला 2	जन-सहयोग 3	राज्य सरकार 4	कुल 5
1.	अजमेर	13.92	32.37	46.39
2.	अलवर	25.77	60.12	85.89
3.	बांसवाड़ा	12.05	28.11	40.16
4.	बांरा	—	—	—
5.	बाड़मेर	6.95	16.23	23.18
6.	भरतपुर	10.65	24.84	35.49
7.	भीलवाड़ा	29.56	68.98	98.54
8.	बीकानेर	18.48	43.11	61.59
9.	बूंदी	2.69	6.27	8.96
10.	चित्तौड़	20.29	47.35	67.64
11.	चूरू	34.90	81.44	116.34
12.	दौसा	5.74	13.39	19.13
13.	धौलपुर	6.27	14.64	20.91
14.	डूंगरपुर	9.96	23.25	33.21
15.	गंगानगर	10.28	24.01	34.29
16.	जयपुर	20.52	47.88	68.48
17.	जैसलमेर	5.27	12.29	17.56
18.	जालोर	3.57	8.34	11.91
19.	झालावाड़	8.84	20.63	29.47
20.	झुंझुनु	9.59	22.39	31.98
21.	जोधपुर	19.77	46.13	65.90
22.	कोटा	7.51	17.53	25.04
23.	नागौर	17.55	69.40	58.51

1	2	3	4	5
24.	पाली	4.84	11.28	16.12
25.	राजसमंद	6.16	14.36	20.52
26.	सवाई माधोपुर	11.84	27.63	39.47
27.	सीकर	16.97	39.61	56.58
28.	सिरोही	1.29	3.02	4.31
29.	टौंक	12.04	28.09	40.13
30.	उदयपुर	10.56	24.64	35.20
	योग	363.83	848.99	1212.82

राजस्व अभियान के अन्तर्गत आवंटित भूमि का नामान्तरकरण

449. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट में अलग-अलग राजस्व अभियान में आवंटित भूमि के नामान्तकरण नहीं खोले गये तथा नक्शे में तरमीम नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार भूमि आवंटन के बाद नामांतरकरण खोलने तथा नक्शे में तरमीम करने के लिए राजस्व अधिकारियों को समय निर्धारित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार जिन किसानों को आवंटित भूमि के नामान्तकरण तथा तरमीम नहीं की है उन्हें शीघ्र करने के आदेश जारी करने का इरादा रखती है जिससे भविष्य में ऐसे मामले नहीं आयें ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में विभिन्न राजस्व अभियानों में कुल 1275 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था जिनमें से 1220 आवंटन के मामलों में नामान्तरकरण स्वीकृत किये जा चुके है। शेष 55 आवंटियों के नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करने के मुख्य कारण निम्न अनुसार है।

1. न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण
2. आवंटियों द्वारा कब्जा लेने से इंकार करने के कारण।
3. आवंटित भूमि विवादास्पद होने के कारण 1220 मामले जिनमें नामान्तरकरण स्वीकृत किये जा चुके है

(राजस्व मंत्री)

उनमें से 467 मामलों में नक्शों में पुख्ता तरमीम की जा चुकी है व शेष 753 मामलों में पेसिली तरमीम करदी गई है व पुख्ता तरमीम की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) आवंटियों द्वारा कब्जा लेने से इंकार करने के मामलों में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। जिन मामलों में न्यायालय के स्थगन आदेश है उनमें नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगन आदेश के निरस्त होने के बाद ही संभव होगी। जिन आवंटियों द्वारा आरक्षित मूल्य जमा नहीं कराने के कारण नामान्तरकरण नहीं खोले गये है उनमें अग्रिम कार्यवाही तभी संभव होगी जब आरक्षित मूल्य जमा करा दिया जायेगा। शेष मामलों में नामान्तरकरण तथा तरमीम की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश जिला कलक्टर दौसा को दिये जा रहे हैं।

अजमेर खण्ड में वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जों का नियमन

450. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) अजमेर खण्ड में वन विभाग द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में कितने अनाधिकृत कब्जे वालों को धारा 91 के नोटिस दिये एवं कितनों के कब्जों से इन्हीं वर्षों के दौरान कब्जे खाली कराये ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जों को नियमित करने का मानस रखती है या कोई नीति या योजना बनाने जा रही है, यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

(1) अजमेर वन मण्डल में वर्ष 1990-91 में 114 एवं 1991-92 में 2 अनाधिकृत कब्जे वालों को धारा 91 के नोटिस दिये गये एवं क्रमश: 30 एवं 29 से कब्जे खाली कराये गये।

(2) जी नहीं। आदिवासियों द्वारा 1.7.80 से पूर्व वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर किया जाना प्रस्तावित है।

आदर्श कारागार, जयपुर के कैदियों की समय से पूर्व रिहाई प्रकरण

451. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदर्श कारागार, जयपुर में गत वर्ष कुछ अधिकारी, कर्मचारियों ने मिलकर जेल से कुछ कैदियों को समय से पूर्व रिहा किये जाने के लिये फर्जी कागजात तैयार किये थे ?

(2) यदि हां, तो दोषी कर्मचारी, अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तथ्य यह है कि कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने केन्द्रीय

(कारागृह राज्य मंत्री)

कारागृह, जयपुर के बंदी रमेश, मुन्ना एवं गोपी की समय पूर्व रिहाई के संबंध में सलाहकार मंडल के समक्ष सम्पूर्ण रिकार्ड व सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये थे।

(2) उक्त मामले में दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण अपील) नियमों के नियम 16 के अंतर्गत चार्जशीट देकर नियम 18 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संयुक्त जांच की जा रही हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को राहत

452. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची प्रकाशित की गई है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सूची राज-पत्र में प्रकाशित नहीं होने के कारण तहसीलदार एवं उप-खण्ड अधिकारी पिछड़े वर्ग की जाति के प्रमाण-पत्र के पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या सूची में उल्लेखित जातियों को राज्य सरकार सहूलियतें प्रदान कर रही है? यदि हां, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मूलतः पिछड़े वर्गों की सूची कुछ शैक्षणिक सुविधायें दिये जाने हेतु 1951 में शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। जिसे आदिनांक कर 1962 में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) यह सही है कि उक्त सूची राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है, क्योंकि यह सूची संविधान अथवा किसी विधान के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है। "राजस्थान अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं अन्य पिछडी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति नियम, 1989" के नियम 4(2) (क) के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देने हेतु प्राधिकृत हैं। अतः उक्तः वर्गों के छात्रों को शिक्षा की सुविधाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए यदि किसी स्थान विशेष से किसी शिकायत की जानकारी मिलती है तो नियमानुसार कार्यवाहीं की जा सकती है। अन्य किसी उपयोग के लिए जाति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) वर्तमान में अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी कुछ रियायतें दी जा रही हैं जैसे :—

1. शिक्षण शुल्क संबंधी छूट/सुविधायें।
2. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

3. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में 10 प्रतिशत सीटें इन वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

List of Other Backward Classes In Rajasthan

I. Throughout the State Exeept Ajmer District :—

1. Banjara
2. Baori
3. Badera
4. Bagaria
5. Bhat
6. Bhoi (Sagarvanshi Mali)
7. Cheeta
8. Chamta
9. Dakot
10. Damami
11. Daroga
12. Dhandi
13. Dhankas
14. Dhobi
15. Dholi
16. Gaderia
17. Gadia Lohar
18. Ghanacha
19. Ghanchi
20. Hazuree
21. Hodi
22. Jogi
23. Julaha
24. Kahar
25. Kalal
26. Kangi
27. Kanvi
28. Khant
29. Kharol
30. Kumbhar
31. Labana
32. Lakhera
33. Lohar
34. Merat and Mer
35. Mehra
36. Maha Brahmin
37. Miras
38. Merasi
39. Mogia
40. Nagarchee
41. Nai
42. Naik
43 Nairia
44. Odd (Beldar)
45. Patwa (Phadal)
46. Pinjara
47. Rai
48. Raona Rajput
49. Rawat

50. Rehbari
51. Sad
52. Sonsi (Sehar)
53. Satiya (Sindhis)
54. Sikligar
55. Sirkiwala
56. Teli
57. Thatera

II–In Ajmer District :—

1. Aheer
2. Banjare
3. Cheeta
4. Daroga
5. Dhakad
6. Gadolia
7. Gujar
8. Jat
9. Kahar
10. Kumbar
11. Lodha
12. Lohar
13. Mena
14. Mali
15. Merat
16. Nai
17. Nayar
18. Rawat

पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान

453. **श्री राम प्रसाद** (वैर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार यह मानती हैं कि कृत्रिम गर्भाधान एक पूर्ण तकनीकी कार्य हैं ? क्या यह भी सही है कि यह कार्य पूर्णतः तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो पशुपालन विभाग में अप्रशिक्षित सुपरवाइजर्स/न्यू गोपाल से यह कार्य क्यों कराया जा रहा है ?

(2) क्या इस कार्यवाही से पशु चिकित्सक परिषद नियम, 1988 के नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि भारतीय पशु चिकित्सक परिषद् के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी राजस्थान में अपंजीकृत पशु चिकित्सक पंजीकृत पशु चिकित्सकों की तरह कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उन्हें (दो वर्षीय सर्टिफिकेटधारी) प्रभारी पशु चिकित्सालय (बी. ए. एस) क्यों लगा रखा है ?

उत्तर

(1) कृत्रिम गर्भाधान एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि है। कोई भी व्यक्ति इस विधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। यहां आवश्यक नहीं है कि तकनीकी अधिकारी के द्वारा ही यह कार्य किया जावे। कोई भी तकनीकी अथवा गैर

(पशुपालन राज्य मंत्री)

तकनीकी व्यक्ति इस विधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर सकता है। पशु पालन विभाग में कोई भी अप्रशिक्षित सुपरवाइजर अथवा गोपाल कार्यरत नहीं है।

(2) जी, नहीं, राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद नियम 1988 के तहत कृत्रिम गर्भाधान की विधि को नहीं लिया हुआ है, इसलिए इसके उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद के नियमों के अनुसार अपंजीकृत पशु चिकित्सालयों में कार्य नहीं कर सकते हैं। इन्हें पंजीकृत करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। निकट भविष्य में अपंजीकृत व्यक्ति चिकित्सालयों में कार्यरत नहीं रहेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 454

(स्थगित)

(इसके लिये स्थगित प्रश्न संख्या 158 के बाद देखें)

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

456. **श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में सहकारिता मंत्री द्वारा 6 महीने में समस्त सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा देने का आश्वासन दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आश्वासन के बाद भी राज्य सरकार द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक व राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनावों के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त आश्वासन के आधार पर 31 मार्च, 1992 से पूर्व राजस्थान की शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। फिर भी सरकार ने अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों, उपभोक्ता भण्डारों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों व नागरिक सहकारी बैंकों के चुनाव करा दिए हैं।

(2) एक ही स्थान पर अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकाली ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एकीकरण पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। एकीकरण पर निर्णय होने के बाद इन संस्थाओं के चुनाव करा दिए जायेंगे। साख संस्थाओं को छोड़कर अन्य राज्य स्तरीय संस्थाओं के चुनाव 6 माह में कराने हेतु सरकार कटिबद्ध है।

(3) चुनाव 6 माह की अवधि में कराने का विचार है। 31 मार्च, 92 के पूर्व में चुनाव नहीं हो सकते।

जैसलमेर में भूकम्प से क्षति

457. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में माह नवम्बर, 1991 में कई नगरों व कस्बों में भूकम्प आया था ?

(2) क्या उपरोक्त भूकम्प के कारण जैसलमेर जिले के सैकड़ों मकानों की दीवारों व छतों पर दरारें आ गई थीं ? इस भूकम्प से जैसलमेर जिले की जनता को कितनी आर्थिक हानि हुई तथा राज्य सरकार ने क्या–क्या सहायता प्रदान की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस आर्थिक हानि के भुगतान की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भूकम्प के कारण जैललमेर जिले में कुछ व्यक्तियों के मकानों में दरारें आई हैं जिनके संबंध में प्रारम्भिक रूप सें 26.51 लाख रुपये का नुकसान आंका गया है।

(3) क्षति का विस्तृत विवरण तैयार करने तथा उसके आधार पर हानि का विवरण बताने को कलक्टर को कहा गया हैं। विवरण तैयार होने पर प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने पर विचार किया जावेगा।

जिला बीकानेर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली

458. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में जिला बीकानेर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से नियंत्रित मूल्यों पर माहवार किस-किस वस्तु का कितनी-कितनी मात्रा में आवंटन हुआ है ?

(2) उक्त कोटा निर्धारण का क्या आधार है तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रतिमाह किस-किस वस्तु का कितनी-कितनी मात्रा में प्रति व्यक्ति को आवंटन हुआ ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में जिला बीकानेर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से नियंत्रित मूल्यों पर माहवार जिस–जिस आईटम का जितनी–जितनी मात्रा में आवंटन हुआ है, का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) उक्त कोटा के निर्धारण का आधार लेवी चीनी के अतिरिक्त क्षेत्र की जनसंख्या, उपलब्धी एवं मांग है तथा लेवी चीनी का वितरण 425 ग्राम प्रति व्यक्ति है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रति माह जिस–जिस वस्तु का जितनी–जितनी मात्रा में प्रति व्यक्ति को आवंटन हुआ उसका विवरण भी सदन के पटल पर रख दिया है।

क्र. सं.	नाम माह	नाम वस्तु (मात्रा मै. टनों में)				
		चीनी	गेहूं	चावल	खाद्य तेल	केरोसीन (कि.ली. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	जनवरी, 91	436.5	4000	20	—	1250
2.	फरवरी, 91	436.5	3000	20	65	1170
3.	मार्च, 91	436.5	5000	20	65	876
4.	अप्रैल, 91	436.5	7000	20	—	1000
5.	मई, 91	436.5	7000	20	—	1020
6.	जून, 91	435.7	4000	20	—	1070
7.	जुलाई, 91	437.7	3000	20	—	1100
8.	अगस्त, 91	437.5	3500	20	—	1170
9.	सितम्बर, 91	481.9	4500	20	—	1170
10.	अक्टूबर, 91	524.9	4200	20	40	1170
11.	नवम्बर, 91	524.9	4500	20	40	1200
12.	दिसम्बर, 91	459.9	4400	20	—	1150
13.	जनवरी, 92	443.3	4400	20	40	1200
14.	फरवरी, 92	483.7	4400	80	36	1200

क्र. सं.	नाम माह	नाम वस्तु (मात्रा किलो ग्रामों में)									
		गेहूं		चावल		लेवी चीनी (ग्रामों में)		खाद्य तेल (किलो में)		कैरोसीन (मात्रा लीटर में)	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जनवरी, 91	10	10	5 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह।	5 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह।	400	400	2 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह।	2 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह।	10 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह।	10 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह।
2.	फरवरी, 91	10	10			400	400				
3.	मार्च, 91	10	10			400	400				
4.	अप्रेल, 91	10	10			400	400				
5.	मई, 91	10	10			400	400				
6.	जून, 91	10	10			400	400				
7.	जुलाई, 91	10	10			400	400				
8.	अगस्त, 91	10	10			400	400				
9.	सितम्बर, 91	10	10			400	400				
10.	अक्टूबर, 91	10	10			400	400				
11.	नवम्बर, 91	10	10			400	400				
12.	दिसम्बर, 91	10	10			400	400				
13.	जनवरी, 92	5	5			400	400				
14.	फरवरी, 92	5	5			400	400				

चम्बल की दायीं मुख्य नहर के प्रथम खण्ड में जन उपयोगी कार्य

459. **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल दायीं मुख्य नहर खण्ड प्रथम, कोटा में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स के लिए कितना बजट रखा गया था ?

(2) उक्त दो वर्षों में पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स के कितने कार्य करवाये गये उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य ऐसे हैं जिनके ठेके निविदायें दी हुई हैं परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहे हैं ? वर्ष 1990-91 व 1991-92 के कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चम्बल दायीं नहर खण्ड प्रथम, कोटा में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स के लिए क्रमश: 4.00 लाख एवं 1500 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया ।

(2) वर्ष 1990-91 में 25 वर्क्स व 1991-92 में 29 वर्क्स लिये गये हैं जिनमें से वर्ष 1990-91 के शत प्रतिशत वर्क्स व 1991-92 के 19 वर्क्स पूर्ण हो चुके हैं तथा वर्ष 1991-92 के 10 शेष बचे हुए वर्क्स में कार्य प्रगति पर है (ठेके दिये हुए हैं) । वर्ष 1990-91 व 1991-92 के वर्क्स की सूची क्रमश: परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

मिशन काम्पलैक्स (खैरवाड़ा) की सम्पत्ति

460. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाडा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खैरवाड़ा स्थित मिशन काम्पलैक्स में क्या-क्या चल एवं अचल सम्पत्ति है और उसका अनुमानित मूल्य क्या होगा ? उस सम्पत्ति का मालिक कौन है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त काम्पलैक्स की सम्पत्ति को बेचने की कार्यवाही चल रही है ? उक्त सम्पत्ति संस्था को कहां से प्राप्त हुई है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि एवं सम्पति को अधिग्रहण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चर्च मिशनरी ट्रस्ट ऐसोशियेशन खैरबाड़ा के पास उल्लेखनीय चल सम्पति निम्न प्रकार है :—

1. मिशन कम्पाउण्ड खैरवाडा जिसमें बंगला, स्कूल, होस्टल, डिस्पेन्सरी, गैरेज, स्टाफ क्वार्टस एवं ग्राउट हाउसेज आदि स्थित है, की भूमि का क्षेत्रफल 7.98 हैक्टेयर है ।

2. चर्च बिल्डिग एवं भूमि है । इसका क्षेत्रफल 0.74 हैक्टेयर है ।

उपरोक्त अचल संपदा की वर्तमान अनुमानित कीमत 23.17 लाख रुपया है ।

282

(राजस्व मंत्री)

सम्पत्ति का स्वामित्व उक्त प्रन्यास में निहित है।

(2) जी हां। उक्त प्रन्यास में खैरवाडा में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि को विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिनांक 6.9.88 को एक आवेदन पत्र सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के यहां प्रस्तुत किया था जो अभी तक विचाराधीन है। उक्त मिशन काम्पलैक्स को भूमि मेवाड राज्य के भूत–पूर्व ठिकानों से प्राप्त हुई थी।

(3) प्रन्यास की भूमि और सम्पत्ति को अधिग्रहण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला बांसवाड़ा में प्लान्टेशन एवं केटल गार्ड्स

461. **श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में 1985 से 1991 तक वन विभाग ने कितने पौधों का पौधरोपण किया ? वर्षवार प्लान्टेशन का रकबा व खर्च की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में लगाये गये पौधों में से कितने प्रतिशत पौधे जीवित रहे ?

(3) क्या यह सही है कि जो पौधे लगाये गये थे वह पूरे सूख गये ? यदि हां, तो धन के दुरुपयोग के लिये कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि जो प्लान्टेशन लगाये जाते हैं उस पर 5 साल ही केटल गार्ड रखे जाते हैं ? क्या सरकार 15 साल साल तक पौधों की निगरानी रखने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 1985 से 91 तक वन विभाग द्वारा वर्षवार लगाये गये पौधों की संख्या, वृक्षारोपण क्षेत्र एवं व्यय राशि की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) 1985 से 1991 तक लगाये पौधों में से जीवित पौधों का प्रतिशत 60 से 70 प्रतिशत है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। केटल गार्डों द्वारा पौधा-रोपण की सुरक्षा 5 वर्ष तक ही करवाया जाना पर्याप्त है। 5 वर्ष पश्चात् पौधा-रोपण की सुरक्षा नियमित कर्मचारियों द्वारा कराई जाती है।

बांसवाड़ा जिले में लगाये गये पौधे एवं व्यय राशि विवरण

वर्ष	लगाये गये पौधों की संख्या (लाखों में)	वृक्षारोपण क्षेत्रफल	व्यय राशि (लाखों में)
1985—86	29—41	2536 50 रो.कि.मी.	41—35
1986—87	34—80	3185	67—89
1987—88	33—42	3994	102—45
1988—89	27—05	3162	134—58
1989—90	13—86	1724	82—23
1990—91	26—60	2850	186—24
1991—92	32—83	3237	138—35
	196—97	20188 50 रो. कि.मी.	753—09

मण्डल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

462. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार करती है ?

(2) सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में मण्डल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्व राज्य सरकार द्वारा गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो श्री मालीराम वर्मा की अध्यक्षता में गठित किया गया था, को क्या वर्तमान सरकार ने भंग कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इस वर्मा आयोग द्वारा की गई सिफारिशें व उन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा केवल आरक्षण सम्बन्धी सिफारिश लागू की गई है जिस पर प्रकरण उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। स्थिति स्पष्ट होने पर ही राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यवाही पर विचार करना सम्भव हो पायेगा।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) कोई आयोग गठित नहीं किया गया था, अपितु अन्य पिछड़ी जातियां मण्डल के नाम से एक बोर्ड गठित किया गया था जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में श्री मालीराम वर्मा को मनोनीत किया गया था। श्री वर्मा ने त्याग पत्र दिया था। बोर्ड का पुर्नगठन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) श्री वर्मा द्वारा की गई सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है (परिशिष्ट 'क') इन पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की सूची का प्रश्न नहीं उठता।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पशु स्वास्थ्य केन्द्रों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

463. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पशु स्वास्थ्य केन्द्रों पर पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में पशु डाक्टरों के कितने पद खाली हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। सहायक पशु शल्य चिकित्सकों के 200 पद भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिक्वीजिशन भेजा जा चुका है। आवेदन प्राप्त करने की तिथि 28.2.92 थी। आगे की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

(2) सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में डाक्टरों के 70 पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जिलेवार पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	जैसलमेर	11
2.	बाड़मेर	15
3.	बीकानेर	3
4.	चूरू	4
5.	सीकर	6

1	2	3
6.	जोधपुर	3
7.	पाली	11
8.	जालौर	10
9.	गंगानगर	2
10.	झुन्झुनू	—
11.	नागौर	5
	योग :	70

गंग केनाल लिक चेनल का निर्माण कार्य

464. **श्री केदार नाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) गंग केनाल लिंक चैनल का निर्माण कार्य कब शुरू किया ? कितना व्यय हुआ, निर्माण कार्य कब सम्पन्न हुआ ?

(2) गंग केनाल लिंक चैनल को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से सर हिन्द फीडर आई. जी. एन. पी. के बंधों (क्लोजर) कितने दिनों का मांगा ?

पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) पंजाब सरकार द्वारा बंधों (क्लोजर) न देने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) गंग केनाल लिंक चैनल का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1983 में स्वीकृत किया गया एवं निर्माण कार्य 15.2.1984 को प्रारम्भ किया गया। इसके निर्माण पर अब तक लगभग 2142 लाख रुपया व्यय हुआ है। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2) इस सम्बन्ध में सरहिन्द फीडर एवं आई. जी. एन. पी. दोनों के लिए अलग-अलग से 15–15 दिन का क्लोजर मांगा गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो पत्र व्यवहार किया गया है उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) पंजाब सरकार द्वारा बंदी नहीं देने का कोई औचित्य नहीं है। वे राजस्थान पर अनुचित दबाव डालकर 1984 के समझौते को निरस्त कराना चाहते हैं।

(प्रतियां अधिक संख्या में होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा पी. एम. टी. परीक्षा का आयोजन

465. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मोहन लाल सुखाड़िया विश्व–विद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित पी. एम. टी. की परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा प्रवेश शुल्क, क्या समान रखा गया है ?

(2) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त विशेष सुविधाओं के तहत कोई रियायत दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त विशेष सुविधाओं के तहत एम बी.बी. एस. में सीटें आरक्षित कर सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

को–आपरेटिव बैंक, सवाई माधोपुर के व्यवस्थापक

466. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई–माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर राजस्थान को–आपरेटिव बैंक में कुल कितने व्यवस्थापक हैं ?

(2) कितने व्यवस्थापकों के खिलाफ गबन के मामले विचाराधीन हैं, इनसे गबन की कितनी राशि वसूल की गई ?

(3) क्या सरकार इन व्यवस्थापकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला सवाई माधोपुर के कार्यक्षेत्र में 267 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिनमें 217 व्यवस्थापक कार्यरत हैं।

(2) 33 व्यवस्थापकों के विरुद्ध 3.21 लाख रुपये के मामले विचाराधीन हैं तथा इस राशि में से 19149.00 रुपये की राशि की वसूली हुई है।

(3) गबनकर्ता व्यवस्थापकों के विरुद्ध सहकारिता अधिनियम की धारा 74 के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

व्यवस्थापकों के विरुद्ध चल रही धारा 74 के अन्तर्गत गबन की सूची

क्र. सं.	नाम व्यवस्थापक	गबन की राशि	धारा 74 में केस दर्ज का वर्ष	धारा 74 में निर्णय दि.	धारा 74 में निर्णीत राशि			निर्णीत राशि की वसूली	यदि वसूली नहीं हुई तो उसका कारण
					असल	ब्याज प्रतिशत	सरचार्ज		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री शिवदयाल मीणा	5719/–	1980	31.8.81	5714/–	18 प्रति.	—	—	व्यवस्थापक के पास सम्पति नहीं है।
2.	श्री गिरीज लुहार	13474/–	1976	12.12.76	12669/–	„	800/–	—	अति. रजि. महोदय का स्थगन आदेश।
3.	श्री श्रीनारायण गुर्जर	60590/–	1985	12.3.86	55584/–	„	5000/–	—	एम.एम. कोर्ट स. माधोपुर का स्थगन आदेश
4.	श्री बाबूलाल गुप्ता	3645/–	1979	1.7.81	1636/–	„	2000/–	—	व्यवस्थापक के पास सम्पति नहीं है एवं अपील अति. रजिस्ट्रार के यहां चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	श्री जगदाम मीणा	10372/–	1980	13.10.81	5367/–	18प्रति.	5000/–	—	व्यवस्थापक के पास सम्पति नहीं है।
		12996/–	1985	9.4.87	1`990/–	,,	1000/–	—	,, ,, ,,
6.	श्री घनश्याम शर्मा	2106/–	1984	9.5.90	1600/–	,,	500/–	2106/–	—
7.	श्री रामेश्वरप्रसाद गुप्ता	11482/–	1078	7.5.90	11482/–	,,	—	—	व्यवस्थापक के पास सम्पति का नहीं होना।
8.	श्री रूपनारायण गुप्ता	2505/–	1985	20.6.90	1505/–	,,	1000/–	—	,, ,,
9.	श्री महावीरप्रसाद जैन	8467/–	1990	30.7.90	7467/–	,,	1000/–	—	,, ,,
10.	श्री श्यामलाल राणा	339/–	1976	20.7.88	323/–	,,	10/–	339/–	पूर्ण वसूली हो चुकी है।
11.	श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा	3919/–	1985	30.7.90	1919/–	,,	2000/–	—	व्यवस्थापक के पास सम्पति नहीं है।
12.	श्री गुलाबचन्द गुप्ता	19897/–	1982	18.2.83	19857/–	,,	—	—	स्थगन आदेश राज. हाई-कोर्ट जयपुर
13.	श्री हजारीलाल शर्मा	500/–	1982	14.6.90	—	,,	500/–	—	व्यवस्थापक के पास चल सम्पति नहीं।
14.	श्री राधेश्याम पारासर	6057/–	1986	20.3.87	5657/–	,,	400/–	—	,, ,,
15.	श्री अफजल अहमद	4272/–	1983	31.10.84	4272/–	,,	—	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	श्री बाबूलाल शर्मा	3038/–	1974	15.1.80	3038/–	18 प्रति.	—	—	व्यवस्थापक के पास चल सम्पत्ति नहीं
17.	श्री देवीसिंह	3043/–	1987	291.87	2543/–	,,	500/–	—	व्यवस्थापक के पास चल सम्पत्ति नहीं ।
18.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	13467/-	1985	23.2.88	11467/-	,,	2000/-	—	,, ,,
19.	श्री गिर्राजप्रसाद गुप्ता	3310/-	1983	27.6.85	3310/-	,,	—	—	,, ,,
20.	श्री रामस्वरूप शर्मा	4691/-	1980	29.10.82	4691/-	,,	—	—	,, ,,
		21381/-	1980	12.1.88	2138/–	,,	—	2138	,, ,,
21.	श्री राधेश्याम शर्मा	1350/-	1977	16.1.79	1350/-	,,	—	—	व्यव. के पास सम्पत्ति का नहीं होना ।
22.	श्री राधेश्याम गुप्ता	7323/-	1985	29.1-86	5822/-	,,	1500/-	—	,, ,,
23.	श्री मदनलाल मीणा	1303/-	1984	27.6.85	1053/-	,,	250/-	1303/-	,, ,,
24.	श्री श्योदानसिंह	500/-	1986	27.7.90	500/-	,,	—	—	व्यव. के पास सम्पत्ति का नहीं होना ।
25.	श्री दयाराम गुर्जर	2077/-	1984	12.3.86	1877/-	,,	200/-	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	श्री दिनेशचन्द्र सिंघल	13269/-	1984	12.3.86	12269/-	18 प्रति.	1000/-	13269/-	व्यव. के पास सम्पत्ति का नहीं होना।
27.	श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल	30354/–	1985	5.11.84	28354/–	,,	2000/–	—	,, ,,
28.	श्री विश्वरदयाल शर्मा	8598/–	1982	25.1.83	8590/–	,,	—	—	,, ,,
29.	श्री मनोहरलाल नाई	12998/–	1977	29.12.78	12498/–	,,	500/–	—	,, ,,
30.	श्री जगदीशप्रसाद शर्मा	4558/–	1983	31.1084	4558/–	,,	—	—	,, ,,
31.	श्री चिरंजीलाल मीणा	4334/–	1983	22.6.89	4184/–	,,	150/–	—	,, ,,
32.	श्री लक्ष्मणप्रसाद	6060/–	1978	17.11.78	5560/–	,,	500/–	—	,, ,,
33.	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	16824/–	1988	23.10.89	16324/–	,,	500/–	—	,, ,,
	योग :	320901/–						19149/–	

मण्डावा, बिसाऊ, मेहणसर व रामगढ़ शेखावटी में गैस कनेक्शन

467. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : क्या खाद्य व आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा, बिसाऊ, मेहणसर व रामगढ़ शेखावटी में नए रसोई गैस के कनेक्शन के लिए आयल कम्पनी के निर्देश होने के पश्चात् भी बुकिंग नहीं की जा रही है तथा केवल 200/ रु. देने वाले की ही बुकिंग की जा रही है ?

(2) क्या मण्डावा, बिसाऊ, मेहणसर व रामगढ़ शेखावटी में गैस हेतु बुकिंग की गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर की गई बुकिंग की प्राथमिकता सूची नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई गई तथा बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं से साढे तीन-तीन हजार रुपये लिए जा रहे हैं ?

(4) क्या उक्त डीलर ने वर्ष 1990-91 व 1991-92 में नये गैस कनेक्शन जारी किये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या व विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त डीलर डी. बी. सी. बनाने के 1100/– रुपये लेता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या विगत वर्ष उक्त डीलर ने एक ही नाम से तीन-तीन गैस कनेक्शन जारी किये हैं ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि बिसाऊ, मेहणसर व रामगढ़-शेखावटी में नये रसोई गैस कनेक्शन के लिए आयल कम्पनी के निर्देश होने के पश्चात् भी बुकिंग नहीं की जा रही है तथा केवल 200/– रु. देने वाले की ही बुकिंग की जा रही है। बिसाऊ, मेहणसर व रामगढ़ शेखावटी में दिनांक 1.12.91 से नये गैस कनेक्शनों की बुकिंग की गई है। मण्डावा में नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं इसलिए अभी बुकिंग नहीं की गई है।

(2) बिसाऊ, मेहणसर व रामगढ़ शेखावाटी में गैस हेतु बुकिंग की गई है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) बिसाऊ, मेहणसर व रामगढ़ शेखावटी में एजेन्सी द्वारा गैस कनेक्शन की बुकिंग करते समय ही उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन स्लिप तत्काल उपलब्ध करादी जाती है। जिसमें प्राथमिकता नम्बर, दिनांक आदि अंकित रहते हैं। अतः बुकिंग की प्राथमिकता सूची नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई गई। बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं से साढे तीन-हजार रुपये लिये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(4) गैस एजेन्सी द्वारा वर्ष 1990-91 व 1991-92 में नये गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं उनकी संख्या व विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) उक्त गैस एजेन्सी द्वारा विगत वर्ष में एक ही नाम से तीन गैस कनेक्शन

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

जारी करने का मामला जिला प्रशासन के ध्यान में आने पर इसकी जांच करवाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांसवाड़ा के चयनित परिवारों को बकरियां

468. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में 1985-86 1986-87, 1987-88, 1988-89 1989-90 व 1990-91 में चयनित परिवारों को बकरियां दी गई हैं ? यदि हां, तो नाम, चयनित व्यक्तियों की संख्या, गांव तथा पंचायत व पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बकरियों के साथ-साथ उन्नत नस्ल के बकरे भी चयनितों को दिलाये गये हैं ? यदि हां, तो उन्नत बकरे दिलाने के उपरान्त भी बकरियों की नस्ल में परिवर्तन नहीं आया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। चाहा गया विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, स्थानीय नस्ल के बकरे ही उपलब्ध कराये गये हैं। चूंकि उन्नत नस्ल के बकरे उपलब्ध ही नहीं कराये गये अतः नस्ल परिवर्तन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रामगढ़ (अलवर) में पुल निर्माण

469. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील रामगढ़, जिला अलवर के ग्राम बेरेबास, साहडोली, मुआथा, चपराडा, केसरोली की जमीन एक नाले द्वारा कट रही है जिससे जमीन का उपजाऊपन दिनों दिन कम होता जा रहा है ?

(2) क्या सरकार यहां पर कोई बांध बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, जमीन का उपजाऊपन कटाव से संबंधित नहीं है।

(2) यहां कोई बांध प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नाला मौजूदा बांध नगला बनजीर में गिरता है।

"बाबा मगरा" (उदयपुर) की भूमि का आवंटन

470. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) **श्री गम्भीर लाल मीणा** (सराड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक झील जयसमन्द के बीच स्थित

(श्री फूलचन्द मीणा)

"बाबा मगरा" की 103 बीघा जमीन किसी फर्म को लीज पर आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कब और कितने रुपये प्रति बीघा के हिसाब से ?

(2) क्या उक्त आराजी के आवंटन से पूर्व सरकार द्वारा नियमानुसार उद्घोषणा जारी की गई है ? यदि हां, तो कब, किस तारीख, माह व वर्ष में ? यदि नहीं, तो क्या यह आवंटन वैध है ?

(3) क्या सरकार इसी दर पर इस भूमि को बाबा मगरा आदिवासी वासिन्दे सदस्यों को आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह झील सिंचाई विभाग की धरोहर होने की स्थिति में विभाग से जमीन आवंटन की स्वीकृति प्राप्त की है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस झील के बीच व्यावसायिक होटल निर्माण से मत्स्य विपणन एवं पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर

(1) "बाबा मगरा" की राजकीय बिलानाम 103 बीघा जमीन मैसर्स–सिल्वर शेडो एक्सपोर्ट प्रा. लि., उदयपुर को लीज पर जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्र. प. 12/3(3) राजस्व/होटल/89/3468–74 दिनांक 11.10.91 के अनुसार भूमि की कीमत रु. 1500/– प्रति बीघा से एवं रूपान्तरण शुल्क रु. 6 प्रति वर्गगज से आवंटित की गई है। किराया व अन्य शुल्क भी शर्तों के अनुसार देय है।

(2) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा व होटल के सन्निर्माण एवं पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1978 में उद्घोषणा बाबत कोई प्रावधान नहीं है। यह आवंटन नियमानुसार एवं वैध है।

(3) जी नहीं। इस भूमि का आवंटन रिजोर्ट एण्ड विलेज काम्पलेक्स हेतु किया जा चुका है।

(4) आवंटित भूमि बिलानाम राजकीय भूमि होने से सिंचाई विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई किन्तु टापू पर जाने के लिए रास्ता सिंचाई विभाग से विचार विमर्श कर काम में लिया जावेगा।

(5) जी नहीं। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण की दृष्टि से आवंटन आदेश में शर्त संख्या 2 के अनुसार निम्नांकित समावेश किया गया है "किसी प्रकार का कूड़ा करकट झील में फेंका नहीं जावेगा। सीवरेज एवं बाहर जाने वाले गंदे पानी की निकासी हेतु जल (प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 (वाटर प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ पोल्यूशन) एक्ट 1974 के प्रावधानों की पालना की जावेगी, वायुमण्डल को प्रदूषित नहीं किया जावेगा।"

महुवा रेंज के ग्रामों में प्लान्टेशन

471. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेंज महुआ

(श्री हरिसिंह)

के ग्राम रशीदपुर, बालाहेड़ी, नोरंगवाड़ा नादना, सरावली, काला पहाड़ (बहड़खो) पाटोली आदि में विभाग द्वारा किये गये प्लान्टेशन के बारे में अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो क्या जांच की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिकायतकर्ता को दौराने जांच व्यक्तिगत सुना गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच उप वन संरक्षक, करौली से करवाई गई उप वन संरक्षक, करौली से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है। विधिवत प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही जारी है।

(2) प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा शिकायकर्ता को सुनवाई हेतु पत्र लिखा गया है। जांच की कार्यवाही अभी जारी है। जांच सम्पन्न होने के पश्चात दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

गोपनीय

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय, उप वन संरक्षक, भू–संरक्षण, करौली जिला सवाई माधोपुर (राज.)

क्रमांक : एफ. उबसं/जांच/गोप/पी.ए/91/10/सी दिनांक 20.1.91

निमित्त,

श्री एस.के. वर्मा,

भा. व. से.,

मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

राजस्थान, वन भवन, जयपुर।

विषय : करौली मण्डल के विकास कार्यों का निरीक्षण

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक एफ. 24(2) 89/मुवसं/विकास/पी.ए./2903 दिनांक 7.11.1990 एवं सम संख्यक 18 दिनांक 5.1.91

महोदय,

कृपया आपके संदर्भित पत्रों की पालना में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, इनकी वस्तुस्थिति आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1. काला पहाड़ वृक्षारोपण 1990 के पीस रेट के बिल संलग्न हैं। उनकी जांच की गई है तथा मौके का निरीक्षण भी किया गया है। प्लान्टेशन की हालत अच्छी है तथा अच्छे प्लान्टेशन का काम हुआ है। पीस रेट के बिलों की जांच भी की गई है तथा बयान लिए गये हैं जो मूल संलग्न है। कृपया नामा वृक्षारोपण 1990 नाम का कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है।

2. नोरंगवाडा वृक्षारोपण 1990 का निरीक्षण किया गया है इसमें खैर, टोर्टलिस, रोंज के पौधे लगाये गये हैं। ये पौधे तन्दुरुस्त हैं, इनकी स्थिति अच्छी है। इस वृक्षारोपण की स्टोन्स बाल फेंसिंग के मरम्मत कार्य तथा नये कार्य के बिलों की जांच की गई है, बयान आदि लिये गये हैं, जिनके आधार पर किसी प्रकार की कोई गलती या कमी अथवा अनियमितता नहीं पाई गई है।

3. बालाहेडी प्लान्टेशन 1989 एवं नन्दवार प्लान्टेशन 1989 के लिए वन मण्डल कार्यालय से क्रमशः मस्टर–रोल संख्या 3570 एवं 3550 जारी नहीं हुए हैं तथा इस नाम के वृक्षारोपण कार्य भी नहीं हुए हैं।

4. राष्ट्रीय उच्च मार्ग कि.मी. 111 से 131 तक पेडों का अवैध कटान हुआ था, जिसकी जांच श्री ओ.पी. मेहता, उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा की गई है तथा इसमें श्री भगवत प्रसाद गुप्ता वनपाल, रामअवतार शर्मा, वन रक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज, जयपुर के मार्फत हाल ही में प्राप्त हुए हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय-वन अधिकारी तथा स्टाफ से राष्ट्रीय उच्च मार्ग कि.मी. 111 से 131 तक का सर्वे कराया गया है। इस सर्वे के मुताबिक ढाबे सड़क के केन्द्र से 75 फुट की दूरी से बाहर है। कहीं–कहीं पीने के पानी की टंकी अन्दर है तथा ये टंकी लगभग 8-10 वर्ष पुरानी है, इस सर्वे की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

5. भूताहेडा ग्राम में मौके पर काश्त नहीं है। यह क्षेत्र जिला जयपुर में पड़ता है।

6. इस बिन्दु के बारे में वस्तुस्थिति बिन्दु संख्या 4 में निवेदन की जा चुकी है।

7. करणपुर प्लान्टेशन 1987 नाम से कोई प्लान्टेशन नहीं है।

8. वर्ष 1989–90 में रसीदपुर, बालाहेडी, और नोरंगवाड़ा प्लान्टेशनों के स्थानीय बिल आदि की जांच करली गई है। बयान आदि संलग्न है। बयानों आदि के आधार पर किसी तरह की अनियमितता का केस सामने नहीं आया है। नन्दवार नाम का कोई प्लान्टेशन नहीं है।

9. रसीदपुर वृक्षारोपण 1990 का कार्य के बिल–वाउचर आदि की जांच करली

गई है तथा इस वृक्षारोपण के बाणगंगा में बाढ़ आने के कारण बहने की रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 74–76 सी दिनांक 5.10.90 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस रिपोर्ट के साथ रसीदपुर के सरपंच एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत की गई थी जिसकी फोटो कापी पुनः संलग्न है। इस कार्य स्थल का निरीक्षण वन संरक्षक, बीहड़ सुधार कार्यक्रम, भरतपुर द्वारा दिनांक 23.10.90 को कर लिया गया है। मौके पर वृक्षारोपण बह चुका है।

कुछ श्रमिकों के बयान लेने के लिए मैंने क्षेत्रीय वन अधिकारी, महुवा को अधिकृत किया था, चूंकि दिनांक 2, 3 एवं 20 दिसम्बर, 1990 को ये लोग मुझे नहीं मिल पाये थे। अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी ने जो बयान लिए हैं उनसे मैं सहमत हूं।

उक्त बिन्दुओं की परख तथा जांच रिकार्ड एवं निरीक्षण के आधार पर करली गई है। किसी वन कर्मी की गलती नहीं पाई गई है। कृपया रिपोर्ट उपरोक्तानुसार रिकार्ड, बयान आदि के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रस्तुत हैं।

भवदीय,
ह./–
उप वन संरक्षक,
भू-संरक्षण,
करौली।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार

राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की जनसंख्या

472. **श्री टीकम चन्द कान्त** (रेवदर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991 की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है और पिछली जनगणना की अपेक्षा उसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

(2) यदि अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो क्या सरकार आरक्षण नियतांश में भी वृद्धि की नीति अपनायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अभी जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है।

(2) जनगणना विभाग से जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालय

473. **श्री शांतिलाल (राजसमन्द) :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिला मुख्यालय हैं जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं ?

(2) क्या ऐसे स्थानों पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता महसूस करती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रदेश में केवल जयपुर, जोधपुर, झुन्झुनू एवं राजसमन्द जिला मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं।

(2) किसी भी स्थान पर नया महा–विद्यालय खोलने के निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित है :—

1. प्रस्तावित स्थान पर जन सहयोग से महाविद्यालय के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध हो।

2. बीस किलोमीटर की परिधि में चार सीनियर हायर सेकेण्ड्री स्कूल हों।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलो–मीटर की परिधि में अन्य महाविद्यालय न हों।

4. प्रस्तावित स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से उपयुक्त हो।

नया महाविद्यालय खोलने के लिये निर्धारित मानदण्ड, उपलब्ध संसाधनों एवं अन्य गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा व्यवस्थापक वेतन कोष की जमा कराई गई राशि

474. **श्री अमृत लाल (बाली) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक ने वर्ष 1990–91 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से व्यवस्थापक वेतन कोष की कितनी राशि प्राप्त की ? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा व्यवस्थापक वेतन कोष की जो राशि बैंक में जमा कराई है उससे बैंक ने क्या व्यवस्थापकों को वेतन चुकाया है और भुगतान का विवरण सम्बन्धित समितियों के लेखों में किया गया है ? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पाली जिले की ग्राम सेवा सह–कारी समितियों के वर्ष 1965 तक कितने ग्रामीण गोदाम बने हैं ? इन ग्रामीण गोदामों के ऋण पेटे क्या सरकार ने भूमि के पट्टे ऋण के रूप में प्राप्त किये थे ? अब कितनी समितियों में उक्त गोदाम ऋण बकाया है ? क्या जिन समितियों ने ऋण वापस लौटा दिया उनकी भूमि के पट्टे सरकार ने वापस लौटा दिये हैं

उत्तर

(1) दी पाली सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., ने वर्ष 1990–91 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से पूर्व वर्षों सहित कुल बकाया राशि 67.21 लाख रुपये के पेटे

(सहकारिता मंत्री)

53.60 लाख रुपये की राशि व्यवस्थापकीय वेतन कोष हेतु प्राप्त की, समितिवार सूची परिशिष्ट "अ:' पर संलग्न है।

(2) बैंक द्वारा वर्ष 1990–91 में समितियों द्वारा जो राशि बैंक में जमा करवाई है, में से व्यवस्थापकों को वर्ष 90–91 में 24.95 लाख रुपये वेतन का भुगतान किया गया है। किए गए अंशदान का विवरण सम्बन्धित समिति के लेखों में है वेतन का भुगतान केडर आथोरिटी के व्यवस्थापकीय कोष से किया जाता है जिसका समिति के लेखों में इन्द्राज करना आवश्यक नहीं है। किए गए एक समितिवार भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'अ" में दिया गया है।

(3) पाली जिले में वर्ष 1965 तक 74 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बने हैं। इन गोदामों के ऋण पेटे भूमि के पट्टे नहीं लिये गये हैं, अपितु रहननामे लिये गये हैं। अब 26 सहकारी समितियों में गोदाम ऋण/ब्याज बकाया है। पंजीकृत रहननामे के साथ समिति की भूमि के मूल पट्टे प्राप्त नहीं हुये हैं अतः लौटाने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिना लाइसेन्स खाद्य सामग्री विक्रय प्रकरण

475. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सही है कि दिनांक 27-10-1989 को प्रहलादनारायण एण्ड सन्स, जयपुर के विरुद्ध बिना लाइसेन्स व्यापार करने के कारण 47.45 क्विंटल खाद्य सामग्री का मामला बना कर सामग्री जब्त की गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां। जब्त शुदा माल के निस्तारण हेतु प्रकरण जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.2.1992 को निर्धारित स्टॉक से अधिक सामग्री का 25% जब्त सरकार किया गया।

फागी में "तीस जिले तीस काम" योजना

476. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तीस जिले तीस काम योजना के तहत जयपुर जिले में क्या कार्य करवाये जा रहे हैं? जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र फागी में "तीस जिले तीस काम" योजनान्तर्गत कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए हैं तथा अब तक इन कार्यों की क्या स्थिति है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में शाला भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है।

जयपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र फागी में स्वीकृत किये गये कार्य एवं उनकी निर्माण स्थिति का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

फागी विधान सभा क्षेत्र में तीस जिले तीस काम योजना के तहत भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये विद्यालयों की सूची एवं कार्य की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	स्कूल का नाम	तीस जिले तीस काम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
			कार्य प्रगति पर
1.	रा.उ.प्रा.वि. घटियाली	10240	कार्य छत स्तर तक निर्माण
2.	रा.उ.प्रा.वि. मन्डावरी	6340	कार्य छत स्तर तक पूर्ण
3.	रा.उ.प्रा.वि. लसारिया	29100	कार्य कुर्सी स्तर तक पूर्ण
4.	रा.उ.प्रा.वि. मांडी	29100	,,
5.	रा.उ.प्रा.वि. पचाला	88647	कार्य अभी चालू नहीं
6.	रा.उ.प्रा.वि. परवन	74389	कार्य छत स्तर तक पूर्ण
7.	रा.उ.प्रा.वि. हरसूलिया	43318	,,
8.	रा.उ.प्रा.वि. भांकरोटा	46400	,,
9.	रा.उ.प्रा.वि. मान्डोर	36400	,,
10.	रा.उ.प्रा.वि. किशोरपुरा	45753	कुर्सी स्तर से ऊपर निर्माण कार्य
11.	रा.उ.प्रा.वि. चांदमाकलां	6300	,,
12.	रा.उ.प्रा.वि. जयसिंहपुरा	48440	मेड़ा स्तर तक कार्य
13.	रा.उ.प्रा.वि. पहाड़िया	38040	छत स्तर तक कार्य पूर्ण
14.	रा.उ.प्रा.वि. दोसरा	10400	मेड़ा स्तर तक कार्य पूर्ण
15.	रा.उ.प्रा.वि. मन्डावरा	10240	कार्य प्रगति पर
16.	रा.उ.प्रा.वि. (गर्ल्स) चौरू	50715	,,
17.	रा.प्रा.वि. गणेशपुरा मोहब्बतपुरा	18900	कुर्सी स्तर से ऊपर निर्माण कार्य
18.	रा.प्रा.वि. डाबलाखुर्द मोहब्बतपुरा	18900	,,
19.	रा.प्रा.वि. मोहनपुरा हरसूलिया	18900	,,
20.	रा.प्रा.वि. थाली हरसूलिया	18900	,,
21.	रा.प्रा.वि. आनरोटा चांदमाकलां	18900	,,
22.	रा.प्रा.वि. किशनपुरा गोहन्दी	18900	,,

1	2	3	4
23.	रा.प्रा.वि. कांसेल	18900	कुर्सी स्तर से ऊपर निर्माण कार्य
24.	रा.प्रा.वि. टिकेलनारकानकांसेल	37800	"
25.	रा.प्रा.वि. बोकादावास पहाड़िया	18900	"
26.	रा.प्रा.वि. बासेडी जोगियान पहाड़िया	18900	"
27.	रा.उ.प्रा.वि. पहाड़िया सोसायटी	94500	नींव की खुदाई कार्य पूर्ण
28.	रा.उ.प्रा.वि. कंवरपुरा	33900	मठोड़ से ऊपर तक कार्य पूर्ण
29.	रा.उ.प्रा.वि. बापूगांव	44900	छत का कार्य बाकी
30.	रा.उ.प्रा.वि. कोथून (गर्ल्स)	57675	नींव खुदाई कार्य पूर्ण
31.	रा.उ.प्रा.वि. तामड़िया	12400	छत स्तर तक कार्य पूर्ण
32.	रा.उ.प्रा.वि. भोज्याड़ा टूटोली	12400	नींव खुदाई कार्य पूर्ण
33.	रा.मा.वि. फागी	202500	कार्य प्रगति पर
34,	रा.उ.मा.वि. चाकसू	162500	"
	योग	1403537	

तारांकित प्रश्न संख्या 477

(स्थगित)

श्रीगंगानगर में वृक्षारोपण कार्य

478. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्रीगंगानगर जिले में वन विभाग द्वारा कितनी भूमि में वन लगाया गया है ?

(2) पिछले दो वर्षों में जिले में कितने क्षेत्र में पेड़ लगे और आज तक कितने पेड़ सही सलामत खड़े हैं और कितने क्षेत्र में पेड़ लगाने के बाद खत्म हो गये ? पेड़ों को लगाने के पश्चात् रख-रखाव की व्यवस्था क्या है ? वन लगाने के छः माह के बाद पेड़ समाप्त हो जाने पर क्या अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो अब तक इस सिलसिले में क्या कुछ हुआ है ?

(3) क्या वन विभाग अवाप्त की गई भूमि पुन: राजस्व विभाग या अन्य किसी विभाग को सौंपता है ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ? गंगानगर जिले में ऐसी कितनी भूमि है जो अवाप्ति के पश्चात् अवाप्ति से मुक्त की गई ?

(श्री हेतराम बेनीवाल)

(4) क्या घडसाना मंडी के बिल्कुल नजदीक उससे चिपती दो मुरब्बे वन विभाग की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करवाने के लिए किसी ने विभाग को निवेदन किया है ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि अवाप्ति से मुक्ति दे दी है, तो उसका आधार क्या है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में वन विभाग द्वारा अब तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 83344 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है।

(2) गंगानगर जिले में पिछले दो वर्षों में 818 हैक्टर क्षेत्र में वृक्ष लगाये गये जिसमें से अनुमानतः 12 से 14 प्रतिशत पौधे सूख गये। पेड़ों को लगाने के पश्चात 5 वर्ष तक केटल गार्डो द्वारा रख-रखाव कराया जाता है। यदि पेड़ों के समाप्त होने में किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। वन विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के दौरान अन-कमाण्ड भूमि के कमाण्ड पाये जाने पर जिस भूमि पर वृक्ष नहीं हैं या जो भूमि वन लगाने के लिये प्रयोग में नहीं लाई गई को राजस्व विभाग को लौटाई जाती है।

गंगानगर जिले में 1979 से 1991 तक कुल 1209.03 बीघा भूमि वापिस उपनिवेशन व राजस्व विभाग को लौटाई गई है।

(4) वन विभाग को अभी तक किसी ने आवेदन नहीं किया है।

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 636 की प्रति

कर नीति परिपत्र सं. 39/91

राजस्थान सरकार

वाणिज्यिक कर विभाग

क्रमांक : प. 120 (मिस) कर/आयुक्त/रिफंड/91/1945 (ए) दिनांक :—16.9.91

समस्त उपायुक्त,

समस्त वाणिज्यिक कर अधिकारी,

समस्त सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी,

परिपत्र

विभाग के परिज्ञान में आया है कि विभाग द्वारा, व्यवहारी से एस. टी. 26 द्वारा वसूल की गई राशि का सत्यापन के अभाव में समायोजन नहीं किया जाता है एवं उस राशि का भी मांग पत्र जारी कर दिया जाता है जिससे व्यवहारी को अनावश्यक असुविधा होती है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि व्यवहारी द्वारा विभाग से जारी, रसीद एस. टी. 26 की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर राशि का अस्थाई समायोजन किया जावे एवं इस राशि के जमा होने का सत्यापन तत्परता से किया जावे। यदि सत्यापन नहीं हो तो उक्त राशि को नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही करें एवं इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी को अविलम्ब दें।

(डी. कुमार)

अति. आयुक्त,

वाणिज्यिक कर विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 120(मिस) कर/आयुक्त/रिफंड/91/1946 दिनांक :—16.9.91

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. समस्त अनुभाग मुख्यालय ।
2. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों में ।
3. श्री........................

(जे. पी. अग्रवाल)
उपायुक्त (कर) मुख्यालय,
वाणिज्यिक कर विभाग
राजस्थान, जयपुर ।

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 640 का विवरण

परिशिष्ट–"क"

श्री पी.एस. भार्गव, संयुक्त निदेशक द्वारा किये निरीक्षण ट्यूर का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	कालेज का नाम
1.	20.7.91	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ की समस्याओं का निराकरण एवं निरीक्षण।
2.	21.7.91	वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा की समस्याओं का निराकरण एवं निरीक्षण।
3.	20.8.91	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली का आकस्मिक निरीक्षण एवं समस्या हेतु।
4.	20.9.91 से 21.9.91	दयानंद कालेज, अजमेर के व्याख्याताओं के साक्षात्कार हेतु।
5.	23.9.91	राजकीय महाविद्यालय, दौसा की समस्याओं हेतु।
6.	27.9.91 से 28.9.91	शारदा महाविद्यालय, मुकन्दगढ़ का निरीक्षण का कार्य एवं अन्य समस्या वार्ता।
7.	22.10.91	चिड़ावा कालेज, चिड़ावा में कालेज प्राचार्य हेतु साक्षात्कार।
8.	16.11.91	राजकीय कालेज, केकड़ी का निरीक्षण कार्य, सावित्री कालेज, अजमेर में व्याख्याताओं का चयन कार्य एवं राजकीय महाविद्यालय अजमेर का निरीक्षण कार्य।
9.	28.11.91	एम.एल.बी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा की गवर्निंग कौंसिल की बैठक। उदयपुर विश्वविद्यालय।
10.	29.11.91	सलूम्बर में नये कालेज का निरीक्षण, मीरा कन्या कालेज का निरीक्षण।
11.	30.11.91 1.12.91	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ का निरीक्षण कार्य।

क्र. सं.	दिनांक	कालेज का नाम
12.	6.12.91	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद का निरीक्षण कार्य ।
13.	13.12.91	अलवर, आर.आर. कालेज की गवर्निंग कौंसिल की बैठक में भाग लेने हेतु एवं जी.डी. कन्या महाविद्यालय, अलवर का निरीक्षण ।
14.	14.12.91	चिमनपुरा कालेज का आकस्मिक निरीक्षण

परिशिष्ट–"ख"

श्री पी.एस. भार्गव, संयुक्त निदेशक द्वारा शैक्षणिक सभाओं इत्यादि में सम्मिलित होने का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	विवरण
1.	6.7.91	जोधपुर वि.वि. की स्पेशल सिंडीकेट एवं सीनेट की मीटिंग।
2.	12.7 91	अजमेर वि.वि. अजमेर का मूल्यांकन समिति की बैठक
3.	29.7.91	अजमेर वि.वि. की एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग में भाग लेने हेतु ।
4.	31.7.91	अजमेर वि.वि., अजमेर का बोर्ड आफ मैनेजमेंट (बी.ओ.एम.) बैठक ।
5.	8.8.91 से 9.8.91	वि.वि. अनुदान आयोग, नई दिल्ली में लम्बित मामलों को निपटाने एवं निदेशकों की बैठक हेतु ।
6.	11.8.91	जोधपुर वि.वि. जोधपुर की सिंडीकेट मीटिंग हेतु ।
7.	26.8.91	अजमेर वि.वि. अजमेर की एकेडेमिक कौंसिल बैठक हेतु ।
8.	1.10.91 से 2.10.91	अजमेर वि.वि. अजमेर की बोर्ड आफ मैनेजमेंट की बैठक हेतु ।
9.	1.11.91	जोधपुर वि.वि., जोधपुर की विशेष सिंडीकेट की बैठक हेतु ।

क्र. सं.	दिनांक	विवरण
10.	15.11.91	अजमेर वि.वि., अजमेर की महिला बास्केटबाल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि हेतु ।
11.	19.11.91 से 20.11.91	योजना आयोग, दिल्ली में दिनांक 19.11.91 को वर्किंग ग्रुप की बैठक हेतु ।
12.	8.12.91	उदयपुर वि.वि., उदयपुर की एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग हेतु ।
13.	18.2.92	जोधपुर वि.वि. जोधपुर की सिंडीकेट बैठक हेतु ।
14.	5.3.92	उदयपुर वि.वि. उदयपुर की एकेडेमिक कौंसिल की बैठक में भाग लेने हेतु ।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 649 की सूची

गत वर्ष 1990 में आई भयंकर बाढ़ के कारण तहसील सांचौर के टूटे/क्षतिग्रस्त कार्यों की सूची :—

1. मीरपुरा–II–बांध
2. कपूरिया–×–बांध
3. पांवटा माटवास–×–बांध
4. चितलवाना–II–×–बांध
5. हेमागुडा–I–×–बांध
6. केसूरी बांध
7. रीडका बांध
8. खेजडियाली बांध
9. सूजा की खाज बांध
10. भाव बांध
11. गोमी बांध
12. मलीफा बांध
13. सांकरिया बांध
14. डूथवा बांध
15. होतीगांव बांध
16. धीगपुरा बांध
17. रतनपुरा बांध
18. वोमल बांध
19. रीडका बांध
20. सुराचन्द्र बांध
21. वरणवा बांध
22. सूथडी बांध
23. कूकाडिया बांध
24. फोगडवा बांध
25. बालेरा बांध
26. लालपुरा बांध
27. रामपुरा बांध
28. गडरियों का धोरा बांध
29. खारा बांध
30. लियादरा बांध
31. पमाना बांध
32. अरणाय बांध
33. केरबी की ढाणी बांध
34. लाछडी फालना बांध
35. कमालपुरा बांध
36. तेवरोज बांध
37. रणोदर बांध
38. रणोदर–II–बांध
39. गाधव बांध
40. रणोदर–III–बांध
41. वरबरा बांध
42. ईसरोल बांध
43. वरणावा–II–×–बांध
44. जोधायास बांध
45. खेजडीयाली–II बांध
46. हेमागुडा–II बांध
47. भदरून बांध
48. अगडावा–II–बांध
49. खातरवी बांध
50. हाकडा बांध
51. मीठा की खाल बांध
52. भाटकी बांध
53. लेटा (अरणाय) बांध
54. वोथा बांध
55. केरिया–II बांध
56. सुराचन्द्र–II–बांध
57. सायर का कोसीटा बांध
58. निम्बाडिया बांध
59. नैनोल बांध
60. मालासर बांध

61. टाम्पी बांध
62. अगडावा बांध
63. सेडिया बांध
64. सेडिया–II–बांध
65. धमाना बांध
66. गुन्दस–II–बांध
67. धमाना–II बांध
68. सरताऊ बांध
69. लाछीवाडा बांध
70. कान्टोल बांध
71. मीरपुरा बांध
72. फुलन की ढाणी बांध
73. होतीगांव बांध
74. सांकड बांध
75. सांकड–II–बांध
76. जाजूसन बांध
77. गान्धव बांध
78. पादरली (सरनाऊ) बांध

बाढ़ बचाव कार्य

1. धारणावास
2. चितलवाना गाइड बांध
3. केरिया गार्डन बांध
4. सुरावा गार्डन बांध

वर्ष 91–92 के पूर्ण कराये गये मरम्मत कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1.	धींगपुरा बांध	3.01
2.	बालेरा बांध	0.77
3.	केसूरी बांध	2.82
4.	गोमी बांध	1.62
5.	भाटकी बांध	0.75
6.	चितलवाना बांध	3.74
		12.71

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 655 की प्रति

श्रीमान कलक्टर (सतर्कता),

नागौर

विषय :—राशन की चीनी व गेहूं बांटने में अनियमितता व धांधलेबाजी बरतने पर शिकायत बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति इन्दोरवा के राशन वितरक श्री अमरसिंह निवासी गोठडी है जो कि समय पर चीनी व गेहूं आगे से तो उठा लेते हैं लेकिन वितरण नियमित रूप से न करके बाजार में माल ब्लैक कर देते हैं। चीनी का कोटा निम्न प्रकार से उठाया गया है—4.4.91, 10.7.91 10.8.91, 2.8.91, 24.8.91. तथा 9.9.91 जबकि यहां चीनी केवल चार बार दी गई है। इसी प्रकार गेहूं 14.8.91, 18.9.91, 15.10.91 को उठाये गये लेकिन वितरण केवल एक बार जिसका सबूत विभिन्न राशन कार्ड जो संलग्न है। माह मई व जून की चीनी बिल्कुल ही नहीं दी गई। जनता से राशन कार्ड लेकर पिछले माहों की चीनी व गेहूं भी राशन कार्ड में वितरित दिखा देते हैं। इसी प्रकार गेहूं 3 रु. प्रति कि. ग्रा. के भाव से बांटे गये जबकि यह दर निर्धारित दर से अधिक है। दूसरी ओर चीनी व गेहूं ग्राम-पंचायत मुख्यालय इन्दोरवा पर आने चाहिये जबकि सारा कोटा गोठडी ले जाया जाता है यहां केवल तीन चार बोरी लाकर केवल एक दिन में दो तीन घंटे वितरित करके माल वापस ले जाते हैं। गांव व ढाणियों के लोगों को जब तक वितरण की सूचना मिलती तब वह चला जाता है। गांव आने पर यह कहने व सुनने को मजबूर कर देता है अब चीनी नहीं है अबकी बार लेना।

श्रीमान्जी राशन प्रणाली ग्राम जनता की सुविधा व राहत के लिए बनाई गई है जबकि हमें तो यह सुविधा मिलना तो दूर रहा उसके बदले उसके गांव तक पैदल आने पर 6 मील की मार खाने को मजबूर होना पड़ता है। अतः श्रीमान्जी आप स्वयं आकर इसकी जांच व उचित कार्यवाही करें। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के मुख्य व्यक्तियों की नई समिति बनाने व उनके समक्ष राशन वितरण प्रणाली को लागू करवायें।

310

दूसरी ओर श्रीमान्‌जी करीब करीब सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति द्वारा किसानों को शेयरों पर जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, करवा दिया गया है लेकिन ग्राम पंचायत इन्दोरवा में को-ऑपरेटिव अध्यक्ष व व्यवस्थापक की लापरवाही के कारण उपरोक्त ऋण वितरित नहीं हो सकता है। अतः इसकी भी उचित कार्यवाही करके जनता व गरीब किसानों को जिनके कि शेयर खरीदे हुए हैं अतिशीघ्र ऋण उपलब्ध करवायें ताकि अकाल वर्ष में कुछ राहत की सांसें हम भी ले सकें तथा हमारे पशु व बच्चों को अकाल मृत्यु के ग्रास से बचा सकें।

पूर्ण विश्वास व आशा के साथ।

सधन्यवाद,

भवदीय,
ह./–
ग्राम जनता।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 677 की सूची

पंचायत समितिवार अन्त्योदय चयनित परिवारों की सूचना प्रथम चरण दिसम्बर, 90

क. सं.	नाम पं. समिति	मुख्य सूची में चयनित सं.	आरक्षित सूची में चयनित सं.	योग
1.	परबतसर	571	218	789
2.	कुचामन	785	373	1158
3.	मूण्डवा	831	185	916
4.	रियां	848	354	1202
5.	डीडवाना	626	60	686
6.	मकराना	594	235	829
7.	डेगाना	1047	326	1373
8.	लाडनूं	387	—	387
9.	नागौर	650	255	905
10.	मेड़तासिटी	457	183	640
11.	जायल	658	310	968
	योग	7454	2499	9953

वर्ष 1990 91 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण

(पंचायत समितिवार)

क्र. सं.	पंचायत समिति (परिवार)	आवंटित लक्ष्य (लाभान्वित परिवार)	उपलब्धियां	बकाया परिवार
1.	डेगाना	541	701	शून्य
2.	डीडवाना	648	652	शून्य
3.	जायल	551	552	शून्य
4.	कुचामनसिटी	680	558	122
5.	लाडनूं	405	441	शून्य
6.	मकराना	502	613	शून्य
7.	मेडतासिटी	421	442	शून्य
8.	मूण्डवा	504	776	शून्य
9.	नागौर	511	687	शून्य
10.	परबतसर	502	470	32
11.	रियां बड़ी	535	599	शून्य
	योग	5800	6291	154

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 680 की सूची व सूचना

जिला कोटा (सड़क का नाम)

1. सम्पर्क सड़क खेड़ली तंवरान, (सुल्तानपुर)
2. सम्पर्क सड़क कोटड़ादीप सिंह (सुल्तानपुर)
3. सम्पर्क सड़क सांगोद से जोल्पा (सांगोद)
4. सम्पर्क सड़क कुन्दनपुर से मण्डाप (सांगोद)
5. सम्पर्क सड़क लक्ष्मीपुरा (इटावा)
6. सम्पर्क सड़क आंवा—खजूरना (1, 2, 3 पार्ट लेन्थ (सांगोद)
7. सड़क मोबघाट—ब्यावर 14/0 किमी से 15/0 किमी.
8. मिसिंग लिंक दांई मुख्य नहर से पुलिया बालाजी की धाक
9. सम्पर्क सड़क नोताड़ा
10. सम्पर्क सड़क लुहावद।
11. सम्पर्क सड़क अडूसा से पालकिया।

जिला बारां (सम्पर्क सड़क का कार्य)

1. सम्पर्क सड़क बखट टोडी
2. सम्पर्क सड़क मुडियार से राजपुर
3. सम्पर्क सड़क सहजनपुर
4. सम्पर्क सड़क आमली से बरडाना
5. सम्पर्क सड़क जसवाड़ा
6. सम्पर्क सड़क हरनावदा शाहजी
7. सम्पर्क सड़क ढोतम
8. सम्पर्क सड़क रायथल अपूर्ण कार्य
9. सम्पर्क सड़क मांगरोल से बमोरी—कलां
10. सम्पर्क सड़क गऊधार से बपावर
11. सम्पर्क सड़क सीसवाली से रायथल
12. सम्पर्क सड़क हिंगोनिया
13. सम्पर्क सड़क बामता से बामली
14. सम्पर्क सड़क बमोरी कलां
15. सम्पर्क सड़क रायथल
16. सम्पर्क सड़क बालदड़ा
17. सम्पर्क सड़क कंजेड़
18. सम्पर्क सड़क आटोन
19. सम्पर्क सड़क सीसवाली से मांगरोल
20. सम्पर्क सड़क अन्ता से सांगोद
21. सम्पर्क सड़क बडगांव

जिला झालावाड़ (सम्पर्क सड़क का कार्य)

1. बसूमर से जोलपा
2. नाथूखेड़ी से ठीकरिया
3. रलायती से देवरीघटा
4. सम्पर्क सड़क बीसर
5. सम्पर्क सड़क सरोद
6. खानपुर दहीखेड़ा पनवाड रोड
7. सुनेल से पाटन रोड
8. एप्रोच रोड नूरजी गाडरवाला
9. एल/आर हेमड़ा से मंगीसपुर
10. एल/आर सेमला से सरपोई
11. गागरोन किले के अन्दर सड़क–निर्माण
12. गाडरवाडा नूरजी रोड हेतु (संशोधित)
13. नाथूखेडी से ठीकरिया (संशोधित)

जिला बूंदी (सड़क का नाम)

1. बामनगांव से समिधि रोड
2. वांसी से दुगारी रोड
3. नैनवां से दुगारी रोड
4. रेफरल हॉस्पिटल नैनवां
5. दालाडा से सरस्वीती का खेडा
6. सी. डी. कार्य सीन्ता खाल
7. अलफा नगर से जाल की झोपडियां
8. जखाना से रायथल
9. मांडपुर से गेन्डोली सड़क

प्रश्न संख्या 2 में दर्शाई गई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना

जिला कोटा

1. लुहावद से वाडोली वाया लक्ष्मीपुरा 2. गनेशगंज से रनोदिया 3. गेंता से बमूलिया 4. रामपुरा से बालूपा 5. रामपुरा से बागली 6. इटावा से झाड़ोल	जिले में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 में 20 प्रतिशत राशि रक्षित मद में राशि उपलब्ध न होने के कारण इन सड़कों में से किसी भी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जिला बारां

1. मांगरोल में बाजार चौक से बमौरी कलां सड़क	1. उक्त कार्य हेतु वर्ष 91-92 में निर्बंध राशि से रुपये 1.50 लाख स्वीकृत किये गये हैं।
2. मांगरोल सीसवाली सड़क से किशनपुरा	2. मौजूदा स्थिति में जिले में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 91-92 में 20 प्रतिशत रक्षित मद में राशि उपलब्ध न होने के कारण इन सड़कों में से किसी भी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है।
3. मांगरोल सीसवाली सड़क से जलोदा तेजाजी	3. वर्ष 91-92 में निर्बंध राशि से रुपये 2.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. बोहत से हिंगोनिया वाया पारलिया	4. उक्त सड़क कार्य वर्ष 90-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

जिला बूंदी

1. सुमेरगंज मण्डी से बलवन 2. सुमेरगंज मण्डी से पापडा वाया सुनारी 3. बॉबई पापडा वाया गुंढा	उक्त तीनों सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। मौजूदा स्थिति में जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 में 20 प्रतिशत रक्षित मद में राशि उपलब्ध न होने के कारण इन सड़कों में किसी भी सड़क के लिए स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 682 की सूची

वर्ष 1991–92 जिलेवार उपभोक्ता सामग्री वितरण एवं कृषि आदान वितरण की राशि (माह दिसम्बर, 91 तक)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री वितरण की दिसम्बर, 91 तक पूर्ति	शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री वितरण की दिसम्बर, 91 तक पूर्ति	कृषि आदान वितरण दिसम्बर, 91 तक
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	510	927	165.13
2.	टौंक	82	—	215.59
3.	भीलवाड़ा	293	123	703.09
4.	नागौर	197	537	63.36
5.	भरतपुर	66	42	306.69
6.	धौलपुर	16	106	57.84
7.	स. माधोपुर	167	02	155.20
8.	अलवर	117	143	302.63
9.	श्रीगंगानगर	344	221	865.89
10.	बीकानेर	511	422	104.19
11.	चूरू	133	239	1.75
12.	जयपुर	211	12329	317.89
13.	दौसा	49	—	53.76
14.	सीकर	416	109	62.14
15.	झुन्झुनू	327	103	81.42
16.	जोधपुर	1141	585	471.13
17.	बाड़मेर	390	566	42.83

1	2	3	4	5
18.	जैसलमेर	58	624	0.31
19.	कोटा	96	128	544.56
20.	बूंदी	79	—	448.92
21.	झालावाड़	122	154	156.48
22.	पाली	548	108	189.84
23.	सिरोही	143	40	125.24
24.	जालौर	300	162	204.32
25.	उदयपुर	88	741	132.52
26.	राजसमन्द	193	—	58.45
27.	चित्तौड़गढ़	318	123	437.90
28.	बांसवाड़ा	—	152	25.85
29.	डूंगरपुर	—	303	10.25
30.	बांरा	33	9	111.14
	योग	6933	18885	6416.31

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 685 की सूची

वन क्षेत्र अंकित कर नक्शा खनिज विभाग को नहीं भिजवाने वाले वन मण्डलों की सूची :—

1. मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा ।
2. मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर ।
3. मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर ।
4. मण्डल वन अधिकारी बांरा
5. उप वन संरक्षक, करौली ।
6. उप वन संरक्षक, धौलपुर ।
7. उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर ।
8. उप वन संरक्षक, क्षत्तरगढ़ ।
9. उप वन संरक्षक, सीकर ।
10. उप वन संरक्षक, नागौर ।
11. उप वन संरक्षक, राजसमन्द ।
12. उप वन संरक्षक, जैसलमेर ।
13. उप वन संरक्षक, दौसा ।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 687 की सूची

देवली एवं टोडाराय सिंह तहसील की पशु संख्या

पशुवंश	देवली	टोडारायसिंह
1. गौवंश	76,673	60,260
2. भैंसवंश	26,494	22,393
3. भेड़वंश	93,040	67,184
4. बकरीवंश	69,423	50,733
5. घोड़े–टट्टू	111	82
6. गधे–गधियां	403	173
7.. ऊंट	313	205
8. शूकर	1,594	971
योग :	2,68,051	2,02,001

सूची "ख"

टोडारायसिंह एवं देवली तहसील के पशु चिकित्सालय

तहसील टोडारायसिंह पशु चिकित्सालय	तहसील देवली पशु चिकित्सालय
1. टोडारायसिंह	1. देवली
2. हमीरपुरा	2. दूनी
3. गणेती	3. नगर कोर्ट
	4. नासिरदा

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 688 का विवरण

गोपाल कार्यक्रम की माह जनवरी, 1992 तक की प्रगति का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बांसवाड़ा	चित्तौड़गढ़	डूंगरपुर	उदयपुर	कोटा	बून्दी	झालावाड़ दिस. 91 तक	सवाई माधोपुर	टौंक अक्टू. 91 तक	धौलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	गोपालों की सख्या	28	27	28	26	20	23	27	28	26	25	258
2.	कृत्रिम गर्भाधान (हिमीकृत वीर्य द्वारा)	2264	3993	2554	2027	976	3406	1115	574	970	2597	20476
3.	बधियाकरण	1622	2883	4585	3244	1064	1243	1918	736	1578	1878	21751
4.	बांझ निवारण शिविर	72	52	32	38	31	35	—	10	—	27	297
5.	संतुलित पशु पोषाहार वितरण	—	—	—	—	440	—	200	—	—	—	640
6.	चारा प्रदर्शन	140	56	128	275	215	23	11	23	—	18	889
7.	चारा बीज वितरण (क्विटल)	—	56	—	12.50	2.60	7.13	—	—	—	0.90	79.13
8.	विस्तार कार्यक्रम	2506	—	4060	5319	28	3255	931	—	—	—	13099

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 689 की सूची

राजस्थान सरकार

पशुपालन विभाग

क्रमांक : प. 2(22) कृषि 6/88 जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 1991

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राज., जयपुर।

विषय :—वर्ष 1991–92 में पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने हेतु।

सन्दर्भ :—आपका पत्र संख्या एफ. बी. 4(1) योजना/91–92/1948 दिनांक 6–5–91

महोदय

निर्देशानुसार पशुपालन विभाग की वार्षिक योजना 1991–92 में निम्नलिखित स्थानों में पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

क्रम सं. 1	जिले का नाम 2	ग्राम का नाम 3
1.	अजमेर	1. नागेलाव
		2. तिलोनिया
		3. देवगांव
2.	अलवर	4. नौगांवा
		5. रोनीजाथान
		6. करणीकोट
3.	बांसवाड़ा	7. जगपुरा
		8. नाहरपुरा
		9. खोडन

1	2	3
4	बाड़मेर	10. झोडू
		11. बीजराड
		12. आगोला
5.	भरतपुर	13. सिनसिनी
		14. गुलपाडा
		15. कलसाडा
6.	श्रीगंगानगर	16. जण्डावाली
		17. जवाहरनगर
		18. जेठराना
7.	भीलवाड़ा	19. चांद जी की खेड़ी
		20. ढीकोला
		21. पुर
8.	बूंदी	22. नमाना
		23. अजेता
9.	बीकानेर	24. जेतपुर
		25. बरसलपुर
10.	चित्तौड़गढ	26. सिहाना
		27. कुलथाना
		28. भानूजा
11.	चूरू	29. रोडी
		30. कुलासर
		31. सारोठिया
12.	धौलपुर	32. मरेना
		33. सिगोराई
13.	डूंगरपुर	34. भोलूडा
		35. पुनाली
14.	जयपुर	36. मण्डाभीमसिंह
		37. वाटिका

1	2	3
	जयपुर	38. कालवाड
		39. रामपुरा–डाबडी
		40. धानोता
15.	जैसलमेर	41. रामदेवरा
		42. फतेहगढ़
16.	जालौर	43. पुनासा
		44. माण्डकला
17.	झालावाड़	45. पनवाड
		46. चांदीपुर
18.	झुन्झुनू	47. मातूसरी
		48. खिरोड
		49. सुल्ताना
19.	जोधपुर	50. टापू
		51. पीलवा
		52. देचू
20.	कोटा	53. तायेड़
		54. हरनावदी शाहजी
		55. सीतलखेड़ी
21.	नागौर	56. निमोद
		57. मीठडी (लाडनू)
		58. भीखरी
22.	पाली	59. सांडेराव
		60. बेडकलां
		61. डायलाणकलां
23.	सवाईमाधोपुर	62. गहनोली
		63. मुण्डिया
		64. मण्डावर

(324)

1	2	3
24.	सीकर	65. दातारामगढ़
		66. लामिया
		67. मुण्डरु
25.	सिरोही	68. सिरोडी
		69. कृष्णगंज
26.	टोंक	70. झिलाय
		71. नासिरदा
27.	उदयपुर	72. कनवई
		73. हिरण मगरी
		74. केलवा
		75. छापली

भवदीय

ह/–

(पी. सी. निगम)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री पशु पालन विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्बन्धित जिलाधीश (कलक्टर)।
3. सम्बन्धित जिला पशु पालन अधिकारी।
4. संस्थापन लिपिक।
5. रक्षित पत्रावली।

ह./–

शासन सचिव

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 की प्रति

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : एफ 23(3) साप्र/1/87 जयपुर, दिनांक 5 जून, 1990

आज्ञा

समय-समय पर जिलाधीशों को विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अन्य विभाग की वाहन आवश्यकतानुसार अधिग्रहित करने के लिए अधिकृत किया जाता रहा है। जिलाधीशों द्वारा किन-किन कार्यों के लिए वाहन अधिग्रहित किये जावें इस प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है। इस विषय में पूर्व प्रसारित विभिन्न आदेशों/परिपत्रों आदि के अतिक्रमण में यह निर्णय लिया गया है कि जिलाधीशगण अब निम्नलिखित कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की वाहन अधिग्रहित कर सकेंगे और इसके लिए इस विभाग की स्वीकृति समझी जावेगी :—

1. चुनाव कार्य—लोक सभा, विधान सभा एवं पंचायत।
2. कानून एवं व्यवस्था।
3. राजस्व अभियान— प्रशासन गांवों की ओर आदि।
4. परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन हेतु।
5. अकाल सहायता कार्य।

गाड़ियां अधिग्रहित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जावेगा :—

1. किसी विभाग की गाड़ी दस दिन से अधिक समय हेतु अधिग्रहित नहीं की जावे। इससे अधिक समय के लिए गाड़ियां चाहने की अवस्था में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त की जावे।
2. जिन विभागों की गाड़ियों को राज्य सरकार ने अधिग्रहण से मुक्त कर रखा है, उनको छोडकर अन्य विभागों की गाड़ियां शनैः शनैः अधिग्रहित की जावे।
3. यदि किसी विभाग की उस समय के दौरान कोई विशेष विभागीय प्रवृतियां चल रही हो तो उनके निवेदन पर गाड़ियों को यथा सम्भव अधिग्रहण नहीं किया जावे।

लेकिन उपरोक्त कार्यों के लिए निम्नलिखित विभागों की वाहन अधिग्रहित नहीं की जावेगी :—

1. यूनिसेफ की वाहन।
2. प्रचार वाहन।
3. छात्राओं के स्कूलों/कालेजों की वाहन।
4. कारागार वाहन।
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रोगी वाहन।
6. पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल वाहन।
7. भारतीय जीवन बीमा निगम की जीप।
8. केन्द्रीय सरकार के विभाग एवं प्रतिष्ठान।
9. वाणिज्य कर विभाग।

जिलों में स्थित विभागों/कार्यालयों के अधिकारी, जिलाधीश द्वारा वाहनों के अधिग्रहण करने पर उन्हें तुरन्त तथा अच्छी हालत में वाहन उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जावे।

अधिग्रहित वाहनों के किराये/पी.ओ.एल. का व्यय सम्बन्धित सेवा से सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

ह./–
(रामलुभाया)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री/ उप मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
5. समस्त सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप सचिव, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. समस्त जिलाधीश, राजस्थान।

ह./–
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान मण्डल, अजमेर।
5. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

ह./-

सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 699 का विवरण

"परिशिष्ट अ"

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में संचालित अल्पावास गृहों की सूची

क्र. सं.	नाम संस्था एव स्थान	संचालक का नाम एवं पूरा पता	लाभान्वित महिलाओं की संख्या	सुविधाएं	संस्था को प्रतिवर्ष योजनानुसार देने योग्य अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	शक्ति स्तम्भ (रूवा) राजस्थान वीमेन एसोसिएशन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा संचालित बी–182–ए–मंगल मार्ग बापूनगर, जयपुर	डा. मालती गुप्ता अध्यक्ष, राजस्थान वीमेन एसोसिएशन राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	7 महिलाएं 2 बच्चे	1. केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार आवासनियों के भोजन, वस्त्र; चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं मनोचिकित्सा की सुविधा	58,800
				2. भवन किराया, चिकित्सा व्यय, निर्वाह, पुनर्वास अन्य व्यय की सुविधा	1,94,500
				3. फर्नीचर, पंलग, बिस्तर, सिलाई मशीन तथा स्थायी उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा।	25,000

1	2	3	4	5	6
2.	वार विडो एसोसिएशन जगदम्बा भवन विवेकानन्द मार्डन स्कूल के पास, नागेश्वर बगीची, सीकर	श्रीमती तारामती भादू अध्यक्ष, जगदम्बा भवन विवेकानन्द मार्डन स्कूल के पास, नागेश्वर बगीची सीकर	22 महिलाएं 3 बच्चे	1. केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार आवासनियों के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं मनोचिकित्सा, वेतन भत्तों की सुविधा।	58,800
				2. भवन किराया, चिकित्सा व्यय, निर्वाह, पुनर्वास, अन्य व्यय कर सुविधा	1,94,500
				3. फर्नीचर, पलंग, बिस्तर, सिलाई मशीन तथा स्थायी उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा।	25,000
3.	करणी नगर विकास समिति, सी.ए.डी. क्रोसिंग के पास, 29 लघु उद्योग क्षेत्र, गोरधन पुरा, कोटा	श्रीमती प्रसन्ना भण्डारी संयोजिका सी.ए.डी. क्रोसिंग के पास, 29 लघु उद्योग क्षेत्र गोरधनपुरा कोटा (कार्यशील महिला छात्रावास) नगरपरिषद कोटा के भवन में संचालित।	20 महिलाएं	1. केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार आवासनियों के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं मनोचिकित्सा वेतन भत्तों की सुविधा	58,800
				2. भवन किराया, चिकित्सा व्यय, निर्वाह, पुनर्वास अन्य व्यय की सुविधा	1,94,500

330

1	2	3	4	5	6
				3. फर्नीचर, पंलग, बिस्तर, सिलाई मशीन तथा स्थायी उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा	25,000
4.	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, रंगाबाड़ी कोटा।	श्रीमती व्रजबाला निर्भीक महामंत्री, रंगबाड़ी, कोटा	30 महिलाएं	1. केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार आवासनियों के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं मनोचिकित्सा वेतन भत्तों की सुविधा।	58,800
				2. भवन किराया, चिकित्सा व्यय, निर्वाह, पुनर्वास अन्य व्यय की सुविधा।	1,94,500
				3. फर्नीचर, पंलग, बिस्तर, सिलाई मशीन तथा स्थायी उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा।	25,000
5.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली राजस्थान शाखा	श्रीमती पुष्पा शर्मा सचिव, अखिल भारतीय महिला परिषद, राज.	11 महिलाए 6 बच्चे	1. केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार आवासनियों के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा प्रशिक्षण एवं मनोचिकि-	58,800

1	2	3	4	5	6
	धानीनाड़ी, भजनगंज, अजमेर।	शाखा, पूजा मार्ग, ओलाभाटा अजमेर।		तथा वेतन भत्तों की सुविधा।	
				2. भवन किराया, चिकित्सा व्यय, निर्वाह पुनर्वास अन्य व्यय की सुविधा।	1,94,000
				3. फर्नीचर, पलंग, बिस्तर, सिलाई मशीन तथा स्थायी उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा।	25,000
6.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली ब्रान्च, चित्तौडगढ़	—	—	नोट—केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 92 में ही स्वीकृति जारी की है, फलस्वरूप संस्था का संचालन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।	

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 701 की सूची

जोधपुर शहर में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन आवेदन जांच हेतु विचाराधीन की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम	क्र. सं.	आवेदक का नाम
1.	श्री नानु पुत्र श्री किशोर	23.	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी बंशीलाल
2.	;; भंवर लाल पुत्र श्री रिद्धकरण	24.	,, गंगादेवी पत्नी द्वारकादास
3.	श्रीमती लीला पुत्री श्री सूरजाराम	25.	;; फातिमा पत्नी मो. अब्बास
4.	;; नैनीदेवी पत्नी श्री पनजी	26.	श्री मोहम्मद सलीम व फातमा बेगम
5.	;; हुदी पत्नी श्री गणेश	27.	श्रीमती पारी पत्नी तनसुख
6.	श्री अमानाराम पुत्र श्री सरदाराम	28.	;; नोजी पत्नी बख्तारा म
7.	;; ईश्वरानन्द स्वामी पुत्र प्रकाशचंद	29.	;; रूपकंवर पत्नी ताराचंद
8.	श्रीमती गोदावरी पत्नी रामदयाल	30.	;; शान्ति पत्नी घनश्याम
9.	श्री देवीसिंह पुत्र बन्नेसिंह	31.	;, मजीदन पत्नी गुलाम
10.	श्रीमती श्याज बेगम पत्नी मु. सद्दीक	32.	श्री महन्तराम पुत्र रामदास
11.	;; उमराव पत्नी नत्थुखां	33.	श्रीमती बिसनी देवी पत्नी बस्तीराम
12.	;; रतनकंवर पत्नी लादूसिंह	34.	;; गंगादेवी पत्नी मांगीलाल
13.	;; रामीबाई पत्नी हीरालाल	35.	;; नेनी पत्नी मोहन सिंह
14.	श्री शिवजी सिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह	36.	;; रत्नी पत्नी आत्माराम
15.	श्री रामदास पुत्र मोतीलाल	37.	;; उगमादेवी पत्नी घेवरसिंह
16.	श्रीमती रामप्यारी पत्नी दयाराम	38.	;; लालाराम पुत्र रत्नाजी
17.	;; पतासीबाई पत्नी देवीलाल	39.	;; पार्वती पत्नी रावत
18.	;; कमला पत्नी जयशंकर	40.	श्री सेवकराम पुत्र वलीराम
19.	;, देवीबाई पत्नी सोमोमल	41.	श्रीमती शान्तीबाई पत्नी गिरधारी
20.	;; सीतादेवी पत्नी पुखराज	42.	;; मोहनकंवर पत्नी शम्भू
21.	श्री कालू पुत्र देवाराम	43.	श्री उदयसिंह पुत्र भैरू सिंह
22.	श्री भैराराम पुत्र भगवानदास	44.	श्रीमती गवरी पत्नी मगोजी

333

क्र. सं.	आवेदक का नाम	क्र. सं.	आवेदक का नाम
45.	श्रीमती भंवरीबाई पत्नी रामदास	71.	श्रीमती लेला पत्नी धमकाराम
46.	,, जायदा पत्नि छोटू	72.	,, मीमा पत्नी भोलाराम
47.	,, छोटा पत्नी अ. सत्तार	73.	,, गंगा पत्नी रमेश
48.	श्री रमजानखां व श्रीमती बानो	74.	,, वसन्ती पत्नी जेठाराम
49.	,, किशनलाल बोहरा व मूलीबाई	75.	,, साऊ पत्नी सोमाराम
50.	,, मो. रफीक पुत्र मु. मोहम्मद	76.	श्री बालाराम पुत्र इन्दाराम
51.	श्रीमती पुष्पा पत्नी दलपतसिंह	77.	,, भीखाराम पुत्र सताराम
52.	श्री जगदीशप्रसाद पुत्र गोरधनदास	78.	श्रीमती राधा पत्नी रूघाराम
53.	श्रीमती आसी पत्नी भंवराराम	79.	,, मीनी पत्नी चुन्नीलाल
54.	,, इन्साफ बानू पत्नी मजरुद्दीन	80.	,, डकिया पत्नी चुन्नीलाल
55.	श्री इमामुद्दीन पुत्र वाकाती	81.	,, मथुरा पत्नी भगवानाराम
56.	तुलचा पुत्री गणपतजी	82.	,, चतरु पत्नी हरिराम
57.	चौथी पुत्री मोहनलाल	83.	,, छाली देवी पत्नी शुक्लाराम
58.	रतनी पुत्री कोजूराम	84.	,, सुगनों पत्नी रूपाराम
59.	श्रीमती शान्ती पत्नी कालूराम	85.	,, सोनकी पत्नी कुडाराम
60.	,, चम्पा किरण पत्नी किशनलाल	86.	,, वौली पत्नी रावताराम
61.	,, रहमसन पत्नी मो. हनीफ	87.	,, हरफूली पत्नी बांडाराम
62.	,, दाखूबाई पत्नी रणजीत आचार्य	88.	,, सुआ पत्नी भैराराम
		89.	,, कमला पत्नी भैराराम
63.	,, श्रीमती झमकू पत्नी नथू जी	90.	श्री मोहन राम पुत्र रावतराम
64.	,, मधु पत्नी डूंगरराम	91.	श्रीमती अणची पत्नी शंकरलाल
65.	श्रीमती लाछो पत्नी बोण्डाराम	92.	,, सुन्दरबाई पत्नी डालाराम
66.	,, जीया पत्नी मानजी	93.	,, चीडी पत्नी बद्रीलाल
67.	,, फूली पत्नी गबरूखां	94.	,, मीमा पत्नी मंगाराम
68.	,, तुलसीबाई पत्नी अमरचंद	95.	,, शायरी पत्नी जियाराम
69.	श्री मदनगिरी पुत्र नारायणगिरी	96.	,, अणची पत्नी नारायणदास
70.	श्रीमती आसी पुत्री पूराराम	97.	,, मीमा पत्नी नैनाराम

क्र. सं.	आवेदक का नाम	क्र. सं.	आवेदक का नाम
98.	श्रीमती तांजा पत्नी बीजाराम	119.	श्री जालमसिंह पुत्र छतरसिंह
99.	,, जबरीबाई पत्नी खेताराम	120.	श्रीमती जुजी पत्नी मदारखां
100.	,, फूली पत्नी अथजी	121.	,, तुलसी पत्नी मांगीलाल
101.	,, अणची पत्नी बनाराम	122.	श्री रतनलाल पुत्र श्रीमती फूलवती
102.	,, राधू पत्नी पूनाराम	123.	श्रीमती फातमा पत्नी अशरफ अली
103.	,, सूजी बाई पत्नी खोजाराम	124.	श्री ताराचन्द पुत्र परमानन्द
104.	,, रहीना पत्नी टिकला	125.	श्रीमती तुलसीबाई पत्नी दोलीराम
105.	,, भवानी पत्नी मंगलाराम	126.	,, खेमादेवी/हूसाराम
106.	,, राजकी पत्नी रतनदयाल	127.	,, राधा पत्नी हरिशचन्द्र
107.	,, सविता पत्नी बबलू	128.	,, तुलसी पत्नी मगाराम
108.	,, भीखी पत्नी प्रेमचंद	129.	,, धापू पत्नी पुखराज
109.	,, सोनी पत्नी झालाराम	130.	,, हस्तु पत्नी भीखोजी
110.	,, हस्तु पत्नी मंगलाराम	131.	श्री तुलछीराम पुत्र धर्लाराम
111.	,, लाली पत्नी रामलाल	132.	श्रीमती वंशीदेवी पत्नी बागाराम
112.	,, सोनरा पत्नी दौलाराम	133.	,, गजिया पत्नी सालूसिंह
113.	,, काली पत्नी तुलसाराम	134.	,, बुद्धीबाई पत्नी रामूजी
114.	,, छोटा पत्नी युसुफ	135.	,, अमलाबाई पत्नी मोहनलाल
115.	श्री अमराराम पुत्र भोमाराम	136.	,, निर्मलादेवी पुत्री चुन्नीलाल
116.	श्रीमती रूकमादेवी पत्नी मांगीलाल	137.	,, रमजाना पत्नी जानमोहम्मद
117.	,, सीता पत्नी चेतराम	138.	,, शांतिदेवी पत्नी सुखसिंह
118.	,, नवाबिन पत्नी अलादीन	139.	,, मोहनीदेवी पत्नी बिलमचंद

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 703 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	छात्रावास का नाम	तहसील का नाम जहां के छात्र हैं।	भील जाति के छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जैसलमेर	राज. अनु. जाति छात्रावास, जैसलमेर	जैसलमेर पोकरण	12 3
2.	–	राज. अनु. जाति छात्रावास, नावना	पोकरण	3
3.	–	राज. अनु. जाति छात्रावास, (कन्या) मोहनगढ़	जैसलमेर	3
4.	–	राज. अनु. जाति छात्रावास, रामगढ़	जैसलमेर	3
5.	–	राज. अनु. जाति छात्रावास, पोकरण	पोकरण	6
6.	–	अनु. जाति छात्रावास, रामदेवरा	पोकरण	6
7.	–	अनु. जाति छात्रावास, जैसलमेर	जैसलमेर पोकरण	31 1
8.	बाड़मेर	अनु. जाति छात्रा., सिवाना	सिवाना	15
9.		अनु. जनजाति छात्रा. समदड़ी	सिवाना	6
10.		राज. अनु. जाति छात्रा. पादरु	सिवाना पचपदरा	1 2
11.		राज. एससी छात्रा., बाकासर	चौहटन बाडमेर	16 1
12.		राज. अनु. जनजाति छात्रावास बाड़मेर	चोहटन बाडमेर गुढ़ामालाणी शिव	1 18 2 7

1	2	3	4	5
13.		अनु. जाति छात्रा., चौहटन	चौहटन	22
14.		अनु. जाति छात्रावास, बाड़मेर	चौहटन	4
15.		राज. अनु जाति छात्रावास, धोरीमन्ना	गुढ़ामालाणी शिव	11 1
16.		अनु. जाति छात्रा., गडरारोड	बाडमेर शिव	1 12
17.		अनु. जाति छात्रा. शिव मुकामगूंगा	बाड़मेर शिव	1 2
18.		घुमन्तु एवं विमुक्त जाति, पचपदरा	पचपदरा	4
19.		अनु. जाति छात्रा. पाटोदी,	पचपदरा	2
20.		अनु. जाति छात्रा. बालोतरा,	पचपदरा	17
21.		अनु. जाति छात्रा. सिणधरी,	बायतु	2
				योग 227

परिशिष्ट—18

नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव अजमेर में इंजीनियरिंग कालेज खुलवाने बाबत।

महोदय,

अजमेर सम्पूर्ण राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सर्वोत्तम रहा है और वर्तमान में भी है। अजमेर के छात्र तकनीकी शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं में अधिकतम संख्या में उत्तीर्ण होते हुए अजमेर जिला प्रदेश से बाहर शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं। इस जिले से प्रति वर्ष करीब 30–35 छात्र आई. आई. टी. व दूसरे स्टेट के इन्जीनियरिंग कालेजों में पी. ई. टी. के द्वारा 70–80 छात्र प्रवेश पाते हैं। काफी छात्र योग्य व प्रतिभावान होते हुए भी अपनी आर्थिक तंगी व घर से बाहर के खर्चे वहन करने में असमर्थ रहने के कारण तकनीकी शिक्षा से वंचित रहते हैं। यही कारण है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, एवं गणित के विषयों में 65% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता है और कालेज में छात्रों की संख्या का भार 5500 हो गया है।

अजमेर जिला व इस सम्भाग के दूसरे जिले व शहर के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु अजमेर में इन्जीनियरिंग कालेज खोला जाना आवश्यक है और पूर्व सरकार द्वारा यहां इन्जीनियरिंग कालेज की घोषणा की हुई है मगर उनकी घोषणा थोथी थी, छलावा थी।

अतः इस संवेदनशील सरकार से पूर्ण आशा है कि उपरोक्त मांग को शीघ्र पूरी कर अजमेर जिले की प्रगति को आगे बढ़ायेंगे।

भवदीय,

(श्रीकिशन सोनगरा)

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :— प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत हिण्डौन के मन्दिर में डकैती व अमूल्य हीरा जाने के बारे में।

महोदय,

निवेदन है कि 28 फरवरी को हिण्डौन में नीम के बाजार स्थित मन्दिर श्री हरिदेव जी से अनुमानित 6 लाख रुपये के आभूषण चोरी हो गये, चोरी में मुकट दो कंठी, दो जोड़ी कुन्डल जो कीमती नगों से जड़े हुए थे, 3 आभूषण गले के सोने के, पैरों के चांदी के आभूषण, मूर्ति का अमूल्य हीरा चोरी चला गया । पुलिस की चोरी के तुरन्त बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवादी गयी पर पुलिस हिण्डौन थाने की 3 घण्टे बाद चोरी के स्थान पर गई और कोई कार्यवाही नहीं की तो स्थानीय जनता एवं नेताओं में आक्रोश पैदा हुआ और 4000 आदमियों का जलूस हिण्डौन सिटी के मुख्य बाजार होता हुआ थाने पर गया तो वहीं जाकर डीवाई. एस. पी. एवं थानेदार से बात की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो सारा बाजार बन्द हो गया और लगातार बन्द चल रहा है। भूख हड़ताल एवं धरने उप जिलाधीश के निवास पर चल रहे हैं पर आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई और इसी का परिणाम है कि सारी जनता में स्थानीय पुलिस एवं जिले की पुलिस के प्रति बहुत असंतोष फैला हुआ है। इससे पूर्व भी 123 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पर आज तक कोई भी कार्यवाही या बरामदगी नहीं हुई । हजारों श्रद्धालुओं एवं हिन्दुओं के इस प्रसिद्ध मन्दिर में डकैती डालकर ले जाने और पुलिस सोती रही है इससे ज्यादा दुःख की बात क्या होगी । अगर इसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जनता का आक्रोश और भी बढ़ सकता है (1) इसी का परिणाम है कि दूसरे दिन पास पास के केमला ग्राम के धूनी के मन्दिर के पुजारी की हत्या हो गई और लाखों का माल डाकू चुरा कर ले गये।

अत : इस महत्वपूर्ण डकैती एवं हत्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए दोषी व्यक्तियों को पकडने एवं निष्क्रिय पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं ।

भवदीय,

(रामस्वरूप मीणा)
वि. सं. – 147

(श्रीराम मीणा)
वि. सं. 170

(महेन्द्र मीणा)

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय—विधान सभा के नियमों के नियम 295 द्वारा जानकारी करवाकर मेरे निर्वाचित क्षेत्र टोडारायसिंह व देवली तहसील के सिंचाई विभाग बांध माह जुलाई, 1991 में अतिवृष्टि से टूटे जिनकी मरम्मत करवाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार श्रीमान अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से श्रीमान सिंचाई मंत्री व अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माह जौलाई सन् 1991 में अतिवृष्टि से तहसील टोडारायसिंह के सिंचाई विभाग के बांध रीडल्या रामपुरा, केरली, गेदीया, खरेडा, मूंडिया, काला तालाब, शुम ढंढ टूट गये इसी वर्षात से कई अन्य बांधों व तालाबों में पाइपिंग शुरू हो गया । बांधों की नहरों की हालत जीर्णशीर्ण हो गई इसी प्रकार देवली तहसील के बांधों की हुई । उपरोक्त बांधों के टूटने से व नहरों के टूटने से करीब 8000 बीघा भूमि पड़त रह गई जिससे वर्षात होते हुये भी उन लोगों के अकाल ही रह गया व जिससे सरकार को 2 लाख रेवेन्यू का घाटा हुआ तथा इससे 64 हजार क्विंटल खाद्यान्न व तिलहन का राष्ट्रीय उत्पादन में कमी पड़ी । इन 25 ग्रामों के काश्तकारों को सिंचाई के अभाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है तथा उनको पेयजल के व खाद्यान्न की समस्या खड़ी हो गई है व उनका जीवन दूभर हो गया है। इस संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्व सिंचाई मंत्री जी व शासन सचिव, सिंचाई विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अधीक्षण अभियन्ता अजमेर, अधिशाषी अभियन्ता टौंक, गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में मिलकर उपरोक्त बांधों व नहरों की मरम्मत हेतु निवेदन किया लेकिन माननीय मंत्रीजी व अन्य सभी अधिकारियों ने मरम्मत हेतु बजट का अभाव बताया । यहां तक कि शासन सचिव महोदय ने सिंचाई विभाग ने बताया कि मुझे सरकार द्वारा 19 करोड विभाग की मरम्मत हेतु मिलते हैं जिसमें से 18 करोड़ तो वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है । 1 करोड रुपये मात्र है जिसमें सारे राजस्थान के बांध व तालाब नहरों की मरम्मत की जाती है । मेरे क्षेत्र के बांध तो अतिवृष्टि से टूटे हैं जो प्राकृतिक आपदा में आता है तथा जहां प्राकृतिक प्रकोप चाहे अतिवृष्टि, चाहे अनावृष्टि हो वहां सारे कार्य सहायता विभाग द्वारा होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से श्रीमान् सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि जो अकाल राहत मंत्री भी है कृपया अकाल राहत विभाग से सिंचाई विभाग को राशि उपलब्ध करवाकर मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह के टूटे हुये बांध व जिन बांधों की नहरों की हाल में अतिवृष्टि से हुई है उनकी मेन्टीनेन्स हेतु राशि दिलवाकर विभाग को मरम्मत व ठीक करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

भवदीय

4-3-92 (घासीलाल) (38)

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय—प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सीमावर्ती रेगिस्तान जिलों में चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है क्योंकि जितनी भी पी.एच.सी. है उनमें अधिकांश में बिल्कुल डाक्टर नहीं है और कहीं डाक्टर हैं तो वे बिल्कुल अनुभवहीन हैं जो जानबूझकर लगा दिये गये है। इन्होंने लोगों के जो इन्जेक्शन लगाये है उनसे रिएक्शन हो गया है। इसलिए ऐसी डिस्पेंसरियों में लोग जाने से घबराते हैं और मजबूरन गरीब लोग चपरासियों व केमिस्टों से इलाज कराते हैं उदाहरण के तौर पर—

1. गडरा रोड 2. गागरीया 3. बीन्ड़ाका पार 4. शिव 5. गूंगा
6. सांगड़ 7. देवीकोट है।

इनमें कहीं कहीं तो पूरे सालों तक डाक्टर नहीं है और कहीं-कहीं डाक्टर अपने प्राइवेट व्यापार में व्यस्त हैं सरकारी दवाइयों का नामों निशान नहीं है।

अधिकांश सब सेन्टर खाली पड़े है जिनकी बार–बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक दो डाक्टरों की जनता ने शिकायत की व मैंने भी चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखे परन्तु मंत्री महोदय के पत्र आते थे कि मैं जांच करा रहा हूं लेकिन आखिर में मंत्री जी का निर्णायक पत्र आया कि शिकायत के सपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिले। यह गलत है क्योंकि शिकायत करने वालों के पास कोई जांच अधिकारी नहीं गया तो सबूत कौन पेश करेगा।

सारी परेशानी सरकार जानबूझकर पैदा कर रही है क्योंकि ये कांग्रेस बाहुल क्षेत्र को सजा दिलाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है।

अतः मैं सरकार से इस सदन की मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस रेगिस्तानी पिछड़े क्षेत्र में अनुभवी डाक्टरों को लगाया जावे तथा जिनकी शिकायतें है उन्हें दूसरी जगहों पर लगाया जावें। जो खाली स्थान हैं वो तुरन्त भरे जावें तथा जितने भी सब सेन्टरों में रिक्त पद हैं वे शीघ्र भरे जावें।

भवदीय
3.3.92 (अमीन खाँ)
विधायक शिव
विभाजन सं. 6

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत

विषय— राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बोर्ड अजमेर के सहायक अभियन्ता कार्यालयों के कार्य क्षेत्र के पुनः सीमांकन हेतु ।

महोदय,

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बोर्ड अजमेर वर्तमान में चार खण्डों में विभाजित है । जो कि डी–I, डी–II, डी–III, डी–IV कहलाता है ।

उदाहरण के तौर पर नगर में स्थापित डी–IV व डी–I कार्यालय का क्षेत्राधिकार जिस तरह से विभाजित किया गया है काफी दोष पूर्ण है । नगर का जो क्षेत्र मदार कार्यालय डी–IV के आस पास है उस क्षेत्र को डी–I के सुपुर्द किया हुआ है । इसी प्रकार नगरा, अलवर गेट, पालबीचला क्षेत्र जो कि डी–I के आस पास है उसे IV के साथ जोड़ा हुआ है ।

डी–I व डी–IV के गलत सीमांकन की वजह से विद्युत उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत के निवारण एवम् विद्युत शुल्क जमा कराने के लिये करीब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । इस अविवेक पूर्ण सीमांकन के कारण जनता बहुत परेशान है । इसी प्रकार माखुपुरा जो कि अजमेर का औद्योगिक क्षेत्र है इसे शहर से 21 किलोमीटर दूर नसीराबाद सहायक अभियन्ता कार्यालय से जोड़ा हुआ है ।

उक्त वर्णित विसंगतियों की वजह से उपभोक्ता इस प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण काफी त्रस्त है ।

अतः माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि जनता के कष्ट को दूर करने हेतु अजमेर के सभी सहायक अभियन्ता कार्यालयों के क्षेत्र का पुनः सीमांकन करावें । यह पुनः सीमांकन जन हित में कब तक कर दिया जायेगा । कृपया बताने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह./–
(श्रीकिशन सोनगरा)
वि. सं. 168

श्रीमान सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय—प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में श्रमजीवी मुद्रांक विक्रेताओं के साथ राज्य सरकार द्वारा उपेक्षापूर्ण रवैये के के कारण जीवन स्तर गर्त में।

महोदय,

राजस्थान के मुद्रांक विक्रेता एक लम्बे समय से समय समय पर सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते रहे हैं; 1955 के बाद से 1990 तक दर नहीं बढ़ाई है। जबकि हर क्षेत्र में महगाई को मद्दे नजर रखते हुए कर्मचारियों के वेतन वगैरह बढ़ाये गये हैं। इस स्वतन्त्र भारत में इस प्रकार जिनकी संख्या कम है। उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता हैं। 1955 के बाद सन् 1990 में इनकी कमीशन कीमत घटा दी गई है। 1955 से 1990 तक 400 रु. स्टाम्प विक्रय करने के लिए अधिकृत थे सन् 1983 से हमें 1000 रु. के स्टाम्प केवल 12,000 रु. तक के बेचान पर ही लगते है वर्तमान में इस महंगाई के जमाने में 1200 रु. तक का हस्तान्तरण नहीं के बराबर होता है। क्योंकि मार्केट रेट इतनी ऊंची है कि इतना हस्तान्तरण कम होता है।

राजस्थान सरकार की कमीशन दर अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम है।

उपरोक्त परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए सरकार इनकी निम्न प्रकार कमीशन व स्टाम्प विक्रय के लिए अधिकृत करें स्टाम्प बेचने हेतु 1. 1000 रु. तक प्रतिबन्ध हटाकर असीमित किये जावें। 2. सम्पूर्ण राजस्थान के मुद्रांक विक्रय कमीशन की दर 5 प्रतिशत की जावें।

अत: उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करा कर इस अन्याय को समाप्त करेंगे।

भवदीय,
ह./–
(रामस्वरूप मीना)
वि. सं. 147

श्रीमान सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा

जयपुर

नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

विषय :—नाटई व फरेदुआ तहसील शाहबाद जिला बांरा में विस्थापित बंगाली परिवारों का संवत 2035–36 का सिंचाई कर की माफी

मान्यवर

नाटई व फरेदुआ तहसील शाहबाद जिला बांरा में वर्ष 1976 में बंगला देश से आये हुये शरणार्थियों को राजस्थान पुनर्वास विभाग द्वारा विस्तापित किया गया था। वहां पर ऐसे कुल 183 परिवारों को राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को 10-10 बीघा जमीन का कृषि कार्य हेतु आवंटन किया था, सरकार द्वारा खेती करने हेतु बैलगाडी व मकान भी इन विस्थापित परिवारों को दिये गये थे। इस जमीन में घनघोर जंगल था तथा यह उबड खाबड पथरीली बंजर भूमि थी। जिसे इन्होंने मेहनत करके चार-पांच वर्ष में कृषि योग्य बनाया था। लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इन विस्थापित परिवारों से संवत 2035–36 में ही सिंचाई करना मान कर सिंचाई कर की मांग निर्धारित कर दी गई। तथा इनको सिंचाई कर जमा करवाने के नोटिस भेज दिये गये, जो अवैध व अन्याय पूर्ण कृत्य है। इन बंगाली विस्थापित परिवारों ने सिंचाई विभाग बांरा की सिंचाई कर की मांग का विरोध किया एवं उच्च अधिकारियों को वो सिंचाई मंत्री महोदय को प्रार्थना पत्र दिये और संवत 2035–36 का सिंचाई कर माफ करने का निवेदन किया किन्तु आज तक भी यह सिंचाई कर माफ नहीं किया गया है और नहीं इनके प्रार्थना पत्रों की जांच ही करवाई गई है। जबकि हकीकत यह है कि इन लोगों ने संवत 2035–36 में इस भूमि पर खेती की ही नहीं थी। और जब खेती की ही नहीं थी तो फिर सिंचाई किस में की गई ? सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई की मांग किस आधार पर की गई उनका कोई भी न्यायोचित आधार विभाग के पास नहीं है।

क्या सरकार संवत 2035–36 की तहसील शाहबाद के नाटई व फरेदुआ गांव की संवत 2035–36 गिरदावरी की जांच करवारकर यह पता लगायेगी कि इन विस्थापित परिवारों ने आवंटित भूमि पर संवत 2035–36 में खेती की थी ?

मेरी सरकार से मांग है कि इन विस्थापित परिवारों द्वारा संवत 2035–36 में खेती करने की जाच करवाकर इनके ऊपर थोपी गई अवैध सिंचाई कर की मांग को माफ करके उनको राहत प्रदान की जावे।

भवनिष्ठ

ह./–

हेमराज मीणा

सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत जालौर जिले में अकाल घोषित नहीं किये जाने के मामले की सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु।

महोदय,

इस साल पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह से अकाल ग्रसित है। वो जोधपुर सम्भाग के अन्तर्गत आने वाले सभी जिले जिसमें जालौर, पाली सिरोही आदि भी शामिल है भयंकर अकाल की चपेट में आये हुये हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब अकाल राहत मंत्री महोदय ने अकालग्रस्त जिलों की सूची सदन में प्रस्तुत की तो उसमें दुर्भाग्यवश जालौर जिले को नहीं जोडा गया। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जालौर जिले को किस आधार पर अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। अगर हवाई सर्वे के आधार पर ही ये घोषणा कर दी गई है तो में यह कहूंगा की इस सर्वे में नीचे सिर्फ खाडी हरियाली की जानकारी ही हो सकती, यह जानकारी नहीं हो सकती की फसल में बालिया लगी है या नहीं और अगर बालियां है तो क्या उसमें दाना भी है। यानि यह रिपोर्ट भी सही नहीं है।

अत : निवेदन है कि जिला जालौर को भी अकालग्रस्त घोषित कर वहां की जनता को राहत पहुंचावे। धन्यवाद।

भवदीय
ह./–
(गोपाल सिह)
वि. स. 32

सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—विधान सभा के नियमों के नियम 295 के तहत टोडारायसिंह के कार्यालय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ताओं के खाली पद के अभाव में व कार्यालय में ट्रक व जीप के अभाव में विद्युत सप्लाई में अवरोध आने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में आर. ई. सी. स्कीम वर्ष 1983–84 में स्वीकृत हुई थी वहां के सहायक अभियन्ता कार्यालय में 3 पद कनिष्ठ अभियन्ताओं के हैं जो पिछले 2 सालों से खाली चल रहे हैं। इसी प्रकार इसी कार्यालय में साधन का अभाव है न ट्रक है न जीप है जबकि नियमानुसार हर सहायक अभियन्ता के कार्यालय में एक ट्रक व जीप होना आवश्यक है। इन साधनों के अभाव में ग्रामीण लोग अपने साधनों से पोल व अन्य सामान ले जाते हैं। जो ग्रामीण अपने साधन उपलब्ध नहीं करा पाते है वहा सामान नहीं जाता है तथा जो लोग विद्युत कनेक्शनों के लिये अपने आवेदन करते है कनिष्ठ अभियन्ताओं के खाली पदों के अभाव में पिछले 12 माह से सर्वे नहीं हो पा रहा है तथा समय समय पर लाइन फाल्ट होने पर बिना साधन के अधिकारीगण व लाइनमेन भेज नहीं सकते तथा आये दिन कस्बे टोडारायसिंह व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली एक एक हफ्ता नहीं मिल पाती है जिससे लोगों को पानी नहीं मिल पाता तथा ग्रामीण को विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाते है। एक एक साल से साधनों के अभाव व कनिष्ठ अभियन्ताओं के खाली पदों के अभाव में क्षेत्र में भारी असन्तोष है।

अत: अध्यक्ष महोदय को निवेदन करता हूं की सहायक अभियन्ताओं विद्युत विभाग टोडारायसिंह (टौंक) में 2 कनिष्ठ अभियन्ताओं के खाली पद भरने का कष्ट करे व एक ट्रक व जीप तुरन्त दिलवाने का कष्ट करे ताकी क्षेत्र टोडारायसिंह में विद्युत विस्तार में बाधा नहीं हो।

भवदीय
ह./-
(घासीलाल)
वि. स. 38

9-3-92

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जिला चूरू की सात तहसीलों में से अभी तक चार तहसीलों में अभाव ग्रसित गांवों को अभाव ग्रसित घोषित नहीं किये जाने एवम् जिले में राहत कार्य चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

महोदय,

जिला चूरू में सात तहसीलें है तथा सभी तहसीलों में भयंकर अकाल है। जिले की तीन तहसील सरदारशहर, डूंगरगढ, व रतनगढ़ के अभावगस्व गांवों को तो राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित कर दिया है मगर बाकी चार तहसीलों सुजानगढ़, तारानगर, राजगढ़ व चूरू के अभावग्रसित गांवों को राज्य सरकार ने अभावग्रस्त नहीं घोषित किया है। जिससे आज तक राहत कार्य चालू नहीं किये जा सके है। बड़े अफसोस की बात है कि तीन तहसीलों के घोषित अभावग्रस्त गांवों में भी आज तक राहत कार्य नहीं खोलने से लोगों के हालात खराब हो रहे हैं।

जिला चूरू में राहत कार्य नहीं खोले जाने से लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इन अभाव ग्रस्त गांवों में पेयजल समस्या भी बनी हुई हैं वही पर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी तुरन्त की जानी आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू जिले की बाकी बची चारों तहसीलों के अभाव ग्रस्त गांवों को तुरंत अभावग्रस्त घोषित कर चूरू जिले में तुरंत राहत कार्य खोलने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,
ह./–
(भंवरलाल मेघवाल)
वि. सं 96

माननीय सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विधान सभा प्रक्रिया संचालन नियम 295 के तहत सूचना।

विषय :—दहेज नहीं देने और सन्तान उत्पन्न नहीं होंने के कारण श्रीमती सीता-देवी धर्म पत्नि श्री धन्नालाल निवासी, सूरसागर, जोधपुर की हत्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमती सीता देवी, उम्र 30 वर्ष, 11 अगस्त, 1991 को अर्ध रात्रि करीब 12.30 बजे, सन्तान उत्पन्न नहीं होने के फलस्वरूप दूसरी शादी करने के उद्देश्य से व मजबूरन तलाक की स्थिति पैदा करने के लिए मारपीट अकारण करते रहना। दिनांक 11.8.91 के शाम व रात को मारपीट की और समाचार मिलने पर रात्रि को 11 बजे तक सीता देवी के सगे भाई ससुराल वालों से मिलने गये। दिन

भर बोलचाल, झगडा वालों मारपीट वगैरह चलती रही और घर से निकालने की धमकी ससुराल वाले देते रहे। श्रीमती सीतादेवी के सास, ससुर, पति वगैरह मिलकर व समझाकर भाई के लौटाने पर रात के 12.00 बजे के पश्चात् जला दिया गया। मकान के छत पर सम्पूर्ण गहने उतारकर जला दी। गहने जेठ श्री हेमराज के कमरे से बरामद किये।

मकान की छत पर आग की लपटें देख पड़ौसी आए और आवाज देने तथा दरवाजे खटखटाने पर बेल बजाने पर दरवाजा नहीं खोला और बत्तियां बुझाकर चुपचाप दुबके हुए रहे। पडौसियों ने पाइप के सहार चढ़कर आग बुझाने का प्रयास किया। घटना के दिन रात्रि को श्रीमती सीतादेवी का भाई श्री जगदीश सिंह रात्री को 12.15 तक उसके (सीतादेवी) ससुराल थे और 12.30 उसके गहने उतार कर जला दी थी। यह संयोग सिद्ध करता है कि ससुराल वालों ने मिलकर जला दी और जलते समय दरवाजे बंद कर बत्ती बुझाकर चुपचाप घर में बैठ गये।

(1) श्री धन्नाराम (पति)

(2) श्री पुरखाराम (ससुर)

(3) श्री हेमराज (जेठ) (4) श्रीमती पतासी देवी (सास)

निवासी, सूरसागर, जोधपुर, जोधपुर जिलाधीश कार्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी। सूरसागर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। एफ.आई.आर. पुलिस ने 13.8.91 को दर्ज की और एफ. आई. आर. नम्बर 81/91 है।

दिनांक 13.8.91 को मुल्जिमों ने अग्रिम जमानत करवा ली। अभी तक अग्रिम जमानत बरकरार हैं। मुकदमें की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मेहताब सिंह जी कर रहें थे और जब उन्होंने पाया कि हत्या की पूर्ण गुत्थी अग्रिम जमानत रद्द होने पर ही खुलेगी तो राज्य सरकार से अग्रिम जमानत रद्द करने की स्वीकृति मांगी जो दिनांक 22.10.91 को स्वीकृत हुई और अग्रिम जमानत रद्द करने की राजकीय अधिवक्ता ने अर्जी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की परन्तु उसके साथ सेशन जज के अग्रिम आदेश की प्रतिलिपी पेश नहीं की थी। कथित प्रतिलिपी को तीन माह बाद जनवरी, 1992 के अन्त में पेश की थी। इस प्रकार अग्रिम जमानत रद्द करने की पैरवी भी कारगर करने में राजकीय अधिवक्ता ने कोताई बरती है।

जांच उचित ढंग से चल रही थी और मुल्जिमान को लगा कि जांच एक ईमानदार अधिकारी श्री मेहताब सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक कर रहे हैं। इस पर मुल्जिमानों ने अपना प्रभाव काम में लिया और जांच सी. आई. डी. विभाग में स्थानान्तरण करवा दी। हालाकि जयपुर पुलिस मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक (विजिलेंस), उप महानिरीक्षक (विजिलेंस) ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मेहताब सिंह जी की

जांच को सही पाया। इसके उपरान्त भी जांच को बदलना मुल्जिमानों को पक्षपात से बचाना ही माना जा सकता है। प्रकरण के प्रारम्भ जांच ठीक नहीं होने से बदलकर जुम्मेवार व ईमानदार अफसर श्री मेहताब सिंह जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई। बाद में सी. आई. डी. (विजिलेंस) में बदली और जूनीयर अधिकारी डिप्टी पुलिस सुपरिटेन्डेट को दी गई। एक के बाद एक बदलावा करते रहने से अब जो जांच कर रहे हैं वे चौथे डिप्टी एस. पी. है। पहला प्रयास यह है कि मुल्जिम अपने प्रभाव से बार–बार जांच बदलवा रहे हैं इस प्रकार अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। दूसरा प्रयास यह है कि अग्रिम जमानत रद्द करने हेतु पैरवी जों जो न्यायालय स्तर पर राजकीय अधिवक्ताओं ने कर रखी है उसमें प्रारम्भ से ही कुछ न कुछ खामी रख कर विलम्ब करवाते रहे है।

15 वर्ष पूर्व इन्हीं मुल्जिम ने एक बहू की हत्या की थी। श्री हेमराज की पत्नि श्रीमती महादेवी को कास्टिक सोडा पिलाकर 20 फुट से भी ऊंची छत से गिराकर हत्या की थी। उस मुकदमें को भी रफा–दफा कराने में सफल हो गये थे। इस बार भी यही प्रयास चालू है।

बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व को प्रस्ताव है, तथा माननीय गृह मंत्री जी से संबंध रखता है इसको गम्भीरता से लिया जावे।

भवदीय,
ह./–
(बालचन्द आर्यवीर)
वि. स. 91

सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा जयपुर,
जयपुर।

विषय :—राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत टोडारायसिंह क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पथ परिवहन द्वारा ग्रामीण सेवा के तहत बसें चलवाने हेतु।

महोदय

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में पथ परिवहन निगम द्वारा डामर रोड होते हुए भी ग्रामीण सेवायें नहीं चलाई जा रही हैं ग्राम पंवालिया तहसील टोडारायसिंह में टोडारायसिंह कस्बे को छोड़कर आबादी के हिसाब से सबसे बडा ग्राम है इस ग्राम की आबादी करीब 4500 है। यहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। राजकीय उच्च प्राथमिक शाला (कन्या) है। औषधालय, पटवारी क्वार्टर, पंचायत हैड क्वार्टर,

उप स्वास्थ्य केन्द्र, अरावली बैंक आदि भी इस ग्राम में है। इस ग्राम में करीब 50 व्यापारियों की दुकान है। दूध की डेयरी है। आस पास के काश्तकार मरीज, स्कूल के लड़के सभी यहां पर आते जाते हैं यह एक व्यापारिक केन्द्र है यहां पर लोग अपनी वस्तुएँ बेचने तथा खरीदने के लिये आते है। ग्राम पवांलिया डामर रोड से जुडा हुआ है मालपुरा टोडारायसिंह, जयपुर टोडारायसिंह अजमेर टोडारायसिंह, रोड से जुड़े हुये ग्राम मोर से पंवालिया तक डामर रोड से जुंडा हुआ है लेकिन वहां पर पथ परिवहन विभाग की कोई भी बस नहीं जाती है जिसके अभाव में सरकारी अधिकारियों को व कर्मचारियों को व ग्राम जनता को व व्यापारियों को अन्य शहरों व कस्बों में जाने के लिये 5 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम मोर पहुंच कर बस में बैठना पड़ता है व वापस पैदल ही जाना पड़ता है। यहां से हर रोज 200 सवारी निकल सकती है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्री जी, जो कि मेरे जिले टोंक के ही हैं, से निवेदन है कि ग्राम पंवालिया में ग्रामीण बस सेवा लगाई जावे व जयपुर से टोडारायसिंह व अजमेर से टोडारायसिंह, मालपुरा से टोडारायसिंह जाने वाली बसों में एक एक बस को ग्राम मोर से वाया पंवालियां होते हुए आना जाना प्रारम्भ करवाने की व्यस्था करने की कृपा करें।

भवदीय,

10–3–92

ह./–

(घासीलाल चौपड़ा)

वि. सं. 38

श्रीमान् सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के निममों के नियम 295 के अन्तर्गत पुलिस थाना खैरवाड़ा को 1989 में एलोट की गई जीप प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि पुलिस थाना खैरवाड़ा जो कि राष्ट्रीय राज मार्ग 8 पर स्थित है। यहां पर आये दिन छोटी मोटी घटनाऐं होती रहती हैं और पुलिस को तत्काल वहां पहुंचना होता है लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं होने से तात्कालिक दुर्घटना स्थल पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। इसके साथ ही इस पुलिस थाने के अन्तर्गत सागवाडा ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव भी आते हैं जो कि खैरवाडा से 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। जहां पर आने जाने का कच्चा रास्ता है और वर्ष में 6 महीने बसों का आना जाना बन्द रहता है ऐसी स्थिति में वहां जाने के लिए कोई

साधन भी नहीं मिलता है। सागवाडा पंचायत क्षेत्र के सभी गांव आदिवासी बाहुल्य हैं जहां पर आये दिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और वहां पर पुलिस को आना जाना भी पड़ता है।

इसलिए खैरवाड़ा पुलिस थाना को 1989 में एक जीप एलाट की गई थी वह अभी तक पुलिस थाना खैरवाडा में नहीं पहुंची है।

अत: मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि पुलिस थाना खैरवाड़ा को एलाट की गई जीप तत्काल दिलाई जावें।

भवदीय,
ह./–
(दयाराम परमार)
वि. सं.–63

सचिव,
राजस्थान विधान सभा
जयपुर।

विषय :—विशेष उल्लेख नियम 295 के तहत।

महोदय,

ब्यावर नगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थित है इनमें विशेष रूप के पत्थर से पाउडर बनाने की इकाइयां अधिकाधिक मात्रा में है। जो शहर के चारों तरफ स्थित हैं जिनमें से कुछेक इकाइयां तो सघन आबादी क्षेत्र में भी स्थित है।

इस सम्बन्ध मैं मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से प्रभावित रूप से पाया है कि इन पत्थर कारखानों में कार्यरत मजदूर जो चिमनी के आसपास कार्यरत रहते हैं उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित कोई भी उपाय नहीं हैं परिणामत: इन कारखानों में उडने वाले पत्थर के धूल रूपी कण श्वास के जरिये कार्यरत मजदूर व समीपवर्ती नागरिकों के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं परिणामत: यह पाया गया है कि कारखानों में कार्यरत मजदूरों प्रत्येक के साथ टी. वी. जैसा घातक रोग उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 450 मजदूर व नागरिकों को यह बीमारी खतरनाक व प्राथमिक स्तर अपने ग्रास में जकड़ चुकी है तथा कुछ मजदूरों को श्वास सम्बन्धी बीमारियां भी उत्पन्न हो गयी हैं।

यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहां के कारखाना मालिक इस पर्यावरण प्रदूषण व मजदूरों के स्वास्थ्य के रख रखाव के प्रति पूर्णत उपेक्षित हैं अत: यह आर्थिक रूप

निम्न वर्ग इस भयानक बीमारी की जकड़ से काल-कवलित होते जा रहे हैं जो कि किसी भी जनतांत्रिक सरकार की उद्घोषणा को निर्मूल कर देती है।

मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि कारखानों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करने के साथ ही मजदूर वर्ग के स्वास्थ्य की सुरक्षा से सम्बन्धित कठोर कार्यवाही अविलम्ब सम्पन्न कराये। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस नगर में वन विभाग का कार्यालय भी स्थित है किन्तु अपने कर्तव्यों की इतिश्री के अभाव एवं भ्रष्ट एवं लापरवाही पूर्ण रवैये के रहते कोई भी हितदायक कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

सरकार से इस अतिसंवेदनशील समस्या के शीघ्र एवं पर्याप्त कार्यवाही को सम्पन्न करने की आशा करता हूं।

आपका

ह./-

(चम्पालाल जैन)

विधायक

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत केशरियाली से सागवाडा वाया भूंदर सड़क का डामरीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि केशरियाली से सागवाडा की पाल सड़क की कुल लम्बाई 30 किलोमीटर है। इस तीस किलोमीटर की लम्बाई की सड़क पर सर्व प्रथम भूंदर पंचायत मुख्यालय एवं अन्य गांव आते हैं जिनकी दूरी केशरियाली से 8 किलोमीटर है और भूंदर गांव की जनसंख्या 2,000 के करीब है। लेकिन यह गांव पक्की सड़क से जुड़ा नहीं है। इसी तरह दूसरा पंचायत मुख्यालय कोलावाड़ा है उसकी आबादी भी 15 सौ से अधिक है किन्तु यह भी पक्की सड़क से जुडा हुआ नहीं है। इसी तरह से सागवाडा पंचायत मुख्यालय भी जुडा नहीं हैं।

इसलिए इन तीनों पंचायत क्षेत्र के लोगों का बरसात के दिनों में तहसील मुख्यालय से सम्बन्ध टूट जाता है क्योंकि कच्चे रास्तों में किसी भी प्रकार के साधनों का आवागमन नहीं हो पाता है।

अत: मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि केशरियाली सागवाडा वाया भूदर सड़क का डामरीकरण किया जाय।

भवदीय,
ह./-
(दयाराम परमार)
वि. सं. 63

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषम -- विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की सड़कों की खस्ता हालत के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र डेगाना सड़कों के विकास के सम्बन्ध में नागौर जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है सम्पूर्ण नागौर जिलों में मुख्य सड़कों एवं सम्पर्क सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है। विधान सभा क्षेत्र में कुल 175 ग्राम हैं जिनमें से कुछ गिने चुने ग्राम ही डामर की सड़कों द्वारा जोडे जा सके हैं। उदाहरणार्थ डेगाना से सांज, डेगाना से हरसौर भेरूदा थांवला बाडीघाटी, डेगाना से गच्छीपुरा आदि। कई महत्वपूर्ण सडकें अभी तक अधूरी पड़ी हैं जैसे डेगाना से खाटू वाया मांझी, किरोदा, जाखेडा इसकी दूरी 28 कि.मी. है। कि. मी. 0 से 15 तक डामर बन चुकी है परन्तु बाकी की सड़क लम्बे अरसे से अधूरी पड़ी है तथा यह सड़क अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क हैं क्योंकि यह एक तरफ डीडवाना उपखंड तथा दूसरी तरफ मेड़ता उपखंड को सीधा जोडने का कार्य करती है। इसी तरह से ईंडवा से रेप वाया बंवरल्वा, सिरासपा, देवला सड़क है इसकी लम्बाई 19 कि.मी. हैं इसके डामरी करण नहीं होने से ग्रामीण जनता में भारी आक्रोश है। इसके द्वारा चार पंचायत मुख्यालय जुडते है यह उपखंड मेडता को सीधा जोडने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि इसका अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है। बरसात के मौसम में यह पूर्णतया बन्द हो जाती हैं तथा जनता को भारी परेशानियों का सामना आवागमन में करना पड़ता हैं।

इन उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त सांजू से कुचेरा सड़क इसकी लम्बाई 13 कि.मी. है अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है तथा पुरानी ग्रेवल सड़कों में से एक है परन्तु अभी तक इसका डामरीकरण नहीं किये जाने से जयपुर से क्षेत्र का सीधा सम्पर्क हो सकता है काफी समय से मेटेरियल डाला हुआ पडा हैं। परन्तु स्वीकृति नहीं होने से कार्य नहीं हो रहा हैं।

अनेक ग्रामों में अभी तक सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है उदाहरण के तौर पर सुरपुरा, मथानिया' कालूनी, घाटा, काया खानियों की ढाणी (मोडीकंला) कल्याणपुरा, माधाकी ढाणी, लाखीना, कुत्यासनी, डावोंली की मीढी, चांदनी मोगास, जोधडस, चौबयास, ठांस मेडों की ढाणी आदि। इन सभी ग्रामों में आवागमन हेतु कोई प्रकार की सड़क की व्यवस्था नहीं है। वर्षा के मौसम में ग्रामीणों को आवागमन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।

एक तरफ देश को हम इक्कीसवीं सदी में ले जाने की बात हम कर रहे है वहां अत्यन्त खेद का विषय है कि पंचायत मुख्यालय को भी हम अभी तक सम्पर्क सड़क द्वारा नहीं जोड़ पाये हैं।

सड़कों की खस्ता हालत के बारे में एवं अधूरी पडी सडकों के डामरीकरण के बारे में तथा सम्पर्क सड़कों के विकास एवं मरम्मत हेतु अनेकों बार पत्रों के माध्यम से अनेकों बार स्वयं उपस्थित होकर सम्बन्धित अधिकारियों एवं मंत्री महोदय से निवेदन किया जा चुका है परन्तु खेद का विषय है कि इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम सरकार द्वारा नहीं उठाये गये हैं।

एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत में सुधार करने एवं महत्वपूर्ण सड़कें जो डामरीकृत पूर्णतया नहीं की गई हैं उनको शीघ्र पूरी कराकर एवं जहां अभी तक सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है वहां सड़कें स्वीकृत करके ग्रामीण जनता के आवागमन की विकट समस्या का निवारण करावें।

भवदीय,
ह./-
(रिछपाल सिंह मिर्धा)
वि. सं. 152

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय—नियम प्रक्रिया 295 के तहत सपोटरा क्षेत्र में भूमिहीन कृषकों को अलाटमेन्ट करने बाबत।

महोदय,

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में किसानों का मुख्य धन्धा खेती है। किसानों के पास बहुत छोटी छोटी जमीन है तथा कुछ के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति

व खेतिहर मजदूरों के पास बिलकुल भी नहीं है ऐसी सूरत में वे लोग बिना धन्धे के परेशान हैं। कुछ सिवाय चक भूमि पर किसानों का काफी समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसको ट्रैक्टरों से व बेलों से काबिल काश्त बना लिया है अब उनको तहसील द्वारा पेनेल्टी वसूल की जाती है तथा सिविल कारावास भी भेजा जाता है जो कि गरीब किसानों के साथ अन्याय है।

अतः सरकार जिन लोगों के पुराने कब्जे चले जा रहे हैं तथा भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं उनको शीघ्र से शीघ्र अलाटमेन्ट करवा करके खातेदारी हक दिलवाया जावे जिससे गरीब किसानों का राजस्व के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे शोषण व परेशानी से बचाया जा सके।

भवदीय,
ह./–
(प्रभूलाल पटेल)
वि. स. 83

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय,

मेड़ता सिटी में कृषि उपज मंडी समिति राजस्थान की अच्छी मंडी समितियों में से एक है। इस मंडी समिति की आय बहुत है। मगर इतनी ज्यादा आय के बावजूद गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने का कार्य नगण्य है। रायड़ा (काली सरसों) मेड़ता क्षेत्र में बहुत तादाद में पैदा होकर बिकने के लिये इस मंडी में आता है। मगर उन गांवों में कोई सड़कें नहीं है। ग्राम अखावास, दासावास, मेड़ास, लाडवा, खेडा धूणावाला, आकेली ए गेमलियावास, लूणियास, बासनी सेजां प्रमुख है। अतः कृषि मंत्री जी का इस विशेष उल्लेख के जरिये ध्यान आकर्षित करके तुरंत इन गांवों को सम्पर्क सड़कों से मंडी बजट से जोड़ने का आग्रह है। यह मामला जनहित का है! अतः सरकार इसे गंभीरता से लेकर तुरंत राहत प्रदान करावें।

भवदीय,
ह./–
(रामकरण चौधरी)
वि. सं. 135

श्रीमान् सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर ।

विषय :—नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

महोदय,

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र का कुछ इलाका काली मिट्टी का है। वर्षा के मौसम में इस इलाके के गांवों की हालत डामर सड़कों के अभाव के कारण बहुत ही चिन्ताजनक रहती है। कच्ची सड़कों व मार्गों से सभी प्रकार के वाहन लाने ले जाने बंद हो जाते हैं। आवागमन का कोई साधन नहीं होने से ग्राम जनता परेशान रहती है। काली मिट्टी गीली हो जाने के से पैदल चलना ही कठिन होता है। फिसल कर गिरने का भयंकर खतरा रहता है। ऐसी हालत में इन गांवों में डामर सड़कों का तुरंत निर्माण करना जनहित में आवश्यक है। ग्राम आंकेली ए में तो जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चार-पांच ट्यूब वेल हैं। इन ट्यूब वेलों से कई गांवों में पेयजल का पानी पाइप लाइनों से सप्लाई किया जा रहा है। पेयजल की सही सप्लाई के लिये ग्राम गेमलियावास में बूस्टर लगाया हुआ है। यह दोनों ही गांव काली चिकनी मिट्टी क्षेत्र के हैं तथा रायडा वगैरहा की अच्छी पैदावार के गांव हैं अतः (क) ग्राम कात्यासनी की मुख्य सड़क से आंकेली ए व गेमलियावास गांवों में डामर सड़क का निर्माण करके ग्राम जसवंताबाद तक मुख्य डामर सड़क जोड़ने तक निर्माण कराया जावें। (ख) इसी तरह मेड़ता सिटी से ग्राम करकवाल, मोरस, धांधलास व जलवाना ग्रामों से होती हुई ग्राम बगड़ तक डामर सड़क का निर्माण कराया जावें। यह सभी ग्राम काली-चिकनी मिट्टी के ग्राम हैं। जनहित में इन दोनों सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से इसी वित्तीय वर्ष में कराया जावें।

भवदीय

ह./–

(रामकरण चौधरी)

वि. सं. 135

श्रीमान् सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय—विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम पालडी तहसील नांवा में स्थित पानी बहाव पर बंधा नहीं बनाने से भूमि खराब होने एवं सिंचाई से महरूम रहने से राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय,

उपरोक्त विषय में यह है कि मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पालडी तहसील नांवा में एक पानी बहाव का नाला है जिसमें सवाईपुरा, हरियाजून की तरफ पहाड़ों का पानी आता है जिससे ग्राम पालडी, सवाईपुरा, मीठडी के काश्तकारों की भूमि का कटाव होता है व पालडी की आबादी में भी पानी आ जाने से बह जाती है एवं नुकसान हो जाता है। इस पानी को सिंचाई में उपयोग करने व कुओं का जलस्तर बढ़े इसके लिए पालडी में उस पानी के बहाव की जगह सिंचाई विभाग से बांध बनाने की बार बार मांग की जाती रही है। इस संबंध में कुचामन पंचायत समिति ने अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजे। जिला स्तरीय विभिन्न विकास की बैठकों में भी इस बांध को बनवाने की मांग की गई व गत वर्ष डी.आर.डी.ए. की बैठक जिला नागौर में भी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता नागौर ने इस साल स्वीकृत होने की स्वीकारोक्ति की फिर भी अभी तक पालडी का बांध अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। मेरे ध्यान में आया है कि इसका तकमीना बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है कि नांवा तहसील के ग्राम पालडी सवाईपुरा, मीठडी, पलाडा के लिए यह बांध बनना सिंचाई के लिए कुओं का जल स्तर बढाने में सहायक होगा एवं अनावश्यक बहने वाले पानी से भूमि खराब नहीं होगी इसके लिए यह बांध बनवाना आवश्यक है।

अतः यह मामला लोक महत्व व अविलम्बनीय होने से मैं सिंचाई विभाग का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पालडी के बांध की स्वीकृति प्रदान कर किसानों को राहत दिलवावें।

भवदीय,

ह./-

दिनांक 11.3.92

(बिरधाराम चौधरी)

वि. स. 92

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :— प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के अन्तर्गत न. पा. सादड़ी (जिला पाली) राज. का आर्थिक कमजोरी के कारण ग्राम पंचायत में परिवर्तन एवं रानी स्टे. ग्राम पंचायत की दो ग्राम पंचायतों पुर्नगठन हेतु विशेष उल्लेख।

महोदय,

निवेदन है कि न. पा. सादड़ी (पाली) लम्बे समय से वित्तीय संकट में चल रही है जिसके कारण 11–11 माह का वेतन अनेक बार रोका जाता है। जिसके कारण न. पा. कर्मचारी परेशान रहते हैं एवं अनियमित कार्य कर अपनी उदरपूर्ति के लिए ग्राम जनता को परेशान भी करते हैं।

उक्त नगर पालिका का गठन 1964 में हुआ उस समय दूर दराज के छोटे ग्राम ढाणिया आदि को मिलाकर गठन किया गया था। आज वहां की सफ़ाई, बिजली, विकास आदि की व्यवस्था दयनीय है। क्योंकि सादड़ी के अलावा–बाहरी सादड़ी, अम्बेडकर नगर, भागी बावड़ी भैरुकाकर, रेबारियों का भूपा रंगास्वामियों का भूपा, मीणों का अरट, परशुराम बगेची, भट्टवारा, मेघवालों का बड़ा वास, जाटों की डोरण, चोर बावड़ी, मीणों का भूपा, भादरास, बावरियों का भूपा, सेपटियों का बेरा, रणकपुर, आदि स्थानों पर किसी प्रकार नगर पालिका सादड़ी द्वारा सफाई व्यवस्था नहीं होती है एवं उक्त स्थानों पर, अनु. जाति व जन जाति, अल्प संख्यक, लघु काश्तकार गरीब लोग आदि रहते हैं। जिनको न. पा. में शामिल करने पर न. पा. के द्वारा लगाये जाने वाले नाना प्रकार टैक्सों व नगर पालिका के नियमों में उलझना पड़ता है।

(1) अगर सरकार इन पर ध्यान देकर मघाई नदी से ऊपर वाले क्षेत्र प्रतापगढ़, मीणों का भूपा, भादरास रणकपुर, सेपटियों बेरा आदि को अलग ग्राम पंचायत–"ग्रा. पं. करणपुर।" एवं

(2) बहरी सादड़ी, रेबारियों का भूपा, रंगास्वामियों का भूपा, अम्बेडकर नगर भागी बावड़ी, भैरुकाकर, जाटों की डोरण को अलग ग्राम पंचायत "जो सूकड़ी नदी के उत्तर का क्षेत्र है उसे पंचायत अम्बेडकर नगर तथा

(3) न्यू आबादी, पुराना नगर क्षेत्र, आकरिया, बस स्टैण्ड क्षेत्र को "ग्राम

358

पंचायत सादडी" के नाम से पुर्नगठन करे तो पूरे सादडी निवासियों को भारी राहत मिलेगी ।

क्योंकि उक्त न. पा. सादड़ी क्षेत्र में किसी प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र, या रेल्वे स्टेशन, या व्यापारिक मण्डी या कोई बडे सरकारी कार्यालय नहीं है इसलिए इसकी आय नगण्य है। मात्र न. पा. अध्यक्ष पद के लिए यह न. पा. है।

अतः जनहित में इसे तीन ग्राम पंचायतों में परिवर्तित करना चाहिये । न. पा. सादडी के बोर्ड ने भी ऐसी विषम स्थिति देख कर इस नगर पालिका को ग्रा. पं. परिवर्तन हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव कर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को एक शिष्ट मण्डल के रूप में पेश किया है । जिस पर शीघ्र कार्य की आशा का आश्वासन भी दिया है किन्तु घोषणा नहीं की है ।

ठीक इसी प्रकार न. पा. रानी (पाली) की खराब स्थिति को देख कर सरकार ने ग्रा. पं. में परिवर्तित किया किन्तु इसको ग्राम पंचायत में पुर्नगठन में सम्मलित नहीं किया । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रेल्वे लाइन से पूर्व की दिशा को ग्रा. पं. रानी (पूर्व) एवं रेल्वे लाइन की दिशा पश्चिम की आबादी को ग्राम पंचायत रानी (पश्चिम) के नाम से गठन कराया जावे। ताकि सम्पूर्ण जनता को आसानी से ग्रा. पं. की सुविधा मिल सके ।

भवदीय,
ह./-
(अचला राम)
वि. स. 1

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :— राजस्थान बिधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के के अन्तर्गत प्रस्ताव ।

महोदय,

माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का ध्यान बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट के समाधान हेतु आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ गांवों जैसे नीमोदा, बलकुण्डी, देवपुरा, मुआदा, कुआखेड़ा लसाणा खातीखेड़ा कावड़िया आज

भी पेयजल सुविधा के अभाव में दुखी हैं इन गांवों में आज दिन तक एक भी हैण्ड-पम्प नहीं लग पाया है। ग्रामीण दूर–दूर से साइकलों पर गाड़ियों पर पानी की टंकियां बांध कर पानी लाकर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करते हैं।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि इन गांवों के सामने 2–3 किलोमीटर पर राणाप्रताप सागर भरा हुआ है और दो नीमोदा और बलकन्डी को छोड़कर बाकी गांव भी इसी राणा प्रताप सागर बांध की डूब के विस्थापित हैं। अतः राणा प्रताप सागर में लिफ्ट लगा कर इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जावें।

जिन गांवों में हैण्डपम्प लगे हुये हैं वे मेजर खराबी की वजह से अभियान में भी इसीलिए दुरुस्त नहीं किये जा सके कि अभियान के दौरान पूरा सामान उपलब्ध नहीं कराया गया जैसे अधिकांश के पाईप सड़ गले निकले हैं उनकी जगह जहां 400 पाईप चाहे गये वहां केवल 40 पाइप उपलब्ध हुए हैं ऐसी स्थिति एक दिन ठीक करते हैं दूसरे दिन वापस खराब हो जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बढ़ती हुई गर्मी के प्रकोप को देखते हुए शीघ्र नये पाइप उपलब्ध कराये जाय ताकि गांवों की जनता को पेयजल मिल सके।

भवदीय,
ह./–
(चुन्नी लाल धाकड़)
वि. स. 47

श्री सुरेन्द्र गोयल द्वारा दिया गया प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष द्वारा अग्रवाय कर दिया गया।

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :— विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत खैरवाड़ा में वन व्यापार मण्डल का बिक्री केन्द्र बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर वन व्यापार मण्डल का एक बिक्री केन्द्र लम्बे समय से चल रहा है जहां से सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र के लोग अपनी

(360)

आवश्यकता की लकड़िया प्राप्त करते थे। किन्तु गत तीन वर्षों से उक्त बिक्री केन्द्र बन्द कर दिया है, जिससे तहसील क्षेत्र के लोगों को किसी भी उपयोग की लकड़िया नहीं मिलती हैं। यहां तक की मुर्दे जलाने की लकड़ियां भी नहीं मिलती हैं। विशेषकर खैरवाडा और ऋषभदेव जैसे गांव जिनकी आबादी 15 और 20 हजार की हैं। इन गांवों के लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि आस पास कोई ऐसा जंगल नहीं है जहां से जलाने एवं अन्य उपयोग की लकड़िया प्राप्त की जा सकती है? ऐसी स्थिति में उक्त दोनों गांवों के निवासियों की स्थिति और अधिक खराब हो गई है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि खैरवाडा में पुनः वन व्यापार मण्डल के माध्यम से जलाऊ एवं अन्य उपयोग की लकड़ियां उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था कराई जावें अन्यथा मुर्दों को जलाने के बजाय दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जायेगा।

भवदीय,
ह./–
(दयाराम परमार)
वि. सं. 63

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :–प्रक्रिया के नियम संख्या 295 के अन्तर्गत पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय रामगढ, (अलवर) में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के संदर्भ में सदन में विशेष उल्लेख।

महोदय,

उपरोक्त संबंध में निवेदन है कि तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय रामगढ़ जिला अलवर एक अधिक जनसंख्या घनत्व की तहसील है। रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का भी मुख्यालय है।

रामगढ़ तहसील की जनसंख्या लगभग डेढ लाख है। दो पुलिस थाने रामगढ एवं एम.आई.ए. में स्थित है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि रामगढ में अभी तक कोई न्यायालय मौजूद नहीं है। अलवर जिले की एक रामगढ़ तहसील ही ऐसी तहसील है जहां पर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय उपलब्ध नहीं है। बाकी जिले की सभी तहसीलों पर यह न्यायालय उपलब्ध हैं।

माननीय ऐसा भी नहीं है कि अन्य तहसीलों की तुलना में रामगढ़ तहसील में कम मुकदमें है। काफी संख्या में विभिन्न प्रकार के मुकदमें भी प्रतिवर्ष यहां के थानों में जिला मुख्यालय अलवर में विभिन्न न्यायालयों में चल/पंजीकृत होते हैं।

माननीय रामगढ़ के दूर दराज के गांव अलवर से लगभग 60 कि.मी. तक की दूरी पर स्थित है। यहां के लोगों को अलवर न्याय लेने हेतु आना पड़ता है।

माननीय एक ओर तो राज्य सरकार यह बात कहती है कि सरकार नजदीक सस्ता, सरल एवं सुलभ न्यायालय लोगों को दिलाना चाहती है। मगर रामगढ़ के मामले में सरकार बिल्कुल उदासीन है। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 1992-93 में काफी नये मुन्सिफ एवं न्यायिक न्यायालय खोलने जा रही है।

अतः सदन के माध्यम से राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि रामगढ़ (अलवर) में शीघ्रतिशीघ्र एक मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय
ह./-
(जुबेर खां)
वि. सं. 58

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर सम्भाग मुख्यालय पर विद्युत विभाग का अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय खोलने बाबत

महोदय,

अजमेर सम्भाग राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से काफी अग्रणी है सम्भाग के अन्तर्गत भीलवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़, विजयनगर, केकड़ी, टौंक, निवाई आदि प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। इस सम्भाग में टैक्सटाइल उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, मार्बल उद्योग, सीमेन्ट पाइप उद्योग, तेल मिल्स, कुक्कड़ पालन उद्योग, ऊन उद्योग, नमक उद्योग, फाउन्डरी उद्योग आदि प्रमुख है। साथ ही राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना भी इसी सम्भाग में अपनी पूर्णता की ओर है। जिसमें अत्यधिक विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी।

362

वर्तमान में अकेले अजमेर के अन्तर्गत विद्युतमण्डल के तीन वृत्त 12 खण्ड एवं 36 उपखण्ड हैं इसी प्रकार भीलवाड़ा, नागौर, टौंक में देखें तो खण्ड व उपखण्ड की काफी बड़ी संख्या है।

उपरोक्त वस्तु स्थिति को देखते हुए एवं माप दण्ड के अनुसार भी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का कार्यालय प्रशासनिक दृष्टिकोण से सम्भागीय मुख्यालय अजमेर में अब तक खुल जाना चाहिये था।

जबकि उदयपुर कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा अन्य स्थानों पर उक्त स्तर पर कार्यालय बहुत पहले से ही स्थापित किये जा चुके हैं।

अतः अजमेर भीलवाड़ा, नागौर, टौंक को मिला कर अजमेर सम्भाग मुख्यालय पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का कार्यालय शीघ्र खोला जाय। कृपया मंत्रीजी बताने का कष्ट करें कि उक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा।

भवदीय
ह./–
(श्रीकिशन सोनगरा)
वि. सं. 168

सेवा में

श्रीमान् सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा जयपुर।

विषय :—नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदय

श्री रतनलाल निवासी ग्राम नरेली जिला अजमेर जो कि विद्युत विभाग अजमेर (सिटी पावर) में हेल्पर के पद पर कार्यरत था जिसकी मौत दिनांक 5.9.88 को तवीजी पसवार पर ऑन ड्यूटी पर करन्ट लगने से हो गई। उनकी एक पत्नी श्रीमती बिमला देवी एवं दो नाबालिग लड़के जिसमें से श्रीमती बिमला पिछले 4–5 वर्षों से गायब है जिसकी पुष्टि न्यायालय ने भी कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर ने दिनांक 19.1.91 को विद्युत विभाग को यह आदेश दिये हैं प्रार्थी (स्व. श्री रतन–लाल) के माह अगस्त व सितम्बर, 1988 की तनख्वाह ग्रेज्युएटी, सी.पी.एफ. एवं अन्य भत्ते उनके आश्रितों को तत्काल दे दिये जावे। परन्तु इतनी अवधि बीतने के बाद भी विभाग द्वारा क्लेम का पेमेन्ट आज तक नहीं किया गया है जिससे नाबालिगों का भरण पोषण बड़ा मुश्किल हो गया है।

अतः मेरा इस प्रस्ताव के जरिये मांग है कि स्वर्गीय श्री रतनलाल के सारे

क्लेम न्यायालय के निर्देशानुसार तत्काल दे दिये जावें तथा मृतक के स्थान पर नाबालिग के बालिग होने के पश्चात नौकरी देनी हो ऐसी व्यवस्था करावें ताकि उनका पालन–पोषण भली प्रकार से हो सके।

भवदीय
ह./–
(किशनाराम नाई)
वि. सं. 19

दिनांक 13 मार्च 1992

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया 295 के तहत सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान नेशनल हाइवे व राजस्थान हाऊस की तरफ आकृषित करना चाहता हूं।

महोदय,

सार्वजनिक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति बहुत ही धीमी है जो अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, वृत्तों व सम्भाग स्तर पर कार्यरत हैं वे बहुत ही निष्क्रिय हैं। इसी के परिणाम स्वरूप राजमार्गों का आवंटित बजट काम में नहीं आता है। पिछले कई सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों का बजट प्रति वर्ष 50–60 प्रतिशत बढ़ता था पर इन सालों में बजट की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जयपुर–दिल्ली सड़क के 17 कि.मी. की फोरलेनिंग का कार्य सन् 1988 में 2 साल में पूरा होने की अवधि का था जिसमें निर्धारित समय तो निकल गया व आगे अभी 2 साल लगने का अन्देशा है। ठेकेदार के एस्केलेशन क्लाज है जिसकी वजह से ठेकेदार को तो नुकसान नहीं होता है पर भारत सरकार का पैसा समय के अनुसार काम नहीं होने से ज्यादा खर्च हो रहा है। सम्बन्धित अभियन्ता इतने निष्क्रिय है कि समय पर निर्माण नहीं करते हैं इससे राज्य सरकार को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि इस बारे में सारे कामकाज को रोक कर विचार–विमर्श करना चाहिये। जयपुर दिल्ली सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है जगह–जगह पर सड़क ऊंची–नीची हो गई है व गड्ढे पड़े हुये हैं। माननीय मंत्री जी ने राज्य की छोटी-मोटी सड़कों के गड्ढे तो मिटवा दिये पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियन्ता अपनी निष्क्रियता से बाज नहीं आ रहे हैं। चौमूं–बीकानेर सड़क पर खूब गढ्ढे पड़े हुये है जिनको बरसात के बाद से अब तक रिपेयर ही करवाया जा रहा है हाईवे चौमू के जनसंख्या वाले क्षेत्र से गुजरता है एवं ट्रेफिक घन्टों बन्द रहता है पर हाईवे चौड़ा करने व आवश्यक सुधार के कार्य करने की तरफ कोई पहल नहीं की गई है। चौमू बाईपास बनने में बहुत समय लगेगा,

जब तक कम से कम एक्जेस्टिंग सड़क को चौड़ा करके व अन्य इम्प्रूवमेंटस कार्य करके ठीक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य आर्चीटेक्ट होते हुये राजस्थान हाऊस दिल्ली का कार्य प्राइवेट आर्चीटेक्ट को दिया गया व लाखों रुपये खर्च करके राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया। हाल यह है कि राजस्थान हाऊस के भवन को बने लगभग 5 साल हो गये और उसका कम्पलीशियन सर्टीफिकेट अभियन्ताओं की निष्क्रयता के कारण आज तक प्राप्त नहीं किया गया है। जिससे 40.00 लाख रुपये व्यर्थ के बिजली पानी पर दुगनी रेट से राज्य सरकार को भुगतान करने पड़े। माननीय मुख्य मंत्री के इस सम्बन्ध में जांच करने के आदेश के बावजूद आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है व राज्य सरकार का पैसा सम्बन्धित अभियन्ताओं की निष्क्रियता से बहाया जा रहा है।

राजस्थान पुल निगम निर्माण कार्यों को विभाग की पद्धति से करने के लिए स्थापित किया गया था पर आज हालत यह है कि वहां के छोटे-मोटे सभी कार्य ठेकेदारी पद्धति से चलाये जा रहे हैं व लाखों रुपये का घोटाला किया जा रहा है। यही नहीं वहां के कार्यों की नक्शे आदि प्राइवेट आर्चीटेक्ट से करवाये जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास ऐसे कई व्यक्ति कार्यरत हैं जिनको राजस्थान पुल निगम में लगाकर राज्य सरकार का पैसा बचाया जा सकता है यह बहुत ही अहम्‌मुद्दा है जिन पर विचार करना अति आवश्यक है, जिससे कि राज्य सरकार का पैसा जो अभियन्ताओं की निष्क्रयता से बरबाद हो रहा है, को बचाया जा सकें।

दिनांक:

भवदीय,

ह./-

वि. सं. 34

श्रीमान् सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत श्रीमाधोपुर (सीकर) में बाई पास रोड़ बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सीकर जिले का श्रीमाधोपुर कस्बा सीकर और झुन्झुनू जिलों में सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है। वहां बडी मात्रा में कृषि उत्पाद मंडी में आते हैं और किसानों के लड्ढों, ट्रैक्टरों की वजह से वाहनों का जम घट लगा रहता है।

तहसील मुख्यालय होने से तथा सहायक जिलाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत और विद्युत मंडल आदि के कार्यालय होने से वहां बहुत ज्यादा यातायात रहता है। दो सौ, तीन सौ जीपें सारे बाजार को घेरे रहती है । और आज वहां स्थिति यह है कि यात्री बसों को शहर से निकालने में आधा पौन घंटा लग जाता है। अत्यधिक भीड़ में तेज रफ्तार की गाड़ियों से वहां दुर्घटनाए होती रहती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वहां शहर के बाहर से बाई पास सड़क निर्माण कराना अत्यावश्यक हो गया है सरकार शीघ्रता शीघ्र वहां बाई पास रोड़ बनवाकर समस्या का समाधान करावें ।

भवदीय,
ह./–
(गोपालसिंह खण्डेला)
वि. सं. 33

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्न जानकारी देना चाहता हूं ।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 13–12–91 को एफ. आई. आर. नम्बर 26/91 थाना बजाज नगर में श्री कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल ने दर्ज करवाई जिसमें उल्लेख किया कि सी–88 बजाज नगर में रहने वाले किरायेदार श्री गेन्दीलाल ने दीवार से सिर टकरा टकरा कर आत्म हत्या करली है। पुलिस द्वारा मृतक श्री गेन्दीलाल के शव का शव परीक्षण करने पर रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आये कि मृतक के गले पर फांसी के निशान थे। शव परीक्षण रिपोर्ट को देखकर रिपोर्टकर्ता श्री कन्हैयालाल ने अपने पूर्व बयान बदल दिए एवं पुलिस को बयान दिया कि मृतक ने लूंगी का फंदा गले में डालकर पंखे से लटककर आत्म हत्या की थी। अब मैं आपका ध्यान विशेष रूप से पुलिस के बनाये नक्शा मौका रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। रिपोर्ट के अनुसार पंखे व पलंग के बीच की ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है जबकि मृतक की स्वयं की लम्बाई 5 फुट 10 इंच थी, क्या एक इंच के अन्तर से फांसी लगाकर मरना किसी तरह सम्भव है। वास्तव में गेन्दीलाल सी–88 बजाज नगर की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम एवं गवाहों का बार बार अपने बयानों को बदलना इस ओर स्पष्ट संकेत करते है। थाना पुलिस बजाज नगर इस केस की गहराई से जांच किए बिना हत्या किए जाने के संदेह को भी नकार रही है और एकदम आत्म-हत्या मानकर अपना पिंड छुड़ा रही है ।

(366)

अतः इस मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार केस से संबंधित सभी तथ्यों को पर्याप्त महत्व देते हुए पूरे प्रकरण की पुनः विस्तार और गहराई से किसी उच्च अधिकारी या गुप्तचर शाखा से जांच करवावे।

भवदीय,
ह./–
(कन्हैयालाल मीणा)
विधायक बस्सी
वि. स. 13
ह./–
(उजला अरोड़ा)
वि. सं 10

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त अवैध विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में।

मान्यवर जी,

राज्य के पिछले समय में विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई तथा इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि यहां से माल जम्मू कश्मीर, पंजाब व आसाम तक जाता है। किन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जयपुर में श्री डी. पी. गुप्ता के यहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया इसके बाद बागावास तहसील विराटनगर तथा मोहनपुरा जोधपुरा तहसील कोटपूतली से भी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। गौरतलब है कि यहां किसी के पास भी लाइसेन्स नहीं था तथा जिस मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया उतनी मात्रा का भण्डारण मात्र खनन के उद्देश्य से तो कदापि भी नहीं हो सकता।

श्री डी. पी. गुप्ता ने गिरफ्तारी के बाद स्वीकार किया है कि वे ब्यावर एक्सपलोसिव, जयपुर एक्सपलोसिव भारत एक्सपलोसिव से माल खरीदते थे तथा इन सभी पार्टियों को मालूम था कि उनके पास लाइसेन्स नहीं था। जयपुर एक्सप्लोसिव के मालिक श्री गोपाल मोदी ने तो स्वयं ने स्वीकार किया कि श्री डी. पी. गुप्ता के पास लाइसेन्स नहीं होने की जानकारी उनको थी तथा उनको यह भी मालूम था कि श्री गुप्ता का माल कश्मीर व पंजाब में भेजते है। बागावास में विस्फोटक यहां की एक खान से बरामद किया गया किन्तु खान मालिक व इसके मुखत्यार को तफतीश में ही बरी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस खान का मुख्त्यार पंजाब के सीमावर्ती गांव का रहने वाला है तथा इसकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं तथा इस बात की सूचना भी राज्य सरकार के पास है कि यह अपने एक सहयोगी के जरिये पंजाब व

आसाम के उग्रवादियों से जुड़ा है फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पुलिस ने रिश्वत खाकर इनको तफतीश से बाहर कर दिया। कोटपूतली में तो राज्य सरकार का एक उपक्रम ही इस मामले में लिप्त पाया गया जिस उपक्रम के अधिकारियों पर कार्यालय में जाकर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाये जाते हैं तथा जूते चप्पलों से पिटाई की जाती है, तथा जिस उपक्रम के छोटे से छोटा अधिकारी जयपुर में आलीशान मकान, कार आदि रखकर एश्वर्य का जीवन जीता हो उस उपक्रम के अधिकारियों को ऐसे संगीन मामले में सन्देह की परिधि से बाहर रखा जाना पुलिस की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

मेरा कहना है कि चोर को मारने की बजाय चोर की मां को मारना चाहिये ताकि और चोर पैदा ही नहीं हो। विस्फोटक के भंडारण करने वालों की बजाय उन लोगों को पकड़ना चाहिये जो अवैध रूप से तस्करी करके राज्य में विस्फोटक लाते है तथा अपने विभिन्न स्रोतों के जरिये अन्य राज्यों के उग्रवादियों को पहुंचाते हैं।

खनन की आड़ में इन लोगों द्वारा इस तरह की गतिविधियों की वजह से छोटे छोटे खान मालिकों को जिन्हें वास्तविकता में विस्फोटक की आवश्यकता रहती हैं तथा जो लाइसेन्स प्राप्त करने की तथा उसके बाद की खानापूर्ति की जटिल प्रक्रिया से गुजरने में असक्षम रहते हैं, भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सन्दर्भ में मेरा एक सुझाव यह हैं कि राज्य में एक निगम की स्थापना की जानी चाहिये जो खनन बाहुल्य क्षेत्र में मैगजीनें बनाकर ठेके पर खानों में नियमानुसार विस्फोट करें। इसमें राज्य में अवैध विस्फोटक के विक्रय व भंडारण पर स्वयमेव रोक लग जायेगी तथा खनन की आड में जो लोग उग्रवादियों को विस्फोटक पहुंचाकर देश को तोडने की प्रक्रिया में लगे हैं उनकी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा एवं छोटे खान मालिक निर्भय होकर कार्य कर सकेंगे तथा राज्य के विकास में सहायक होंगे।

अतः सरकार इस तरफ ध्यान देकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें यह अति लोक महत्व का मुद्दा है।

दिनांक :—13.3.92

भवदीय
(फूलचन्द गुर्जर)
ह./-
वि. स. 86

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन, राजस्थान जयपुर, में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही भारी

विषय :—अनियमितता व आर्थिक घोटालों के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

महोदय,

स्काउट व गाइड आन्दोलन एक पवित्र कर्म है जिसमें कर्म की शिक्षा देता हुआ यह संगठन चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करता है परन्तु इस संस्थान में पिछले 10 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए आपको इस बात पर पुर्नविचार करना होगा कि यह संस्था अपने उद्देश्यों में कितनी सफल हो रही है ।

इस संस्था में बहुत सारे अधिकारी व कर्मचारी दूसरे सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं । राज्य सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी 3 वर्ष तक व अधिक से अधिक 5 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है परन्तु अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि इस विभाग में 30 वर्ष से भी अधिक अवधि से अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । इस बाबत पिछले 16 वर्षों से लगातार आडिट आब्जैक्शन महालेखाकार, राजस्थान द्वारा किया जाता रहा है और राज्य सरकार द्वारा भी निरन्तर पत्र लिखे जाते रहे हैं कि इन्हें वापस अपने विभागों में भेजा जाय, इसके बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है क्योंकि यह लोग अपने अधिकारियों के साथ मिलकर गबन व घोटाला करते हैं ।

1980 से 1984 तक जयपुर मण्डल में 1,23,000/–रु. का गबन हुआ जिस बाबत आडिट रिपोर्ट में निरन्तर उल्लेख होता चला जा रहा है । आडिटकर्ताओं ने इस मामले में श्री गोपाल दत्त माथुर, लिपिक द्वारा गबन किया जाना माना परन्तु उसको बिना किसी जांच या दण्ड के वापस अपने विभाग में भेज दिया गया ।

इस संस्थान में निरन्तर नियुक्तियों में गड़बड़–घोटाले होते रहे हैं और फर्जी नियुक्तियां कागजों में दिखाकर उनका वेतन उठाया जाता रहा है जिसके लिए लगातार महालेखाकार अपने प्रतिवेदन में उल्लेख करते रहे हैं ।

श्रीमन यही नहीं कि इस विभाग में प्रतिनियुक्तियों पर आये लोग काम कर रहे हैं बल्कि अनेक लोगों को, जो सेवानिवृत हो चुके हैं सेवानिवृति के पश्चात भी उन्हीं पदों पर जिन पर वे पहले कार्य कर रहे थे, राज्य सरकार के सारे नियमों को ताक पर रखकर प्रतिनियुक्त किया गया है जिस हेतु महालेखाकार (लेखा परीक्षा) निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988–89 से 89–90 तक के पैरा 3 में आपत्ति की गई है कि इन पर 77,222 रु. का अनियमित व्यय किया गया है जिसके लिए महालेखाकार ने राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संस्थान को इन आपत्तियों का निराकरण कर राज्य सरकार को टिप्पणी देने के लिए कहा पर उसमें टिप्पणी नहीं प्रस्तुत की ।

राज्य सरकार द्वारा इस विभाग को 50 से 60 लाख के बीच में प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है । यह एक आश्चर्य की बात होगी कि शिक्षा विभाग में न तो इस अनुदान

को किस प्रकार व्यय किया जाये उस बाबत कोई नियम ही बनाये हैं और न ही किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की है जो इस अनुदान को सही ढंग से उपयोग में ला सके।

अध्यक्ष महोदय राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा की जा रही अनुदान राशि का पूर्ण दुरुपयोग हो रहा हैं अतः शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पिछले 8 वर्षों में आडिट रिपोर्ट में आये सभी आब्जेक्शनों की जांच करावें, प्रतिनियुक्तियों पर आये हुए कर्मचारियों, अधिकारियों को तुरन्त उनके विभाग में भिजवाने की व्यवस्था करावें, सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को नियम विरुद्ध जो पुर्ननियुक्ति दी गई है उसे रद्द किया जाये और यदि यह संस्था इन निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो इसे अनुदान बन्द कर दिया जाये।

भवदीय

ह./-

(दिलसुखराम)

वि. स. 66

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत खैरवाडा से पंचायत मुख्यालय जावासी तक सड़क का डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि खैरवाड़ा से पंचायत मुख्यालय जावासी की दूरी 12 किलोमीटर की है। उसमें 5 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण हो गया है और शेष 7 किलोमीटर सड़क कच्ची है। जावास पंचायत का एक गांव झौपरी जिसकी आबादी 2000 से अधिक है। सरकारी नीति के अनुसार 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों का डामरीकरण हो जाना चाहिये लेकिन इस आदिवासी बाहुल्य गांव को अभी तक डामरीकरण से नहीं जोडा गया है इसलिए गांव झोपरी एवं जावासी की जनता को खैरवाडा तहसील मुख्यालय पर पहुंचने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और विशेषकर बरसात के दिनों में और अधिक परेशानी हो जाती है।

अतः मैं राज्य सरकार से आग्रह पूर्वक निवेदन कर यह मांग करता हूं कि खैरवाड़ा से झौपरी पंचायत मुख्यालय तक जवासो 7 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कराया जाये।

भवदीय,

ह./-

(दयाराम परमार)

वि.स. 63

श्रीमान् सचिव महोदय;

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—विधान सभा की संचालन नियम प्रक्रिया 295 के तहत सपोटरा क्षेत्र में अवैध वन कटाई के संबंध में।

महोदय,

सपोटरा क्षेत्र अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी व जंगल का इलाका हैं यहां के जंगलों के सहारे से यहां का पशुपालन धन्धा चलता था क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि करना असम्भव है। यहां का पशुपालन इन बातों के खातिर ही समृद्धशाली था। परन्तु विभाग की अनदेखी के कारण जंगल सारे साफ किये जा रहे हैं विभाग में कोई भी अपनी जिम्मेदारी न निभाने के लिये सक्षम नहीं रहते हैं।

सरकार हर साल वनों के रख रखाव व नये वन लगाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करती है। परन्तु बाद में उनको कोई देखने वाला नहीं पहुंचता है कि वन कहीं लगाया या नहीं लगाया। सारे आकड़े कागजों में बनाये जाते हैं तथा वन लगाना तथा रख रखाव कागजों में ही रह जाता है। होना कुछ भी नहीं होता उसके ज्वलंत उदाहरण हर जगह देखने को मिल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है। जहां सरकार ने रिजर्व फोरेस्ट घोषित कर रखे हैं वहां पर भी विभाग कोई ध्यान नहीं देता अवैध खनन करके ही वनों को साफ किया जा रहा है। सारा जो कुछ हो रहा है वन साफ, वनों के रखवाले सबंधित विभाग दूर किया जा रहा है।

अतः सरकार इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देकर इन वनों का रख रखाव करवाया जावें तथा दोषी अधिकारियों को सजा दिलवायें। जिससे वन आबाद हो सके और इस क्षेत्र का पशु पालक अपने पशुओं को पाल सके और पर्यावरण में भी मदद मिल सकें।

भवदीय;

ह./–

(प्रभूलाल पटेल)

वि. सं.–83

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :— नियम 295 में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव ।

महोदय,

झुन्झुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में सारे शहर की गन्दगी नगरपालिका के कर्मचारियों तथा दूसरे मौहल्ले के निवासियों द्वारा वार्ड नम्बर 9 में डोबी अर्थात गन्दे पानी का तालाब नामक स्थान जिसमें पहले से ही गन्दा जल भरा रहता है । इस डोबी के आस पास रहने वाले नागरिकों की यह हालत है कि इस स्थान से इतनी जबर्दस्त बू आती है कि लोगों का यहां रहना दूभर हो गया है । यहां मच्छर एवं मक्खियों का प्रजनन होता है जिससे इस वार्ड के निवासी दस्त और मियादी बुखार तथा अतिसार से पीड़ित होते रहते हैं । यह स्थिति पिछले 4–5 वर्ष से बनी हुई हैं यहां हमेशा पानी भरा रहने से यहां के आस पास के मकानों को गिरने का खतरा पैदा हो गया है जिससे कभी भी जानमाल का खतरा पैदा हो सकता है ।

राजस्थान नगर परिषद अधिनियम 1958 के मुताबिक नगर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है । परन्तु नगर पालिका चिड़ावा इस कानून का पूर्णतया उल्लंघन कर रही है ।

राजस्थान नगर परिषद अधिनियम 1958 की धारा 219 में अध्यक्ष को अधिकार है कि यदि कोई कूड़ा करकट या गंदगी आदि घर से बाहर डालता है तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है परन्तु यहां सरे आम गांव का मल इकट्ठा किया जा रहा है । धारा 220 में नगर पालिका की आज्ञा बिना नल के पानी या गन्दे पानी को खुली सड़क या खुले स्थान पर छोड़े जाने पर अपराध है और प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है परन्तु इस डोबी के पास मोदियों के मकान के सहारे गुजरता हुआ सार्वजनिक रास्ता मल एकत्रित करके प्रायः बन्द जैसा ही पड़ा है । डोबी के पश्चिम दिशा में दक्षिण कोने पर मल व कूड़ा कर्कट एकत्रित करके एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के मकान को पूर्णतया असुरक्षित एवं रहने योग्य नहीं छोड़ा गया है । मल एवं कूडे कर्कट का एक टीला सा बना दिया गया है ।

नगर पालिका अधिनियम की धारा 222 में नगर पालिका को गंदगी का स्थान कूड़ा कर्कट, गोबर, मल, राख डालने के लिए निश्चित करना चाहिये और रिहायसी स्थानों में इस प्रकार गंदगी फैलाने के लिए मनादी करनी चाहिये परन्तु कोई अधिकारी अथवा सदस्य इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं ।

धारा 227 में आवासीय भवन की 100 गज की परधि में गन्दा पानी

जिसमें मक्खी, मच्छर, पैदा होते हैं एकत्रित होना कानूनी अपराध है, परन्तु श्री बुद्धराम मोदी, हीरालाल चेजारा सिक्कों का मकान, ताराचन्द मालानी, प्रभुदयाल ज्योतगी, रामसहाय मास्टर के मकान के बिल्कुल नजदीक गंदा पानी एवं उसमें मल मिश्रित गन्दगी है जहां इन्सान तो क्या पशु भी ठहरना पसंद नहीं करेगा ।

इस डोबी का पानी निकालने के लिए नगर पालिका चिड़ावा को कम से कम 10 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा । चिड़ावा नगर पालिका के पास तो कर्मचारियों के वेतन का चुकारा करने लायक भी वित्तीय साधन नहीं हैं ।

माननीय मंत्रीजी आप 23 अप्रैल, 1990 को जब चिड़ावा में नव निर्मित पेयजल टंकी का उद्घाटन करने पधारे थे तब वार्ड नं. 9 में आप पैदल चलकर इस गंदे तालाब (डोबी) का निरीक्षण करने भी पधारे थे तब आपने इसे एक जटिल समस्या बताते हुए कहा था कि इससे पूरे नगर का वातावरण दूषित हो रहा है तथा इसका समाधान होना अति आवश्यक है । आपको मैं आपके शब्दों का स्मरण करा रही हूं तथा इसके समाधान हेतु निवेदन कर रही हूं ।

भवदीय,
ह./–
(सुमित्रा सिंह)
वि. सं. 177

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

बिषय :— प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विश्वकर्मा औद्योगिक नगर जयपुर में स्थापित नये उद्योगों को कच्चे माल पर राज्य सरकार की घोषित उद्योग नीति के विरुद्ध जबरदस्ती चुंगी वसूल करने पर आपका ध्यान आकर्षित करने के संबंध में ।

महोदय,

दिनांक 1–4–90 से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में लगाये जाने वाले नये उद्योगों को संबंधित नगर की चुंगी सीमा से बाहर से कच्चा माल आयात करने पर चुंगी मुक्ति की सुविधा प्रदान की हुई है लेकिन जयपुर में प्रशासक, नगर परिषद जयपुर की हठ धर्मिता के कारण जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा नगर में नई स्थापित 6 इकाइयों द्वारा लगभग एक वर्ष पहले समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी चुंगी मुक्ति की सुविधा प्रदान नहीं की गई है । प्रशासन, नगर परिषद द्वारा इस नई स्थापित मार्बल इकाइयों से जबरदस्ती राज्य सरकार की

नीति के विरुद्ध इन्हें चुंगी मुक्ति प्राप्त करने में बाधा डालकर जबरदस्ती चुंगी वसूली की जा रही है। जिससे जयपुर में उद्योग लगाये जाने के बारे में नये उद्यमियों में घोर निराशा व्याप्त हुई है व नये उद्यमी जयपुर में प्रशासक की हठधर्मिता के कारण नये उद्योग लगाने से पीछे हट रहे हैं। यहां तक कि नये उद्योगों को चुंगी मुक्ति प्रदान करने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, निदेशक उद्योग विभाग जयपुर व सचिव उद्योग विभाग द्वारा भी प्रयास किये गये लेकिन उनके सारे प्रयास प्रशासक की हठधर्मिता के सामने बेकार सिद्ध हुए। प्रशासक की ऊंची पहुंच के कारण उपरोक्त सभी अधिकारी राज्य सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बनी नीति के अनुसार जयपुर में स्थापित नये उद्योगों को चुंगी मुक्ति प्रदान करने हेतु पत्रावली का प्रशासक के स्तर से किये जाने वाले कार्य को तुरन्त निस्तारण हेतु सीधे उनसे कहने से डरते हैं।

अध्यक्ष महोदय इन परिस्थितियों में क्या यह समझा जाय :—

1– कि जयपुर में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को राज्य सरकार की कच्चे माल पर चुंगी मुक्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

2– यदि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा तो कितने साल और इन्तजार करना पड़ेगा।

माननीय उद्योग मंत्री जी भी उद्यमियों की इस समस्या से भली भांति परिचित हैं लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान न होना अत्यन्त खेदजनक है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। अतः इस पर मुझे चर्चा करने व समाधानात्मक क्रियान्विति आग्रह करने का अवसर प्रदान करें।

भवदीय,
ह./
(राजेन्द्र पारीक)
वि. सं. 132

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :— राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रदेश की पेयजल समस्या के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान प्रदेश के 12 जिले प्रो. सी. एस. कुशवाईन के अनुसार ऐरिड और सेमी ऐरिड जोन के अन्तर्गत आते हैं जहां भूस्थल वर्षा की कमी तथा हर एक

साल अथवा दो साल में अकाल व अभाव की स्थिति रहती है। इन जिलों में प्रमुख रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाडमेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, सीकर, झुन्झुनूं चूरू प्रमुख हैं। जहां भूमिगत जल स्रोत जहां से पानी लिया जाता है वे या तो गहरे हैं अथवा पानी में फ्लोराइड की मात्रा पायी जाती है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जो योजनाएं बनायी हैं उनकी क्रियान्विति में शिथिलता एवम् प्रभावी नियन्त्रण न होने से आज भी राज्य के 34,968 गांवों में से अभी लगभग 3,000 के ऊपर गांव समस्या ग्रस्त हैं जहां पीने के पानी का अभाव, जो गांव पेयजल योजना से जुड चुके है उन गांवों में पशुओं की संख्या के आधार पर योजना न बनाने से बहुत गांव समस्याग्रस्त फिर से बन रहे हैं।

राज्य के पश्चिमी जिलों में खासतौर से गदेली साहवा, चूरू योजना के अन्तर्गत 87 गांव हेतु योजना जिसकी लागत 1983–84 में 487 लाख आंकी गई थी। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर शहर के लिए पेयजल योजना की क्रियान्विति धीमी गति से होने के कारण इन योजनाओं की लागतों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो रही है। बीकानेर शहर के लिए जल आपूर्ति हेतु बीछवाल जलाशय जो प्रारम्भ में 75.20 लाख रुपये में बनने वाला था वह जलदाय विभाग की लापरवाई एवम् शिथिलता के कारण 1988 में 317.08 लाख रुपये का बन गया। वर्तमान में इस कार्य को मुख्यत: अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को जून, 1990 से उक्त कार्य के आदेश दिए हुए हैं, परन्तु गत 9 महीने इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान न होने से जलाशय की लागत में लगभग दुगुनी वृद्धि हो गयी है। सर्दी के दिनों में भी बीकानेर शहर में पीने का पानी दो-दो, तीन-तीन दिन तक उपलब्ध नहीं होता, गर्मी के दिनों को आते देखकर बीकानेर के नागरिक पानी की कमी की आशंका एवम् कंवर-सेन लिफ्ट नहर के नियमित रूप से न चलने के आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास के निर्णय को सुनकर आश्चर्यचकित हैं। इन्दिरा गांधी नहर एवम् सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अधिकारी समय-समय बीछवाल जलाशय को अविलम्ब बनाने एवम् नहर को नियमित रूप से न चलाने की असमर्थता दर्शाते रहते हैं। उक्त जलाशय की तकनीकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी तथा इस हेतु जलदाय विभाग कब तक वित्तीय प्रबन्ध करेगा।

अजमेर एवम् ब्यावर हेतु बीसलपुर पेयजल योजना जो 64·37 करोड़ की अनुमानित लागत से बनी थी। वह भी गत दो वर्षों से समयबद्ध क्रियान्विति के अभाव में लागत बढ़ रही है। जयसंमद पेयजल योजना 16.16 करोड़ की अनुमानित लागत की बनी थी। जिस पर दिसम्बर, 1990 तक 10.43 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। वर्तमान में इसका कार्य बंद है जिसके कारण इसकी लागत भी 35 करोड से ऊपर होने की संभावना है।

उदयपुर शहर की पेयजल की दीर्घकालीन समाधान हेतु मांसी वाकल परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 36.46 करोड़ प्रथम चरण की आंकी गयी थी। द्वितीय चरण की लागत 130.30 करोड़ की अनुमानित लागत से बननी प्रस्तावित थी, परन्तु इस योजना के संबंध में आठवीं योजना में कोई प्रावधान न करने से इसकी लागत में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

राज्य की उक्त सभी योजनाओं की क्रियान्विति में होने वाले विलम्ब से उक्त सभी योजनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है क्या राज्य सरकार उक्त सभी पेयजल योजना की क्रियान्वित के लिए समय बद्ध कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है। उक्त योजनाओं के बारे में कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा।

भरतपुर, अलवर जिलों में पेयजल का अभाव महसूस किया जा रहा है। इस हेतु अविलम्ब यमुना नदी के पानी को लाने की योजना बनाकर उसकी क्रियान्वित हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

राज्य के विशेषतः पश्चिमी जिलों बाडमेर, जैसलमेर, चूरू जिले में सुजानगढ़, रतनगढ़, नागौर जिलों में लाडनूं, आसोप आदि क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर का पानी सर्वोच्च प्राथमिकता से पहुचाये जाने की अति आवश्यकता है ताकि मरूस्थल के इन इलाकों को पेयजल उपलब्ध हो सके।

भवदीय

ह./–

(बुलाकी दास कल्ला)

वि. सं. 35

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर

महोदय,

कोटपूतली क्षेत्र के किसानों की फसल सूख रही है। करीब 11 दिन से बिजली नहीं दी जा रही है। वहां बहुत बड़ा असंतोष है। कई हजार किसान इधर उधर बिजली के अभाव में घूम रहे हैं। विद्युत सहकारी समिति कार्यालयों में कोई भी अधिकारी व कर्मचारी नहीं है। बडा भयंकर असंतोष है। नवभारत अखबार की कटिंग साथ पेश है।

विशेष उल्लेख की स्वीकृति प्रदान करें।

भवदीय

ह/–

(रामकरण सिंह)

वि. सं. 138

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—लोकमहत्व के विषय में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बाडमेर, जैसलमेर के भयंकर अकाल पीडित क्षेत्रों के बाजार में बाजरे का भाव 6 रुपये किलो के है और सरकारी सस्ते दर की दुकानों पर 4 या 5 किलोग्राम से ज्यादा अनाज नहीं मिल रहा है। वह भी गांवों में प्रभावशाली व सरकारी नौकरी पेशा वालों को मिल जाता है परन्तु आम गरीब पिछड़े कमजोर वर्ग को कतई अनाज नहीं मिलता हैं। जिससे वहां के गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। क्योंकि जिस परिवार में सिर्फ एक ही आदमी और परिवार में 5–6 सदस्य हैं उनका पेट नहीं भर रहा है क्योंकि एक घर में एक आदमी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि पशुओं आदि के घर में एक आदमी का रहना जरूरी होता है। मान लो एक घर में एक गाय है तो कम से कम एक किलो दाला चाहिए जिसकी कीमत 5 रुपया है व कम से कम 5 रुपये का चारा चाहिए और 15 रुपयों का रोजाना घर में अनाज चाहिए। कि हाल ही में 1.1.92 को बाडमेर में प्रधान मंत्री एवम् मुख्यमंत्री ने पधार कर घोषणा की थी कि सस्ते दर के सामान की विशेष दुकानें खोली जायेगी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रियायतें दी जायगी। परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विशेष सुविधाएं तो दूर रहीं सामान्य रियायतें देनी चाहिए वह भी नहीं मिल रही हैं। यह प्रधान मंत्री व मुख्यमंत्री का अपमान है और आम गरीब भारी मुसीबत में है व जनता मे भारी असंतोष हैं।

अतः आपसे यानि आसन के द्वारा सदन से भी बहुत अदब के साथ अर्ज है कि भयंकर अकाल पीडित है वहां पर कम से कम 10 किलोग्राम अनाज रेट पर दिया जावें व दूर दराज क्षेत्र में 1000 की आबादी पर नई दुकाने खोली जावे ताकि लोगों को राहत मिल सके व प्रधान मंत्री व मुख्यमंत्री में लोगों का विश्वास बना रहे।

भवदीय
ह./–
(अमीन खां)
वि. सं. 6

13.3.92

श्री सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—295 प्रक्रिया के अन्तर्गत।

महोदय,

महिला उत्पीड़न एवं प्रताड़ना तथा बलात्कार और महिलाओं को जलाने की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। यह एक शोचनीय विषय है और इस दिशा में गहनता से कार्य करने की जरूरत है।

जोधपुर सम्भाग के बालोतरा कस्बे में एक सम्पन्न परिवार में पुष्पा सालेचा को जलाने की दर्दनाक घटना हुई है। इस महिला के साथ उसके पति सहित ससुराल वालों ने दुर्व्यवहार कर घिनौनी हरकतें की हैं। उसको जलाकर बालोतरा में अच्छे चिकित्सकों की मौजूदगी के बावजूद अधिकांश जली इस महिला को जोधपुर लाया गया। इससे इस महिला को मौत के मुंह में जाना पड़ा। पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इस सम्बन्ध में अब तक क्या जांच की गई है। वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।

इसी प्रकार जोधपुर में 19 वर्षीय मंजु दीपिका को भी उसके दहेज लोभी ससुराल वालों ने जलाकर उसकी हत्या की है। इसकी निष्पक्ष जांच करवाना आवश्यक है। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के चेनपुरा गांव में एक नवयुवती को बकरियां ढूंढने के बहाने जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में राजकीय रेफरल अस्पताल में एक प्रसूता कंचन कंवर की मृत्यु हो गई है।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बलात्कार, दहेज लोभी व्यक्तियों द्वारा महिलाओं की हत्या तथा महिला उत्पीड़न की बढती घटनाएं एक चिन्ता का विषय है। इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

भवदीय,
ह./–
(सूर्य कान्ता व्यास)
16.3.92

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर ।

नियम :—नियम 295 के तहत थानागाजी विधान सभा के गांव झीरी में गंभीर पीने के पानी के संकट के बारे में सरकार का ध्यान आकृषित कराने बाबत ।

मान्यवर,

मेरे क्षेत्र की तहसील थानागाजी का गांव झीरी कई वर्षों से पीने के पानी की समस्या के कारण एक भारी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है । गांव के सारे कुएं आज भी पिछले पांच वर्षों से सूखे पड़े हुये हैं । गांव के पास खानों में वर्षा के भरे हुये पानी को जो सब प्रकार से प्रदूषित है, पीना तो दूर नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है उसको ऊंची कीमत पर लोग ऊंट गाड़ी द्वारा भारी कीमत पर वितरण करते हैं । इस समस्या को पिछले चार वर्ष से मैं विभाग के प्रत्येक अधिकारी का एवं मुख्य अभियन्ता तक अनेक बार ध्यान दिला चुका हूं । परन्तु ऐसा लगता है कि मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने कानों में तेल डाल रखा है । आने वाली गर्मी में सम्भवतः खानों से भी इस वर्ष अकाल के कारण पीने का पानी न मिल सकें । ऐसी हालत में प्रदूषित जल को पीने अथवा जलाभाव के कारण यदि गांव में संक्रामक रोग फैल गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी । अतः मैं राज्य सरकार का ध्यान आकृषित करना चाहूंगा कि समय रहते युद्ध स्तर पर इस समस्या का समाधान करें ।

भवदीय,

ह./-

(रमाकान्त)

श्रीमान सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।

जयपुर ।

विषय :—प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत वन मंत्री का ध्यानाकर्षण करने के क्रम में ।

महोदय,

प्रोजेक्ट रेंज खण्डार सवाई माधोपुर व टाइगर प्रोजेक्ट रेंज में कराये जा रहे कार्य खाई फैंसिंग पत्थर की मीनार, चरागाह विकास, जंगल की अवैध कटाई,

जंगल में भकोला डांग में आग 4.3.1992 को रणथम्भोर में लगी आग के सम्बन्ध में मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपरोक्त विषय में मुझे बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि आपको एवं वन मंत्री को मेरे द्वारा हंसदेव सैनी रेंजर प्रोजेक्ट खण्डार के विरूद्ध सैकड़ों पत्र, इसके द्वारा कराये जा रहे कार्य खाई फैन्सिग, पत्थर की मीनार व जंगल की अवैध कटाई के सम्बन्ध में लिखे हैं। आप जब मुख्यमंत्री बहरावण्डा कला पधारे थे जब भी इसकी कई शिकायतें ग्रामवासियों द्वारा आपको की गई थीं, लेकिन उक्त रेंजर के विरुद्ध कार्यवाही न होने से इसके हौंसले और भी बुलन्द हो गये हैं, एवं दिन प्रतिदिन भयंकर भ्रष्टाचार एवं खाई फेंसिग चरागाह विकास, पत्थर की मीनार व जंगल की अवैध कटाई करे भकोला डांग में दिनांक 1.1.92 को आग लगाने का जघन्य कार्य और किया गया है। अतः ऐसे भ्रष्ट रेंजर को शीघ्र निलम्बित किया जाकर खुली जांच कराने का श्रम करें। अगर इसके विरुद्ध उक्त कार्यवाही नहीं की गई तो आम जनता खण्डार इसके विरुद्ध कोई भी कदम उठा सकती है जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

भवदीय
ह./–
(चुन्नीलाल खण्डार)
वि. स. 45

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमान, कोटपूतली को जिला बनाना निम्न प्रकार से जरूरी है :—

1. कोटपूतली नगर एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जो जयपुर जिले के उत्तर में हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले से मिला हुआ है।

इसको जयपुर जिला कार्यालय के लिये व अन्य कार्य के लिये आने वाले व्यक्तियों को काफी समय व धन खर्च होता है जो ग्रामीणों के लिये काबिले बर्दाश्त नहीं है।

2. वर्तमान में उप जिला खण्ड कोटपूतली में तीन तहसीले है शाहपुरा, वैराठ, और कोटपूतली जिनकी आबादी राजस्थान के अन्य कई जिलों के बराबर है।

3. इसकी बनावट ऐसे स्थान पर है कि यह अन्य करीब 4 तहसीलों के मध्य है।

4. इसकी तीन तहसीलों के समीप और अन्य तहसीलों के अलावा पंचायत समिति कोटपूतली, पंचायत समिति शाहपुरा, पंचायत समिति बैराठ, पंचायत समिति पावटा इस तरह वर्तमान में इस उपखण्ड में चार पंचायत समिति हैं।

5. इसके चारों तरफ बानसूर तहसील और बहरोड तहसील, नीमका थाना तहसील, थानागाजी तहसील इस तरह कुल 7 तहसीलों का केन्द्र है। इसलिये इसे जिला बनाना प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। इन तहसीलों के किसानों और व्यापारियों का अदालती और विकास के लिये समय और धन का बचाव होगा।

6. कोटपूतली में ए. डी. जे. कोर्ट तो पहले से ही आपने खुलवाया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खुलवाना आवश्यक है और जानकारी मिली है कि जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता का भी कार्यालय सरकार खोल रही है। ऐसी सूरत में करीब-करीब जिले के कार्यालय तो आप खोलते ही जा रहे हैं तो जिला बनाने के लिये आदेश फरमाने में क्यों देरी कर रहे हैं।

7. कोटपूतली में 150 बैड का अस्पताल है, जनाना अस्पताल है, उप जिलाधीश कार्यालय, डिप्टी एस. पी. कार्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट कार्यालय, कृषि उपज मण्डी, दवाखाना, सब ही बैंकों के कार्यालय, बाल विकास योजना, हरिजन छात्रावास, छात्राओं की हायर सैकेण्डरी, नवोदय स्कूल, आई.टी.आई. स्कूल, कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र आदि आदि।

8. आवागमन के लिये भी अलवर जिला, सीकर जिला, महेन्द्रगढ जिला और दिल्ली जयपुर से भी जुडा हुआ है।

9. मार्बल और लाइम स्टोन के भी प्रचुर मात्रा में भण्डार हैं।

10. सीमेन्ट के भी दर्जनों कारखानें लगाये जा रहे है। ऐसी महत्वपूर्ण जगह को जिला बनाने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है। अब जल्दी में आदेश फरमानें की कृपा करें।

दिनांक 16-3-92

भवदीय

ह./-

(रामकरण सिंह)

वि. स. 136

(381)

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत।

महोदय,

पिछले तीन वर्षों में पंचायत समिति अन्ता जिला बांरा के अन्दर पंचायत समिति की राशि का भारी दुरूपयोग हुआ है तथा कृषि फार्म में से अवैधानिक तरीके से गैर कानूनी ढंग से प्लॉट बनाकर उन्हें इस समय की 120/- रुपये प्रति वर्ग फीट बाजार दर से कम कीमत पर उचित माध्यमों एवं अखबारों में सूचित किए बगैर बेचान किया गया है। अभी तक भी पूरी भूमि पर पंचायत समिति का वापिस कब्जा नहीं हो पाया है। कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किए बिना ही भूमि बेचान करने के दोषियों को अभी तक भी दण्डित नहीं करवाकर सरकार उन्हें बचा रही है।

ग्रामीण आवास तथा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत किए गए भुगतानों में भी गबन, दुरुपयोग तथा फर्जीवाड़ा किया गया है। दिनांक 12-12-1990 सहित विगत तीन वर्षों में किए गए ऐसे प्रत्येक भुगतान की उसका भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से तस्दीक की जाने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धनतम व्यक्तियों के नाम पर आई राशि के भुगतान की इन परिस्थितियों में विशेष जांच दल के माध्यम से गहन जांच किया जाना आवश्यक है ताकि दुबारा से इस प्रकार से गलत कार्य नहीं हो सकें।

पाड़लिया पुलिया के कार्य एवं भुगतान में भी अनियमितता बरती गई है। श्री मुरारीलाल वैष्णव निवासी हिंगोनिया को एक से अधिक बार लाभान्वित किया जाकर उसे गलत फायदा पहुंचाया गया है। अंकेक्षण दल द्वारा पंचायत समिति अन्ता व उसके तहत आने वाली ग्राम पंचायतों के बाबत की गई जांच सही नहीं है, क्योंकि अंकेक्षण दल द्वारा जिन सरपंचों से नाजायज राशि प्राप्त नहीं हुई उनके खिलाफ गलत आक्षेप तथा जिन नाजायज राशि प्राप्त हो गई, उनको बचाया गया है। दुबारा से सही जांच करने पर सही तथ्य स्वतः ही सामने आ जावेंगे।

अतः उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अविलम्ब कार्यवाही की जाकर विस्तृत जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

भवदीय,

ह./-

(रामनारायण वर्मा)

वि. सं. 142

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत समस्या के बारे में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवम् कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय,

झुन्झुनूं जिले का मंडावा विधान सभा क्षेत्र विद्युतीकरण की दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। राज्य सरकार ने सन् 1990-91 में समूचे क्षेत्र को विद्युतीकृत किये जाने की घोषणा की थी, लेकिन हकीकत में पूरा क्षेत्र अभी तक भी विद्युतीकृत नहीं हो पाया हैं। क्षेत्र में घोषित सभी नये राजस्व गांवों, ढाणियों और मजरों को सरकार द्वारा बार-बार घोषणा किये जाने के बावजूद भी विद्युतीकृत नहीं किया जा रहा है।

गत तीन वर्षों में जिन नये गांवों को विद्युतीकृत किया जाना बताया जा रहा है, उनमें से ज्यादातर गांवों में अभी तक बिजली पहुंची नहीं है। इनमें से कुछ गांवों में बिजली के खम्भे गडे पड़े हैं तथा कुछ में तार खींच दिये गये हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं रखे गये है। मण्डावा विधान सभा क्षेत्र रेगिस्तानी इलाका है और उसके एक तिहाई गांवों में पीने का पानी खारा है लेकिन शेष गांवों में पानी मीठा है और सिंचाई योग्य भी है। समूचे क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था भी जलप्रदाय योजना या गांव में स्थानीय कुओं के पानी से ही होती है। अतः पेयजल के समाधान में भी बिजली सप्लाई की अहम भूमिका है।

ग्रामीण लोग अपने गांव के सार्वजनिक कुएं को विद्युतीकृत करवाने के लिए लम्बे समय से बिजली विभाग एवम जलदाय विभाग के यहां चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिन गांवों की गत दो वर्षों में विद्युतीकृत किया गया है, वहां जलदाय विभाग पेयजल योजना हेतु बिजली विभाग से गांव के सार्वजनिक कुएं को विद्युत कनेक्शन देने के लिए आवेदन करता है तथा एक-एक लाख रुपये तक के डिमाण्ड नोटिस निकाल दिये जाते है जिसे जलदाय विभाग वित्तीय कठिनाई बतलाकर भरता नहीं है और परेशानी ग्रामीण जनता को उठानी पड़ती है। गांवों में घरेलू कनेक्शन तथा आटा चक्की वगैरह के लिए कनेक्शन लेने हेतु लोगों ने लम्बे समय से फाइले भर रखी है, उनके लम्बे चौडे डिमान्ड नोटिस निकाल दिये जाते है। मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के करीब 1000 परिवारों ने अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) झुन्झुनूं में घरेलू कनेक्शन लेने हेतु "सीक्यूरिटी मनी" भी जमा करा रखी है लेकिन उन्हें एक वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिये गये है।

जहां तक सिचाई का सवाल है क्षेत्र के किसानों के पास टयूब वैल से पानी निकाल कर खेत की सिंचाई करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे क्षेत्र के मात्र 20 गांवों में ही यह सुविधा प्राप्त है। विद्युतीकृत गांव में कृषि कार्य हेतु न्यूनतम 2 कनेक्शन दिये जाने के निर्णय का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झुन्झुनू जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद केवल मण्डावा में ही एक सहायक अभियन्ता का दफ्तर है जिसके कार्य क्षेत्र में मण्डावा क्षेत्र करीब 65 गांव आते है। क्षेत्र के शेष गांवों के सहायक अभियन्ता कार्यालय झुन्झुनू में स्थित है जो व्यावहारिक नहीं है। अतः विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए बिसाऊ और मलसीसर कस्बों में सहायक अभियन्ता (विद्युत) के कार्यालय तत्काल खोले जाने चाहिए। बिसाऊ चूरू 132 के. वी. लाईन का कार्य लम्बे लम्बे अर्से से अधूरा पडा हैं जिसके बिसाऊ में बनने वाले नये विद्युत गृह का कार्य भी खटाई में पड़ा है। जिससे बिसाऊ कस्बे और आस पास के गांवों में हमेशा विद्युत संकट बना रहता है और बिसाऊ को चूरू जिला मुख्यालय से विद्युत सप्लाई होती है जिसमें जब चाहे कटौती कर दी जाती है।

महोदय गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया जिसके कारण पानी की खपत बढ़ेगी तो बिजली की आवश्यकता भी बढ़ेगी, छात्रों को परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है तथा गर्मी के मौसम में आंधियां चलेगी जिसकी वजह से विद्युत व्यवस्था के और खराब होने की शंका। ट्रांसफार्मर भी ज्यादा जलेगें।

अतः माननीय उर्जा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो मण्डावा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था में सुधार कर स्थानीय जनता को राहत दिलावें।

भवदीय

ह./–

(डा. चन्द्रभान)

वि. स. 41

सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—सवाई माधोपुर जिले में सड़कों, पुलों के निर्माण एवं सड़क मरम्मत के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

384

महोदय,

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान सवाई माधोपुर जिले की हिण्डौन तहसील की सड़कों, एवं पुलों के निर्माण, मरम्मत कार्य एवं राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार बनवाई जाने वाली सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा सड़कों की मरम्मत करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी थी कि 15.10.91 तक राज्य की सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जायेगी परन्तु अभी तक हिण्डौन से खरेटा सड़क, हिण्डौन से बरगया सड़क, हिण्डौन से बयाना सड़क, हिण्डौन से कोटड़ी होती हुयी मोहीया पुरा सड़क, हिण्डौन से गंगापुर सड़क, हिण्डौन से महावीरजी होती हुयी नादोती, गंगापुर सड़क पर आज तक किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं की गयी है।

दूसरी ओर 1971 की आबादी वाले तीन ग्राम पंचायत क्षेत्र लहचौड़ा, विजयपुरा, पाली, जिनको अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। जबकि बरसात में तीनों ग्राम के लिये आने जाने का रास्ता नहीं है जिससे बीमार, आवश्यक कार्यों एवं सामान हाट बाजार आदि के लिये अति परेशानी होती है। हिण्डौन से खरेटा रोड़ के बीच चांदोर नदी पर वर्ष 1982-83 में पुल बनाने के लिये विभाग द्वारा 3 पिलर भी बनाये गये लेकिन 1983 के बाद आज तक पुल नहीं बनाया गया। इस सड़क पर प्रति दिन 150 ट्रक, 200 ट्रेक्टर, बेलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि प्रतिदिन खानों से पत्थर लाने के लिये चलते हैं। बरसात में रास्ता बन्द होने से 35 कि. मी. का चक्कर लगाना पड़ता है। यदि यह पुल बन जाता है तो 20 कि. मी. का चक्कर बच जाता है तथा खनिजों में लगे करीब 6000 श्रमिकों के आने जाने का समय भी बचेगा।

अतः मैं अपने इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग कर निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत एवं 1971 की आबादी वाले गांवों में नई सड़कें बनवाई जावे तथा जनहित को देखते हुये हिण्डौन से खरेटा रोड़ के मध्य चांदोर नदी पर पुल एवं हिण्डौन से बयाना जाने वाली सड़क पर जग नदी पर पुल बनाया जावे।

दिनांक 16.3.92

भवदीय,
ह./–
(भरोसी लाल)
वि. सं.–95

सचिव,

राजस्थान विधान सभा

जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के 132 के. वी. ए. विद्युत

सब ग्रिड स्टेशन को 220 के.वी.ए. का अपग्रेड करने एवम् पिछले 3 वर्षों से स्वीकृत 33 के.वी.ए. सब ग्रिड स्टेशन मोदरा व तिलोडा की स्वीकृत राशि व्यय न करने से लेप्स होने के संबंध में।

मान्यवर,

जालोर जिले के भीनमाल विद्युत खण्ड में 132 के.वी.ए. का एक सब ग्रिड स्टेशन 1985 में बनकर चालू हुआ था। इस विद्युत खण्ड में इस वर्ष दो विद्युत सब ग्रिड स्टेशन 132 के.वी.ए. रानीवाडा और सांचौर बन रहे हैं जिन्हें भीनमाल सब ग्रिड स्टेशन 132 के.वी.ए. से जोडा जावेगा। रानीवाड़ा 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन की टोवर लाइन भीनमाल से खीचीं गई है, इसी प्रकार सांचौर की बडी लाइन भी खडी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में भीनमाल 132 के.वी.ए. सबग्रिड स्टेशन को अपग्रेड कर 220 के.वी.ए. का किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

भीनमाल ग्रिड स्टेशन से 2 लाइनें 33 के.वी.ए. की खड़ी की जाकर ग्रिड स्टेशन के प्रस्ताव कई वर्षों से विचाराधीन हैं। इन 33 के.वी.ए. के दो ग्रिड स्टेशन मोदरा एवम् तिलोडा के कार्य हेतु पिछले तीन वर्षों से राशि आवंटित की गई थी। लेकिन वर्ष 1990–91 में उक्त राशि कार्य करने हेतु जिला प्रशासन को जवाहर रोजगार में श्रमिक लगाकर 33 के.वी.ए. की लाइनें खडी करने हेतु आवंटित की गई। परन्तु उक्त राशि व्यय न करने से लेप्स हो गई। पिछले वर्ष 1991–92 में इन कार्यों के टेण्डर स्वीकृत हुए, लेकिन राशि आवंटित नहीं हुई। सरकार, पिछले दो वर्षों में अकर्मन्यता के कारण उक्त कार्य करवाने में असमर्थ रही। दूसरी ओर उक्त एरिये में वोल्टेज के अभाव में किसान परेशान हो रहे हैं।

धूम्बडिया 33 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन से बागोडा के ऊपर के गांवों में जैसावास में एवं 33/11 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन की मांग है क्योंकि उक्त एरिये के ग्रामों में वाटर लेवल ऊपर आ जाने से वागोठा, कोरी धावेच्छा, जैसावास, कूडा धवेचा, खोखा रंगाला, बिजलिया, छाजाला, सोबदावास, नादिया बीछावाडी, राउता, चेनपुरा, लाखणी, मोरसिम, पाता की ढाणी, देवदा की गोलिया आदि गांवों में कुओं पर विद्युत कनेक्शनों की मांग बढ़ रही है और धूम्बडिया 33 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन से 11 के.वी.ए. लाइन से उपरोक्त ग्रामों को जोड़ा गया है जिसकी कुल लम्बाई 100 किलोमीटर है और कम वोल्टेज से मोटरें जल रही हैं।

अतः उपरोक्त कार्यों को करवाने हेतु इस वर्ष की योजना में राशि आवंटित की जाकर भीनमाल ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड एवम् मोदरा, तिलोडा व जैसावास में 33 के.वी.ए. स्टेशन बनाने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,

ह./–

(प्रेमसिंह दहिया)

वि. स. 84

दिनांक 16.3.92

386

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर (राज.)

विषय :-- नावां कुचामन क्षेत्र में विद्युत सप्लाई में सुधार कराने के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय,

नावां व कुचामन सिटी के सहायक अभियन्ता कार्य क्षेत्र में विद्युत सप्लाई पहले सीधी हीरापुरा फुलेरा–132 के. वी. सब स्टेशन से मिलती थी, परन्तु अभी कुचामन 132 के. वी. सब स्टेशन को ब्यावर, अजमेर होकर सप्लाई मिलती है, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, मकराना फिर कुचामन 132 के. वी. सब स्टेशन अन्तिम छोर पर होने से यहां वोल्टेज बहुत कम मिलते हैं। जिससे निरन्तर सप्लाई में बाधा आती है। फुलेरा में 220 के. वी. सब स्टेशन निर्माण में काफी विलम्ब हो रहा है जबकि ब्यावर ट्रांसफार्मर पहुंच चुका, सब स्टेशन बन चुका, ऐसेसिरीज एवं सी. टी. पहुंच चुकी, फिर भी धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण काफी विलम्ब हो रहा है। एक सीजन का समय भी निकल चुका दूसरा प्रारम्भ होने वाला है, कुचामन मकराना 132 के. वी. सब स्टेशन पर इस 220 के. वी. सब स्टेशन से विद्युत मिलाने पर ही वोल्टेज रेगूलेशन सही मिलेंगे। सभी राहत कार्यों के हित में यह कार्य युद्ध स्तर पर पूरा कराया जाना चाहिये।

इसी प्रकार कुचामन 132 के. वी. सब स्टेशन से चितावा व पांचवा 33 के. वी. सब स्टेशन को विद्युत सप्लाई होती है। चितावा तक 21 किलोमीटर 33 के. वी. लाइन है इसी के बीच 11 किलोमीटर पर पांचवा 33 के. वी. सब स्टेशन है। चितावा सब स्टेशन पर 8.85 मेगावाट लोड है। तथा पांचवा सब स्टेशन 4.15 मेगावाट लोढ है। पांचवां तक 11 किलोमीटर लाइन अलग नहीं होने से चितावा सप्लाई केवल भी खिचने पांचवां 33 के. वी. सब स्टेशन से भी सप्लाई चालू कर देते हैं। जिससे चितावा क्षेत्र के फीडरों को वोल्टेज रेगूलेशन बात कम मिलती है व काश्तकारों के बार-बार झटके आते हैं। मोटरें जलती हैं। पांचवा तक 11 किलो–मीटर अलग लाइन डालना स्वीकृत दें। जिसे इस वर्ष के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित कर शीघ्र दर्ज करवाया जावे व कार्य शीघ्र कराया जावे। नावां के पास राजास में 33 के. वी. सब स्टेशन बनना प्रस्तावित दो लाइन है। जमीन उपलब्ध हो चुकी 33 के. वी. सब स्टेशन का ढांचा जन सहयोग से तैयार हो चला। इस कार्य को शीघ्र पूरा कराया जावे। काश्तकारों के अलावा–नमक उद्योग को भी विद्युत सप्लाई के लिए यह बहुत आवश्यक है। अत : यह कार्य शीघ्र कराया जावें।

नावां व कुचामन सिटी ये दोनों जगह सहायक अभियन्ता कार्यालय हैं, तथा कुचामन सिटी क्षेत्र में जिलिवा, पांचवा, चितावा, खोटडी 33 के. वी. सब स्टेशन

तथा नावां में मारोठ, मीन्डा मीठडी, राजास 33 के. वी. सब स्टेशन इस प्रकार काफी लम्बा क्षेत्र है । इन दोनों क्षेत्र में कम से कम एक जीप बहुत जरूरी है जिससे समय पर सहायक अभियन्ता आदि का इनका निरीक्षण कर सकें, इसलिए यहां एक जीप शीघ्र आवंटित कराई जावे ।

नावां कुचामन क्षेत्र का चालू वर्ष में 400 विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है । वर्तमान तक करीब 275 लोगों के ही डिमाण्ड नोटिस जारी हुए हैं । जिनके डिमाण्ड नोटिस जारी हो चुके उन्हें ट्रांसफार्मर दिये जा कर सीधे विद्युत कनेक्शन दिये जावें तथा 125 लोगों के डिमाण्ड नोटिस जारी होने की पत्रावलियों श्रीमन् अधीक्षण अभियन्ता नागौर के यहां पेंडिंग है उन्हें शीघ्र स्वीकृत कराकर विद्युत कनेक्शनों का लक्ष्य चालू वर्ष का शीघ्र पूरा कराया जावे ।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान दिलाकर अनुरोध है कि उल्लेखित कार्यों को शीघ्र कराया जावें ।

भवदीय,
ह०/
(हरीश कुमावत)
वि. सं. 187

दिनांक :— 16.3.92

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :— सिरोही नगर स्थित आवासन मण्डल के निर्माणाधीन दो मकान गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख ।

महोदय,

मेरे क्षेत्र सिरोही नगर में वर्ष 1980–81 में राजस्थान आवासन मण्डल ने वहां के लोगों के आवेदन आमंत्रित किये थे । आवेदन लेने के बाद करीब 10 वर्ष बाद बार-बार जनता द्वारा तकाजा करने पर आवासन मण्डल ने वर्ष 1990 में वहां पर मकान बनाते शुरू किये । जिस समय मकानों की नींवें भरी जा रही थीं तभी वहां की जनता तथा स्वयं मैंने भी बार-बार शिकायतें की थीं कि आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे मकानों की नींवें कम भरी जा रही हैं तथा बनाये जा रहे मकानों में घटिया सामग्री का उपयोग करने से भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि उन शिकायतों पर न तो आवासन मण्डल ने ध्यान दिया और न ही स्वयं मंत्रीजी ने । जिसका नतीजा यह हुआ कि दिनांक 11.3.92 उन

निर्माणाधीन मकानों में से दो मकान ढह गये। यह तो भाग्य अच्छा था कि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई क्योंकि जिस समय यह घटना हुई तब श्रमिक रवाना हो रहे थे।

महोदय इस प्रकार आवासन के मकान ढह जाने से जनता में बहुत रोष है तथा जनता इस बात से भयभीत है कि इन मकानों में रहने पर और भी कोई घटना घट सकती है। अतः मान्यवर इन सारी घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जावे तथा जो मकान बन रहे हैं, एवं बन गये हैं, उन मकानों का आवंटन करने से पहिले पूरी जांच करवाई जावे।

आवासन मण्डल द्वारा आवेदन लेने के बाद एक लम्बे अर्से तक मकान नहीं बनवाये इसलिये अब उन मकानों की कीमतें काफी बढ गई हैं तथा उनका भुगतान आवेदकों की क्षमता से बाहर है। निर्माण का कार्य भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मकानों का आवेदकों को कब्जा देने की प्रक्रिया भी चालू हो गई है परन्तु आवासन मण्डल की कालोनी में अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पानी के कनेक्शन जोड़े बिना यदि मकानों का कब्जा दे भी दिया तो भी ये मकान पानी के अभाव में रहने योग्य नहीं होंगे।

अतः मैं सदन के माध्यम से आवासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करती हूं कि आवासन मण्डल द्वारा निर्मित किये गये मकानों की कमियां निकाल कर उन्हें आवासन योग्य बनाया जावे। मकानों की कीमतों को कम करके उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जावे। मकानों के निर्माण की गति को द्रुत एवं मजबूत बनाया जावे। साथ ही इन मकानों की निष्पक्ष जांच करवाकर जनता में व्याप्त भय को दूर किया जावे।

भवनिष्ठ,

ह./–

(तारा भंडारी)

श्रीमान सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा

जयपुर।

विषय :—295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय,

16–17 अगस्त, 1988 कोटवाड़ा आउटर सिग्नल के पास 26 वर्षीय अरविंद का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मृतक का रेल से कटकर आत्महत्या करने का मामला बनाया परन्तु मृतक के पिता रामकरण वैद्य को संदेह था उनकी प्रार्थना पत्र पर सी.आई.डी. (सी.बी.) ने जांच की और इस नतीजे के तौर पर हत्या मुकदमा दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया। गुप्तचर शाखा के तथ्योनुसार ट्रेन से कटने पर खून चप्पल इत्यादि अवश्य मिलते। मृतक के शरीर पर आई चोटें किसी प्रकार की ट्रेन के कटने

से नहीं हो सकती हैं चेहरे गुप्तांग इत्यादि पर चोटें थी। मृतक की कैलाश नाम के लोहरवाड़ा निवासी से मित्रता थी। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था उसको उस दिन घर न जाकर सरस्वती स्कूल में जाकर हाजरी लगायी है, घर से गायब रहा है। 1 दिसम्बर, 88 को यह हत्या दर्ज होने के बाद आई.जी., सी.आई.डी. द्वारा कैलाश को गिरफ्तार करने के आदेश दिये पर राज्य के उच्च अधिकारी एक डी.आई.जी. पुलिस के दबाव में यह गिरफ्तारी रुक गई। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर आधा दर्जन अधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है और जांच पर जांच बदली जा रही है परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। हाल ही में गहराई में जाने के लिए अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जयपुर) के निर्देश पर सवाई मानसिंह अस्पताल के उच्च डाक्टरों का एक बोर्ड बैठाया और मेडीकल बोर्ड ने पंचनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोटोग्राफ व अन्य तथ्यों के आधार पर माना कि यह ट्रेन दुर्घटना न होकर हत्या है। सम्भवतः हत्या के बाद शव को लाइन पर डाला गया है। मेडीकल बोर्ड ने निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं कि उसकी मृत्यु इस स्थान पर पहुंचने से पहले हो गई थी। 2–शरीर के किसी दूसरे अंग के नहीं कटे होने से यह सम्भावना नहीं है कि यह मृत्यु रेल से कटकर हुई हो। 3–पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक के पैरों के तलुओं पर रंग तेलीय चिकना पदार्थ है। लगता वह मरने से पहले पैदल चला था। मेडीकल बोर्ड ने कुछ कमियां बतायी हैं कि फोटो कई खींची जानी चाहिए थीं शव की चोटे व पंचनामे का विस्तार से जिक्र होना चाहिए था, मृतक के कपड़ें सुरक्षित रहना चाहिए थी। खून मांस इत्यादी एफ.एस.एल. के लिए भेजें जाने चाहिए थे। मौके पर खून नहीं था पर मृतक के पेंट, शर्ट, अण्डरवीयर खून में रंगे हुए हैं मृतक के पिता का कहना है कि पुलिस के रिकार्ड में ये सभी चीजें ली थी पर अब उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में पुलिस के अधिकारी मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। शव जिस स्थान पर पड़ा था उसका मुआयना डी.जी. व सी.बी. के डी.आई. जी. ने भी किया है वहां शव कंकरीट पर लम्बा पड़ा हुआ शव पाया गया है, उससे ट्रेन के कटने का मामला नहीं लगता वे बड़े असमजंस में थे कि आत्म हत्या का केस कैसे बनाया गया और मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद तो यह निश्चित लगता है कि यह हत्या है। मृतक के परिवार को डरा धमका कर कोशिश की जा रही है यह केस वे न उठाये। हत्या के जुडे लोग वर्तमान डी आई.जी. के नजदीकी रिश्तेदार हैं, वे मृतक के पिताजी के घर पर आते हैं और गम्भीर परिणामों का डर दिखाकर चुप करवाना चाहते है। पुलिस मुख्यालय पर मृतक के संदिग्ध हत्यारे डेरे डाले रहते हैं जो वैद्य रामकरण भी वहां पहुंचकर शिकायत करने से डरता हैं। इस मुकदमें में न्याय के लिए मुलजिम की गिरफ्तारी अति आवश्यक है और वर्तमान डी.आई. जी. के यहां रहते शायद यह सम्भव नहीं लगता। राज्य सरकार को इस गरीब को न्याय दिलाने के हित में उचित कदम उठाना चाहिए।

भवदीय

ह/–

वि. सं. 197

(हेतराम बेनीवाल)

श्रीमान् सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत देवस्थान के मन्दिरों में चल रहे सरकारी किरायेदारी के स्कूल भवनों के जीर्ण शीर्ण अवस्था से बालक-बालिकाओं को होने वाली क्षति की आशंका पर।

मान्यवर,

जयपुर नगर में माणक चौक चौपड का हायर सेकेण्डरी स्कूल (छात्र), छोटी चौपड पर चल रहा महाराजा उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्रा), मन्दिर श्री जगदीश्वर जी, कमला नेहरू स्कूल उच्च माध्यमिक (छात्रा) आदि में चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या काफी है, जिनकी किरायेदारी की रकम बढ़ाकर कई गुनी कर दी गई है, परन्तु उनकी स्थिति में सुधार के लिये कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भवनों की स्थिति में क्या कहूं, कमरों की दीवारें फट चली हैं, बाथरूम आदि की स्थिति भयंकर रूप से खराब है। जाल टूट गये हैं जिनमें से बन्दर घुस कर छात्र-छात्राओं के बस्ते छीन कर ले जाते हैं बच्चों को घायल कर डालते हैं, परन्तु विभाग किराया तो लेता है लेकिन उक्त भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है।

मान्यवर अनेक बार पी.टी.ए. के अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक, अध्यापिकाओं ने सरकार व देवस्थान विभाग को लिखकर दिया है पर कार्य नहीं हुआ यह खेद है।

शिक्षा विभाग भी इस ओर से मौन है। यदि देवस्थान मन्त्री जी व शिक्षा विभाग के मन्त्री जी ने इन स्कूलों की स्थिति देखी हो तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है कृपया बतलायें यदि नहीं देखा हो तो मैं साथ चलकर दिखलाने को तैयार हूं। उक्त स्कूलों की छतों से पानी टपकता है कितनी ही दीवारें फूटी खडी हैं कभी भी गिर सकती हैं। फर्श की स्थिति भी भयंकर रूप से गड्ढों वाली है दरवाजे प्रायः टूटे खड़े हैं। बाथरूम जा नहीं सकते। कमला नेहरू स्कूल में तो गंदी गली का पानी स्कूल में घुस रहा है माणक चौक स्कूल की हालत बेहद खराब है और इसके गटर सड़क पर खुलते हैं नागरिक भी परेशान हैं। अतः मेरा आग्रह कि कृपया आप विचार करें और सभी कठिनाइयों व आशंकाओं से बचाने के लिये जीर्ण शीर्ण अवस्था सुधारने का विनिश्चय बनायें और उक्त कार्य की क्रियान्विती के लिये कृपया समुचित राशि आवंटित करके कार्य करें जिससे जन आक्रोश विरत हो सके और छात्र छात्राएं सुविधापूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

भवदीय,

ह./—

(उजला अरोडा)

वि. सं 10

सचिव महोदय,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर ।

महोदय

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कला महाविद्यालय अलवर के उप-प्राचार्य श्री रघुवरदयाल पर हुये घातक हमले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

दिनांक 11 मार्च, 1992 को लगभग दिन के 11.30 बजे एक शिष्ट मण्डल जिसमें कालेज के पूर्व में रहे छात्र भी सम्मिलित थे, प्राचार्य के कक्ष में दाखिल हुये एवं एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें एक 'नोन-कोलोजिएट' को एम.ए. की कक्षा में प्रवेश देने की इच्छा व्यक्त की गई थी । प्राचार्य ने नियमों का हवाला देते हुये प्रवेश देने में अपनी असमर्थता प्रकट की । प्राचार्य का उत्तर पाकर शिष्ट मण्डल कक्ष से बाहर चला गया । पांच मिनट पश्चात शिष्ट मण्डल ने पुन: प्राचार्य के कक्ष में प्रवेश किया एवं इस बार एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर एक छात्र को एल.एल.बी. में प्रवेश देने की इच्छा व्यक्त की । प्राचार्य के जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रवेश पाने वाला छात्र साथ में नहीं था । प्राचार्य ने प्रवेश देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये सुझाव दिया कि आप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के नाम एक प्रार्थना पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट को संलग्न करते हुये प्रवेश देने की अनुमति के लिये लिख दें । प्राचार्य आपको प्रवेश देने की सिफारिश के साथ प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार को भेज देंगे । अनुमति प्राप्त होने पर प्रवेश दे सकेंगे । इसके पश्चात शिष्ट मण्डल प्राचार्य के कक्ष से बाहर चला गया । लेकिन पांच मिनिट पश्चात शिष्ट मण्डल ने पुन: प्राचार्य के कक्ष में प्रवेश किया एवं प्राचार्य से अनुरोध किया कि आप अपनी रिस्क पर प्रवेश दे दें । रजिस्ट्रार के यहां से अनुमति आती रहेगी । प्राचार्य ने पुन: असमर्थता व्यक्त की लेकिन शिष्ट मण्डल के सदस्य अपनी बात पर अडे रहे । वार्ता के बीच में हस्तक्षेप करते हुये उप-प्राचार्य श्री रघुवर दयाल जो प्रवेश सम्बन्धित मामलों के प्रभारी भी हैं, ने शिष्ट मण्डल के सदस्यों को तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास कि प्रवेश बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के देना सम्भव नहीं है । उनके हस्तक्षेप से शिष्ट मण्डल के एक सदस्य श्रीनिवास भड़क उठे एवं उप प्राचार्य पर हमला बोल दिया । शिष्ट मण्डल के अन्य सदस्यों ने भी हमले में भाग लिया । प्राचार्य के कक्ष में उपस्थित अन्य आचार्यों एवं कर्मचारियों ने श्री रघुवर दयाल को बचाया । श्री रघुवर दयाल के पसली में चोट आई है एवं दांत हिल गये हैं ।

उक्त घटना को लेकर जन आक्रोश है एवं शहर के तीनों कॉलेज में हड़ताल जारी है। पुलिस द्वारा अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार न करने के कारण आक्रोश में वृद्धि हुई है। कालेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने होली न खेलने का निश्चय किया है।

शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मन में यह भी आशंका है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अपराधियों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अपराधी प्रभाव–शाली व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं।

मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दें। उक्त कार्यवाही से ही शिक्षकों का सम्मान सुरक्षित रह सकता है एवं जन आक्रोश दूर हो सकता है।

भवनिष्ठ
ह./–
(जीतमल जैन)
वि. सं. 56

दि. 17.3.92